नालको NALCO

वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23

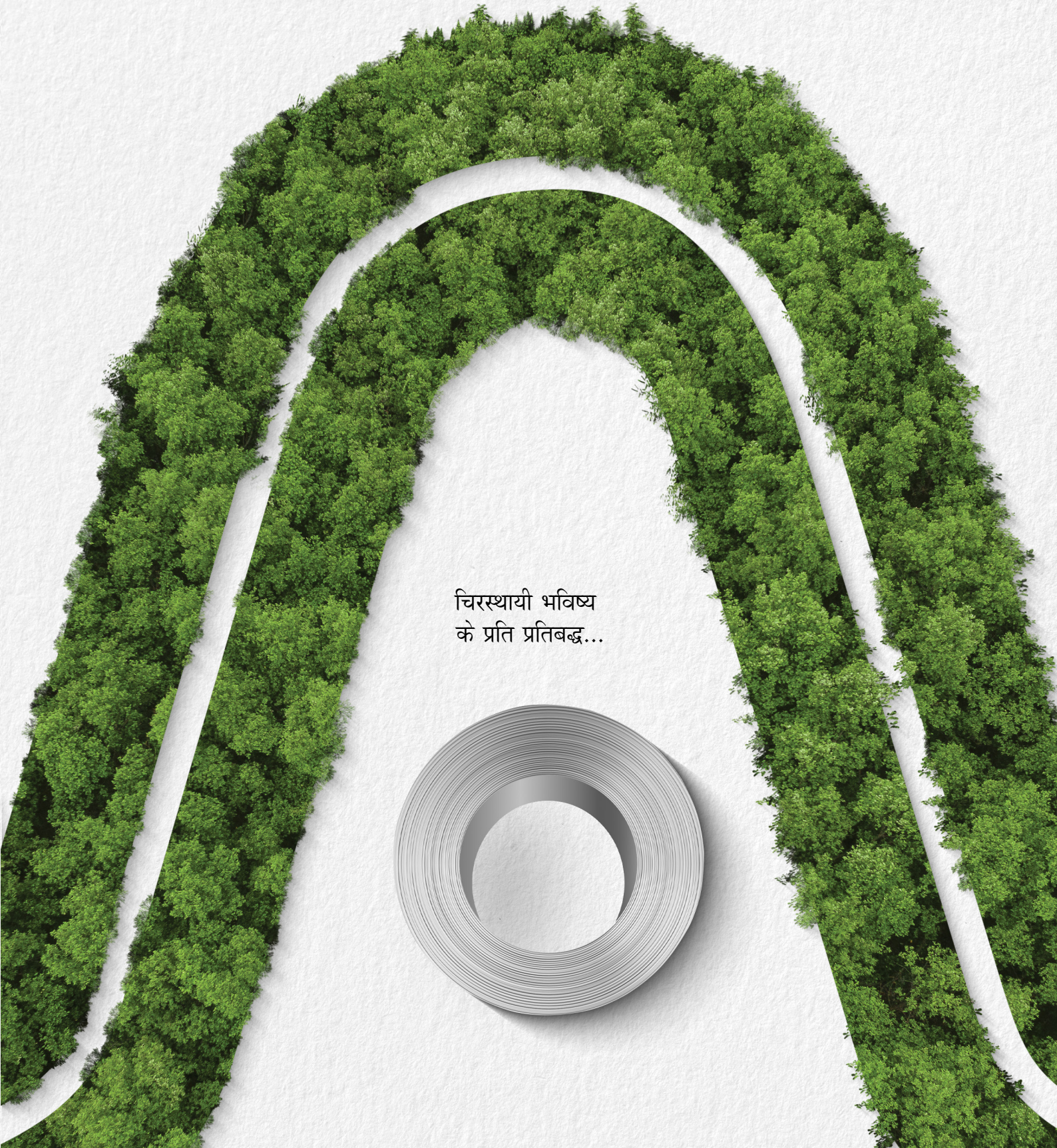

हमारी **दूरदर्शिता**

एल्यूमिनियम मूल्य श्रृंखला के घरेलू एवं वैश्विक उत्खनन में महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करते हुए धातु एवं ऊर्जा के क्षेत्र में प्रमुख एवं एकीकृत कम्पनी बनना।

विषय-सूची

वर्ष एक नजर में	03
निदेशक का प्रतिवेदन	13
सीएसआर कार्यकलापों पर वार्षिक प्रतिवेदन	41
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन	43
व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं वहनीयता प्रतिवेदन	60
ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण तथा विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय पर प्रतिवेदन	81
निगम प्रशासन प्रतिवदेन	85
सचिवीय लेखापरीक्षा प्रतिवदेन	110
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की प्रतिवदेन एवं वित्तीय विवरण (एकल)	118
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की प्रतिवदेन एवं वित्तीय विवरण (समेकित)	188
5 वर्षों का प्रदर्शन एक नजर में	256

पंजीकृत कार्यालय एवं निगम कार्यालय
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: L27203OR1981GOI000920
नालको भवन, प्लॉट नंबर पी/1, नयापल्ली,
भुवनेश्वर - 751 013, ओडिशा
टेलीफोन : 0674-2303197
ईमेल: company_secretary@nalcoindia.co.in
वेबसाइट: www.nalcoindia.com

42 वीं वार्षिक आम बैठक
दिनांक एवं समय: गुरुवार, 21 सितंबर, 2023 को सुबह 11.00 बजे
मानित स्थान: नालको भवन, पी/1, नयापल्ली,
भुवनेश्वर - 751 013।
प्रारूप: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ओएवीएम

वर्ष एक नजर में

भौतिक

- बॉक्साइट (एमटी) 74,56,776
- एल्यूमिना हाइड्रेट (एमटी) 21,23,000
- एल्यूमिनियम (एमटी) 4,60,000
- विद्युत (नेट) (एमयू) 5,788
- पवन ऊर्जा (एमयू) 280

वित्तीय

- निर्यात कारोबार (₹ करोड़ में) 4,217
- कुल बिक्री (₹ करोड़ में) 14,171
- कर देने से पूर्व लाभ (₹ करोड़ में) 1,955
- कर के बाद लाभ (₹ करोड़ में) 1,544
- कमाई प्रति शेयर (₹) 8.41
- पुस्तक मूल्य प्रति शेयर (₹) 72.08
- लाभांश प्रति शेयर (₹) 4.50

निदेशक मंडल

01.	**श्री श्रीधर पात्र**	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
02.	**श्री संजय लोहिया, आईएएस**	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक
03.	**डॉ. वीणा कुमारी डेरमल, आईपीओएस**	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक
04.	**श्री राधाश्याम महापात्र**	निदेशक (मानव संसाधन)
05.	**श्री रमेश चन्द्र जोशी**	निदेशक (वित्त)
06.	**श्री सदाशिव सामंतराय**	निदेशक (वाणिज्यिक)
07.	**श्री पंकज कुमार शर्मा**	निदेशक (उत्पादन) एवं निदेशक (परियोजना व तकनीकी)-अतिरिक्त प्रभार
		[निदेशक (उत्पादन) - 01.02.2023 से प्रभावी तथा
		निदेशक (परियोजना व तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार - 01.08.2023 से प्रभावी]
08 .	**श्री रवि नाथ झा**	अंशकालिक गैर-आधिकारिक(स्वतंत्र) निदेशक
09.	**डॉ. बी. आर. रामकृष्ण**	अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक
10.	**अधिवक्ता जॉर्ज कुरियन**	अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक
11.	**डॉ. अजय नारंग**	अंशकालिक गैर-आधिकारिक(स्वतंत्र) निदेशक
12.	**श्री वाई. पी. चिलिओ**	अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक
13.	**सुश्री (डॉ.) शतरूपा**	अंशकालिक गैर-आधिकारिक(स्वतंत्र) निदेशक
14.	**अधिवक्ता दुष्यन्त उपाध्याय**	अंशकालिक गैर-आधिकारिक(स्वतंत्र) निदेशक
15.	**श्री संजय रमणलाल पटेल**	अंशकालिक गैर-आधिकारिक(स्वतंत्र) निदेशक
16.	**श्री बिजय कुमार दास**	निदेशक (उत्पादन) - (31.01.2023 तक)
17.	**श्री मनसा प्रसाद मिश्रा**	निदेशक (परियोजना व तकनीकी) - (31.07.2023 तक)
	समूह महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव	
	श्री नयन कुमार महान्ति	

निदेशक मंडल

श्री श्रीधर पात्र
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

श्री श्रीधर पात्र को 17 दिसंबर, 2019 से कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री श्रीधर पात्र दिनांक 01.09.2018 को निदेशक (वित्त) के रूप में कंपनी में शामिल हुए थे। उन्होंने दिनांक 01.12.2019 से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। नालको में शामिल होने से पहले, वह 5 वर्षों से अधिक समय तक टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यरत थे।

दिनांक 12.10.1964 को जन्मे श्री पात्र इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य हैं तथा उत्कल विश्वविद्यालय से वाणिज्य में रैंकधारी स्नातक हैं। श्री पात्र एक अनुभवी वित्त एवं लेखा प्रोफेशनल हैं। उन्होंने निगम लेखा, बजटरी नियंत्रण, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रबंधन, रणनीतिक वित्तीय एवं व्यवसाय योजना, अनुबंधों के वित्तीय मूल्यांकन, लागत उत्कृष्टता एवं ट्रेजरी कार्य में एक्सपोजर के साथ विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड और मैंगलोर परिशोधक एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (ओएनजीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी) के वित्त और लेखा कार्यों में तीन दशकों से अधिक के अनुभव के साथ संगठनात्मक विकास के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। श्री पात्र ने पीएसयू में कार्यरत रहने के अलावा प्रोफेशनल लेखांकन संस्थानों में एक शिक्षाविद् के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

निदेशक मंडल

श्री संजय लोहिया, आईएएस
अंशकालिक आधिकारिक निदेशक

श्री संजय लोहिया, जो कि 1994 बैच (असम मेघालय कैडर) के आईएएस अधिकारी हैं, अक्टूबर, 2020 में खान मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में शामिल हुए थे और बाद में मार्च 2021 में अतिरिक्त सचिव बने। वह दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में शामिल हुए। खान मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में शामिल होने से पहले, उन्होंने मुख्यमंत्री, असम सरकार के प्रधान सचिव का पद संभाला था। उन्होंने असम सरकार में विभिन्न पदों पर काम किया। वह वर्ष 2011-2016 के दौरान भारत सरकार में निदेशक, पीएमओ और संयुक्त सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के रूप में पहले ही काम कर चुके हैं। असम सरकार में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने वित्त, कृषि और शहरी विकास जैसे विभिन्न विभागों में विभिन्न क्षमताओं में काम किया और उनके पास व्यापक अनुभव है।

डॉ. वीणा कुमारी डेरमल, आईपीओएस
अंशकालिक आधिकारिक निदेशक

डॉ. वीणा कुमारी डेरमल भारत सरकार के भारतीय डाक सेवा (आईपीओएस) के 1998 बैच से संबंधित हैं। वह वर्तमान में भारत सरकार, नई दिल्ली के खान मंत्रालय में खनिज नीति, विधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं।

डॉ. वीणा कुमारी डेरमल ने अखिल भारतीय स्तर पर डाक विभाग में विभिन्न पदों पर कार्य किया। वह 2017 में खान मंत्रालय में निदेशक के रूप में शामिल हुईं और 2020 में संयुक्त सचिव के रूप में पदोन्नत हुईं। वह 2020, 2021 और 2023 में एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन एवं अधिनियम के सभी अधीनस्थ कानूनों से जुड़ी रही हैं। उन्हें भारत की खनिज नीति की गहरी समझ है।

डॉ. वीणा कुमारी डेरमल ने केरल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बीएससी (कृषि), एमएससी (बागवानी) तथा नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से बागवानी में पीएचडी की है। उन्होंने आईआईएम, बेंगलुरु से पब्लिक पॉलिसी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न अल्पकालिक पाठ्यक्रम किये हैं।

डॉ. वीणा कुमारी डेरमल के पास सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में काम करने का काफी अनुभव है।

निदेशक मंडल

श्री राधाश्याम महापात्र
निदेशक (मानव संसाधन)

श्री राधाश्याम महापात्र दिनांक 01.01.2020 से निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में कंपनी में शामिल हुए।

श्री महापात्र के पास विद्युत, तेल एवं कोयला क्षेत्रों में विभिन्न क्षमताओं में समृद्ध अनुभव है और उन्होंने सफलतापूर्वक विविध एवं उच्च जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। उन्होंने खलीकोट कॉलेज, ब्रह्मपुर, ओडिशा से भौतिकी में स्नातक किया है और बरहमपुर यूनिवर्सिटी से औद्योगिक संबंध और श्रम कल्याण में स्नातकोत्तर किया है। श्री महापात्र ने मानव संसाधन कार्यों के कई क्षेत्रों को संभाला है। एनएचपीसी, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने टीम वर्क के माध्यम से उत्पादक कार्य संस्कृति की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

श्री महापात्र के रुचि के क्षेत्रों में उत्पादकता में सुधार, मानव विकास, कौशल विकास के माध्यम से रोजगार सृजन, खेल, संस्कृति और मानव गरिमा में सुधार शामिल हैं। उन्होंने प्रशासन को समुदायों की आवश्यकता और आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए इसमें सुधार के लिए पूरे मनोयोग से काम किया है। उनकी विशेषता में पारदर्शिता, नेतृत्व और टीम वर्क शामिल है।

श्री रमेश चन्द्र जोशी
निदेशक (वित्त)

श्री रमेश चंद्र जोशी ने 04 फरवरी, 2022 से नवरत्न सीपीएसई, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। श्री जोशी विभिन्न संगठनात्मक स्तरों पर तीन दशकों से अधिक का बहुमुखी अनुभव रखते हैं। उनके पास वाणिज्य एवं कानून में डिग्री है, एवं वह एक प्रमाणित लागत एवं प्रबंधन लेखाकार भी हैं। उन्होंने अटूट समर्पण, निरंतर दृढ़ संकल्प एवं अथक प्रयासों का प्रदर्शन करते हुए वर्ष 1994 में, नालको में अपनी यात्रा शुरू की, जिसने उन्हें इस प्रतिष्ठित पद को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया।

श्री जोशी वित्त एवं लेखा में एक अनुभवी प्रोफेशनल के रूप में जाने जाते हैं, जो अपनी चतुर निर्णय लेने की प्रक्रिया, निपुण विश्लेषणात्मक कौशल, प्रभावी समस्या-समाधान एवं व्यावहारिक व्यावसायिक कौशल, परिणाम-उन्मुख नेतृत्व तथा एक सहयोगी टीम-संचालित दृष्टिकोण के लिए पहचाने जाते हैं। संगठनात्मक उन्नति के प्रति उनका समर्पण दृढ़ संकल्पित है।

नालको में, उन्होंने कई वित्तीय कार्यों को कुशलतापूर्वक संचालित किया है। उनकी विशेषज्ञता लेखांकन के बुनियादी क्षेत्रों से परे फैली हुई है, जिसमें वित्तीय योजना एवं विश्लेषण, व्यापक वित्तीय रिपोर्टिंग, रणनीतिक व्यापार मानचित्रण के साथ ही जटिल संविदात्मक एवं नियामक बारीकियों की गहन समझ शामिल है। इसके अलावा, वह रणनीतिक पूंजी व्यय के माध्यम से मूल्य निर्माण एवं बाजार पूंजीकरण को बढ़ाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता को सर्वोपरि महत्व देते हैं, जो संगठन की वित्तीय वृद्धि के लिए उनकी रणनीतिक दृष्टि एवं समर्पण को दर्शाता है।

विशेष रूप से, वह नालको के संयुक्त उद्यम, मेसर्स अनुगुळ एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि. के बोर्ड में नामांकित निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, जो निगम परिदृश्य में उनकी प्रभावशाली उपस्थिति को रेखांकित करता है।

निदेशक मंडल

श्री सदाशिव सामंतराय
निदेशक (वाणिज्यिक)

श्री सदाशिव सामंतराय नवरत्न सीपीएसई, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के निदेशक (वाणिज्यिक) के रूप में दिनांक 22.03.2022 को शामिल हुए। उन्हें काबिल (खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड) के निदेशक के रूप में शामिल किया गया था और उन्हें 10.08.2023 से सीईओ की अतिरिक्त भूमिका सौंपी गई थी।

वर्ष 1965 में जन्मे, श्री सामंतराय अपनी पूरी शिक्षा के दौरान स्कूलों और कॉलेजों में एक पोजिशन होल्डर रहे। जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एजी एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर, जो अब उत्तराखंड में है, से स्नातक के सभी चार वर्षों में यूनिवर्सिटी मेरिट सर्टिफिकेट के साथ बीटेक (मैकेनिकल) पूरा करने के बाद, वह वर्ष 1985 में ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी (जीईटी का दूसरा बैच) के रूप में नालको में शामिल हुए। उन्होंने उत्कल यूनिवर्सिटी से मार्केटिंग और फाइनेंस में विशेषज्ञता के साथ एमबीए किया है। उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा और मार्केटिंग मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा भी पूरा किया है।

वह अपनी ईमानदारी, कड़ी मेहनत, रणनीतिक प्रबंधन पर समर्पण और क्षमता के माध्यम से निदेशक (वाणिज्यिक) के रूप में चुने जाने से पहले कार्यपालक निदेशक (वाणिज्यिक) के स्तर तक पहुंचे।

श्री सामंतराय के पास संयंत्रों और वाणिज्यिक क्षेत्रों में 36 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। संयंत्रों में काम करते हुए वह सीपीपी एवं प्रद्रावक में निर्माण, प्रारम्भ, संचालन और उत्पादन योजना में शामिल थे। अपनी रणनीतियों और योजना के कारण, नालको उत्पादन और उत्पादकता के उच्चतम स्तर हासिल कर सके। वह नालको को आपदा से बचाने के लिए रिकॉर्ड समय में सीपीपी में जले हुए सिंगल लाइन कोयला केबल बेल्ट की बहाली, उत्पादकता बढ़ाने के लिए स्मेल्टर, लॉजिस्टिक्स प्रणाली का अनुकूलन आदि में वैज्ञानिक स्पेयर योजना, एमआईएस प्रणाली के डिजाइन और कार्यान्वयन, महत्वपूर्ण उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाने की रणनीति जैसे संयंत्रों में कई महत्वपूर्ण निर्णयों और ऐतिहासिक उपलब्धियों में शामिल थे।

उनके पास विपणन (सभी उत्पादों को शामिल करने वाले निर्यात और घरेलू बाजार), आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन (खरीद, स्टोर, इन्वेंट्री नियंत्रण) और लॉजिस्टिक्स में मजबूत बहु-विषयक व्यावसायिक अनुभव है। उन्होंने अपने लंबे करियर के दौरान, कंपनी में कई ऐतिहासिक पहलें शुरू कीं, जैसे ग्राहक के साथ पहली एमओयू प्रणाली, एलएमई से जुड़ा मूल्य निर्धारण तंत्र, धातु का एलएमई पंजीकरण, निर्यात के लिए ई-टेंडरिंग, पारदर्शिता लाने के लिए वाणिज्यिक मैनुअल और दिशानिर्देश तैयार करना, लॉजिस्टिक्स में वृद्धि, कुशल आपूर्ति श्रृंखला और लागत बचत के लिए प्रणाली, रणनीतिक स्थानों पर मास्टर स्टॉक यार्ड खोलना, ग्राहकों (नगीना) और विक्रेताओं (नमस्य) के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करना, ग्राहक और आपूर्तिकर्ता संतुष्टि सूचकांक आदि। वह 12 से अधिक नए विशिष्ट उत्पादों के लॉन्च सहित कई मूल्यवर्धित उत्पादों के विकास और लॉन्चिंग में गहराई से शामिल थे। उनके नेतृत्व में नालको की व्यावसायिक कार्यप्रणाली को बाजार के अवसरों को समझने और उनका लाभ उठाने में गतिशील रूप से सक्षम बनाया गया, जिसके परिणामस्वरूप 2016-17, 2018-19 एवं 2022-23 के दौरान रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन हुआ। उनके नेतृत्व में 2022-23 के दौरान कंपनी ने एक नया बेंचमार्क स्थापित करते हुए मेटल की अब तक की सबसे अधिक बिक्री हासिल की थी। उनके द्वारा अपनाई गई आउट-ऑफ़-बॉक्स रणनीतियों ने कोविड -19 लॉकडाउन के दौरान सभी प्रमुख कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित की, जिससे उत्पादन के शून्य नुकसान के साथ संयंत्र संचालन को बनाए रखा जा सके, जबकि खरीद लागत में भारी बचत हुई, जिससे 2019-20 और 2020-21 में कंपनी की लाभप्रदता में मदद मिली, जब एलएमई की कीमतें गिर गई थीं। समर्पित प्रयासों के माध्यम से, 2022-23 के दौरान जीईएम (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

श्री सामंतराय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैटेरियल्स मैजनेजमेंट के राष्ट्रीय परिषद सदस्य, चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाणपत्र के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स में फेलो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के सदस्य हैं।

श्री पंकज कुमार शर्मा
निदेशक (उत्पादन) एवं निदेशक (परियोजना व तकनीकी) - अतिरिक्त प्रभार

श्री पंकज कुमार शर्मा नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) के निदेशक मंडल में दिनांक 01.02.2023 को निदेशक (उत्पादन) के रूप में शामिल हुए हैं। उन्होंने वर्ष 1992 में आईआईटी (बीएचयू) से बी.टेक (इलेक्ट्रॉनिक्स) में स्नातक की उपाधि प्राप्त की एवं उसी वर्ष एनएमडीसी लिमिटेड में कार्यकारी प्रशिक्षु (इलेक्ट्रॉनिक्स) के रूप में शामिल हुए। उनके पास ओपन कास्ट माइनिंग उद्योग के सभी विधाओं में कार्य करने का विविध एवं समृद्ध अनुभव है। एनएमडीसी लिमिटेड के साथ 30 से अधिक वर्षों के अपने जुड़ाव के दौरान, उन्होंने विभिन्न प्रमुख पदों पर चुनौतीपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। नालको में शामिल होने से पहले, वह हेड - ग्लोबल एक्सप्लोरेशन सेंटर ऑफ एनएमडीसी लिमिटेड, सीईओ - एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड (एनएमडीसी लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) एवं सीईओ - बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (एनएमडीसी लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने न केवल एनएमडीसी लिमिटेड की परिचालन लौह अयस्क खदानों के सतत विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है, बल्कि सहायक कंपनियों की आगामी परियोजनाओं में भी मील के पत्थर स्थापित किए हैं। उनका तकनीकी ज्ञान एवं रणनीतिक विशेषज्ञता नालको को त्वरित विकास हासिल करने में मदद करेगी।

श्री पंकज कुमार शर्मा को 01.08.2023 से निदेशक (परियोजना व तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार दिनांक 31.07.2023 को निदेशक (परियोजना व तकनीकी) श्री एमपी मिश्रा की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप, सौंपा गया है।

निदेशक मंडल

श्री रवि नाथ झा
अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक

श्री रवि नाथ झा रांची विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक हैं। उनकी प्रोफेशनल विशेषज्ञता पत्रकारिता में है। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अपने छात्र जीवन से ही उन्होंने विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों के साथ काम किया है। वह रांची के विभिन्न स्थानीय समाचार पत्रों के लिए स्वतंत्र पत्रकार थे। वह अक्टूबर, 2003 से अंत्योदय संदेश एवं अंत्योदय संकल्प के संपादक के रूप में कार्यरत हैं।

उन्होंने सार्वजनिक नीति अनुसंधान केंद्र द्वारा सुशासन एवं नीतियों पर आयोजित एक चर्चा सत्र में भाग लिया। उन्होंने नालको द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक युवा सम्मेलन में भी भाग लिया है। वह खान एवं खनिजों के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिनिधि थे जो खान मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था।

डॉ. बी. आर. रामकृष्ण
अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक

डॉ. बी. आर. रामकृष्ण बीएसएएम, बीएएमएस, एमडी (आयु.), एमएससी एवं पीएचडी (योग) धारक हैं एवं बीएसएएम में स्वर्ण पदक एवं कर्नाटक राज्य पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं। उनके पास यूजी एवं पीजी अध्ययन में 30 साल का अनुभव, इंटीग्रेटिव मेडिसिन प्रैक्टिस में 40 साल एवं रिसर्च में 23 साल का अनुभव है। वह भारत सरकार एवं कर्नाटक सरकार में आयुर्वेद, योग एवं खेल में बहुत वरिष्ठ पदों पर रहे। उन्होंने 2006 से जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, चीन, फ्रांस, इटली, सिंगापुर, मलेशिया एवं थाईलैंड में आयुर्वेद एवं योग कार्यशालाएं एवं 2015 से जर्मनी एवं ऑस्ट्रिया में आईडीवाई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उन्हें सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, टॉर्च बियरर इन आयुर्वेद,, अधम्य चेतना अवार्ड पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।

वर्तमान में, श्री रामकृष्ण एसवीवाईएएसए डीम्ड यूनिवर्सिटी, बैंगलोर के कुलपति, प्रोफेसर एमेरिटस एवं निदेशक सुश्रुत आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, बैंगलोर के रूप में कार्यरत हैं।

अधिवक्ता जॉर्ज कुरियन
अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक

श्री जॉर्ज कुरियन पेशे से केरल के कोट्टायम जिले के वकील हैं एवं उनके पास विभिन्न न्यायालयों में वकील के रूप में प्रैक्टिस करने का समृद्ध एवं विशाल अनुभव है।

निदेशक मंडल

डॉ. अजय नारंग
अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक

डॉ. अजय नारंग वर्तमान में अपनी कंपनी के प्रमुख हेल्थकेयर उद्यम - समग्र केयर के साथ अग्रसर हैं, जो जटिल भारतीय परिदृश्य के लिए बनाई गई चिकित्सा सेवाओं का एक शानदार मॉडल पेश कर रहा है। यह उद्यम शहरी टियर-2 भारत में उच्च-गुणवत्ता, न्यायसंगत, समय पर स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को सक्षम करने पर केंद्रित है।

उनके पास भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में उद्योग एवं व्यवसाय में तीस वर्षों से अधिक का अनुभव है, जिसमें अपने करियर के दौरान वे निगमों के निदेशक मंडल में रहे हैं। पूर्व में, लगभग दो दशकों तक, उन्होंने आईटी प्रबंधन क्षेत्र में काम किया है एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में कई ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की हैं।

अपने करियर की शुरुआत में ही उन्होंने खुद को विनिर्माण एवं आपूर्ति उद्योग में लगा दिया था। एक उद्यमी के रूप में, उन्होंने एक बीमार औद्योगिक उद्यम के प्रबंधन की चुनौती को स्वीकार किया एवं रसोई गैस सिलेंडर के निर्माण में शामिल हो गये। कम उम्र में शुरुआत करके, एक दशक की अवधि में, उन्होंने सफलतापूर्वक एक एसएसआई, सिलेंडर विनिर्माण सुविधा को एक अत्यधिक लाभदायक उद्यम में बदल दिया।

योग्यता के आधार पर, डॉ. नारंग एक एलोपैथिक जनरल फिजिशियन हैं तथा सक्रिय एवं कई गैर-लाभकारी गतिविधियों में संलग्न होकर समाज एवं अपने साथी नागरिकों को वापस देने का प्रयास करते हैं। वह हिंदुस्थान समाचार, दिल्ली के निदेशक मंडल में रहे हैं। उन्होंने लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष का पद भी संभाला, जो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की सेवा में एक अखिल भारतीय संगठन है; वर्तमान में वह इसकी राष्ट्रीय कार्य समिति के कार्यकारी सदस्य हैं। वह विश्व संवाद केंद्र ट्रस्ट, भोपाल के ट्रस्टी एवं उसके अध्यक्ष हैं।

मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें प्रतिष्ठित शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, भोपाल की जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा है। वह सरकार के कई निकायों, अर्थात् श्रम सलाहकार बोर्ड, मध्य प्रदेश; मप्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की कार्यकारी परिषद; मप्र विद्युत नियामक आयोग के सप्लाई कोड पैनल; अटल बिहारी वाजपेई हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल की सामान्य परिषद; क्षेत्रीय सलाहकार समिति, केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के मानद पूर्व सदस्य ; और राष्ट्रीय एमएसएमई बोर्ड, भारत सरकार में विशेष आमंत्रित सदस्य भी रहे हैं।

श्री वाई. पी. चिलिओ
अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक

श्री वाई. पी. चिलिओ नागालैंड विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक हैं। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं एवं उन्होंने बड़े पैमाने पर जनता के कल्याण के लिए विभिन्न क्षमताओं में विभिन्न समुदाय आधारित संगठनों में काम किया है। उन्होंने ईस्टर्न नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन (ईएनएसएफ) के अध्यक्ष, पीस समिति ईस्टर्न रीजन कॉन्फ्लिक्ट, नागालैंड के अध्यक्ष, ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी के अध्यक्ष, ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स संगठन (ईएनपीओ) के उपाध्यक्ष, सेंट्रल इग्जेक्यूटिव समिति के सदस्य एवं ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, नागालैंड के आजीवन सदस्य हैं।

निदेशक मंडल

सुश्री (डॉ.) शतरूपा
अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक

सुश्री (डॉ.) शतरूपा बीए (इतिहास) में कलकत्ता विश्वविद्यालय से रैंक धारक हैं एवं एमए में स्वर्ण पदक के साथ नंबर 1 स्थान प्राप्त किया था। उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, 2020 से प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति में पीएचडी प्रदान की गई है। वह एक हैं निगम ट्रेनर एवं 15 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ एक स्वतंत्र लेखिका हैं। उन्होंने 2012-14 के दौरान लगातार दो बार बंगाल नेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला विंग की अध्यक्ष का पद संभाला।

अधिवक्ता दुष्यन्त उपाध्याय
अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक

श्री दुष्यन्त उपाध्याय ने अपनी शैक्षिक एवं प्रोफेशनल डिग्री (बीएससी, एलएलबी एवं एमए) मेरठ विश्वविद्यालय (यूपी) से प्राप्त की।

श्री उपाध्याय के पास जिला न्यायालय, बुलन्दशहर (यूपी) में वकील के रूप में विभिन्न आपराधिक कानूनों, श्रम कानूनों एवं संविधान को लेकर 38 वर्षों से अधिक का व्यापक एवं विविध अनुभव है।

वर्तमान में श्री उपाध्याय अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की राष्ट्रीय परिषद एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। वह अधिवक्ता परिषद, उत्तर प्रदेश संगठन से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जुड़े थे। अपने कार्यकाल में, उन्होंने कई खुले कानून मंचों का आयोजन किया एवं विभिन्न कानून अध्ययन मंडलों का प्रबंधन किया। वह विभिन्न पंजीकृत सामाजिक ट्रस्ट एवं सोसायटी से भी जुड़े हुए हैं जहां वह समाज की भलाई में मदद करते हैं।

श्री उपाध्याय गरीब परिवारों के लिए सामुदायिक संसाधनों, रेफरल कार्यक्रमों, महिलाओं एवं बच्चों की देखभाल तथा भलाई में सुधार के लिए कल्याणकारी योजना विकसित करने एवं लागू करने के लिए सार्वजनिक अभियान भी चलाते हैं।

श्री संजय रमणलाल पटेल
अंशकालिक गैर-आधिकारिक(स्वतंत्र) निदेशक

दिनांक 18.05.1970 को जन्मे श्री संजय रमणलाल पटेल गुजरात विश्वविद्यालय से विज्ञान (रसायन विज्ञान) में स्नातक हैं। वह वर्तमान में 2018 से एग्रिकल्चर प्रोड्यूस मार्केट समिति (एपीएमसी), खंभात के अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं। वह 2018 से रालेज केदावनी मंडल रालेज के अध्यक्ष एवं सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वी. वी. नगर के सिंडिकेट सदस्य भी हैं।

वरिष्ठ प्रबंधन दल

श्री ए. के. स्वाई
कार्यपालक निदेशक
(प्रद्रावक व विद्युत)

श्री एस.के. पाढ़ी
कार्यपालक निदेशक
(खान व परिशोधक)

श्री सोमनाथ हंसदाह
मुख्य सतर्कता अधिकारी

डॉ. पी. के. प्रधान
कार्यपालक निदेशक (सीए)

श्री एस. महान्ति
कार्यपालक निदेशक (बीडी)

श्री एन. के. महान्ति
समूह महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

10
9

निदेशकों का प्रतिवदेन

प्रिय सदस्यगण,

मुझे 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण (एकल एवं समेकित) तथा लेखा परीक्षकों के प्रतिवदेन के साथ आपकी कंपनी की 42वें वार्षिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है ।

श्री प्रल्हाद जोशी, माननीय केंद्रीय कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री, कंपनी के रिकॉर्ड प्रदर्शन को प्रदर्शित के लिए नालको निगम कार्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित करते हुए

1.0 प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं:

1.1 शारीरिक प्रदर्शन:

उत्पादन	इकाई	2022-23	2021-22
बॉक्साइट	मे. टन	74,56,776	75,11,075
एल्यूमिना हाइड्रेट	मे. टन	21,23,000	21,22,000
एल्यूमिनियम	मे. टन	4,60,000	4,60,000
बिजली (नेट)-सीपीपी	एमयू	5,788	5,712
पवन ऊर्जा (नेट)	एमयू	280	320

(क) एल्यूमिना परिशोधक ने 21.0 लाख मेट्रिक टन की मानक क्षमता के मुकाबले 21.23 लाख मेट्रिक टन का एल्यूमिना हाइड्रेट उत्पादन हासिल किया, जो 101.1% क्षमता उपयोग है।

(ख) एल्यूमिनियम प्रद्रावक ने लगातार दूसरे वर्ष सभी 960 पॉटों के संचालन के साथ 4.6 लाख मेट्रिक टन की पूर्ण क्षमता का उत्पादन हासिल किया।

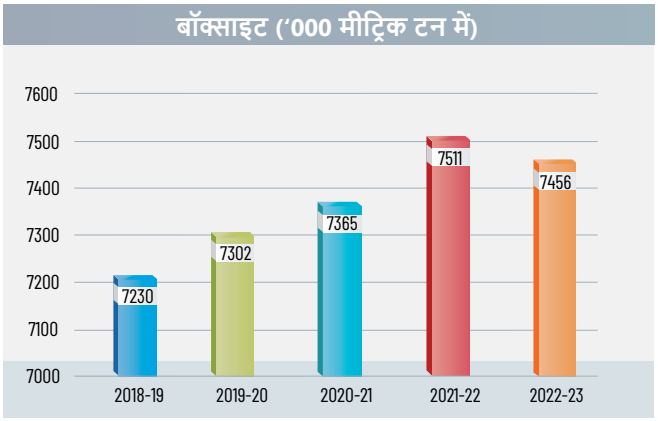

बिक्री प्रदर्शन ('000 मीट्रिक टन में)

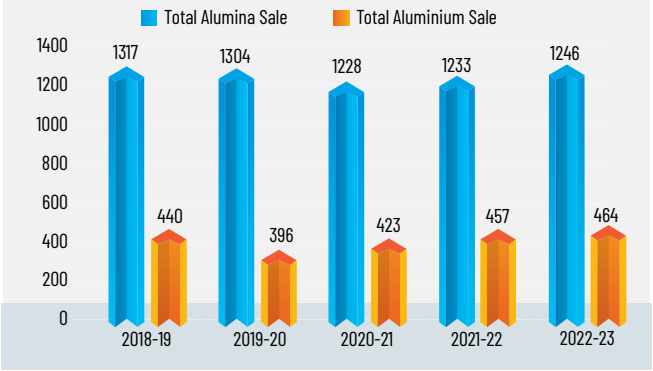

2.0 बिक्री प्रदर्शन:

2022-23 के दौरान हासिल की गई बिक्री का सारांश यहां दिया गया है:

विवरण	इकाई	वर्ष समाप्त 31.03.2023	वर्ष समाप्त 31.03.2022
एल्यूमिना	मे. टन	1,182,054	1,154,691
एल्यूमिनियम	मे. टन	25,214	133,085
घरेलू			
एल्यूमिना एवं हाइड्रेट*	मे. टन	64,583	77,995
एल्यूमिनियम	मे. टन	438,876	323,809
कुल धातु बिक्री	मे. टन	464,090	456,893
कुल रासायनिक बिक्री	मे. टन	1,246,637	1,232,686

*विशेष ग्रेड हाइड्रेट सहित।

आपकी कंपनी ने धातु की सर्वकालिक उच्च कुल बिक्री हासिल की, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 1.58% की वृद्धि है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एल्यूमीनियम धातु की सुस्त घरेलू मांग का अनुभव करने के बाद धातु की घरेलू बिक्री में सुधार हुआ और वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान इसकी शुरूआत से 35.54% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

एल्यूमिना हाइड्रेट ('000 मीट्रिक टन में)

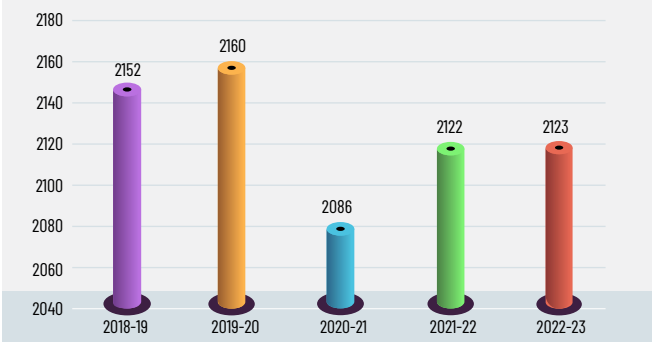

3.0 वित्तीय प्रदर्शन:

वित्तीय प्रदर्शन का विवरण नीचे दिया गया है:

रु. करोड़ में

विवरण	2022-23	2021-22
संचालन से राजस्व	14,255	14,215
अन्य आय	236	264
कुल आय	14,491	14,479
उपभुक्त कच्चे माल की लागत	3,172	1,971
विद्युत एवं ईंधन	4,694	3,388
कर्मचारी लाभ व्यय	1,832	2,356
अन्य व्यय*	2,122	1,972
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	716	837
कुल व्यय	12,536	10,524
असाधारण वस्तुओं से पहले लाभ	1,955	3,955
कर पूर्व लाभ	1,955	3,955
कर व्यय	411	1,003
कर पश्चात लाभ	1,544	2,952

*तैयार माल की सूची एवं कार्य प्रगति तथा वित्त लागत में परिवर्तन शामिल हैं।

4.0 भविष्य का दृष्टिकोण:

एल्यूमिना एवं एल्यूमिनियम उद्योग के लिए बाजार दृष्टिकोण निम्नानुसार सारणीबद्ध है:

विवरण	कैलेंडर वर्ष 2021	कैलेंडर वर्ष 2022	कैलेंडर वर्ष 2023 (अनुमानित)
एल्यूमिना			
वैश्विक मांग (मिलियन मे. टन)	130.77	134.01	133.46*
वैश्विक आपूर्ति (मिलियन मे. टन)	131.5	134.36	133.47*
शेष [अधिशेष/(घाटा)]	0.73	0.35	0.01*
अल्युमीनियम धातु			
वैश्विक मांग (मिलियन मे. टन)	68.97	69.14	68.88*
वैश्विक आपूर्ति (मिलियन मे. टन)	67.41	68.94	69.53*
शेष [अधिशेष/(घाटा)]	-1.56	-0.200	0.650*
मूल्य रुझान	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24 (मई 2023 तक)
एलएमई मूल्य (यूएसडी प्रति मे. टन)	2,769	2,490	2,304
एल्यूमिना मूल्य सूचकांक (एलएमई मूल्य के % के रूप में)	12.90%	13.90%	15.10%

* सीआरयू द्वारा एल्यूमिना के लिए जनवरी-जून, 2023 की अवधि एवं एल्यूमीनियम धातु के लिए जनवरी-सितंबर, 2023 की अवधि के लिए प्रकाशित अनुमानित आंकड़ों को 2023 आंकड़ों पर पहुंचने के लिए निकाला गया है (स्रोत: जून, 2023 सीआरयू)।

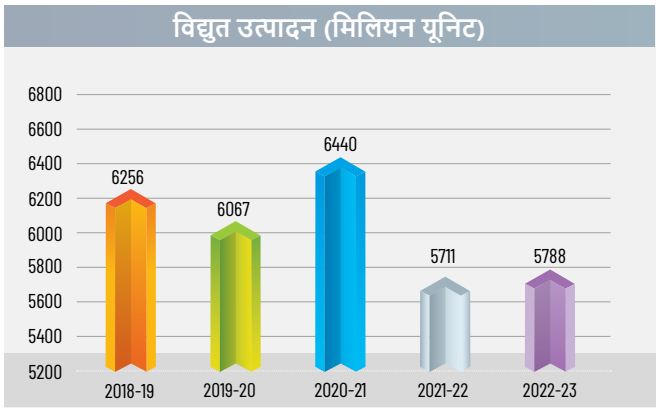

5.0 लाभांश एवं विनियोजन:

आपकी कंपनी भारत सरकार का सीपीएसई होने के नाते दीपम के दिशानिर्देशों के अनुपालन में लाभांश का भुगतान करती है।

वर्ष के दौरान कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रु.1.50 प्रति इक्विटी शेयर की दर से रु. 275.49 करोड़ का अंतिम लाभांश और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए दो किश्तों में रु.3.50 प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतरिम लाभांश रु. 642.82 करोड़ का भुगतान किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल लाभांश भुगतान रु.918.32 करोड़ है, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह रु.1,101.98 करोड़ था। लाभांश भुगतान पिछले वित्तीय वर्ष के 37.33% के मुकाबले चालू वित्तीय वर्ष के पीएटी का 59.48% है।

निदेशक मंडल ने आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन 20% की दर से अंतिम लाभांश यानी रु. 1.00 प्रति इक्विटी शेयर की सिफारिश की है।

6.0 एमओयू निष्पादन:

वित्तीय प्रदर्शन एवं अन्य मापदंडों की उपलब्धि के आधार पर, आपकी कंपनी को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार "उत्कृष्ट" रेटिंग दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एमओयू स्कोर को डीपीई द्वारा अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

7.0 कच्चे माल का प्रतिभूतिकरण:

पंचपटमाली बॉक्साइट खानों (सेंट्रल एवं नॉर्थ ब्लॉक) एवं साउथ ब्लॉक के पास क्रमशः 16.11.2032 एवं 19.07.2029 तक लीज वैधता के साथ सभी वैधानिक मंजूरी हैं। दोनों खदानें चालू हैं।

एल्यूमिना परिशोधक संयंत्र में एक कैप्टिव स्टीम एवं पावर प्लांट (एसपीपी) है। एसपीपी को कोयले की स्थायी आपूर्ति के लिए, आपकी कंपनी का सीआईएल सहायक कंपनियों के साथ 1.141 मिलियन मेट्रिक टन ईंधन आपूर्ति समझौता है। कमी की मात्रा, यदि कोई हो, कोयला नीलामी (स्पॉट/एक्सक्लूसिव) मार्ग के माध्यम से प्राप्त की जाती है।

श्री प्रल्हाद जोशी, माननीय केंद्रीय कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री, अपनी भुवनेश्वर यात्रा के दौरान नालको के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक से पहले एक पौधा लगाते हुए

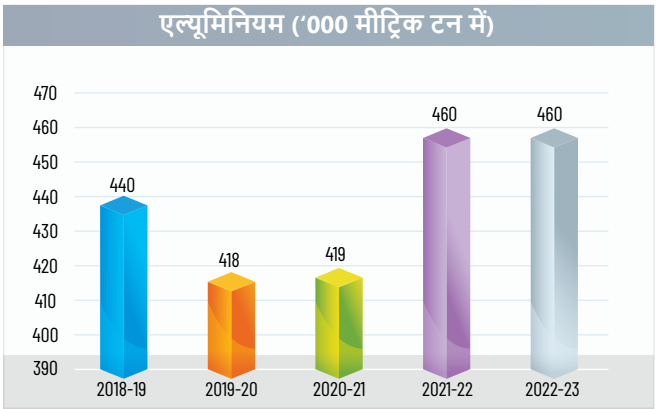

एल्यूमिनियम प्रद्रावक संयंत्र में टिकाऊ बिजली आपूर्ति के लिए ग्रहीत विद्युत संयंत्र (सीपीपी) है। सीपीपी एक थर्मल पावर प्लांट है एवं प्रद्रावक संयंत्र की मांग के अनुसार बिजली उत्पादन को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष लगभग 6.8 मिलियन मेट्रिक टन कोयले की आवश्यकता होती है। सीपीपी के लिए, कोयला मैसर्स महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) की नजदीकी कोयला खदानों से प्राप्त किया जाता है। आपकी कंपनी का एमसीएल के साथ 4.716 मिलियन मेट्रिक टन कोयले के लिए ईंधन आपूर्ति समझौता है, एवं एमसीएल के साथ 0.90 मिलियन मेट्रिक टन ब्रिज लिंकेज कोयला समझौता ज्ञापन है। शेष कमी की मात्रा कोयला नीलामी (स्पॉट/एक्सक्लूसिव) मार्ग से प्राप्त की जाती है।

उत्कल-डी कोल ब्लॉक वित्तीय वर्ष 2022-23 में चालू हो गया है।

8.0 कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं:

8.1 एल्यूमिना परिशोधक की 5 वीं स्ट्रीम:

आपकी कंपनी अपनी मौजूदा एल्यूमिना परिशोधक में 5वीं स्ट्रीम स्थापित करने की प्रक्रिया में है, जो मे. रियो टिंटो अलकन लिमिटेड (आरटीएएल) की बेहतर मीडियम प्रेसर डाइजेशन टेक्नोलॉजी के आधार पर, दिसंबर, 2018 मूल्य स्तर पर रु. 6,435.90 करोड़ के अनुमानित व्यय पर 2.1 एमटीपीवाई की मौजूदा स्थापित क्षमता में 1.0 एमटीपीवाई जोड़ देगा। वर्तमान में परियोजना की अनुमानित लागत को मार्च, 2023 के मूल्य स्तर पर संशोधित किया जा रहा है।

आपकी कंपनी ने एमओईएफ एंड सीसी से पर्यावरण मंजूरी तथा ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना की सहमति (सीटीई) जैसी प्रमुख वैधानिक मंजूरी प्राप्त की है। मे. थाइसेनक्रुप इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को एल्यूमिना परिशोधक के लिए ईपीसीएम सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। मेसर्स एम.एन.दस्तुरको को एल्यूमिना परिशोधक के तापीय विद्युत संयंत्र के लिए ईपीसीएम सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया

श्री विवेक भारद्वाज, आईएएस, सचिव (खान), भारत सरकार द्वारा भुवनेश्वर में नालको निगम कार्यालय के दौरे के दौरान पौधारोपण

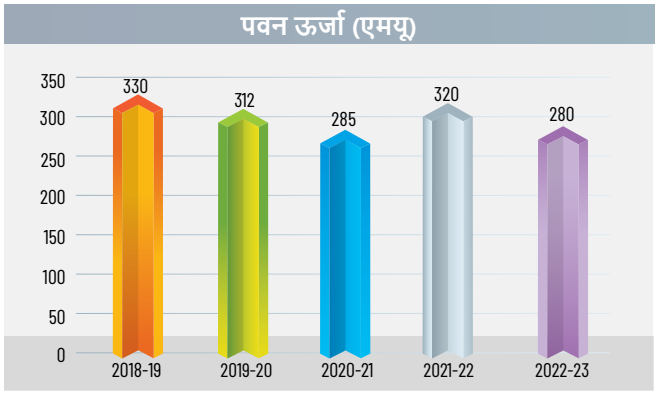

है। परियोजना के लिए बुनियादी इंजीनियरिंग मे. आरटीएएल द्वारा पूरी कर ली गई है और जुलाई, 2023 तक कुल परियोजना पूर्णता 57.83% है। सर्वेक्षण एवं मृदा जांच और साइट ग्रेडिंग कार्य सहित साइट गतिविधि पूरी हो चुकी है। निर्माण कार्य शुरू करने के लिए अधिकांश पैकेजों के ठेकेदारों को साइट पर तैनात कर दिया गया है। इस परियोजना को मई, 2025 तक चालू करने का लक्ष्य है।

8.2 5वीं स्ट्रीम के लिए बॉक्साइट की वैकल्पिक सोर्सिंग:

एल्यूमिना परिशोधक के 5वीं स्ट्रीम विस्तार के लिए पोट्टांगी खदानों से बॉक्साइट की सोर्सिंग की परिकल्पना की गई है। हालाँकि, पोट्टांगी खदानों से बॉक्साइट की उपलब्धता 5वीं स्ट्रीम विस्तार की निर्धारित कमीशनिंग से परे होने की उम्मीद है। इसलिए, क्रशिंग एवं कन्वेइंग सिस्टम की स्थापना के माध्यम से मौजूदा पंचपतमाली खानों साउथ ब्लॉक से बॉक्साइट की सोर्सिंग की योजना बनाई गई है, जिसके लिए रु. 483 करोड़ के पूंजीगत व्यय को मंजूरी दी गई है।

मे. डीसीपीएल को परियोजना के लिए ईपीसीएम सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ओवर लैंड कन्वेयर, क्रशर प्लांट, वॉटर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और साइट और इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज जैसे प्रमुख पैकेजों के ऑर्डर को अंतिम रूप दिया गया है। साइट निर्माण गतिविधियां प्रगति पर हैं। इस परियोजना को जनवरी, 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

8.3 25.5 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना:

आपकी कंपनी ने हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा के दोहन के अग्रदूत बनने के प्रयास में, भारत के विभिन्न राज्यों में 198.40 मेगावाट के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं। इस नेक प्रयास में, आपकी कंपनी मे. रेजेन पावरटेक प्रा. लि. के माध्यम से रु. 163 करोड़ के पूंजीगत व्यय पर कायथार, तमिलनाडु में 25.5 मेगावाट क्षमता की एक और पवन ऊर्जा परियोजना जोड़कर अपनी पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 223.90 मेगावाट तक बढ़ाने

की प्रक्रिया में है। उपकरणों की आपूर्ति और निर्माण पर पर्याप्त प्रगति (65%) हुई है। हालाँकि, कार्यकारी एजेंसी की नाजुक वित्तीय स्थिति के कारण काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। निष्पादन एजेंसी, मेसर्स रेजेन को बाद में एनसीएलटी में भेजा गया है। एनसीएलटी द्वारा फरवरी, 2022 में अंतिम समाधान आदेश जारी किया गया है। चूंकि अनुमोदित समाधान योजना की शर्तें परियोजना निष्पादन के हित में अनुकूल नहीं हैं, इसलिए आपकी कंपनी ने अनुमोदित समाधान योजना की समीक्षा के लिए एनसीएलएटी में एक याचिका दायर की है। एनसीएलएटी के फैसले का इंतजार है।

8.4 पोट्टांगी बॉक्साइट खदानें:

अपनी विस्तार योजना के तहत 1 मिलियन टन एल्यूमिना परिशोधक की बॉक्साइट आवश्यकता को पूरा करने के लिए पोट्टांगी बॉक्साइट खानों (75 मिलियन टन) को आपकी कंपनी के पक्ष में भारत सरकार द्वारा आरक्षित किया गया है। खनन योजना को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। वन मंजूरी, पर्यावरण मंजूरी एवं स्थापना की सहमति जैसी महत्वपूर्ण वैधानिक मंजूरी प्राप्त की गई है। ओडिशा सरकार से खनन पट्टे के लिए अनुदान आदेश भी प्राप्त हो गया है। पोट्टांगी खानों के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए सलाहकार को नियुक्त किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में खदानें चालू होने की संभावना है।

8.5 उत्कल-डी एवं ई कोयला ब्लॉक:

ग्रहीत विद्युत संयंत्र (सीपीपी) में मौजूदा परिचालन इकाइयों और आपकी कंपनी के भविष्य के विस्तार

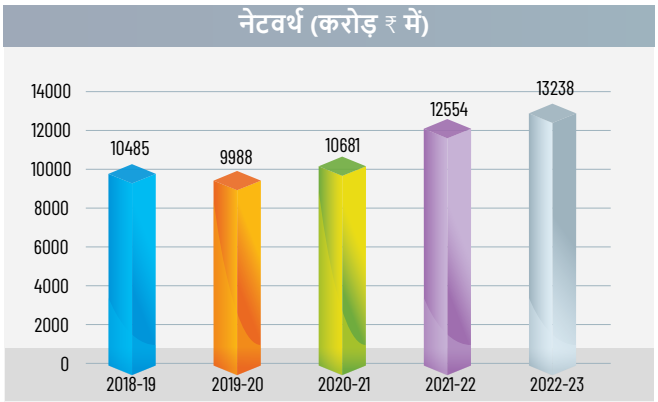

के लिए कच्चे माल की सुरक्षा के एक हिस्से के रूप में भारत सरकार द्वारा उत्कल-डी और उत्कल-ई कोयला ब्लॉक (175 मिलियन टन) आवंटित किए गए हैं। आपकी कंपनी ने अपेक्षित विनियामक मंजूरी प्राप्त करने और खनन पट्टा क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण पूरा करने के बाद उत्कल-डी के खनन पट्टा विलेख को निष्पादित किया। उत्कल-डी और उत्कल-ई कोयला खदानों के लिए कोयला खनन समझौते पर हस्ताक्षर सहित खदान डेवलपर और ऑपरेटर (एमडीओ) की नियुक्ति पूरी हो चुकी है।

उत्कल-डी और उत्कल-ई कोयला खदानों के लिए आर एंड आर लाभ एंड पीडीएफ सूची को आरपीडीएसी बैठक में अंतिम रूप दिया गया है। उत्कल-डी एंड ई के लिए आर एंड आर फंड के लिए नालको द्वारा `80 करोड़ की पहली किश्त और `100 करोड़ की दूसरी

नालकोनियन्स देशभक्ति के उत्साह के साथ 'हर घर तिरंगा' के राष्ट्रीय अभियान में शामिल हुए

किश्त जारी की गई है। जिला अधिकारियों द्वारा आर एंड आर लाभों का वितरण जारी है।

रेलवे साइडिंग के विकास की गतिविधियां प्रगति पर हैं।

उत्कल-डी कोयला खदानों और 09.11.2022 से शुरू होने वाले उत्कल-डी कोयला खदानों में खनन कार्यों के लिए सभी वैधानिक मंजूरी प्राप्त कर ली गई है। उत्कल-डी कोयला खदान से ग्रहीत विद्युत संयंत्र (सीपीपी) तक कोयला प्रेषण 18.04.2023 से शुरू हुआ।

उत्कल-ई कोयला खदानों के लिए वन मंजूरी, पर्यावरण मंजूरी, स्थापना की सहमति और संचालन की सहमति प्राप्त कर ली गई है और उत्कल-ई का खनन पट्टा विलेख जनवरी, 2023 में जिला प्रशासन के साथ निष्पादित किया गया है। अनुमोदित खनन योजना के अनुसार उत्कल-डी और ई संयुक्त कोयला खदानों को चालू करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

9.0 पूंजीगत व्यय (कैपेक्स):

एकल आधार पर कंपनी ने 1,816.78 करोड़ रुपये (संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश को छोड़कर) का पूंजीगत व्यय हासिल किया है । संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा किए गए पूंजीकरण को ध्यान में रखते हुए, समेकित आधार पर कंपनी का पूंजीगत व्यय रु. 1,876.16 करोड़ है।

10.0 जोखिम प्रबंधन नीति:

एक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की गई है एवं निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई है एवं यह कंपनी की वेबसाइट www.nalcoindia.com पर उपलब्ध है।

11.0 मानव संसाधन प्रबंधन:

11.1 अजा./अजजा आरक्षण पर राष्ट्रपति के निर्देश:

आपकी कंपनी अजा/अजजा/अपिव/ईडब्ल्यूएस एवं पीडब्ल्यूडी एवं पूर्व सैनिकों जैसी अन्य श्रेणियों के आरक्षण के मामले में सभी लागू राष्ट्रपति निर्देशों एवं अन्य दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है।

31 मार्च, 2023 को आपकी कंपनी की जनशक्ति 5,190 है, जबकि 31 मार्च, 2022 को 5,520 जनशक्ति थी। इन कर्मचारियों में से 323 महिला कर्मचारी थीं। कंपनी में 31.03.2023 तक ऑन रोल, 815 अजा कर्मचारी (15.70%), 999 अजजा कर्मचारी (19.25%), 805 अपिव कर्मचारी (15.51%), 90 पीडब्ल्यूडी कर्मचारी (1.73%), 10 ईडब्ल्यूएस कर्मचारी (0.19%) एवं 08 पूर्व कर्मचारी थे।

11.2 औद्योगिक संबंध:

वर्ष 2022-23 के दौरान आपकी कंपनी ने अनुकूल एवं सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध माहौल बनाए रखना जारी रखा। ट्रेड यूनियनों/श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के माध्यम से मुद्दों को सुलझाने एवं निपटाने की स्वस्थ प्रथा ने कंपनी को विभिन्न स्तरों पर श्रमिकों

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का उत्सव

श्री विवेक भारद्वाज, आईएएस, सचिव (खान), भारत सरकार द्वारा एल्यूमीनियम एलईडी कैप स्टॉक (मिश्र धातु एए1100) का शुभारंभ

की भागीदारी सुनिश्चित करने एवं शांतिपूर्ण औद्योगिक संबंध माहौल स्थापित करने में सक्षम बनाया। आपकी कंपनी के निरंतर शानदार प्रदर्शन के पीछे कर्मचारी प्रेरक शक्ति हैं एवं उन्होंने 2022-23 के दौरान कंपनी का अब तक का उच्चतम उत्पादन हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपकी कंपनी के मूल मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में, प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी को आपसी सम्मान एवं विश्वास के आधार पर प्रभावी बनाया गया था। लागू श्रम कानूनों का अनुपालन, सरकारी दिशानिर्देशों का पालन एवं परामर्शात्मक निर्णय लेना, कर्मचारी लाभ एवं कल्याण मुद्दों से निपटने में मुख्य ताकत बनी हुई है। अनुशासनहीनता के प्रति शून्य सहनशीलता कंपनी के आईआर दर्शन की पहचान बनी रही।

11.3 सामाजिक जवाबदेही 8000:

आपकी कंपनी ने एक सभ्य कार्यस्थल के विकास एवं रखरखाव के लिए, वर्ष 2009-10 से अंतर्राष्ट्रीय मानक, सामाजिक जवाबदेही 8000 (एसए-8000) को अपनाया है।

प्रमाणीकरण ने कंपनी को कर्मचारी, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता और अन्य इच्छुक पक्ष के साथ बाल श्रम, जबरन श्रम, सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण, काम के घंटे, पारिश्रमिक, संघ की स्वतंत्रता, सामूहिक सौदेबाजी प्रक्रिया, भेदभाव और कंपनी के सभी हितधारकों के लिए अनुशासनात्मक प्रथाओं के क्षेत्रों में अधिक पारदर्शी बनने में मदद की। ।

आपकी कंपनी की सभी इकाइयाँ SA 8000 के नवीनतम संस्करण यानी एसए 8000:2014 से प्रमाणित हैं। निगम कार्यालय सहित सभी उत्पादन इकाइयाँ 2017 (नया संस्करण) से एसए 8000:2014 मानक से प्रमाणित हैं। सभी उत्पादन इकाइयों और निगम कार्यालय का प्रमाणीकरण हर 3 साल में नवीनीकृत किया जा रहा है।

12.0 निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

12.1 सीएसआर संबंधी मुख्य वार्षिक विशेषताएँ:

विगत चार दशकों से अधिक की विरासत के साथ, नालको का लक्ष्य हमेशा वहनीयता के पांच पी अर्थात् पीपल, प्लानेट, प्रॉस्पेरिटी, पार्टनरशिप एवं पीस को संबोधित करते हुए आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय आयामों में सतत विकास प्राप्त करना है। व्यापक हस्तक्षेपों के माध्यम से समावेशी विकास पर हमेशा नालको का जोर रहा है।

आपकी कंपनी सीएसआर परियोजना पर विचार करते समय कंपनी अधिनियम, 2013 के आदेशों का पालन कर रही है। सभी विचारों एवं इच्छित विकासात्मक कार्यों का मूल्यांकन अधिनियम की अनुसूची-VII के अनुरूप किया गया है।

स्थानीय लोगों एवं स्थानीय प्रशासन सहित हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला से परामर्श करके भी पहल की जाती है। समुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है एवं उनके प्रभावों में सुधार के लिए निरंतर निगरानी की जाती है।

नालको द्वारा पुलिस आयुक्तालय भुवनेश्वर-कटक को पीसीआर वैन सौंपने का दृश्य।

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप अपनी सीएसआर नीति की आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए रु. 36.64 करोड़ के अनिवार्य सीएसआर दायित्व के प्रति विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु. 39.54 करोड़ व्यय किए हैं। कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार के 5 अप्रैल, 2022 के ओएम के अनुसार "स्वास्थ्य और पोषण" पर थीम आधारित सीएसआर गतिविधियां शुरू की हैं।।

कार्यान्वयन के प्रमुख क्षेत्र स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण विकास, पर्यावरणीय स्थिरता एवं प्रतिष्ठित शहर पुरी का विकास हैं।

लको मुख्य रूप से समाज तक वितरण की मौजूदा प्रणाली में अंतराल की पहचान करने एवं उनके साथ सार्थक हस्तक्षेप करने पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि समानांतर प्रणाली बनाने के बजाय दीर्घकालिक, सस्टेनेबल प्रभाव पैदा किया जा सके।

12.2 वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान की गई महत्वपूर्ण सीएसआर पहल:

क) प्राइम मीनिस्टर केयर फंड में योगदान।

ख) एस एंड पी कॉम्प्लेक्स, अनुगुळ, खान व परिशोधक कॉम्प्लेक्स, दामनजोड़ी, पोट्टांगी बॉक्साइट खानों एरिया एवं उत्कल-डी एंड ई कोल ब्लॉक एरिया के परिधि गांवों में डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ से सुसज्जित मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों के माध्यम से मुफ्त दवा के साथ डोर स्टेप प्राथमिक चिकित्सा सुविधा।

ग) कोरापुट जिले के माथलपुट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) का विकास।

घ) खान व परिशोधक कॉम्प्लेक्स, दामनजोड़ी एवं पोट्टांगी बॉक्साइट खानों क्षेत्र के परिधीय गांवों के गरीब पिछड़े एवं आदिवासी बच्चों को आवासीय शिक्षा।

ङ) नालको-की-लाडली योजना के तहत गरीब एवं मेधावी छात्राओं को सहायता देना।

च) एस एंड पी कॉम्प्लेक्स, अनुगुळ के परिधि गांवों में पाइप के माध्यम से पीने का पानी।

छ) ओडिशा राज्य में महिलाओं के बीच हिंसा मुक्त जीवन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ।

ज) विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, पुलियों, नालियों एवं सामुदायिक भवनों का निर्माण जैसी बुनियादी ढांचागत गतिविधियाँ।

झ) प्रतिष्ठित शहर, पुरी में विभिन्न विकासात्मक एवं नवीकरण गतिविधियाँ।

ञ) बद्रीनाथ में तीर्थयात्री आवास ब्लॉकों के निर्माण के लिए सहायता।

कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न लागू प्रावधानों के अनुरूप सीएसआर गतिविधियों पर तैयार एक विस्तृत प्रतिवेदन अनुबंध-I में संलग्न है।

13.0 संसदीय समितियों का दौरा:

वर्ष 2022-23 के दौरान, "सार्वजनिक खरीद नीति के तहत नालको द्वारा एमएसएमई से 25% निर्धारित खरीद का कार्यान्वयन और एमएसएमई को भुगतान जारी करने की समीक्षा" विषय पर विभाग से संबंधित उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति, "खनिज और धातुओं में आत्मनिर्भरता" विषय पर कोयला, खान और इस्पात संबंधी संसदीय स्थायी समिति, "कंपनी की संयुक्त उद्यम परियोजनाएं" विषय पर कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति और "सीपीएसयू में निगम प्रशासन" विषय पर सार्वजनिक उपक्रमों की समिति का अध्ययन दौरा हुआ।

14.0 प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची-V के साथ पढ़े गए विनियम 34(3) के अनुरूप प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन इस प्रतिवेदन के अनुबंध-II में रखी गई है।

प्रतिवेदन में यह भी शामिल है:

(क) व्यवसाय विकास को आगे बढ़ाने के लिए की गई विभिन्न पहल।

(ख) वित्तीय विवरणों एवं जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में विवरण।

(ग) कंपनी की विभिन्न इकाइयों में पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में की गई विभिन्न पहल।

15.0 डिजिटल परिवर्तन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी:

15.1 सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी):

वैश्विक एल्यूमिनियम बाजार 6% से अधिक की सीएजीआर से बढ़ने के लिए तैयार है। व्यवसाय के साथ तालमेल बिठाते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)

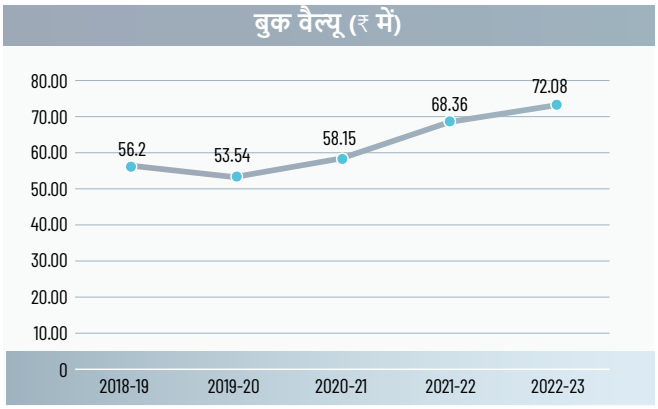

नालको के व्यावसायिक कार्यों में एक केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। आपकी कंपनी यह समझती है कि सतत विकास के लिए आईटी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बेहतर व्यावसायिक प्रक्रिया प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना आपकी कंपनी का हमेशा प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा है। आपकी कंपनी की डिजिटल पहल का उद्देश्य व्यावसायिक उद्देश्यों का निर्बाध रूप से समर्थन करना एवं प्रमुख व्यवसाय चालक बनना है। आपकी कंपनी की व्यावसायिक प्रक्रियाओं को ठोस लाभ प्रदान करने एवं व्यवसाय में अत्यधिक मूल्य जोड़ने के लिए लगातार संशोधित, स्वचालित एवं डिजिटलीकृत किया जाता है।

आईटी फ्रेमवर्क 5 रणनीतिक स्तंभों पर बनाया गया है:

क) एकीकृत निर्णय समर्थन प्रणाली।

ख) आईटी अवसंरचना: डीसी, डीआर, क्लाउड, नेटवर्क, सेवाएं।

ग) ईआरपी एवं केंद्रीकृत पैकेज।

घ) डैशबोर्ड एवं एनालिटिक्स।

ङ) आईटी-ओटी एकीकरण एवं इतिहासकार।

दिनांक 22.09.2022 को 41वीं वार्षिक साधारण बैठक

15.2 डिजिटल सक्षमता:

सूचना आधारित निर्णय लेने के लिए आपकी कंपनी ने 2010 से, प्रक्रिया में एकरूपता, बेहतर सूचना उपलब्धता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बिक्री एवं वितरण, वित्त एवं नियंत्रण, सामग्री प्रबंधन, मानव संसाधन, संयंत्र रखरखाव एवं उत्पादन योजना जैसे सभी व्यावसायिक कार्यों को एकीकृत करते हुए एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) लागू की है। आपकी कंपनी ईआरपी में पेरोल लागू करने की प्रक्रिया में है। बेहतर पारदर्शिता, गति एवं जवाबदेही के लिए, आपकी कंपनी ने सभी संयंत्रों एवं कार्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल प्रबंधन प्रणाली (ई-ऑफिस) लागू की है। इसने कागज के उपयोग में कमी लाने एवं कार्यालयों को हरा-भरा बनाने में बहुत योगदान दिया है। डिजीटल दस्तावेजों तक सुरक्षित एवं तत्काल पहुंच के लिए, ई-ऑफिस नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। यह प्रणाली कंपनी भर में एक केंद्रीय उदाहरण में दस्तावेज़ों को साझा करने के लिए एक सुरक्षित एवं नियंत्रित वातावरण सक्षम करती है।

15.3 कर्मचारी स्वयं सेवा:

आपकी कंपनी ने पे रोल, उपस्थिति एवं आयकर जैसी कर्मचारी केंद्रित सेवाओं को डिजिटल रूप से सक्षम किया है, जिसमें मूल्यांकन, अवकाश, ऋण, अनुलाभ, दौरे, चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं परिवीक्षा पुष्टिकरण जैसे कार्य प्रवाह आधारित स्व-सेवा अनुप्रयोग शामिल हैं। कर्मचारियों एवं सहयोगियों के लिए समय पर चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने के लिए अनुगुळ एवं दामनजोड़ी में कंपनी के स्वामित्व वाले अस्पतालों में कम्प्यूटरीकृत अस्पताल प्रबंधन प्रणाली तैनात की गई है।

15.4 हितधारकों के लिए डिजिटल सक्षमता:

हितधारकों के लाभ के लिए आपकी कंपनी नेऑनलाइन विक्रेता बिल ट्रैकिंग प्रणाली, अनुबंध श्रम प्रबंधन प्रणाली, भर्ती पोर्टल, निर्यात बिक्री के लिए ई-निविदा एवं मोबाइल ऐप्स की एक श्रृंखला शुरू की है। ई-बिल एवं ई-मेजरमेंट बुक (ई-एमबीएस) की शुरूआत एवं सेवा विक्रेताओं के लिए एक ऑन-लाइन प्लेटफॉर्म तेजी से एवं पारदर्शी बिल प्रसंस्करण को सक्षम करेगा।

15.5 क्लाउड आधारित सेवाएँ:

वस्तुओं एवं सेवाओं की ई-खरीद जीईएम पोर्टल, आपूर्तिकर्ता संबंध प्रबंधन (एसएपी एसआरएम) एवं सेंट्रल पब्लिक प्रोक्यरमेंट पोर्टल (सीपीपीपी) के माध्यम से की जाती है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट को क्लाउड से होस्ट किया है।

15.6 शासन:

शासन एवं निगरानी के लिए, पूंजीगत व्यय निगरानी, निधि निगरानी, अनुपालन प्रबंधन प्रणाली, बिल ट्रैकिंग प्रणाली, सतर्कता शिकायत प्रबंधन प्रणाली इत्यादि जैसे ऑनलाइन वेब-आधारित अनुप्रयोग मौजूद हैं। इनके परिणामस्वरूप पूंजीगत व्यय, नकदी प्रवाह, वैधानिक अनुपालन एवं पूंजी प्रस्तावों की समय पर निगरानी एवं कुशल प्रबंधन हुआ है।

15.7 विश्लेषिकी:

डेटा, एनालिटिक्स एवं विज़ुअलाइज़ेशन की शक्ति का उपयोग करने के लिए, उत्पादन, बिक्री एवं वितरण एवं मानव संसाधन प्रबंधन की निगरानी के लिए डैशबोर्ड तैनात किए गए हैं। आपकी कंपनी ने सभी संयंत्रों एवं कार्यालयों में उत्पादन संबंधी सभी जानकारी के लिए "सत्य के एकल स्रोत" के रूप में एक केंद्रीकृत एमआईएस प्रणाली विकसित एवं कार्यान्वित की है। यह प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने की सुविधा के लिए उत्पादन विश्लेषण का अग्रदूत है।

15.8 डिजिटल पहल:

उत्पादकता बढ़ाने एवं लागत कम करने के लिए, आपके संयंत्र अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों एआई, रोबोटिक्स, एआर/वीआर की शक्ति का लाभ उठाते हुए पहल कर रहे हैं :

क) डिस्पैच ऑटोमेशन: एल्यूमीनियम डिस्पैच के लिए पूरी तरह से एकीकृत एवं स्वचालित प्रणाली का कार्यान्वयन। परियोजना का उद्देश्य प्रेषण प्रबंधन में दक्षता एवं दृश्यता लाना है।

ख) स्मार्ट खानों: संपूर्ण खनन मूल्य श्रृंखला की दृश्यता एवं एकीकरण के साथ कनेक्टेड खानों की ओर बढ़ने के लिए एक रणनीति बनाई जा रही है।

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, माननीय श्री न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने नालको में 21वां स्थापना दिवस व्याख्यान दिया

15.9 आईटी अवसंरचना:

व्यावसायिक कार्यों को सुविधाजनक बनाने में आईटी की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसे पहचानते हुए, आपकी कंपनी के पास जरूरतों को पूरा करने एवं निर्बाध सेवा सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत आईटी बुनियादी ढांचा है:

क) प्राइमरी डेटा सेंटर निगम कार्यालय, भुवनेश्वर में स्थित है। डेटा सेंटर सर्वर वर्चुअलाइजेशन तकनीकों का उपयोग करता है एवं ईआरपी एवं ई-ऑफिस सहित सभी केंद्रीकृत अनुप्रयोगों को होस्ट करता है। व्यवसाय निरंतरता योजना के हिस्से के रूप में, एक आपदा रिकवरी डेटा सेंटर एक मजबूत एवं नियमित रूप से परीक्षण की गई व्यवसाय निरंतरता योजना के साथ एक अलग भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है।

ख) निगम डेटा सेंटर में होस्ट किए गए एप्लिकेशन एवं सेवाओं तक निर्बाध पहुंच के लिए संयंत्र एवं कार्यालय विभिन्न सेवा प्रदाताओं के दोहरे एमपीएलएस सर्किट से जुड़े हुए हैं। मुख्य रूप से कोविड-19 अभ्यासों के कारण बढ़े हुए लोड को पूरा करने के लिए डब्लूएएन बैंडविड्थ को बढ़ाया गया है। सभी स्थानों पर नेटवर्क उपलब्धता बढ़ाने के लिए, अत्याधुनिक एडीडीब्लूएएन तकनीक पेश की जा रही है।

ग) प्रत्येक संयंत्र स्थान एवं निगम कार्यालय में फ़ायरवॉल के साथ गीगाबिट ईथरनेट लैन है। निगम डेटा सेंटर के पास अतिरिक्त रूप से गेटवे सुरक्षा समाधान हैं।

घ) सभी व्यावसायिक इकाइयों के बीच प्रभावी संचार के लिए मल्टीचैनल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधान।

15.10 साइबर सुरक्षा:

डेटा सेंटर एवं डिजास्टर रिकवरी साइट सुरक्षा अनुपालन के लिए आईएसओ 27001:2013 प्रमाणित हैं। डिजास्टर रिकवरी साइट एवं प्राइमरी डेटा सेंटर के बीच प्रतिकृति 30 मिनट के आरपीओ के साथ असिन्क्रोनस है। नेटवर्क गेटवे एवं एंडपॉइंट सुरक्षा समाधानों के साथ आईटी बुनियादी ढांचे एवं एप्लिकेशन सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। कार्यान्वयन प्रभावशीलता को अनुप्रयोग एवं सुरक्षा ऑडिट एवं मॉक ड्रिल के साथ और भी सुनिश्चित किया जाता है, जिसमें सुधार के लिए टिप्पणियों को अच्छी तरह से प्रलेखित किया जाता है। अपने नेटवर्क उपकरणों, इंफ्रास्ट्रक्चर उपकरणों एवं अनुप्रयोगों को शामिल करते हुए आपकी कंपनी ने एक व्यापक आईटी सुरक्षा ऑडिट किया है। साइबर जागरूकता बढ़ाने के लिए, महीने के प्रत्येक पहले बुधवार को साइबर जागरूकता दिवस (सीजेडी) के रूप में मनाया गया। साइबर सुरक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ एवं व्यवसायी इस विषय पर कर्मचारियों के साथ जुड़ते हैं।

16.0 कुल गुणवत्ता प्रबंधन:

16.1 इंटिग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम (आईएमएस):

सभी इकाइयों यानी खदानों, एल्यूमिना परिशोधक, सीपीपी, प्रद्रावक एवं पोर्ट सुविधाओं में, आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 एवं आईएसओ 45001:2018 पर आधारित एकीकृत प्रबंधन प्रणाली को नियमित बाहरी ऑडिट, आंतरिक ऑडिट एवं

प्रबंधन समीक्षा बैठकों के साथ प्रभावी ढंग से लागू किया जाता रहा। इस समयावधि के दौरान प्रद्रावक के आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015, बंदरगाह सुविधाओं, खानों एवं सीपीपी के आईएसओ 9001:2015 का पुन:प्रमाणन किया गया। वित्तीय वर्ष के समापन पर, आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 एवं आईएसओ 45001:2018 के तहत सभी इकाइयों की प्रमाणन स्थिति बरकरार रही।

16.2 एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम (ईएनएमएस):

ईएनएमएस को सीपीपी, प्रद्रावक में नियमित बाहरी ऑडिट, आंतरिक ऑडिट एवं प्रबंधन समीक्षा बैठकों के साथ प्रभावी ढंग से लागू किया जाना जारी रहा, जो बीईई की प्रदर्शन, उपलब्धि एवं व्यापार (पीएटी) योजना में शामिल हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान, एल्यूमिना परिशोधक का आईएसओ 50001:2018 का पुन: प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक किया गया। वित्तीय वर्ष के समापन पर, आईएसओ 50001:2018 के तहत इकाइयों की प्रमाणन स्थिति बरकरार रही।

16.3 क्वालिटी सर्कल:

वित्तीय वर्ष में, कुल 35 क्वालिटी सर्कल परियोजनाएं पूरी की गईं, जबकि कई अन्य प्रगति पर थीं। इसके अलावा, 15 क्वालिटी सर्कल टीमों ने क्यूसीएफआई के राष्ट्रीय सम्मेलन एनसीक्यूसी 2022 में भाग लिया, जिनमें से 7 को पार-एक्सलेंस अवार्ड प्राप्त हुआ। इसके अलावा, 7 क्वालिटी सर्कल टीमों ने सीआईआई राज्य उद्योग कार्निवल में भाग लिया, जिनमें से 2 टीमों का चयन किया गया एवं सीआईआई ईस्ट जोन फाइनल में भाग लिया।

16.4 एसजीए ग्रुप्स द्वारा काइज़ेन:

एसजीए योजना द्वारा काइज़ेन के अनुसार, प्रतिवेदन वर्ष के दौरान कुल 3,187 काइज़ेन पूरे किए गए, जो अब तक सबसे अधिक है।

16.5 लीन सिक्स सिग्मा:

लाभ एवं बचत के उचित सत्यापन के साथ वित्तीय वर्ष में 20 लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की गई हैं।

16.6 व्यावसायिक उत्कृष्टता:

क) एल्यूमिना परिशोधक यूनिट ने सीआईआई-आईक्यू राष्ट्रीय गुणवत्ता शिखर सम्मेलन के दौरान 'प्लैटिनम' श्रेणी में वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित सीआईआई-इग्जिम बैंक बिजनेस उत्कृष्टता पुरस्कार जीता एवं लगातार प्रगतिशील संगठन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

ख) पंचपटमाली बॉक्साइट खानों एवं ग्रहीत विद्युत संयंत्र इकाइयों ने बिजनेस उत्कृष्टता 2022 के लिए सीआईआई एक्जिम बैंक अवार्ड में प्रतिष्ठित "गोल्ड प्लस" श्रेणी की मान्यता हासिल की।

16.7 5एस सिस्टम कार्यान्वयन:

पंचपटमाली बॉक्साइट खानों को सफलतापूर्वक पुन: प्रमाणित किया गया एवं 5 एस पर 8वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान 5 एस कार्यस्थल प्रबंधन प्रणाली के लिए यूनियन ऑफ जापानीज साइंटिस्ट्स एंड इंजीनियर्स (जेयूएसई) द्वारा क्यूसीएफआई-जेयूएसई 5एस एक्सलेंस अवार्ड प्राप्त हुआ।

प्रद्रावक एवं सीपीपी में, यूनिट प्रबंधन द्वारा नियमित आंतरिक मूल्यांकन एवं समीक्षा बैठकों के साथ 5 एस कार्यस्थल प्रबंधन प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना जारी रहा, जबकि परिशोधक के लिए नियमित आंतरिक मूल्यांकन एवं समीक्षा बैठकों के अलावा, बाहरी ऑडिट भी किए गए हैं।

17.0 राजभाषा नीति का कार्यान्वयन:

(क) राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधान के अनुसार हिंदी का प्रगतिशील उपयोग लागू किया जा रहा है।

वित्तीय प्रदर्शन (रु करोड़ में)

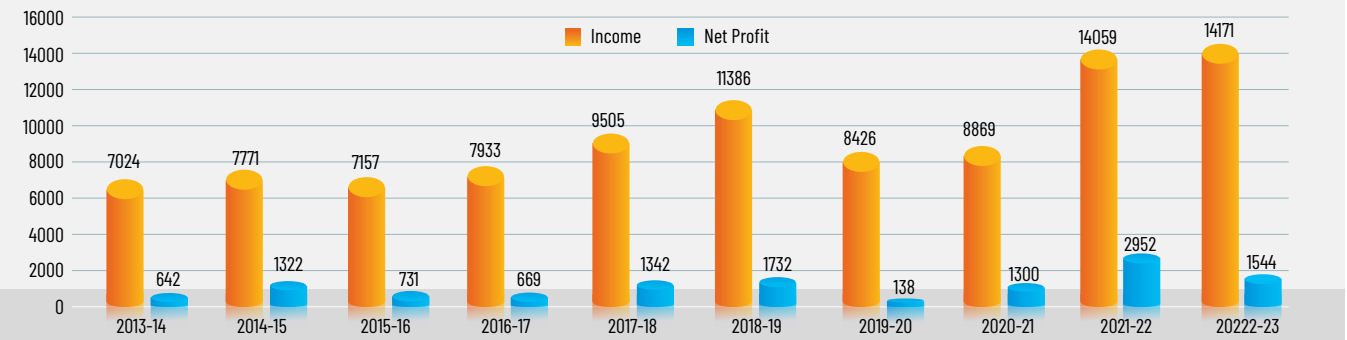

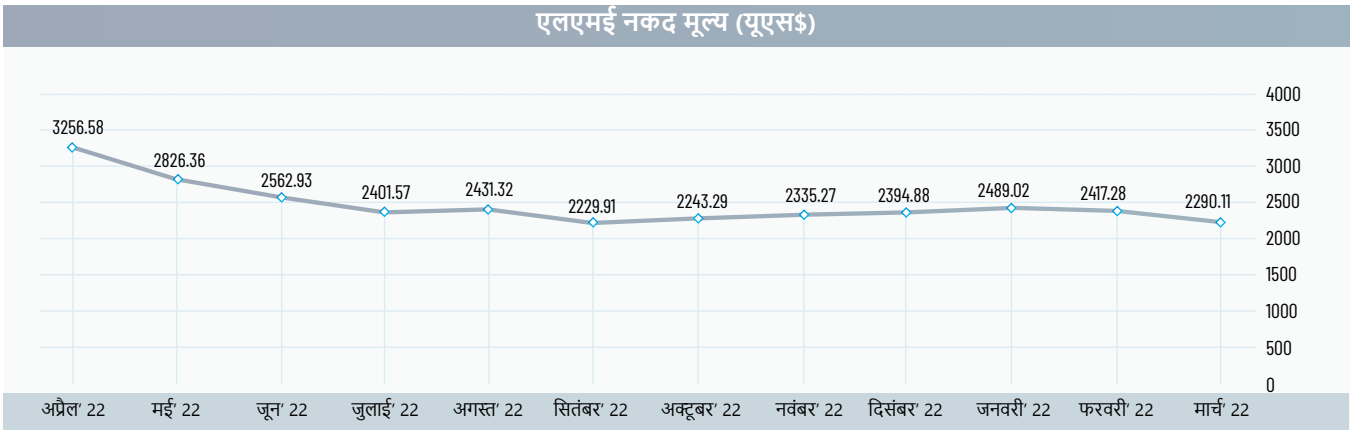

(ख) आपकी कंपनी के पास नराकास, भुवनेश्वर एवं अनुगुळ की अध्यक्षता भी है। सभी स्थानीय पीएसयू कार्यालयों को शामिल करते हुए दोनों स्थानों पर निर्धारित बैठकें आयोजित की गई हैं। इस संबंध में भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के प्रतिनिधियों द्वारा बैठकों में कंपनी के प्रयासों की सराहना की गई है।

(ग) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्व), गृह मंत्रालय, कोलकाता के कार्यालय प्रभारी श्री निर्मल कुमार दुबे के संकाय सहयोग से 27.04.2022 एवं 23.09.2022 को हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।

(घ) कंपनी की वेबसाइट नियमित रूप से द्विभाषी यानी हिंदी एवं अंग्रेजी में अद्यतन की जा रही है।

(ङ) राजभाषा कार्यान्वयन हेतु सदस्य कार्यालयों को प्रोत्साहित करने हेतु दिनांक 22.06.2022 को सामान्य ज्ञान एवं हिन्दी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। दूरदर्शन पर इसे प्रसारित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था भी की गई।

(च) आधिकारिक कामकाज में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी के निगम कार्यालय, उत्पादन इकाइयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी पखवाड़ा 2022 मनाया गया तथा कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

(छ) हिंदी दिवस समारोह का आयोजन 14 सितंबर, 2022 को किए जाने के दौरान, खान एवं परिशोधक परिसर, दामनजोड़ी में 'कवि सम्मेलन' का आयोजन किया गया।

(ज) हिंदी पखवाड़ा 2022 के अवसर पर दिनांक 23.09.2022 को नराकास (उपक्रम) के बैनर तले

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नालको नगर, भुवनेश्वर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया

राजभाषा ज्ञान एवं चित्र अभिव्यक्ति प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

(झ) हिंदी पखवाड़ा-2022 के अवसर पर कर्मचारियों को शंकर दयाल सिंह स्मृति पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

(ञ) 'विश्व हिंदी दिवस' के अवसर पर, नराकास (उपक्रम), भुवनेश्वर के सदस्यों के लिए नराकास (उपक्रम) के बैनर तले एक यात्रा संस्मरण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था।

(के) 15 मार्च, 2023 को नराकास (उपक्रम), भुवनेश्वर के बैनर तले नराकास (उपक्रम) के सदस्यों के लिए एक तकनीकी कार्यशाला एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी।

(एल) नराकास, भुवनेश्वर के सदस्य कार्यालयों को यूनिकोड एवं हिंदी कंप्यूटिंग के टूल एवं तकनीकों पर संकाय सहायता प्रदान की गई थी।

18.0 खेल-कूद:

18.1 नालको: खेलों को सशक्त बनाना एवं उत्कृष्टता को बढ़ावा देना:

आपकी कंपनी एक प्रतिष्ठित नवरत्न लोक उद्यम के रूप में, अपनी स्थापना के समय से ही खेल-कूद के विकास की दृढ़ समर्थक रही है। आपकी कंपनी एथलीटों, क्रिकेटरों, शतरंज खिलाड़ियों एवं महिला फुटबॉलरों सहित विभिन्न विषयों की खेल हस्तियों को भर्ती करने में बहुत गर्व महसूस करती है। इन पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों ने राज्य एवं राष्ट्रीय टीमों के कोच एवं चयनकर्ता के रूप में खेलों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

18.2 खेल कर्मियों, जिन्होंने खेल की दुनिया को प्रेरित एवं उन्नत बनाया, की कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियों एवं यात्राओं के महत्वपूर्ण अंश :

क) श्री देबाशीष महान्ति - एक प्रतिष्ठित क्रिकेट हस्ती:

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज श्री देबाशीष महान्ति ने अक्टूबर, 2022 तक बीसीसीआई द्वारा नियुक्त अखिल भारतीय वरिष्ठ चयन समिति पैनल के सदस्य के रूप में कार्य किया है। उनकी अमूल्य विशेषज्ञता एवं अनुभव ने भारतीय क्रिकेट का भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। . आपकी कंपनी खेल में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए आभारी है।

ख) श्री शिव सुंदर दास - उत्कृष्ट बल्लेबाजी के प्रतीक:

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज श्री शिव सुंदर दास ने बल्लेबाजी कोच एवं राष्ट्रीय चयनकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी विशेषज्ञता एवं समर्पण युवा क्रिकेटरों के विकास में सहायक रहे हैं। पूरे वर्ष, श्री दास ने एनसीए अंडर-19 कैंप के मुख्य कोच, एनसीए इंटर मैचों के लिए एनसीए टीम-

श्री श्रीधर पात्र, सीएमडी, नालको के साथ कर्मचारियों के साथ खान व परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी में डॉ. बीआर अंबेडकर को उनकी 131वीं जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए

डी के मुख्य कोच एवं 2022-23 सीज़न के लिए पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के बल्लेबाजी कोच के रूप में कार्य किया। उनके मार्गदर्शन ने नि:संदेह महत्वाकांक्षी क्रिकेटरों की बल्लेबाजी क्षमता को मजबूत किया है।

ग) सुश्री अनुराधा बिस्वाल - इंसपायरिंग ट्रैक एवं फील्ड एथलीट:

पूर्व ट्रैक एवं फील्ड एथलीट सुश्री अनुराधा बिस्वाल, जो 100 मीटर बाधा दौड़ में विशेषज्ञता रखने वाली, ने देश का गौरव बढ़ाया है। वर्ष 2000 के एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य एवं 2006 के दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक के साथ, उन्होंने खेल क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। वर्तमान में, सुश्री बिस्वाल ऑल इंडिया पब्लिक सेक्ट स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड (एआईपीएसएससीबी) के लिए एथलेटिक्स में राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके अतिरिक्त, वह भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में महत्वाकांक्षी युवा खेल प्रतिभाओं को फिटनेस प्रशिक्षण प्रदान करती हैं।

घ) सुश्री श्रद्धांजलि सामंतराय - महिला फुटबॉल में अग्रणी:

भारतीय राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम की पूर्व कप्तान सुश्री श्रद्धांजलि सामंतराय ने महिला फुटबॉल में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय महिला लीग में ओडिशा पुलिस टीम के मुख्य कोच एवं हीरो अंडर-17 महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैम्पियनशिप के लिए राष्ट्रीय चयनकर्ता के रूप में उनकी नियुक्ति उनके नेतृत्व एवं विशेषज्ञता को दर्शाती है। उनकी कोचिंग भूमिकाओं एवं उपलब्धियों ने भारत में महिला फुटबॉल के मानक को काफी ऊपर उठाया है।

ङ) सुश्री रंजीता महान्ति - असाधारण गोलकीपिंग कोच:

सुश्री रंजीता महान्ति, जो कि पूर्व राष्ट्रीय गोलकीपर, ने अंडर-17 भारतीय महिला टीम के लिए गोलकीपिंग कोच की भूमिका निभाई है। उनकी कोचिंग विशेषज्ञता एवं अनुभव ने होनहार युवा गोलकीपरों के विकास में योगदान दिया है। अपने मार्गदर्शन एवं मार्गदर्शन के माध्यम से, वह भारत में महिला फुटबॉल के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

च) सुश्री अपराजिता गोच्छिकर - एक प्रेरक शतरंज गुरु:

सुश्री अपराजिता गोच्छिकर, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं, आपकी कंपनी की एक अनुकरणीय प्रतिनिधि रही हैं। वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप 2022 में भारतीय टीम के कोच के रूप में उनकी हालिया उपलब्धियां, जिसमें भारत ने दो स्वर्ण पदक एवं एक कांस्य पदक हासिल किया, उनकी असाधारण कोचिंग क्षमताओं का प्रमाण है। हमें वर्ल्ड चेस फेडरेसन द्वारा 44वें फिडे चेस ओलंपियाड 2022 में फेयर प्ले पैनल में सुश्री गोच्छिकर की नियुक्ति होने पर भी गर्व है, जहां उन्हें प्रतिष्ठित आईए टाइटल मिला। खेल के प्रति उनके समर्पण एवं निष्पक्ष खेल के प्रति प्रतिबद्धता ने नालको एवं भारतीय शतरंज समुदाय को सम्मान दिलाया है।

छ) सुश्री सुनीता लाकड़ा - एक हॉकी चैंपियन:

भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान सुश्री सुनीता लाकड़ा अपने खेल प्रयासों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने 12वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 सहित विभिन्न राष्ट्रीय चैंपियनशिप में ओडिशा का प्रतिनिधित्व किया, जहां उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। उनके निरंतर प्रदर्शन एवं समर्पण ने उन्हें भारतीय हॉकी के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बना दिया है।

ज) सुश्री नमिता काबत - होनहार एथलीटों की सहायक:

सुश्री नमिता काबत, जो कि एक पूर्व धावक हैं, ने जमैका में प्रशिक्षण शिविरों में होनहार एथलीट सुश्री श्रबानी नंदा की सहायता करते हुए एक सहायक कोच के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके मार्गदर्शन एवं विशेषज्ञता ने प्रतिभा को निखारने एवं प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद की है।

18.3 आपकी कंपनी खेलों को सशक्त बनाने एवं एथलेटिक्स में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। श्री देबाशीष महान्ति, श्री शिव सुंदर दास, सुश्री अनुराधा बिस्वाल, सुश्री श्रद्धांजलि सामंतराय, सुश्री रंजीता महान्ति, सुश्री नमिता काबत, सुश्री अपराजिता गोच्छिकर एवं सुश्री सुनीता लाकड़ा जैसी प्रसिद्ध खेल हस्तियों के साथ आपका जुड़ाव एक अत्यधिक गर्व एवं प्रेरणा का स्रोत रहा है

नालको युवा प्रतिभाओं का समर्थन एवं पोषण करना जारी रखता है, उन्हें खेल के प्रति समर्पण के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करता है एवं इसका उद्देश्य देश में खेलों की वृद्धि एवं विकास में योगदान देना है।

19.0 सतर्कता:

आपकी कंपनी में स्थापित निगरानी तंत्र का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

मासिक घरेलू हिंदी पत्रिका 'अक्सर' का अनावरण

i) आपकी कंपनी में एक सुस्थापित सतर्कता विभाग है जिसका नेतृत्व एक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) करते है, जिसे भारत सरकार से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है। सीवीओ की सहायता करने वाले अन्य सतर्कता अधिकारियों को सीवीओ के परामर्श एवं सहमति से प्रतिनियुक्ति के आधार पर चुना जाता है। आपकी कंपनी ने तीन स्थानों अर्थात् भुवनेश्वर में निगम कार्यालय, अनुगुळ में प्रद्रावक व विद्युत संकुल एवं दमनजोडी में खान व परिशोधक कॉम्प्लेक्स में अपनी सतर्कता स्थापित की है।

(ii) सतर्कता कार्य आम तौर पर निवारक, दंडात्मक, निगरानी एवं पता लगाने की प्रकृति में होते हैं।

19.1 सीवीओ के कार्य:

सीवीओ के कार्य इस प्रकार हैं:

(i) कंपनी का समग्र सतर्कता प्रशासन।

(ii) सीएमडी के साथ संरचित समीक्षा बैठकें आयोजित करने, सतर्कता के मामले पर सीएमडी को सहायता एवं सलाह देने के अलावा सीवीसी एवं सीबीआई के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना।

(iii) मंत्रालय/सीवीसी/सीबीआई को विभिन्न रिटर्न/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

(iv) आईपी (इंटीग्रिटी पैक्ट) के लिए स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर्स (आईईएम) के चयन में सीवीसी की सहायता करना।

(v) भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों/उपायों के निर्माण/अद्यतन में प्रबंधन की सहायता करना।

(vi) इंटीग्रिटी इंडेक्स के विकास में प्रबंधन की सहायता करना एवं विभिन्न डोमेन कार्यों एवं समग्र प्रबंधन में निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं समानता सुनिश्चित करना।

(vii) सतर्कता जागरूकता, सतर्कता प्रशासन, केस अध्ययन आदि पर प्रशिक्षण का आयोजन करना।

19.2 व्हिसिल ब्लोअर पॉलिसी:

आपकी कंपनी प्रोफेशनलिज्म, ईमानदारी, अखंडता एवं नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानकों को अपनाकर अपने घटकों के मामलों को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने में विश्वास करती है।

इस नीति का उद्देश्य जिम्मेदार एवं सुरक्षित व्हिसिल ब्लोइंग संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना है। यह कंपनी के भीतर गंभीर अनियमितताओं के बारे में चिंता व्यक्त करने के इच्छुक कर्मचारियों की सुरक्षा करती है। पॉलिसी का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.nalcoindia.com पर उपलब्ध है ।

19.3 भ्रष्टाचार जोखिम प्रबंधन नीति:

भ्रष्टाचार जोखिम की एक विशेष श्रेणी है। आपकी कंपनी की भ्रष्टाचार जोखिम प्रबंधन नीति भ्रष्टाचार को रोकने एवं भारत के भ्रष्टाचार विरोधी कानून के अनुपालन के उद्देश्य से प्रमुख सिद्धांतों एवं आवश्यकता को निर्धारित करने के लिए लागू की गई है।

यह नीति खुले, पारदर्शी एवं ईमानदार तरीके से व्यवसाय चलाने के लिए उच्च नैतिक मानकों के प्रति आपकी कंपनी एवं प्रबंधन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य निगम संस्कृति में सुधार करना, निगम प्रशासन में सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुपालन करना एवं आपकी कंपनी में व्यावसायिक प्रतिष्ठा बनाए रखना है।

19.4 धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग:

वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी प्रतिवेदन में कंपनी द्वारा किसी धोखाधड़ी या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर किसी भी भौतिक धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई है।

आपकी कंपनी के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित धोखाधड़ी निवारण नीति है एवं उसे कंपनी की वेबसाइट www.nalcoindia.com पर रखा गया है ।

19.5 डीओपीटी पोर्टल पर ऑनलाइन डेटा अपडेट:

आपकी कंपनी ने सीवीसी एवं डीओपीटी के निर्देशों के अनुरूप, वेब पोर्टल " https://doptapp.nic.in/solve/ " पर डीजीएम (ई-6) एवं उससे ऊपर के अधिकारियों के डेटा को नियमित रूप से अपडेट करने में सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया दी।

19.6 आउटरीच गतिविधि:

आपकी कंपनी ने कंपनी के मुख्य कार्यालय (भुवनेश्वर में) एवं संयंत्र परिसरों (अनुगुळ एवं दमनजोडी में) के आसपास विभिन्न स्कूलों एवं कॉलेजों में आउटरीच गतिविधि एवं सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा अभियान चलाया है, जिसमें लगभग 2,500 नागरिकों को ऑनलाइन/ऑफ़लाइन सत्यनिष्ठा की शपथ एवं जागरूकता दिलाई गई है।

19.7 ऑनलाइन विजिलेंस पोर्टल:

इस पोर्टल पोर्टल को नालको में सतर्कता संरचना, इसकी विभिन्न गतिविधियों, प्रथाओं या सतर्कता विभाग द्वारा की गई पहलों के बारे में जानकारी प्रदान करने एवं शिकायत दर्ज करने एवं ऑनलाइन मोड में शिकायत की स्थिति की जांच करने की गुंजाइश प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है।

20.0 सूचना का अधिकार:

सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के प्रावधानों को संबोधित करने के लिए, हितधारकों द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार एक अपीलीय प्राधिकरण, एक सार्वजनिक सूचना अधिकारी एवं नौ सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारियों को नामित किया गया है।

वर्ष 2022-23 के दौरान आरटीआई आवेदनों एवं अपीलों का विवरण निम्नलिखित है:

	01.04.2022 को प्रक्रियाधीन	वर्ष के दौरान प्राप्त (अन्य सार्वजनिक प्राधिकारणों से स्थानांतरित मामलों के साथ)	अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों को स्थानांतरित केसों की सं.	निर्णय, जहां अनुरोधों/ अपील को रद्द किया गया	निर्णय, जहां अनुरोधों/ अपील को स्वीकार एवं उसका समाधान किया गाय	31.03.2023 को प्रक्रियाधीन
अनुरोध	7	424	2	81	333	15
प्रथम अपीलें	0	62	0	1	58	3

आपकी कंपनी का वर्ष 2021-22 के लिए तृतीय पक्ष पारदर्शिता ऑडिट मे. नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, नई दिल्ली द्वारा संतोषजनक टिप्पणियों के साथ किया गया है।

आरटीआई अनुरोध एवं अपील भौतिक एवं ऑनलाइन दोनों तरीकों से प्राप्त की गईं एवं उत्तर दिए गए। आपकी कंपनी जनवरी, 2017 से व्यक्तिगत एवं प्रशिक्षण विभाग के ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल (www.rtionline.gov.in) के साथ जुड़ी है।

21.0 स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता एवं सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान:

आपकी कंपनी के इक्विटी शेयर बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, देश के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज, जिनके देशव्यापी ट्रेडिंग टर्मिनल हैं, पर सूचीबद्ध होते रहे। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लिस्टिंग शुल्क का भुगतान स्टॉक एक्सचेंजों को समय पर किया गया है।

22.0 जमाकर्ताओं को वार्षिक अभिरक्षा/जारीकर्ता शुल्क का भुगतान:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक कनेक्टिविटी शुल्क एवं अभिरक्षा शुल्क/जारीकर्ता शुल्क दोनों मेसर्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एवं मैसर्स सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड को समय पर भुगतान किया गया है।

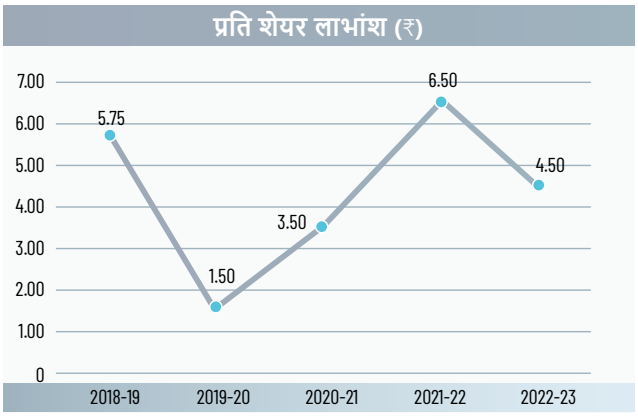

23.0 शेयरधारक सेवा:

शेयरों के हस्तांतरण, डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने, लाभांश का भुगतान, शेयरों के डी-मटीरियलाइजेशन एवं री-मटीरियलाइजेशन तथा निवेशकों की शिकायतों के निवारण से संबंधित सभी मामले कंपनी के आरटीए यानी मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व में केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड), हैदराबाद द्वारा किए जाते हैं।

24.0 व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं वहनीयता प्रतिवेदन:

सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी-2/पी/सीआईआर/2021/562 दिनांक 10.05.2021, के अनुरूप वर्ष 2022-23 के लिए एक व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं वहनीयता प्रतिवेदन (बीआरएसआर) है, जिसमें कंपनी द्वारा सामाजिक, पर्यावरण एवं शासन के परिप्रेक्ष्य में की गई विभिन्न पहलों का वर्णन किया गया है, अनुलग्नक-III के रूप में संलग्न है जो इस वार्षिक प्रतिवेदन का हिस्सा है।

24.1 सतत विकास पर प्रतिवेदन:

(क) सेबी द्वारा अपेक्षित पर्यावरण, सामाजिक एवं शासन पहलुओं को संबोधित करने वाली स्थिरता पर अनिवार्य प्रतिवेदन यानी व्यावसायिक जिम्मेदारी एवं स्थिरता प्रतिवेदन (बीआरएसआर) पूरी हो गई है एवं प्रकाशित हो गई है।

(ख) उपरोक्त प्रतिवेदन के अलावा, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (जीआरआई) यूनिवर्सल मानकों के अनुसार, स्वैच्छिक आधार पर एक एकल प्रतिवेदन तैयार की जाती है।

श्री श्रीधर पात्र, सीएमडी, गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी, कोरापुट के अपने दौरे के दौरान कर्मचारियों को संबोधित करते हुए

25.0 ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण एवं विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय:

25.1 अनुसंधान एवं विकास:

(क) अपनी स्थापना के बाद से 42 पेटेंट दायर किए गए हैं, जिनमें से 28 मंजूर किए गए हैं, 8 का व्यावसायीकरण किया गया है एवं 05 पेटेंट वित्तीय 2022-23 में दिए गए हैं। वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्यवाही में तीन तकनीकी शोधपत्र प्रकाशित हुए हैं।

(ख) कंपनी की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों की समीक्षा के लिए रिसर्च एडवाइजरी समिति (आरएसी) की बैठकें समय-समय पर आयोजित की जा रही हैं।

(ग) बीएआरसी एवं नालको के साथ 'एल्यूमीनियम उद्योग में मूल्य वर्धित प्रक्रियाओं एवं उत्पादों के लिए रासायनिक तरीकों एवं प्रौद्योगिकियों के विकास' पर समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया गया। "परमाणु ताप विद्युत संयंत्रों के मुख्य कैचर के लिए लाल मिट्टी से ईंटों का विकास" पर परियोजना शुरू की गई है।

(घ) बीएआरसी के साथ एमओयू के तहत, बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री, सीआरएम बीएआरसी - बी1201 को सफलतापूर्वक विकसित किया गया है एवं इसे आधिकारिक तौर पर 24 मार्च, 2023 को एनआरटीसी, भुवनेश्वर में जारी किया गया था।

(ङ) आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी खड़गपुर, सीएसआईआर-आईएमएमटी. जेएनएआरडीडीसी, सीएसआईआर-सीईसीआरआई आदि जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ बीस सहयोगी परियोजनाएं प्रगति पर हैं। वर्ष के दौरान सात सहयोगी परियोजनाएं प्रदान की गईं।

(च) बीएआरसी के साथ "प्लांट लीकर से गैलियम के चयनात्मक निष्कर्षण के लिए प्रक्रिया एवं उपयुक्त माध्यम का विकास एवं परिशोधक में एक प्रदर्शन संयंत्र स्थापित करने" पर परियोजना प्रगति पर है।

(छ) तीन कंपनियों नालको, हिंडाल्को एवं वेदांता एवं तीन अनुसंधान संस्थान एनएमएल, आईएमएमटी एवं जेएनएआरडीडीसी के बीच लाल मिट्टी के समग्र उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी विकास पर परियोजना गतिविधि प्रगति पर है।

तीनों संस्थानों में प्रदर्शन परीक्षण आयोजित किए गए एवं परियोजना की नियमित आधार पर निगरानी एवं समीक्षा की जा रही है।

(ज) जेएनएआरडीडीसी एवं आईएमएमटी के साथ स्पेंट पॉट लाइन कार्बन (खतरनाक अपशिष्ट) उपचार एवं कीमती सामान की वसूली के लिए एक प्रक्रिया का विकास प्रगति पर है।

(झ) सीएसआईआर-सीईसीआरआई के साथ एल्यूमीनियम एयर बैटरी विकास पर एक परियोजना प्रगति पर है।

(ञ) एनआरटीसी में पायलट एल्यूमिनियम मिश्र धातु कास्टिंग संयंत्र की स्थापना के लिए निवेश निर्णय प्राप्त कर लिया गया है।

(ट) एनआरटीसी प्रयोगशाला में बॉक्साइट, एल्यूमीनियम धातु, एल्यूमिना, कोयला आदि के कुल 3,500 नमूनों का परीक्षण किया गया।

(ठ) अनुसंधान विकास एवं नवाचार आरडीआई रोड मैप 2022-2027 को मंजूरी दे दी गई है।

(ड) प्रद्रावक के कास्ट हाउस में अनाज परिष्कृत ईसी ग्रेड एएल वायर रॉड के उत्पादन एवं उच्च तापीय चालकता अल-सी मिश्र धातु के उत्पादन के लिए इन-हाउस आर एंड डी परीक्षण शुरू किया गया।

(ढ) उद्योग-अकादमिक साझेदारी का उपयोग करके एक मजबूत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए भुवनेश्वर सिटी नॉलेज इनोवेशन क्लस्टर फाउंडेशन (बीसीकेआईसीएफ) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

(ण) अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ (इन-हाउस एवं सहयोगात्मक 2022-23 में पूरा हुआ):

i) बॉक्साइट की सर्टिफाइड रेफरेंस मैटेरिय (सीआरएम), अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित, जिसे आयातित सामग्रियों की तुलना में बहुत कम कीमत पर भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है।

ii) कम तापमान वाले इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा उच्च शुद्धता एल्यूमीनियम धातु के उत्पादन के लिए प्रयोगशाला पैमाने पर एक नई प्रक्रिया विकसित की गई।

iii) एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एवं पाउडर मेटलर्जी प्रक्रियाओं का उपयोग करके हल्के वजन वाले Al-Mg-Si ऑटोमोटिव घटकों के लिए एक नई प्रक्रिया विकसित की गई।

25.2 ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय से संबंधित विवरण, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत खुलासा किया जाना आवश्यक है, जिसे इस प्रतिवेदन के अनुग्नक-IV में दिया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग सत्र

26.0 निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ग) एवं 134(5) के प्रावधानों के अनुसार, आपके निदेशक इसके द्वारा पुष्टि करते हैं कि:

(क) वार्षिक लेखा की तैयारी में, सामग्री प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था;

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था एवं उन्हें लगातार लागू किया था तथा निर्णय एवं अनुमान लगाए थे जो उचित एवं विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के उस अवधि के लिए कंपनी का लाभ एवं हानि की स्थिति का सही एवं निष्पक्ष दृश्य दिया जा सके।

(ग) निदेशकों ने कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त देखभाल की थी;

(घ) निदेशकों ने चालू संस्था के आधार पर वार्षिक खाते तैयार किए थे;

(ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे एवं ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं एवं प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे; एवं

(च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी एवं ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त थीं एवं प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

27.0 निगम प्रशासन:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची-V एवं डीपीई दिशानिर्देशों के साथ पठित विनियम 34 के अनुरूप निगम प्रशासन पर एक प्रतिवेदन तैयार की गई है एवं इस प्रतिवेदन के अनुबंध-V में रखी गई है।

कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों ने निगम प्रशासन पर एक प्रमाणपत्र जारी किया है जो निगम गवर्नेंस प्रतिवेदन के साथ संलग्नित है।

28.0 संबंधित पक्षों के साथ ठेका एवं व्यवस्थाएँ:

संबंधित पार्टी लेनदेन पर नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है और आपकी कंपनी की वेबसाइट पर रखा गया है, जिसे www.nalcoindia.com पर देखा जा सकता है। आपके निदेशक सदस्यों का ध्यान वित्तीय विवरणों के नोट नंबर 40 की ओर आकर्षित करते हैं जो संबंधित पार्टी प्रकटीकरण को निर्धारित करता है।

कास्टिक सोडा आपूर्ति समझौते के अनुसार कास्टिक सोडा लाइ की खरीद के लिए मैसर्स जीएसीएल-नालको अल्कलीज एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड और गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) के साथ एक संबंधित पार्टी लेनदेन दर्ज किया गया था। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान. फॉर्म एओसी-2 में एक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुबंध-VI में संलग्न है।

229.0 निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

29.1 निदेशक:

पिछली प्रतिवेदन के बाद से आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

29.1.1 नियुक्ति:

श्री पंकज कुमार शर्मा को 01.02.2023 से निदेशक (उत्पादन) के रूप में नियुक्त किया गया।

29.1.2 कार्य समापन:

(क) श्री बिजय कुमार दास का कार्यकाल निदेशक (उत्पादन) के रूप में 31.01.2023 को समाप्त हो गया।

(ख) श्री मनसा प्रसाद मिश्रा का कार्यकाल निदेशक (परियोजना व तकनीकी) के रूप में 31.07.2023 को समाप्त हो गया।

29.1.3 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आपकी कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निम्नलिखित हैं:

(क) श्री एस पात्र, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

(ख) श्री आरएस महापात्र, निदेशक (एचआर)

(ग) श्री आरसी जोशी, निदेशक (वित्त)

(घ) श्री एस. सामंतराय, निदेशक (वाणिज्यिक)

(ङ) श्री पीके शर्मा, निदेशक (उत्पादन) एवं निदेशक (परियोजना व तकनीकी) - अतिरिक्त शुल्क

(च) श्री एन. के. महान्ति, समूह महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

29.1.4 स्वतंत्र निदेशकों द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा:

आपकी कंपनी को कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों से यह घोषणा प्राप्त हुई है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 एवं सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 दोनों के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

29.1.5 निदेशक मंडल की बैठकें:

वर्ष के दौरान, 8 (आठ) बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों का विवरण इस वार्षिक प्रतिवेदन में रखी गई निगम प्रशासन (अनुलग्नक-V) पर प्रतिवेदन में उपलब्ध है ।

29.1.6 निदेशक मंडल की विभिन्न उप-समितियाँ:

लेखा परीक्षा समिति सहित बोर्ड की विभिन्न उप-समितियों का विवरण, उनकी संरचना, संदर्भ की शर्तें, आयोजित बैठकों का विवरण इस प्रतिवेदन में रखी गई निगम गवर्नेंस प्रतिवेदन (अनुलग्नक-V) में दिया गया है।

29.1.7 निदेशकों की नियुक्ति के लिए पोस्टल बैल प्रक्रिया:

आपकी कंपनी के शेयरधारकों ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के संशोधित विनियम 17(1सी) एवं 25(2ए) के अनुपालन में आवश्यक सामान्य/विशेष प्रस्तावों के साथ दिनांक 28.04.2022 को पोस्टल बैलेट प्रक्रिया के माध्यम से श्री एस. सामंतराय, निदेशक (वाणिज्यिक) एवं श्री एसआर पटेल, अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

30.0 वार्षिक रिटर्न:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित प्रारूप में वार्षिक रिटर्न आपकी कंपनी की वेबसाइट https://d2ah634u9nypif.cloudfront.net/wp-content/uploads/2023/08/Draft-Annual-Return_2022-23.pdf पर उपलब्ध है।

31.0 सामान्य:

आपके निदेशकों का मता है कि निम्नलिखित मदों के संबंध में किसी प्रकटीकरण या प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रतिवेदन के तहत वर्ष के दौरान इन वस्तुओं पर कोई लेनदेन नहीं हुआ था:

(क अधिनियम के अध्याय-V के अंतर्गत आने वाली जमाराशियों से संबंधित विवरण।

(ख) लाभांश, मतदान या अन्य के अंतर अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर जारी करना।

(ग) कंपनी के कर्मचारियों को शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर एवं ईएसओएस जारी करना।

(घ) न तो अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं न ही कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों को कंपनी से कोई कमीशन प्राप्त हुआ।

(ङ) नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण या भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया जो भविष्य में चल रही चिंता की स्थिति एवं कंपनी के संचालन को प्रभावित करता हो।

आपके निदेशकों का यह भी मत है कि निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में किसी प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग की आवश्यकता

नहीं है क्योंकि उन्हें निगम मामलों के मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना एवं 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों के लिए छूट दी गई है।

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(3)(ङ) एवं धारा 178(2), (3) एवं (4) के अनुसार योग्यता, गुण, स्वतंत्रता आदि निर्धारित करने के मानदंड सहित निदेशक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति।

(ii) अधिनियम के कंपनी (लेखा) नियमों के नियम 8 (4) के साथ पठित धारा 134 (पी) के अनुसार बोर्ड, उसकी समितियों एवं व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन किया गया है।

(iii) अधिनियम की कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमों के नियम 5 के साथ पढ़ी गई धारा 197(12) के अनुसार प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक का कर्मचारी के औसत पारिश्रमिक से अनुपात एवं अन्य निर्धारित विवरण।

32.0 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013:

आपकी कंपनी समान अवसर प्रदान करने के लिए एक मॉडल नियोक्ता है एवं एक स्वस्थ कार्य संस्कृति बनाने के लिए सचेत रूप से प्रयास करती है जो सभी कर्मचारियों के लिए सम्मान को बढ़ावा देती है। का स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अनुसरण में, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए कंपनी की उत्पादन इकाइयों एवं निगम कार्यालय में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है।

कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने एवं कार्यस्थल पर उनके सहयोगियों की गरिमा को बनाए रखने के लिए, विशेष रूप से यौन उत्पीड़न की रोकथाम के संबंध में, कंपनी भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

33.0 ऋण, गारंटी एवं निवेश का विवरण:

कंपनी (बोर्ड की बैठकें एवं उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के तहत कवर किए गए ऋण, गारंटी एवं निवेश का विवरण एकल वित्तीय विवरण 2022-23 के नोट संख्या 9 एवं 11 में दिया गया है। .

34.0 सहायक कंपनियाँ, संयुक्त उद्यम कंपनियाँ एवं संबद्ध कंपनियाँ:

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 129 (3) के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक संयुक्त उद्यम और सहयोगियों के प्रदर्शन और वित्तीय स्थिति और उनकी मुख्य विशेषताओं पर एक रिपोर्ट क्रमशः 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 42 और 43 में दी गई है। फॉर्म एओसी-1 (नोट संख्या 43) में जेवी/एसोसिएट कंपनियों की मुख्य विशेषताएं कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

35.0 पुरस्कार एवं उपलब्धि:

क) आपकी कंपनी की एल्यूमिना परिशोधक को लगातार चौथे वर्ष प्लैटिनम श्रेणी में बिजनेस उत्कृष्टता के लिए सीआईआई एक्ज़िम बैंक पुरस्कार 2022। परिशोधक को लगातार प्रगतिशील कलाकार के रूप में विशेष जूरी पुरस्कार भी दिया गया।

ख) आपकी कंपनी की पंचपतमाली बॉक्साइट खानों एवं ग्रहीत विद्युत संयंत्र को बेंगलुरु में सीआईआई उत्कृष्टता शिखर सम्मेलन 2022 में बिजनेस उत्कृष्टता के लिए की गई पहल की मान्यता में प्रतिष्ठित गोल्ड प्लस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।

ग) आपकी कंपनी की पंचपतमाली बॉक्साइट खानों को प्रक्रियाओं में गुणवत्ता सुधार में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए ग्रीनटेक क्वालिटी एंड इनोवेशन अवार्ड्स 2022 प्राप्त हुआ है।

घ) आपकी कंपनी की एल्यूमिना परिशोधक को 30 जून, 2022 को प्रशंसित प्रमाणन एजेंसी - यूनियन ऑफ जापानी साइंटिस्ट्स एंड इंजीनियर्स (जेयूएसई) द्वारा 5एस - वर्क प्लेस मैनेजमेंट सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया था।

ङ) आपकी कंपनी की पंचपटमाली बॉक्साइट खदान को 7 जुलाई, 2022 को 5एस कार्यस्थल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाण पत्र के साथ पार उत्कृष्टता श्रेणी में प्रतिष्ठित क्यूसीएफआई-जेयूएसई पुरस्कार प्राप्त हुआ।

च) आपकी कंपनी की पंचपटमाली सेंट्रल एवं नॉर्थ बॉक्साइट खानों को 12 जुलाई, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित छठे नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ खानों एंड मिनरल्स में "फाइव स्टार रेटिंग" पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार माननीय केंद्रीय मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी, कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री, श्री रावसाहेब पाटिल दानवे द्वारा माननीय खान, कोयला एवं रेलवे राज्य मंत्री, भारत सरकार की उपस्थिति में प्रदान किया गया।

36.0 कंपनी के वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ:

बोर्ड द्वारा अनुमोदित एकल एवं समेकित वार्षिक वित्तीय विवरण उनकी टिप्पणियों के लिए वाणिज्यिक लेखा परीक्षा महानिदेशक के कार्यालय में प्रस्तुत किए गए थे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपने पत्र सं. 377/को-ऑर्डन./01-10 (नालको)/2023-24 एवं 375/को-ऑर्डन./01-10 (नालको-सीएफएस)/2023-24, दोनों दिनांक 28.07.2023 जिसे महालेखा परीक्षक (खान), कोलकाता के कार्यालय द्वारा जारी किया गया था, के अनुसार दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए एकल एवं समेकित वित्तीय विवरण दोनों पर 'शून्य' टिप्पणियाँ जारी की हैं।

37.0 लेखा परीक्षक:

37.1 वैधानिक लेखा परीक्षक:

मे. जीएनएस एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं मे. एके सबत एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी के संयुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

एकल एवं समेकित वित्तीय विवरणों पर वैधानिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन को दिनांक 24.05.2023 को आयोजित बैठक में बोर्ड के समक्ष पहले ही रखी जा चुकी है।

37.2 लागत लेखा परीक्षक:

कंपनी (लागत रिकॉर्ड एवं लेखा परीक्षा) संशोधन नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 148 के प्रावधानों के अनुसार, लागत लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी पर लागू है।

कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के अनुपालन में, कंपनी के निदेशक मंडल ने लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर मे. निरान एंड कंपनी, लागत लेखाकार को वर्ष 2022-23 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है। ।

आपकी कंपनी निर्धारित समय अवधि के भीतर अपनी लागत ऑडिट प्रतिवेदन निगम मामलों के मंत्रालय को प्रस्तुत करेगी।

37.3 सचिवीय लेखा परीक्षक:

मे. एसकेएम एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए आपकी कंपनी के सचिवीय ऑडिट कार्य के लिए नियुक्त किया गया था। सचिवीय लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन इस प्रतिवेदन के अनुबंध-VII के रूप में संलग्न है।

37.4 आंतरिक लेखा परीक्षक:

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों को करने के लिए निम्नलिखित सनदी लेखाकार फर्मों को नियुक्त किया है:

इकाई	आंतरिक लेखापरीक्षकों का नाम
निगम कार्यालय, भुवनेश्वर	मे. अगस्ती एंड एसोसिएट्स
खान व परिशोधक कॉम्प्लेक्स, दामनजोड़ी एवं पोर्ट फैसिलिटी, विशाखापट्टणम	मे. बीवी राव एंड कंपनी एलएलपी
सीपीपी, अनुगुळ	मे. तेज राज एवं पाल (01.04.2022 से 30.06.2022)
	मे. जे. बी. एम. टी. एसोसिएट्स (01.07.2022 से 31.03.2023)
स्मेल्टर, अनुगुळ	मे. बीएन मिश्रा एंड कंपनी (01.04.2022 से 30.06.2022)
	मे. सीके प्रुस्टी एंड एसोसिएट्स (01.07.2022 से 31.03.2023)
क्षेत्रीय कार्यालय - पूर्व (कोलकाता)	में. जेएफ दस्तूर एंड कंपनी
क्षेत्रीय कार्यालय - पश्चिम (मुंबई)	में. एएनपीजे एंड कंपनी
क्षेत्रीय कार्यालय - उत्तर (दिल्ली)	में. प्रदीप गोपाल एंड कंपनी
क्षेत्रीय कार्यालय - दक्षिण (चेन्नई)	में. मनोहर चौधरी एंड एसोसिएट्स

38.0 आभार:

आपके निदेशकगण भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट सहयोग विशेष रूप से खान मंत्रालय, डीआईपीएएम, डीपीई तथा भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों, ओडिशा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, कंपनी की मूल्य वर्धित श्रृंखला में विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों, सभी हितधारकों द्वारा और निवेशक दिए गए उत्कृष्ट सहयोग के प्रति आभार प्रकट करता हूं तथा आने वाले वर्षों में भी ऐसे पारस्परिक रूप से सहायक व्यापारिक संबंध बनाए रखने के लिए तत्पर हैं।

अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके निदेशक वित्तीय वर्ष के दौरान सभी कर्मचारियों, ठेकेदारों, अनुबंध श्रमिकों, ट्रेड यूनियनों और ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा दर्शाए गए समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए अपनी गहरी सराहना की भावना भी दर्ज करते हैं। कंपनी की निरंतर वृद्धि सभी मोर्चों से प्राप्त अपनेपन, एकजुटता, सहयोग एवं समर्थन के कारण संभव हुई।

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

(श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 06500954

स्थान:भुवनेश्वर
दिनांक : 25.08.2023

अनुलग्नक - I

वर्ष 2022-23 के लिए सीएसआर कार्यकलापों पर वार्षिक प्रतिवेदन

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा:

कंपनी अपने परिचालन क्षेत्र में निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) हस्तक्षेप के जरिए अपने व्यवसाय के सतत विकास के लिए लोगों, पृथ्वी एवं लाभ से संबंधी विषयों को सुलझाने के साथ ही समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के समावेशी विकास के लिए के लिए प्रति प्रतिबद्ध है। कंपनी की सीएसआर नीति कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की गई है। सीएसआर पहल अवधारणा से लेकर उनके प्रभाव मूल्यांकन तक की समीक्षा कंपनी की अनुमोदित सीएसआर नीति के अनुसार की जाती है। यह कंपनी के लिए बजट, व्यय, परियोजनाओं के भौगोलिक एवं तकनीकी दायरे की रूपरेखा भी प्रतिबिंबित करता है। परियोजनाओं की निगरानी कंपनी की सीएसआर नीति का एक हिस्सा है।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

सीएसआर समिति की संरचना एवं वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्यों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है।

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशकत्व की प्रकृति	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की आयोजित बैठकों की सं.	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति ने बैठकों ने भाग लिया
1	श्री दुष्यन्त उपाध्याय	स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष	2	2
2	डॉ. बी आर रामकृष्ण	स्वतंत्र निदेशक, सदस्य	2	2
3	सुश्री (डॉ.) शतरूपा	स्वतंत्र निदेशक, सदस्य	2	2
4	श्री आर. एस. महापात्र	निदेशक (मानव संसाधन), सदस्य	2	2
5	श्री बी. के. दास	निदेशक (उत्पादन), सदस्य	2	2

उपरोक्त समिति के सदस्यों के अतिरिक्त, श्री एस आर पटेल, स्वतंत्र निदेशक ने एक आमंत्रित सदस्य के रूप में उपरोक्त दो बैठकों में शामिल हुए।

3. वेब-लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति एवं बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का कंपनी की वेबसाइट पर प्रकटीकरण किया गया है।

   क) सीएसआर समिति की संरचना के लिए वेब लिंक: http://nalcoindia.com/corporate-social-responsibility/about-csr/csr-team

   ख) सीएसआर नीति के लिए वेब लिंक: https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/04/CSR-Policy-2019.pdf

   ग) बोर्ड द्वारा स्वीकृति सीएसआर परियोजनाओं के लिए वेब लिंक: https://mudira.nalcoindia.co.in:3443/CSR/CSRBudgetandExpenditure

4. कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के पालन में सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन के विवरण के वेब-लिंक के साथ कार्यकारी सारांश प्रदान करें, यदि लागू हो.: लागू नहीं

5. (क) धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ: रु. 18,32,20,00,000

   (ख) धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: रु. 36,64,40,000

   (ग) विगत वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष: शून्य

   (घ) वित्तीय वर्षों के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो: शून्य

   (ङ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(ख) +(ग)-(घ)]: रु. 36,64,40,000

6. (क) सीएसआर परियोजनाओं पर व्यय की गई राशि (चालू परियोजना एवं चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य दोनों): रु. 38,35,85,000

   (ख) प्रशासनिक ओवरहेड्स में व्यय की गई राशि: रु. 1,18,58,778

   (ग) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो: लागू नहीं

   (घ) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि [(क) + (ख) +(ग)]: रु. 39,54,43,778

   (ङ) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई या अव्ययित सीएसआर राशि: रु. 39,54,43,778 (व्ययीत)

वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (रु. लाख में)	अव्ययित राशि के लिए (रु. में)				
	धारा 135(6) के अनुसार कुल राशि अव्ययित में हस्तांतरित		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्टकिसी भी फंड में हस्तांतरित राशि		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	स्थानांतरण की तिथि	राशि	स्थानांतरण की तिथि
3,954.44	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(च) सेट ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो: शून्य

क्रम सं.	विवरण	विशेष राशि (रु. में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	36,64,40,000
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	39,54,43,778
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	2,90,03,778
(iv)	विगत वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो तो	शून्य
(v)	अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	शून्य

7. विगत तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण: लागू नहीं

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 की उपधारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (₹ में)	धारा 135 की उपधारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के रूप में अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो			आगामी वित्तीय वर्ष में खर्च की जाने वाली शेष राशि (₹ में)	कमी, यदि कोई हो
					राशि (₹ में)		स्थानांतरण की तिथि		
1	2019-20	शून्य	शून्य	39,71,35,000	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य
2	2020-21	शून्य	शून्य	35,00,00,000	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य
3	2021-22	शून्य	शून्य	36,91,38,000	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य
	कुल	शून्य	शून्य	1,11,62,73,000	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	शून्य	

8. क्या वित्तीय वर्ष में व्यय की गई निगम सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई या अर्जित की गई है:

( ) हां (✓) नहीं

यदि हाँ, तो निर्मित/अर्जित पूंजीगत परिसंपत्तियों की संख्या दर्ज करें 0

वित्तीय वर्ष में निगम सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से बनाई गई या अर्जित की गई ऐसी परिसंपत्ति(यों) से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें:

क्र. सं.	संपत्ति या परिसंपत्तियों का संक्षिप्त विवरण	संपत्ति या परिसंपत्तियों का पिन कोड	निर्माण तिथि	व्यय की गई सीएसआर राशि	संस्था की विवरण/प्राधिकरण/पंजीकृत स्वामी के लाभार्थी		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					सीएसआर पंजीकृत संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(सभी क्षेत्रों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्शाए अनुसार लिया जाना चाहिए, फ्लैट नंबर, मकान नंबर, नगर निगम कार्यालय / नगर निगम / ग्राम पंचायत को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए तथा अचल संपत्ति के क्षेत्र के साथ-साथ सीमाएं भी निर्दिष्ट की जानी चाहिए)।

9. यदि कंपनी धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण निर्दिष्ट करें: लागू नहीं।

हस्ता/-
(एस. पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06500954

हस्ता/-
(एसआर पटेल)
अध्यक्ष सीएसआर समिति
डीआईएन: 09545270

अनलग्नक- II

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन

1.0 उद्योग संरचना एवं विकास:

1.1 एल्यूमिना:

वर्ष 2022 के दौरान, मेटलर्जिकल ग्रेड एल्यूमिना (एमजीए) का कुल विश्व उत्पादन 134.36 मेट्रिक टन था, जो 2021 के दौरान उत्पादित 131.51 मेट्रिक टन की तुलना में लगभग 2.17% की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2022 के दौरान वैश्विक एल्यूमिना खपत 134.01 मेट्रिक टन थी, जबकि 2021 के दौरान खपत 130.77 मेट्रिक टन थी, जो वर्ष दर वर्ष 2.48% की वृद्धि दर्शाता है। चीन उत्पादन एवं खपत दोनों में प्रमुख योगदानकर्ता था, जिसमें उत्पादन में 57.50% हिस्सेदारी एवं एल्यूमिना की खपत में 58.28% हिस्सेदारी थी। वर्ष 2023 में विश्व एमजीए की मांग लगभग 133.46 मेट्रिक टन होने की उम्मीद है, जो विगत वर्ष की तुलना में 0.41% की कमी दर्शाती है। कुल मिलाकर, वैश्विक एल्यूमिना बाजार 2023 में 133.47 मेट्रिक टन के अपेक्षित उत्पादन के साथ संतुलित होने की उम्मीद है।

भारत में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल एल्यूमिना उत्पादन लगभग 7.44 मेट्रिक टन था, जिससे वर्ष दर वर्ष 1.75% की वृद्धि दर्ज की गई। इसमें से आपकी कंपनी का योगदान लगभग 2.12 मेट्रिक टन (28.5%) था। भारत में एल्यूमिना की खपत 2022-23 के दौरान अपने चरम पर पहुंच गई।

विश्व बॉक्साइट उत्पादन वर्ष 2022 के दौरान लगभग 377.53 मेट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया था, जो वर्ष 2021 में उत्पादित 365.68 मेट्रिक टन से 3.24% अधिक है। वर्ष 2023 के दौरान वैश्विक बॉक्साइट उत्पादन लगभग 387.36 मेट्रिक टन होने की उम्मीद है। वर्ष 2022 के दौरान, यह अनुमान लगाया गया है कि चीन द्वारा 125.69 मेट्रिक टन बॉक्साइट का आयात किया गया था, जो मुख्य रूप से गिनी (70.48 मेट्रिक टन), ऑस्ट्रेलिया (34.10 मेट्रिक टन), इंडोनेशिया (19.07 मेट्रिक टन) एवं मलेशिया (0.28 मेट्रिक टन) से प्राप्त किया गया था। इंडोनेशिया ने डाउनस्ट्रीम खनन उद्योग के विकास का समर्थन करने के लिए जून, 2023 से बॉक्साइट निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का अपना रुख बरकरार रखा है।

1.2 प्राथमिक एल्यूमिनियम:

वर्ष 2022 के दौरान एल्यूमीनियम का विश्व उत्पादन लगभग 68.94 मेट्रिक टन था, जो वर्ष 2021 में प्राप्त 67.41 मेट्रिक टन के उत्पादन आंकड़े की तुलना में 2.27% की वृद्धि दर्शाता है। साथ ही, दुनिया भर में एल्यूमीनियम की खपत वर्ष 2021 में 68.97 मेट्रिक टन से 0.25% बढ़कर 69.14 मेट्रिक टन हो गई। इस प्रकार, 2022 के दौरान बाजार में लगभग 0.20 मेट्रिक टन की कमी दर्ज की गई। वर्ष के दौरान चीन सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता था, जिसने विश्व उत्पादन में 58.23% हिस्सेदारी (40.15 मेट्रिक टन) एवं 58.79% (40.65 मेट्रिक टन) का योगदान दिया। एल्यूमिनियम की विश्व खपत चीन ने 2022 के दौरान एल्यूमीनियम उत्पादन में 4.19% की वृद्धि दर्ज की, जबकि शेष विश्व में उत्पादन में 0.28% की गिरावट देखी गई। ऐसे में, जहां तक एल्यूमिनियम की खपत का सवाल है, चीन के आंकड़ों में वर्ष 2022 के दौरान 1.28% की वृद्धि देखी गई, जबकि शेष विश्व में 1.17% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, भारत में एल्यूमिनियम की खपत 14% बढ़कर 3.90 मेट्रिक टन से 4.45 मेट्रिक टन हो गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान यूरोप, अमेरिका, चीन एवं जापान जैसे प्रमुख उपभोक्ता क्षेत्रों में वैश्विक एल्यूमीनियम मांग में काफी हद तक नकारात्मक वृद्धि देखी गई है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में अब सुधार के संकेत दिख रहे हैं, लेकिन जब तक ऑटोमोटिव एवं निर्माण जैसे उच्च खपत वाले क्षेत्रों में तेजी नहीं आती, तब तक मांग में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद नहीं है। इसके अलावा, उदाहरण के लिए, कई एशियाई बंदरगाहों (विशेष रूप से जापान) एवं अंतर्देशीय गोदामों में बंदरगाह स्टॉक के उच्च स्तर ने एशियाई क्षेत्र में स्थानीय मांग पर दबाव डालना जारी रखा।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान औसत एलएमई नकद निपटान मूल्य 2,490 अमेरिकी डॉलर प्रति मि. टन था, जो वर्ष 2021-22 के दौरान 2,769 अमेरिकी डॉलर प्रति मि. टन के संबंधित आंकड़े के मुकाबले 10.08% कम है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के मासिक औसत में, एलएमई सितंबर, 2022 में घटकर 2,230 अमेरिकी डॉलर प्रति मेट्रिक टन के निचले स्तर पर आ गया। हालांकि, चीन में मांग की स्थिति में सुधार के बाद, जनवरी, 2023 के दौरान कीमतें बढ़कर 2,489 अमेरिकी डॉलर प्रति मेट्रिक टन के स्तर पर पहुंच गईं। हालाँकि, निम्नलिखित कारकों के कारण एलएमई की कीमत में फिर से गिरावट आई; क) बढ़ती आपूर्ति एवं दक्षिण पूर्व चीन में उत्पादन फिर से शुरू होने के कारण एल्यूमिनियम की कीमतों पर दबाव पड़ा एवं ख) पूरे एशिया में एलएमई एल्यूमिनियम इन्वेंट्री में वृद्धि जारी रही। एल्यूमिना की गिरती कीमतों से भी एल्यूमिनियम की कीमतों के समर्थन में कमी आई है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान औसत एलएमई नकद निपटान मूल्य लगभग 2,187 अमेरिकी डॉलर प्रति मेट्रिक टन होने का अनुमान है, जो 2022-23 के संबंधित आंकड़े के मुकाबले 12.17% की गिरावट को दर्शाता है। अपेक्षित गिरावट के कारणों में निम्न कारक शामिल हैं (क) वैश्विक अंतिम-उपयोगकर्ता मांग संकुचन, (ख) चीन के स्मेल्टिंग पुनरारंभ के प्रभावी होने की उम्मीद के कारण प्राथमिक एल्यूमीनियम उत्पादन में वृद्धि एवं (ग) विश्व औसत प्राथमिक एल्यूमीनियम गलाने की नकदी लागत में गिरावट।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में अनुमानित वैश्विक एल्यूमीनियम धातु स्टॉक 10.29 मेट्रिक टन था, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत में 9.13 मेट्रिक टन के स्टॉक के मुकाबले 12.70% की वृद्धि दर्ज करता है।

वर्ष 2022 में एल्यूमिनियम धातु का बाजार घाटा 0.20 मेट्रिक टन दर्ज किया गया, जबकि 2021 में वैश्विक बाजार घाटा 1.55 मेट्रिक टन था।

2.0 शक्ति एवं कमजोरी:

2.1 शक्ति:

पृथ्वी की परत में एल्यूमिनियम सबसे आम धातु है, जो हमारे ग्रह पर तीसरा सबसे प्रचुर मात्रा में मिलनेवाला रासायनिक तत्व (ऑक्सीजन एवं सिलिकॉन के बाद) है एवं चीजें बनाने के लिए दूसरी सबसे लोकप्रिय धातु (लोहा एवं स्टील के बाद) है। एल्यूमिनियम को बिना सोचे-समझे हर दिन देखा एवं इस्तेमाल किया जाता है। इससे डिस्पोज़ेबल पेय के डिब्बे बनाए जाते हैं एवं खाना पकाने की पन्नी भी बनाई जाती है। चांदी जैसी धातु हवाई जहाज के जेट इंजन से लेकर हाई-टेक युद्धपोतों के हूल्स तक कई स्थानों पर पाई जाती है। एल्यूमिनियम नरम, हल्का, अग्नि प्रतिरोधी एवं गर्मी प्रतिरोधी है, जो नए आकार में काम करने में आसान है तथा बिजली का संचालन करने में सक्षम है। यह प्रकाश एवं गर्मी को बहुत प्रभावी ढंग से प्रतिबिंबित करता है एवं इसमें जंग नहीं लगता है। यह अन्य रासायनिक तत्वों, विशेष रूप से ऑक्सीजन के साथ आसानी से प्रतिक्रिया करता है एवं अगर इसे हवा में छोड़ दिया जाए तो यह आसानी से एल्यूमीनियम ऑक्साइड की बाहरी परत बनाता है।

भारत लगभग 4.10 मेट्रिक टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) उत्पादन के साथ, दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमीनियम उत्पादक है, जो रूस के 4.0 एमटीपीए के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि चीन में 40.563 मेट्रिक टन का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। देश में जिन उद्योगों को एल्यूमिनियम की आवश्यकता होती है उनमें ज्यादातर बिजली, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ, परिवहन, निर्माण एवं पैकेजिंग आदि शामिल हैं। एल्यूमिनियम एक रणनीतिक धातु है जो भारत की जीडीपी को आगे बढ़ाती है। अल सर्कल के शोध में अनुमान लगाया गया है कि भारत में एल्यूमिनियम का उपयोग 2026-27 तक 6.7% सालाना सीएजीआर से बढ़कर 4.84 मेट्रिक टन तक पहुंचने की संभावना है। देश में बॉक्साइट का विशाल भंडार है एवं भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2030-32 तक बॉक्साइट उत्पादन को लगभग 70 मेट्रिक टन तक बढ़ाने की जरूरत है।

एल्यूमिनियम को इसके किसी भी उत्कृष्ट गुण को खोए बिना अनंत बार पुनर्चक्रित किया जा सकता है। यह अनुमान लगाया गया है कि 1 मेट्रिक टन एल्यूमीनियम स्क्रैप को एल्यूमीनियम उत्पादों में परिवर्तित करने से कई टन बॉक्साइट, 14,000 किलोवाट ऊर्जा, 6,300 लीटर जीवाश्म ईंधन, 7.6 घन मीटर लैंडफिल एवं जंगलों, आवास, उद्योग आदि जैसे अन्य उपयोगों के लिए मूल्यवान भूमि की बचत होती है। इसलिए, भारत को अब एल्यूमीनियम स्क्रैप के पुनर्चक्रण एवं द्वितीयक उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत औद्योगिक आधार विकसित करने की आवश्यकता है। यह अनिवार्य रूप से बताता है कि उद्योग के टिकाऊ होने के लिए एल्यूमिनियम स्क्रैप की

कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला मजबूत एवं विश्वसनीय हो।

2.2 कमजोरियाँ:

भारत डाउनस्ट्रीम एल्यूमिनियम उत्पादों की अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार करके अपनी निर्यात आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकता है। हालाँकि पिछले दशक में देश में प्राथमिक एल्यूमिनियम उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन देश के अंदर मूल्यवर्धन की दर कम बनी हुई है। इसे अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में निवेश के माध्यम से नए उत्पादों/अनुप्रयोगों के विकास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जो वर्तमान में सीमित पैमाने पर किए जा रहे हैं। इसके अलावा, कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए एक व्यापक एवं विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की कमी भी इस लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा के रूप में कार्य करती है। बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भरता के कारण भारतीय एल्यूमिनियम उत्पादक मध्य पूर्व में स्थित अपने साथियों की तुलना में मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता में भी पिछड़ जाते हैं, क्योंकि बिजली की लागत अधिक होती है। एल्यूमिनियम स्क्रैप के आयात के कारण भारत को देश से बहुमूल्य विदेशी मुद्रा के उच्च बहिर्वाह का भी सामना करना पड़ता है। देश के भीतर पर्याप्त एल्यूमिनियम स्क्रैप उत्पादन एवं हैंडलिंग बुनियादी ढांचे के अभाव में, एल्यूमिनियम रिसाइक्लर्स को विदेशों में आपूर्तिकर्ताओं की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

3.0 अवसर एवं खतरे:

3.1 अवसर:

वैश्विक एल्यूमिनियम मांग (प्राथमिक एवं द्वितीयक) के 33.3 मेट्रिक टन बढ़ने का अनुमान है, जो 2020 में 86.2 मेट्रिक टन से बढ़कर 2030 में 119.5 मेट्रिक टन हो जाएगी। इस वृद्धि का लगभग 37% चीन से आने की उम्मीद है, इसके बाद चीन को छोड़तक 26% एशिया, 15% उत्तरी अमेरिका से एवं 14% यूरोप से आने की उम्मीद है।

पूर्ण मांग के संदर्भ में सबसे अधिक वृद्धि परिवहन क्षेत्र से आने की उम्मीद है, जो डीकार्बोनाइजेशन नीतियों एवं पारंपरिक जीवाश्म ईंधन से संचालित वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में बदलाव से प्रेरित है, 2020 में लगभग 19.9 मेट्रिक टन से 2030 में 31.7 मेट्रिक टन एल्यूमीनियम की खपत होने की उम्मीद है।

जलवायु कार्रवाई एवं वहनीय जीवनशैली की तत्काल आवश्यकता के जवाब में, जैसे-जैसे देश स्वच्छ प्रौद्योगिकियों की ओर बढ़ रहे हैं, 'नेट ज़ीरो' अर्थव्यवस्था में बदलाव धातु-प्रधान होने की उम्मीद है एवं एल्यूमिनियम को महत्वपूर्ण धातुओं में से एक के रूप में पहचाना गया है जो इस परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा समाधानों, हरित प्रौद्योगिकियों एवं टिकाऊ प्रणालियों की उभरती मांग को पूरा करने में सहायक है। एल्यूमिनियम एक हल्का पदार्थ है, जो ईवी, 'ग्रीन बिल्डिंग' एवं पावर केबलिंग में उपयोग के लिए आदर्श है। पेरिस समझौते (2 डिग्री सेल्सियस से परे परिदृश्य या बी2डीएस) के अनुरूप, दो डिग्री से कम ग्लोबल वार्मिंग परिदृश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुमानों के आधार पर, मांग (पुनर्नवीनीकरण एल्यूमीनियम एवं स्क्रैप सहित) वर्तमान स्तर से 80% तक बढ़ सकती है। 2050 तक लगभग 170 मेट्रिक टन। इस संदर्भ में अनुमान है कि, मांग में इस भारी उछाल को पूरा करने के लिए, वैश्विक प्राथमिक एल्यूमीनियम उत्पादन में 30% तक की वृद्धि की आवश्यकता होगी (2022 में लगभग 69 मेट्रिक टन से 2050 में 90 मेट्रिक टन तक) , जबकि शेष को द्वितीयक स्रोतों एवं स्क्रैप से पूरा किया जा सकता है।

विद्युत क्षेत्र में, हरित ऊर्जा स्रोतों की ओर परिवर्तन से क्षेत्र की एल्यूमीनियम की मांग मजबूत होगी, जो वर्ष 2020 में 10.4 मेट्रिक टन से बढ़कर 2030 में 15.6 मेट्रिक टन तक पहुंच सकती है। डिजाइनरों और निर्माताओं के साथ गठबंधन के माध्यम से सौर ऊर्जा परियोजनाओं का समर्थन करना इस क्षेत्र से आने वाली एल्यूमीनियम की मांग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि सौर ऊर्जा के लिए पवन ऊर्जा की तुलना में प्रति स्थापित मेगावाट चार गुना अधिक और कोयले की तुलना में लगभग 25 गुना अधिक एल्यूमीनियम की आवश्यकता होती है। नवीकरणीय ऊर्जा की खपत में इस वृद्धि के अलावा, विद्युत वितरण के लिए कंडक्टर केबलों की आवश्यकता भी बढ़ने की उम्मीद है। हालाँकि ये कंडक्टर पारंपरिक रूप से तांबे से बनाए गए हैं, एल्यूमीनियम में परिवर्तन एक व्यवहार्य विकल्प का प्रतिनिधित्व करता है और लागत के दृष्टिकोण से फायदेमंद हो सकता है।

अगले दशक में निर्माण में अपेक्षाकृत कम वृद्धि होने की उम्मीद है क्योंकि खपत 2020 में 21.2 मेट्रिक टन से बढ़कर 2030 में लगभग 25.8 मेट्रिक टन हो जाएगी। अन्य क्षेत्रों की तुलना में थोड़े अलग रास्ते पर चलते हुए, विकास मुख्य रूप से चीन छोड़कर एशिया से आने की उम्मीद है, क्योंकि मांग हरित रुझानों के बजाय बुनियादी ढांचे के खर्च और शहरीकरण से जुड़ी हुई है।

पैकेजिंग क्षेत्र से एल्यूमिनियम की खपत 2020 में 7.2 मेट्रिक टन से बढ़कर 2030 में 10.5 मेट्रिक टन होने की संभावना है, जो मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और चीन में डिब्बाबंद पेय की लोकप्रियता में वृद्धि के कारण है। हाल के वर्षों में डिब्बाबंद पेय की मांग में वृद्धि और उसके बाद पैकेजिंग क्षेत्र से एल्यूमिनियम की मांग नए उत्पादों के उद्भव के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग विकल्पों के लिए एक मजबूत उपभोक्ता प्राथमिकता के कारण बढ़ी है।

3.2 खतरे:

रूस-यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से ऊर्जा एवं खाद्य बाजारों को भारी झटका दिया, जिससे आपूर्ति कम हो गई एवं कीमतें अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गईं। उदाहरण के तौर पर, लंदन मेटल एक्सचेंज (3एम कॉन्ट्रैक्ट) पर एल्यूमिनियम की कीमत फरवरी, 2022 के मासिक औसत $3,224 की तुलना में मार्च, 2022 की शुरुआत में अभूतपूर्व $4,000 प्रति मेट्रिक टन पर पहुंच गई। इसने कई एल्यूमिनियम उत्पादकों को अपनी उत्पादन क्षमता को फिर से शुरू करने या बढ़ाने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप एल्यूमिनियम का अतिरिक्त उत्पादन हुआ, जिससे आने वाले महीनों में बाजार में प्रचुर मात्रा में उत्पादन होने का खतरा है। एल्यूमीनियम धातु की असामान्य ऊंची कीमतें भी धातु की मांग पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, क्योंकि उपभोक्ता वैकल्पिक सामग्रियों की तलाश शुरू कर देते हैं।

घरेलू एल्यूमिनियम उद्योग के लिए एक और खतरा आयातित कोयले की कीमत में तेजी से वृद्धि है, जिससे देश में घरेलू कोयले की अत्यधिक मांग हो गई है एवं एल्यूमिनियम उत्पादकों के लिए कोयले की कमी पैदा हो गई है। इस स्थिति के कारण एल्यूमिनियम प्रद्रावकों को बिजली आपूर्ति में बाधा आ सकती है, जिससे उत्पादन में कटौती करनी पड़ सकती है।

रूसी सैन्य अभियानों के कारण तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का न केवल एल्यूमिनियम की कीमतों पर, बल्कि सभी वस्तुओं पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ा। ब्रेंट क्रूड ऑयल इंडेक्स 2022 की शुरुआत में लगभग 80 डॉलर प्रति बैरल पर था, लेकिन 7 मार्च, 2022 तक लगभग 123 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया। इसी तरह, रूसी आक्रमण के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान ने भी शिपिंग संचालन की कुल लागत में वृद्धि की। क्लार्क सी डेली रेट चार्टर इंडेक्स (सभी शिपिंग बाजार) ने जनवरी, 2022 के अंत तक शिपिंग दरों में लगभग $30,000 प्रति 40 फुट कंटेनर से मार्च, 2022 में $40,000 से अधिक की नाटकीय वृद्धि देखी। रूस-यूक्रेन युद्ध या संभावित अमेरिका-चीन संघर्ष अंततः एल्यूमीनियम आपूर्ति एवं कीमतों में उच्च अस्थिरता का कारण बन सकते हैं, वैश्विक मुद्रास्फीति का कारण बन सकते हैं एवं व्यापार एवं आपूर्ति लाइनों को बाधित कर सकते हैं।

कई देशों द्वारा औद्योगिक उत्सर्जन को संबोधित करने वाली नीतियां प्रस्तुत करने की संभावना है। यूरोपीय संघ एक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मेकैनिज्म (सीबीएएम) विकसित करने की प्रक्रिया में है जिसमें एल्यूमीनियम शामिल होगा। माना जा रहा है कि अमेरिका भी इसी तरह के कदम पर विचार कर रहा है। ये नीतियां कार्बन रिसाव को सीमित करने के प्रयास में कमजोर/उत्सर्जन रहित नीति वाले देशों से आयातित उत्सर्जन-सघन एल्यूमीनियम सामानों पर प्रभावी ढंग से टैरिफ लागू करेंगी, जबकि अन्य देशों में मजबूत उत्सर्जन उपायों को प्रोत्साहित करेंगी। सीबीएएम एवं अन्य समान उपायों को लागू करना भारतीय एल्यूमीनियम निर्यातकों के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि भारतीय प्राथमिक एल्यूमीनियम प्लेयर्स के लिए कार्बन-उत्सर्जन की तीव्रता वर्तमान में विश्व औसत की तुलना में अधिक बनी हुई है। इससे उन देशों में घरेलू उत्पादन की तुलना में भारतीय एल्यूमिनियम अधिक महंगा हो जाएगा एवं इसलिए, कम प्रतिस्पर्धी हो जाएगा, जिससे भारतीय एल्यूमिनियम खिलाड़ियों के लिए बाजार एवं निर्यात राजस्व का नुकसान होगा।

उपरोक्त के अलावा, घरेलू एल्यूमिनियम उद्योग के लिए अन्य स्थायी खतरों में अर्थव्यवस्था में संभावित मंदी, वैश्विक कीमतों/विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव एवं सस्ता एल्यूमिनियम आयात शामिल हैं।

4.0 खंड-वार प्रदर्शन:

क्र. सं.	विवरण	रसायन (एल्यूमिना)		धातु (एल्यूमिनियम)		अआवंटन योग्य		कुल
		रु. करोड़ में	भागीदारी (%)	रु. करोड़ में	भागीदारी (%)	रु. करोड़ में	भागीदारी (%)	रु. करोड़ में
1.	परिचालन से राजस्व	3,955.10	27.75	10,227.15	71.75	72.61	0.51	14,254.86
2.	पीबीटी (असाधारण वस्तुओं से पहले)	408.02	20.73	1,784.27	90.67	(224.38)	(11.40)	1,967.91
3.	नियोजित पूंजी#	2,691.02	27.70	4,095.45	42.16	2,926.88	30.13	9,713.35
4.	आरओसीई (%) (2/3)		15.16		43.57		(7.67)	20.26
5.	पीबीआईटी मार्जिन (%) (2/1)		10.32		17.45		(309.02)	13.81

"आबंटन योग्य सामान्य" के तहत नियोजित पूंजी में नकदी शेष एवं पवन ऊर्जा संयंत्र एवं विस्तार इकाइयों की संपत्तियां शामिल हैं।

5.0 भविष्य के लिए दृष्टिकोण:

5.1 अंतर्राष्ट्रीय आउटलुक:

अप्रैल-जून, 2023 तिमाही के दौरान वैश्विक एल्यूमीनियम उत्पादन 17.28 मेट्रिक टन होने की उम्मीद है, जबकि इस अवधि के दौरान खपत 17.54 मेट्रिक टन होने की संभावना है, जिसका अर्थ है कि अल्पावधि में बाजार में 0.26 मेट्रिक टन की कमी होगी।

फरवरी, 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी की कीमतें उच्च स्तर की अशांति प्रदर्शित कर रही हैं। एल्यूमिनियम की कीमतें अगले हफ्तों में गिरने से पहले मार्च, 2022 में कुछ समय के लिए 4,000 अमेरिकी डॉलर प्रति मेट्रिक टन के स्तर को पार कर गईं। कीमतों में वृद्धि का कारण पश्चिमी दुनिया द्वारा रूसी मूल एल्यूमीनियम धातु के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने का डर था, जिसके परिणामस्वरूप धातु की वैश्विक कमी हो सकती थी। हालाँकि, वास्तव में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था एवं रूसी एल्यूमिनियम उत्पादकों द्वारा उत्पादन में कोई कटौती की घोषणा नहीं की गई थी, जिसके कारण एल्यूमिनियम की कीमतें गिर गईं। मई, 2022 में एलएमई नकद मूल्य औसतन 2,826 अमेरिकी डॉलर प्रति मेट्रिक टन था एवं तब से मार्च, 2023 में गिरकर 2,290 अमेरिकी डॉलर प्रति मेट्रिक टन तक पहुंच गया। कमोडिटी एवं ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता, वैश्विक स्तर पर उच्च मुद्रास्फीति दर एवं मौद्रिक सख्त नीतियां वैश्विक व्यापार में मुश्किलें पैदा कर सकती हैं।

उद्योग की रिपोर्टों के अनुसार, विश्व प्राथमिक एल्यूमिनियम की मांग काफी हद तक संकुचन मोड में है, क्योंकि ऑटोमोटिव एवं एयरोस्पेस क्षेत्रों को छोड़कर, प्रमुख अंतिम-उपयोगकर्ता खंडों में संकुचन का अनुभव जारी है। चीन, अमेरिका एवं यूरोप में वैश्विक विनिर्माण गतिविधि अभी भी संकुचन की स्थिति में है। दिसंबर, 2022 के स्तर की तुलना में विश्व प्राथमिक एल्यूमिनियम सूची अभी भी ऊंची बनी हुई है।

कम कार्बन धातु की वैश्विक आपूर्ति कई वर्षों से मजबूत रही है, लेकिन मुख्य रूप से शीर्ष उत्पादक चीन के दक्षिणी प्रांतों में प्रतिबंधों के कारण 2022 में कम हो गई, जो जल विद्युत पर बहुत अधिक निर्भर हैं। अब, एल्यूमीनियम निर्माता 2023 में कम कार्बन धातु के उत्पादन को लगभग 10% बढ़ाकर लगभग 18.56 मेट्रिक टन के स्तर तक बढ़ाने के लिए तैयार हैं, जो एल्यूमीनियम के कुल विश्व उत्पादन का अनुमानित 26% है। अधिक टिकाऊ आपूर्ति में वृद्धि कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को, विशेष रूप से यूरोपीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, अपनी हरित साख प्रदर्शित करने के बढ़ते प्रयासों के साथ मेल खाती है। यद्यपि कंपनियों ने कम कार्बन प्रौद्योगिकियों में भारी निवेश किया है, उत्पादन में वैश्विक अधिशेष उस स्पॉट प्रीमियम को कम करने की संभावना है जो निर्माता अपने कम कार्बन उत्पादों के लिए चार्ज करने में सक्षम हैं, खासकर 2023 में, विश्लेषकों के अनुसार, जब समग्र मांग मंदी की आशंकाओं से प्रभावित हुई है।

वर्ष 2023-24 के दौरान एलएमई की कीमतें दबाव में रहने की उम्मीद है क्योंकि:

क) लघु, मध्यम एवं दीर्घकालिक तकनीकी संकेतक आम तौर पर मंदी के बने रहते हैं;

ख) विश्व में एल्यूमिनियम की मांग अभी तक गति नहीं पकड़ पाई है;

ग) प्राथमिक एल्यूमिनियम गलाने की लागत में एवं गिरावट जारी है;

घ) सख्त वैश्विक मौद्रिक स्थितियाँ जारी रहने की उम्मीद है;

ङ) अधिकांश प्रकार की एल्यूमीनियम इकाइयों की उपलब्धता 2023-24 तक बढ़ती रह सकती है, जिससे वैश्विक अधिशेष हो सकता है।

5.2 घरेलू परिप्रेक्ष्य:

भारतीय एल्यूमिनियम की मांग अब तक आर्थिक प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति लचीली रही है एवं 2023 में अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत के आर्थिक संकेतक कुछ सकारात्मक संकेत देते हैं, जबकि अंतिम उपयोगकर्ताओं की मांग 2023 में मिश्रित तस्वीर की ओर इशारा करती है। आरबीआई के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023 में वर्ष दर वर्ष 7% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी वर्ष दर वर्ष 6.5% बढ़ सकती है। आरबीआई के अनुमान के अनुसार, मुद्रास्फीति वित्तीय वर्ष 2023 में 6.7% से घटकर वित्तीय वर्ष 2024 में 5.2% होने की उम्मीद है, जो लक्ष्य सीमा (4+/2%) के भीतर बनी हुई है। आरबीआई मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है, जिससे सतत विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

भारत में विनिर्माण पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) मार्च, 2023 के 56.4 से बढ़कर अप्रैल, 2023 में 57.2 हो गया, जो विनिर्माण क्षेत्र के निरंतर सुधार को दर्शाता है। यह वृद्धि मजबूत नए व्यापार विकास, अनुकूल बाजार स्थितियों एवं बेहतर आपूर्ति-श्रृंखला स्थितियों के कारण हुई है।

भारत का 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी लाने का अनुमान है एवं इसका इरादा तेल आयात निर्भरता को भी कम करने का है। इसलिए, भारत सरकार इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन के रूप में ईवी को तेजी से अपनाने एवं बढ़ावा देने की परिकल्पना करती है। भारत 2030 तक ईवी में कुल मिलाकर 30% (2डब्ल्यू एवं 3डब्ल्यू सेगमेंट में 80%) प्रवेश का लक्ष्य बना रहा है। एल्यूमिनियम ईवी बाजार में एक आवश्यक सामग्री है, जो बैटरी प्रौद्योगिकी, बॉडी निर्माण एवं बुनियादी ढांचे एवं ड्राइविंग स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ईवी में एल्यूमीनियम के प्रतिस्थापन से निर्माताओं को ऐसे वाहन बनाने में मदद मिलेगी जो अधिक ऊर्जा कुशल हैं एवं कम वजन से रेंज में 10-15% की अतिरिक्त वृद्धि होती है, जो बदले में उपभोक्ताओं के बीच ईवी को अधिक अपनाने को बढ़ावा देगा। ईवी बाजार का भविष्य उज्ज्वल है, एवं एल्यूमिनियम इस रोमांचक एवं गतिशील उद्योग में नवाचार एवं स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।

भारत में एल्यूमिनियम उद्योग को बढ़ते आयात, घरेलू बाजार हिस्सेदारी में कमी एवं बढ़ते उत्पादन एवं लॉजिस्टिक लागत सहित कई कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उद्योग की स्थिरता गैर-प्रतिस्पर्धी ऊर्जा लागत एवं गैर-ऊर्जा क्षेत्र को आवंटित कोयले की गंभीर कमी से भी प्रभावित होती है। शुल्कों को युक्तिसंगत बनाना, महत्वपूर्ण इनपुट पर उल्टे शुल्क ढांचे में सुधार आदि जैसे सुधारात्मक उपायों से उद्योग की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होने के साथ-साथ नए निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। भारत के पास देश की लगभग 4 मिलियन मेट्रिक टन की एल्यूमीनियम मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त घरेलू क्षमता है। भारतीय प्राथमिक एल्यूमिनियम उद्योग आगे विस्तार करने एवं देश की आर्थिक वृद्धि, विकास एवं धन सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए अच्छी तरह से संसाधनित है।

भारत में एल्यूमिनियम की खपत के साथ-साथ प्राथमिक उत्पादकों द्वारा एल्यूमिनियम उत्पादन, घरेलू बिक्री एवं निर्यात की एक तस्वीर यहां तालिका में दी गई है:

विवरण	2022-23	2021-22	परिवर्तन (%)
एल्यूमिनियम उत्पादन ('000 मेट्रिक टन)	4,097.55*	4,032.60*	1.61
एल्यूमिनियम की घरेलू बिक्री ('000 मेट्रिक टन)	1,898.50	1,568.00	21.08
एल्यूमिनियम निर्यात बिक्री ('000 मेट्रिक टन)	2,198.85*	2,465.00*	-10.80
एल्यूमिनियम आयात ('000 मेट्रिक टन)	2,549.70	2,334.40	9.22
कुल एल्यूमीनियम खपत ('000 मेट्रिक टन)	4,448.20	3,902.40	13.99

* एक प्राथमिक एल्यूमिनियम उत्पादक द्वारा प्रतिवेदित संशोधित आंकड़ों के अनुसार।

स्रोत: (क) नालको का प्रदर्शन आंकड़े, प्राथमिक उत्पादकों के आंकड़े।

(ख) सीआरयू एल्यूमिनियम मॉनिटर।

(ग) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, निर्यात आयात डेटा बैंक।

6.0 जोखिम प्रबंधन:

आपकी कंपनी के पास एक जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश शामिल हैं। जोखिम प्रबंधन सामान्य व्यावसायिक अभ्यास के एक भाग के रूप में एवं निर्धारित समय पर अलग-अलग कार्यों के रूप में किया जाता है। कंपनी के पास बोर्ड स्तर पर एक जोखिम प्रबंधन समिति है। समिति समय-समय पर असाधारण जोखिम रिपोर्टों की समीक्षा करती है एवं उपचारात्मक उपायों की सलाह देती है। जोखिम शमन उपायों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यकारी प्रबंधन उचित रूप से परिभाषित ढांचे के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित करता है। शमन योजनाओं के साथ-साथ नए जोखिम क्षेत्रों की पहचान करने के लिए समय-समय पर समीक्षा की जाती है। पहचाने गए जोखिमों के लिए, नामांकित जोखिम अधिकारी निर्धारित प्रारूप में जोखिम रजिस्टर बनाए रखते हैं जिनका कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर भी अवलोकन किया जाता है। किसी प्रकार के विचलन जोखिम प्रबंधन समिति को सूचित किया जाता है।

7.0 आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ एवं उनकी पर्याप्तता:

आपकी कंपनी के पास उसके व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण की एक सुस्थापित एवं पर्याप्त प्रणाली है। आपकी कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को निम्नलिखित प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है:

(क) लागू क़ानूनों, नीतियों एवं प्रक्रियाओं, नियमों एवं विनियमों तथा प्रत्यायोजित प्राधिकार का अनुपालन।

(ख) लागू भारतीय लेखा मानकों एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का पालन।

(ग) लेनदेन की उचित रिकॉर्डिंग एवं समय पर रिपोर्टिंग।

(घ) संसाधनों का प्रभावी उपयोग एवं कुशल संचालन।

(ङ) संपत्ति की सुरक्षा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5)(ङ) के अनुसार, निदेशकों की यह सुनिश्चित करने की समग्र जिम्मेदारी है कि कंपनी ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली एवं रूपरेखा लागू की है, जो पर्याप्त है एवं प्रभावी ढंग से काम कर रही है।

आपकी कंपनी के पास व्यवसाय संचालन एवं रिपोर्टिंग के विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से तैयार की गई नीतियां, प्रक्रियाएं एवं दिशानिर्देश हैं। इसमें कंपनी द्वारा समय-समय पर तैयार की गई शक्तियों का प्रत्यायोजन, विभिन्न मैनुअल, नियम, नीतियां एवं दिशानिर्देश शामिल हैं। कंपनी के व्यवसाय को निष्पादित करते समय अनुमोदित नीतियों, प्रक्रियाओं एवं दिशानिर्देशों का प्रभावी ढंग से एवं जिम्मेदारी से उपयोग किया जा रहा है। कंपनी ने लेखापरीक्षा समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित एक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ढांचा विकसित एवं कार्यान्वित किया है जिसमें आंतरिक रूप से इकाई स्तर की नीतियां/प्रक्रियाएं एवं परिचालन स्तर की मानक संचालन प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य कंपनी के मामलों से निपटने वाले अधिकारियों के बीच जागरूकता लाना है ताकि इसका पालन सुनिश्चित किया जा सके। प्रभावी नियंत्रण के लिए नीतियां, प्रक्रियाएं, दिशानिर्देश तैयार किए गए एवं लागू किए गए। यह निदेशकों को प्रतिवेदन, परिचालन एवं अनुपालन जोखिमों से संबंधित नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करता है।

वित्तीय विवरण लागू भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तथा लेखा परीक्षा समिति एवं बोर्ड द्वारा अनुमोदित महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के आधार पर तैयार किए जाते हैं। इन नीतियों का पूरी कंपनी में समान रूप से पालन किया जाता है। मानक संचालन प्रक्रियाओं द्वारा समर्थित लेखांकन नीतियों की समय-समय पर समीक्षा एवं अद्यतन की जाती है। आपकी कंपनी ईआरपी सिस्टम का उपयोग व्यवसाय को सक्षम बनाने एवं अपने खाते की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए भी करती है। ईआरपी सिस्टम में निर्मित मानक संचालन प्रक्रियाएं एवं लेनदेन संबंधी नियंत्रण उचित रिकॉर्डिंग, अनुमोदन तंत्र एवं रिकॉर्ड के रखरखाव को सुनिश्चित करते हैं। प्रबंधन द्वारा समय-समय पर सिस्टम, मानक संचालन प्रक्रियाओं एवं नियंत्रणों की समीक्षा की जाती है।

आपकी कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए अपने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ढांचे में वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाले सभी प्रासंगिक क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक विस्तृत चेकलिस्ट शामिल की है।

आपकी कंपनी ने सभी स्थानों एवं प्रकार्यात्मक क्षेत्रों में ऑडिट करने के लिए अपना आंतरिक ऑडिट कार्य बाहरी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों को सौंपा है। आंतरिक लेखा परीक्षकों के पास संगठन की सभी सूचनाओं तक पहुंच होती है, जो पूरे संगठन में ईआरपी एवं ई-ऑफिस के कार्यान्वयन से काफी हद तक सुगम हो गई है। लेखा परीक्षा

से उत्पन्न आंतरिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों की उचित स्तर पर समय-समय पर समीक्षा की जाती है एवं अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को और मजबूत करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की सामग्री टिप्पणियों को समीक्षा, विश्लेषण एवं सलाह के लिए लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत किया जाता है। उस पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट समय-समय पर लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत की जाती हैं।

वर्ष के दौरान, नियंत्रणों का परीक्षण किया गया एवं डिज़ाइन एवं प्रभावशीलता में कोई रिपोर्ट करने योग्य भौतिक कमजोरी नहीं देखी गई जैसा कि आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया गया था एवं जैसा कि सांविधिक लेखा परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में व्यक्त किया था। आपकी कंपनी मानती है कि आंतरिक नियंत्रण ढांचे की नियमित रूप से समीक्षा एवं संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बदलते कारोबारी माहौल के अनुरूप ऐसी प्रणालियों को निरंतर आधार पर सुदृढ़ किया जाए।

8.0 परिचालन निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा:

8.1 वित्तीय संचालन:

8.1.1. संचालन से राजस्व:

रु. करोड़ में

विवरण वित्तीय	वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22	परिवर्तन %
निर्यात कारोबार	4,216.76	6,364.15	(34)
घरेलू कारोबार	9,954.10	7,694.83	29
टर्नओवर	14,170.86	14,058.98	1
अन्य परिचालन आय	84.00	155.60	(46)
परिचालन से राजस्व	14,254.86	14,214.58	0

टिप्पणी: आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के परिणामस्वरूप, स्क्रैप से उत्पन्न आय को अन्य परिचालन आय में शामिल करने के लिए पुनर्समूहन किया गया है।

औसत बिक्री प्राप्ति में कमी के बावजूद, चालू वर्ष के दौरान बिक्री की मात्रा में वृद्धि के परिणामस्वरूप पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में टर्नओवर रु. 14,058.98 करोड़ रुपये से बढ़कर रु. 14,170.86 करोड़ रुपये हो गया।

विगत वर्ष की तुलना में एल्यूमिना एवं एल्यूमिनियम की औसत बिक्री वसूली क्रमशः आर 31,737 प्रति मी. टन से घटकर आर 30,816 प्रति मी. टन एवं रु. 2,20,405 प्रति मी. टन से घटकर रु 2,19,804 प्रति मी. टन हो गई है। मात्रा के संबंध में, एल्यूमिना एवं एल्यूमिनियम की बिक्री मात्रा में क्रमशः 1.13% एवं 1.57% की मामूली वृद्धि हुई है।

वर्ष के दौरान अन्य परिचालन आय पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में रु. 155.60 करोड़ से घटकर रु. 84.00 करोड़ हो गई है। परिचालन आय में 46% की यह कमी मुख्य रूप से एल्यूमीनियम की निर्यात बिक्री में कमी के कारण कम निर्यात प्रोत्साहन एवं स्क्रैप आय को पहचानने की नीति में बदलाव के कारण स्क्रैप आय में कमी के कारण है।

8.1.2 अन्य आय (गैर-परिचालन):

रु. करोड़ में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22	परिवर्तन %
अन्य आय	235.63	264.09	(11)

टिप्पणी: अन्य गैर-परिचालन आय विगत वर्ष की तुलना में कम है, जिसका मुख्य कारण विगत वर्ष प्राप्त आयकर रिफंड पर ब्याज चालू वर्ष में दोहराया नहीं जाना है। हालांकि बेहतर उत्पादन के कारण निवेश योग्य अधिशेष पर ब्याज आय में वृद्धि हुई है।

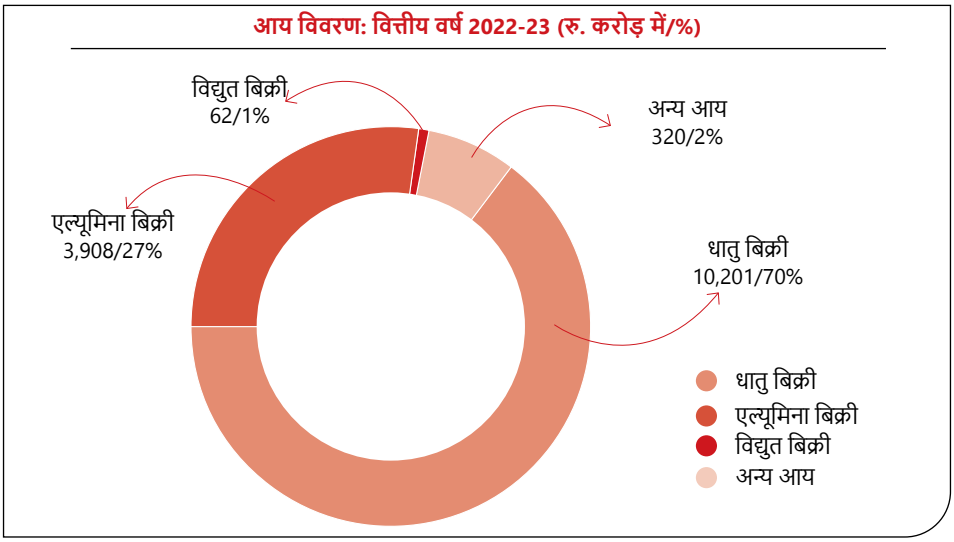

टिप्पणी: अन्य आय में परिचालन आय यानी निर्यात प्रोत्साहन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन पर प्रोत्साहन, स्क्रैप बिक्री एवं गैर-परिचालन आय यानी एफडी, म्यूचुअल फंड एवं अन्य विविध आय में निवेश से आय शामिल है।

8.1.3 व्यय

रु. करोड़ में

विवरण	वि. वर्ष 2022-23	वि. वर्ष 2021-22	कुल परिवर्तन%
कच्चा माल	3,172.12	1,971.13	60.93
बिजली एवं ईंधन	4,693.69	3,388.48	38.52
कर्मचारी लाभ व्य	1,832.06	2,355.80	(22.23)
स्टॉक में वृद्धि/कमी	(16.66)	(116.83)	(85.74)
अन्य व्यय	2,125.57	2,065.50	2.91
वित्त लागत	12.92	23.13	(44.14)
मूल्यह्रास, परिशोधन एवं हानि	715.80	836.59	(14.44)
कुल	12,535.50	10,523.80	19.12

टिप्पणी:

(क) विगत वर्ष की तुलना में कच्चे माल एवं विद्युत व ईंधन व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से सीपी कोक, सीटी पिच, कास्टिक सोडा, कोयला एवं ईंधन तेल की कीमत में वृद्धि के कारण है।

(ख) कर्मचारी लाभ व्यय में रु. 523.74 करोड़ की कमी मुख्य रूप से लाभ से जुड़े प्रदर्शन संबंधी वेतन के लिए कम प्रावधान एवं बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ दायित्व में कमी के कारण है।

(ग) अन्य व्यय में विगत वर्ष की तुलना में 2.91% की वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण रखरखाव, एचएसडी एवं अन्य उपभोग्य सामग्रियों की कीमत पर व्यय में वृद्धि है।

(घ) संपत्ति के पूंजीकरण के कारण चालू वर्ष के दौरान मूल्यह्रास पर व्यय अधिक है। हालाँकि, चालू वित्तीय वर्ष में डब्ल्यूपीपी पर हानि प्रावधान में कमी के परिणामस्वरूप मूल्यह्रास, परिशोधन एवं हानि के कारण व्यय में समग्र कमी आई है।

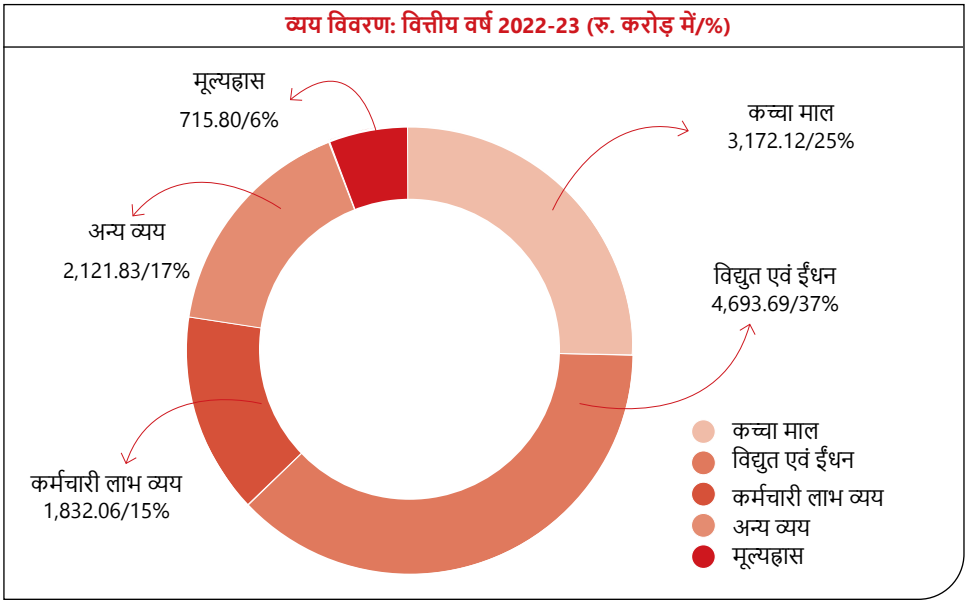

टिप्पणी: अन्य व्यय में मरम्मत एवं रखरखाव, स्टोर एवं स्पेयर की खपत, अन्य विनिर्माण व्यय, सामान्य प्रशासनिक व्यय, स्टॉक में वृद्धि एवं कमी, वित्त लागत तथा एस एंड डी व्यय शामिल हैं।

8.1.4 कर पश्चात लाभ एवं प्रति शेयर आय:

रु. करोड़ में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
कर पूर्व लाभ	1,954.99	3,954.87
कर व्यय	410.50	1,002.90
कर पश्चात लाभ	1,544.49	2,951.97
प्रति शेयर आय (₹5/- प्रत्येक)	8.41	16.07

8.1.5 लाभांश विवरण:

रु. करोड़ में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
अंतरिम लाभांश (%)	70%	100%
अंतिम लाभांश (%) (विगत वित्तीय वर्ष)	30%	20%
कुल (%)	100%	120%
लाभांश रु. /शेयर में	5.00	6.00

8.2 वित्तीय स्थितियाँ:

रु. करोड़ में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22	परिवर्तन %
परिसंपत्तियां			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	6,916.39	7,001.94	(1)
पूंजीगत कार्य प्रगति	2,744.95	1,763.42	56
अमूर्त	386.44	341.27	13
विकासाधीन अमूर्त संपत्ति	523.97	471.40	11
निवेश	470.83	377.26	25
माल-सूची	1,840.22	1,645.60	12
व्यापार प्राप्य	91.33	75.25	21
नकद एवं बैंक	2,117.50	3,706.07	(43)
ऋण	111.37	115.93	(4)
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	71.13	56.87	25
आयकर परिसंपत्तियां	662.98	375.95	76
अन्य परिसंपत्तियां	1,801.58	1,557.87	16
कुल	**17,738.69**	**17,488.83**	**-**
इक्विटी एवं देयताएं			
इक्विटी शेयर पूंजी	918.32	918.32	-
आरक्षित एवं अधिशेष	12,320.13	11,636.32	6
आस्थगित कर देयताएं	957.77	868.18	10
व्यापार देय	1,274.32	1,480.71	(14)
उधार	47.75	20.67	131
लीज देनदारियां	56.86	56.43	1
अन्य वित्तीय देयताएं	800.41	588.92	36
प्रावधान	247.72	387.93	(36)
आयकर देयताएं	32.07	211.04	(85)
अन्य देयताएं	1,083.34	1,320.31	(18)
कुल	17,738.69	17,488.83	-

टिप्पणियाँ:

(क) महाराष्ट्र एवं राजस्थान में डब्ल्यूपीपी की क्षति के कारण संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की वहन राशि में रु. 1,03.82 करोड़ की कमी आई है। हालाँकि, वर्ष के दौरान सीपीपी में प्रद्रावक में पॉटलाइन एवं टर्बाइन, उत्कल-ई कोयला ब्लॉक की लीजहोल्ड भूमि आदि के उन्नयन के कारण संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में वृद्धि

हुई है। इसके अलावा, परिशोधक में आगामी 5 वीं स्ट्रीम एवं पोट्टांगी में बॉक्साइट खदानों के लिए पूर्व-परियोजना व्यय के कारण प्रगति पर चल रहे पूंजीगत कार्य में वृद्धि हुई है।

(ख) उत्कल-ई कोयला के लिए कोयला खदान प्रभाग में पूंजीकरण के कारण अमूर्त परिसंपत्ति की वहन राशि में वृद्धि हुई है।

(ग) पोट्टांगी बॉक्साइट खदानों के लिए एनपीवी एवं प्रतिपूरक वनीकरण के भुगतान के कारण विकास के तहत अमूर्त संपत्ति में वृद्धि हुई।

(घ) संयुक्त उद्यम मे. खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड में निवेश में वृद्धि के कारण निवेश में ₹ 12 करोड़ एवं म्यूचुअल फंड में ₹ 69.57 करोड़ से वृद्धि हुई है।

(ङ) पवन ऊर्जा की प्रति यूनिट दर में संशोधन के लिए एपीएसपीडीसीएल पर लगाए गए पूरक बिलों के कारण व्यापार प्राप्य में वृद्धि हुई, जो वसूली के लिए लंबित थी।

(च) जारी विस्तार के लिए भुगतान में वृद्धि एवं कच्चे माल एवं ईंधन जैसे इनपुट कीमतों में वृद्धि के कारण कार्यशील पूंजी के मुकाबले बहिर्वाह में वृद्धि के कारण नकदी एवं बैंक शेष में कमी आई है। प्रतिवेदन तारीख को नकदी एवं बैंक शेष में अल्पकालिक निवेश के रूप में बैंक में जमा राशि एवं विवादित बिजली शुल्क के लिए पहले जमा की गई राशि पर ब्याज शामिल है।

(छ) कच्चे माल एवं तैयार माल की सूची में वृद्धि के कारण माल-सूची में वृद्धि हुई है।

(ज) सुरक्षा जमा एवं खदान बंद करने की जमा राशि में वृद्धि के कारण अन्य वित्तीय संपत्ति में वृद्धि हुई है।

(झ) आयकर एवं भुगतान किए गए अग्रिम कर से प्राप्त दावे में वृद्धि के कारण आयकर संपत्ति में वृद्धि हुई है।

(ञ) पूंजीगत अग्रिम एवं सरकार प्राधिकरण में जमा में वृद्धि के कारण अन्य परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई है।

(ट) वर्ष के दौरान उत्पन्न लाभ के कारण आरक्षित एवं अधिशेष में वृद्धि हुई है।

(ठ) कर्मचारियों को देय पीआरपी के कम प्रावधान के कारण व्यापार देय में कमी आई है।

(ड) उधार में वृद्धि 31.03.2023 को छूट वाले बिलों के कारण है।

(ढ) वर्ष के दौरान अन्य वित्तीय देयताओं में वृद्धि मुख्य रूप से पूंजीगत खरीद के प्रति देयताओं में वृद्धि के कारण है।

9.0 मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध में भौतिक विकास, जिसमें नियोजित लोगों की संख्या शामिल है:

9.1 मानव संसाधन:

(क) आपकी कंपनी निरंतर सुधार एवं विकास की प्रकिया में है। इसने अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है एवं हाल ही में, कोविड समय के दौरान यह और भी तेज रही। कर्मचारियों एवं अन्य हितधारकों के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कार्रवाई एवं उठाए गए कदमों से, आपकी कंपनी मील के पत्थर एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन हासिल कर सकती है।

(ख) हाल ही में, कोविड महामारी ने हमें सीमाओं से परे सोचने एवं 'न्यू नॉर्मल' के रूप में नए बदलाव लाने की सीख दी। कोविड की स्थिति पर काबू पाते हुए, आपकी कंपनी ने फिर से खुद को और अधिक उत्साह के साथ पटरी पर ला दिया है तथा पाइपलाइन भर्तियों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

(ग) बदलते हुए समय एवं आवश्यकताओं के साथ तालमेल बिठाते हुए, बड़ी संख्या में मौजूदा मानव संसाधन नीतियों एवं प्रक्रियाओं पर भी संशोधन के लिए दोबारा विचार किया जा रहा है तथा नई नीतियों ने सिस्टम में अपना रास्ता बना लिया है। कंपनी की व्यावसायिक संस्कृति के प्रचार एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई और बदलावों की परिकल्पना की गई है। आपकी कंपनी बढ़ती श्रम लागत को कम करने के लक्ष्य के साथ अनुभवी जनशक्ति को बनाए रखने, ज्ञान एवं विशेषज्ञता के हस्तांतरण में सहायता के साथ-साथ अवधि आधारित नियुक्तियों के माध्यम से प्रतिभा अधिग्रहण एवं क्षमता निर्माण के रास्ते तलाश रही है।

(घ) दिनांक 31.03.2023 को कंपनी की जनशक्ति 5,190 थी, जबकि विगत वर्ष के अंतिम दिन यह 5,520 थी। विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	स्थिति*	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
क	कार्यकारी	1,588	1,667
ख	पर्यवेक्षी	332	371
ग	कुशल/उच्च कुशल	3,150	3,004
घ	अकुशल/अर्धकुशल	120	478
	कुल	**5,190**	**5,520**

* जीईटी/एमटी/एसओटी/जेओटी/टीओटी शामिल हैं।

9.2 प्रशिक्षण एवं विकास:

अपने कर्मचारियों की प्रकार्यात्मक एवं व्यवहारिक योग्यता को बढ़ाने तथा उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ संगठन में व्यावसायिक संस्कृति में सुधार करने के लिए व्यक्तिगत आवश्यकता को संगठन के व्यावसायिक उद्देश्य के साथ संरेखित करने के लिए, आपकी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को कौशल एवं व्यवहार संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने में अथक प्रयास किया गया है। निगम सामाजिक जवाबदेही एवं अच्छे निगम प्रशासन के लिए अपनी प्रतिबद्धता में, कंपनी अनुबंध श्रमिकों, प्रशिक्षुओं, प्रबंधकीय एवं तकनीकी संस्थानों के विद्यार्थियों के साथ-साथ स्थानीय आबादी को कौशल विकास प्रशिक्षण भी प्रदान करती है।

नियमित कर्मचारियों के संबंध में, 15,857 प्रशिक्षण मानव दिवस के साथ 5,129 कर्मचारियों को (31 मार्च, 2023 तक) प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा, 404 अधिकारियों को एमडीआई (गुड़गांव), एनएचआरडी, आईएनसी-डब्ल्यूएमसी नई दिल्ली, आईआईटी-खड़गपुर, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स (आईओडी) हैदराबाद,

एमजीएमआई, कोलकाता, सी-डैक पुणे, सीआईआई, आईएफटीडीओ, आईआईसीए, एसपी जैन स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट, मुंबई, स्कोप, एनपीसी, डीपीई, एनएसई, आईसीडब्ल्यू ग्रुप, आईसीसी, आईआईएमएम, पीआरडीए, आईएमआई, आईएसटीडी, एनएफएसयू, आईआरआईएलएम, आईआईएम, बैंगलोर, मेटलोजिक प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट, परिवर्तन राजभाषा अकादमी, नई दिल्ली, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ होम अफेयर्स, भारत सरकार। 2022-23 के दौरान प्रबंधन विकास कार्यक्रम पर भारत सरकार, नई दिल्ली, सीवीसी आदि से वर्चुअल एवं बाहरी प्रशिक्षण दिया गया। पूरी कंपनी में 2022-23 के दौरान 6,452 व्यक्तियों के साथ सुरक्षा कर्मियों, अनुबंध श्रमिकों एवं प्रशिक्षुओं के लिए इन-हाउस कौशल विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

वर्ष 2022-23 के दौरान (31 मार्च, 2023 तक) , कंपनी में 1,394 प्रशिक्षु नियुक्त थे, जो कंपनी के कर्मचारियों का 26.86% है (यानी 31 मार्च, 2023 को कर्मचारियों की संख्या 5,190 है) तथा यह विभिन्न ठेकेदारों द्वारा लगाए गए श्रमिकों के साथ कुल कर्मचारियों का 8.20% है (यानी 31 मार्च, 2023 को कर्मचारियों की संख्या 5,190 है) तथा जनवरी, 2023 के महीने में विभिन्न ठेकेदारों के माध्यम से 11,801 अनुबंध श्रमिकों को नियुक्त किया गया (राजपत्र अधिसूचना दिनांक 25 सितंबर, 2019, अनुच्छेद 4 (ii) के अनुसार, प्रशिक्षु उद्धरण की नियुक्ति के संबंध में "एक वित्तीय वर्ष के भीतर, प्रत्येक प्रतिष्ठान स्थापना की कुल जनशक्ति के 2.5 से 15% के बैंड में संविदा कर्मचारी सहित प्रशिक्षुओं को नियुक्त करेगा, उद्त नहीं किया गया)। कंपनी ने कोविड महामारी परिदृश्य के बावजूद विभिन्न विषयों में आईटीआई, डिप्लोमा एवं स्नातक तकनीकी डिग्री में अधिनियम में निर्धारित सीमा से अधिक प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया है।

निगम जिम्मेदारी एवं उद्योग शैक्षणिक इंटरफ़ेस के एक भाग के रूप में, देश भर के विभिन्न तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थानों के 202 छात्रों ने निगम कार्यालय में विभिन्न प्रकार्यात्मक विषयों में ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लिया था।

10.0 प्रमुख वित्तीय अनुपात में महत्वपूर्ण परिवर्तन:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
पीएटी/शुद्ध संपत्ति	11.67%	23.51%
ईबीआईटी/शुद्ध बिक्री	13.89%	28.30%
ईबीआईटी/ नियोजित पूंजी*	20.26%	37.84%

* नियोजित पूंजी = शुद्ध अचल संपत्ति (सीडब्ल्यूआईपी को छोड़कर) + कार्यशील पूंजी

11.0 शुद्ध संपत्ति पर रिटर्न में बदलाव:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22	परिवर्तन %
परिचालन लाभ उपांत	17.28	32.37	(46.62)
शुद्ध संपत्ति पर रिटर्न	11.67	23.51	(50.36)

टिप्पणी: परिचालन लाभ मार्जिन में कमी इनपुट कीमतों में वृद्धि के कारण उत्पादन की उच्च लागत के कारण है। इससे शुद्ध संपत्ति पर कम रिटर्न पर भी असर पड़ा है।

12.0 सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण:

आपकी कंपनी, जो कि एक नवरत्न केंद्रीय पीएसयू है, प्रदूषण की रोकथाम तथा पर्यावरण की सुरक्षा, कर्मचारियों एवं श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। कंपनी अपनी सभी गतिविधियों के क्षेत्र में उपचारात्मक रणनीतियों के बजाय निवारक रणनीतियों को अपनाती है।

कंपनी द्वारा औद्योगिक गतिविधियों के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए 4 आर सिद्धांतों (रिड्यूस, रियूज, रीसायकल एवं रीडिज़ाइन) पर जोर दिया गया है। कंपनी में कर्मचारियों की भलाई के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने, स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी को प्राथमिकता दी जाती है।

सभी उत्पादन इकाइयाँ पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ:14001), व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ:45001) पर अंतरराष्ट्रीय मानकों के लिए प्रमाणित हैं, जो स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण के क्षेत्र में निरंतर सुधार के साथ सक्रिय रूप से अनुपालन करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती हैं।

इसके साथ ही, इसकी सभी परिचालन इकाइयों में स्वच्छ एवं हरा-भरा वातावरण बनाने के लिए, संयंत्र में एवं उसके आसपास हाउसकीपिंग में सुधार के लिए 5 एस सिद्धांत को अपनाया गया है।

उत्पादन इकाइयों में टाउनशिप सहित इसकी सभी उत्पादन इकाइयाँ वायु एवं जल अधिनियम के तहत वैध "संचालन की सहमति", विभिन्न लागू कानूनों (खतरनाक अपशिष्ट प्राधिकरण, बायोमेडिकल अपशिष्ट प्राधिकरण आदि) के तहत वैध प्राधिकरण, विभिन्न लागू कानूनों (फैक्टरी लाइसेंस, विस्फोटक लाइसेंस आदि) एवं वैध एनओसी आदि के तहत वैध लाइसेंस के साथ काम कर रही हैं।

प्राकृतिक स्रोतों से पानी के सेवन को कम करने के लिए, सभी अपशिष्ट जल को उपचार संयंत्र में उपचारित किया जाता है एवं संयंत्र में पुन: उपयोग के लिए पुनर्चक्रित किया जाता है। इस प्रकार आपकी कंपनी की सभी उत्पादन इकाइयों में शून्य डिस्चार्ज लागू कर दिया गया है।

आपकी कंपनी की सभी उत्पादन इकाइयों में वर्षा जल संचयन प्रणाली [वर्षा जल संचयन तालाब एवं छत पर वर्षा जल संचयन प्रणाली) परिचालित है।

आपकी कंपनी की सभी उत्पादन इकाइयों के आसपास बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया है। शुरुआत से अब तक लगभग 105 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। [सीपीपी - 12.22 लाख, प्रद्रावक - 17.65 लाख, परिशोधक - 36.14 लाख एवं बॉक्साइट खदानें - 39.4 लाख]।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कर्मचारियों, कामगारों, आपूर्तिकर्ताओं आदि के बीच सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सभी कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करते हुए आपकी कंपनी ने "रासायनिक आपदा निवारण दिवस", "सड़क सुरक्षा सप्ताह/माह", "राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह", "विश्व पर्यावरण दिवस", "राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस", "पृथ्वी दिवस", "ओजोन दिवस", "विद्युत सुरक्षा सप्ताह", "वनमहोत्सव", ओडिशा आपदा तैयारी दिवस, अग्निशमन सेवा सप्ताह आदि मनाया।

खदानों में ओबी एवं ऊपरी मिट्टी का उपयोग करके समवर्ती खनन एवं भूमि सुधार एक साथ किया जा रहा है एवं उसके बाद बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। इससे ओबी के भंडारण से बचा जा सकता है।

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी की सभी उत्पादन इकाइयों में सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में किए गए इकाई विशिष्ट प्रमुख सुधारों का विवरण नीचे दिया गया है:

12.1 बॉक्साइट खदानें:

12.1.1 सुरक्षा एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य:

(क) प्रत्येक विभाग में मासिक आधार पर सुरक्षा सभा/सुरक्षा व्याख्यान आयोजित किया जा रहा है। ऑनलाइन असुरक्षित स्थितियों, असुरक्षित कृत्यों, निकट से-चूक, आग के खतरों आदि की रिपोर्टिंग के लिए नालको सुरक्षा मोबाइल ऐप को सफलतापूर्वक कारयान्वित किया गया है। आगंतुकों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण कियोस्क स्थापित किया गया है।

(ख) डंप ट्रक सिम्युलेटर को एचईएमएम ऑपरेटरों के लिए बुनियादी सुरक्षा प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण के लिए स्थापित किया गया है। खानों के अधिकारियों के लिए बाहरी एजेंसी द्वारा व्यवहार आधारित सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है।

(ग) सुरक्षा मामलों के प्रबंधन के लिए एक नालको सुरक्षा चक्र, एक क्रॉस फंक्शनल टीम का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान त्रैमासिक मॉक ड्रिल एवं आंतरिक सुरक्षा ऑडिट सफलतापूर्वक पूरा किया गया है।

(घ) कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करते हुए 487 कर्मचारियों एवं 354 संविदा कर्मचारियों के लिए नियमित पीएमई आयोजित किया गया था।

12.1.2 पर्यावरण:

(क) खदानों एवं उसके आसपास 1,10,000 के लक्ष्य के मुकाबले 1,10,773 पेड़ लगाए गए।

(ख) इसके अलावा, ग्रामीणों के बीच वृक्षारोपण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थानीय ग्रामीणों को 5,000 फलदार पौधे वितरित किए गए।

(ग) लक्ष्य के अनुरूप खदानों के भीतर 7,000 वर्ग मीटर घास-टर्फिंग का कार्य किया गया। बेल्ट से शोर के प्रसार को कम करने के लिए ग्राम कारीदीगुडा के पास 4,000 अदद बांस वृक्षारोपण किया गया है।

(घ) परिदृश्य को बेहतर बनाने के लिए खानों में एक रॉक गार्डन विकसित किया गया है। प्रायोगिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए एक कॉफ़ी गार्डन विकसित किया गया था।

(ङ) भंडार के पास धूल को दबाने के लिए 2 अदद फॉग कैनन की खरीद की गई है। परिवहन सड़कों से उत्पन्न धूल को दबाने के लिए साउथ ब्लॉक एवं सेंट्रल ब्लॉक में 3.8 किमी लंबाई के स्थिर स्वचालित स्प्रिंकलर स्थापित किए गए हैं।

(च) मेसर्स जियोएनविटेक सर्विसेज प्रा. लिमिटेड, भुवनेश्वर द्वारा किए गए अध्ययन में खदानों को जल सकारात्मक खदान के रूप में स्थापित किया गया है।

(छ) 119 कर्मचारियों को ईएमएस जागरूकता प्रशिक्षण दिया गया है।

(ज) स्वच्छता पखवाड़ा 16-30 नवंबर, 2022 के दौरान मनाया गया है।

12.1.3 पुरस्कार एवं सम्मान:

(क) पंचपतमाली सेंट्रल एवं नॉर्थ ब्लॉक बॉक्साइट खदान को वर्ष के दौरान भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम), भारत सरकार से वर्ष 2021-22 के लिए सस्टेनेबल खनन के लिए प्रतिष्ठित 5-स्टार रेटिंग पुरस्कार मिला।

(ख) पंचपतमाली बॉक्साइट खानों को 2022-23 में ओएमएमएसडब्ल्यूसी द्वारा सर्वश्रेष्ठ सिलिकोसिस जागरूकता में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

(ग) पंचपतमाली बॉक्साइट खानों को नवंबर, 2022 में आईक्यूईएमएस द्वारा आयोजित प्रदर्शन वर्ष-2021-22 के लिए ओडिशा राज्य सुरक्षा सम्मेलन में कलिंगा सुरक्षा पुरस्कार (प्लैटिनम) से सम्मानित किया गया था।

(घ) पंचपतमाली बॉक्साइट खानों को वर्ष के दौरान इंडियन माइनिंग एंड इंजीनियरिंग जर्नल के डायमंड जुबली समारोह में माइनिंग इनोवेशन अवार्ड 2021 श्रेणी के तहत सतही खनन द्वारा बॉक्साइट के सतत खनन के लिए इनोवेशन अवार्ड प्राप्त हुआ।

(ङ) पंचपटमाली बॉक्साइट खानों को वर्ष के दौरान कलिंगा फाउंडेशन से कलिंगा पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार 2021-22 प्राप्त हुआ।

(च) आईबीएम, भुवनेश्वर के तत्वावधान में आयोजित 24 वें एमई एंड एमसी सप्ताह 2022-23 समारोह में पंचपतमाली साउथ ब्लॉक बॉक्साइट खदान को पुनर्ग्रहण एवं पुनर्वास श्रेणी में प्रथम पुरस्कार तथा पब्लिसिटी एवं प्रौपैगैंडा श्रेणी में तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ। पंचपतमाली सेंट्रल एवं नॉर्थ ब्लॉक बॉक्साइट खानों को रिक्लैमेशन एवं रिहैबिलिटेशन श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।

12.2 एल्यूमिना परिशोधक:

12.2.1 सुरक्षा एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य:

(क) आपकी कंपनी की एल्यूमिना परिशोधक ने फैक्ट्री एवं बॉयलर निदेशालय, ओडिशा सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार पहले ही 10 सूत्री कार्रवाइयों (वार्षिक सुरक्षा कैलेंडर, एएआइएनएए: दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उद्योगों में अग्रिम कार्रवाई, सुरक्षा मित्र, सुरक्षा मोबाइल ऐप, सुरक्षा सभा, सुरक्षा स्पर्श, सुरक्षा हॉट स्पॉट, प्रौद्योगिकी का उपयोग, ठेकेदारों द्वारा सुरक्षा अनुपालन, मॉक ड्रिल) के कार्यान्वयन के लिए पहल की है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2022-23 में हर महीने टाउनशिप सिविल एंड इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस कार्यालय, अस्पताल आदि सहित एल्यूमिना परिशोधक के सभी कार्यस्थलों (24 स्थानों) पर एक साथ जागरूकता सहित सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम किया गया था।

(ग) असुरक्षित कार्य एवं असुरक्षित स्थितियों की पहचान के लिए सुरक्षा चक्र सदस्यों द्वारा विभिन्न शेड्यूल पर पौधों की सुरक्षा अवलोकन भी किए गए थे।

(घ) दुर्घटनाओं की रोकथाम के संबंध में असुरक्षित व्यवहार/असुरक्षित स्थितियों को पकड़ने के लिए संवेदनशील कार्यस्थलों में सीसीटीवी लगाने की प्रक्रिया चल ही है, इसके अलावा संयंत्र के अंदर असुरक्षित वाहन की आवाजाही को पकड़ने के लिए एएनपीआर कैमरे की स्थापना सहित संयंत्र के सभी गेटों, सभी वॉच टावरों, सेंट्रल

स्टोर एवं अंदर कुछ कार्यस्थलों के पास पहले से ही सीसीटीवी लगाए गए हैं।

(ङ) भारी वाहनों सहित वाहनों की असुरक्षित ड्राइविंग की जांच के लिए सीआईएसएफ कर्मियों की मदद से समय-समय पर सड़क सुरक्षा जांच की गई।

(च) कंपनी में ठेकेदार श्रमिकों को सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण दिया गया था। कुल 1,860 अदद ठेकेदार श्रमिकों ने सीएलएमएस (वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए) के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, 121 कर्मचारियों ने कक्षा सुरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त किया है। एल्यूमिना परिशोधक में शून्य रिपोर्ट योग्य दुर्घटना प्राप्त करने के लिए सुरक्षा सभा में 4,673 श्रमिकों को जागरूक किया गया है।

(छ) कंपनी 02 (दो) अदद वैधानिक मॉक ड्रिल आयोजित की गई।

(ज) फैक्ट्री लाइसेंस को दिसंबर, 2032 तक वैध 10 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया है।

(झ) सड़क सुरक्षा सर्वेक्षण की पहल की गई। वर्टिगो टेस्ट स्ट्रक्चर (ऊंचाई कार्य के लिए) बनाने की मंजूरी मिल गई है।

12.2.2 पर्यावरण:

(क) एल्यूमिना परिशोधक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वैधानिक प्राधिकरण द्वारा दिए गए 100% उपयोग लक्ष्य के मुकाबले 100.63% फ्लाई ऐश उपयोग हासिल किया है।

(ख) एल्यूमिना परिशोधक ने 15,000 के लक्ष्य के मुकाबले 16,006 पेड़ लगाए हैं।

(ग) जिला कलेक्टर, कोरापुट द्वारा एल्यूमिना परिशोधक के पक्ष में नेप्था के भंडारण एवं उपयोग के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण जारी किया गया है, जिस लाइसेंस वैधता 31.12.2024 तक है। एल्यूमिना परिशोधक के लिए दूसरे रेड मड पॉन्ड (सीटीई में एक शर्त) के प्रस्तावित निर्माण क्षेत्र से गुजरने वाले दो अदद जल मार्गों की री-रूटिंग के लिए के लिए डीओडब्ल्यूआर से एनओसी प्राप्त हुई।

(घ) ई-कचड़े को ई-कचरा प्रबंधन एवं संचालन नियम के अनुसार अधिकृत संग्रह केंद्र/पुनर्चक्रणकर्ता के पास भेज दिया गया है। खतरनाक अपशिष्टों (फेंक दिए गए एस्बेस्टस एवं प्रयुक्त तेल) को अधिकृत एजेंसी के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। प्लास्टिक कचड़े (प्रयुक्त फिल्टर क्लॉथ) का निपटान अधिकृत सह-प्रसंस्करण सीमेंट संयंत्र के माध्यम से किया जाता है। खाली रासायनिक कंटेनरों/बैरलों का निपटान अधिकृत रिसाइक्लर के माध्यम से किया जा रहा है।

(ङ) उच्च सांद्रता वाली मिट्टी के निपटान के लिए, रेड मड पॉन्ड -2 का काम सौंपा गया है एवं प्रगति पर है, जो समय पर पूरा हो जाएगा।

(च) बॉयलर #2, बॉयलर #4 एवं बॉयलर #3 ईएसपी के पास-ए के लिए रेट्रोफिटिंग का काम पूरा हो चुका है।

12.2.3 पुरस्कार एवं सम्मान:

(क) पर्यावरण उत्कृष्टता के लिए एपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड, 2021।

(ख) वर्ष 2021 के लिए कलिंगा एन्वायरोन्मेंट एक्सलेंस अवार्ड।

(ग) पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीनटेक आउटस्टैंडिंग एचीवमेंट अवार्ड 2022।

(घ) प्लेटिनम श्रेणी में 2021 के लिए कलिंग सेफ्टी अवार्ड।

(ङ) 2021 के लिए सीआईआई ईस्टर्न रीजन शी एक्सलेंस अवार्ड।

(च) गोल्ड श्रेणी में 2021 के लिए एपेक्स इंडिया एसएचई अवार्ड।

12.3 प्रद्रावक संयंत्र:

12.3.1 सुरक्षा एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य:

क) वर्ष 2022-23 में कोई रिपोर्ट करने योग्य घटना नहीं घटी। वर्ष में प्राथमिक चिकित्सा की 20 घटनाएं हुईं जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 33% कम है। रिपोर्ट की गई दुर्घटनाओं कुल संख्या 69 थी जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। यह एक अच्छा रुझान है, क्योंकि यह भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोकने में मदद करता है।

ख) नालको सुरक्षा मोबाइल ऐप के माध्यम से 904 अदद सुरक्षा निरीक्षण बिंदु उठाए गए, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 76% अधिक है।

ग) 100% कर्मचारियों एवं अनुबंध श्रमिकों को कवर करते हुए 2,562 कर्मचारियों एवं 2,983 अनुबंध श्रमिकों की पीएमई आयोजित की गई।

घ) 503 अदद का लोड परीक्षण जैसे होइस्ट, लिफ्टिंग मशीन, लिफ्टिंग टैकल, प्रेशर वेसल्स एवं फोर्क लिफ्ट जैसे उपकरणों का काम नियत तारीख से पहले पूरा हो गया था।

ङ) सुरक्षा समिति की बैठकें, सुरक्षा अभियान, सुरक्षा सभा एवं सुरक्षा शपथ ग्रहण मासिक आधार पर नियमित रूप से आयोजित किए गए।

च) प्रद्रावक संयंत्र में सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्य वातावरण के लिए रोड मैप बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। एक विस्तृत कार्य योजना एवं समय-सीमा के साथ समिति की रिपोर्ट बनाई गई एवं नियमित रूप से द्विमासिक समीक्षा की जाती है।

छ) ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य के लिए की गई पहल:

i) एक विशेषज्ञ एजेंसी मे. लाइफगियर द्वारा छत पर स्थायी जीवन रेखा प्रणालियों को ठीक करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण किया गया कुल छत क्षेत्र 4 लाख वर्गमीटर था, जो पूरे संयंत्र को कवर करता है। एजेंसी ने संयंत्र के अंदर सभी छतों पर उचित गिरने से सुरक्षा उपायों के साथ-साथ स्थायी जीवन रेखाएं डिजाइन एवं अनुशंसित की हैं। सिफ़ारिशों का प्रथम चरण का कार्यान्वयन वर्तमान में रोलिंग प्लांट में प्रगति पर है जो लगभग 80% पूरा हो चुका है।

ii) ऊंचाई पर काम करने वाले 282 श्रमिकों का वर्टिगो परीक्षण किया गया।

iii) अत्यधिक ऊंचाई पर सुरक्षित रूप से काम करने के लिए 41 मीटर की बूम लिफ्ट की खरीद का टेंडर हो गया है।

iv) ऊंचाई पर काम के लिए साइट अध्ययन एवं सर्वेक्षण तथा छत के अलावा अन्य क्षेत्रों के लिए उचित गिरावट सुरक्षा उपायों की सिफारिश पूरी हो गई है।

v) असुरक्षित कार्यों एवं अभ्यासों की पहचान करने के उद्देश्य से मोबाइल पर लाइव फुटेज की निगरानी के लिए 'ऊंचाई पर काम' वाले स्थानों पर बैटरी चालित पोर्टेबल कैमरे का उपयोग किया जा रहा है।

vi) ऊंचाई पर काम के दौरान उचित सतर्कता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, ऊंचाई वाले स्थानों पर काम करने वाले लोगों एवं आस-पास के लोगों को सचेत करने के लिए एक चेतावनी बोर्ड प्रदर्शित किया जाता है।

ज) सड़क सुरक्षा पहल:

i) प्रद्रावक संयंत्र की सड़क सुरक्षा ऑडिट कंसल्टंट मे. इनविक्टस स्पॉट इवेंट प्रा. लिमिटेड द्वारा किया गया तथा अंतिम रिपोर्ट दिसंबर, 2022 में प्रस्तुत की गई थी। चरण -1 में एनएच-55 से मुख्य द्वार एवं मुख्य द्वार से कार्बन क्षेत्र तक सड़क सुरक्षा ऑडिट की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है।

ii) 14 नगों स्वचालित नंबर-प्लेट पहचान वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने एवं चालू करने का काम चल रहा है। इससे तेज रफ्तार वाहनों एवं यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने में मदद मिलेगी।

झ) आपातकालीन तैयारी एवं अग्नि सुरक्षा:

i) प्रद्रावक संयंत्र की संशोधित ऑनसाइट आपातकालीन योजना कंसल्टंट मे. सन कंसल्टेंसी द्वारा तैयार किया गया तथा इसे जांच एवं स्वीकृति के लिए फैक्ट्री एवं बॉयलर, ओडिशा के निदेशक को प्रस्तुत किया गया था।

ii) सीआईएसएफ, जिला संकट समूह के सदस्यों एवं वैधानिक अधिकारियों को शामिल करते हुए कार्यक्रम के अनुसार 2 पूर्ण पैमाने पर मॉक ड्रिल आयोजित की गईं। इसके अलावा हर माह 2 फायर मॉक ड्रिल भी आयोजित की गईं।

ञ) एक नई प्रथा के रूप में, मई, 2022 से हर महीने परिचालन एवं अनुरक्षण क्षेत्रों का मासिक सुरक्षा प्रदर्शन मूल्यांकन ऑडिट आयोजित किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप सभी क्षेत्रों के सुरक्षा प्रदर्शन में सुधार हुआ है।

ट) सितंबर, 2022 में फैक्ट्री अधिनियम एवं नियमों तथा आईएस 14,489 अभ्यास संहिता की आवश्यकताओं के अनुसार क्षेत्रीय श्रम संस्थान, कोलकाता द्वारा प्रद्रावक संयंत्र का बाहरी सुरक्षा ऑडिट किया गया था।

ठ) लॉरेंस एवं मेयो, भुवनेश्वर द्वारा 11 मई, 2022 को ओएचएस में नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर के दौरान, 144 भारी वाहन ऑपरेटरों का परीक्षण किया गया था।

ठ) शकुंतला एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड, अनुगुळ में सेफ्टी बडिज कार्यक्रम अक्टूबर, 2022 में आयोजित किया गया था, जिसके दौरान अग्निशमन प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन, सर्वोत्तम सुरक्षा प्रथाओं एवं आपात स्थिति के शमन पर चर्चा की गई, सुरक्षा पत्रक एवं मास्क का वितरण किया गया था।

ड) वर्ष 2022-23 में, 1,262 कर्मचारियों को लेकर 52 सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा 3,393 ठेकेदार श्रमिकों को 265 आधे दिन के प्रेरण सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

ढ) वर्ष 2022-23 में, 1,823 कर्मचारियों एवं ठेकेदार श्रमिकों को लेकर 93 अग्निशमन एवं अग्नि प्रदर्शन आयोजित किए गए।

ण) वर्ष 2022-23 में सभी महत्वपूर्ण दिवसों का आयोजन किया गया।

त) सभी सुरक्षा वस्तुएं बिना किसी सुरक्षा समस्या के समय पर खरीदी गईं, जैसे अग्निशमन उपकरण, रिफिल, कार्टिज, एक्स फोम, सूखा रासायनिक पाउडर, डिलीवरी होसेस, बीए सेट की रिफिलिंग के लिए कंप्रेसर, ट्रैफिक सेफ्टी कोन्स, आईवॉश शावर, कर्मचारियों के लिए पीपीई आदि।

12.3.2 पर्यावरण:

(क) कुल 13,965.910 मेट्रिक टन एसपीएल कार्बन भाग (एचडब्ल्यू) का निपटान तीसरे पक्ष मेसर्स ग्रीन एनर्जी, संबलपुर को उसके ऊर्जा मूल्य के उपयोग के लिए को किया गया। रीसाइक्लिंग के लिए अधिकृत विक्रेताओं को कुल 58,607 मेट्रिक टन कचरा (एचडब्ल्यू) बेचा गया।

(ख) कुल 24 अदद ऑनलाइन फ्यूजिटिव फ्लोराइड मॉनिटरिंग सिस्टम को पॉट लाइन-I, II एवं III में स्थापित किया गया एवं ओएसपीसीबी सर्वर से जोड़ा गया। फ्यूजिटिव उत्सर्जन एवं स्टैक उत्सर्जन की निगरानी के लिए निगरानी कैमरों (3 अदद) की स्थापना एवं उसे चालू करने का काम पूरा हो गया है।

(ग) एल्यूमीनियम उत्पादन क्षमता को 4.6 लाख टीपीए से 4.8 लाख टीपीए तक बढ़ाने के लिए "प्रदूषण भार में कोई वृद्धि नहीं" को 07.01.2023 को ओएसपीसीबी वेब साइट पर ऑनलाइन लागू किया गया है।

(घ) बेक ओवन स्टैक्स (एफटीसी-1 एवं 2) में एसओ2 विश्लेषण की स्थापना एवं उसे चालू करने का काम पूरा हो गया। ईएसए-II एवं दूषित साइट उपचार अध्ययन मे. नीरी, नागपुर सफलतापूर्वक द्वारा किया गया है। सभी टिप्पणियों एवं सुझावों वाली अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

(ङ) कार्बन क्षेत्र के खतरनाक कचड़े के निपटान के लिए ठेका मे. री-सस्टेनेबिलिटी लिमिटेड (पूर्व में रैमकी एनवायरो इंजीनियर्स लिमिटेड) को दिया गया है।

(च) स्टार रेटिंग कार्यक्रम के लिए पीएम-सीईएमएस का पुन: अंशांकन एवं डेटा सत्यापन जून, 2022 एवं फरवरी, 2023 में दस प्रमुख स्टैक (पोट लाइन से जुड़े एफ़टीपी-1 से 8 एवं बेक ओवन से जुड़े एफटीसी-1 से 2) के लिए किया गया) एवं ओएसपीसीबी को प्रस्तुत किया गया।

(छ) पुनर्चक्रणकर्ताओं को ई-नीलामी मार्ग के माध्यम से इंडक्शन फर्नेस स्लैग का निपटान शुरू हुआ।

12.3.3 पुरस्कार एवं सम्मान:

(क) प्रद्रावक संयंत्र को वर्ष 2022 में कलिंगा सेफ्टी एक्सलेंस प्लेटिनम श्रेणी पुरस्कार प्राप्त हुआ।

(ख) प्रद्रावक संयंत्र को सोसाइटी ऑफ पावर एंड एनर्जी प्रोफेशनल्स, नवी मुंबई द्वारा "सेफ्टी एंड एनर्जी कंजर्वेशन ऐज टूल टू केयर पीपल, प्लानेट एंड प्रॉफिट" विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में तकनीकी पेपर एवं केस स्टडी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ ।

12.4 ग्रहीत विद्युत संयंत्र:

12.4.1 व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा:

(क) ओडिशा सरकार द्वारा दिनांक 20.01.2023 को सीपीपी को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी किया गया था जो 02 वर्षों के लिए वैध है।

(ख) ऑन-साइट एमरजेंसी मैनेजमेंट प्लान (ईएमपी) को फैक्ट्री एवं बॉयलर निदेशालय, ओडिशा, भुवनेश्वर द्वारा पत्र संख्या 2274 दिनांक 30.07.2022 के माध्यम से स्वीकार किया गया था।

(ग) आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा 05.07.2022 से 08.07.2022 तक आंतरिक सुरक्षा ऑडिट किया गया।

(घ) मे. जोगी सेफ टेक. प्रा. लिमिटेड द्वारा क्वांटिटेटिव रिस्क ऐसेसमेंट (क्यूआरए) अध्ययन किया गया था। ऊंचाई के काम में लगे ठेकेदार श्रमिकों का वर्टिगो परीक्षण कंपनी के सेफ्टी पार्क में नालको ओएचसी डॉक्टर द्वारा किया गया है। विद्युत सुरक्षा के लिए सीएचपी क्षेत्र में लोटो (लॉक आउट टैग आउट) प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

(ङ) लिफ्टिंग टूल्स, टैकल, लिफ्टों एवं प्रेशर वीहिकल्स का लोड परीक्षण वैधानिक आवश्यकता के अनुसार फैक्ट्री एवं बॉयलर निदेशालय, ओडिशा द्वारा अनुमोदित सक्षम व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है।

(च) सुरक्षा प्रशिक्षण हॉल में ठेकेदार श्रमिकों के लिए ऑडियो-वीडियो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। वर्ष 2022 में, 1,622 ठेकेदार श्रमिकों के लिए 115 सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

(छ) वर्ष 2022 में 948 (97%) कर्मचारियों के लिए पीएमई किया गया था।

(ज) शॉप फ्लोर में असुरक्षित कृत्यों/स्थितियों की निगरानी के लिए संयंत्र निरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार सुरक्षा अधिकारियों द्वारा नियमित सुरक्षा निरीक्षण किया जाता है।

(झ) डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस ग्रुप (डीसीजी), अनुगुळ के समन्वय से 02 पूर्ण पैमाने पर ऑन-साइट मॉक ड्रिल की गई एवं मॉक ड्रिल को जिला प्राधिकरण एवं आसपास के औद्योगिक प्रतिनिधियों द्वारा देखा गया।

(ञ) बॉयलर एवं कंडेनसर ट्यूबों के उच्च जेटिंग सफाई संचालन के दौरान उपयोग के लिए उच्च दबाव हाइड्रो-जेटिंग सूट को कैपेक्स के तहत खरीदा गया एवं उपयोग में लाया गया।

(ट) सर्कुलर रेस्क्यू सॉ जो कि एक बचाव वस्तु है, को कैपेक्स के तहत खरीदा गया था एवं बचाव अभियान के दौरान उपयोग के लिए सीआईएसएफ फायर विंग जारी की गई थी। 01 ब्रीदिंग एयर (बीए) कंप्रेसर खरीदा गया एवं सीआईएसएफ फायर स्टेशन पर स्थापित किया गया।

(ठ) सुरक्षा एवं पर्यावरण जागरूकता के लिए संयंत्र के विशिष्ट स्थानों पर रिफ्लेक्टिव साइनेज बोर्ड प्रदर्शित किए गए थे। संयंत्र के भीतर 85 स्थानों पर पुराने प्राथमिक चिकित्सा बक्सों के स्थान पर नए अच्छी गुणवत्ता वाले प्राथमिक चिकित्सा बक्से उपलब्ध कराए गए हैं। सुरक्षा निगरानी के लिए संयंत्र के अंदर विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। सड़क सुरक्षा प्रबंधन हेतु प्लांट के अन्दर 08 एएनपीआर कैमरे लगाये जाने की कार्यवाही की गयी है।

(ड) मे. लाइफगियर, मुंबई द्वारा किए गए ऊंचाई कार्य सर्वेक्षण की सिफारिशों के आधार पर ऊंचाई कार्य सुरक्षा के लिए लाइफलाइन सिस्टम की स्थापना के लिए कार्रवाई की गई है।

12.4.2 पर्यावरण:

(क) 5 वें चरण के राख के टीले के निर्माण के लिए ऐश पॉन्ड-।। की ऊंचाई 115 से 123 एमआरएल तक बढ़ाकर करने के लिए नवंबर, 2022 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) से कंसेंट टू एस्टैबलिशमेंट (सीटीई) प्राप्त हुई है।

(ख) अलेखा महिमा मंदिर, अंगारबंधा में राख भरने के संचालन की सहमति एसपीसीबी द्वारा 05.01.2023 को दी गई थी।

(ग) एफजीडी के कार्यान्वयन के लिए निवेश अनुमोदन सीपीपी मेसर्स एनटीपीसी कंसल्टेंसी विंग में एफआर/डीपीआर प्राप्त करने के बाद किया गया। मे. सीएसआईआर-नीरी को 05.03.2021 को राख तालाब दूषित स्थलों के पर्यावरण स्थल मूल्यांकन के लिए लगाया गया है। रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

(घ) दिनांक 27.07.2022 को सीएचपी-II क्रशर हाउस में डीएफडीएस (ड्राई फॉग डस्ट सप्रेशन सिस्टम) स्थापित किया गया है। अप्रैल, 2022 को एसपीसीबी के निर्देशानुसार रु. 73 लाख की लागत से राख के आकार के तालाब में अतिरिक्त सेटलिंग पिट का निर्माण किया गया है।

(ङ) ऐश पॉनड एवं खदानों से निकलने वाले राख के घोल के रीसाइक्लिंग पानी की गंदगी को और कम करने के लिए, 3,000 मी3 /घंटा क्षमता का एक एवं क्लेरीफ्लोक्यूलेटर स्थापित किया गया है तता संयंत्र के अंदर 22.11.2022 को चालू किया गया है। उपचार के बाद पुनर्चक्रित पानी को राख घोल बनाने एवं संयंत्र में अन्य उपयोग के लिए पुन: उपयोग किया जा रहा है।

(च) वर्ष 2022-23 के लिए राख का उपयोग 121.29% है।

(छ) आपकी कंपनी के सीपीपी ने राख के उपयोग को बढ़ाने के लिए ईंट निर्माता को 150 रुपये प्रति मेट्रिक टन की प्रोत्साहन योजना लागू की है। वर्ष 2022-23 में फ्लाई ऐश प्रोत्साहन योजना के तहत ईंट निर्माताओं को लगभग 6,34,270 मेट्रिक टन सूखी राख की आपूर्ति की गई है।

(ज) स्टैक उत्सर्जन को एसपीसीबी द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट मानदंड के भीतर बनाए रखा जाता है। स्टैक उत्सर्जन में और सुधार करने के लिए, यूनिट-5 एवं यूनिट-6 के ईएसपी के पहले 4 क्षेत्रों का पुनरुद्धार यूनिट की वार्षिक ओवरहालिंग के दौरान किया गया है।

(झ) अपशिष्ट जल की गुणवत्ता की निगरानी के लिए संयंत्र के निकास बिंदु (गोटमारा गांव की ओर) एवं ऐड पॉन्ड के रूप में सेटिंग टैंक के आउटलेट पर एचडीआईपी कैमरा स्थापित किया गया है।

(ञ) अपशिष्ट जल की गुणवत्ता की निगरानी के लिए 2 अदद अपशिष्ट निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है यानी एक संयंत्र के निकास बिंदु पर (गोटमारा गांव की ओर) एवं दूसरा निपटान टैंक के आउटलेट पर सेटलिंग टैंक में स्थापित किया गया।

(ट) संयंत्र के अंदर कोयला परिवहन के दौरान फ्यूजिटिव उत्सर्जन को कम करने के लिए कोयला गलियारे में एक पहिया धुलाई प्रणाली स्थापित की गई है।

(ठ) औद्योगिक अपशिष्ट, ऐश पॉन्ड अतिप्रवाह पानी एवं सीवरेज उपचार संयंत्र उपचारित पानी के संबंध में शून्य निर्वहन हासिल किया गया है जिसे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया है।

(ड) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, 20,68,210 घन मीटर राख तालाब का निस्तारित पानी, 45,33,885 घन मीटर औद्योगिक नाली का पानी, 2,06,06,976 घन मीटर खदान का खाली अतिप्रवाह पानी, 33,18,120 घन मीटर वर्षा जल संचयन से पानी, ऐश पॉन्ड से 11,24,000 घन मीटर रिसाव पानी को वापस संयंत्र में पुनर्चक्रित किया गया एवं संयंत्र के उद्देश्य में पुन: उपयोग किया गया।

(ढ) आपकी कंपनी के सीपीपी ने वर्ष 2022-23 में 2,000 पौधे लगाए हैं। अपनी स्थापना के बाद से किया गया वृक्षारोपण कुल क्षेत्रफल का लगभग 34.20% कवर कर रहा है।

12.4.3 पुरस्कार एवं सम्मान:

(क) सीपीपी ने 14.09.2022 को वर्ष 2022 के लिए एसपीसीबी, ओडिशा से प्रतिष्ठित एन्वायरोन्मेंट एक्सलेंस अवार्ड प्राप्त किया।

(ख) आपकी कंपनी के सीपीपी ने इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एंड एनवायरमेंट मैनेजमेंट सर्विस, भुवनेश्वर द्वारा आयोजित "कलिंग एन्वायरोन्मेंट एक्सलेंस अवार्ड 2021" जीता।

13.0 प्रौद्योगिकी संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास एवं विदेशी मुद्रा संरक्षण:

वर्ष 2022-23 के लिए प्रौद्योगिकी संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास एवं विदेशी मुद्रा संरक्षण से संबंधित विवरण निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध-IV में वर्णित हैं।

14.0 निगम सामाजिक उत्तरदायित्व:

वर्ष 2022-23 के लिए निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति आपकी कंपनी द्वारा की गई पहल का विवरण निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध-I में दिया गया है।

15.0 लागत में कमी के उपाय एवं महत्वपूर्ण कच्चे माल की विशिष्ट खपत में सुधार के प्रयास:

तैयार उत्पादों की लागत प्रतिस्पर्धी विश्व बाजार में बने रहने के लिए एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। आपकी कंपनी ने लागत कटौती के कई उपाय अपनाए हैं जिससे उत्पाद लागत में कमी आई है एवं आपकी कंपनी अधिक सफल हुई है।

अपनाई गई इकाईवार विशिष्ट लागत कटौती उपाय नीचे दर्शाए गए हैं:

15.1 खदानें:

(क) एचईएमएम अनुभाग में, सेंट्रीफ्यूजिंग एवं निस्पंदन के बाद पुन: उपयोग से 3.640 केएल हाइड्रोलिक तेल बचाया गया।

(ख) एचईएमएम अनुभाग में, मे. बीईएमएल द्वारा आपूर्ति किए गए आयातित रेडिएटर्स के स्थान पर मे. कमिंस के स्वदेशी रेडिएटर का उपयोग करके लागत बचत हासिल की गई थी।

(ग) क्रशर एवं कन्वेयर अनुभाग में पॉली पुली हब (1,667 अदद) एवं आइडलर (3,195 अदद) की मरम्मत एवं इसके उपयोग से बचत हुई है।

(घ) एसएमसीपी में उनके जीवन के विस्तार के लिए एसएमसीपी क्रशर के क्रशिंग सेगमेंट का पुनर्निर्माण जिसके परिणामस्वरूप बचत हुई।

(ङ) ईंधन एडिटिव के उपयोग से डंपरों में डीजल की खपत में कमी के परिणामस्वरूप प्री-ट्रायल अवधि के संदर्भ में 41.625 केएल एचएसडी की बचत हुई है।

(च) खनन स्थल पर वाहनों की पार्किंग से डीजल की खपत में कमी के परिणामस्वरूप चालू वर्ष में लगभग 128.5 केएल एचएसडी की बचत हुई है।

(छ) रिपर डोजर-व्हील लोडर संयोजन के स्थान पर बैकहो शॉवेल के बढ़ते उपयोग से डीजल की खपत में कमी के परिणामस्वरूप लगभग 104.9 केएल एचएसडी की बचत हुई है।

(ज) छोटे बैकहो एवं टिपर संयोजन द्वारा सीधे पिट से बॉक्साइट लोड करने से डीजल की खपत में कमी के परिणामस्वरूप लगभग 187 केएल एचएसडी की बचत हुई है।

15.2 एल्यूमिना परिशोधक:

(क) कोयला मिल चेंजओवर के लिए ऑयल सपोर्ट का सहारा लिए बिना नए एसओपी के विकास से तेल की खपत में कमी आई है।

(ख) कोयला मिल आउटेज को कम करने से तर्क संशोधन द्वारा रेड्यूसर ऑयल पंप की ट्रिपिंग समाप्त हो गई है जिससे ऊर्जा की बचत हुई है।

(ग) एल्यूमिना परिशोधक के पुराने रेलवे नेटवर्क में चरणबद्ध तरीके से लकड़ी के स्लीपरों को पीएससी स्लीपरों से बदलने से बचत हुई है।

(घ) ऐश पॉन्ड, वाटर इनटेक पंप हाउस एवं रेड मड पॉन्ड के प्रवाह एवं ऊर्जा डेटा की दूरस्थ निगरानी लागू करने से परिचालन दक्षता में वृद्धि हुई है।

(ङ) मोटर फीडरों, जो 75 किलोवाट एवं उससे ऊपर के है, के एयर ब्रेक कॉन्टैक्टर को वैक्यूम कॉन्टैक्टर द्वारा बदलने से ऊर्जा की बचत हुई है।

15.3 प्रद्रावक:

(क) एबीएफ-2 एवं 3 के लिए विंच ट्रॉली संचार नियंत्रण प्रणाली के संशोधन के परिणामस्वरूप विद्युत ऊर्जा एवं एचएफओ की कम खपत हुई है।

(ख) एबीएफ-1 के लिए 84 अदद राइजर डैम्पर्स की स्थापना ने एचएफओ की खपत को कम करने एवं आग परिवर्तन के समय डैम्पर्स को बंद करके आग के जोखिम को खत्म करने में सक्षम बनाया है।

(ग) उपयोगिता में कंप्रेसर (130 एनएम 3 /मिनट) के पुनरुद्धार के परिणामस्वरूप विशिष्ट ऊर्जा खपत में 0.02 किलोवाट/एनएम 3 की कमी आई है ।

(घ) एबीएफ-1 में 4 अदद एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड्स के परिणामस्वरूप न केवल ताजा हवा के प्रवेश के बिना एबीएफ-1 में निर्बाध अग्नि परिवर्तन हुआ, बल्कि एचएफओ की खपत में भी कमी आई।

(ङ) एबीएफ-2 एवं 3 के लिए एनोड स्लॉट कटिंग मशीन ने डीसी ऊर्जा खपत को कम करने के साथ-साथ प्रक्रिया स्थिरता में भी सुधार किया है।

(च) कैथोड ब्लॉकों का ग्रेफाइटाइजेशन: कुल 897 ग्रेफाइटाइज्ड पॉट परिचालन में हैं, जिनमें से 2022-23 में 44 पॉट्स का ग्रेफाइटाइजेशन किया गया है, जो पॉट लाइन में 55 किलोवाट/एमटी/पॉट की दर से विशिष्ट विद्युत ऊर्जा खपत को कम करने में सक्षम हैं।

15.4 ग्रहीत विद्युत संयंत्र (सीपीपी):

(क) सीपीपी में गंभीर कोयला संकट की स्थिति के दौरान प्रद्रावक संयंत्र को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए एवं उच्च लागत वाले ई-नीलामी कोयले की खरीद से बचने के लिए, मई, 2022 से जनवरी, 2023 के दौरान ग्रिडको के माध्यम से पावर एक्सचेंज से आयात बिजली (1,187.44 एमयू आरटीसी) खरीदी गई है। अनुमोदित खरीद मूल्य के भीतर इसे सीमित करने के लिए बिजली आयात लागत के अनुकूलन के लिए बिजली का लचीला अगला शेड्यूल अपनाया गया।

(ख) बॉयलर दक्षता में सुधार एवं सहायक बिजली की खपत में कमी के लिए उन्नत प्रोफ़ाइल हीटिंग तत्व, डबल सीलिंग व्यवस्था एवं वीएफडी ड्राइव के साथ यूनिट -5 में मौजूदा एयर-प्रीहीटर का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण (आरएंडएम) नवंबर, 2022 में पूरा हो गया है। दक्षता में 1% से अधिक सुधार हुआ। पंखे की बिजली खपत 400 किलोवाट से अधिक कम हो गई।

(ग) प्रभावी सफाई के लिए उच्च क्षमता वाले अग्निशमन पंप के स्थान पर ईएसपी आंतरिक धुलाई के लिए बूस्टर पंप की स्थापना एवं उसे चालू किया गया। प्रभावी सफाई के अलावा, प्रत्येक ओवरहालिंग में 7,013 किलोवाट की बिजली बचत होती है।

(घ) यूनिट #7 में कंडेनसर की रासायनिक सफाई अगस्त, 2022 में की गई थी। कंडेनसर वैक्यूम में लगभग 6.2% सुधार हासिल किया गया है, जिससे कोयले की खपत में कमी आई है।

(ङ) यूनिट-5 में पुराने अकुशल एचपीएच-6 को नवंबर, 2022 में नए एचपीएच से बदल दिया गया है। प्रतिस्थापन के बाद, बॉयलर में फ़ीड पानी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, जिसके परिणामस्वरूप यूनिट दक्षता में सुधार हुआ है।

(च) यूनिट -7 से 10 भूमिगत हाइड्रेंट एवं इमल्सीफायर (स्प्रे) हेडर को सफलतापूर्वक नए बिछाए गए "जमीन के ऊपर" हेडर में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे भूमिगत रिसाव के कारण पानी की हानि कम हो गई एवं उपलब्धता बढ़ गई।

16.0 लेखांकन उपचार का प्रकटीकरण:

आपकी कंपनी के वित्तीय विवरण इंड एएस एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक आधार पर तैयार किए गए हैं, कुछ वित्तीय उपकरणों को छोड़कर जिन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है, जैसा कि नीचे लेखांकन नीतियों में बताया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में निर्धारित कंपनी के परिचालन चक्र एवं अन्य मानदंडों के अनुसार सभी परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को वर्तमान या गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर, आपकी कंपनी ने परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के वर्तमान या गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को 12 महीने के रूप में सुनिश्चित किया है।

17.0. निगम योजना:

निगम योजना में कंपनी की निचली रेखा एवं शीर्ष रेखा दोनों में सुधार के लिए 3 साल की कार्य योजना, 7 साल की रणनीति एवं 15 साल की दृष्टि की परिकल्पना की गई है। इसने लंबे समय में कमोडिटी चक्र के प्रभाव को दूर करने के लिए कंपनी को प्रतिस्पर्धी बढ़त देने के लिए प्रकार्यात्मक एवं व्यावसायिक पहल की पहचान की है।

नई व्यावसायिक पहल में मुख्य व्यवसाय में विस्तार के माध्यम से विकास, मूल्य संवर्धन के माध्यम से आगे एकीकरण, डाउनस्ट्रीम सुविधाएं, चयनात्मक विविधीकरण एवं कच्चे माल की सुरक्षा के लिए पिछड़ा एकीकरण शामिल है। पहचानी गई प्रकार्यात्मक एवं व्यावसायिक पहल कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

आपकी कंपनी वर्तमान में अपनी एल्यूमिना परिशोधक का ब्राउनफील्ड विस्तार कर रही है जिससे इसकी क्षमता प्रति वर्ष 1 मेट्रिक टन बढ़ जाएगी। एल्यूमिनियम सेगमेंट में, आपकी कंपनी प्रद्रावक संयंत्र के 0.5 मेट्रिक टन ब्राउन फील्ड विस्तार के लिए विभिन्न पावर सोर्सिंग विकल्प तलाश रही है।

कच्चे माल की सुरक्षा के लिए, कंपनी पोट्टांगी बॉक्साइट खानों एवं उत्कल-डी एंड ई कोल खानों जैसी खदानें खोलने की प्रक्रिया में है। कंपनी ने जीएसीएल के साथ संयुक्त उद्यम में दहेज, गुजरात में कास्टिक सोडा संयंत्र स्थापित किया है जो महत्वपूर्ण कच्चे माल की आवश्यकता को पूरा कर रहा है।

18.0 व्यवसाय विकास:

18.1 मे. गुजरात अल्कलीज़ एंड केमिकल्स लिमिटेड (जीएसीएल) के साथ संयुक्त उद्यम में कास्टिक सोडा परियोजना :

आपकी कंपनी ने कच्चे माल के प्रतिभूतिकरण के एक भाग के रूप में एल्यूमिना परिशोधक की कास्टिक सोडा आवश्यकता को पूरा करने के लिए गुजरात के दहेज में 130 मेगावाट ग्रहीत विद्युत संयंत्र के साथ 2.7 लाख टीपीए कास्टिक सोडा प्लांट स्थापित करने के लिए जीएसीएल के साथ 40% इक्विटी भागीदारी के साथ मे. जीएसीएल-नालको एल्कलीज़ एंड केमिकल्स प्रा. लिमिटेड (जीएनएएल) नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई है। नालको एवं जीएनएएल ने सितंबर 2021 में कास्टिक सोडा आपूर्ति समझौता निष्पादित किया।

सीपीपी की यूनिट #1 के टीजी-1 को 23 मई, 2022 को सिंक्रोनाइज़ किया गया था। सीपीपी की यूनिट #2 के टीजी-2 को 28 अप्रैल, 2023 को सिंक्रोनाइज़ किया गया था। परियोजना की लगभग 99% गतिविधियाँ पूरी हो चुकी हैं। 800 टीपीडी कास्टिक सोडा का उत्पादन करने की क्षमता वाले कास्टिक सोडा संयंत्र की सभी 08 इलेक्ट्रोलाइज़र इकाइयों को चालू किया गया एवं परिचालन में लाया गया। आपकी कंपनी ने संवर्द्धक के रूप में जेवी कंपनी को पूर्ण इक्विटी योगदान के लिए पहले ही 276 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं।

18.2 अनुगुळ एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लिमिटेड के साथ मे. ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एलडीसीओ) का संयुक्त उद्यम :

आपकी कंपनी एवं आईडीसीओ द्वारा ओडिशा में एल्यूमिनियम डाउनस्ट्रीम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्रमशः 49% एवं 51% की इक्विटी हिस्सेदारी के साथ अनुगुळ एल्यूमिनियम पार्क विकसित किया जा रहा है। आपकी कंपनी ने पहले ही जेवी कंपनी को पूर्ण इक्विटी योगदान के लिए रु. 16.22 करोड़ जारी किए हैं। प्रशासनिक भवन, एल्यूमिनियम डेवलपमेंट सेंटर एवं एल्यूमिनियम पार्क की आंतरिक सड़कें पूरी हो चुकी हैं। धातु स्थानांतरण के लिए प्रद्रावक संयंत्र से पार्क तक सड़क निर्माण सहित अन्य बुनियादी ढांचा विकास कार्य प्रगति पर हैं। इस परियोजना के वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूरी तरह से पूरा होने की उम्मीद है।

18.3 मे. मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानी)के साथ संयुक्त उद्यम में हाई एंड एल्यूमिनियम मिश्र धातु संयंत्र :

आपकी कंपनी एवं मिधानी ने मेसर्स उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड (यूएडीएनएल) नाम से अगस्त, 2019 में एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई है, जिससे मूल्य वर्धित उत्पादों के साथ आयात प्रतिस्थापन एवं विविधीकरण के एक भाग के रूप में रक्षा, एयरोस्पेस एवं ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में आवेदन के लिए 60,000 टीपीए हाई एंड एल्यूमिनियम मिश्र धातु संयंत्र की स्थापना की जा सके। आपकी कंपनी ने इक्विटी योगदान के अपने हिस्से के लिए अब तक रु. 20 करोड़ जारी किए हैं। यह प्लांट आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थापित किया जा रहा है। परियोजना गतिविधियाँ शुरू हो चुकी हैं एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 तक चालू होने की उम्मीद है।

18.4 मे. हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) एवं मे. मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमईसीएल)के साथ संयुक्त उद्यम में विदेशों में रणनीतिक खनिजों का अधिग्रहण :

आपकी कंपनी ने भारत सरकार की "मेक इन इंडिया" पहल को बढ़ावा देने के लिए विदेशी स्थानों में कुछ रणनीतिक खनिजों के अधिग्रहण के लिए अगस्त, 2019 में एचसीएल एवं एमईसीएल के साथ खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (काबिल) नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई है। इसमें 12 चयनित खनिजों पर अध्ययन पूरा हुआ। वर्तमान में, काबिल लिथियम एवं कोबाल्ट जैसे बैटरी खनिजों के स्रोत पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो देश के ऊर्जा परिवर्तन के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। भारत में लिथियम एवं अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की सोर्सिंग का पता लगाने के लिए ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना एवं चिली में कुछ कंपनियों/परियोजनाओं के प्रति काबिल एवं सरकारी एजेंसियों के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करके जुड़ाव चल रहा है। इन देशों की एजेंसियां या राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियां भारत में लिथियम एवं अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के स्रोत का पता लगाएंगी। आपकी कंपनी ने काबिल में इक्विटी योगदान के अपने हिस्से के लिए अब तक रु. 40 करोड़ जारी किए हैं।

19.0 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) का विकास:

आपकी कंपनी ने एमएसई के विकास के लिए अपने प्रयास जारी रखे। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एमएसई के विकास की दिशा में की गई कार्रवाई इस प्रकार है:

क) वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ओडिशा के एमएसई द्वारा उत्पादित उत्पादों और प्रदान की गई सेवाओं की खरीद रु. 562.98 करोड़ (पिछले वित्तीय वर्ष के रु. 430.72 करोड़ के मुकाबले) है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एमएसई इकाइयों (ओडिशा के बाहर से सहित) द्वारा उत्पादित उत्पादों एवं प्रदान की गई सेवाओं की कुल खरीद रु. 960.00 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान `713.80 करोड़ के मुकाबले) है और यह आपकी कंपनी द्वारा की गई वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद का 29.88% है, जबकि सरकार का लक्ष्य न्यूनतम 25% है।वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, एमएसई द्वारा उत्पादित उत्पादों और प्रदान की गई सेवाओं की खरीद का लक्ष्य 2023-24 के लिए कुल वार्षिक खरीद का 25% निर्धारित किया गया है जो पीपीपी-एमएसई आदेश के अनुसार है।

ख) वर्ष 2022-23 के लिए पीएलएसी (प्लांट लेवल एडवाइजरी समिति) की बैठक डीआईसी एवं एमएसएमई विभाग, ओडिशा सरकार के सहयोग से 18.01.2023 को निगम कार्यालय, भुवनेश्वर में आयोजित की गई थी।

ग) नेशनल एससी/एसटी हब ऑफिस (एनएसएसएचओ) के सहयोग से महिला स्वामित्व वाले एमएसई एवं अजा/अजजा स्वामित्व वाले एमएसई के पंजीकरण के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं एवं एनएसएसएचओ से आपकी कंपनी के लिए आवश्यक वस्तुओं के लिए संभावित अजा/अजजा स्वामित्व वाले एमएसई की पहचान करने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में, आपकी कंपनी ने 03.08.2022 को भुवनेश्वर में डीआईसी भुवनेश्वर द्वारा आयोजित नेशनल एससी/एसटी हब (एनएसएसएच) ऑफिस योजना के तहत एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित संभावित एवं मौजूदा उद्यमियों के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम (वीडीपी) में भाग लिया।

घ) सभी एमएसई विक्रेताओं से जीईएम प्लेटफ़ॉर्म में शामिल होने का अनुरोध किया जा रहा है। इसके साथ ही, चूंकि आपकी कंपनी आरएक्सआईएल (टीआरईडीएस पोर्टल) के साथ पंजीकृत है, इसलिए सभी एमएसई विक्रेताओं से एमएसई को दिए गए लाभों का लाभ उठाने के लिए टीआरईडीएस पोर्टल (आरएक्सआईएल) में पंजीकरण करने का अनुरोध किया जा रहा है।

ङ) कंपनी ने 2022-23 में एमएसई के लिए 10 विक्रेता बैठकें (अजा/अजजा स्वामित्व वाले एमएसई के लिए 2 विक्रेता बैठकें सहित) आयोजित कीं। आपकी कंपनी द्वारा किए गए विशेष प्रयास से, आपकी कंपनी के साथ पंजीकृत एमएसई विक्रेताओं की संख्या वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1,589 से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2,060 हो गई है। आपकी कंपनी के साथ पंजीकृत महिला स्वामित्व वाले एमएसई की संख्या भी वित्तीय वर्ष 2021-22 में 118 से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 192 हो गई है।

च) एमएसई से आपकी कंपनी का खरीद डेटा एमएसएमई विभाग, भारत सरकार के "एमएसएमई संबंध" ऐप में मासिक आधार पर अपलोड किया जा रहा है।

छ) आपकी कंपनी के साथ पंजीकृत मौजूदा एमएसई के साथ-साथ पंजीकृत नहीं हुए एमएसई की सुविधा के लिए आपकी कंपनी द्वारा 13.07.2018 को नमस्य (नालको माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज योगायोग एप्लिकेशन) ऐप लॉन्च किया गया है। यह ऐप एमएसई को विक्रेता पंजीकरण प्रक्रिया, तकनीकी विशिष्टताओं के साथ उनके द्वारा आपूर्ति की जा सकने वाली वस्तुओं, विक्रेता विकास कार्यक्रमों एवं आपकी कंपनी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

ज) पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा एमएसई से किए गए क्रय एवं नोडल अधिकारियों का विवरण:

क्रम सं.	विवरण	2022-23	2021-22
I	कुल वार्षिक खरीद (मूल्य में) (*) (रु. करोड़ में)	3,212.99	2,286.37
II	एमएसई से खरीदी गई वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य (अजा/अजजा उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) (` करोड़ में)	960.00	713.80
III	सिर्फ अजा/अजजा उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीदी गई वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य (` करोड़ में)	11.50	5.94
IV	केवल महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीदी गई वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य (` करोड़ में)	32.01	33.21
V	एमएसई से क्रय % (अजा/अजजा एवं महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित)	29.88	31.22
VI	कुल क्रय में से सिर्फ अजा/अजजा उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद का %	0.36	0.26
VII	कुल क्रय में से सिर्फ महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद का %		1.45
VIII	एमएसई के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रमों की कुल संख्या	10	07
IX	क्या एमएसई से क्रय के लिए वार्षिक खरीद योजना आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई है	हाँ	हाँ
X	क्या लक्ष्य वार्षिक प्रतिवेदन में बताए गए हैं		हाँ
* इस मूल्य में कोयला, ईंधन तेल, कास्टिक सोडा, एएलएफ3, सिंथेटिक फ्लोकुलेंट्स, स्टील, सीमेंट, बियरिंग्स, ल्यूब्रिकेंट्स, ग्रीस, मालिकाना वस्तुओं, आयातित वस्तुओं एवं विशिष्ट प्रौद्योगिकी से जुड़पेशेवर सेवाओं/परामर्श सेवाओं/प्रमुख टर्नकी अनुबंधों/अनुबंधों की क्रय शामिल नहीं है।			
एमएसई से की जाने वाली खरीद के लिए नालको के नोडल अधिकारियों का विवरण			
(क)	इकाई का नाम: निगम कार्यालय, भुवनेश्वर, ओडिशा नोडल अधिकारी: श्री बिभु दत्त महान्ति, समूह महाप्रबंधक (सामग्री) नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर- 751013 मोबाइल: 9437561995, ई-मेल: bibh.mohanty@nalcoindia.co । में		
(ख)	यूनिट का नाम: प्रद्रावक एंड विद्युत कॉम्प्लेक्स, अनुगुळ, ओडिशा नोडल अधिकारी: श्री प्रवत कुमार विश्वास, समूह महाप्रबंधक (सामग्री) प्रद्रावक संयंत्र, नालको नगर, अनुगुळ- 759145 मोबाइल: 9437083779, ईमेल: pravat.biswas@nalcoindia .co.in		
(ग)	यूनिट का नाम: खान एंड परिशोधक कॉम्प्लेक्स, दामनजोड़ी, ओडिशा नोडल अधिकारी: श्री स्वरूपानंद मिश्रा, जीएम (सामग्री) एल्यूमिना परिशोधक, नालको , दामनजोड़ी- 763008 मोबाइल: 9437043184, ईमेल: swarupanda.mishra@nalcoindia.co.in		

20.0 चेतावनी टिप्पणी:

कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों, दृष्टिकोण, अपेक्षाओं, अनुमानों एवं अन्य से संबंधित प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन में दी गई कुछ टिप्पणियां लागू कानूनों एवं विनियमों के अर्थ के भीतर 'भविष्य उन्मुख टिप्पणी' का गठन कर सकते हैं। वास्तविक परिणाम ऐसी अपेक्षाओं से भिन्न हो सकते हैं चाहे व्यक्त हों या निहित। कई कारक कंपनी के परिचालन में महत्वपूर्ण अंतर डाल सकते हैं। इनमें मांग एवं आपूर्ति को प्रभावित करने वाली जलवायु एवं आर्थिक स्थितियाँ, सरकारी नियम एवं कराधान, प्राकृतिक आपदाएँ शामिल हैं जिन पर कंपनी का कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है।

अनुलग्नक- III

वर्ष 2022-23 के लिए व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं वहनीयता प्रतिवेदन

अनुभाग क: सामान्य प्रकटीकरण

I. सूचीबद्ध कंपनी का विवरण

क्रम सं.	विवरण	कंपनी की जानकारी
1	सूचीबद्ध कंपनी की निगम पहचान संख्या (सीआईएV)	L27203OR1981GOI000920
2	सूचीबद्ध कंपनी का नाम	नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
3	3निगमन का वर्ष:	7 जनवरी 1981
4	पंजीकृत कार्यालय का पता:	नालको भवन, प्लॉट नंबर पी/1, नयापल्ली , भुवनेश्वर -751013, ओडिशा, भारत
5	निगम पता:	नालको भवन, प्लॉट नंबर पी/1, नयापल्ली , भुवनेश्वर -751013, ओडिशा, भारत
6	ई-मेल:	company_secretary@nalcoindia.co.in
7	टेलीफोन:	(0674) 2301988-2301999
8	8वेबसाइट	https://nalcoindia.com
9	वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है।	2022-23
10	स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं।	1. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
		• एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई - 400 051
		• स्क्रिप कोड: NATIONALUM
		2. बीएसई लिमिटेड
		• फ़िरोज़ जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001
		• स्क्रिप कोड: 532234
11	प्रदत्त पूंजी:	• ₹ 918.32 करोड़
12	उस व्यक्ति का नाम एवं संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता), जिनसे बीआरएसआर प्रतिवेदन पर किसी भी प्रश्न केमामले में संपर्क किया जा सकता है	श्री पंकज कुमार शर्मा, निदेशक (उत्पादन) टेलीफोन: 0674-2300660 ई-मेल आईडी: dirprod@nalcoindia.co.in
13	रिपोर्टिंग सीमा - क्या इस प्रतिवेदन के तहत प्रकटीकरण एकल आधार पर किए गए हैं (यानी, केवल कंपनी के लिए) या कंसोडिलेडेट आधार पर (यानी, कंपनी एवं सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं , एक साथ लिया गया है)	एकल

II. उत्पाद एवं सेवाएं

14. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (कारोबार का 90% हिस्सा):

क्रम सं.	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	कंपनी के टर्नओवर का%
1	विनिर्माण	धातु एवं धातु उत्पाद	99.56%

15. कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएँ (कंपनी के कारोबार का 90% हिस्सा):

क्रम सं.	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	कुल कारोबार का % योगदान
1	एल्यूमीनियम	24202	71.98%
2	एल्यूमिना	20119	27.58%

III. संचालन

16. उन स्थानों की संख्या जहां कंपनी के संयंत्र एवं/या संचालन/कार्यालय स्थित हैं:

स्थान	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	4*	7**	11
अंतर्राष्ट्रीय	0	0	0

*संयंत्र स्थल - बॉक्साइट खानें - दामनजोड़ी, एल्यूमिना परिशोधक - दामनजोड़ी, एल्यूमिनियम प्रद्रावक - अनुगुळ , ग्रहीत विद्युत संयंत्र - अनुगुळ ।
**निगम कार्यालय-भुवनेश्वर, क्षेत्रीय कार्यालय - नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टणम एवं पाराद्वीप में बंदरगाह कार्यालय ;

17. कंपनी द्वारा प्रदत्त बाज़ार:

क)स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	24
अंतर्राष्ट्रीय (देशों की संख्या)	8

ख) कंपनी के कुल कारोबार में निर्यात का प्रतिशत के रूप में योगदान क्या है?

29.89%

ग) ग्राहकों के प्रकारों पर एक संक्षिप्त जानकारी

एल्यूमिना एवं एल्यूमिनियम उत्पाद घरेलू ग्राहकों को समझौता ज्ञापन (एमओयू) समझौतों के माध्यम से एवं निविदाओं में भाग लेकर बेचे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को बिक्री ऑनलाइन वैश्विक निविदाओं के माध्यम से की जाती है।

IV. कर्मचारीगण

18. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विवरण:

क) कर्मचारी एवं श्रमिक (दिव्यांगों सहित):

क्रम सं.	विवरण	कुल	पुरुष		महिला	
		(क)	सं. (ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)
कर्मचारी (कार्यपालक)						
1	स्थायी (घ)*	1,588	1,502	94.58	86	5.42
2	स्थायी के अतिरक्त (ङ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	कुल कर्मचारी (घ + ङ)	1,588	1,502	94.58	86	5.42
श्रमिक						
4	स्थायी (च)* (गैर-कार्यपालक)	3,602	3361	93.31	241	6.69
5	स्थायी के अलावा* (छ)	12,882	12,077	93.75	805	6.25
6	कुल श्रमिक (च + छ)	16,484	15,438	93.65	1046	6.35

*पूर्ण प्रकटीकरण के उद्देश्य से, "स्थायी कर्मचारी" शब्द नालको में अधिकारियों को संदर्भित करता है। "स्थायी श्रमिक" नालको में गैर-गैर-कार्यपालकों को संदर्भित करता है, एवं "स्थायी श्रमिकों के अलावा" ठेकेदारों के माध्यम से लगे श्रमिकों को संदर्भित करता है।

ख) दिव्यांग कर्मचारीगण एवं श्रमिक:

क्रम सं.	विवरण	कुल	पुरुष		महिला	
		(क)	सं. (ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)
दिव्यांग (कार्यपालक)						
1	स्थायी (घ)	28	24	85.71	4	14.29
2	स्थायी के अतिरिक्त (ङ)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3	कुल दिव्यांग कर्मचारीगण (घ + ङ)	28	24	85.71	4	14.29
श्रमिक						
4	स्थायी (च) (गैर-कार्यपालक)	62	53	85.48	9	14.52
5	स्थायी के अतिरिक्त (छ))	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6	कुल दिव्यांग श्रमिक (च + छ)	62	53	85.48	9	14.52

19. Participation/Inclusion/Representation of women

	कुल	संख्या एवं प्रतिशत	
	(क)	सं.(ख)	% (ख/क)
निदेशक मंडल	16	2	12.5
	7*	0	0

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

* निदेशक मंडल एवं केएमपी दोनों में छह प्रकार्यात्मक निदेशक शामिल हैं।

20. स्थायी कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए टर्नओवर दर (% में)। *

(पिछले 3 वर्षों के रुझानों का प्रकटीकरण करें)

	वित्तीय वर्ष 2022-23			वित्तीय वर्ष 2021-22			वित्तीय वर्ष 2020-21		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी (कार्यपालक)	9.27	5.88	9.09	6.98	1.23	6.69	7.01	4.88	6.91
स्थायी कर्मचारी (गैर-कार्यपालक)	7.89	5.35	7.73	8.66	7.05	8.56	7.72	4.48	7.5

*इसमें सभी प्रकार के अलगाव यानी सेवानिवृत्ति, इस्तीफा एवं मृत कर्मचारी एवं कर्मचारी शामिल हैं।

V. होल्डिंग, सहायक एवं सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यम सहित)

21. (क) होल्डिंग/सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यम के नाम

क्रम सं.	होल्डिंग/सहायक/एसोसिएट कंपनियों/ संयुक्त उद्यम का नाम (क)	इंगित करें, होल्डिंग/ सहायक/एसोसिएट कंपनियों/ संयुक्त उद्यम	सूचीबद्ध कंपनी द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कंपनी को स्तभ क में दर्शाया गया है, सूचीबद्ध कंपनी की व्यावसायिक जिम्मेदारी पहल में भाग लेते हैं? (हां नहीं)
1	उत्कर्ष एल्युमिनियम धातु निगम लिमिटेड	एसोसिएट	50	No
2	खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड	एसोसिएट	40	No
3	अनुगुळ एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड	एसोसिएट	49	No
4	जीएसीएल-नालको अल्कलीज एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	एसोसिएट	40	No

VI. सीएसआर विवरण

22. (i) क्या सीएसआर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार लागू है: हाँ

(ii) टर्नओवर (रु. में) : 14,170.86 करोड़

(iii) कुल संपत्ति (रु. में): 13,238.45 करोड़

VII. पारदर्शिता एवं प्रकटीकरण अनुपालन

23. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें/परिवाद:

हितधारक समूह जहां से शिकाय प्राप्त हुई	शिकायत समाधान तंत्र यथावत (हां/ना) (यदि हां, तो शिकायत समाधान नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें	वित्तीय वर्ष 2022-23			वित्तीय वर्ष 2021-22		
		वर्ष के दौरान दायर शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों के समाधान की संख्या	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दायर शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों के समाधान की संख्या	टिप्पणी
समुदाय संख्या	नहीं	0	0		0	0	
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	लागू नहीं	0	0	0		0	0
शेयरधारकगण	हां https://nalcoindia.com/ investor-services/ contact-us/	949	0		2,253	0	
कर्मचारी एवं श्रमिक	हां	0	0		0	0	
ग्राहक	हां	6	0		5	0	
मूल्य वर्धन श्रृंखला साझेदार	हां https://samadhaan.msme.gov.in https://champions.gov.in	5	0		4	0	

24. कंपनी के महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण के मुद्दों का अवलोकन

कृपया पर्यावरणीय एवं सामाजिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण एवं स्थिरता के मुद्दों को इंगित करें जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर प्रस्तुत करते हैं, इसकी पहचान करने के लिए तर्क, जोखिम को अनुकूलित करने या कम करने के दृष्टिकोण के साथ-साथ इसके वित्तीय निहितार्थ, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार बताएं।

क्र. सं.	सामग्री विषय की पहचान	इंगित करें कि क्या जोखिम या अवसर (आर/ओ) हैं	जोखिम या अवसर की पहचान के लिए विवेक	जोखिम के मामले में अपनाने या घटाने का दृष्टिकोण	अवसर के जोखिम के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्म/नकारात्म प्रभाव इंगित करें)
1	निम्न का संचालन • लाल मिट्टी • फ्लाई ऐश	आर	सरकारी विनियम, पर्यावरण एवं सामाजिक चिंताएँ; व्यावसायिक निरंतरता	• लाल मिट्टी विस्तार तालाब-2 का निर्माण • खान को खाली करने के लिए लीन स्लरी ऐश निपटान • ईंट एवं सीमेंट आदि बनाने में फ्लाई ऐश के उपयोग पर जोर	नकारात्मक
2	वायु प्रदूषण का नियंत्रण	आर	सरकारी विनियम, पर्यावरण एवं सामाजिक चिंताएँ	• पार्टिकुलेट मामलों एवं फ्लोराइड को नियंत्रित करने के लिए सीपीपी एवं परिशोधक के बॉयलर स्टैक के लिए ईएसपी एवं प्रद्रावक पॉटलाइन के लिए एफ़टीपी का संचालन • परिशोधक में ईएसपी को रेट्रोफिटिंग करना • प्रद्रावक पॉटलाइन्स में ऑन-लाइन फ्यूजिटिव फ्लोराइड मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करना • प्रद्रावक में बेक ओवन स्टैक्स पर SO2 एनालाइज़र स्थापित करना।	नकारात्मक
3	बड़े पैमाने पर खतरनाक अपशिष्ट का संचालन • एसपीएल • एल्यूमिनियम ड्रॉस	आर एंड ओ दोनों	सरकारी विनियम, पर्यावरण एवं सामाजिक चिंताएँ	• एसपीएल कार्बन हिस्से का निपटान इसके ऊर्जा मूल्य के उपयोग के लिए ओएसपीसीबी द्वारा अधिकृत एक बाहरी एजेंसी को किया जाता है। • ड्रॉस को घर में ही पुनर्चक्रित किया जाता है एवं ओएसपीसीबी द्वारा अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को भी बेचा जाता है।	नकारात्मक
4	नवीकरणीय एवं स्वच्छ ऊर्जा	ओ	आरपीओ दायित्व; जलवायु-परिवर्तन संबंधी चिंताएँ	• मौजूदा 198 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्रों एवं 800 किलोवाट रूफटॉप सौर प्रतिष्ठानों का संचालन। खानों में 50 Kwp की अतिरिक्त रूफ-टॉप सौर क्षमता पहले से ही स्थापित है। • कायथार, तमिलनाडु में एक नए 25.5 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए परियोजना। • विजाग एवं दामनजोडी में नई छत सौर स्थापना के लिए पहल।	सकारात्मक

अनुभाग ख: प्रबंधन एवं प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस अनुभाग का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों एवं मूल तत्वों को अपनाने के लिए बनाई गई संरचनाओं, नीतियों एवं प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

निगम मामलों के मंत्रालय द्वारा निर्धारित उत्तरदायित्व व्यवसाय आचरण के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश (एनजीआरबीसी) पी1-पी9 नामक नौ सिद्धांतों की वकालत करते हैं जैसा कि नीचे दिया गया है :

सिद्धांत 1:	**सिद्धांत 2:**	**सिद्धांत 3:**
व्यवसायों को ईमानदारी के साथ एवं नैतिक, पारदर्शी एवं जवाबदेह तरीके से आचरण एवं शासन करना चाहिए।	व्यवसायों को सामान एवं सेवाएँ ऐसे तरीके से प्रदान करनी चाहिए जो टिकाऊ एवं सुरक्षित हो।	व्यवसायों को अपने मूल्य श्रृंखला के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों की भलाई का सम्मान करना चाहिए एवं उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।
सिद्धांत 4:	**सिद्धांत 5:**	**सिद्धांत 6:**
व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए एवं उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।	व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए एवं उन्हें बढ़ावा देना चाहिए	व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए एवं उसकी सुरक्षा एवं पुनर्स्थापन के लिए प्रयास करना चाहिए।
सिद्धांत 7:	**सिद्धांत 8:**	**सिद्धांत 9:**
व्यवसायों को, जब सार्वजनिक एवं नियामक नीति को प्रभावित करने में शामिल किया जाता है, तो उन्हें ऐसा जिम्मेदार एवं पारदर्शी तरीके से करना चाहिए।	व्यवसायों को समावेशी विकास एवं समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए।	व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए एवं उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए।

क्रम सं.	प्रकटीकरण प्रश्न	पी1	पी2	पी 3	पी4	पी 5	पी 6	पी7	पी8	पी 9
	नीति एवं प्रबंधन प्रक्रियाएँ									
1	क. क्या आपकी कंपनी की नीति/नीतियां प्रत्येक सिद्धांत एवं एनजीआरबीसी के मुख्य तत्व को कवर करती है (हां नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	ख. क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हां नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	ग. यदि उपलब्ध हो तो नीतियों का वेब लिंक	https://nalcoindia.com/company/policies-docs/								
2	क्या कंपनी ने नीति को प्रक्रियाओं में अनुवादित किया है। (हां नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3	क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों तक विस्तारित हैं? (हां नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
4	अपनाए गए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणन/लेबल/मानकों (जैसे, फ़ॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फ़ेयरट्रेड, रेनफ़ॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टिया) मानकों (जैसे, एसए 8000, ओहसासा, आईएसओ,बीआईएस) का नाम आपकी कंपनी द्वारा एवं प्रत्येक सिद्धांत पर मैप किया गया।	-	आईएसओ 9001 आईएसओ 14001 एसओ 45001 आईएसओ 50001	एसए 8000 आई एसओ 45001	-	एसए 80 00	आई एस ओ 140 01 आई एस 0 500 01	-	-	आई एस ओ 9001 आई एस ओ 270 01
5	परिभाषित समयसीमा के साथ कंपनी द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, लक्ष्य एवं लक्ष्य, यदि कोई हो।	• एमओयू लक्ष्य - अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी)/नवाचार पहल के लिए कंपनी के कर पूर्व लाभ (पीबीटी) का 2%। • गुणवत्ता, पर्यावरण, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (ओएच एंड एस), एवं ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में प्रदर्शन को मापने के लिए विभागीय एवं कंपनी दोनों स्तरों पर वार्षिक लक्ष्य स्थापित किए जाते हैं।								
6	विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के प्रति कंपनी का प्रदर्शन एवं उन्हें पूरा न होने की स्थिति में कारण भी बताएं।	• एमओयू लक्ष्य प्रदर्शन का मूल्यांकन खान मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। • उपलब्धियों की निगरानी एवं मूल्यांकन करने के लिए एकीकृत प्रबंधन प्रणाली एवं ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के हिस्से के रूप में विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों एवं लक्ष्यों के अनुसार प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है।								
	शासन, नेतृत्व एवं निरीक्षण									
7	व्यावसायिक उत्तरदायित्व प्रतिवेदन के लिए जिम्मेदार निदेशक का बयान,जो ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है (सूचीबद्ध कंपनी के पास इस प्रकटीकरण के स्थान के संबंध में लचीलापन है) नालको भारत सरकार के खान मंत्रालय के तहत एक अनुसूची 'ए' नवरत्न सीपीएसई (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम) है। यह पर्यावरण, सामाजिक एवं शासन (ईएसजी) पहलुओं के संदर्भ में स्थिरता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। नालको जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में अपनी भूमिका को स्वीकार करता है एवं पर्यावरणीय प्रबंधन को प्राथमिकता देता है। एक जिम्मेदार निगम संगठन के रूप में, नालको अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह सचेत है। कंपनी निगम प्रशासन पर महत्वपूर्ण जोर देती है।									
8	व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति (नीति) के कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण।	नाम: श्री पंकज कुमार शर्मा डीआईएन: 10041341 पदनाम: निदेशक (उत्पादन) संपर्क नंबर: 0674-2300660 ईमेल आईडी: dirprod@nalcoindia.co.in								
9	क्या कंपनी के पास वहनीयता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है? (हां नहीं)। यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।	हां, कंपनी के पास बोर्ड स्तर की उप-समिति यानी सीएसआर एवं सस्टेनेबेलिटी डेवलपमेंट समिति है जो स्थिरता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है एवं इसकी संरचना इस प्रकार है: 1. श्री दुष्यन्त उपाध्याय - अध्यक्ष 2. डॉ. बीआर रामकृष्ण - सदस्य 3. सुश्री (डॉ.) शतरूपा - सदस्य 4. निदेशक (मानव संसाधन) - सदस्य 5. निदेशक (उत्पादन) - सदस्य								

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:

समीक्षा का विषय	बताएं कि क्या बोर्ड की निदेशक समिति/किसी अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गई थी									आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)								
उपरोक्त नीतियों के प्रति प्रदर्शन एवं अनुवर्ती कार्रवाई	पी1	पी2	पी 3	पी4	पी 5	पी 6	पी7	पी8	पी 9	पी1	पी2	पी 3	पी4	पी 5	पी 6	पी7	पी8	पी 9
	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	वार्षिक								
सिद्धांतों की प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन, एवं किसी भी गैर-अनुपालन का सुधार																		

11	क्या कंपनी ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन कराया है? (हां(वाई)/नहीं(एन)).	पी1	पी2	पी 3	पी4	पी 5	पी 6	पी7	पी8	पी 9
	यदि हां, तो एजेंसी का नाम बताएं.	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

12.	यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर "नहीं" है, अर्थात, सभी सिद्धांत एक नीति द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं, तो कारण बताया जाना चाहिए:									
	प्रश्न	पी1	पी2	पी 3	पी4	पी 5	पी 6	पी7	पी8	पी 9
	कंपनी अपने व्यवसाय के लिए सिद्धांतों को महत्वपूर्ण नहीं मानती (हाँ/नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कंपनी उस स्तर पर नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां बनाने एवं लागू करने की स्थिति में है (हां/नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कंपनी के पास कार्य के लिए वित्तीय या/मानवीय एवं तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हां/नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	इसे अगले वित्तीय वर्ष में करने की योजना है (हाँ/नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

खंड ग: सिद्धांतवार प्रदर्शन प्रकटीकरण

इस अनुभाग का उद्देश्य संस्थाओं को प्रमुख प्रक्रियाओं एवं निर्णयों के साथ सिद्धांतों एवं मूल तत्वों को एकीकृत करने में उनके प्रदर्शन को प्रदर्शित करने में मदद करना है। मांगी गई जानकारी को "आवश्यक" एवं "नेतृत्व" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि इस प्रतिवेदन को दाखिल करने के लिए अनिवार्य प्रत्येक कंपनी द्वारा आवश्यक संकेतकों का खुलासा किए जाने की उम्मीद है, जिसमें नेतृत्व संकेतकों का खुलासा स्वेच्छा से उन संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है जो सामाजिक, पर्यावरणीय एवं नैतिक रूप से जिम्मेदार होने की अपनी खोज में उच्च स्तर तक प्रगति करने की इच्छा रखते हैं।

सिद्धांत-1: व्यवसायों को ईमानदारी से एवं नैतिक, पारदर्शी एवं जवाबदेह तरीके से आचरण एवं शासन करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेज:

खंड	आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत एवं उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर की गई संबंधित श्रेणी में व्यक्तियों की आयु का %
निदेशक मंडल	2	सिद्धांत- 1, 4, 7	50%
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)	0	नहीं	नहीं
बीओडी एवं केएमपी (कार्यपालक) के अलावा अन्य कर्मचारी	175	सिद्धांत- 1, 3, 5, 6, 9	94.9 %
कर्मी	स्थायी कर्मचारी (गैर-कार्यपालक) एवं गैर-स्थायी कर्मचारी: 440	स्थायी कर्मचारी: सिद्धांत- 3,5 गैर-स्थायी कर्मचारी: सिद्धांत- 3	61.1 %

2. वित्तीय वर्ष में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाही (कंपनी द्वारा या निदेशकों/केएमपी द्वारा) में भुगतान किए गए जुर्माना/दंड/सजा/पुरस्कार/शमन शुल्क/समाधान राशि का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में (ध्यान दें: कंपनी सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 30 में निर्दिष्ट एवं कंपनी की वेबसाइट पर बताए अनुसार भौतिकता के आधार पर प्रकटीकरण करेगी)

मुद्रा					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थाएँ का नाम	राशि (आईएनआर)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या कोई अपील दायर की गई है? (हां /नहीं)
जुर्माना/जुर्माना	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
समझौता	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
समझौता शुल्क	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
गैर-मौद्रिक					

	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थानों का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या कोई अपील दायर की गई है? (हां नहीं)
कैद	शून्य	नहीं	नहीं	
सज़ा	शून्य	नहीं	नहीं	

उपरोक्त प्रश्न 2 में बताए गए उदाहरणों में से, उन मामलों में पसंदीदा अपील/संशोधन का विवरण जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई है।

मामले का विवरण	**नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम**
ना	

4. क्या कंपनी के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वत विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें एवं यदि उपलब्ध हो, तो पॉलिसी का एक वेब-लिंक प्रदान करें।

नहीं, कंपनी मौजूदा नियमों एवं विनियमों के साथ पारदर्शिता एवं अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रणाली एवं प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इन प्रयासों का उद्देश्य कामकाजी माहौल बनाना एवं अन्य संस्थाओं के साथ लेनदेन करना है जो अपेक्षाकृत भ्रष्टाचार से मुक्त हों। कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए अपनी व्यावसायिक आचरण एवं नैतिकता संहिता, व्हिसल ब्लोअर नीति, धोखाधड़ी रोकथाम नीति, सत्यनिष्ठा संधि एवं सतर्कता मैनुअल तैयार की है। ये पहल नैतिकता बनाए रखने एवं रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार को रोकने पर केंद्रित हैं। कंपनी की व्यावसायिक आचार संहिता उस तरीके को नियंत्रित करती है जिसमें वह अपनी गतिविधियों को अंजाम देती है एवं हितधारकों के साथ चर्चा करती है।

वेबलिंक - https://nalcoindia.com/company/policies-docs/

5. ऐसे निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोप में अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई हो:

	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
निदेशक	0	0
केएम.पी	0	0
कर्मचारी (कार्यपालक)	1	1
कर्मचारी (गैर-कार्यपालक)	4	0

6. हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरण

	वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2021-22	
	संख्या	टिप्पणी	संख्या	टिप्पणी
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं
केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं

7. भ्रष्टाचार एवं हितों के टकराव के मामलों पर नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा जुर्माना/दंड/कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं

सिद्धांत-2: व्यवसायों को सामान एवं सेवाएँ ऐसे तरीके से प्रदान करनी चाहिए जो टिकाऊ एवं सुरक्षित हो।

आवश्यक संकेतक

कंपनी द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास एवं पूंजीगत व्यय में उत्पाद एवं प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों को बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास एवं पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत।

	2022-23	2021-22	पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
अनुसंधान एवं विकास	5.33%	2.42%	• प्रद्रावक संयंत्र के खतरनाक अपशिष्ट एसपीएल को मूल्यवान उत्पादों में बदलने के लिए प्रौद्योगिकी में प्रगति। • लौह एवं दुर्लभ पृथ्वी तत्व (आरईई) निकालने के लिए लाल मिट्टी का उपयोग। • फ्लाई ऐश का उपयोग करके पहनने के लिए प्रतिरोधी सिरेमिक टाइल्स का निर्माण।
कैपेक्स	10.32%	15.02%	• परिशोधक एवं सीपीपी में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) परियोजनाएं प्रदूषण नियंत्रण, पुनर्चक्रण, पुन: उपयोग एवं लाल-मिट्टी विस्तार तालाब, ईएसपी रेट्रोफिटिंग सहित ऊर्जा संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करती हैं। • प्रद्रावक में पूंजीगत व्यय भूमि प्रदूषण को रोकने, जल पुनर्चक्रण, एवं निरंतर स्टैक निगरानी एवं ऊर्जा बचत के लिए कैथोड ब्लॉकों के ग्रेफाइटाइजेशन के लिए समर्पित है। • परिवेशी वायु-गुणवत्ता के प्रबंधन के लिए खानों में परिवहन सड़कों के किनारे स्प्रिंकलर प्रणाली लागू की गई एवं नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए।

2. (क) क्या कंपनी के पास टिकाऊ सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं? (हां नहीं)

हां, नालको एक एल्यूमिना एवं एल्यूमिनियम उत्पादक है, एवं इसका प्रमुख कच्चा माल बॉक्साइट है जिसे निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत एवं सभी पर्यावरण एवं सुरक्षा पहलुओं के उचित अनुपालन के साथ अपनी खदानों से निकाला जाता है। कार्यान्वित टिकाऊ प्रथाओं की मान्यता में, नालको की बॉक्साइट खदानों को भारतीय खान ब्यूरो द्वारा लगातार 5-स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है। खानों से परिशोधक तक बॉक्साइट का परिवहन एक सिंगल हॉल केबल बेल्ट कन्वेयर द्वारा होता है, जो धूल प्रदूषण को रोकने के लिए पूरी उड़ान को कवर करता है।

सभी खरीदी गई सामग्रियों के लिए, आपूर्तिकर्ताओं के चयन की प्रक्रिया में नैतिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय विचारों को व्यावसायिक विचारों के साथ एकीकृत किया जाता है। नैतिकता एवं पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, नालको की खरीद नियमावली में पर्याप्त प्रावधान हैं। इसके अलावा इंटीग्रिटी समझौता एक हस्ताक्षरित दस्तावेज़ एवं सार्वजनिक अनुबंध के लिए दृष्टिकोण दोनों है जो एक अनुबंध प्राधिकारी एवं बोलीदाताओं को सर्वोत्तम अभ्यास का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध करता है एवं अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। इसी प्रकार, आपूर्तिकर्ताओं को नालको की पर्यावरण नीति एवं सामाजिक जवाबदेही नीति के अनुरूप होना आवश्यक है।

(ख) यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत इनपुट स्थायी रूप से प्राप्त किये गये थे? 100%

3. अपने उत्पादों को पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण एवं जीवन के अंत में निपटान के लिए सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें, (क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई-अपशिष्ट (ग) खतरनाक अपशिष्ट एवं (घ) अन्य अपशिष्ट।

प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)	संगठन वर्तमान में प्लास्टिक के पुनर्ग्रहण एवं पुनर्चक्रण के लिए एक प्रक्रिया विकसित करने की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है। उत्पादों की पैकेजिंग के लिए वीएसआई एचडीपीई फैब्रिक यानी वायर रॉड कॉइल्स एवं रोल्ड उत्पाद।
ई - अपशिष्ट	नहीं
खतरनाक अपशिष्ट	नहीं

4. क्या एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी (ईपीआर) कंपनी की गतिविधियों पर लागू है।

नहीं।

नेतृत्व संकेतक

3. उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में पुनर्नवीनीकरण या पुन: उपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत।

इनपुट सामग्री इंगित करें	कुल सामग्री में पुनर्नवीनीकरण या पुन: उपयोग की गई इनपुट सामग्री	
	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
एल्यूमिनियम स्क्रैप को उत्पादित गर्म धातु के % के रूप में पुनर्चक्रित किया जाता है	2.0055	1.7653
कुल खपत के % के रूप में लाल मिट्टी से पुनर्चक्रित कास्टिक सोडा	12.64	11.22

सिद्धांत-3: व्यवसायों को अपने मूल्य श्रृंखला के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों की भलाई का सम्मान करना चाहिए एवं उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

क. कर्मचारियों की भलाई के लिए उपायों का विवरण

कवर किए गए कर्मचारियों का %											
वर्ग	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		स. (ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)	सं. (घ)	% (घ/ए)	सं. (ङ)	% (ङ/क)	सं. (छ)	% (छ/क)
स्थायी कर्मचारी (कार्यपालक)											
पुरुष	1502	1502	100	1502	100	लागू नहीं	लागू नहीं	1502	100	1502	100
महिला	86	86	100	86	100	86	100	लागू नहीं	लागू नहीं	86	100
कुल	1588	1588	100	1588	100	86	5%	1502	95	1588	100
स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य											
पुरुष	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0
महिला	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0
कुल	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0

ख. श्रमिकों की भलाई के लिए उपायों का विवरण:

कवर किए गए श्रमिकों का %											
वर्ग	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		सं. (ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	%(ग/क)	सिर हिलाकर सहमति देना)	% (घ/ए)	सं. (ङ)	% (ङ/क)	सं. (छ)	% (छ/क)
स्थायी कर्मचारीगण (गैर-कार्यपालक)											
पुरुष	3361	3361	100	3361	100	लागू नहीं	लागू नहीं	3361	100	3361	100
महिला	241	241	100	241	100	241	100	लागू नहीं	लागू नहीं	241	100
कुल	3602	3602	100	3602	100	241	7	3361	93	3602	100
स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य											
पुरुष	12077	12077	100	12077	100	लागू नहीं	लागू नहीं	12077	100	12077	100
महिला	805	805	100	805	100	805	100	ना	ना	805	100
कुल	12882	12882	100	12882	100	805	6	12077	94	12882	100

2. वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण।

लाभ	वित्त वर्ष 2022-23			वित्त वर्ष 2021-22		
	कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल श्रमिकों के % के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती की गई एवं प्राधिकारी के पास जमा की गई (हां/नहीं/ लागू नहीं)*	कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल श्रमिकों के % के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती की गई एवं प्राधिकारी के पास जमा की गई (हां/नहीं/ लागू नहीं)
भविष्य निधि	100%	100%	हाँ	100%	100%	हाँ
उपदान*	100%	22%	हाँ	100%	25%	हाँ
कर्मचारी राज्य बीमा**	लागू नहीं	78%	हाँ	लागू नहीं	75%	हाँ
अन्य-छटनी लाभ आदि**	लागू नहीं	78%	लागू नहीं	लागू नहीं	75%	लागू नहीं

* ग्रेच्युटी सिर्फ स्थायी कर्मचारियों के लिए है।

**ईएसआई एवं छटनी लाभ सिर्फ गैर-स्थायी श्रमिकों के लिए प्रयोज्य है।

3. कार्यस्थलों की पहुँच

क्या दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी के परिसर/कार्यालय दिव्यांग कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या कंपनी द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाया जा रहा है?

हाँ।

4. क्या कंपनी के पास दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हां, तो नीति के लिए एक वेब-लिंक प्रदान करें।

नहीं, लेकिन कंपनी अपने परिसर के भीतर दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित करती है।

5. मातृत्व/पितृत्व अवकाशा लेने वाले स्थायी कर्मचारियों एवं श्रमिकों की काम पर वापसी एवं प्रतिधारण दर।

लिंग	स्थायी कर्मचारी (कार्यपालक)		स्थायी कर्मचारी (गैर-कार्यपालक)	
	कार्य दर पर लौटें	अवधारण दर	कार्य दर पर लौटें	अवधारण दर
पुरुष	100%	100%	100%	100%
महिला	100%	100%	100%	100%
कुल	100%	100%	100%	100%

6. क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए शिकायतें प्राप्त करने एवं उनके निवारण के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हां, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें।

	हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षिप्त विवरण दें)
स्थायी कर्मचारी (गैर-कार्यपालक)	• अधिकारियों एवं गैर-कार्यकारियों के लिए शिकायत प्रक्रिया एचआर मैनुअल के इंट्रानेट पर 'सीडीए नियम' शीर्षक के तहत उपलब्ध है।
स्थायी श्रमिकों के अलावा अन्य	• इसके अतिरिक्त, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार, निगम कार्यालय सहित सभी इकाइयों के पास कार्यस्थल में महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने, प्रतिबंधित करने एवं संबोधित करने के लिए एक नीति है। यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए कंपनी की उत्पादन इकाइयों एवं निगम कार्यालय में आंतरिक शिकायत समितियां स्थापित की गई हैं।
स्थायी कर्मचारी (कार्यपालक)	• गैर-स्थायी श्रमिकों के लिए ऐसे श्रमिकों की शिकायतें आम तौर पर ईआईसी (कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर-इन-चार्ज) या प्लांट एचआरडी द्वारा उनके तत्काल नियोक्ता, यानी ठेकेदार के हस्तक्षेप के माध्यम से प्राप्त एवं प्रबंधित की जाती हैं।
स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य	लागू नहीं

7. सूचीबद्ध कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त संघों या यूनियनों में कर्मचारियों एवं श्रमिकों की सदस्यता:

वर्ग	वित्त वर्ष 2022-23			वित्त वर्ष 2021-22		
	संबंधित श्रेणी (क) में कुल कर्मचारी/श्रमिक, एसोसिएशन या यूनियन का हिस्सा (घ)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या, जो हैं	% (ख/क)	संबंधित श्रेणी (ग) में कुल कर्मचारी/श्रमिक, एसोसिएशन या यूनियन का हिस्सा (घ)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या, जो हैं	% (घ/ग)
कुल स्थायी कर्मचारी (कार्यपालक)	1588	1588	100	1667	1667	100
पुरुष	1502	1502	100	1580	1580	100
महिला	86	86	100	87	87	100
कुल स्थायी कर्मचारी	3602	3602	100	3853	3853	100
(गैर-कार्यपालक)						
पुरुष	3361	3361	100	3607	3607	100
महिला	241	241	100	246	246	100

8. कर्मचारियों एवं श्रमिकों को दिये गये प्रशिक्षण का विवरण:

वर्ग	वित्त वर्ष 2022-23					वित्त वर्ष 2021-22				
	कुल (क)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा/कल्याण उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (घ)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों/ कल्याण पर		कौशल उन्नयन पर	
		नहीं. (ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	%(ग/क)		सं. (ङ)	% (ङ/घ)	सं. (छ)	% (च/घ)
कर्मचारी (कार्यपालक)										
पुरुष	1502	434	29	645	43	1580	455	29	669	42
महिला	86	26	30	33	38	87	18	21	43	49
कुल	1588	460	29	678	43	1667	473	28	712	43
श्रमिक (स्थायी कर्मचारी यानी गैर-कार्यकारी)										
पुरुष	3361	524	16	659	20	3607	182	5	184	5
महिला	241	35	14.5	19	8	246	2	1	15	6
कुल	3602	559	15.5	678	19	3853	184	5	199	5

नोट: जहाँ तक गैर-स्थायी श्रमिकों का सवाल है, वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2021-22 में क्रमशः 50% (12,882 में से 6,452) और 48% (11,775 में से 5,658) को सुरक्षा पर प्रशिक्षण दिया गया था।

9. कर्मचारियों एवं श्रमिकों के प्रदर्शन एवं कैरियर विकास की समीक्षा का विवरण:

वर्ग	वित्त वर्ष 2022-23			वित्त वर्ष 2021-22		
	कुल (क)	सं. (ख)	% (ख/क)	कुल (ग)	सं. (घ)	% (घ/ग)
कर्मचारी (कार्यपालक)						
पुरुष	1502	1502	100	1580	1580	100
महिला	86	86	100	87	87	100
कुल	1588	1588	100	1667	1667	100
श्रमिक (स्थायी कर्मचारी यानी गैर-कार्यकारी)						
पुरुष	3361	3361	100	3607	3607	100
महिला	241	241	100	246	246	100
कुल	3602	3602	100	3853	3853	100

10. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

(क) क्या कंपनी द्वारा पेशागत स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हां नहीं)। यदि हां, तो ऐसी प्रणाली का कवरेज?

हां, पेशागत स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली आईएसओ 45001:2018 बंदरगाह सुविधाओं सहित नालको की सभी उत्पादन इकाइयों में लागू की गई है।

(ख) कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने एवं कंपनी द्वारा नियमित एवं गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?

कंपनी द्वारा नियमित एवं गैर-नियमित आधार पर कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने एवं जोखिमों का आकलन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है:

- खतरे की पहचान एवं जोखिम मूल्यांकन।
- सुरक्षा निरीक्षण / अवलोकन।
- दुर्घटना की जाँच।
- लगभग चूक रिपोर्टिंग।
- श्रमिकों के साथ बातचीत (टूलबॉक्स वार्ता के दौरान)।
- संयंत्र स्तरीय सुरक्षा समितियों की बैठक।
- वाह्य सुरक्षा ऑडिट/अग्निशमन लेखापरीक्षा।

(ग) क्या आपके पास श्रमिकों के लिए काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने एवं खुद को ऐसे जोखिमों से दूर करने की प्रक्रियाएं हैं। (हां/नहीं)।

हाँ।

(घ) क्या कंपनी के कर्मचारियों/श्रमिकों के पास गैर-व्यावसायिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हैं? (हां नहीं)।

हाँ।

11. सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में:

सुरक्षा घटना/संख्या	वर्ग	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
पिछली दुर्घटना आवृत्ति दर (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख व्यक्ति पर काम के घंटे)	कर्मचारी (कार्यपालक) श्रमिक (स्थायी एवं गैर-स्थायी दोनों)	0	0
		रिफ़ाइनरी- 0.3476 सीपीपी- 0.149 अन्य इकाइयाँ- 0	रिफ़ाइनरी-0.3427 सीपीपी- 0.447 स्मेल्टर- 0.0676 अन्य इकाइयाँ- 0
कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य-संबंधी चोटें	कर्मचारी (कार्यपालक)	0	0
	कर्मी	5	6
मरने वालों की संख्या (सुरक्षा घटना)	कर्मचारी (कार्यपालक)	0	0
	कर्मी	0	2
उच्च परिणाम कार्य-संबंधी चोट या खराब स्वास्थ्य (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारी (कार्यपालक)	0	0
	कर्मी	1	2

12. सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।

नालको ने आईएसओ 45001:2018 व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की है।

सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए की गई प्रमुख पहल इस प्रकार हैं:

- नियमित सुरक्षा निरीक्षण.
- सुरक्षा सभा/टूलबॉक्स वार्ता।
- लगभग-चूक रिपोर्टिंग।
- सुरक्षा समिति की बैठकें।
- खतरा एवं जोखिम आकलन।
- आंतरिक/वाह्य सुरक्षा ऑडिट।
- नियमित पीएमई (आवधिक चिकित्सा जांच), नेत्र परीक्षण शिविर।
- नालको सुरक्षा मोबाइल ऐप प्रशिक्षण एवं असुरक्षित स्थितियों की रिपोर्टिंग के लिए है।

- एएआईएनएए: दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उद्योगों में अग्रिम कार्रवाई।
- क्रॉस-फंक्शनल नालको सुरक्षा चक्र।
- ठेकेदारों के श्रमिकों के लिए सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण।
- अग्निशमन अधिकारी जीओओ से अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र।
- प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा संकेत प्रदर्शित किए गए।
- आपातकालीन तैयारियों के लिए मॉक ड्रिल।
- सुरक्षित वाहन संचालन के लिए यातायात प्रबंधन प्रणाली।
- कर्मचारियों एवं ठेकेदारों के लिए ऑडियो-वीडियो प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं सुरक्षा जागरूकता सत्र।
- गिरने से सुरक्षा प्रणाली, डंप ट्रक सिम्युलेटर आदि जैसी कई पहल।

अनुबंध कर्मचारी खतरे की पहचान एवं जोखिम मूल्यांकन में भाग लेते हैं, एवं टूल रूम बैठकें सुरक्षा व्यवहार को बढ़ावा देती हैं।

13. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2022-23			वित्त वर्ष 2021-22		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी
काम करने की स्थिति	0	0	ना	0	0	ना
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	0	0	ना	0	0	ना

14. वर्ष के लिए आकलन:

	आपके संयंत्रों एवं कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया था (कंपनी या वैधानिक अधिकारियों या तीसरे पक्ष द्वारा)
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाएँ	100%
काम करने की स्थिति	100%

15. कंपनी मेंसुरक्षा-संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) एवं स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं एवं कामकाजी परिस्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं के समाधान के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

नालको ने कर्मचारियों की भलाई सुनिश्चित करने एवं दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपने परिचालन में कई सुधारात्मक सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। असुरक्षित स्थितियों की रिपोर्ट करने के लिए मॉक ड्रिल, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन, एएनपीआर कैमरा इंस्टॉलेशन एवं नालको सुरक्षा ऐप जैसी सुरक्षा पहल लागू की गई हैं। कंपनी उपकरण प्रतिस्थापन, उद्योग 4.0 को लागू करने एवं ऊंचाई कार्य एवं सड़क सुरक्षा के लिए सर्वेक्षण करने में सक्रिय रूप से शामिल है। इन उपायों में नए सुरक्षित आवागमन प्लेटफार्म बनाना एवं धूल दमन के लिए फॉग कैनन का उपयोग करना शामिल है। उपकरण सुरक्षा के लिए मोबाइल वैक्यूम क्लीनर एवं रिवर्स बैक-अप अलार्म लागू किए गए हैं। आग से बचाव के उपायों में अग्निरोधी पॉलिमर कोटिंग्स एवं लाइटनिंग अरेस्टर शामिल हैं। विभिन्न उपकरण-विशिष्ट सुरक्षा उपाय किए गए हैं, जैसे आग की रोकथाम के लिए वैकल्पिक समाधान। कंपनी सुरक्षा उपकरणों में भी निवेश कर रही है, जिसमें गिरने से सुरक्षा प्रणाली, बूम लिफ्ट, आई वॉश शावर एवं फायर ट्रॉमा ब्लैंकेट शामिल हैं।

सिद्धांत-4: व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए एवं उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. कंपनी के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

हितधारक की पहचान- संगठन के कार्यों से प्रभावित या उस पर प्रभाव रखने वाले सभी व्यक्तियों, समूहों एवं संस्थाओं की सूची नीचे दिखाए गए गुणों के आधार पर मूल्यांकन की जाती है।

- निर्भरता समूह या व्यक्ति जो संगठन के संचालन, गतिविधियों, उत्पादों या सेवाओं पर निर्भर करते हैं या जिन पर संगठन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करने के लिए निर्भर करता है।
- जिम्मेदारी समूह या व्यक्ति जिनके प्रति संगठन के वर्तमान में कानूनी, वाणिज्यिक, परिचालन, या नैतिक/नैतिक दायित्व हैं या भविष्य में हो सकते हैं।
- ऐसे समूहों या व्यक्तियों को प्रभावित करें जो किसी संगठन या हितधारक द्वारा लिए गए रणनीतिक या परिचालन निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

उपरोक्त के आधार पर कंपनी ने सरकार, शेयरधारक, ग्राहक, कर्मचारी, समुदाय एवं मूल्य श्रृंखला भागीदार (आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / ट्रांसपोर्टर) के रूप में प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान की है।

कर्मचारियों के अलावा इन समूहों के भीतर हितधारकों की पहचान के मुख्य तरीके नीचे दिए गए हैं।

हितधारकों	पहचान प्रक्रिया
शेयरधारकों	• वार्षिक आम बैठकें
	• शिकायतें-परिवाद
सरकारी/विनियामक निकाय	• विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य सरकार निकायों के साथ बैठकें
	• अधिसूचनाएँ, परिपत्र, विभिन्न रिटर्न एवं अनुपालन प्रस्तुतियाँ
समुदाय	• आरपीडीएसी बैठकें
	• अनौपचारिक बैठकें एवं संवाद
ग्राहकगण	• निविदाएं एवं पूछताछ
	• ग्राहक बैठकें
	• फीडबैक, संतुष्टि सर्वेक्षण एवं शिकायत समाधान
आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार, ट्रांसपोर्टर	• निविदाएं एवं अनुबंध
	• विक्रेता एवं आपूर्तिकर्ता बैठक

2. आपकी कंपनी के लिए महत्वपूर्ण हितधारक समूहों की सूची बनाएं एवं प्रत्येक हितधारक समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति बताएं।

हितधारक समूह	क्या कमजोर एवं सीमांत समूह के रूप में पहचाना गया है (हां/नहीं)	संचार के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	एंगेजमेंट की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/ त्रैमासिक/अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	ऐसे एंगेजमेंट के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों एवं चिंताओं सहित सगाई का उद्देश्य एवं दायरा
शेयरधारकगण	नहीं	ई-मेल, पत्र, वेबसाइट, समाचार पत्र, वार्षिक आम बैठकें	नियमित एवं आवश्यकता आधारित	कंपनी का प्रदर्शन, लाभांश, शिकायतें एवं शिकायतें
समुदाय	हाँ	अनुरोध पत्र- ईमेल, सामुदायिक बैठकें	आवश्यकता आधारित	समुदाय को बुनियादी ढांचे, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता की आवश्यकता है
सरकारी प्राधिकरण/ नियामक निकाय	नहीं	बैठकें, ईमेल, पत्र	नियमित एवं आवश्यकता आधारित	बुनियादी ढांचे का विकास, कंपनी का प्रदर्शन, श्रम मुद्दे, निगम सामाजिक जिम्मेदारियां, विभिन्न नियमों, अधिनियमों, विनियमन एवं कानूनों का अनुपालन
ग्राहकगण	नहीं	वेबसाइट, ईमेल, पत्र, बैठकें, सम्मेलन, सर्वेक्षण	नियमित एवं आवश्यकता आधारित	वाणिज्यिक मामले, नीतिगत मुद्दे, बाजार की स्थिति, शिकायतें एवं शिकायतें
कर्मचारीगण	नहीं	संघों एवं यूनियनों के साथ चर्चा मंच, ईमेल, पत्र, सर्वेक्षण,	नियमित	लाभ एवं पारिश्रमिक, प्रदर्शन रेटिंग एवं मान्यता, कैरियर विकास, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास, सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्य स्थिति,
मूल्य श्रृंखला भागीदार (आपूर्तिकर्ता, विक्रेता, ठेकेदार)	आंशिक रूप में	वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स, ईमेल, पत्र, विक्रेता बैठक	नियमित एवं आवश्यकता आधारित	एमएसई इकाइयों को विशेष विशेषाधिकार, पारदर्शिता एवं भ्रष्टाचार विरोधी प्रथाएं, सरलीकृत प्रक्रिया एवं समय पर भुगतान, खरीद के नियम एवं शर्तें, विवादों का शीघ्र निपटान एवं शिकायतों का निवारण।

सिद्धांत-5: व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए एवं उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. वे कर्मचारीगण एवं श्रमिकगण, जिन्हें निम्नलिखित प्रारूप में मानवाधिकार मुद्दों एवं कंपनी की नीतियों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:

वर्ग	वित्त वर्ष 2022-23			वित्त वर्ष 2021-22		
	कुल (क)	शामिल किए गए कर्मचारियों/ कर्मचारियों की संख्या (ख)	% (ख/क)	कुल (ग)	कवर किए गए कर्मचारियों/ श्रमिकों की संख्या (घ)	% (घ/ग)
कर्मचारी (कार्यपालक)						
स्थायी	1588	61	4	1667	0	0.00
स्थायी के अलावा अन्य	0	लागू नहीं	लागू नहीं	0	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल कर्मचारी	1588	61	4	1667	0	0.00
श्रमिक						
स्थायी (गैर-कार्यपालक)	3602	0	0.00	3853	0	0.00
स्थायी के अलावा अन्य	12882	0	0.00	11828	0	0.00
कुल श्रमिक	16484	0	0.00	15681	0	0.00

2. कर्मचारियों एवं श्रमिकों को भुगतान की जाने वाली न्यूनतम मजदूरी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में है:

	वित्त वर्ष 2022-23					वित्त वर्ष 2021-22				
	कुल (क)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से भी अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से भी अधिक	
		सं. (ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	%(ग/क)		सं. (ङ)	% (ङ/घ)	सं. (छ)	% (च/घ)
कर्मचारी (कार्यपालक)										
स्थायी	1588	लागू नहीं	लागू नहीं	1588	100	1667	लागू नहीं	लागू नहीं	1667	100
पुरुष	1502	लागू नहीं	लागू नहीं	1502	100	1580	लागू नहीं	लागू नहीं	1580	100
महिला	86	लागू नहीं	लागू नहीं	86	100	87	लागू नहीं	लागू नहीं	87	100
स्थायी के अलावा अन्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
पुरुष	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कर्मी										
स्थायी (गैर-कार्यपालक)	3602	लागू नहीं	लागू नहीं	3602	100	3853	लागू नहीं	लागू नहीं	3853	100
पुरुष	3361	लागू नहीं	लागू नहीं	3361	100	3607	लागू नहीं	लागू नहीं	3607	100
महिला	241	लागू नहीं	लागू नहीं	241	100	246	लागू नहीं	लागू नहीं	246	100
स्थायी के अलावा अन्य	12882	लागू नहीं	लागू नहीं	12882	100	11828	लागू नहीं	लागू नहीं	11828	100
पुरुष	12077	लागू नहीं	लागू नहीं	12077	100	11045	लागू नहीं	लागू नहीं	11045	100
महिला	805	लागू नहीं	लागू नहीं	805	100	783	लागू नहीं	लागू नहीं	783	100

3. निम्नलिखित प्रारूप में पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण: (रु. में)

	पुरुष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी
निदेशक मंडल (बीओडी)	6	7,630,432.17	0	लागू नहीं
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	7	7,402,563	0	लागू नहीं
(कार्यपालक) के अलावा अन्य कर्मचारी	1502	3,546,713.10	86	2,950,207.40
श्रमिक* (स्थायी कर्मचारी यानी गैर-कार्यकारी)	3361	2,639,015.06	241	1,861,066.81

*अस्थायी श्रमिकों को कंपनी द्वारा सीधे वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है। हालाँकि, यह सुनिश्चित किया जाता है कि ठेकेदार बिना किसी भेदभाव के निर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी से अधिक का भुगतान करें।

4. क्या आपके पास व्यवसाय द्वारा उत्पन्न या योगदान किए गए मानवाधिकार प्रभावों या मुद्दों के समाधान के लिए जिम्मेदार कोई केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है? (हां नहीं)

   हाँ

5. मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।

   अधिकारियों एवं गैर-अधिकारियों के लिए शिकायत प्रक्रिया सीडीए नियम शीर्षक के तहत एचआर मैनुअल के इंट्रानेट में पाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुपालन में, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध एवं निवारण के संबंध में निगम कार्यालय सहित सभी इकाइयों में एक नीति मौजूद है। यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए उत्पादन इकाइयों एवं निगम कार्यालय में आंतरिक शिकायत समितियां स्थापित की गई हैं।

   हालाँकि, गैर-स्थायी श्रमिकों, विशेष रूप से ठेकेदारों के श्रमिकों के लिए, कोई विशेष रूप से परिभाषित शिकायत निवारण प्रक्रिया नहीं है। ऐसे मामलों में, शिकायतें आम तौर पर तत्काल नियोक्ता, जो ठेकेदार है, के साथ हस्तक्षेप करके ईआईसी (कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर-इन-चार्ज) या प्लांट एचआरडी (मानव संसाधन विभाग) द्वारा प्राप्त एवं संबोधित की जाती हैं।

6. कर्मचारियों एवं श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2022-23			वित्त वर्ष 2021-22		
	वर्ष के दौरान दाखिल	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दाखिल	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी
यौन उत्पीड़न	0	0	लागू नहीं	1	0	जुर्माना लगाया गया
कार्यस्थल पर भेदभाव	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
बाल श्रम	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
वेतन	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
मानवाधिकार संबंधी अन्य मुद्दे	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं

7. भेदभाव एवं उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता पर प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र।

   भेदभाव या उत्पीड़न के मामलों से जुड़े प्रत्येक मामले का शिकायतकर्ता के लिए संभावित प्रतिकूल परिणामों को निर्धारित करने के लिए सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन करने पर, स्थिति को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए उचित उपाय लागू किए जाते हैं, जिसमें पुनर्गठन भी शामिल हो सकता है।

8. क्या मानवाधिकार आवश्यकताएँ आपके व्यावसायिक समझौतों एवं अनुबंधों का हिस्सा हैं? हाँ/नहीं

   हाँ

9. वर्ष के लिए आकलन:

	आपके संयंत्रों एवं कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया (कंपनी या वैधानिक प्राधिकारीगण या तीसरे पक्ष द्वारा)
बाल श्रम	100%
जबरन/अनैच्छिक श्रम	100%
यौन उत्पीड़न	100%
कार्यस्थल पर भेदभाव	100%
वेतन	100%
अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	लागू नहीं

10. उपरोक्त प्रश्न 9 में मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

    लागू नहीं

व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं वहनीयता प्रतिवेदन

सिद्धांत-6: व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए एवं उसकी सुरक्षा एवं पुनर्स्थापन के लिए प्रयास करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. कुल ऊर्जा खपत (गीगा जूल में) एवं ऊर्जा तीव्रता का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में:

मापदण्ड	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
कुल बिजली खपत (क)	43,59,616	49,53,024
कुल ईंधन खपत (ख)	9,85,80,904	10,02,65,819
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (ग) रूफ-टॉप सोलर	2,529	2,648
कुल ऊर्जा खपत (क+ख+ग)	10,29,43,048	10,52,21,491
टर्नओवर के प्रति रुपये में ऊर्जा तीव्रता	0.00073	0.00075

टिप्पणी: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) नहीं। यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम: लागू नहीं

2. क्या कंपनी के पास भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि एवं व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचानी गई कोई साइट/सुविधाएं हैं? (हां/नहीं)

   हाँ।

   यदि हां, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल किए गए हैं। (हां/नहीं)।

   हाँ।

   जल से संबंधित निम्नलिखित खुलासों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मापदण्ड	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) ऊपरी तह का पानी	4,43,12,745	4,67,43,192
(ii) भूजल	2,03,622	1,60,189
(iii) तीसरे पक्ष का पानी	4,327	48,324
(iv) समुद्री जल/अलवणीकृत जल	0	0
(v) अन्य	0	0
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)(i + ii + iii + iv + v)	4,45,20,694	4,69,51,705
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	4,45,20,694	4,69,51,705
प्रति रुपए टर्नओवर में जल की तीव्रता	0.00031	0.00033

4. क्या कंपनी ने शून्य तरल निर्वहन के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज एवं कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।

   हां, खदान, स्मेल्टर, ग्रहीत विद्युत संयंत्र, परिशोधक सहित नालको की सभी परिचालन इकाइयों में शून्य तरल निर्वहन है।

5. कृपया कंपनी द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मापदण्ड		कृपया कंपनी निर्दिष्ट करें	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
NOx		mg/Nm3		
•	प्रद्रावक एफ़टीपी/एफटीसी स्टैक औसत।		31.40	36.08
•	ग्रहीत विद्युत संयंत्र बॉयलर स्टैक औसत।		257.76	283.96
•	परिशोधक बॉयलर स्टैक औसत।		232.00	225.20
•	परिशोधक कैलसिनर स्टैक		450.00	426.20
SOx		mg/Nm3		
•	प्रद्रावक एफ़टीपी/एफटीसी स्टैक औसत।		62.47	62.40
•	ग्रहीत विद्युत संयंत्र बॉयलर स्टैक औसत।		514.66	533.98
•	परिशोधक बॉयलर स्टैक औसत।		461.60	367.50
•	परिशोधक कैलसिनर स्टैक		319.70	316.50
मापदंड		कृपया कंपनी निर्दिष्ट करें	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
कणिका तत्व		mg/Nm3		
•	प्रद्रावक एफ़टीपी/एफटीसी स्टैक औसत।		30.63	25.76
•	सीपीपी बॉयलर स्टैक औसत।		70.89	70.68
•	परिशोधक बॉयलर स्टैक औसत।		79.53	83.58
•	परिशोधक कैलसिनर स्टैक		22.54	27.84
पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटैंट्स (पीओपी)		-	ना	ना
वोलैटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स (वीओसी) - प्रद्रावक बेक ओवन स्टैक्स पीएएच उत्सर्जन		µg/Nm3	<0.2	<0.2
हजार्डस एयर पोल्यूशन (एचएपी)		-	ना	ना
अन्य (प्रद्रावक पॉटलाइन्स एवं बेक ओवन से फ्लोराइड एवं फ्यूजिटिव फ्लोराइड उत्सर्जन)		किग्रा/टी	0.4515	0.4118

टिप्पणी: अंकित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) नहीं, यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम: लागू नहीं

6. निम्नलिखित प्रारूप में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 एवं स्कोप 2 उत्सर्जन) एवं इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:

मापदंड	कंपनी	जीएचजी उत्सर्जन वित्त वर्ष 2022-23	जीएचजी उत्सर्जन वित्त वर्ष 2021-22
कुल दायरा 1 उत्सर्जन	$MTCO_2$ समतुल्य	1,01,99,426	1,03,42,032
कुल दायरा 2 उत्सर्जन	$MTCO_2$ समतुल्य	9,86,969	11,32,426
कुल स्कोप 1 एवं स्कोप 2 उत्सर्जन प्रति रुपये टर्नओवर	MTCO2 Eq./ रु.	0.000079	0.000082

टिप्पणी: जीएचजी उत्सर्जन की गणना के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से उत्सर्जन कारक, CO2 बेसलाइन डेटाबेस संस्करण 18 एवं राष्ट्रीय ग्रीनहाउस गैस इन्वेंटरी के लिए आईपीसीसी दिशानिर्देशों को संदर्भित किया गया है। प्रद्रावक प्रक्रिया से जीएचजी उत्सर्जन का अनुमान लगाने के लिए, एल्यूमिनियम सेक्टर जीएचजी कार्यपुस्तिका का उपयोग किया जाता है।

टिप्पणी: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) नहीं

यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम: लागू नहीं

7. क्या कंपनी के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ तो विवरण उपलब्ध कराएँ।

   कंपनी दो मुख्य रणनीतियों के माध्यम से अपने ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने पर ध्यान केंद्रित करती है:

   - नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करना एवं
   - प्रक्रिया संवर्द्धन, उपकरण आधुनिकीकरण एवं अनुसंधान एवं विकास पहल के माध्यम से ऊर्जा दक्षता में सुधार।

   परिचालन पवन ऊर्जा परियोजनाएं गांधीकोटा, आंध्र प्रदेश (50.4 मेगावाट), लुदर्वा, राजस्थान (47.6 मेगावाट), देवीकोट, राजस्थान (50 मेगावाट), एवं जाथ, महाराष्ट्र (50.4 मेगावाट) में स्थित हैं।

   इसके अतिरिक्त, विभिन्न स्थानों पर विभिन्न छत पर सौर पीवी संयंत्र परिचालन में हैं, जबकि दामनजोड़ी एवं विशाखापट्टणम के लिए नई स्थापना की योजना बनाई गई है।

   जीएचजी उत्सर्जन में कटौती को लक्षित करते हुए कई ऊर्जा दक्षता परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे कैथोड ब्लॉक ग्रेफाइटाइजेशन, स्लॉटेड एनोड का उपयोग, डैम्पर्स एवं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड्स की स्थापना, कंडेनसर की रासायनिक सफाई, एचएसडी खपत में कमी, वीएफडी स्थापना, एवं लैंप एवं मोटर्स को ऊर्जा -कुशल विकल्प से बदलना। प्रद्रावक संयंत्रों के लिए कम ऊर्जा सेल प्रौद्योगिकी विकसित करने के उद्देश्य से एक परीक्षण पायलट परियोजना ने विशिष्ट डीसी ऊर्जा खपत में महत्वपूर्ण कमी हासिल की है।

8. कंपनी द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मापदंड	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मेट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट (क)	0.00	0.00
ई-अपशिष्ट (ख)	14.16	14.69
जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (ग)	1.78	1.88
निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (घ)	10.00	8.00
बैटरी अपशिष्ट (ङ)	27.03	36.43
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (छ)	0.00	0.00
अन्य खतरनाक अपशिष्ट. ओएसपीसीबी द्वारा दिए गए खतरनाक अपशिष्ट प्राधिकरण के अनुसार	94,016.60	86,324.3
उत्पन्न अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट (ज)। अत्यधिक, लाल मिट्टी। नीबू का कण, फ्लाई ऐश, लौह एवं अलौह स्क्रैप, दुर्दम्य ईंटें, मिश्रित मलबा	74,01,597.38	75,77,180.15
कुल (क+घ + ग + घ + ङ + च + छ + ज)	74,95,666.95	76,63,565.44
उत्पन्न कचड़े की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुन: उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट (मेट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी (निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट)		
(i) पुनर्चक्रित	0	0
(ii) पुन: उपयोग (सड़क विकास/अन्य सिविल कार्य)	10	8
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0	0
कुल	10	8
अपशिष्ट की श्रेणी (अन्य खतरनाक अपशिष्ट)		
(i) पुनर्चक्रित (खर्च किए गए एनोड, ड्रॉस, खाली रासायनिक कंटेनर आदि)	82,804.59	73,775.18
(ii) पुनः उपयोग किया जाना	30	0
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0	0
कुल	82,834.59	73,775.18
अपशिष्ट की श्रेणी (अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट)		
(i) पुनर्चक्रित	0	0
(ii) पुन: उपयोग (सड़क विकास/अन्य सिविल कार्य)	9,45,147	9,69,546
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0	0
कुल	9,45,147	9,69,546
मापदंड	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मेट्रिक टन में)		

मापदंड	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
उत्पन्न कचड़े की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटान किया गया कुल अपशिष्ट (मेट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी (ई-अपशिष्ट)		
(i) इनसिनरेशन	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान परिचालन (अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं के लिए)	5.356	7.53
कुल	5.356	7.53
अपशिष्ट की श्रेणी (जैव-चिकित्सा अपशिष्ट)		
(i) इनसिनरेशन	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान परिचालन (स्वयं उपचार सुविधा)	1.78	1.88
कुल	1.78	1.88
अपशिष्ट की श्रेणी (बैटरी अपशिष्ट)		
(i) इनसिनरेशन	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान परिचालन (प्राधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं के लिए)	29.29	42.96
कुल	29.29	42.96
अपशिष्ट की श्रेणी (अन्य खतरनाक अपशिष्ट)		
(i) इनसिनरेशन	124.589	117.842
(ii) लैंडफिलिंग (कैप्टिव लैंडफिल)	47.341	31.325
(iii) अन्य निपटान संचालन (अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं, सीएचडब्ल्यूटीएसडीएफ सुकिंदा के लिए)	28,556.7	41,045.69
कुल	28,728.63	41,194.86
अपशिष्ट की श्रेणी (अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट)		
(i) इनसिनरेशन	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य (लाल मिट्टी का तालाब, राख निपटान, बिक्री, निचले इलाकों को भरना आदि)	69,39,754.87	61,51,119.72
कुल	69,39,754.87	61,51,119.72

टिप्पणी: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) नहीं
यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम: लागू नहीं

9. आपके प्रतिष्ठानों में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों का संक्षेप में वर्णन करें।

नालको की परिचालन इकाइयों ने आईएसओ 14001 पर आधारित एक पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली लागू की है। अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन में उनके प्रबंधन, संग्रह, स्वागत, भंडारण, उपचार, परिवहन एवं निपटान के लिए पहचान, वर्गीकरण एवं जिम्मेदारी असाइनमेंट शामिल है।

- ई-कचड़े एवं बैटरी कचड़े को अलग किया जाता है एवं अधिकृत संग्रह केंद्रों/डिसमेंटलर्स/रिसाइक्लर्स पर निपटाया जाता है।
- अनुगुळ एवं दामनजोड़ी में चिकित्सा सुविधाओं में उत्पन्न जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का उपचार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी प्राधिकरण आदेश के अनुसार हमारे स्वयं के जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सुविधा में किया जाता है।
- अन्य खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों का विवरण निर्दिष्ट किया गया है, जिसमें उनकी श्रेणी, ओएसपीसीबी (ओडिशा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड) द्वारा दिए गए खतरनाक अपशिष्ट प्राधिकरण के अनुसार अधिकृत मात्रा, उत्पादन का स्रोत, भंडारण की विधि एवं निपटान की विधि शामिल है।
- स्पेंट पोटलाइनिंग (एसपीएल) के कार्बन हिस्से को खतरनाक घटकों के विषहरण एवं पर्यावरण-अनुकूल तरीके से इसके ऊर्जा मूल्य के उपयोग के लिए अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को निपटाया जाता है। एसपीएल के दुर्दम्य एवं मिश्रित फाइन को एक ढके हुए शेड के नीचे संग्रहित किया जाता है। सीएचडब्ल्यूटीएसडीएफ (कॉमन, हजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी) में इनका निपटान करने के लिए ओएसपीसीबी से अनुमति का इंतजार है।
- एल्यूमिनियम ड्रॉस को ठंडा किया जाता है, एक अतिरिक्त स्नान हैंडलिंग प्रणाली के ऑटोजेनस मिल में कुचल दिया जाता है, जहां धातु भाग को पुनर्प्राप्त किया जाता है, एवं शेष ड्रॉस भाग को बाथ के साथ मिलाया जाता है एवं एनोड कवरिंग के लिए पॉट में उपयोग किया जाता है।ड्रॉस के विरासती स्टॉक का निपटान अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को किया जाता है।
- एनोड बनाने के लिए स्पेंट एनोड बट्स को 100% पुनर्चक्रित किया जाता है। कार्बन क्षेत्र खतरनाक अपशिष्ट, जिसमें फर्श साफ़ करने वाला अपशिष्ट, शॉट ब्लास्टिंग अपशिष्ट, एवं भट्टियों की अस्वीकृत लाइनिंग शामिल है, का निपटान सामान्य खतरनाक अपशिष्ट लैंडफिल (सीएचडब्ल्यूटीएसडीएफ) में किया जाता है।
- विभिन्न प्रक्रियाओं एवं रखरखाव गतिविधियों के दौरान उत्पन्न प्रयुक्त तेल को सुरक्षित ड्रमों या बैरल में रखा जाता है एवं एक ढके हुए शेड के नीचे संग्रहीत किया जाता है, जो बिखरे हुए तेल को इकट्ठा करने की सुविधा से सुसज्जित होता है। प्रयुक्त तेल की नीलामी या ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित अधिकृत पुनर्प्रसंस्करणकर्ताओं/पुनर्चक्रणकर्ताओं को बेचा जाता है।

गैर-खतरनाक अपशिष्ट:

- बॉक्साइट खानों में उत्पन्न ओवरबर्डन का खनन-रहित क्षेत्रों के सुधार में 100% पुन: उपयोग किया जाता है।
- एल्यूमिना परिशोधक में उत्पन्न लाल मिट्टी एवं लाइम ग्रिट का निपटान लाल मिट्टी के तालाब में किया जाता है।
- सीपीपी (ग्रहीत विद्युत संयंत्र) की राख को लीन स्लरी मोड में पाइपलाइनों के माध्यम से दक्षिण भरतपुर ओसीपी (ओपन कास्ट प्रोजेक्ट) की परित्यक्त खान में निपटान किया जाता है। ऐश पॉन्ड-I को सक्रिय अवस्था में रखा जाता है एवं आपातकालीन निपटान के लिए उपयोग किया जाता है। एल्यूमिना परिशोधक में उत्पन्न फ्लाई ऐश का उपयोग निचले इलाकों को भरने एवं ईंट बनाने सहित अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

- सीपीपी कोयला मिल के अस्वीकृत को आगे के निपटान के लिए एक समर्पित अस्वीकृत हैंडलिंग यार्ड में संग्रहीत किया जाता है।
- लौह स्क्रैप को पुनर्चक्रित किया जाता है, पुन: उपयोग किया जाता है, या बाहरी एजेंसियों को बेचा जाता है। आर्थिक मूल्य वाले अलौह स्क्रैप को भी पुनर्चक्रित, पुन: उपयोग किया जाता है, या बाहरी एजेंसियों को बेचा जाता है।
- प्रयुक्त रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स का उपयोग संयंत्र के अंदर कठोर सतह एवं सड़क निर्माण के लिए किया जाता है। मिश्रित मलबे का निस्तारण निचले इलाकों में किया जाता है।
- खाद्य अपशिष्ट, जैसे कि कैंटीन अपशिष्ट एवं बागवानी अपशिष्ट, को ठोस अपशिष्ट यांत्रिक अपशिष्ट कनवर्टर का उपयोग करके खाद में परिवर्तित किया जाता है।

आपके उत्पादों एवं प्रक्रियाओं में खतरनाक एवं जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति एवं ऐसे कचड़े के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें।

खतरनाक एवं जहरीले रसायनों के उपयोग को प्रक्रिया नियंत्रण के माध्यम से अनुकूलित किया गया है, एवं उनके सुरक्षित संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) लागू की गई हैं। जब भी संभव हो इन रसायनों का प्रतिस्थापन किया जाता है।

एनोड बनाने की प्रक्रिया के दौरान, कई खतरनाक कचड़े को वापस प्रक्रिया में पुनर्चक्रित किया जाता है। एल्यूमिनियम ड्रॉस, एक उपोत्पाद, को धातु भाग को पुनर्प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। ड्रॉस के शेष हिस्से का उपयोग पॉटलाइन्स में उपयोग की जाने वाली स्नान सामग्री में किया जाता है, जो एनोड बनाने की प्रक्रिया की समग्र दक्षता एवं स्थिरता में योगदान देता है।

10. यदि कंपनी के पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र इत्यादि) में/आस-पास परिचालन/कार्यालय हैं, जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/अनुमति की आवश्यकता है, तो कृपया निर्दिष्ट करें निम्नलिखित प्रारूप में विवरण:

क्रम सं.	संचालन/कार्यालयों का स्थान	संचालन का प्रकार	क्या पर्यावरणीय स्वीकृति/अनुमति की शर्तों का पालन किया जा रहा है? (हां/नहीं) यदि नहीं, तो उसके कारण एवं यदि कोई हो तो सुधारात्मक कार्रवाई की गई।
1	पंचपटमाली बॉक्साइट खान, दामनजोड़ी, जिला - कोरापुट, ओडिशा	बॉक्साइट का खनन	हाँ

11. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:

परियोजना का नाम एवं संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना संख्या	तारीख	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां / नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित (हां/नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
शून्य					

12. क्या कंपनी भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है, जैसे कि जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एवं उसके तहत नियम (हां) /नहीं)।

हाँ

नेतृत्व संकेतक

6. यदि कंपनी ने संसाधन दक्षता में सुधार करने, या उत्पन्न उत्सर्जन/प्रवाह निर्वहन/अपशिष्ट के कारण प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशिष्ट पहल की है या नवीन प्रौद्योगिकी या समाधान का उपयोग किया है, तो कृपया उसके विवरण के साथ-साथ ऐसी पहल के परिणाम भी प्रदान करें। निम्नलिखित प्रारूप:

क्रम सं.	पहल की गई	पहल का विवरण (वेब-लिंक, यदि कोई हो, सारांश के साथ प्रदान किया जा सकता है)	पहल का परिणाम
1	खानों में समवर्ती पुनर्ग्रहण एवं पुनर्वास	खनन किए गए क्षेत्र को समवर्ती रूप से पुनः प्राप्त किया जाता है एवं ओवरबर्डन कचड़े के साथ पुनर्वास किया जाता है	किसी अपशिष्ट डंप की आवश्यकता नहीं है.
2	खानों में एचईएमएम में डीजल की खपत को कम करने के लिए डीजल में एडिटिव्स को शामिल करना	डीजल की खपत को कम करने एवं ईंधन दक्षता बढ़ाने के लिए हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम) में विशेष एडिटिव्स का कार्यान्वयन टिकाऊ प्रथाओं एवं मशीनरी प्रदर्शन के अनुकूलन के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है।	डीजल की खपत में लगभग 4-5% की कमी देखी गई है।
3	खानों में उपचारित अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण	खान कैंटीन एवं वाहन धोने के क्षेत्र से उपचारित अपशिष्ट जल को धूल दमन के लिए 100% पुन: उपयोग किया जाता है।	जल संरक्षण
4	खानों में अपशिष्ट से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना	कैंटीन से निकलने वाले जैविक कचड़े के उपचार के लिए बायोगैस संयंत्र (3 नग) स्थापित किए गए हैं	कचड़े का पूरी तरह से उपचार किया गया है एवं स्वच्छ ईंधन गैस उत्पन्न की गई है।
5	परिशोधक में प्रक्रिया उपयोग के लिए लाल मिट्टी के अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण किया जाता है	शोधन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न लाल मिट्टी को लाल मिट्टी तालाब में छोड़ दिया जाता है। तालाब में, लाल मिट्टी जम जाती है, जिससे पानी अलग हो जाता है एवं निथर जाता है। फिर निस्तारित पानी को पुन: उपयोग के लिए परिशोधक प्रक्रिया क्षेत्र में वापस पंप किया जाता है।	मीठे पानी की खपत में कमी.
6	परिशोधक में सूखी राख निकालने के लिए ऐश तालाब के अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण किया जाता है	उत्पन्न राख के घोल को राख तालाब में छोड़ दिया जाता है, जहां राख के कण जमा हो जाते हैं, एवं निस्तारित पानी को राख निकालने के लिए परिशोधक संयंत्र में राख निपटान पंप हाउस में वापस भेज दिया जाता है।	मीठे पानी की खपत में कमी.
7	अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण के साथ सीपीपी से दक्षिण भरतपुर ओसीपी की आवंटित आवंटित खान में राख निपटान की लीन स्लरी परियोजना	नालको के ग्रहीत विद्युत संयंत्र (सीपीपी) ने उत्पन्न राख का 100% उपयोग प्राप्त करने एवं उपचारित पानी का पुन: उपयोग करने के लिए परित्यक्त खानों में लीन स्लरी निपटान विधि का उपयोग करके राख के निपटान के लिए एक परियोजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया। ऐश तालाब एवं खान से प्राप्त पुनर्चक्रित पानी में गंदगी को एवं कम करने के लिए 3000 m3/घंटा की क्षमता वाला एक क्लेरीफ्लोक्यूलेटर स्थापित किया गया है। इस उपचारित पानी का उपयोग राख घोल तैयार करने एवं अन्य पौधों के उद्देश्यों सहित विभिन्न संयंत्र प्रक्रियाओं में पुन: उपयोग के लिए किया जाता है।	100% फ्लाई ऐश उपयोग प्राप्त करना प्रक्रिया आवश्यकताओं के लिए राख जल का पुन: उपयोग।

क्रम सं.	पहल की गई	पहल का विवरण (वेब-लिंक, यदि कोई हो, सारांश के साथ प्रदान किया जा सकता है)	पहल का परिणाम
8	वर्षा जल संचयन एवं संरक्षण	खानों में, वर्षा जल एकत्र करने एवं वृक्षारोपण आदि के लिए उपयोग करने के लिए वर्षा जल संचयन तालाबों का निर्माण किया गया है, जिनकी कुल भंडारण क्षमता लगभग 65880 घन मीटर है। खान के चारों ओर एक इन-सीटू परिधीय अवरोध का निर्माण किया गया है जो किसी भी वर्षा जल को घाटी के नीचे जाने से रोकता है। खनन गड्ढे से सारा अपवाह जमीन में समा जाता है जिससे भूजल रिचार्ज होता है। एल्यूमिना परिशोधक में, चार अदद छत पर वर्षा जल संचयन की कई परियोजनाएं चालू हैं। ग्रहीत विद्युत संयंत्र (सीपीपी) में, वर्षा जल संचयन एवं पुनर्चक्रण प्रणाली लागू की गई है। इस प्रणाली में 50,000 m3 की क्षमता वाला एक तालाब एवं 500 m3 की संयुक्त क्षमता वाले दो पंप शामिल हैं। संग्रहित एवं पुनर्चक्रित वर्षा जल का उपयोग आरसीपीएच-1 के फायर हाइड्रेंट फोर बे को फिर से भरने एवं विभिन्न संयंत्र उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसके अलावा, सीडब्ल्यू पंप हाउस एवं आरसीपीएच में छत पर वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की गई है।	स्रोत से पानी की निकासी कम हो गई
9	प्रद्रावक में सतही अपवाह एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन	आयन-एक्सचेंज डी-फ्लोराइडेशन संयंत्र से उपचारित पानी का उपयोग कार्बन क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं एनोड को ठंडा करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एम्रियन नैनो डी-फ्लोराइडेशन संयंत्र से उपचारित पानी शीतलन उद्देश्यों के लिए पानी बनाने के रूप में कार्य करता है। विभिन्न क्षेत्रों से गैर-फ्लोरीनयुक्त सतही बहाव को ट्विन सम्प (जीरो डिस्चार्ज सम्प) में एकत्र किया जाता है, फिर बागवानी उपयोग, वाहन धोने एवं सिविल निर्माण के लिए पुनर्नवीनीकरण किया जाता है, जिससे पानी के किसी भी निर्वहन को रोका जा सकता है। एम्रियन नैनो डी-फ्लोराइडेशन प्लांट की क्षमता को 1.0 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रति दिन) से बढ़ाकर 2.0 एमएलडी करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। यह पहल दुनिया में इतने बड़े पैमाने पर अपनी तरह की पहली पहल है, जिसमें शून्य अस्वीकृति एवं नगण्य कीचड़ उत्पादन शामिल है।	अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण के कारण स्रोत से पानी की निकासी कम हो गई।

7. क्या कंपनी के पास व्यवसाय निरंतरता एवं आपदा प्रबंधन योजना है? विवरण 100 शब्दों/वेब लिंक में दें।

- बॉक्साइट खदानें: व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (ओएचएस) परिणामों एवं पर्यावरणीय घटनाओं सहित आपात स्थितियों पर प्रतिक्रिया देने के लिए एक आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी)/ऑन-साइट आपातकालीन योजना (ओएसईपी) स्थापित की गई है। तैयारी सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों को शामिल करते हुए नियमित परीक्षण एवं मॉक ड्रिल त्रैमासिक आयोजित किए जाते हैं।
- एल्यूमिना परिशोधक: एक ऑन-साइट आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना स्थापित की गई है, जिसमें फैक्ट्री प्रबंधक एवं समर्पित सीआईएसएफ अग्निशमन कर्मियों के लिए विशिष्ट भूमिकाएं शामिल हैं। नियमित रूप से आग एवं रासायनिक मॉक ड्रिल आयोजित की जाती हैं, एवं एक अच्छी तरह से परिभाषित आपातकालीन कमांड संरचना होती है।
- प्रद्रावक संयंत्र: एक आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी)/साइट पर आपातकालीन योजना लागू है, जो पूल में आग, एचएफओ (हेवी फ्यूल ऑयल) भंडारण टैंक में आग के गोले एवं एलपीजी भंडारण क्षेत्र में घटनाओं जैसी आपात स्थितियों को संबोधित करती है। संयंत्र आवश्यक अग्निशमन एवं बचाव उपकरणों से सुसज्जित है।
- ग्रहीत विद्युत संयंत्र: ग्रहीत विद्युत संयंत्र में एक समान आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी)/ऑन-साइट आपातकालीन योजना स्थापित की गई है।

  कुल मिलाकर, इन सुविधाओं में व्यापक आपातकालीन योजनाएँ हैं जिनकी समय-समय पर समीक्षा एवं अद्यतन किया जाता है। तैयारियों को सुनिश्चित करने एवं संबंधित कर्मियों को आपातकालीन प्रोटोकॉल एवं प्रक्रियाओं से परिचित कराने के लिए नियमित अभ्यास आयोजित किए जाते हैं।

सिद्धांत-7: व्यवसायों को, जब सार्वजनिक एवं नियामक नीति को प्रभावित करने में शामिल किया जाता है, तो उन्हें ऐसा जिम्मेदार एवं पारदर्शी तरीके से करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. क. व्यापार एवं उद्योग चैंबरों/संघों के साथ संबद्धता की संख्या- 10

   ख. शीर्ष 10 व्यापार एवं उद्योग चैंबरों/संघों की सूची बनाएं (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) जो संस्था सदस्य/संबद्ध है।

क्र.सं.	व्यापार एवं उद्योग चैंबरों/संघों का नाम	व्यापार एवं उद्योग मंडलों/संघों तक पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1	एल्यूमिनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया	राष्ट्रीय
2	कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री	राष्ट्रीय
3	स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज (स्कोप)	राष्ट्रीय
4	केमिकल एंड एलायड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (कैपेक्सिल)	राष्ट्रीय
5	भारतीय खनिज उद्योग संघ	राष्ट्रीय
6	फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली	राष्ट्रीय
7	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सोनेल मैनेजमेंट (एनआईपीएम)	राष्ट्रीय
8	इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स	राष्ट्रीय
9	इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी)	राष्ट्रीय
10	इंडियन नेशनल समिति- विश्व खनन कांग्रेस	राष्ट्रीय

2. नियामक अधिकारियों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर कंपनी द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

प्राधिकारी का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	सुधारात्मक कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण
शून्य		

सिद्धांत-8: व्यवसायों को समावेशी विकास एवं समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण।

परियोजना का नाम एवं संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तिथि	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां / नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित (हां/नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
शून्य					

2. निम्नलिखित प्रारूप में उन परियोजनाओं पर जानकारी प्रदान करें जिनके लिए आपकी कंपनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर एंड आर) किया जा रहा है:

क्रम सं.	परियोजना का नाम जिसके लिए आर एंड आर जारी है	राज्य	ज़िला	प्रोजेक्ट डिस्प्लेस्ड फैमिलिज (पीएएफ) की सं.	आर एंड आर द्वारा कवर किए गए पीएएफ का %	वित्त वर्ष में पीएएफ को भुगतान की गई राशि (भारतीय रुपये में)
1	उत्कल डी कोयला खानें	ओडिशा	अनुगुळ	पीडीएफ की सं. - 137 पीएएफ की सं. - 235	100% पीडीएफ*	वितरण के लिए जिला प्राधिकरण के पास 180.00 करोड़ रुपये जमा किए गए।
2	उत्कल ई कोयला खानें	ओडिशा	अनुगुळ	पीडीएफ की सं. - 400 पीएएफ की सं.-979	100% पीडीएफ	उत्कल ई खानों के लिए आरपीडीएसी की कार्यवाही पूरी हो चुकी है।

*पीएएफ (परियोजना प्रभावित परिवार) केवल भूमि मुआवजे के हकदार हैं जिसका भुगतान भूमि अधिग्रहण के समय किया गया है। पीडीएफ (प्रोजेक्ट डिस्प्लेस्ड फैमिलिज) भूमि मुआवजे के अलावा आर एंड आर पैकेज के भी हकदार हैं।

3. स्थानीय समुदाय की शिकायतें प्राप्त करने एवं उनका निवारण करने के तंत्र का वर्णन करें।

कंपनी भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से स्थानीय समुदाय की जरूरतों, प्राथमिकताओं एवं अपेक्षाओं पर विचार करते हुए उनके सहयोग से सीएसआर पहल करती है। हालांकि स्थानीय समुदाय के लिए शिकायत निवारण के लिए कोई विशिष्ट तंत्र नहीं है, लेकिन प्रभावी संचार एवं शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करने के लिए नियमित बातचीत एवं दौरों के माध्यम से उनकी चिंताओं का समाधान किया जाता है।

4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के आधार पर कुल इनपुट में इनपुट):

	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
सीधे एमएसई से प्राप्त	29.88%	31.22%
सीधे जिले के भीतर एवं पड़ोसी जिलों से प्राप्त किया गया	47.02 %	62.62 %

टिप्पणी: 1) उपरोक्त दोनों पंक्तियों के लिए, 'कुल इनपुट' में कोयला, ईंधन तेल, कास्टिक सोडा, एएलएफ3, सिंथेटिक फ्लोकुलेंट्स, स्टील, सीमेंट, बियरिंग्स, स्नेहक, ग्रीस, मालिकाना वस्तुएं, आयातित वस्तुएं शामिल नहीं हैं।

2) दूसरी पंक्ति के लिए, ओडिशा राज्य के सभी जिलों को इकाइयों एवं निगम कार्यालय के स्थान पर विचार किया जाता है।

नेतृत्व सूचक

2. सरकारी निकायों द्वारा पहचाने गए नामित आकांक्षी जिलों में आपकी कंपनी द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं पर निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें।

क्रम सं.	राज्य	आकांक्षी जिले	खर्च की गई राशि (करोड़ में)
1	ओडिशा	कोरापुट	5.372

3. (क) क्या आपके पास कोई तरजीही खरीद नीति है जहां आप हाशिए पर मौजूद/कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीदारी को प्राथमिकता देते हैं? (हां नहीं)

हाँ

(ख) आप किन हाशिये पर पड़े/कमजोर समूहों से खरीदारी करते हैं?

- सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई)
- एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई।
- महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई।

(ग) यह कुल खरीद (मूल्य के अनुसार) का कितना प्रतिशत है?

2022-23 में 29.88%।

6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण (वित्त वर्ष 2022-23)

क्रम सं.	सीएसआर परियोजना #	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या *	कमजोर एवं हाशिए पर रहने वाले समूहों से लाभार्थियों का प्रतिशत
1	ईएसआई अस्पताल, बनारपाल, अनुगुळ में जिला कोविड अस्पताल (डीसीएच) के लिए सहायता	लगभग 1000	अनिर्धारित
2	चंदका दामापारा वन्यजीव अभयारण्य में एवं उसके आसपास वृक्षारोपण के लिए सहायता	अनिर्धारित	लागू नहीं
3	एस एंड पी कॉम्प्लेक्स, अनुगुळ एवं के परिधीय गांवों में चिकित्सा स्वास्थ्य कंपनी (एमएचयू) का संचालन	163 परिधीय गाँव	अनिर्धारित
	उत्कल डी एंड ई कोल ब्लॉक, खान व परिशोधक कॉम्प्लेक्स, दमनजोडी, पोट्टांगी।		
4	अनुगुळ में ओपीडी केंद्र का संचालन	39 परिधीय गाँव	अनिर्धारित
5	गर्मियों के दौरान एस एंड पी कॉम्प्लेक्स, अनुगुळ के परिधीय गांवों में टैंकरों के माध्यम से पीने के पानी की आपूर्ति	17 परिधि वाले गाँव	अनिर्धारित
6	पुरी में रथ महोत्सव के दौरान भक्तों को पीने के पानी की आपूर्ति	अनिर्धारित	अनिर्धारित
7	क) खान व परिशोधक कॉम्प्लेक्स, दमनजोडी एवं पोट्टांगी परिधि के गांवों के गरीब पिछड़े एवं आदिवासी बच्चों को आवासीय शिक्षा का समर्थन करना	584	100%
8	परियोजना- "नालको रा अलियाली झिया" (नालको की लाडली): खान व परिशोधक कॉम्प्लेक्स, दामनजोड़ी एवं प्रद्रावक व विद्युत संकुल अनुगुळ के परिधि वाले गांवों से बीपीएल श्रेणी के तहत हर साल छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना।	300	100%
9	पारंपरिक कला, संगीत एवं हस्तशिल्प को बढ़ावा देने में योगदान	अनिर्धारित	लागू नहीं
10	जगन्नाथ बल्लव मठ से श्रीजगन्नाथ मंदिर एवं पुरी, भुवनेश्वर एवं कटक के रेलवे स्टेशनों तक बैटरी चालित वाहनों (बीओवी) का संचालन।	अनिर्धारित	अनिर्धारित
11	पुरी के विभिन्न स्थानों में स्वच्छ जल पोस्ट उपलब्ध कराना।	अनिर्धारित	अनिर्धारित
12	पुरी में गांधी पार्क एवं बिरहरेकृष्णपुर में उद्यान का विकास एवं रखरखाव कार्य।	अनिर्धारित	लागू नहीं
13	एस एंड पी कॉम्प्लेक्स, अनुगुळ में 11 गांवों में पाइप पेयजल आपूर्ति का नवीनीकरण।	11 परिधि वाले गाँव	अनिर्धारित
14	पोट्टांगी क्षेत्र में वैकल्पिक आजीविका विकल्प के रूप में कटहल चिप्स बनाने को बढ़ावा देना	19 परिधि वाले गाँव	100%
15	दुर्कागुड़ा से मोदीगुड़ा, मोदीगुड़ा से नुआगुड़ा एवं नुआगुड़ा से रंगिनीगुड़ा गांव तक सड़क का निर्माण	अनिर्धारित	अनिर्धारित
16	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), मथलपुट, दमनजोडी, कोरापुट का विकास।	अनिर्धारित	अनिर्धारित
17	केदारनाथ/बद्रीनाथ का पुनरुद्धार एवं विकास।	अनिर्धारित	लागू नहीं
18	राष्ट्रीय खेल विकास कोष (एनएसडीएफ) में योगदान	अनिर्धारित	अनिर्धारित
19	हम्बी, कर्नाटक में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न	अनिर्धारित	लागू नहीं
20	पुरी में रथ महोत्सव-2022 के दौरान तीर्थयात्रियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल एवं पोषण पहल	अनिर्धारित	अनिर्धारित
21	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के पूरक के लिए ओएवीएस कोटिया के छात्रों को परिवहन सुविधा।	47	अनिर्धारित
22	हरियाणा के सिरसा में 800 गरीब एवं संकटग्रस्त स्कूली विद्यार्थियों को स्कूल की वर्दी।	800	100%
23	दक्षिण काली मंदिर में वाटर कूलर उपलब्ध कराना	अनिर्धारित	अनिर्धारित
24	ईवी कार परियोजना के लिए एम्स, नई दिल्ली को सहयोग	अनिर्धारित	अनिर्धारित
25	भुवनेश्वर नगर निगम को शव ले जाने वाले वाहन के लिए वित्तीय सहायता।	अनिर्धारित	अनिर्धारित
26	जिला महोत्सव, अनुगुळ को वित्तीय सहायता	अनिर्धारित	लागू नहीं
27	मध्यम वूमेन सपोर्ट सेंटल चलाने में इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट (आईएसडी) को वित्तीय सहायता	500	100%

सिद्धांत-9: व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए एवं उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. उपभोक्ता शिकायतों एवं फीडबैक को प्राप्त करने एवं उन पर प्रतिक्रिया देने के लिए मौजूद तंत्र का वर्णन करें।

   भुगतान, देर से डिलीवरी, गुणवत्ता, मात्रा या दस्तावेज़ीकरण जैसे मुद्दों के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों या फीडबैक को नालको के अच्छी तरह से परिभाषित विपणन दिशानिर्देशों एवं आईएसओ9001 प्रणाली की दस्तावेजी प्रक्रियाओं के अनुसार नियंत्रित किया जाता है। शिकायत प्राप्त होने पर, नालको के क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रतिनिधि एवं/या संयंत्र के सक्षम तकनीकी कर्मचारी शिकायत की जांच करने एवं मौके पर स्थिति का आकलन करने के लिए ग्राहक के परिसर का दौरा कर सकते हैं।

   ऐसे मामलों में जहां ग्राहक द्वारा मुआवजा या दावा किया जाता है, दावे को सत्यापित करने एवं ग्राहक को हुए नुकसान का अनुमान लगाने के लिए एक समिति बनाई जाती है। इसके बाद समिति उचित मात्रा में मुआवजे का भुगतान करने की सिफारिश करती है। यह प्रक्रिया ग्राहकों की शिकायतों का निष्पक्ष मूल्यांकन एवं समाधान सुनिश्चित करती है।

   नालको प्रक्रियाओं एवं उत्पादों के लिए अपने निरंतर सुधार प्रयासों के हिस्से के रूप में ग्राहकों की शिकायतों की भी समीक्षा करता है। इन शिकायतों का विश्लेषण एवं समाधान करके, नालको का लक्ष्य अपने परिचालन को बढ़ाना, किसी भी समस्या को सुधारना एवं ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार करना है।

2. सभी उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों एवं/सेवाओं का कारोबार, जिनके बारे में जानकारी होती है:

	कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय एवं सामाजिक मानदंड	लागू नहीं
सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग	लागू नहीं
पुनर्चक्रण एवं/या सुरक्षित निपटान	लागू नहीं

टिप्पणी: उत्पादों की प्रकृति के अनुसार लागू नहीं। नालको उत्पाद प्राथमिक एल्यूमिना एवं एल्यूमिनियम धातु उत्पाद हैं जो मूल्य श्रृंखला में द्वितीयक प्रोसेसरों को बेचे जाते हैं। नालको उत्पाद अंतिम उपयोगकर्ताओं तक नहीं पहुंचते हैं।

एल्यूमिना एवं एल्यूमिनियम धातु के सुरक्षित उपयोग/पुनर्चक्रण आदि के बारे में बुनियादी जानकारी सार्वजनिक डोमेन में व्यापक रूप से उपलब्ध है।

3. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2022-23			वित्त वर्ष 2021-22		
	वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी	वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी
डाटा प्राइवेसी	0	0		0	0	
विज्ञापन	0	0		0	0	
साइबर सुरक्षा	0	0		0	0	
आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी	ना	ना		ना	ना	
प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएँ	0	0		0	0	
अनुचित व्यापार आचरण	0	0		0	0	
अन्य	6	0		5	0	

4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापस मंगाए जाने की घटनाओं का विवरण:

	संख्या	वापस बुलाने का कारण
स्वैच्छिक स्मरण	0	लागू नहीं
जबरन स्मरण	0	लागू नहीं

5. क्या कंपनी के पास साइबर सुरक्षा एवं डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई रूपरेखा/नीति है?

   हां, (साइबर सुरक्षा एवं गोपनीयता नीति पर आईएसओ 27001 ढांचा/नीति उपलब्ध है)

   यदि उपलब्ध हो, तो नीति का एक वेब-लिंक प्रदान करें।

   - https://d2ah634u9nypif.cloudfront.net/wp-content/uploads/2019/03/IT-SECURITY-POLICY-signed.pdf
   - यूआरएल:https://NALCOindia.com/home/privacy-policy/

6. विज्ञापन एवं आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें; ग्राहकों की साइबर सुरक्षा एवं डेटा गोपनीयता; उत्पाद वापसी की घटनाओं की पुनरावृत्ति; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकारियों द्वारा जुर्माना/कार्रवाई।

   - ग्राहकों की साइबर सुरक्षा एवं डेटा गोपनीयता के संबंध में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है।

   हालाँकि, nalcoindia.com वेबसाइट पर रैंसमवेयर हमले का एक उदाहरण था। घटना की सूचना तुरंत सर्टिफिकेट-इन (कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम - भारत) को दी गई। समस्या को कम करने के लिए, तत्काल कार्रवाई की गई, जिसमें प्रभावित सर्वर को नेटवर्क से अलग करना, बैकअप फ़ाइलों से वेबसाइट को पुनर्स्थापित करना एवं सर्वर को एडब्ल्यूएस क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म पर स्थानांतरित करना शामिल था।

नेतृत्व संकेतक

4. क्या कंपनी उत्पाद पर स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य जानकारी से अधिक जानकारी प्रदर्शित करती है? (हां/नहीं/लागू नहीं) यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें।

   लागू नहीं

   क्या आपकी कंपनी ने कंपनी के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, कंपनी के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या संपूर्ण कंपनी से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है?

   हाँ। नालको ने सभी ग्राहक संगठनों में हमारे प्रमुख उत्पादों एवं सेवाओं के संबंध में ग्राहकों की संतुष्टि का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण आयोजित किए हैं। कंपनी की नीति के अनुपालन में, हम हर छह महीने में ग्राहक संतुष्टि सूचकांक (सीएसआई) मूल्यांकन करते हैं। पिछले सीएसआई सर्वेक्षण के अनुसार, 22 अप्रैल - 22 सितंबर के लिए औसत 0.96 है एवं 22 सितंबर - 23 मार्च के लिए औसत 0.97 है।

अनुलग्नक- IV

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण एवं विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय पर प्रतिवेदन:

1.0 ऊर्जा संरक्षण:

1.1 ऊर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम या प्रभाव:

प्रतिस्पर्धी तरीके से उत्पादन इकाइयों के सतत संचालन के लिए, आपकी कंपनी ने 2022-23 के दौरान कई ऊर्जा संरक्षण उपाय अपनाए हैं।

कंपनी विशिष्ट परियोजनाओं का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

1.2 विभिन्न इकाइयों में अपनाए गए ऊर्जा संरक्षण उपाय इस प्रकार हैं:

1.2.1 बॉक्साइट खदानें:

1.2.1.1 फ्यूल एडिटिव के उपयोग से डंपरों में डीजल की खपत में कमी के परिणामस्वरूप लगभग 41.625 केएल एचएसडी की बचत हुई है।

1.2.1.2 खनन स्थल पर वाहनों की पार्किंग से डीजल की खपत में कमी के परिणामस्वरूप लगभग 128.5 केएल एचएसडी की बचत हुई है।

1.2.1.3 रिपर डोजर-व्हील लोडर संयोजन के स्थान पर बैकहो शॉवेल के बढ़ते उपयोग से डीजल की खपत में कमी के परिणामस्वरूप 104.9 केएल एचएसडी की बचत हुई है।

1.2.1.4 खनन पिट से टिप्परों में बॉक्साइट की सीधी लोडिंग से डीजल की खपत में कमी के परिणामस्वरूप 187 केएल एचएसडी की बचत हुई है।

1.2.1.5 नए 50.76 केडब्ल्यूपी ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर प्लांट की कमीशनिंग पूरी हो चुकी है एवं आवश्यक वैधानिक मंजूरी के बाद इसे नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए जोड़ा जाएगा। यह 2021 में चालू किए गए मौजूदा 130 केडब्ल्यूपी आरटीएस के अतिरिक्त है।

1.2.1.6 निष्क्रिय ऊर्जा हानि को कम करने के लिए कन्वेयर सिस्टम वीएफडी एवं एसी कूलिंग सिस्टम के तर्क एवं नियंत्रण सर्किट में संशोधन किए गए।

1.2.2 एल्यूमिना परिशोधक:

1.2.2.1 पारंपरिक लाइट फिटिंग के स्थान पर 5,350 अदद एलईडी सिस्टम की स्थापना के माध्यम से 4,77,000 किलोवाट घंटा की ऊर्जा बचत हासिल की गई।

1.2.2.2 कम दक्षता वाले एसी एवं मोटरों को ऊर्जा कुशल संस्करणों से बदलना।

1.2.2.3 ड्रम फिल्टर में कैल्सिनर्स एवं डीवाटरिंग सहायता में ईंधन-योजक का निरंतर उपयोग, जिससे एचएफओ खपत में कमी (1.5% तक) हुई।

1.2.2.4 भाप हानि से बचने के लिए भाप जाल का नवीनीकरण एवं भाप रिसाव का सुधार।

1.2.2.5 आवश्यकता के अनुसार पीएच-3 टर्बिड पंप 750 A&B के ऑटो स्टार्ट/स्टॉप के लिए नियंत्रण तर्क विकास, ताकि ऊर्जा की बचत हो सके।

1.2.2.6 बॉयलर-2 ईएसपी को चार्ज-रेशियो मोड में चलाने से ऊर्जा खपत में कमी आई है।

1.2. 3 प्रद्रावक संयंत्र:

1.2.3.1 कुल 897 ग्रेफाइटाइज्ड पॉट परिचालन में हैं, जिनमें से 2022-23 के दौरान 44 पॉट्स को ग्रेफाइटाइज किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पॉट लाइन में विशिष्ट विद्युत ऊर्जा खपत में 55 किलोवाट/एमटी की दर से कमी आई है।

1.2.3.2 15 अदद परीक्षण परियोजना के रूप में एपी2एक्सएन तकनीक पर चल रहे पॉटों के परिणामस्वरूप लगभग 150 किलोवाट/एमटी विशिष्ट डीसी ऊर्जा खपत की बचत हुई।

1.2.3.3 पुरानी मोटरों को ऊर्जा कुशल आईई3 मोटरों से बदलना: 2022-23 में कुल 374 अदद कई मोटरें (0.37 किलोवाट से 55 किलोवाट तक) बदली गईं, जिससे 10,25,515.34 किलोवाट/प्रति वर्ष (1.03 एमयू) की ऊर्जा बचत हुई।

1.2.3.4 40 वाट के टी-12 एफटीएल को 950 अदद 18 वाट/20 वाट के एलईडी ट्यूब, 400 वाट के एचपीएवी लैंप को 120 अदद 150 वाट के हाई बे एलईडी लाइट फिटिंग, 400 वाट के फ्लड लाइट को 40 अदद एलईडी फ्लड लाइट फीटिंग तथा 250 वाट एचपीएमवी लाइट फीटिंग्स को 25 अदद 120 वाट के एलईडी स्ट्रीट लाइट्स से बदला गया, जिसके परिणामस्वरूप 4,88,114.50 किलोवाट घंटा/प्रति वर्ष ऊर्जा की बचत हुई।

1.2.3.5 02 अदद प्रशीतित ड्रायरों द्वारा शुष्कक सुखाने वालों से प्रतिस्थापन।

1.2.3.6 एक पुराने रिसीप्रोकेटिंग एवं एक स्क्रू कंप्रेसर को सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर से बदलना।

1.2.3.7 एक स्क्रू कंप्रेसर को सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर से बदलना।

1.2.3.8 बेकिंग फर्नेस में ईंधन तेल की खपत को कम करने के लिए एनोड बेकिंग फर्नेस (एबीएफ)-I में 84 अदद मेन रिंग डैम्पर्स की स्थापना शुरू की गई थी।।

1.2.3.9 सीआईआई टीम ने ऊर्जा बचत पर नालको के प्रयास को मान्यता दी और 120+ कंपनियों और फाइनल में 56 लघु सूचीबद्ध टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा करते हुए "15वें सीआईआई एनकॉन अवार्ड्स 2022 में फ्रंट रनर ग्रुप के लिए प्रथम रनर-अप स्थान" से सम्मानित किया।

1.2.4 ग्रहीत विद्युत संयंत्र:

1.2.4.1 बॉयलर दक्षता में सुधार एवं सहायक बिजली की खपत में कमी के लिए उन्नत प्रोफ़ाइल हीटिंग तत्व, डबल सीलिंग व्यवस्था एवं वीएफडी ड्राइव के साथ यूनिट -5 में मौजूदा एयर-प्रीहीटर का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण (आरएंडएम) नवंबर, 2022 में पूरा हो गया है। दक्षता में 1% से अधिक सुधार हुआ। पंखे की बिजली खपत 400 किलोवाट घंटा से अधिक कम हो गई।

1.2.4.2 प्रभावी सफाई के लिए उच्च क्षमता वाले अग्निशमन पंप के स्थान पर ईएसपी आंतरिक धुलाई के लिए बूस्टर पंप की स्थापना एवं कमीशनिंग की गई। प्रभावी सफाई के अलावा, प्रत्येक ओवरहालिंग में 7,013 किलोवाट की बिजली बचत होती है।

1.2.4.3 यूनिट #7 में कंडेनसर की रासायनिक सफाई अगस्त, 2022 में की गई थी। कंडेनसर वैक्यूम में 0.839 किग्रा/वर्ग सेमी से 0.891 किग्रा/वर्ग सेमी तक सुधार हासिल किया गया है, जिससे कोयले की खपत में कमी आई है।

1.2.4.4 यूनिट-5 में पुराने अकुशल एचपीएच-6 को नवंबर, 2022 में नए एचपीएच से बदल दिया गया है। प्रतिस्थापन के बाद बॉयलर में फ़ीड पानी का तापमान 212 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 232 डिग्री सेल्सियस हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप यूनिट दक्षता में सुधार हुआ है।

1.3 2022-23 के दौरान प्रस्तावित या प्रगति पर ऊर्जा संरक्षण परियोजनाएं:

1.3.1 बॉक्साइट खदानें:

1.3.1.1 खनन पिट से टिपरों पर बॉक्साइट की सीधी लोडिंग द्वारा एचएसडी बचत पर लागत कटौती परियोजना जारी है।

1.3.2 एल्यूमिना परिशोधक:

1.3.2.1 कैल्सिनर्स में ईंधन-योजक का निरंतर उपयोग एवं ड्रम फिल्टर में डीवाटरिंग सहायता, जिससे एचएफओ खपत में कमी आई (विशिष्ट खपत में 1.5% तक की कमी)।

1.3.2.2 भाप हानि से बचने के लिए भाप जालों का नवीनीकरण एवं भाप रिसाव को रोकना।

1.3.2.3 बॉयलर-2 ईएसपी का चार्ज-अनुपात मोड में संचालन।

1.3.3 प्रद्रावक संयंत्र:

1.3.3.1 बेक ओवन-II में एनोड स्लॉट कटिंग मशीन की स्थापना एवं कमीशनिंग पूरी हो गई है। विदेशी विशेषज्ञों के आने के बाद इसका पीजी परीक्षण एवं संचालन के लिए अंतिम हैंडओवर शीघ्र ही किया जाएगा। इससे पॉट्स में विशिष्ट डीसी ऊर्जा की खपत कम हो जाएगी एवं प्रक्रिया स्थिरता में सुधार होगा।

1.3.3.2 प्रति वर्ष 3780000 किलोवाट घंटा की ऊर्जा बचत क्षमता वाले 05 डेसिकैंट ड्रायरों के प्रतिस्थापन के साथ 05 रेफ्रिजेरेटेड ड्रायरों का उपयोग।।

1.3.3.3 प्रति वर्ष 129000 किलोवाट की बचत क्षमता वाले वीएफडी के साथ सही आकार के पंपों द्वारा सीटी-आई (ईई) के 03 बड़े आकार के हॉट वेल पंपों का प्रतिस्थापन।

1.3.3.4 कास्ट हाउस-ए में थर्मल दक्षता बढ़ाने के लिए फर्नेस-8 सॉलिड मेटल चार्जिंग डोर (एसएमसीडी) प्रतिस्थापन के लिए नवंबर, 2022 में इंस्टॉलेशन एवं कमीशनिंग पूरी हो गई थी।

1.3.3.5 बिलेट कास्टिंग सुविधा के फर्नेस-सी में, दहन एवं एटमाइजिंग एयर ब्लोअर (45 किलोवाट एवं 22 किलोवाट) में वीएफडी की स्थापना दिसंबर, 2022 में पूरी हो गई है।

1.3.3.6 कूलिंग टॉवर -1 एवं 2 में वीएफडी की स्थापना पंप 9,10,11,17.18 एवं 19 (प्रत्येक 75 किलोवाट) में पूरी हो गई थी। इससे पिछले वर्ष की ऊर्जा खपत की तुलना में 50% ऊर्जा की बचत का लाभ मिल रहा है।

1.3.3.7 कास्ट हाउस-ए की बिलेट कास्टिंग सुविधा में थर्मल दक्षता बढ़ाने के लिए फर्नेस-सी एवं डी सॉलिड मेटल चार्जिंग डोर (एसएमसीडी) प्रतिस्थापन में स्थापना एवं कमीशनिंग पूरी हो गई थी।

1.3.3.8 ऊर्जा कुशल केन्द्रापसारक कम्प्रेसर द्वारा 02 अदद स्क्रू कम्प्रेसर का प्रतिस्थापन।

1.3.3.9 सीटी-1 ई के बड़े आकार के कोल्ड वेल पंपों को ऊर्जा कुशल पंप से बदलने का कार्य प्रगति पर है, जिससे प्रति वर्ष 3,78,000 किलोवाट ऊर्जा की बचत होगी।

1.3.4 ग्रहीत विद्युत संयंत्र:

1.3.4.1 उन्नत प्रोफाइल हीटिंग तत्व एवं डबल सीलिंग व्यवस्था के साथ यूनिट-2 एवं 4 में मौजूदा एयर-प्रीहीटर के दो सेटों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण। इससे वायु रिसाव में कमी एवं गर्मी हस्तांतरण में वृद्धि के कारण बॉयलर की दक्षता में वृद्धि होगी।

1.3.4.2 यूनिट-1 से 5 तक एक कूलिंग टॉवर का पुनरोद्धार:- कंडेनसर वैक्यूम में सुधार होगा, जिसके परिणामस्वरूप ताप दर एवं कोयले की खपत में कमी आएगी।

1.4 ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम:

1.4.1 आपकी कंपनी वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान व्यावसायिक रूप से निम्नलिखित पवन एवं सौर उत्पादन इकाइयों का संचालन कर रही है:

1.4.1.1 गांधीकोटा, कडपा, आंध्र प्रदेश में 50.4 मेगावाट क्षमता का पवन ऊर्जा संयंत्र।

1.4.1.2 लुदरवा, जैसलमेर, राजस्थान में 47.6 मेगावाट क्षमता का पवन ऊर्जा संयंत्र।

1.4.1.3 देवीकोट, जैसलमेर, राजस्थान में 50.0 मेगावाट क्षमता का पवन ऊर्जा संयंत्र।

1.4.1.4 जाथ, सांगली, महाराष्ट्र में 50.4 मेगावाट क्षमता का पवन ऊर्जा संयंत्र।

1.4.1.5 नालको भवन, नालको नगर, नालको अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र, परिशोधक एवं पंचपटमाली बॉक्साइट खान कार्यालय भवन भवनों में 800 किलोवाट क्षमता का छत पर सौर फोटो-वोल्टाइक संयंत्र

1.4.2 वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, आपकी कंपनी ने पवन ऊर्जा से 288 एमयू एवं सौर ऊर्जा से 0.703 एमयू उत्पादन किया है।

1.4.3 वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग एवं 2023-24 के दौरान कार्यान्वयन की दिशा में की गई कार्रवाई:

1.4.3.1 खान में 50.76 किलोवाट आरटी एसपीवी संयंत्र स्थापित किया गया है, जो पहले ही चालू हो चुका है एवं ओरेडा मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहा है।

1.4.3.2 एल्यूमिना परिशोधक भवन में 995 किलोवाट आरटी एसपीवी प्लांट पाइप लाइन में है।

1.4.3.3 पत्तन सुविधाओं पर 100 किलोवाट आरटी एसपीवी संयंत्र पाइप लाइन में है।

1.4.3.4 कायथार, तमिलनाडु में 25.5 मेगावाट की पवन परियोजना स्थापित की जा रही है।

1.5 ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश:

1.5.1 बॉक्साइट खदानें:

क्रम सं.	मद	निवेश (रु. लाख में)
1.	ईंधन योज्य के माध्यम से एचएसडी की बचत	9.60

1.5.2 एल्यूमिना परिशोधक:

क्रम सं.	मद	निवेश (रु. लाख में)
1.	फ़्लू गैस एयर डक्ट-बॉयलर 1,2,3 का प्रतिस्थापन कार्य	340.89
2.	ड्रम फिल्टर में हाइड्रेट डीवाटरिंग सहायता का समावेश।	146.51
3.	कैल्सिनर्स में थर्मल (ईंधन योजक)।	365.22
4.	5,350 पारंपरिक लाइट फिटिंग को एलईडी सिस्टम से बदलना।	56.47
5.	पुराने एसी एवं मोटरों को उच्च दक्षता वाले संस्करणों से बदलना।	33.76
6.	नियंत्रण कक्ष एसी के लिए वाष्प अवशोषण मशीन।	17.45

1.5.3 प्रद्रावक संयंत्र:

क्रम सं.	मद	निवेश (रु. लाख में)
1.	44 पॉटों में कैथोड ब्लॉकों का रेखांकन।	4,000.00
2.	ऊर्जा कुशल आईई3 मोटर्स के साथ 374 पुरानी मोटरों (0.55 किलोवाट से लेकर 55 किलोवाट तक) का प्रतिस्थापन।	90.94
3.	दो ड्रायरों को ऊर्जा कुशल ड्रायरों से बदल दिया गया।	31.80
4.	स्क्रू कंप्रेसर को समान क्षमता वाले सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर से बदल दिया गया।	144.78

1.5.4 ग्रहीत विद्युत संयंत्र:

क्रम सं.	मद	निवेश (रु. लाख में)
1.	यूनिट-5 में मौजूदा एयर-प्रीहीटर का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण।	404.00
2.	प्रभावी सफाई के लिए उच्च क्षमता वाले अग्निशमन पंप के स्थान पर ईएसपी आंतरिक धुलाई के लिए बूस्टर पंप की स्थापना एवं कमीशनिंग।	17.03
3.	यूनिट #7 में कंडेनसर की रासायनिक सफाई	12.90
4.	यूनिट-5 में पुराने अकुशल एचपीएच-6 को नए एचपीएच से बदल दिया गया है।	204.30

2.0 प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन एवं नवाचार:

तकनीकी	उसके लाभ
शून्य	शून्य

3.0 पिछले 5 वर्षों के दौरान आयातित/उन्नत प्रौद्योगिकी का विवरण:

प्रौद्योगिकी आयातित/उन्नत	आयात/उन्नयन का वर्ष	क्या प्रौद्योगिकी को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया गया है	यदि पूरी तरह से अवशोषित नहीं किया गया है, तो जिस क्षेत्र में यह नहीं हुआ है, कारण इसलिए एवं भविष्य की कार्य योजनाएं
प्रद्रावक संयंत्र (AP2XN0) के लिए कम ऊर्जा सेल प्रौद्योगिकी। - 15 पॉट का परीक्षण	2021-2022	नहीं, 15 पॉट्स में क्रियान्वित किया गया।	15 पॉट्स में अनुसंधान एवं विकास परीक्षण पूरा हो गया है, बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन के लिए नए डिजाइन की अस्तर सामग्री की खरीद प्रगति पर है।

4.0 अनुसंधान एवं विकास पर व्यय:

₹ करोड़ में

प्रकृति	2022-23	2021-22
पूंजी	143.63	37.58
आय	17.95	27.64
कुल	161.59	65.22
आर एंड डी व्यय टर्नओवर के % के रूप में	1.14	0.45

5.0 वर्ष 2022-23 के लिए विदेशी मुद्रा आय रु. 4,215.69 करोड़ है जबकि 2021-22 में यह रु. 6,404.24 करोड़ है। प्रतिवेदन के तहत वर्ष के लिए विदेशी मुद्रा व्यय रु. 248.87 करोड़ था, जबकि 2021-22 में यह रु. 277.41 करोड़ था।

अनुलग्नक- V

निगम प्रशासन प्रतिवेदन

1.0 शासन संहिता पर सिद्धांत:

निगम प्रशासन प्रणाली एवं प्रक्रियाओं, नीतियों एवं कानूनों के माध्यम से संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आधारशिला है, जो संचालन को वांछित दिशा में ले जाते हैं। इसमें पारदर्शिता, प्रकटीकरण, जिम्मेदारी, निष्पक्षता, जवाबदेही एवं अखंडता के सिद्धांत शामिल हैं। निगम प्रशासन किसी भी कंपनी के अस्तित्व का अभिन्न अंग है क्योंकि यह निगम प्रदर्शन को बढ़ावा देता है, शेयरधारकों के मूल्य को अनुकूलित करता है एवं सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करता है।

नालको में, निगम प्रशासन का उद्देश्य सुशासन है जहां नैतिक व्यावसायिक प्रथाएं दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में निहित होती हैं। आंतरिक नियंत्रण की एक मजबूत प्रणाली, हितधारकों को सामग्री की जानकारी का समय पर एवं निरंतर प्रवाह, देश के कानूनों की भावना एवं इरादे के अनुरूप नियामक अनुपालन ने वर्षों से कंपनी में सुशासन प्रथाओं को बरकरार रखा है।

1.1 इस प्रतिवेदन में 31 मार्च, 2023 तक की जानकारी दी गई है।

2.0 निदेशक मंडल:

निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के समग्र प्रदर्शन एवं दृश्यता में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी जाती है। एक प्रबुद्ध निदेशक मंडल कंपनी के लिए दृष्टिकोण, रणनीति एवं नीति तैयार करता है एवं सही परिप्रेक्ष्य में इसके कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर उनकी समीक्षा करता है। निदेशक मंडल कंपनी के सच्चे मालिकों के रूप में शेयरधारकों के अपरिहार्य अधिकारों एवं हितधारकों के लिए ट्रस्टीशिप के रूप में अपनी भूमिका पर भरोसा करता है।

2.1 निदेशक मंडल की संरचना:

2.1.1 निदेशक मंडल की स्वीकृत संख्या इस प्रकार है:

(i) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित छह पूर्णकालिक (कार्यपालक) निदेशक

(ii) दो अंशकालिक आधिकारिक निदेशकगण

(iii) आठ अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशकगण

2.1.2 31 मार्च, 2023 तक निदेशक मंडल की संरचना का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	नियुक्ति की तारीख
प्रकार्यात्मक निदेशकगण:			
1.	श्री श्रीधर पात्र, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	06500954	17.12.2019
2.	श्री राधाश्याम महापात्र, निदेशक (एचआर)	07248972	01.01.2020
3.	श्री मनसा प्रसाद मिश्रा, निदेशक (परियोजना व तकनीकी)	08951624	01.11.2020
4.	श्री रमेश चंद्र जोशी, निदेशक (वित्त)	08765394	04.02.2022
5.	श्री सदाशिव सामंतराय, निदेशक (वाणिज्यिक)	08130130	22.03.2022
6.	श्री पंकज कुमार शर्मा, निदेशक (उत्पादन)*	10041341	01.02.2023
अंशकालिक आधिकारिक निदेशकगण:			
7.	श्री संजय लोहिया, आईएएस	07151125	09.11.2020
8.	डॉ. वीणा कुमारी डेरमल, आईपीओएस	08890469	20.01.2022
अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशकगण:			
9.	श्री रवि नाथ झा	09396382	11.11.2021
10.	डॉ. बीआर रामकृष्ण	02251602	15.11.2021
11.	अधिवक्ता जॉर्ज कुरियन	09398434	12.11.2021
12.	डॉ. अजय नारंग	00368054	16.11.2021
13.	श्री वाई. पी. चिलिओ	09396182	11.11.2021
14.	सुश्री (डॉ.) शतरूपा	09396503	12.11.2021
15.	अधिवक्ता दुष्यन्त उपाध्याय	09397101	12.11.2021
16.	श्री संजय रमणलाल पटेल	09545270	23.03.2022

* श्री बी. के दास के 31.01.2023 को निदेशक (उत्पादन) के रूप में सेवानिवृत्त होने पर श्री पंकज कुमार शर्मा को 01.02.2023 से निदेशक (उत्पादन) के रूप में नियुक्त किया गया।

2.1.3 दिनांक 31.03.2023 तक, गैर-कार्यपालक निदेशकगण मंडल की कुल संख्या का 62.50% थे। अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशकगण निदेशक मंडल की कुल संख्या का 50% हैं। स्वतंत्र महिला निदेशक सहित महिला निदेशकगण कुल निदेशक मंडल संख्या का 12.50% हैं।

2.1.4 वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, निदेशक मंडल की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"), सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 ("सेबी विनियम") एवं निगम प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देश के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन में थी।

2.2 निदेशक मंडल की बैठकें एवं निदेशकों की उपस्थिति:

2.2.1 निदेशक मंडल व्यावसायिक रणनीतियों/नीतियों पर चर्चा करने एवं निर्णय लेने के लिए नियमित अंतराल पर बैठक करता है तथा कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा करता है। निदेशक मंडल को सेबी विनियमों की अनुसूची II के भाग-ए के साथ पठित विनियम 17 में निर्धारित मामलों पर एजेंडा मद की समीक्षा एवं विचार करने का आदेश दिया गया है।

2.2.2 निदेशक मंडल ने विभिन्न समितियों का गठन किया है जिनमें से कुछ वैधानिक एवं कुछ गैर-वैधानिक प्रकृति की हैं।

2.2.3 निदेशक मंडल की बैठकें, समिति बैठकें एवं आम बैठकें आयोजित करने के लिए भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानकों का पालन किया जाता है।

2.2.4 बैठकें आम तौर पर कम से कम 7 दिन की अग्रिम सूचना देकर समिति के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक/अध्यक्ष के अनुमोदन से बुलाई जाती हैं। बैठक में सार्थक एवं सूचित चर्चा के लिए विस्तृत एजेंडा नोट्स वाले एजेंडे भी आम तौर पर बैठक की निर्धारित तिथि से कम से कम एक सप्ताह पहले प्रसारित किए जाते हैं।

2.2.5 निदेशक मंडल की बैठकें एवं समिति की बैठकें अधिकतर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं। वर्ष के दौरान, भारत सरकार द्वारा चिन्हित 30 पर्यटन स्थलों में से एक में बैठक आयोजित करने के लिए डीपीई के कार्यालय ज्ञापन का अनुपालन करते हुए निदेशक मंडल की 339वीं बैठक पुरी, ओडिशा में आयोजित की गई।

2.2.6 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 8 (आठ) बोर्ड बैठकें हुईं। बैठक में निदेशकों की उपस्थिति के साथ बैठक की तारीखें नीचे दी गई हैं:

उपस्थित निदेशकों की सं.						
बोर्ड बैठकों की सं. एवं दिनांक	बोर्ड संख्या	प्रकार्यात्मक	अंशकालिक आधिकारिक	अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र)	कुल उपस्थिति	उपस्थिति संख्या का %
334वीं 28.04.2022	16	6	1	8	15	93.75
335वीं 25.05.2022	16	5	2	8	15	93.75
336वीं 08.08.2022	16	6	2	8	16	100.00
337वीं 21.09.2022	16	6	2	8	16	100.00
338वीं 09.11.2022	16	6	1	8	15	93.75
339वीं 17.01.2023	16	5	2	7	14	87.50
340वीं 10.02.2023	16	6	2	7	15	93.75
341वीं 13.03.2023	16	6	2	8	16	100.00

टिप्पणियाँ:

(क) किन्हीं दो बैठकों के बीच अधिकतम समय अंतराल 74 दिन था।

(ख) निदेशक मंडल की सभी बैठकों में आवश्यक कोरम हमेशा मौजूद रहता था।

2.2.7 नीचे दी गई तालिका 2022-23 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की व्यक्तिगत उपस्थिति, पिछली वार्षिक आम बैठक में उनकी उपस्थिति, अन्य कंपनियों में निदेशक पद एवं अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता एवं अध्यक्षता को दर्शाती है:

नाम एवं पदनाम	बोर्ड की बैठकें		22.09.2022 को आयोजित 41 वीं एजीएम में उपस्थिति	अन्य निदेशक पद की सं.	अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता	
	कार्यकाल के दौरान आयोजित	शामिल हुए			सदस्यता	अध्यक्षता
श्री एस. पात्र अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	8	8	हां	2	शून्य	शून्य
श्री आर.एस. महापात्र निदेशक (मानव संसाधन)	8	8	हां	शून्य	शून्य	शून्य
श्री एम. पी मिश्रा निदेशक (परियोजना व तकनीकी)	8	8	हां	1	शून्य	शून्य
श्री बी. के दास निदेशक (उत्पादन)#	6	5	हां	शून्य	शून्य	शून्य
श्री आर.सी. जोशी निदेशक (वित्त)	8	8	हां	1	शून्य	शून्य
श्री एस. सामंतराय निदेशक (वाणिज्यिक)	8	7	हां	शून्य	शून्य	शून्य
श्री पी.के. शर्मा निदेशक (उत्पादन)*	2	2	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
श्री संजय लोहिया, आईएएस अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	8	6	नहीं	1	शून्य	शून्य
डॉ. वी. के डर्मल, आईपीओएस अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	8	8	नहीं	3	1	शून्य
श्री रवि नाथ झा अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	8	8	हां	शून्य	शून्य	शून्य
डॉ. बीआर रामकृष्ण अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	8	8	हां	शून्य	शून्य	शून्य
अधिवक्ता जॉर्ज कुरियन अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक	8	8	हां	शून्य	शून्य	शून्य
डॉ. अजय नारंग अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	8	8	हां	3	शून्य	शून्य
श्री वाई. पी. चिलिओ अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक	8	6	हां	शून्य	शून्य	शून्य
सुश्री (डॉ.) शतरूपा अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक	8	8	हां	शून्य	शून्य	शून्य
अधिवक्ता दुष्यन्त उपाध्याय अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	8	8	हां	शून्य	शून्य	शून्य
श्री संजय रमणलाल पटेल अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	8	8	हां	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी: सेबी विनियमों के विनियम 26 के अनुसार, सभी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में केवल लेखा परीक्षा समिति एवं हितधारक संबंध समिति की सदस्यता/अध्यक्षता पर विचार किया गया है।

श्री बी. के दास 31.01.2023 को निदेशक (उत्पादन) के पद से सेवानिवृत्त हुए।

* श्री पीके शर्मा को 01.02.2023 से निदेशक (उत्पादन) के रूप में नियुक्त किया गया।

2.2.8 सभी निदेशकों के निदेशक पद एवं समिति सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या अधिनियम एवं सेबी विनियमों के तहत निर्धारित संबंधित सीमाओं के भीतर है।

2.2.9 कोई भी निदेशक कंपनी के निदेशक मंडल के किसी अन्य निदेशक से संबंधित नहीं है।

2.3 गैर-कार्यपालक निदेशक:

2.3.1 अंशकालिक आधिकारिक निदेशक एवं अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक निदेशक मंडल का हिस्सा बनने वाले गैर-कार्यपालक निदेशक हैं।

2.3.2 जबकि अंशकालिक आधिकारिक निदेशकों को प्रशासनिक मंत्रालय से निदेशक मंडल में नामांकित किया जाता है, अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

2.3.3 प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में स्वतंत्र निदेशकों द्वारा किए गए खुलासे के आधार पर एवं बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक अधिनियम, सेबी विनियमों के तहत निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं एवं प्रबंधन से स्वतंत्र होते हैं।

2.3.4 निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्ति पर प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक को औपचारिक नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है। नियुक्ति पत्र में अन्य बातों के अलावा कंपनी में स्वतंत्र निदेशक की भूमिका, कार्य, कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां शामिल हैं। जब भी निदेशक मंडल में किसी स्वतंत्र निदेशक

की नियुक्ति की जाती है तो स्वतंत्र निदेशकों के नियुक्ति पत्र कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, खान मंत्रालय, भारत सरकार ने 8 (आठ) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की है एवं उन्हें औपचारिक नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं एवं इसकी प्रतियां कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:

https://nalcoindia.com/investor-services/directors/formal-letter-of-appointment-of-independent-directors/

2.3.5 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है।

2.3.6 निदेशक मंडल में नियुक्ति पर स्वतंत्र निदेशकों के लिए अनुकूलन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। घरेलू/वैश्विक परिदृश्य में परिवर्तन/विकास पर खुद को अपडेट रखने के लिए एसोचैम, सीआईआई, स्कोप एवं डीपीई द्वारा समय-समय पर आयोजित किए जाने वाले ओरिएंटेशन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को नामांकित किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों द्वारा भाग लिए गए ऐसे कार्यक्रमों का विवरण निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2022/12/Fam-Programme.pdf

2.3.7 किसी भी गैर-कार्यपालक निदेशक के पास कंपनी में कोई हिस्सेदारी नहीं है।

2.3.8 स्वतंत्र निदेशक कंपनी में स्टॉक विकल्प के हकदार नहीं हैं।

2.3.9 सभी निदेशक कंपनी द्वारा लिए गए निदेशकों एवं अधिकारियों (डी एंड ओ) देयता बीमा के अंतर्गत आते हैं।

2.3.10 निदेशक मंडल में कोई भी गैर-कार्यपालक निदेशक 75 वर्ष से अधिक का नहीं है।

2.4 निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता:

आपकी कंपनी भारत सरकार के खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी है। कंपनी के सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से की जाती है। कंपनी से संबंधित व्यवसाय के संदर्भ में आवश्यक बोर्ड के कौशल/विशेषज्ञता/योग्यता की पहचान भारत सरकार द्वारा की जाती है एवं तदनुसार कंपनी के बोर्ड में निदेशकों का चयन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। वैसे तो, कंपनी के सभी बोर्ड सदस्यों के पास उद्योग की आवश्यकता के अनुसार विशेषज्ञता एवं योग्यता है।

2.5 बोर्ड सदस्यों का प्रदर्शन मूल्यांकन:

2.5.1 निगम मामलों के मंत्रालय की दिनांक 05.07.2017 की अधिसूचना के अनुसार, गैर-स्वतंत्र निदेशकों एवं समग्र रूप से बोर्ड के प्रदर्शन की समीक्षा का तरीका एवं कंपनी के अध्यक्ष के प्रदर्शन की समीक्षा, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2023 की अनुसूची-IV अनुसूचित के तहत आवश्यक है, में सरकारी कंपनियों को छूट दी गई है।

2.5.2 डीपीई ने अपने ओएम दिनांक 20.06.2023 के माध्यम से स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक के दायरे से कंपनी के प्रकार्यात्मक निदेशकों, सरकारी निदेशकों एवं अध्यक्ष के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए इसी तरह की छूट प्रदान की है।

2.5.3 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, चूंकि कंपनी के निदेशकों का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है, इसलिए गैर-स्वतंत्र निदेशकों, अध्यक्ष एवं समग्र रूप से निदेशक मंडल के प्रदर्शन की कोई अलग समीक्षा स्वतंत्र निदेशकों द्वारा नहीं की जाती है।

2.5.4 सेबी विनियमों के तहत सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों को ऐसी कोई छूट/रियायत नहीं है।

2.5.5 डीपीई ने डीपीई डीओ पत्र दिनांक 08.05.2018 के अनुसार सीपीएसई के गैर-आधिकारिक निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन की एक प्रणाली शुरू की है। स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन/मूल्यांकन अवधि के दौरान उपस्थिति एवं योगदान के आधार पर किया जाता है।

3.0 निदेशकों का पारिश्रमिक:

3.1 आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, प्रकार्यात्मक निदेशकों के पारिश्रमिक, लाभ एवं प्रदर्शन संबंधी भत्ता (पीआरपी) मौजूदा डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार नियंत्रित होते हैं। एमसीए ने सरकारी कंपनियों को अधिनियम की धारा 178 के तहत आवश्यक निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति बनाने से छूट दी है।

3.2 सभी प्रकार्यात्मक निदेशक नई पेंशन योजना (एनपीएस) के सदस्य हैं।

3.3 डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार सरकार द्वारा नामित निदेशक किसी भी पारिश्रमिक/बैठक शुल्क के हकदार नहीं हैं।

3.4 स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए रु. 40,000/- की बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है एवं दिनांक 08.08.2022 को निदेशक मंडल की 336 वीं बैठक में अनुमोदित स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक सहित निदेशक मंडल द्वारा गठित समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए रु. 30,000/- का भुगतान किया जाता है । इससे पहले, निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए रु. 30,000/- का भुगतान किया जाता था एवं स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक सहित निदेशक मंडल द्वारा गठित समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए रु. 25,000/- का भुगतान किया जाता था। भुगतान किया गया बैठक शुल्क अधिनियम के तहत निर्धारित वैधानिक सीमा के भीतर है।

3.5 कंपनी निदेशकों के लिए बैठकों में भाग लेने के लिए आवश्यक व्यवस्था करती है। बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों द्वारा स्वयं किए गए खर्च, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति की जाती है।

3.6 अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित प्रकार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए या सेवानिवृत्ति की तारीख तक या भारत सरकार के अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाती है। अंशकालिक आधिकारिक निदेशकों को प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा नामित किया जाता है एवं वे प्रशासनिक मंत्रालय के अगले आदेश तक पद पर बने रहते हैं। अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए की जाती है।

3.7 कंपनी ने वर्ष 2022-23 के दौरान कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है।

3.8 किसी भी निदेशक को विच्छेद शुल्क के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है। नोटिस अवधि मौजूदा डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार लागू है एवं नियुक्ति पत्र में निर्दिष्ट है।

3.9 वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रकार्यात्मक निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

नाम	वर्ष 2022-23 हेतु पारिश्रमिक (रु.)		
	पारिश्रमिक के सभी तत्व	अन्य लाभ	कुल
श्री एस. पात्र अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	63,94,819	21,02,657	84,97,486
श्री आर.एस. महापात्र निदेशक (मानव संसाधन)	63,98,314	17,66,174	81,64,488
श्री एम. पी मिश्रा निदेशक (परियोजना व तकनीकी)	66,77,356	19,19,340	85,96,696
श्री बी. के दास निदेशक (उत्पादन)#	93,77,400	38,35,209	1,32,12,609
श्री आर. सी जोशी निदेशक (वित्त)	62,10,814	13,31,927	75,42,741
श्री एस. सामंतराय निदेशक (वाणिज्यिक)	71,08,418	19,83,985	90,92,403
श्री पीके शर्मा निदेशक (उत्पादन)*	9,26,546	55,773	9,82,319

टिप्पणी: अन्य लाभों में ग्रेच्युटी, प्रदर्शन संबंधी भुगतान एवं चिकित्सा लाभ, जैसा लागू हो, शामिल हैं।

श्री बी के दास 31.01.2023 को निदेशक (उत्पादन) के पद से सेवानिवृत्त हुए

* श्री पी के शर्मा को 01.02.2023 से निदेशक (उत्पादन) के रूप में नियुक्त किया गया।

3.10 2022-23 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान की गई बैठक फीस का विवरण नीचे दिया गया है:

नाम	बैठक शुल्क (रु.)		
	बोर्ड की बैठकें	समिति की बैठकें	कुल (रु.)
श्री आर एन झा अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	3,00,000	4,65,000	7,65,000
डॉ. बी आर रामकृष्ण अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	3,00,000	5,75,000	8,75,000
अधिवक्ता जी. कुरियन अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक	3,00,000	2,65,000	5,65,000
डॉ. ए. नारंग अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	3,00,000	7,40,000	10,40,000
श्री वाई. पी. चिलिओ अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक	2,20,000	3,45,000	5,65,000
सुश्री (डॉ.) शतरूपा अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	3,00,000	4,90,000	7,90,000
अधिवक्ता डी. उपाध्याय अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	3,00,000	5,15,000	8,15,000
श्री एसआर पटेल अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	3,00,000	3,15,000	6,15,000

टिप्पणी: राशि का भुगतान टीडीएस काटने के बाद बैठक शुल्क के रूप में किया गया था।

4.0 निदेशक मंडल की विभिन्न समितियाँ:

4.1 निदेशक मंडल स्तर की दस कमिटियां हैं जिनमें से सात कमिटियां वैधानिक हैं एवं तीन कमिटियां स्वैच्छिक प्रकृति की हैं।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा अनिवार्य संदर्भ की शर्तों के अनुसार, विशिष्ट क्षेत्र को देखने के लिए निदेशक मंडल द्वारा दो बोर्ड स्तरीय समितियों यानी जनशक्ति परिदृश्य एवं भर्ती स्थिति पर समिति एवं वेदांत मामले पर समिति का गठन किया गया था।

4.2 बोर्ड बैठक से संबंधित सचिवीय मानक समिति की बैठकों पर भी समान रूप से लागू होते हैं।

4.3 प्रत्येक समिति के संदर्भ की शर्तें अधिनियम एवं सेबी विनियमों के अनुरूप हैं एवं बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं।

5.0 वैधानिक समितियाँ:

5.1. लेखा परीक्षा समिति:

5.1.1 समिति में 4 स्वतंत्र निदेशक एवं एक प्रकार्यात्मक निदेशक सदस्य के रूप में एवं निदेशक (वित्त) लेखा परीक्षा समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल हैं। स्वतंत्र निदेशकों में से एक के पास समिति की अध्यक्षता होती है। समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 एवं निगम प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत आवश्यकताओं के अनुरूप है, सिवाय इसके कि समिति के अध्यक्ष के पास लेखांकन या संबंधित वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञता नहीं है।

5.1.2 समिति की वर्ष के दौरान सात बार बैठक हुई, अर्थात् 25.05.2022, 08.08.2022, 21.09.2022, 28.10.2022, 09.11.2022, 09.02.2023 एवं 10.02.2023 को हुईं। किन्हीं दो लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल 91 दिन था।

5.1.3 31.03.2023 को समिति के सदस्य एवं प्रत्येक सदस्य एवं विशेष आमंत्रित व्यक्ति द्वारा भाग ली गई बैठकें इस प्रकार हैं:

लेखा परीक्षा समिति की सदस्यता	निदेशक श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	भाग लिया
डॉ. ए. नारंग	स्वतंत्र	अध्यक्ष	7	7
डॉ. बीआर रामकृष्ण	स्वतंत्र	सदस्य	7	7
श्री डी. उपाध्याय	स्वतंत्र	सदस्य	7	7
श्री वाई. पी. चिलिओ	स्वतंत्र	सदस्य	7	6
श्री बी. के दास# निदेशक (उत्पादन)	प्रकार्यात्मक	सदस्य	5	5
श्री पी.के. शर्मा* निदेशक (उत्पादन)	प्रकार्यात्मक	सदस्य	2	2
श्री आर.सी. जोशी निदेशक (वित्त)	प्रकार्यात्मक	विशेष आमंत्रित सदस्य	7	7

श्री बी के दास 31.01.2023 को निदेशक (उत्पादन) के पद से सेवानिवृत्त हुए

* श्री पी के शर्मा को 01.02.2023 से निदेशक (उत्पादन) के रूप में नियुक्त किया गया।

5.1.4 आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख, वैधानिक लेखापरीक्षकों एवं लागत लेखापरीक्षकों के प्रतिनिधियों को आवश्यकता के आधार पर बैठकों में आमंत्रित किया जाता है।

5.1.5 कंपनी सचिव लेखा परीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

5.1.6 लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष पिछली वार्षिक आम बैठक के दौरान उपस्थित थे।

5.17 लेखा परीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तें इस प्रकार हैं:

5.1.7.1 लेखा परीक्षा समिति की शक्तियाँ:

(i) अपने संदर्भ की शर्तों के अंतर्गत किसी भी गतिविधि की जांच करना।

(ii) किसी कर्मचारी से जानकारी मांगना।

(iii) बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना।

(iv) यदि आवश्यक समझा जाए तो प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले बाहरी लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।

5.1.7.2 लेखा परीक्षा समिति की भूमिका में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी एवं इसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय है।

(ii) बोर्ड को नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति एवं यदि आवश्यक हो, तो लागत लेखा परीक्षकों को बदलने या हटाने, लेखा परीक्षा शुल्क का निर्धारण एवं नियुक्ति की अन्य शर्तों की सिफारिश करना।

(iii) वैधानिक लेखा परीक्षकों को भुगतान की मंजूरी देना, जिसमें लागत लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए भुगतान भी शामिल है।

(iv) विशेष संदर्भ में, अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन, वार्षिक वित्तीय विवरण एवं लेखा परीक्षकों की प्रतिवेदन की समीक्षा करना:

(क) अधिनियम की धारा 134(5) के संदर्भ में निदेशकों की प्रतिवेदन के लिए निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले मामले आवश्यक हैं।

(ख) लेखांकन नीतियों एवं प्रथाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो, एवं उसके कारण।

(ग) प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियाँ जिनमें प्रबंधन द्वारा निर्णय के आधार पर अनुमान शामिल हैं।

(घ) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।

(ङ) वित्तीय विवरणों से संबंधित लिस्टिंग एवं अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन।

(च) संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण।

(छ) ड्राफ्ट ऑडिट प्रतिवेदन में योग्यताएं।

(v) अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ त्रैमासिक एवं वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा करना।

(vi) प्रबंधन के साथ किसी इश्यू (सार्वजनिक इश्यू, राइट्स इश्यू, प्रेफरेंशियल इश्यू इत्यादि) के माध्यम से जुटाई गई निधि के उपयोग/आवेदन का विवरण, ऑफर दस्तावेज़/प्रॉस्पेक्टस/नोटिस में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए गए फंड का विवरण की समीक्षा करना एवं निगरानी एजेंसी द्वारा सार्वजनिक या राइट्स इश्यू की आय के उपयोग की निगरानी करने वाली प्रतिवेदन एवं इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिशें करना।

(vii) लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता एवं लेखा परीक्षा प्रक्रिया के प्रदर्शन एवं प्रभावशीलता की समीक्षा एवं निगरानी करना।

(viii) संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेन की मंजूरी या बाद में कोई संशोधन।

(ix) अंतर-निगम ऋण एवं निवेश, यदि कोई हो, की जांच।

(x) जहां भी आवश्यक हो, कंपनी के उपक्रमों या संपत्तियों का मूल्यांकन।

(xi) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एवं जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।

(xii) प्रबंधन के साथ लागत लेखा परीक्षकों एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों सहित वैधानिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना।

(xiii) आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना, यदि कोई हो, जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की स्टाफिंग एवं वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, कवरेज एवं आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति शामिल है।

(xiv) किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा एवं उस पर अनुवर्ती कार्रवाई।

(xv) ऐसे मामलों में जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता है, आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना एवं मामले को बोर्ड को प्रतिवेदन करना।

(xvi) लेखा परीक्षा शुरू होने से पहले, लेखा परीक्षा की प्रकृति एवं दायरे के साथ-साथ चिंता के किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखा परीक्षा के बाद की चर्चा के बारे में वैधानिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा।

(xvii) जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) एवं लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक, यदि कोई हो, के कारणों पर गौर करना।

(xviii) व्हिसिल ब्लोअर तंत्र की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना।

(xix) वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करना एवं यह सत्यापित करना कि आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणाली पर्याप्त हैं एवं कुशलतापूर्वक काम कर रहे हैं।

(xx) सहायक कंपनी में होल्डिंग कंपनी द्वारा 100 करोड़ रुपये से अधिक या सहायक कंपनी की संपत्ति के आकार का 10%, जो भी मौजूदा ऋण / अग्रिम / मौजूदा निवेश सहित कम हो, के उपयोग की इस प्रावधान के लागू होने की तिथि को समीक्षा करना।

(xxi) ऐसे अन्य कार्य करना जिन्हें कंपनी के निदेशक मंडल एवं/या निदेशकों की अन्य समितियों द्वारा विशेष रूप से समिति को भेजा जा सकता है।

5.1.7.3 लेखा परीक्षा समिति द्वारा निम्नलिखित जानकारी की अनिवार्य समीक्षा:

(i) प्रबंधन चर्चा एवं वित्तीय स्थिति एवं संचालन के परिणामों का विश्लेषण;

(ii) प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण;

(iii) वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के प्रबंधन पत्र/पत्र;

(iv) आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन;

(v) आंतरिक लेखा परीक्षकों/मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति, निष्कासन एवं पारिश्रमिक की शर्तें, एवं

(vi) विचलन का विवरण:

(क) विनियमन 32(1) के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत निगरानी एजेंसी की प्रतिवेदन सहित विचलन का त्रैमासिक विवरण, यदि लागू हो।

(ख) विनियमन 32(7) के संदर्भ में प्रस्ताव दस्तावेज़/प्रोस्पेक्टस/नोटिस में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए गए धन का वार्षिक विवरण।

5.1.7.4 लेखा परीक्षा समिति के कार्यों में निम्न शामिल हैं:

(i) यह जांचने के लिए कि क्या लागत नियंत्रण पर्याप्त है एवं संचालन के आकार के अनुरूप है।

(ii) उन क्षेत्रों का अध्ययन करना जहां आय बढ़ाई जा सकती है एवं जिन क्षेत्रों में लागत कम की जा सकती है।

(iii) उपरोक्त प्रत्येक क्षेत्र पर प्रबंधन सूचना प्रणाली एवं बोर्ड को अपनी सिफारिशें देना।

5.2 नामांकन एवं प्रतिपूर्ति समिति:

5.2.1 इस समिति में तीन स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। निदेशक (मानव संसाधन) एवं निदेशक (वित्त) समिति में आमंत्रित सदस्य हैं। स्वतंत्र निदेशकों में से एक के पास समिति की अध्यक्षता होती है। समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 एवं निगम प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत आवश्यकताओं के अनुरूप है।

5.2.2 समिति के संदर्भ की शर्तें:

(i) निर्धारित सीमा के भीतर अधिकारियों एवं गैर-संघीय पर्यवेक्षकों के बीच वितरण के लिए वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल एवं नीति का अनुमोदन।

(ii) अधिनियम एवं सेबी विनियमों में निहित मामले।

5.2.3 एमसीए ने दिनांक 05.07.2017 की अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कुछ प्रावधानों से छूट दी है। बोर्ड एवं व्यक्तिगत निदेशकों का वार्षिक मूल्यांकन, योग्यता, सकारात्मक दृष्टिकोण, निदेशकों की स्वतंत्रता निर्धारित करने के लिए नीति तैयार करना एवं निदेशकों के पारिश्रमिक के लिए बोर्ड को एक नीति की सिफारिश करना। हालाँकि, सेबी द्वारा सेबी विनियमों के तहत अब तक ऐसी कोई छूट प्रदान नहीं की गई है।

5.2.4 समिति की वर्ष के दौरान तीन बार बैठक हुई, अर्थात 19.04.2022, 21.09.2022 एवं 10.02.2023 को हुई।

5.2.5 दिनांक 31.03.2023 को समिति के सदस्य एवं प्रत्येक सदस्य एवं आमंत्रित व्यक्तियों द्वारा भाग ली गई बैठकें इस प्रकार हैं:

नामांकन एवं प्रतिपूर्ति समिति के सदस्यगण	निदेशक की श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	भाग लिया
सुश्री (डॉ.) शतरूपा	स्वतंत्र	अध्यक्ष	3	3
श्री आर. एन. झा	स्वतंत्र	सदस्य	3	3
श्री वाई. पी. चिलिओ	स्वतंत्र	सदस्य	3	3
श्री आर.एस. महापात्र निदेशक (मानव संसाधन)	प्रकार्यात्मक	आमंत्रित सदस्य	3	3
श्री आर.सी. जोशी निदेशक (वित्त)	प्रकार्यात्मक	आमंत्रित सदस्य	3	3

5.2.6 स्वतंत्र निदेशक जो समिति के सदस्य नहीं हैं, उन्हें आमंत्रित सदस्य के रूप में 21.09.2022 एवं 10.02.2023 को आयोजित बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था।

5.2.7 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष पिछली वार्षिक आम बैठक के दौरान उपस्थित थे।

5.3 स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप समिति:

5.3.1 इस समिति में तीन स्वतंत्र निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं। स्वतंत्र निदेशकों में से एक के पास समिति की अध्यक्षता होती है। समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 एवं निगम प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत आवश्यकताओं के अनुरूप है।

5.3.2 यह समिति शेयरों के हस्तांतरण/संचरण, वार्षिक प्रतिवेदन न मिलने, लाभांश न मिलने एवं अन्य संबंधित मामलों से संबंधित निवेशकों की शिकायतों के निवारण की निगरानी करती है।

5.3.3 समिति की संदर्भ शर्तें:

(i) सूचीबद्ध इकाई के सुरक्षा धारकों की शिकायतों का समाधान करना, जिसमें शेयरों के हस्तांतरण/संचरण, वार्षिक प्रतिवेदन न मिलना, घोषित लाभांश न मिलना, नए/डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करना एवं सामान्य बैठकें आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं।

(ii) शेयरधारकों द्वारा मतदान अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा।

(iii) रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध इकाई द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन की समीक्षा।

(iv) दावा न किए गए लाभांश की मात्रा को कम करने एवं कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंट/वार्षिक प्रतिवेदन/वैधानिक नोटिस की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सूचीबद्ध इकाई द्वारा किए गए विभिन्न उपायों एवं पहलों की समीक्षा।

5.3.4 मेसर्स. केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड) को सीधे या सेबी, स्टॉक एक्सचेंज आदि के माध्यम से प्राप्त शेयरधारकों की सभी शिकायतों पर विचार करने एवं हल करने के लिए रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किए जाते हैं कि निवेशकों की संतुष्टि के लिए शिकायतों का यथाशीघ्र समाधान किया जाता है।

5.3.5 श्री एन. के. महान्ति, समूह महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव को सेबी विनियमों के विनियम 6(1) के तहत आवश्यक अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

5.3.6 समिति की वर्ष के दौरान दो बार अर्थात 28.10.2022 एवं 23.03.2023 को बैठक हुई।

5.3.7 दिनांक 31.03.2023 को समिति के सदस्यगण एवं प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग ली गई बैठक इस प्रकार है:

नामांकन एवं प्रतिपूर्ति समिति के सदस्यगण	निदेशक की श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	भाग लिया
अधिवक्ता जी कुरियन	स्वतंत्र	अध्यक्ष	2	2
श्री आर. एन. झा	स्वतंत्र	सदस्य	2	2
श्री वाई. पी. चिलिओ	स्वतंत्र	सदस्य	2	2

स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप समिति के अध्यक्ष पिछली वार्षिक आम बैठक के दौरान उपस्थित थे।

5.3.8 दिनांक 23.03.2023 को आयोजित बैठक के दौरान, स्वतंत्र निदेशक सुश्री (डॉ.) शतरूपा को आमंत्रित सदस्य के रूप में बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था।

5.3.9 वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त एवं निवारण की गई शिकायतों का विवरण इस प्रकार है:

किससे प्राप्त	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान समाधान	अंतिम शेष
सेबी	0	0	0	0
स्टॉक एक्सचेंज	0	1	1	0
एकल व्यक्ति	0	948	948	0
कुल	0	949	949	0

टिप्पणी: दिनांक 31.03.2023 तक प्राप्त शिकायतों की संख्या कंपनी के कुल शेयरधारकों की संख्या का 0.14% है। सभी शिकायतों का उचित समय सीमा के भीतर समाधान किया गया।

5.3.10 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्राप्त एवं हल की गई विभिन्न प्रकार की शिकायतों का विवरण नीचे दिया गया है:

शिकायतों का प्रकार	शिकायतों की संख्या
प्रतिभूतियों का प्राप्त न होना	38
लाभांश न मिलना	853
वार्षिक प्रतिवेदन का प्राप्त न होना	58
रिडेम्पशन वारंट का प्राप्त न होना	0
ब्याज वारंट का न मिलना	0
कुल	949

5.3.11 इसके साथ ही, सेबी विनियमों के विनियम 40 में संशोधन किया गया है, जिसमें सूचीबद्ध कंपनियों को ट्रांसमिशन एवं ट्रांसपोज़िशन मामलों को छोड़कर दिनांक 01.04.2019 से भौतिक शेयरों के हस्तांतरण को संसाधित/प्रभावित नहीं करने का आदेश दिया गया है। प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को उन्हें डीमैट/इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करने की सलाह दी। इसके अतिरिक्त, सेबी के परिपत्र दिनांक 25.01.2022 के संदर्भ में, संबंधित शेयरधारकों को 'पुष्टि पत्र' भेजा जाता है, जिसमें उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे जारी होने के संबंध में शेयरों के अभौतिकीकरण के लिए डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र, शेयरों का प्रसारण, प्रमाणपत्रों/फोलियो का समेकन आदि के जारी होने के 120 दिनों के भीतर अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ जमा करें।

5.3.12 सेबी परिपत्र दिनांक 25.05.2022 के संदर्भ में, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी अपने हितों की सुरक्षा एवं रक्षा के लिए डुप्लिकेट प्रतिभूतियों को जारी करने से संबंधित आवश्यकताओं से उत्पन्न जोखिम के लिए सूचीबद्ध कंपनी बीमा कंपनी से विशेष आकस्मिक बीमा पॉलिसी लेगी। तदनुसार, आपकी कंपनी ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से ऐसी पॉलिसी ली है।

5.4 जोखिम प्रबंधन समिति:

5.4.1 इस समिति में तीन स्वतंत्र निदेशक, निदेशक (वित्त) एवं निदेशक (उत्पादन) सदस्य के रूप में शामिल हैं। स्वतंत्र निदेशकों में से एक के पास समिति की अध्यक्षता होती है। समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 एवं निगम प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत आवश्यकताओं के अनुरूप है।

5.4.2 समिति की संदर्भ शर्तें इस प्रकार हैं:

(i) परिचालन, रणनीतिक, बाहरी पर्यावरण जोखिमों एवं साइबर सुरक्षा की पहचान, मूल्यांकन एवं शमन के संबंध में जिम्मेदारियों की देखरेख में निदेशक मंडल की सहायता करना।

(ii) कंपनी की जोखिम नीतियों एवं संबंधित प्रथाओं की निगरानी एवं अनुमोदन के लिए समग्र जिम्मेदारी।

(iii) किसी भी सार्वजनिक दस्तावेज़ या प्रकटीकरण में जोखिम प्रकटीकरण विवरण की समीक्षा करना एवं अनुमोदन करना।

5.4.3 समिति जोखिम मूल्यांकन योजना की समीक्षा एवं निगरानी करती है, बोर्ड को समय-समय पर मूल्यांकन किए गए जोखिम एवं की जाने वाली आवश्यक कार्रवाई के बारे में सूचित करती है। प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन में अनुमानित जोखिमों का विवरण भी दिया गया है।

5.4.4 श्री श्रीमंत पांडा, समूह महाप्रबंधक (वित्त) को श्री एसबी महान्ति, जीएम (वित्त) को कंपनी की सेवाओं से मुक्त किए जाने के बाद 26.10.2022 से कंपनी के मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

5.4.5 समिति की वर्ष के दौरान दो बार बैठक हुई अर्थात 01.09.2022 एवं 27.02.2023 को हुईं।

5.4.6. दिनांक 31.03.2023 को समिति के सदस्यगण एवं प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग ली गई बैठकें इस प्रकार हैं:

जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्यगण	निदेशक की श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	भाग लिया
डॉ. बीआर रामकृष्ण	स्वतंत्र	अध्यक्ष	2	2
अधिवक्ता जी कुरियन	स्वतंत्र	सदस्य	2	2
डॉ. ए. नारंग	स्वतंत्र	सदस्य	2	2
श्री बी. के दास# निदेशक (उत्पादन)	प्रकार्यात्मक	सदस्य	1	1
श्री आर.सी. जोशी निदेशक (वित्त)	प्रकार्यात्मक	सदस्य	2	2
श्री पीके शर्मा* निदेशक (उत्पादन)	प्रकार्यात्मक	सदस्य	2	2

श्री बी के दास दिनांक 31.01.2023 को निदेशक (उत्पादन) के पद से सेवानिवृत्त हुए

* श्री पी के शर्मा को 01.02.2023 से निदेशक (उत्पादन) के रूप में नियुक्त किया गया।

5.4.7 दिनांक 27.02.2023 को आयोजित बैठक के दौरान, स्वतंत्र निदेशक सुश्री (डॉ.) शतरूपा को आमंत्रित सदस्य के रूप में बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था।

5.5 निगम सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीय विकास समिति:

5.5.1 समिति में सदस्यों के रूप में तीन स्वतंत्र निदेशक, निदेशक (मानव संसाधन) एवं निदेशक (उत्पादन) शामिल हैं। स्वतंत्र निदेशकों में से एक के पास समिति की अध्यक्षता होती है। समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 एवं निगम प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत आवश्यकताओं के अनुरूप है।

5.5.2 समिति की संदर्भ शर्तें इस प्रकार हैं:

(i) संबंधित पुनर्वास एवं परिधीय विकास समिति के माध्यम से कंपनी द्वारा की जा रही परिधीय विकास गतिविधियों की निगरानी करना एवं एमएमडीआर अधिनियम के तहत लिया जाना प्रस्तावित है।

(ii) नालको फाउंडेशन।

(iii) पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण।

5.5.3 समिति की वर्ष के दौरान दो बार बैठक हुई अर्थात 24.05.2022 एवं 07.08.2022 को हुई।

5.5.4 31.03.2023 को समिति के सदस्यगण एवं प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग ली गई बैठकें इस प्रकार हैं:

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीय विकास समिति के सदस्यगण	निदेशक की श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	भाग लिया
श्री डी. उपाध्याय	स्वतंत्र	अध्यक्ष	2	2
डॉ. बीआर रामकृष्ण	स्वतंत्र	सदस्य	2	2
सुश्री (डॉ.) शतरूपा	स्वतंत्र	सदस्य	2	2
श्री आर.एस. महापात्र निदेशक (मानव संसाधन)	प्रकार्यात्मक	सदस्य	2	2
श्री बी. के दास# निदेशक (उत्पादन)	प्रकार्यात्मक	सदस्य	2	2
श्री पी.के. शर्मा* निदेशक (उत्पादन)	प्रकार्यात्मक	सदस्य	0	एनए

श्री बी. के दास 31.01.2023 को निदेशक (उत्पादन) के पद से सेवानिवृत्त हुए

* श्री पीके शर्मा को 01.02.2023 से निदेशक (उत्पादन) के रूप में नियुक्त किया गया।

5.5.5 श्री एसआर पटेल, स्वतंत्र निदेशक को 24.05.2022 एवं 07.08.2022 को आयोजित बैठकों में आमंत्रित सदस्य के रूप में बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया।

5.6 टेक्नोलॉजी समिति:

5.6.1 समिति में तीन स्वतंत्र निदेशक, निदेशक (परियोजना व तकनीकी) एवं निदेशक (उत्पादन) सदस्य के रूप में शामिल हैं। स्वतंत्र निदेशकों में से एक के पास समिति की अध्यक्षता होती है। समिति का गठन डीपीई दिशानिर्देशों के तहत आवश्यकताओं के अनुपालन में किया गया है।

5.6.2 समिति प्रौद्योगिकी विकसित करने तथा इसे प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को प्राप्त करने और आत्मसात करने के लिए कंपनी के प्रयासों की निगरानी एवं मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देती है और तकनीकी क्षेत्र में निरंतर शक्ति बनाए रखने के लिए अपने स्वयं के अनुसंधान एवं विकास प्रयासों और स्मेल्टर, परिशोधक आदि से संबंधित विशिष्ट उपभोग मानदंडों की समीक्षा करती है।

5.6.3 समिति की वर्ष के दौरान 23.03.2023 को एक बार बैठक हुई।

5.6.4 दिनांक 31.03.2023 को समिति के सदस्यगण एवं प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग ली गई बैठक इस प्रकार है:

टेक्नोलॉजी समिति के सदस्यगण	निदेशक की श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	भाग लिया
श्री वाई. पी. चिलिओ	स्वतंत्र	अध्यक्ष	1	1
अधिवक्ता जॉर्ज कुरियन	स्वतंत्र	सदस्य	1	1
डॉ. अजय नारंग	स्वतंत्र	सदस्य	1	1
श्री एम. पी मिश्रा निदेशक (परियोजना व तकनीकी)	प्रकार्यात्मक	सदस्य	1	1
श्री पीके शर्मा* निदेशक (उत्पादन)	प्रकार्यात्मक	सदस्य	1	1

* श्री पीके शर्मा को 01.02.2023 से निदेशक (उत्पादन) के रूप में नियुक्त किया गया।

5.6.5 दिनांक 23.03.2023 को आयोजित बैठक के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों श्री आर. एन. झा एवं सुश्री (डॉ.) शतरूपा को आमंत्रित सदस्य के रूप में बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था।

5.7 शेयर ट्रांसफर समिति:

5.7.1 फटे/कटे-फटे/विरूपित/खोए/रिमैटेरलाइजेशन होने की स्थिति में नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित मामलों को शेयर ट्रांसफर समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को छोड़कर सभी प्रकार्यात्मक निदेशक शामिल होते हैं।

5.7.2 समिति की वर्ष के दौरान दस बार बैठक हुई अर्थात 27.04.2022, 16.05.2022, 11.07.2022, 10.08.2022, 17.10.2022, 23.11.2022, 28.12.2022, 23.01.2023, 06.02.2023 एवं 22.03 .2023 को बैठक हुई।

5.7.3 दिनांक 31.03.2023 को समिति के सदस्यगण एवं प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग ली गई बैठकें इस प्रकार हैं:

शेयर ट्रांसफर समिति के सदस्यगण	निदेशक की श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	भाग लिया
श्री आर.एस. महापात्र निदेशक (मानव संसाधन)	प्रकार्यात्मक	अध्यक्ष	10	9
श्री एम. पी मिश्रा निदेशक (परियोजना व तकनीकी)	प्रकार्यात्मक	अध्यक्ष	10	10
श्री बी. के दास # निदेशक (उत्पादन)	प्रकार्यात्मक	अध्यक्ष	8	7
श्री आर. सी जोशी निदेशक (वित्त)	प्रकार्यात्मक	अध्यक्ष	10	9
श्री एस. सामंतराय निदेशक (वाणिज्यिक)	प्रकार्यात्मक	अध्यक्ष	10	8
श्री पी. के शर्मा* निदेशक (उत्पादन)	प्रकार्यात्मक	अध्यक्ष	2	1

श्री बी. के दास 31.01.2023 को निदेशक (उत्पादन) के पद से सेवानिवृत्त हुए

* श्री पीके शर्मा को 01.02.2023 से निदेशक (उत्पादन) के रूप में नियुक्त किया गया।

6.0 निदेशक की गैर-वैधानिक समितियाँ:

अधिनियम, सेबी विनियमों एवं डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड की वैधानिक समितियों के अलावा, बोर्ड ने निम्नलिखित गैर-वैधानिक समितियों का भी गठन किया है एवं कंपनी के सुचारू संचालन के लिए शक्तियाँ सौंपी गई हैं:

(i) एचआर समिति।

(ii) एथिक्स एंड निगम गवर्नेंस समिति।

(iii) परियोजनाओं एवं नए उद्यमों के लिए समिति ऑफ डायरेक्टर्स।

उपरोक्त कमिटियों की बैठकें कंपनी की आवश्यकताओं के आधार पर, बोर्ड द्वारा तय की गई संदर्भ शर्तों के अनुरूप, समय-समय पर आयोजित की जाती हैं।

7.0 स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक:

7.1 अधिनियम के साथ-साथ सेबी विनियमों के तहत स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक एक आवश्यकता है।

7.2 निगम मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने सरकारी कंपनियों के लिए स्वतंत्र निदेशकों की बैठक के दायरे से अध्यक्ष, गैर-स्वतंत्र निदेशकों और संपूर्ण बोर्ड के प्रदर्शन की समीक्षा जैसे कुछ क्षेत्रों को छूट दी है।

7.3 समिति कंपनी प्रबंधन एवं बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा एवं समयबद्धता का आकलन करती है जो बोर्ड के लिए अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से एवं उचित रूप से पूरा करने के लिए आवश्यक है।

7.4 वर्ष के दौरान, एक बैठक दिनांक 16.01.2023 को आयोजित की गई। कंपनी सचिव ने स्वतंत्र निदेशकों की सलाह पर बैठक बुलाने एवं आयोजित करने की सुविधा प्रदान की।

7.5 दिनांक 16.01.2023 को आयोजित बैठक में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार थी:

नाम	निदेशक की श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	भाग लिया
डॉ. बीआर रामकृष्ण	स्वतंत्र	अध्यक्ष	1	1
श्री आर. एन. झा	स्वतंत्र	सदस्य	1	1
अधिवक्ता जी कुरियन	स्वतंत्र	सदस्य	1	1
डॉ. ए. नारंग	स्वतंत्र	सदस्य	1	1
श्री वाई. पी. चिलिओ	स्वतंत्र	सदस्य	1	0
सुश्री (डॉ.) शतरूपा	स्वतंत्र	सदस्य	1	1
अधिवक्ता डी. उपाध्याय	स्वतंत्र	सदस्य	1	1
श्री एस.आर. पटेल	स्वतंत्र	सदस्य	1	1

7.6 बैठक के मिनट (कार्यवृत्त) को बोर्ड की जानकारी के लिए अगली निदेशक मंडल की बैठक में रखा जाता है।

8.0 सामान्य निकाय बैठकें:

8.1 आयोजित पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों का विवरण:

वित्तीय वर्ष	एजीएम तिथि	समय	विशेष संकल्प, यदि कोई हो	स्थान
2019-20	30.09.2020	पूर्वाह्न 11:00 बजे	नहीं	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") के जरिए/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") संभावित स्थान: नालको भवन, पी/1, नयापल्ली भुवनेश्वर- 751 013
2020-21	30.09.2021	पूर्वाह्न 11:00 बजे	नहीं	
2021-22	22.09.2022	पूर्वाह्न 11:00 बजे	नहीं	

8.2 पिछले 3 वर्षों के दौरान कोई असाधारण आम बैठक नहीं हुई है।

8.3 कोविड-19 के प्रकोप के कारण, निगम मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने भी कंपनियों को सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, कैलेंडर वर्ष 2022 के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से वार्षिक आम बैठकें आयोजित करने की अनुमति दी है। तदनुसार, पिछली वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की गई थी।

8.4 पात्र शेयरधारकों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने एवं वक्ता के रूप में पंजीकरण की सुविधा प्रदान की गई।

8.5 दिनांक 22.09.2022 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की गई थी। एजीएम के दौरान उन सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई, जो रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से अपने वोट का प्रयोग नहीं कर सकते थे।

8.6 ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलट:

8.6.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निम्नलिखित निदेशकों की नियुक्ति के लिए सामान्य/विशेष प्रस्तावों को शेयरधारकों द्वारा ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से दिनांक 28.04.2022 को नोटिस के माध्यम से पोस्टल बैलट के माध्यम से अपेक्षित बहुमत से पारित किया गया था:

क्रम सं.	संकल्प का विवरण	संकल्प
1.	कंपनी के निदेशक के रूप में श्री सदाशिव सामंतराय [डीआईएन: 08130130] की निदेशक (वाणिज्यिक) के रूप में नियुक्ति।	साधारण
2.	कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री संजय रमनलाल पटेल [डीआईएन: 09545270] की नियुक्ति।	विशेष

8.6.2 आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने मैसर्स सविता ज्योति एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, हैदराबाद की सुश्री सविता ज्योति (एम. नं.: एफ3738, सीपी नं.: 1796) को ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलट की जांच के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया।

8.6.3 कंपनी के पात्र शेयरधारकों को व्याख्यात्मक विवरण के साथ दिनांक 28.04.2022 के पोस्टल बैलेट नोटिस का प्रेषण 04.05.2022 को पूरा किया गया।

8.6.4 ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 09 मई, 2022 को सुबह 09:00 बजे (आईएसटी) शुरू हुई एवं मंगलवार, 07 जून, 2022 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) पर समाप्त हुई।

8.6.5 संवीक्षक की प्रतिवेदन के आधार पर, ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलट प्रक्रिया के परिणाम 08.06.2022 को घोषित किए गए।

8.6.6 उपरोक्त पोस्टल बैलेट से संबंधित सभी वैधानिक औपचारिकताएं अधिनियम एवं सेबी विनियमों के प्रावधानों के तहत आवश्यक वैधानिक समय सीमा के भीतर पूरी की गईं।

9.0 संचार के साधन:

9.1 कंपनी अच्छे निगम प्रशासन अभ्यास के उपाय के रूप में, भौतिक जानकारी साझा करने एवं समय पर परिणामों के प्रकटीकरण में विश्वास करती है।

9.2 कंपनी की पहली तीन तिमाहियों के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम एवं चौथी तिमाही एवं पूरे वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार निर्धारित समय के भीतर घोषित किए गए थे।

9.3 परिणाम बोर्ड बैठकों के समापन से निर्धारित समय के भीतर एनएसई इलेक्ट्रॉनिक एप्लिकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (एनईएपीएस) एवं बीएसई लिस्टिंग सेंटर के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंजों में प्रसारित किए गए थे, जहां परिणाम बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए गए थे। इसके साथ ही नतीजे कंपनी की वेबसाइट www.nalcoindia.com पर अपलोड कर दिए गए।

9.4 परिणामों का उद्धरण अंग्रेजी एवं उड़िया समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया, जैसा कि नीचे वर्णित है:

परिणामों का विवरण	बैठक की तिथि	समाचार पत्र	प्रकाशन की तिथि
पहली तिमाही- (अप्रैल-जून, 2022)	08.08.2022	बिजनेस लाइन (अंग्रेजी) एवं धारित्री (ओडिया)	09.08.2022
दूसरी तिमाही- (जुलाई-सितंबर, 2022)	09.11.2022	फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), संबाद (उड़िया) एवं सन्मार्ग (हिंदी)	10.11.2022
तीसरी तिमाही- (अक्टूबर-दिसंबर, 2022)	10.02.2022	बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी), धरित्री (उड़िया) एवं आजाद सिपाही (हिंदी)	11.02.2022
चौथी तिमाही . - (जनवरी-मार्च, 2023 एवं वर्ष 2022-23)	24.05.2023	इकोनॉमिक टाइम्स (अंग्रेजी), प्रमेय (उड़िया) एवं नवभारत (हिंदी)	26.05.2023

9.5 कंपनी ने अपने शेयरधारकों से संवाद करने के लिए ई-संचार पद्धति को अपनाया है। सभी प्रकार के पत्र/सूचना/प्रतिवेदन उन शेयरधारकों के पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजे जाते हैं जिन्होंने डेटाबेस में अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत की हैं। जिन शेयरधारकों ने अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उन्हें त्वरित एवं बेहतर संचार के लिए अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

9.6 कंपनी की वार्षिक प्रतिवेदन एवं अन्य विज्ञप्ति उपयोगकर्ता के अनुकूल एवं डाउनलोड करने योग्य रूप में वेबसाइट पर होस्ट की जाती है।

9.7 शेयरधारकों को उनके लाभांश के नकदीकरण की स्थिति के साथ-साथ समय-समय पर अन्य संबंधित जानकारी सुनिश्चित करने के लिए वेबसाइट में "इंवेस्टर्स सर्विस" पृष्ठ पर ऑनलाइन पहुंच सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

10.0 सामान्य शेयरधारक जानकारी:

10.1 कंपनी पंजीकरण विवरण:

निगम पहचान संख्या (सीआईएन)	:	L27203OR1981GOI000920
कंपनी का पैन	:	AAACN7449M
कंपनी का जीएसटी	:	21AAACN7449M1Z9
पंजीकरण की तिथि	:	7 जनवरी , 1981
वित्तीय वर्ष	:	1 अप्रैल - 31 मार्च
कंपनी का पंजीकृत कार्यालय	:	नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751 013, ओडिशा

10.2 वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक आम बैठक:

दिनांक 30 सितंबर , 2023 को या उससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीडियन (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति दी है। तदनुसार, 42वीं वार्षिक आम बैठक इस वर्ष के लिए गुरुवार, 21 सितंबर, 2023 को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है जैसा कि नीचे दिया गया है:

दिन एवं दिनांक	गुरुवार, 21 सितंबर, 2023
समय	प्रातः 11:00 बजे
मानित स्थान	नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751 013
प्रारूप	वीसी/ओएवीएम के माध्यम

10.3 वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय कैलेंडर:

कार्यक्रम	संभावित तिथि
पहली तीन तिमाहियों के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम	संबंधित तिमाही के समापन के 45 दिनों के भीतर
चौथी तिमाही के परिणामों सहित वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम	वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर
31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वार्षिक आम बैठक	सितंबर, 2024 तक

10.4 लाभांश नीति:

कंपनी ने एक लाभांश वितरण नीति तैयार की है एवं यह कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/01/Dividend-Policy.pdf

डिपार्टमेंट ऑफ इंवेस्टमेंट एंड पब्लिक ऐसेट मैनेजमेंट (डीआईपीएएम) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक सीपीएसई कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन न्यूनतम वार्षिक लाभांश पीएटी का 30% या नेट-वर्थ का 5%, जो भी अधिक हो, का भुगतान करेगा।

10.5 लाभांश का भुगतान:

10.5.1 वर्ष के दौरान कंपनी ने दो किश्तों में रु. 3.50 प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतरिम लाभांश, कुल रु. 642.82 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रु. 1.50 प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतिम लाभांश, रु. 275.49 करोड़ का भुगतान किया है।

1 0.5.2 वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल लाभांश भुगतान रु. 918.32 करोड़ था, जबकि पिछले वर्ष के दौरान रु. 1,101.98 करोड़ था। लाभांश भुगतान पिछले वित्तीय वर्ष के 37.33% के मुकाबले पीएटी का 59.48% था।

10.5.3 निदेशक मंडल ने आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए 20% यानी रु. 1 प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की है।

10.5.4 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 के अनुसार, लाभांश 01.04.2020 से शेयरधारकों के हाथ में टीडीएस के अधीन है। लाभांश की घोषणा के बाद, शेयरधारकों को यह सुनिश्चित करने के लिए लागू फॉर्म 15जी/15एच जमा करने की सलाह दी गई थी कि उनकी लाभांश आय से कोई टीडीएस नहीं काटा गया। कंपनी के आरटीए, मे. केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने शेयरधारकों द्वारा फॉर्म 15जी/फॉर्म 15एच को ऑनलाइन जमा करने की सुविधा के लिए निम्नलिखित लिंक भी प्रदान किया है: https://ris.kfintech.com/form15/

10.6 पिछले 5 वर्षों का लाभांश इतिहास:

वर्ष	प्रति शेयर लाभांश (रु.)	भुगतान तिथि	कुल लाभांश (रु. करोड़ में)	पीएटी को लाभांश का %
2017-18	(आई)- ₹ 4.70 (एफ)- शून्य	(आई)- 28.02.2018 (एफ)- शून्य	908.47	67.67%
2018-19	(आई)- ₹ 4.50 (एफ)- ₹ 1.00	(आई)- 28.03.2019 (एफ)-24.09.2018	1032.82	59.62%
2019-20	(आई)- ₹ 1.50 (एफ)- ₹ 1.25	(आई)-06.03.2020 (एफ)-14.10.2019	513.04	371.15%
2020-21	1st (आई)- ₹ 0.50 2nd(आई)- ₹ 2.00 (एफ)- शून्य	1st (आई)-16.12.2021 2nd (आई)-31.03.2021 (एफ)- शून्य	460.61	35.44%
2021-22	1st (आई)- ₹ 2.00 2nd(आई)- ₹ 3.00 (एफ)- ₹ 1.00	1st (आई)- 10.12.2021 2nd(आई)- 04.03.2022 (एफ)-25.10.2021	1101.98	37.33%
इंटेरिम (आई), फाइनल (एफ)				

10.7 सूचीबद्धता विवरण:

नालको शेयरों का सूचीबद्धता विवरण इस प्रकार है:

विवरण	स्टॉक एक्सचेंज जहां शेयर सूचीबद्ध हैं	
	बीएसई लिमिटेड	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
पता	फ़िरोज़ जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001	एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई - 400 051
स्क्रिप कोड	532234	नेशनलम
जब से ट्रेड किया	19.10.1992	28.04.1999
स्टॉक कोड (आईएसआईएन)	आईएनई 139A01034	आईएनई 139A01034
वर्ष 2023-24 के लिए लिस्टिंग शुल्क का भुगतान	27.04.2023 को भुगतान	19.04.2023 को भुगतान

टिप्पणी: वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक अभिरक्षा/जारीकर्ता शुल्क का भुगतान कंपनी द्वारा एनएसडीएल एवं सीडीएसएल को कर दिया गया है।

10.8 वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बाजार मूल्य आंकड़ें:

महीना	बीएसई			एनएसई			बाजार पूंजीकरण (राशि करोड़ रु. में)	
	शेयर मूल्य (बीएसई) (राशि रु. में)		औसत कारोबार (शेयरों की संख्या)	शेयर मूल्य (एनएसई) (राशि रु. में)		औसत कारोबार (शेयरों की संख्या)		
	एच	एल		एच	एल		बीएसई	एनएसई
अप्रैल, 2022	132.45	104.40	10,89,053.26	132.40	104.30	1,70,46,093.89	21,842.15	21,833.78
मई	106.75	86.75	13,32,950.76	106.75	86.75	1,71,61,237.05	17,529.31	17,511.67
जून	95.35	67.05	10,62,706.82	95.35	67.00	1,64,66,227.66	14,874.13	14,870.37
जुलाई	78.55	67.00	9,26,064.10	78.60	66.95	1,74,51,033.71	13,399.49	13,400.24
अगस्त	83.40	76.00	9,54,651.60	83.45	75.95	1,33,54,961.95	14,584.41	14,586.71
सितंबर	83.75	67.00	12,27,565.68	83.80	66.95	1,37,98,002.50	14,003.75	13,993.72
अक्टूबर	73.60	68.05	10,90,928.11	73.60	68.05	1,13,32,990.95	12,944.57	12,934.43
नवंबर	78.80	69.80	10,21,345.29	78.85	70.00	1,21,32,576.43	13,672.76	13,676.17
दिसंबर	82.45	70.00	11,05,021.86	82.50	69.80	1,28,72,346.32	14,282.95	14,278.56
जनवरी	86.50	80.05	10,37,342.95	86.55	80.05	1,52,85,675.71	15,305.48	15,303.25
फ़रवरी	84.40	75.65	6,74,567.45	84.65	75.65	96,79,013.95	14,578.53	14,577.90
मार्च	85.79	75.73	8,53,813.57	85.80	75.70	1,41,80,549.33	14,800.52	14,797.39

एच=उच्चतम, एल=निम्नतम, स्रोत: बीएसई एवं एनएसई की वेबसाइटें

10.9 व्यापक आधारित सूचकांकों की तुलना में प्रदर्शन:

बीएसई:

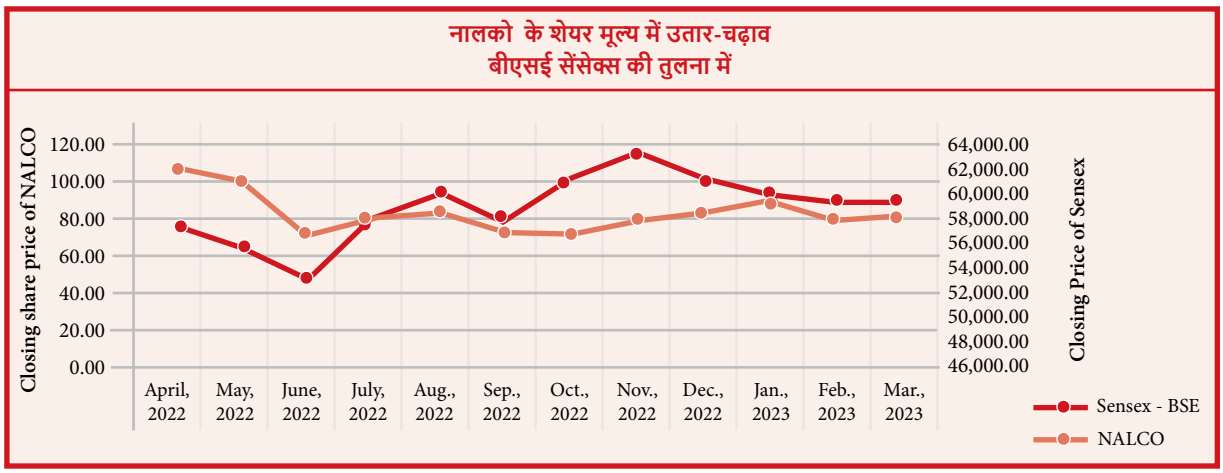

एनएसई

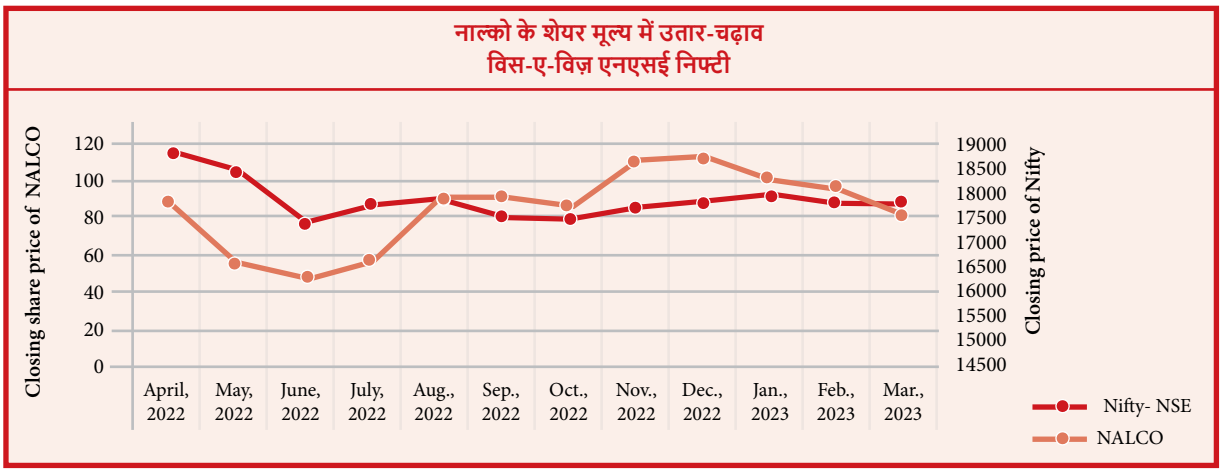

10.10 रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट:

नालको' में शेयरधारक आधार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शेयरधारकों को कुशल एवं प्रभावी सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए, मे. केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड) शेयर रजिस्ट्री गतिविधियों को मेसर्स को आउटसोर्स किया गया था। मे. केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड शेयर से संबंधित गतिविधियाँ जैसे शेयरों का प्रसारण, शेयरों का स्थानान्तरण, डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करना, नाम हटाना, पता बदलना, बैंक विवरण, लाभांश की प्रक्रिया एवं भुगतान, समाप्त लाभांश वारंट के बदले में डीडी जारी करना, बैंकों के साथ लाभांश खातों का समाधान, आईईपीएफ से संबंधित गतिविधियों का ध्यान रखना, नामांकित व्यक्तियों का पंजीकरण, शेयरों का अभौतिकीकरण/रीमटेरियलाइजेशन आदि एवं शेयरधारकों की शिकायतों का निवारण करता है। मे. केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का का संपर्क विवरण इस प्रकार है:

मे. केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड)।

यूनिट: नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड

सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31 एवं 32, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल,

हैदराबाद - 500 032, तेलंगाना।

टोल फ्री नंबर: 1800-309-4001, ईमेल: einward.ris@kfintech.com

10.11 शेयर हस्तानांतरण प्रणाली:

कंपनी सचिव को शेयरों के हस्तांतरण/ट्रांसमिशन/ट्रांसपोज़िशन एवं अभौतिकीकरण से संबंधित सभी अनुरोधों/मामलों को मंजूरी देने के लिए बोर्ड द्वारा अधिकृत किया गया है। हालाँकि, फटे/विकृत/विरूपित/खोए/रीमैटेरियलाइजेशन के मामले में नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित मामलों को शेयर ट्रांसफर समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को छोड़कर सभी प्रकार्यात्मक निदेशक शामिल होते हैं। सेबी विनियमों के संशोधित विनियमन 40 के अनुपालन में, भौतिक शेयरों का हस्तांतरण 01.04.2019 से रोक दिया गया है।

सेबी विनियमों के विनियम 7(3) के तहत आवश्यक कॉम्पलायंस सर्टिफिकेट, कंपनी सचिव एवं कॉम्पलायंस अधिकारी एवं रजिस्ट्रार तथावं ट्रांसफर एजेंटों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित, निर्धारित समय सीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को जमा कर दिया गया था। इसके अलावा, सेबी विनियमों के विनियम 40(10) के अनुसार, मेसर्स एसकेएम एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ने पुष्टि करते हुए कहा कि सभी प्रमाणपत्र ट्रांसमिशन/ट्रांसपोज़िशन, सब-डिवीजन, समेकन, नवीनीकरण, विनिमय या कॉल/आवंटन धन के समर्थन के लिए जमा होने की तारीख के तीस दिनों के भीतर जारी किए गए थे एवं स्टॉक एक्सचेंजों को निर्धारित समय पर जमा कर दिए गए थे।

10.12 दिनांक 31.03.2023 को शेयरधारिता पैटर्न:

क्रम सं.	श्रेणी	शेयरधारकों की सं.	शेयरों की सं.	शेयरधारिता का %
1.	संवर्द्धक (भारत सरकार)	1	94,17,93,011	51.28
2.	बैंक/वित्तीय संस्थान	84	9,02,11,337	4.91
3.	म्यूचुअल फंड	60	15,59,07,119	8.49
4.	बीमा कंपनियाँ	2	1,600	0.00
6.	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	258	29,29,11,705	15.95
6.	निकाय कॉर्पोरेट	1,683	2,94,85,825	1.61
7.	भारतीय जनता	6,59,691	30,04,97,135	16.36
8.	अन्य	15,393	2,58,24,055	1.41
	कुल	**6,77,172**	**1,83,66,31,787**	**100.00**

टिप्पणी: एकाधिक फोलियो एवं/या डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी के तहत रखे गए शेयरों को शेयरधारकों की कुल संख्या में अलग से माना गया है।

10.13 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संवर्द्धक की हिस्सेदारी निम्नलिखित तरीके से बदल गई है:

संवर्द्धक का नाम	शेयरों की संख्या (वर्ष की शुरुआत)	धारिता का %	वर्ष के दौरान कमी	परिवर्तन की तारीख	प्रारूप	शेयर शेष	धारिता का %
President of India	94,17,93,011	51.28	-	-	-	94,17,93,011	51.28

10.14 दिनांक 31.03.2023 को शेयरधारिता का वितरण:

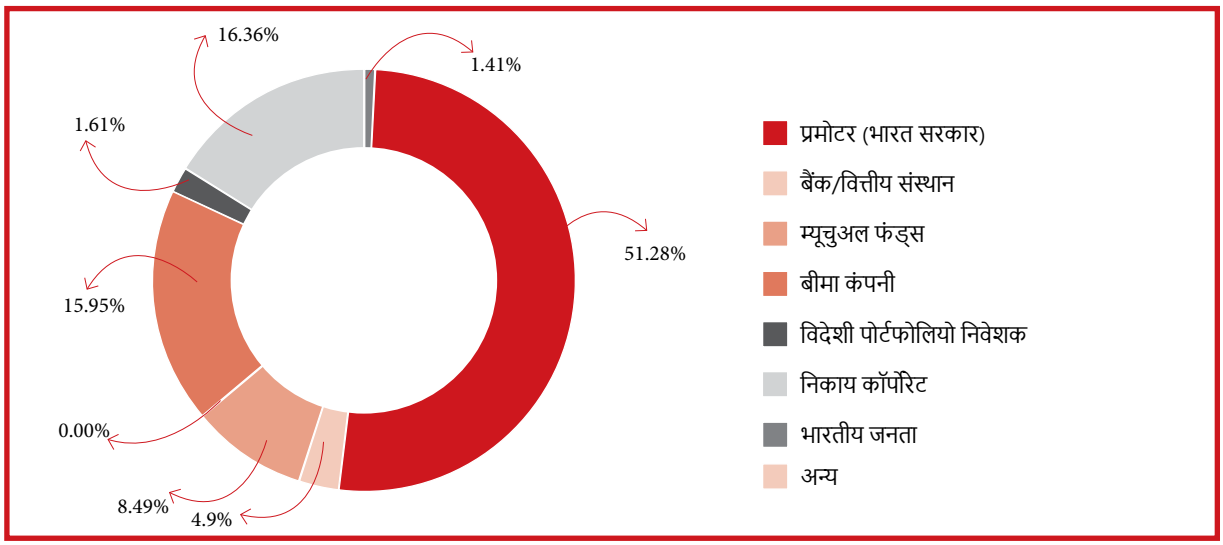

10.15 दिनांक 31.03.2023 को शेयरधारिता का वितरण:

शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का %	शेयरों की संख्या	शेयर पूंजी का %
1-200	4,93,086	72.82	2,92,01,641	1.59
201-500	92,031	13.59	3,31,32,501	1.80
501-1,000	44,988	6.64	3,62,55,659	1.97
1,001-50,000	46,387	6.85	18,26,63,827	9.95
50,001-1,00,000	276	0.04	2,01,33,014	1.10
1,00,001 एवं उससे अधिक	404	0.06	1,53,52,45,145	83.59
कुल	6,77,172	100.00	1,83,66,31,787	100.00

टिप्पणी: एकाधिक फोलियो एवं/या डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी के तहत रखे गए शेयरों को शेयरधारकों की कुल संख्या में अलग से माना गया है।

10.16 दिनांक 31.03.2023 को कंपनी के संवर्द्धक के अलावा शीर्ष 10 इक्विटी शेयरधारक:

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	धारिता का %
1.	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड	6,98,67,448	3.80
2.	एलआईसीआई ग्रेच्युटी प्लस बैलेंस्ड फंड	6,20,43,344	3.38
3.	मिराए एसेट लार्ज कैप फंड	4,46,05,010	2.43
4.	एसबीआई कॉन्ट्रा फंड	1,79,49,636	0.98
5.	द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,44,50,689	0.79
6.	वैनगार्ड इमर्जिंग मार्केट्स स्टॉक इंडेक्स फंड, ए सेरी	1,27,55,446	0.69
7.	वैनगार्ड कुल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड	1,17,96,515	0.64
8.	एकेडियन इमर्जिंग मार्केट्स स्मॉल कैप इक्विटी फंड एलएलसी	1,11,64,959	0.61
9.	एमर्जिंग मार्केट्स कोर इक्विटी पोर्टफोलियो	1,08,02,548	0.59
10.	गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल	1,06,81,138	0.58
कुल	26,61,16,733	14.49	

10.17 सूचीबद्ध शेयरों का अभौतिकीकरण/रीमटेरियलाइजेशन एवं तरलता :

10.17.1 कंपनी के शेयर अनिवार्य अभौतिक प्रारूप में हैं एवं दोनों डिपॉजिटरी यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) एवं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) में स्वीकार किए जाते हैं।

10.17.2 प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से प्राप्त शेयर कैपिटल ऑडिट प्रतिवेदन का मिलान तिमाही आधार पर स्टॉक एक्सचेंजों को वैधानिक समय अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

10.17.3 दिनांक 31.03.2023 तक भौतिक एवं डिमटेरियलाइज़ेशन मोड में रखे गए शेयरों की कुल संख्या:

विवरण	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	शेयरधारकों की संख्या
भौतिक	16,76,923	0.09	2,106
डीमैट (इलेक्ट्रॉनिक):			
एनएसडीएल	1,66,32,05,763	90.56	1,98,801
सीडीएसएल	17,17,49,101	9.35	4,76,265
कुल	1,83,66,31,787	100.00	6,77,172

टिप्पणी: एकाधिक फोलियो एवं/या डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी के तहत रखे गए शेयरों को शेयरधारकों की कुल संख्या में अलग से माना गया है।

10 .17.4 वर्ष के दौरान, 66,769 शेयरों से जुड़े 126 अभौतिकीकरण अनुरोधों की पुष्टि की गई है। वर्ष के दौरान कोई रीमैटेरियलाइजेशन अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

10.18 बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय उपकरण, रूपांतरण तिथि एवं इक्विटी पर संभावित प्रभाव:

कंपनी द्वारा कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय उपकरण जारी नहीं किया गया है।

10.19 सस्पेंस खाते में इक्विटी शेयर:

सेबी विनियमों के विनियम 34(3) एवं अनुसूची-V, भाग-एफ के अनुसार कोई भी इक्विटी शेयर सस्पेंस खाते में नहीं पड़ा है।

10.20 आईईपीएफ में अदत्त/दावारहित लाभांश का स्थानांतरण:

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए दावा न किए गए अंतरिम लाभांश से संबंधित ₹ 14,21,837/- एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए दावा न किए गए अंतिम लाभांश से संबंधित ₹ 6,74,899/- की राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष मेंहस्तांतरित की गई है।

शेयरधारक निम्नलिखित लिंक पर वेबसाइट से अदत्त/दावारहित लाभांश से संबंधित डेटा प्राप्त कर सकते हैं:

https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/divqry.aspx=

10.21 आईईपीएफ में शेयरों का स्थानांतरण:

10.21.1 अधिनियम की धारा 124(6) एवं समय-समय पर संशोधित आईईपीएफ प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण एवं वापसी) नियम, 2016 के संदर्भ में, जिन शेयरों के संबंध में लाभांश भुनाया नहीं गया है या सात साल या उससे अधिक की अवधि के लिए दावा किया गया, वह इंवेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (आईईपीएफ) प्राधिकरण खाते में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है।

10.21.2 वर्ष के दौरान, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष तक 172 शेयरधारकों के 44,248 शेयर एनएसडीएल के साथ खोले गए आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित किए गए। कंपनी ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में 1,200 शेयरधारकों के 3,37,371 शेयर हस्तांतरित कर दिए हैं। आईईपीएफ को हस्तांतरित शेयरों की विस्तृत जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है:

https://d2ah634u9nypif.cloudfront.net/wp-content/uploads/2023/07/Shares-Transferred-to-IEPF.pdf

10.21.3 आईईपीएफको हस्तांतरित शेयर एवं/या लाभांश को वेब फॉर्मआईईपीएफ-5 में आवेदन जमा करके आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस दावा किया जा सकता है। आईईपीएफ प्राधिकरण से शेयर/लाभांश का दावा करने की प्रक्रिया एवं फॉर्म आईईपीएफ-5 को निम्नलिखित लिंक http://www.iepf.gov.in/IEPF/corpores.html पर उपलब्ध कराया गया है।

10.22 कमोडिटी मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम एवं हेजिंग जोखिम:

कंपनी का कमोडिटी हेजिंग पर कोई एक्सपोजर नहीं है एवं इसलिए 15 नवंबर, 2018 के सेबी सर्कुलर के अनुसार प्रकटीकरण को शून्य माना जाता है। सेबी के निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रतिवेदन नीचे दिया गया है:

कमोडिटी का नाम	विशेष कमोडिटी के प्रति भारतीय रुपये में एक्सपोजर	विशेष कमोडिटी के प्रति परिमाण में एक्सपोजर	कमोडिटी डेरिवेटिव्य के जरिए हेज किए ऐसे एक्सपोजर का %				कुल
			घरेलू बाजार		अंतर्राष्ट्रीय बाजार		
			ओटीसी	एक्सचेंज	ओटीसी	एक्सचेंज	
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

10.23 किसी भी संशोधन के साथ कंपनी द्वारा प्राप्त क्रेडिट रेटिंग की सूची:

उपकरण प्रकार	रेटिंग/आउटलुक
अल्पकालिक बैंक सुविधाएं	इंड ए1+
दीर्घकालिक बैंक सुविधाएं	इंड एएए/स्थिर

उपरोक्त रेटिंग की रेटिंग एजेंसी मैसर्स इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा 24.07.2023 के अपने रेटिंग एक्शन प्रकाशन के साथ पुनः पुष्टि की गई है।

11.0 अन्य प्रकटीकरण:

11.1 कंपनी ने संबंधित पार्टी लेनदेन पर एक नीति बनाई है जो निम्नलिखित वेब लिंक पर उपलब्ध है:

https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/NEW-RPT-NALCO.pdf। संबंधित पक्षों एवं संबंधित पक्षों के लेनदेन का प्रकटीकरण वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के एकल वित्तीय विवरण एवं समेकित वित्तीय विवरण दोनों की टिप्पणी सं. 40 में किया गया है। प्रतिवेदन के तहत वर्ष के दौरान कास्टिक सोडा आपूर्ति समझौते के अनुसार कास्टिक सोडा लाइ की खरीद के लिए मे. जीएसीएल-नालको अल्कलीज एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड एवं गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) के साथ एक संबंधित पार्टी लेनदेन दर्ज किया गया था। फॉर्म एओसी-2 में एक प्रतिवेदन निदेशकों की प्रतिवेदन का हिस्सा बनती है।

11.2 इससे पहले, सेबी परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/12 के अनुसार, 2019-20 के 08.09.2020 से 2021-22 के 09.11.2021 तक स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की अनुपलब्धता के कारण दिनांक 22 जनवरी, 2020 (तत्कालीन परिपत्र संदर्भ संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2018/77 दिनांक 03 मई , 2018), एनएसई एवं बीएसई लिमिटेड ने बोर्ड एवं विभिन्न वैधानिक समितियों की संरचना के संबंध में विभिन्न तिमाहियों के लिए सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के नियम के विभिन्न गैर-अनुपालन के लिए जुर्माना लगाया था।

खान मंत्रालय के दिनांक 10.11.2021 के पत्र के माध्यम से अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, 31.12.2021 को समाप्त तिमाही से सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विभिन्न नियमों के अनुपालन के बारे में एनएसई एवं बीएसई को आवश्यक संचार भेजा था।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आपकी कंपनी के उपरोक्त अभ्यावेदन के आधार पर, एनएसई ने अपने पत्र दिनांक 21.09.2022 के माध्यम से एवं बीएसई ने अपने ई-मेल दिनांक 19.04.2021 के माध्यम से सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विभिन्न नियमों का पालन न करने के लिए विभिन्न तिमाहियों के लिए उनके द्वारा लगाए गए सभी दंडों को माफ कर दिया।

11.3 निदेशक मंडल ने सतर्कता तंत्र के एक उपाय के रूप में, निदेशकों एवं कर्मचारियों के लिए अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में प्रबंधन की चिंताओं को प्रतिवेदन करने के लिए 'व्हिसल ब्लोअर नीति' एवं 'धोखाधड़ी रोकथाम नीति' को मंजूरी दे दी थी। नैतिकता नीति. यह नीति उन कर्मचारियों को उत्पीड़न से भी बचाती है, जो इस तंत्र का लाभ उठाते हैं।

यह भी पुष्टि की गई है कि कंपनी के किसी भी कार्मिक को अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति तक पहुंचने से वंचित नहीं किया गया है। दोनों नीतियां कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं : https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/Whistleblowerpolicy_nalco.pdf एवं https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018 /12/Nalcofraudpreventionpolicy.pdf

11.4 आज की तारीख में कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है। इसलिए, कंपनी ने सामग्री सहायक कंपनी के निर्धारण के लिए कोई नीति नहीं बनाई है।

11.5 कंपनी के पास वर्तमान में एक मुद्रा हेजिंग नीति है जिसकी समीक्षा नियामक प्रावधानों में बदलाव एवं बाजार की गतिशीलता पर विचार करते हुए की जाती है। हालाँकि, कंपनी की बिक्री पर कोई हेजिंग नीति नहीं है।

11.6 कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रेफरेंशियल आवंटन या योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से धन नहीं जुटाया है।

11.7 कंपनी ने मैसर्स एसकेएम एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, से यह पुष्टि करते हुए से एक प्रमाणपत्र प्राप्त किया है कि कंपनी के निदेशक मंडल के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या निगम मामलों के मंत्रालय या कोई अन्य वैधानिक प्राधिकारी द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से रोका या अयोग्य नहीं ठहराया गया है। उक्त प्रमाणपत्र इस प्रतिवेदन का हिस्सा है।

11.8 वर्ष के दौरान, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां बोर्ड ने किसी भी समिति की कोई सिफारिश स्वीकार नहीं की हो जो अनिवार्य रूप से आवश्यक हो।

11.9 कंपनी ने वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई सभी सेवाओं के लिए शुल्क एवं व्यय के लिए वर्ष के दौरान ₹ 0.94 करोड़ का भुगतान किया है।

11.10 वर्ष के दौरान, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। कंपनी ने पॉश अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यकतानुसार 29.05.2023 को राज्य के जिला अधिकारी को 'शून्य' प्रतिवेदन दायर की है।

11.11 विभिन्न नीतियों के लिए वेब लिंक संबंधित शीर्षकों के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं।

11.12 निगम प्रशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों से प्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्र इस प्रतिवेदन का हिस्सा है।

11.13 इनसाइडर ट्रेडिंग कोड:

11 .13.1 निदेशक मंडल ने सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के तहत आवश्यकताओं के अनुरूप अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के उचित प्रकटीकरण के लिए प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं का एक मजबूत कोड निर्धारित किया है।

11.13.2 संहिता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी का कोई भी अंदरूनी व्यक्ति किसी भी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के सार्वजनिक होने से पहले उसके आधार पर कोई लाभ प्राप्त न करे या दूसरों को कोई लाभ प्राप्त करने में सहायता न करे।

11.13.3 कंपनी सचिव इस संहिता का अनुपालन अधिकारी है।

11.13.4 बोर्ड ने अपने कर्मचारियों एवं अन्य जुड़े व्यक्तियों द्वारा व्यापार को विनियमित करने, निगरानी करने एवं प्रतिवेदन करने के लिए आचार संहिता को भी मंजूरी दे दी है।

11.13.5 अंदरूनी सूत्र इनसाइडर ट्रेडिंग कोड में उल्लिखित कुछ शर्तों एवं अनुपालन अधिकारी के अनुमोदन के अधीन ट्रेडिंग योजना तैयार करने के हकदार हैं। ट्रेडिंग योजना को अनिवार्य रूप से लागू किया जाना है।

11.13.6 नामित व्यक्तियों एवं उनके निकटतम रिश्तेदारों को ट्रेडिंग विंडो बंद होने पर प्रतिभूतियों में व्यापार करने की अनुमति नहीं है। कोड में निर्दिष्ट सीमा से परे प्रतिभूतियों में लेनदेन करने के लिए अनुपालन अधिकारी की अनुमति आवश्यक है। सभी निदेशकों/नामित कर्मचारियों को अपने लेनदेन का खुलासा स्टॉक एक्सचेंजों में निर्धारित समय के भीतर करना आवश्यक है जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, जब ऐसे लेनदेन का मूल्य कोड के तहत निर्धारित सीमा से अधिक हो।

11.13.7 कोड कंपनी की वेबसाइट https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/01/AMENDED-COPP.pdf पर प्रदर्शित है।

11.14 आचार संहिता:

11.14.1 कंपनी ने एक आदर्श व्यावसायिक आचरण एवं नैतिकता संहिता ('संहिता') तैयार की है, जो कंपनी के सभी बोर्ड सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन (निदेशक मंडल से एक स्तर नीचे) पर लागू होती है। कोड कंपनी की वेबसाइट पर इस लिंक पर उपलब्ध है: https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/01/CodeofConduct.pdf

11.14.2 बोर्ड में शामिल होने पर सभी निदेशकों को संहिता की प्रति एवं उसकी रसीद प्रदान की जाती है। इसके अलावा, बोर्ड के सभी सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मी वित्तीय वर्ष की शुरुआत में वार्षिक आधार पर संहिता की पुष्टि करते हैं।

11.15 सेबी विनियमों की अनुसूची V के तहत आवश्यक अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा:

घोषणा

निदेशक मंडल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

हस्ता/-
(एस. पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06500954

11.16 सीईओ/सीएफओ प्रमाणन:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17(8) के तहत सीईओ/सीएफओ प्रमाणपत्र, श्री श्रीधर पात्र, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं श्री आर. सी. जोशी, निदेशक (वित्त) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित, को 24.05.2023 को आयोजित निदेशकों की बैठक में उनके रखा गया था। ।

11.17 डीपीई दिशानिर्देशों के तहत प्रकटीकरण:

11.17.1 व्यवसाय से संबंधित खाता-बहियों में कोई भी व्यय डेबिट नहीं किया गया है।

11.17.2 ऐसा कोई व्यय नहीं किया गया है जो व्यक्तिगत प्रकृति का हो एवं निदेशक मंडल एवं शीर्ष प्रबंधन के लिए किया गया हो।

11.17.3 वित्तीय व्यय की तुलना में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय एवं कार्यालय व्यय का विवरण एवं वृद्धि के कारण इस प्रकार हैं:

(रु. करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय	118.74	101.88
कुल व्यय	12,535.50	10,523.80
कुल व्यय के % के रूप में प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय	0.95	0.97
वित्तीय व्यय	12.92	23.13

11.17.4 कंपनी तिमाही आधार पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित निगम प्रशासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन पर स्व-मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्व-मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार कंपनी को 'उत्कृष्ट' रेटिंग दी गई है। वर्ष 2022-23 के लिए स्व-मूल्यांकन प्रतिवेदन को वेबसाइट https://d2ah634u9nypif.cloudfront.net/wp-content/uploads/2023/04/Self-appraisal-31.03.2023.pdf पर देखा जा सकता है।

11.17.5 कंपनी को वर्ष के दौरान एवं पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई राष्ट्रपति निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।

11.17.6 वर्ष के दौरान, अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, कंपनी ने निगम प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया।

11.18 सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची - V के तहत प्रकटीकरण:

सेबी ने अपनी दिनांक 14.06.2023 की अधिसूचना के माध्यम से सूचीबद्ध कंपनियों को पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद से हुए परिवर्तनों सहित वरिष्ठ प्रबंधन का विवरण प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है। तदनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद से हुए परिवर्तनों सहित वरिष्ठ प्रबंधन का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	पद	31.03.2022 को	31.03.2022 को	दिनांक 31.03.2022 से 31.03.2023 तक संचालित पद में परिवर्तन, यदि कोई हो, दर्शाने वाली टिप्पणियाँ
1.	कार्यपालक निदेशक (उत्पादन)	श्री ए. के स्वाईं, कार्यपालक निदेशक (उत्पादन)	श्री ए. के. स्वाईं, कार्यपालक निदेशक (उत्पादन)	-
2.	कार्यपालक निदेशक (खान व परिशोधन)	श्री रबि शंकर दास, कार्यपालक निदेशक (खान व परिशोधन)	श्री सुशील कुमार पाढ़ी, कार्यपालक निदेशक (खान व परिशोधन) को	श्री रबि शंकर दास की सेवानिवृत्ति के बाद कार्यपालक निदेशक (खान व परिशोधन) के रूप में 31.03.2022 को, श्री सुशील कुमार पाढ़ी, महाप्रबंधक (सीआरजी) को 01.04.2022 को कार्यपालक निदेशक (खान व परिशोधन) प्रभारी के रूप में फिर से नामित किया गया था। इसके बाद, श्री सुशील कुमार पाढ़ी को 28.04.2022 को कार्यपालक निदेशक (खान व परिशोधन) के रूप में पदोन्नत किया गया।
3.	कार्यपालक निदेशक (प्रद्रावक व विद्युत)	श्री अंबिका प्रसाद पंडा कार्यपालक निदेशक (प्रद्रावक व विद्युत) प्रभारी	श्री भीमसेन प्रधान, कार्यपालक निदेशक (प्रद्रावक व विद्युत)	निदेशक (पीएंडटी) नालको के पद पर चयन के परिणामस्वरूप, श्री मनसा प्रसाद मिश्रा कार्यपालक निदेशक (प्रद्रावक व विद्युत) को 01.11.2021 को कार्यभार सौंपा गया, श्री अंबिका प्रसाद पंडा, समूह महाप्रबंधक (ग्र.वि.सं.) को 01.11.2021से कार्यपालक निदेशक (प्रद्रावक व विद्युत)-प्रभारी के रूप में फिर से नामित किया गया। इसके बाद, श्री ए. पी. पंडा को 28.04.2022 को कार्यपालक निदेशक (प्रद्रावक व विद्युत) के रूप में पदोन्नत किया गया। 30.11.2022 को कार्यपालक निदेशक (प्रद्रावक व विद्युत) के रूप में श्री ए. पी. पंडा की सेवानिवृत्ति के बाद, श्री भीमसेन प्रधान, समूह महाप्रबंधक (एल्यूमिना परिशोधक) को 01.12.2022 से कार्यपालक निदेशक (प्रद्रावक व विद्युत) प्रभारी के रूप में फिर से नामित किया गया था। इसके बाद, श्री भीमसेन प्रधान को 10.02.2023 से कार्यपालक निदेशक (प्रद्रावक व विद्युत) के रूप में पदोन्नत किया गया।
4.	कार्यपालक निदेशक (परियोजना व तकनीकी)	श्री संजय कृष्ण पटेल, कार्यपालक निदेशक (परियोजना व तकनीकी)	श्री कालीकिंकर पांडा, कार्यपालक निदेशक (परियोजना व तकनीकी) को 31.03.2022 को,	श्री संजय कृष्ण पटेल की सेवानिवृत्ति के बाद, कार्यपालक निदेशक (परियोजना व तकनीकी) के रूप में श्री कालीकिंकर पंडा, कार्यपालक निदेशक (परियोजना व तकनीकी) प्रभारी को 28.04.2022 को कार्यपालक निदेशक (परियोजना व तकनीकी) के रूप में पदोन्नत किया गया था।
5.	कार्यपालक निदेशक (व्यापार विकास)	रिक्त	श्री सुब्रत महान्ति, कार्यपालक निदेशक (व्यापार विकास)	31.03.2018 को कार्यपालक निदेशक (सीपी एंड बीडी) के रूप में श्री सुदीप्त किशोर दाश की सेवानिवृत्ति के बाद, पद 09.02.2023 तक खाली था। श्री सुब्रत महान्ति, समूह महाप्रबंधक (सिस्टम) को 10.02.2023 को कार्यपालक निदेशक (बीडी) के रूप में पदोन्नत किया गया था।
6.	कार्यपालक निदेशक (व्यापार विकास)	रिक्त	श्री प्रद्म्न कुमार प्रधान, कार्यपालक निदेशक (व्यापार विकास)	श्री अमरजीत सिंह अहलूवालिया की सेवानिवृत्ति के बाद, कार्यपालक निदेशक के रूप में (निगम अफेयर्स) 31.10.2017 को, पद 09.02.2023 तक खाली था। श्री प्रद्म्न कुमार प्रधान, समूह महाप्रबंधक (निगम मामले-विपणन) को 10.02.2023 को कार्यपालक निदेशक (निगम मामले) के रूप में पदोन्नत किया गया था।
7.	कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन व प्रशासन)	रिक्त	पद	31.10.2020 को कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन व प्रशासन) के रूप में श्री संजय कुमार मिश्रा की सेवानिवृत्ति के बाद, पद आज तक खाली है। श्री ए रथ जीएम (प्रशासन एवं पीआर एंड सीसी), श्री एच. एस. प्रधान, महाप्रबंधक (मा.सं. व प्रशासन), श्री एस. के. पात्र, महाप्रबंधक (मा.सं. व प्रशासन) क्रमशः प्रशासन एवं मानव संसाधन विभागों के कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं।
8.	कार्यपालक निदेशक (वित्त)	श्री संतोष कुमार दास, समूह महाप्रबंधक (वित्त)	श्री ब्रज किशोर दास, समूह महाप्रबंधक (वित्त)	श्री सारंगा धर साहू की सेवानिवृत्ति के बाद, 31.05.2020 को कार्यपालक निदेशक (वित्त) के रूप में, श्री संतोष कुमार दाश समूह महाप्रबंधक (वित्त) 01.06.2020 से कार्यपालक निदेशक की शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। इसके बाद श्री संतोष कुमार दाश, समूह महाप्रबंधक (वित्त) को 28.04.2022 को कार्यपालक निदेशक (वित्त) के रूप में पदोन्नत किया गया। 31.07.2022 को श्री संतोष कुमार दास कार्यपालक निदेशक (वित्त) की सेवानिवृत्ति के बाद, श्री ब्रज किशोर दास, समूह महाप्रबंधक (वित्त) कार्यपालक निदेशक (वित्त) की शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं।
9.	कार्यपालक निदेशक (सामग्री)	रिक्त	श्री बीडी महान्ति समूह महाप्रबंधक (सामग्री)	निदेशक (वाणिज्यिक) नालको के पद पर चयन के परिणामस्वरूप, श्री सदाशिव सामंतराय कार्यपालक निदेशक (वाणिज्यिक-सामग्री) ने 22.03.2022 से कार्यभार ग्रहण किया, उसके बाद यह पद रिक्त था। इसके बाद, श्री बीडी महान्ति, समूह महाप्रबंधक (सामग्री) कार्यपालक निदेशक (सामग्री) की शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं।
10	कार्यपालक निदेशक (विपणन)	श्री रबि नारायण महापात्र, कार्यपालक निदेशक (विपणन)	श्री जेआर कपूर, समूह महाप्रबंधक (विपणन)	श्री रबि नारायण महापात्र की 28.02.2023 को कार्यपालक निदेशक (मार्केटिंग) के रूप में सेवानिवृत्ति के बाद, श्री जेआर कपूर, समूह महाप्रबंधक (विपणन) 01.03.2023 से कार्यपालक निदेशक (विपणन) की शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं।
11.	कार्यपालक निदेशक (कंपनी)	रिक्त	रिक्त	श्री करणम नागराजा रवींद्र की 31.05.2017 को कार्यपालक निदेशक (कंपनी सचिव) से सेवानिवृत्ति के बाद यह पद आज तक रिक्त था। श्री नयन कुमार महान्ति समूह महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव, कंपनी सचिव के कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं।

12.0 गैर-अनिवार्य आवश्यकताएँ:

सेबी विनियमों की अनुसूची-II के भाग-ई के साथ पढ़े गए विनियम 27(1) के तहत विवेकाधीन आवश्यकताओं के अनुपालन की स्थिति इस प्रकार है:

(i) कंपनी को पिछले कई वर्षों से वैधानिक लेखा परीक्षकों एवं सी एंड एजी से अयोग्य लेखा परीक्षा प्रतिवेदन मिल रही है जो अयोग्य वित्तीय विवरणों की व्यवस्था का संकेत देती है।

(ii) आंतरिक लेखा परीक्षक कंपनी के मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक को प्रतिवेदन करते हैं एवं बदले में, मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा समिति को प्रतिवेदन किया जाता हैं।

13.0 कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एवं संयंत्र स्थान:

पंजीकृत एवं निगम कार्यालय नालको भवन, प्लॉट सं. पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर - 751013, (ओडिशा)	
प्रद्रावक संयंत्र नालको नगर, अनुगुळ - 759 145, (ओडिशा)	खान व परिशोधक, खान व परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी - 763 008, जिला-कोरापुट, (ओडिशा)
उत्कल डी एंड ई कोयला खान, रायझरन गांव, छेंदीपाड़ा, अनुगुळ-759 130 (ओडिशा)	ग्रहीत विद्युत संयंत्र अनुगुळ - 759 122, (ओडिशा)
पत्तन सुविधाएँ ओर हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स के सामने, पोर्ट एरिया, विशाखापत्तन-560035 आंध्र प्रदेश	सांगली 50.4 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ग्राम-मेंधिगिरी, तालुक-जाथ, जिला- सांगली, महाराष्ट्र- 416404
जैसलमेर 47.6 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, गांव - लुदरवा, काहेला, खदेरो-की-धानी, तवारिया, छत्रेल डिवीजन/तालुक/जिला - जैसलमेर, राजस्थान - 345001	गंडिकोटा 50.4 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, गांव - गंडिकोटा, डिवीजन - प्रोदात्तूर, तालुका - जम्मलमाडुगु, जिला - कडपा, आंध्र प्रदेश
कायथर 25.5 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड गांव- ओनामाकुलम, तहसील- कायथर, जिला- तूतीकोरिन, तमिलनाडु- 628303	जैसलमेर 50 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ग्राम-देवीकोट, तहसील-फतेहगढ़, संभाग/तालुक/जिला- जैसलमेर, राजस्थान-245009
पत्तन सुविधाएँ	
विशाखापट्टणम अयस्क हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स के माने, पोर्ट एरिया, विशाखापट्टणम - 530 035 आंध्र प्रदेश	पाराद्वीप (पोर्ट कार्यालय) 'वी' पॉइंट, बदापडिया, पाराद्वीप - 751 142
क्षेत्रीय कार्यालय:	
पूर्वी क्षेत्र प्रथम तल, जेके मिलेनियम सेंटर, 46-डी, चौरंगी रोड, कोलकाता - 700 071	पश्चिमी क्षेत्र 215, टीवी इंडस्ट्रियल एस्टेट, एसके अहिरे मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 030
उत्तरी क्षेत्र कोर - 4, 5वीं मंजिल, साउथ टॉवर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली - 92	दक्षिणी क्षेत्र 3ई, सेंचुरी प्लाजा, 560, अन्ना सलाई, तेयनमपेट, चेन्नई-600 018
स्टॉक यार्ड:	
रायपुर मे. नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मार्फत एकता एंटरप्राइजेज, मोनेट रोड, मंदिर हसौद, रायपुर, छत्तीसगढ़ - 492101	कोलकाता मेसर्स. नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मे. बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, डब्ल्यूएच, 1-सोनपुर रोड, कोलकाता, - 700 088, पश्चिम बंगाल
जयपुर मैसर्स. नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मार्पत ओम प्रकाश अग्रवाल, खसरा 9/2/3, 9/2/4 एवं 16/12, ग्राम निमेदा, बिंदयाका औद्योगिक क्षेत्र के पास, सिरसी रोड, जयपुर - 302012, राजस्थान।	विशाखापट्टणम मै. नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मार्फस मे. विशाखापट्टणम पोर्ट लॉजिस्टिक्स पार्क लिमिटेड, (मैसर्स बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड की एक इकाई), एसवाई सं. पी/2पी, मुलगाडा गांव, मिंडी रेल साइडिंग के पास, विशाखापट्टणम -530012
बद्दी मै. नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मार्फत एनएसआईसी लिमिटेड, गांव:- धरमपुर, डाकघर: बद्दी, तहसील: नालागढ़, जिला : सोलन - 173205, हिमाचल प्रदेश	चेन्नई मैसर्स. नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मार्पत एनएसआईसी लिमिटेड, प्लॉट नंबर ए12, सीएमडीए ट्रक टर्मिनल, पोन्नियमनमेडु पोस्ट, माधवरम, चेन्नई - 600 110।
वडोदरा मै. नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मार्फत सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, 1बी, सेंट्रल वेयरहाउस, रानोली फ्लाईओवर के पास, रानोली, कराचिया, वडोदरा, गुजरात - 391350	नई दिल्ली मै. नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मार्फत सुप्रीम रोड ट्रांसपोर्ट प्रा. लिमिटेड, खसरा 46/15/1, ग्राम टिकरी कलां, नेताजी सुभाष विहार, नई दिल्ली-110041

14.0 पत्राचार का पता:

14.1 अनुपालन अधिकारी:
समूह महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
नालको भवन, पी/1, नयापल्ली
भुवनेश्वर - 751 013
ई-मेल: कंपनी_सेक्रेटरी@nalcoindia.co.in

14.2 रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट:
मे. केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड)
यूनिट: नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
मे. केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31 एवं 32,
वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल,
हैदराबाद - 500 032, तेलंगाना।
टोल फ्री नंबर: 1800 309 4001
ईमेल: einward.ris@kfintech.com

निदेशकों की गैर-अयोग्यता का प्रमाण पत्र

(सेबी सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं के विनियमन 34(3) एवं अनुसूची v अनुच्छेद-ग खंड (10)(i) के अनुसार) विनियम, 2015)

सेवा में,

सदस्यगण,

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड

नालको भवन, प्लॉट नंबर पी/1,

नयापल्ली, भुवनेश्वर-751013, ओडिशा

हमने सीआईएन-L27203OR1981GOI000920 वाली नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय नालको भवन, प्लॉट नंबर पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751013, ओडिशा (इसके बाद 'कंपनी' के रूप में संदर्भित) में है, के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टरों, रिकॉर्ड, फॉर्म, रिटर्न एवं प्रकटीकरण की जांच की है, जिसे भारतीय विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसूची V अनुच्छेद-ग उप खंड 10 (i) के साथ पठित विनियमन 34 (3) के अनुसार इस प्रमाणपत्र को जारी करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। ।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और सत्यापन (पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) स्थिति सहित) के अनुसार, जैसा आवश्यक समझा जाए एवं और कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम एतदद्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, निगम मामलों के मंत्रालय या ऐसे किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से रोका या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

क्रम सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	कंपनी में नियुक्ति की तारीख
1.	श्री श्रीधर पात्र	06500954	01.09.2018
2.	श्री संजय लोहिया, आईएएस	07151125	09.11.2020
3.	डॉ. वीणा कुमारी डेरमल, आईपीओएस	08890469	20.01.2022
4.	श्री राधाश्याम महापात्र	07248972	01.01.2020
5.	श्री मनसा प्रसाद मिश्र	08951624	01.11.2020
6.	श्री रमेश चन्द्र जोशी	08765394	04.02.2022
7.	श्री सदाशिव सामंतराय	08130130	22.03.2022
8.	श्री पंकज कुमार शर्मा	10041341	01.02.2023
9.	श्री रवि नाथ झा	09396382	11.11.2021
10.	डॉ. बीआर रामकृष्ण	02251602	15.11.2021
11.	अधिवक्ता जॉर्ज कुरियन	09398434	12.11.2021
12.	डॉ. अजय नारंग	00368054	16.11.2021
13.	श्री वाई. पी. चिलिओ	09396182	11.11.2021
14.	सुश्री (डॉ.) शतरूपा	09396503	12.11.2021
15.	अधिवक्ता दुष्यन्त उपाध्याय	09397101	12.11.2021
16.	श्री संजय रमणलाल पटेल	09545270	23.03.2022

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता पर उनकी पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे सत्यापन के आधार पर उनकी नियुक्ति/निरंतरता पर एक राय व्यक्त करना है। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है एवं न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते एसकेएम एवं एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्ता/-
(सीएस संजय के. महापात्रा)
वरिष्ठ साझेदार
सीपी सं.: 6002, एफसीएस सं.:3488

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक: 12/05/2023
यूडीआईएन: F003488E000294779

निगम प्रशासन पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड,
भुवनेश्वर

1. यह प्रमाणपत्र नियुक्ति पत्र दिनांक 10.07.2023 के मद्देनजर जारी किया गया है।
2. हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा निगम गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('विनियम) विनियम यथासंशोधित के विनियमन 46(2) के विनियमन 17 से 27, के खंड (बी) से (आई) तथा अनुसूची V केअनुच्छेद सी एवं डी में में निर्धारित है।

विनियमों की शर्तों के अनुपालन के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियां

3. निगम गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी में विनियमों में निर्धारित निगम प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण एवं प्रक्रियाओं का डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रखरखाव शामिल है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

4. हमारी जिम्मेदारी कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं एवं उनके कार्यान्वयन की जांच करने तक सीमित है। यह न तो लेखा परीक्षा है एवं न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।
5. विनियमों की आवश्यकताओं के अनुसार एवं निगम प्रशासन की शर्तों के अनुपालन के उद्देश्य से कंपनी द्वारा बनाए गए प्रासंगिक रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों के आधार पर, यह उचित आश्वासन प्राप्त करना हमारी ज़िम्मेदारी है कि क्या कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए विनियमों में निर्धारित निगम प्रशासन की शर्तों का अनुपालन किया है और उस पर एक प्रमाण पत्र जारी किया है।
6. हमने अपनी परीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी विशेष प्रयोजनों के लिए प्रतिवेदन या प्रमाण पत्र (संशोधित 2016) ('मार्गदर्शन नोट') पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार आयोजित की। मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता की नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें।
7. हमने गुणवत्ता नियंत्रण मानक (एसक्यूसी) 1, ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा एवं समीक्षा करने वाली फर्मों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण, एवं अन्य आश्वासन एवं संबंधित सेवा अनुबंधों की प्रासंगिक लागू आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

राय

8. प्रासंगिक अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर एवं हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने विनियम 17 से 27, विनियम 46(2) के खंड (बी) से (आई) तथा भारत के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, जैसा संशोधित किया गया है, अनुसूची V के अनुच्छेद ग और घ में निर्धारित निगम प्रशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।
9. हम आगे कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है एवं न ही प्रभावशीलता की दक्षता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते जीएनएस एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 318171ई

हस्ता/-
(सीए राजेश के. पहाड़ी)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 058221
यूडीआईएन: 23058221BGXMBH7765

कृते ए. के साबत एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 321012ई

हस्ता/-
(सीए बीआर महान्ति)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 057266
यूडीआईएन: 23057266BGSMUJ2756

स्थान:भुवनेश्वर
दिनांक: 21 अगस्त , 2023

अनुलग्नक-VI

प्रपत्र सं. एओसी-2

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (एच) एवं
कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें तीसरे प्रावधान के तहत कुछ निश्चित लेनदेन भी शामिल हैं:

1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन का विवरण, जो दूरी के आधार पर नहीं है:

(क) संबंधित पक्ष का नाम एवं रिश्ते की प्रकृति: शून्य।

(ख) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति: लागू नहीं।

(ग) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि: लागू नहीं।

(घ) मूल्य सहित अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो: लागू नहीं।

(ङ) ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्य: लागू नहीं।

(च) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख: लागू नहीं।

(छ) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो: लागू नहीं।

(ज) धारा 188 के पहले नियम के तहत अपेक्षित सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित होने की तारीख: लागू नहीं।

2. सामग्री अनुबंध या व्यवस्था या लेन-देन का विवरण निकट दूरी के आधार पर:

(क) संबंधित पक्ष का नाम एवं रिश्ते की प्रकृति: मे. जीएसीएल-नालको अल्कलीज़ एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (जीएनएएल) (नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड एवं गुजरात अल्कलीज़ एंड केमिकल्स लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी)।

(ख) अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन की प्रकृति: कास्टिक सोडा आपूर्ति समझौते के अनुसार कास्टिक सोडा लाई की खरीद।

(ग) अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन की अवधि: वित्तीय वर्ष 2022-23 के भीतर आपूर्ति के लिए कास्टिक सोडा आपूर्ति समझौते के तहत आदेश दिए जाते हैं।

(घ) मूल्य सहित अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो: खुली निविदा के मुकाबले निविदा की खोज की गई कीमत के आधार पर की जाने वाली आपूर्ति एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल अनुबंध मूल्य '102.92 करोड़ है ।

(ङ) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख, यदि कोई हो: 09.11.2022 को आयोजित 132वीं लेखा परीक्षा समिति की बैठक में उपरोक्त आदेशों के लिए अनुमोदन प्राप्त किया गया था।

(च) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो: शून्य।

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

हस्ता/-
(श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06500954

अनुलग्नक - VII

प्रपत्र सं. एमआर 3
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी
(प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार]

सेवा में,

सदस्यगण,

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड,

नालको भवन , प्लॉट सं. पी /1, नयापल्ली,

भुवनेश्वर, ओडिशा - 751013

हमने नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (जिसे इसके बाद इसे कंपनी कहा जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन एवं अच्छी निगम प्रथाओं के पालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरीके से किया गया जिससे हमें निगम आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने एवं उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिला।

कंपनी की बहियों, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म एवं रिटर्न तथा कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्ड के हमारे सत्यापन के आधार पर एवं सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों एवं अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम इसके द्वारा प्रतिवेदन करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष ('लेखा परीक्षा अवधि') को लेखा परीक्षा अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं एवं अनुपालन हैं- इसके बाद के प्रतिवेदन की सीमा तक, तरीके से एवं उसके अधीन तंत्र मौजूद है:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार समीक्षाधीन लेखा परीक्षा अवधि के लिए कंपनी द्वारा रखरखाव की गई बहियों, कागजात, मिनट बुक, प्रपत्रों एवं रिटर्न तथा अन्य रिकॉर्ड की जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') एवं उसके तहत बनाए गए नियम;

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 एवं उसके तहत बनाए गए विनियम एवं उपनियम;

(iv) वदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 एवं उसके तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक बनाए गए नियम एवं विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित नियम एवं दिशानिर्देश: -

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 यथा संशोधित;

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018 यथासंशोधित; (समीक्षा अवधि के लिए लागू नहीं);

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण एवं अभिग्रहण) विनियम, 2011 यथा संशोधित; (समीक्षा अवधि के लिए लागू नहीं);

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015, यथासंशोधित;

(ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं का विषय) विनियम, 2018, संशोधित (समीक्षा अवधि के लिए लागू नहीं);

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ एवं स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021, संशोधित (समीक्षा अवधि के लिए लागू नहीं);

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीकरण) विनियम, 2021 (समीक्षा अवधि के लिए लागू नहीं);

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 (समीक्षा अवधि के लिए लागू नहीं);

(झ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरी एवं प्रतिभागी) विनियम, 2018

(vi) कंपनी पर विशेष रूप से लागू होने वाले अन्य कानून हैं:

क) खान अधिनियम, 1952;

ख) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957, यथासंशोधित;

ग) विस्फोटक अधिनियम, 1984;

घ) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986;

ङ) वन संरक्षण अधिनियम, 1980;

च) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम), 1974;

छ) वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981;

ज) भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923

झ) मोटर वाहन अधिनियम, 1988

ञ) पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, 1991

ट) राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम, 1995

ठ) राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण, 1997

सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

ढ) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001

ण) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010

त) भारतीय वन अधिनियम, 1947

थ) वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972

द) उड़ीसा वन अधिनियम, 1972

ध) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

न) जैव-विविधता संरक्षण अधिनियम, 2002

प) अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

फ) कारखाना अधिनियम, 1948

ब) भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003

भ) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

म) ओडिशा इंडस्ट्रीज (फैसिलिटीज) अधिनियम, 2004

य) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

र) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 2006

ल) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच अधिनियम)

हमने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानकों के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम आगे बताते हैं कि:-

(क) बोर्ड की संरचना:

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान निदेशकों की सूची				
क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	समाप्ति की तिथि
पूर्णकालिक निदेशक				
1.	श्री श्रीधर पात्र	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	17/12/2019	-
2.	श्री राधाश्याम महापात्र	निदेशक	(एचआर)	01/01/2020
3.	श्री मनसा प्रसाद मिश्रा	निदेशक	(परियोजना व तकनीकी)	01/11/2020
4.	श्री रमेश चन्द्र जोशी निदेशक (वित्त)	04/02/2022	-	-
5.	श्री सदाशिव सामंतराय	निदेशक (वाणिज्यिक)	22/03/2022	-
6.	श्री पंकज शर्मा निदेशक (उत्पादन)	01/02/2023-	01/02/2023	-
7.	श्री बिजय कुमार दास	निदेशक (उत्पादन)	01/12/2020	31/01/2023
अंशकालिक आधिकारिक निदेशकगण				
1.	श्री संजय लोहिया, आईएएस	निदेशक	09/11/2020	-
2.	डॉ. वीणा कुमारी डेरमल, आईपीओएस	निदेशक	20/01/2022	-
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक				
1.	श्री रवि नाथ झा *	निदेशक 11/11/2021	-	-
2.	डॉ. बीआर रामकृष्ण*	निदेशक 15/11/2021	-	-
3.	अधिवक्ता जॉर्ज कुरियन*	निदेशक 12/11/2021	-	-
4.	डॉ. अजय नारंग *	निदेशक 16/11/2021	-	-
5.	श्री वाईपी चिलिओ *	निदेशक 11/11/2021	-	-
6.	सुश्री (डॉ.) शतरूपा *	निदेशक 12/11/2021	-	-
7.	अधिवक्ता दुष्यंत उपाध्याय *	निदेशक 12/11/2021	-	-
8.	श्री संजय रमणलाल पटेल#	निदेशक 23/03/2022		-

* हालाँकि वैधानिक औपचारिकताएँ पूरी होने के बाद विभिन्न तिथियों पर नियुक्त किया जाता है, उनकी तीन साल की अवधि 10.11.2021 से यानी भारत सरकार के आदेश की तारीख से मानी जाती है। .

\# हालांकि वैधानिक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 23.03.2022 को नियुक्त किया गया, उनकी तीन साल की अवधि 22.03.2022 से यानी भारत सरकार के आदेश की तारीख से मानी जाएगी ।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के तहत आवश्यकताओं के संबंध में, बोर्ड की संरचना समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू प्रावधानों के अनुपालन में थी।

(ख) बोर्ड की बैठकें:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की आठ बैठकें, यानी 334वीं से 341वीं बैठकें क्रमशः 28/04/2022, 25/05/2022, 08/08/2022, 21/09/2022, 09/11 /2022, 17/01/2023, 10/02/2023 एवं 13/03/2023 को आयोजित की गईं। उन सभी बैठक में आवश्यक कोरम उपस्थित था। लगातार दो बोर्ड बैठकों के बीच का अंतर 120 दिनों से अधिक नहीं था।

बोर्ड बैठकों के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस भेजे गए थे। एजेंडा एवं एजेंडे पर विस्तृत नोट कम से कम 7 दिन पहले भेजे गए थे। बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए बैठक से पहले रखे गए एजेंडा आइटम पर अधिक जानकारी एवं स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड की बैठकों में सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस उद्देश्य के लिए रखी गई कार्यवृत्त पुस्तिका में निर्णय दर्ज किए गए।

(ग) बोर्ड की वैधानिक समितियाँ:

बोर्ड की सभी वैधानिक समितियाँ मौजूद हैं। इन समितियों की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 एवं निगम प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन में है।

(i) लेखापरीक्षा समिति:

कंपनी की लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित निदेशकगण शामिल थे:

1. डॉ. अजय नारंग , स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष
2. डॉ. बीआर रामकृष्ण, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
3. अधिवक्ता दुष्यंत उपाध्याय , स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
4. श्री वाईपी चिलिओ , स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
5. निदेशक (उत्पादन) - सदस्य

निदेशक (वित्त) समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य हैं।

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की सात बार बैठकें हुईं, यानी 128वीं बैठक से 134वीं बैठक तक, जो क्रमशः 25/05/2022, 08/08/2022, 21/09/2022, 28/10/2022, 09/11/2022, 09/02/2023 एवं 10/02/2023 को आयोजित की गईं। उन सभी बैठकों में आवश्यक कोरम उपस्थित था। लगातार दो लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के बीच का अंतर 120 दिनों से अधिक नहीं था।

लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए समिति के सभी सदस्यों को पर्याप्त सूचनाएं भेजी गईं। एजेंडा एवं एजेंडे पर विस्तृत टिप्पणी कम से कम 7 दिन पहले भेजे गए थे। बैठकों से पहले एजेंडा मदों पर अधिक जानकारी एवं स्पष्टीकरण मांगने तथा प्राप्त करने एवं बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सभी सिफारिशें/निर्णय सर्वसम्मति से किए गए एवं निर्णय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस उद्देश्य के लिए रखी गई कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किए गए।

(ii) निगम सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीय विकास समिति:

कंपनी की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीय विकास समिति में निम्नलिखित निदेशकगण शामिल हैं:

1. अधिवक्ता दुष्यंत उपाध्याय , स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष
2. डॉ. बीआर रामकृष्ण, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
3. सुश्री (डॉ.) शतरूपा , स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
4. निदेशक (मानव संसाधन)-सदस्य
5. निदेशक (उत्पादन)-सदस्य

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की दो बार बैठकें हुईं, यानी क्रमशः 25वीं बैठक 24/05/2022 को एवं 26वीं बैठक 07/08/2022 को हुई। दोनों बैठकों में आवश्यक कोरम उपस्थित था।

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीय विकास समिति की बैठकों के लिए पर्याप्त सूचनाएं समिति के सभी सदस्यों को भेजी गईं। एजेंडा एवं एजेंडे पर विस्तृत नोट कम से कम 7 दिन पहले भेजे गए थे। बैठकों से पहले एजेंडा मदों पर अधिक जानकारी एवं स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने एवं बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीय विकास समिति की बैठकों में सभी सिफारिशें/निर्णय सर्वसम्मति से किए गए एवं निर्णय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस उद्देश्य के लिए रखी गई कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किए गए।

(iii) नामांकन एवं प्रतिपूर्ति समिति:

कंपनी की नामांकन एवं प्रतिपूर्ति समिति (नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति) में निम्नलिखित निदेशकगण शामिल हैं:

1. सुश्री (डॉ.) शतरूपा , स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष
2. श्री रवि नाथ झा , स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
3. श्री वाईपी चिलिओ , स्वतंत्र निदेशक-सदस्य

निदेशक (मानव संसाधन) एवं निदेशक (वित्त) समिति में आमंत्रित सदस्य हैं।

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की तीन बार बैठकें हुईं, यानी 6वीं बैठक से 8वीं बैठक जो क्रमशः 19/04/2022, 21/09/2022 एवं 10/02/2023 को आयोजित की गईं। उन सभी बैठकों में आवश्यक कोरम उपस्थित था।

नामांकन एवं प्रतिपूर्ति समिति की बैठकों के लिए पर्याप्त सूचनाएं समिति के सभी सदस्यों को भेजी गईं। बैठकों से पहले एजेंडा मदों पर अधिक जानकारी एवं स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने एवं बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

नामांकन एवं प्रतिपूर्ति समिति की बैठकों में सभी सिफारिशें/निर्णय सर्वसम्मति से किए गए एवं निर्णय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस उद्देश्य के लिए रखी गई कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किए गए।

(iv) स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप समिति:

कंपनी की स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप समिति (हितधारक संबंध समिति) में निम्नलिखित निदेशकगण शामिल हैं:

1. अधिवक्ता जॉर्ज कुरियन, स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष
2. श्री रवि नाथ झा , स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
3. श्री वाईपी चिलिओ , स्वतंत्र निदेशक-सदस्य

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की दो बार बैठकें हुईं, यानी क्रमशः 24वीं बैठक 28/10/2022 को एवं 25वीं बैठक 23/03/2023 को हुई। उन सभी बैठकों में आवश्यक कोरम उपस्थित था।

स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप समिति की बैठक के लिए समिति के सभी सदस्यों को पर्याप्त सूचना भेजी गई थी। एजेंडा एवं एजेंडे पर विस्तृत नोट कम से कम 7 दिन पहले भेजे गए थे। बैठक से पहले एजेंडा आइटम पर अधिक जानकारी एवं स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने एवं बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप समिति की बैठक में सभी सिफारिशें/निर्णय सर्वसम्मति से किए गए एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस उद्देश्य के लिए रखी गई कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किए गए।

(v) जोखिम प्रबंधन समिति:

कंपनी की जोखिम प्रबंधन समिति (जोखिम प्रबंधन समिति) में निम्नलिखित निदेशकगण शामिल हैं:

1. डॉ. बीआर रामकृष्ण, स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष
2. अधिवक्ता जॉर्ज कुरियन, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
3. डॉ. अजय नारंग , स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
4. निदेशक (उत्पादन)-सदस्य
5. निदेशक (वित्त)-सदस्य

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की दो बार बैठकें हुईं, यानी क्रमशः 14वीं बैठक 01/09/2022 को एवं 15वीं बैठक 27/02/2023 को हुई। उन सभी बैठक में आवश्यक कोरम उपस्थित था। लगातार दो जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों के बीच का अंतर 180 दिनों से अधिक नहीं था।

जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक के लिए पर्याप्त सूचना समिति के सभी सदस्यों को भेजी गई थी। बैठक से पहले एजेंडा मद पर अधिक जानकारी एवं स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने एवं बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों में सभी सिफारिशें/निर्णय सर्वसम्मति से किए गए एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस उद्देश्य के लिए रखी गई कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किए गए।

(vi) टेक्नोलॉजी समिति:

कंपनी की टेक्नोलॉजी समिति (प्रौद्योगिकी समिति) में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

1. श्री वाईपी चिलिओ , स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष
2. अधिवक्ता जॉर्ज कुरियन, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
3. डॉ. अजय नारंग , स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
4. निदेशक (परियोजना व तकनीकी) - सदस्य
5. निदेशक (उत्पादन)-सदस्य

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की एक बार बैठक हुई अर्थात 34वीं बैठक 23/03/2023 को आयोजित की गई। उक्त समिति की बैठक हेतु आवश्यक कोरम उपस्थित था।

टेक्नोलॉजी समिति की बैठक के लिए पर्याप्त सूचना समिति के सभी सदस्यों को भेजी गई थी। बैठक से पहले एजेंडा आइटम पर अधिक जानकारी एवं स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने एवं बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

टेक्नोलॉजी समिति की बैठकों में सभी सिफारिशें/निर्णय सर्वसम्मति से किए गए एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस उद्देश्य के लिए रखी गई कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किए गए।

(घ) बोर्ड द्वारा गठित अन्य समितियाँ-

(i) ह्मन रिसोर्स (एचआर) समिति:

कंपनी की ह्मन रिसोर्स (एचआर) समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

1. श्री रवि नाथ झा , स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष
2. अधिवक्ता जॉर्ज कुरियन, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
3. सुश्री (डॉ.) शतरूपा , स्वतंत्र निदेशक-सदस्य

4. निदेशक (मानव संसाधन)-सदस्य

समिति की समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान एक बार यानी 08/08/2022 को बैठक हुई।

ह्यमन रिसोर्स (एचआर) समिति की बैठक के लिए समिति के सभी सदस्यों को पर्याप्त सूचना भेजी गई थी। एजेंडा एवं एजेंडे पर विस्तृत नोट्स पहले ही भेज दिए गए थे। बैठक से पहले एजेंडा आइटम पर अधिक जानकारी एवं स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने एवं बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

ह्यमन रिसोर्स (एचआर) समिति की बैठक में सिफारिशें/निर्णय सर्वसम्मति से किए गए एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस उद्देश्य के लिए रखी गई कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किए गए।

(ii) परियोजनाओं एवं नए उद्यमों के लिए समिति ऑफ डायरेक्टर्स (सीओडी):

कंपनी की परियोजनाओं एवं नए उद्यमों के लिए समिति ऑफ डायरेक्टर्स (सीओडी) में निम्नलिखित निदेशकगण शामिल हैं:

1. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक- अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय- सदस्य
3. निदेशक (परियोजना व तकनीकी) - सदस्य
4. निदेशक (उत्पादन)-सदस्य
5. निदेशक (वित्त)-सदस्य
6. निदेशक (वाणिज्यिक)-सदस्य

समिति की समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान एक बार यानी 28/04/2022 को बैठक हुई।

परियोजनाओं एवं नए उद्यमों के लिए समिति ऑफ डायरेक्टर्स (सीओडी) के लिए पर्याप्त सूचना समिति के सभी सदस्यों को भेजी गई थी। एजेंडा एवं एजेंडे पर विस्तृत नोट्स पहले ही भेज दिए गए थे। बैठक से पहले एजेंडा मदों पर अधिक जानकारी एवं स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने एवं बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

परियोजनाओं एवं नए उद्यमों के लिए समिति ऑफ डायरेक्टर्स (सीओडी) की बैठक में सिफारिशें/निर्णय सर्वसम्मति से किए गए तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस उद्देश्य के लिए रखी गई मिनट बुक में दर्ज किए गए।

(iii) एथिक्स एंड निगम गवर्नेंस समिति:

कंपनी की एथिक्स एंड निगम गवर्नेंस समिति में निम्नलिखित निदेशकगण शामिल हैं:

1. अधिवक्ता दुष्यंत उपाध्याय , स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष
2. श्री रवि नाथ झा , स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
3. डॉ. बीआर रामकृष्ण, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
4. निदेशक (वाणिज्यिक)-सदस्य

समिति की समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान एक बार यानी 07/08/2022 को बैठक हुई।

एथिक्स एंड निगम गवर्नेंस समिति के लिए पर्याप्त सूचना समिति के सभी सदस्यों को भेजी गई थी। एजेंडा एवं एजेंडे पर विस्तृत नोट्स पहले ही भेज दिए गए थे। बैठक से पहले एजेंडा आइटम पर अधिक जानकारी एवं स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने एवं बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस उद्देश्य के लिए रखी गई कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किया गया।

(iv) शेयर ट्रांसफर समिति:

शेयर ट्रांसफर समिति उन शेयर प्रमाणपत्रों के बदले में नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित मामलों से निपटती है, जो फटे/विरूपित/कटे-फटे/खो गए/रिमैटेरियलाइजेशन हो गए हैं एवं नए शेयर प्रमाणपत्र उक्त समिति के अनुमोदन के अधीन जारी किए जाते हैं।

कंपनी की शेयर ट्रांसफर समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

1. श्री राधाश्याम महापात्र , निदेशक (मानव संसाधन)-अध्यक्ष
2. श्री मनसा प्रसाद मिश्रा, निदेशक (परियोजना व तकनीकी) - सदस्य
3. श्री रमेश चंद्र जोशी, निदेशक (वित्त)-सदस्य
4. श्री सदाशिव सामंतराय , निदेशक (वाणिज्यिक)-सदस्य
5. श्री पंकज कुमार शर्मा, निदेशक (उत्पादन)-सदस्य

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की दस बार बैठकें हुईं, यानी 660वीं बैठक से 676वीं बैठक के दौरान, जो क्रमशः 27/04/2022, 16/05/2022, 11/07/2022, 10/08/2022, 17/10/2022, 23/11/2022, 28/12/2022, 23/01/2023, 06/02/2023 एवं 22/03/2023 को आयोजित की गईं।

शेयर ट्रांसफर समिति की बैठक में सिफारिशें/निर्णय सर्वसम्मति से किए गए एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस उद्देश्य के लिए रखी गई मिनट बुक में दर्ज किए गए।

(ङ) स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 25(3) के अनुसार कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक 16 जनवरी, 2023 को आयोजित की गई थी। बैठक में श्री वाईपी चिलिओ को छोड़कर अन्य सभी स्वतंत्र निदेशक उपस्थित थे।

(च) वार्षिक आम बैठक:

सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने भारत सरकार के निगम मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी नियामक प्रावधान एवं परिपत्र के अनुरूप 22 सितंबर, 2022 को सुबह 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/ अन्य ऑडियो-विज़ुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से अपनी 41वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित की।

वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन एवं 41वीं एजीएम बुलाने की सूचना सचिवीय मानकों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार एजीएम की तारीख से 21 दिन पहले शेयरधारकों को ई-मेल के माध्यम से भेजी गई थी।

कंपनी की 41वीं वार्षिक आम बैठक में घोषित अंतिम लाभांश के उद्देश्य से कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर ट्रांसफर बुक्स शनिवार, 17 सितंबर, 2022 से गुरुवार, 22 सितंबर, 2022 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगी।

कंपनी ने शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की थी। एजीएम के दौरान ई-वोटिंग (इंस्टापोल) के माध्यम से मतदान करने की सुविधा उन लोगों के लिए भी उपलब्ध कराई गई थी, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला था। बैठक का परिणाम उसी दिन यानी 22/09/2022 को कंपनी, आरटीए एवं स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर होस्ट किया गया था।

(छ) डाक मतपत्र:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, दिनांक 28.04.2022 को बोर्ड की मंजूरी के आधार पर, कंपनी ने सभी सदस्यों को 2 (दो) नव नियुक्त निदेशकों की नियुक्ति को नियमित करने के लिए उनकी मंजूरी मांगने के लिए दिनांक 28.04.2022 को पोस्टल बैलेट नोटिस भेजा था। कंपनी। नोटिस उन सभी सदस्यों को भेजा गया था, जिनके नाम कट-ऑफ तिथि यानी 29.04.2022 को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एवं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड से प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर / लाभकारी मालिकों की सूची में दर्शाए गए थे।

एमसीए परिपत्रों में निर्दिष्ट छूटों के अनुरूप, कंपनी ने सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में नोटिस भेजा। कंपनी ने अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की थी, ताकि वे डाक मतपत्र फॉर्म को भौतिक रूप से जमा करने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। कंपनी ने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए'), केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (जिसे पहले केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ('केफिनटेक') को नियुक्त किया था। मतदान की अवधि 9 मई, 2022 को शुरू हुई एवं 7 जून, 2022 को समाप्त हुई। कंपनी ने 08.06.2022 को स्टॉक एक्सचेंजों को पोस्टल बैलेट के परिणाम की सूचना दी थी एवं उसी दिन इसे अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किया था।

(ज) वैधानिक अभिलेखों का रखरखाव:

कंपनी अधिनियम, 2013, डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों के तहत निर्धारित सभी वैधानिक रजिस्टर, रिकॉर्ड एवं अन्य रजिस्टरों को सभी आवश्यक प्रविष्टियों के साथ ठीक से रखा एवं बनाए रखा गया था। रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान इन अधिनियमों के प्रावधानों का विधिवत अनुपालन किया गया।

(झ) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार वैधानिक प्रपत्र एवं रिटर्न दाखिल करना:

अपेक्षित/निर्धारित शुल्क के भुगतान के साथ निर्धारित समय सीमा के भीतर एमसीए/कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ विभिन्न फॉर्म भरने एवं रिटर्न दाखिल करने के संबंध में अधिनियम एवं अन्य क़ानूनों के सभी प्रावधानों का विधिवत अनुपालन किया गया था।

विभिन्न क़ानूनों/लिस्टिंग विनियमों/व्यावसायिक नियमों के तहत सभी दस्तावेज़/सूचनाएँ नियमित रूप से नियत तारीखों के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों एवं डिपॉजिटरीज़ (एनएसडीएल एवं सीडीएसएल) के पास दाखिल की गईं।

हम आगे प्रतिवेदन करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों की निगरानी एवं अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार एवं संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणाली एवं प्रक्रियाएं थीं।

(ञ) रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट तथा निवेशकों की शिकायतों का निवारण

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, हैदराबाद कंपनी का रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) बना हुआ है।

शेयरों के डीमैट / रीमैट , डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने, लाभांश के भुगतान आदि से संबंधित सभी शिकायतों/शिकायतों पर ध्यान दिया गया एवं वैधानिक समय सीमा के भीतर हल किया गया।

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी को निवेशकों की 949 अदद शिकायतें प्राप्त हुईं एवं उन सभी का समाधान निर्धारित समय सीमा के भीतर कर दिया गया।

(ट) डुप्लिकेट शेयरों का ट्रांसमिशन/ट्रांसपोज़िशन/इश्यू:

कंपनी ने अपनी शेयर रजिस्ट्री गतिविधियों को आरटीए, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, हैदराबाद को आउटसोर्स किया है। रीमटेरियलाइजेशन /खोए/कटे-फटे/विकृत शेयर प्रमाणपत्र, यदि कोई हो, के प्रति भौतिक शेयर प्रमाणपत्र जारी करना, शेयर ट्रांसफर समिति (एसटीसी) के अनुमोदन से किया जाता है। शेयरों के प्रसारण एवं स्थानान्तरण के अनुरोध पर कंपनी सचिव के अनुमोदन से विचार किया जाता है, जिसे इसके लिए निदेशक मंडल द्वारा अधिकृत किया गया है।

सेबी के निर्देशानुसार, डुप्लिकेट शेयर/ट्रांसमिशन/ट्रांसपोज़िशन मामलों को जारी करने के अनुरोध के अनुमोदन के बाद भौतिक शेयर प्रमाणपत्र के बदले पुष्टि पत्र जारी किए जाते हैं। शेयरधारक अपने पास रखे गए डीमैट खाते में शेयरों का क्रेडिट प्राप्त करने के लिए अपने डिपॉजिटरी भागीदार के साथ पुष्टिकरण पत्र जमा कर सकते हैं।

(ठ) इंवेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में भुगान नहीं किए गए / दावा न किए गए लाभांश एवं शेयरों का स्थानांतरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के अनुसार, इंवेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण एवं धनवापसी) नियम, 2016 के साथ, कोई भी लाभांश जो सात वर्षों की लगातार अवधि के लिए भुगतान हीन या दावा न किया गया हो, को कंपनी द्वारा इंवेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (आईईपीएफ) में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसके अलावा, जिन शेयरों पर लाभांश लगातार 7 (सात) वर्षों तक दावाहीन या भुगचान नगीं रहा है, उन्हें कंपनी द्वारा भारत सरकार के आईईपीएफ में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है।

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए दावा न किए गए अंतरिम लाभांश से संबंधित ₹ 14,21,837/- की राशि एवं 19,110 शेयर इंवेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में स्थानांतरित किए गए थे।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए दावा न किए गए अंतिम लाभांश से संबंधित ₹ 6,74,899/- की राशि एवं 25,138 शेयर इंवेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में स्थानांतरित किए गए थे।

(ड) पॉश अधिनियम, 2013:

पॉश अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अनुसार कंपनी में एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) मौजूद है एवं इसके सदस्यों में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं:

1. श्रीमती सुमिता सहाय, जीएम (विपणन)- पीठासीन अधिकारी
2. श्री अशोक कुमार नेगी , डीजीएम (कानून)-सदस्य
3. श्रीमती पीआई मिश्रा, प्रबंधक (एचआरडी) - सदस्य

वर्ष के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई इसलिए कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। उक्त अधिनियम की धारा 21 के तहत अपेक्षित आवश्यक रिपोर्ट 29.05.2023 को राज्य के जिला अधिकारी को प्रस्तुत की गई थी।

(ढ) निगम सामाजिक जिम्मेदारी:

दिनांक 24.05.2022 को आयोजित बैठक में निगम सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीय विकास समिति की सिफारिश एवं उसके बाद 25.05.2022 को आयोजित बैठक में बोर्ड की मंजूरी के संदर्भ में, कंपनी ने वर्ष 2022-23 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए रु. 39.54 करोड़ की राशि खर्च की।

(ण) लाभांश की घोषणा एवं भुगतान:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान:

दिनांक 22 सितंबर, 2022 को आयोजित 41वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों ने 918.32 करोड़ रुपये की पेड-अप इक्विटी शेयर पूंजी पर प्रति शेयर र. 1.50/- (प्रत्येक रु. 5/- अंकित मूल्य पर 30%) की दर से अंतिम लाभांश को मंजूरी दी थी । वित्तीय वर्ष 2021-22. उक्त लाभांश का भुगतान पात्र शेयरधारकों को 19.10.2022 को किया गया था।

इसके अलावा, निदेशक मंडल ने 17 जनवरी, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रु. 918.32 करोड़ की पेड-अप इक्विटी शेयर पूंजी पर रु. 1/- प्रति शेयर (प्रत्येक 5/- अंकित मूल्य पर 20%) की दर से प्रथम अंतरिम लाभांश के भुगतान को मंजूरी दे दी थी। पात्र शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान 14.02.2023 को किया गया।

इसके अलावा, निदेशक मंडल ने 13 मार्च, 2023 को हुई अपनी बैठक में भुगतान की गई वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रु. 918.32 करोड़ इक्विटी शेयर पूंजी पर 2.5/- प्रति शेयर (प्रत्येक 5/- अंकित मूल्य पर 50%) की दर से दूसरे अंतरिम लाभांश के भुगतान को मंजूरी दे दी थी । तदनुसार, पात्र शेयरधारकों को 31.03.2023 को लाभांश का भुगतान किया गया।

कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013, सचिवीय मानक के सभी प्रावधानों एवं शेयरधारकों को लाभांश की घोषणा एवं भुगतान से संबंधित विनियमों का अनुपालन किया गया है।

हम पुन: प्रतिवेदन करते हैं कि कंपनी के प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों की निगरानी एवं अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी में इसके आकार एवं संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणाली एवं प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

कृते एसकेएम एवं एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्ता /-
सीएस संजय के . महापात्रा
वरिष्ठ साझेदार
एफसीएस सं.: 3488, सीपी सं.: 6002
यूडीआईएन: F003488E000410114
पीयर रिव्यू नं. 1593/2021

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 29.05.2023

(यह प्रतिवेदन हमारे पत्र के साथ पढ़ा जाए, जो अनुलग्नक क के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।)

अनुलग्नक-क

सेवा में,

सदस्यगण

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड

नालको भवन , प्लॉट नंबर पी/1, नयापल्ली,

भुवनेश्वर, ओडिशा-751013

सम तिथि पर हमारा प्रतिवेदन इस पत्र के साथ पठित है।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर एक राय व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री के सही होने के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित लेखा परीक्षा प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य प्रतिबिंबित हों, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं एवं प्रथाएं हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड एवं लेखा पुस्तकों की शुद्धता एवं उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन एवं घटनाओं आदि के घटित होने के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. निगम एवं अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है । हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक ही सीमित थी।
6. सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है एवं न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते एसकेएम एवं एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्ता /-
सीएस संजय के . महापात्रा
वरिष्ठ साझेदार
एफसीएस सं.: 3488, सीपी सं.: 6002
यूडीआईएन: F003488E000410114
पीयर रिव्यू नं. 1593/2021

स्थान:भुवनेश्वर
दिनांक: 29.05.2023

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में सदस्यगण
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन

राय

हमने नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश (इसके बाद "एकल वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) के साथ 31 मार्च, 2023 को तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण एवं समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण, एवं वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां शामिल हैं।

हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित तरीके से आवश्यक जानकारी देते हैं तथा कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित एवं 31 मार्च, 2023 को कंपनी के मामलों की स्थिति एवं उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभ, अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन तथा नकद प्रवाह के भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुरूप एक सच्चा एवं निष्पक्ष दृश्य देते हैं।

राय का आधार

हमने अपनी लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी प्रतिवेदन के वित्तीय विवरण अनुभाग के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के साथ-साथ नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं जो अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके तहत नियमों के तहत एकल वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, एवं हमने इन आवश्यकताओं एवं आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं। हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

विषय पर बल

(i) हम कोयला खदानों के पूंजीकरण, दिनांक 09.11.2022 से खनन कार्य शुरू करने एवं 01.04.2023 से उत्पादन शुरू करने की घोषणा के संबंध में टिप्पणी सं. 7.3 पर ध्यान आकर्षित करते हैं; एवं

(ii) हम पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति से उत्पन्न मुद्दों को अंतिम रूप न देने एवं परियोजना से विस्थापित परिवारों द्वारा अभी तक दिए जाने वाले विकल्प के अभाव में पूंजीगत संपत्ति/व्यय का लेखा न करने के संबंध में टिप्पणी सं. 14.1 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

प्रमुख लेखा परीक्षा विषय

प्रमुख लेखा परीक्षा विषय वे हैं, जो हमारे पेशागत निर्णय में, वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से एकल वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के संदर्भ में एवं उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, एवं हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। चालू वर्ष में हमने जिन प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों की पहचान की है वे इस प्रकार हैं:

प्रमुख लेखा परीक्षा विषय	हमारी लेखा परीक्षा में विषयों को कैसे संबोधित किया गया
1. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, अमूर्त संपत्ति (प्रगति में चल रहे पूंजीगत कार्य एवं विकास के तहत अमूर्त संपत्ति सहित) का मूल्य वहन करना	
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, पूंजीगत कार्य-प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी), अमूर्त संपत्ति एवं विकासाधीन अमूर्त संपत्ति वित्तीय स्थिति के विवरण में दर्ज महत्वपूर्ण संतुलन का प्रतिनिधित्व करती है। इन परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि के मूल्यांकन के लिए व्यवसाय के अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह एवं परिसंपत्तियों से संबंधित हानि प्रावधानों सहित प्रासंगिक परिसंपत्तियों के उपयोग का समर्थन करने वाली प्रमुख स्वीकृतियों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां प्रबंधन का निर्णय संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, अमूर्त संपत्ति तथा उनके संबंधित मूल्यह्रास प्रोफाइल के मूल्य को प्रभावित करता है। इनमें पूंजीकरण या व्यय लागत का निर्णय शामिल है ; कंपनी की रणनीति में बदलाव के प्रभाव सहित परिसंपत्ति जीवन की समीक्षा; एवं सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त परिसंपत्तियों के लिए पूंजीकरण , निर्धारण या माप एवं स्वीकृति मानदंड की समयबद्धता है।	अमूर्त परिसंपत्तियों एवं पूंजीगत कार्य प्रगति सहित संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के मूल्य निर्धारण से संबंधित हमारी लेखा परीक्षा की प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: • हमने यह सुनिश्चित करने के लिए मूल्यों एवं उपयोगी जीवन के निर्धारण में प्रबंधन द्वारा की गई धारणाओं का मूल्यांकन किया कि ये भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 16 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण एवं इंडस्ट्रीज़ 38 अमूर्त संपत्ति के सिद्धांतों के अनुरूप हैं। • हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी जीवन एवं प्रबंधन के तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार कुछ परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन की तुलना करके प्रबंधन के निर्णयों को चुनौती देकर मूल्यांकन किया कि क्या मूल्य एवं उपयोगी जीवन उचित थे। • हमने यह निर्धारित करने के लिए कि परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं या नहीं, चालू वर्ष में परिसंपत्ति के प्रत्येक वर्ग के उपयोगी जीवन की तुलना पिछले वर्ष से की, एवं व्यवसाय एवं उद्योग के बारे में हमारे ज्ञान के आधार पर परिवर्तनों की तर्कसंगतता पर विचार किया। . • हमने व्यवसाय एवं उद्योग के बारे में अपने ज्ञान के आधार पर मूल्यांकन किया कि क्या 31 मार्च 2023 तक हानि के संकेतक मौजूद थे एवं जहां भी आवश्यक हो, परिसंपत्तियों/ सीडब्ल्यूआईपी की हानि के प्रावधान की समीक्षा की गई। • हमने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण एवं अमूर्त संपत्तियों पर नियंत्रण का परीक्षण किया, पूंजीकरण नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया, पूंजीकृत लागतों पर विवरण का परीक्षण किया एवं सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त परिसंपत्तियों के गैरपूंकरण तथा परिसंपत्ति जीवन उपयोग सहित पूंजीकरण की समयबद्धता का आकलन किया। . • इन मूल प्रक्रियाओं को निष्पादित करने में, हमने पूंजीकृत अंतर्निहित लागतों की प्रकृति सहित प्रबंधन द्वारा किए गए निर्णयों का मूल्यांकन ; मूल्यह्रास एवं परिशोधन की गणना में लागू परिसंपत्ति जीवन की उपयुक्तता ; एवं हानि के संदर्भ में, यदि आवश्यक हो, त्वरित मूल्यह्रास/ परिशोधन की आवश्यकता का आकलन करने में किया।

वित्तीय विवरण (एकल)

प्रमुख लेखा परीक्षा विषय	हमारी लेखा परीक्षा में विषयों को कैसे संबोधित किया गया
2. कर्मचारियों के परिभाषित लाभ दायित्वों एवं अन्य दीर्घकालिक लाभों का मूल्यांकन	
कंपनी द्वारा दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ देयताओं एवं परिभाषित लाभ दायित्वों (वित्त पोषित ग्रेच्युटी दायित्व के विरुद्ध योजना परिसंपत्ति का शुद्ध) को स्वीकृति दी गई है। कर्मचारी लाभ दायित्वों का मूल्यांकन बाजार की स्थितियों एवं बनाई गई धारणाओं पर निर्भर है। मुख्य लेखा परीक्षा विशेष रूप से निम्नलिखित प्रमुख धारणाओं जैसे छूट दर, मुद्रास्फीति अपेक्षाएं एवं जीवन प्रत्याशा धारणाओं से संबंधित है। इन स्वीकृतियों की स्थापना जटिल है एवं तीसरे पक्ष के बीमांकिक के सहयोग से महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय के अभ्यास की आवश्यकता है।	कर्मचारियों के मूल्यांकन, परिभाषित लाभ दायित्वों एवं अन्य दीर्घकालिक लाभों से संबंधित हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: • मूल्यांकन के परीक्षण में, हमने वित्तीय एवं जनसांख्यिकीय दोनों में प्रयुक्त प्रमुख बीमांकिक मान्यताओं की समीक्षा करने के लिए बाहरी बीमांकिक विशेषज्ञों की रिपोर्टों की जांच की है, एवं इन मान्यताओं को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त पद्धति पर विचार किया है। • हमने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन एवं बीमांकिक द्वारा बनाई गई धारणाओं का मूल्यांकन किया कि ये इंड. एएस 19 कर्मचारी लाभ के सिद्धांतों के अनुरूप हैं। • इसके अलावा, हमने परिभाषित लाभ दायित्वों के मूल्यांकन में प्रमुख मान्यताओं पर संवेदनशीलता विश्लेषण की जांच की है।
3. आकस्मिक देयताओं के संबंध में पता लगाना, प्रकटीकरण एवं प्रावधान करना	
कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण किया गया। कंपनी के पास प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों तरह के अनिश्चित कर विषय हैं, जिनमें समग्र मांग से जुड़े विवाद शामिल हैं, जिनके लिए इन विवादों के संभावित परिणाम को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास ओडिशा सरकार या राज्य सरकार द्वारा गठित अन्य एजेंसियों एवं ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किए गए विभिन्न दावों से संबंधित अन्य कानूनी विषय भी हैं, जिनके संभावित परिणाम निर्धारित करने के लिए प्रबंधन निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है।	आकस्मिक देयताओं के संबंध में पता लगाने, प्रकटीकरण एवं प्रावधान से संबंधित हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: हमने एक विस्तृत समझ प्राप्त की एवं नियंत्रणों के डिजाइन एवं कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया, जिसे कंपनी ने इंड. एएस 37 प्रावधानों, आकस्मिक देयता एवं आकस्मिक संपत्तियों के अनुसार आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण एवं प्रावधान के संबंध में स्थापित किया है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर आकस्मिक देयताओं के संबंध में, हमने निम्नलिखित प्रमुख लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं अपनाईं हैं: • कर मुकदमों एवं लंबित प्रशासनिक कार्यवाहियों की पहचान करने के लिए कार्यान्वित प्रक्रिया एवं प्रासंगिक नियंत्रणों का आकलन। • समान मामलों में कानूनी प्राथमिकता एवं अन्य फैसलों पर विचार करते हुए कंपनी के कर विभाग द्वारा किए गए संभावित कर जोखिमों के मूल्यांकन में प्रयुक्त स्वीकृतियों का आकलन। • सबसे महत्वपूर्ण विवादों की स्थिति के संबंध में प्रबंधन के साथ चर्चा एवं प्रमुख प्रासंगिक दस्तावेजों का निरीक्षण। • जहां उपलब्ध हो वहां कर विशेषज्ञों से प्राप्त राय का विश्लेषण। • वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकटीकरण की पर्याप्तता की समीक्षा। अन्य आकस्मिक देयताओं के संबंध में कंपनी के संभावित जोखिमों का आकलन करने में, हमनें: • ज्ञात जोखिमों की निगरानी के संबंध में नियंत्रणों के डिजाइन एवं कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया गया; • कंपनी के विचाराधीन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए बोर्ड एवं अन्य बैठक के मिनटों का संदर्भ दिया गया; • कंपनी को प्रभावित करने वाले चल रहे एवं संभावित कानूनी मामलों को समझने के लिए कंपनी के आंतरिक कानूनी सलाहकारों से परामर्श किया; • विशेषज्ञों से उपलब्ध कानूनी राय की समीक्षा की गई; एवं • वास्तविक एवं संभावित कानूनी देयताओं के प्रस्तावित लेखांकन एवं प्रकटीकरण की समीक्षा की गई।
4. मुकदमेबाजी के तहत कर मामलों के संबंध में अग्रिम एवं जमा संपत्ति के रूप में जारी रहेंगे	
वैट एवं सेनवैट क्रेडिट सहित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर जमा (शुद्ध प्रावधान) के भौतिक वसूली योग्य दावे शामिल हैं जो समायोजन/निर्णय के लिए लंबित हैं। इन जोखिमों की प्रकृति एवं उनके लेखांकन एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता है।	संपत्ति के रूप में जारी मुकदमेबाजी के तहत कर मामलों के संबंध में अग्रिम एवं जमा से संबंधित हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: • हमने प्रबंधन से पूर्ण कर निर्धारण एवं अपीलीय प्राधिकारी की मांगों तथा अपील आदेशों का विवरण प्राप्त किया। • हमने कर देयताओं एवं विवादों के संभावित परिणाम का अनुमान लगाने में प्रबंधन की अंतर्निहित धारणाओं को चुनौती देने के लिए अपने आंतरिक विशेषज्ञों को शामिल किया। • हमारे आंतरिक विशेषज्ञों ने इन अनिश्चित कर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करने में कानूनी प्राथमिकता एवं अन्य फैसलों पर भी विचार किया। • इसके अतिरिक्त, हमने वसूली योग्य राशि की प्रकृति, स्थिरता एवं अंतिम समाधान पर वसूली की संभावना की समीक्षा करने के लिए, जहां भी उपलब्ध हो, कानूनी एवं कर विशेषज्ञों की राय पर विचार किया है।

प्रमुख लेखा परीक्षा विषय	हमारी लेखा परीक्षा में विषयों को कैसे संबोधित किया गया
5. आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं का मूल्यांकन	
कंपनी ने वित्तीय विवरण में आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं का प्रकटीकरण किया है। कंपनी ऐसी गतिविधियों में कार्य करती है जिसमें आयकर में विभिन्न प्रावधानों का अनुप्रयोग शामिल है। अस्थायी अंतरों एवं अनिश्चित कर स्थितियों के प्रावधानों के परिणामस्वरूप आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयता के मूल्यांकन का आकलन हमारे लेखा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गणना जटिल है एवं संवेदनशील एवं निर्णयात्मक धारणाओं पर निर्भर करती है। इनमें अन्य विषयों के अलावा, दीर्घकालिक भविष्य की लाभप्रदता एवं स्थानीय वित्तीय नियम एवं विकास शामिल हैं।	परिसंपत्ति के रूप में जारी मुकदमेबाजी के तहत कर मामलों के संबंध में अग्रिम एवं जमा से संबंधित हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: • आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं की पूर्णता एवं सटीकता का पता लगाना एवं अनिश्चित कर स्थितियों की पहचान करना। • हमने आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली क्षमता एवं कंपनी द्वारा पहचानी गई आस्थगित कर देयताओं के संबंध में भविष्य में नकदी बहिर्प्रवाह की संभावना के प्रबंधन के आकलन को चुनौती दी एवं उसका परीक्षण किया। • हमने लागू स्थानीय राजकोषीय नियमों एवं विकासों का भी आकलन किया, विशेष रूप से वैधानिक आयकर दर एवं सीमा के क़ानून में बदलाव से संबंधित, क्योंकि ये आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं के मूल्यांकन में अंतर्निहित प्रमुख धारणाएं हैं। • हमने कर स्थितियों का विश्लेषण किया एवं कंपनी द्वारा प्रयुक्त मान्यताओं एवं पद्धतियों का मूल्यांकन किया। • इसके अलावा, हमने आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं एवं उपयोग की गई धारणाओं पर इंड. एएस 12 आयकर के अनुसार कंपनी के खुलासे की पर्याप्तता पर भी ध्यान केंद्रित किया।
6. खदान डेवलपर एंड ऑपरेटर (एमडीओ) के माध्यम से कोयले की निष्कर्सन	
कंपनी ने क्रमशः 25.03.2021 एवं 20.01.2023 से खनन अधिकार के तहत कोयला ब्लॉक उत्कल डी एवं उत्कल ई का पूंजीकरण किया है। कोयला निकालने के लिए ये कोयला खानें 8 मार्च, 2022 के समझौते के तहत खान डेवलपर एवं ऑपरेटर (एमडीओ) को दे दी गई हैं। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, एमडीओ के पास कुछ पूंजीगत कार्यों को निष्पादित करने की जिम्मेदारी है, जिसमें खान बंद करने की देनदारी के लिए भुगतान एवं राजस्व कार्य शामिल हैं, जिसमें ओवरबर्डन को हटाना एवं कोयले की निकासी, निर्दिष्ट स्थानों पर खानों में स्टैकिंग एवं रेलवे साइडिंग या कंपनी के ग्रहीत विद्युत संयंत्र की साइट तक कोयले का परिवहन का कार्य भी निहीत है। कंपनी की साइट पर कोयले के परिवहन एवं प्राप्ति पर, प्रति टन सहमत मूल्य पर राशि के साथ देयताएं प्रदान किया जाना है। ओवरबर्डन का खर्च, कोयले के उत्पादन के लिए एमडीओ द्वारा दिन-प्रतिदिन का खर्च एवं साइट पर उसके उत्पादन के स्टॉक की घोषणा एमडीओ द्वारा की जानी आवश्यक है एवं कंपनी द्वारा लेखांकन किया जाना है। कोयले की कीमत प्रेषण की अवधि से संबंधित थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर गणना पर निर्भर करती है। व्यय, आय, संपत्ति एवं देयताओं के शेष के विभिन्न तत्वों एवं इनका हिसाब लगाने के उचित समय का आकलन करने में शामिल निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, हमने इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामला माना है।	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: • कंपनी की प्रक्रिया की समझ प्राप्त की तथा कोयले की सूची के अनुमान एवं लेखांकन, एमडीओ को देय व्यापार की देनदारी एवं खान बंद करने की देनदारी, कोयले की लागत एवं अन्य खर्चों एवं आय से जुड़े आंतरिक नियंत्रण का परीक्षण किया। • प्रत्येक गुणात्मक एवं मात्रात्मक कारक पर उनके मूल्यांकन को समझने के लिए प्रबंधन के साथ चर्चा की एवं अंतर्निहित दस्तावेज़, नियमों एवं विनियमों के साथ प्रबंधन के स्पष्टीकरण की स्थिरता की समीक्षा की। • खान में माल-सूची की उपलब्धता पर प्रबंधन से प्रमाण पत्र प्राप्त किया। • इंड. एएस की आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी द्वारा किए गए मूल्यांकन प्रकटीकरण । • आवश्यक प्रबंधन प्रतिनिधित्व प्राप्त किया।
7. विस्तार के लिए ठेके देने हेतु अपनाई गई प्रक्रिया	
कंपनी ने 1 एमटीपीए का एल्यूमिना परिशोधक संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है। उपरोक्त मात्रा के निष्पादन के लिए, कार्यों, खरीद एवं सेवाओं के लिए कई अनुबंधों की आवश्यकता होती है जिसमें उच्च अंतर्निहित जोखिम (यानी जटिल गणना, महत्वपूर्ण अनुमान अनिश्चितता, आदि) एवं नियंत्रण जोखिम (यानी मानवीय त्रुटियों की संभावना, मिलीभगत से हेराफेरी, अनुचित प्रबंधन) शामिल हैं। प्रदान करने की प्रक्रिया के लिए बोलीदाताओं के उचित मूल्यांकन के कई चरणों की आवश्यकता होती है जिसमें उनकी तकनीकी विशेषज्ञता, समान निष्पादन का अनुभव, वित्तीय स्थिरता, मानव संसाधन जुटाना आदि शामिल हैं। उचित मूल्यांकन में तकनीकी मापदंडों पर संभावित बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की बड़ी मात्रा के माध्यम से दक्षताओं का पता लगाने के लिए खरीद, निर्माण, प्रबंधन (ईपीसीएम) के साथ प्रबंधन का निर्णय, बोलीदाताओं के प्रश्नों का जवाब देना, नियुक्त इंजीनियरिंग के समर्थन से स्वीकृति, निष्पादन, पूर्णता आदि के लिए समय सीमा निर्धारित करना शामिल है। उपरोक्त में वित्तीय मापदंडों का मूल्यांकन, अनुमान के साथ बोली मूल्य का मिलान, किसी भी अनिश्चितता के लिए वित्तीय गारंटी की आवश्यकता का मूल्यांकन, प्रबंधन सहमति के कई स्तर, पूंजी या राजस्व में व्यय का वर्गीकरण एवं अनुबंधों को प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा, अनुबंध देने के बाद की गतिविधियाँ जैसे अनुबंधों की प्रगति की निगरानी, बीच में आने वाले किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे का समाधान करना, स्थानीय संघर्षों के समाधान में कंपनी द्वारा निर्णय एवं निर्णय लेना शामिल होता है। उपयुक्त बोलीदाताओं के चयन के लिए जटिल तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन एवं गणना को ध्यान में रखते हुए, हमने इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामला माना है।	हमारा लेखा परीक्षा दृष्टिकोण आंतरिक नियंत्रण एवं मूल प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के लिए कुछ अनुबंधों के परीक्षण का एक संयोजन था जिसमें निम्नलिखित शामिल थे: • क्रमिक गतिविधियों के विभिन्न चरणों के लिए विस्तार बजट आवंटन प्राप्त किया • तकनीकी एवं वित्तीय मापदंडों के लिए अनुबंध मूल्यांकन प्रक्रियाओं के डिजाइन एवं एनआईटी (निविदाएं आमंत्रण सूचना) को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रयासों के आकलन का मूल्यांकन किया गया; • दस्तावेजों की तैयारी पर पहुंचने के लिए मूल्यांकन किए गए दस्तावेजों, ईपीसीएम के विचार, जटिल गणना, बजट अनुमान का आवंटन, सूचकांक का अनुप्रयोग, वैधानिक शुल्कों के प्रयोग आदि का परीक्षण किया गया। • अनुबंधों का एक नमूना चुना गया एवं लेखा परीक्षा प्रयासों, विश्लेषणात्मक कौशल एवं निर्माण स्थल के दौरे के माध्यम से, जहां भी आवश्यक हो, एनआईटी, अनुमान, शर्तों आदि में किसी भी बाद के बदलाव के साथ महत्वपूर्ण बदलावों की पहचान की गई; • उपरोक्त महत्वपूर्ण बदलावों पर प्रबंधन, ईपीसीएम के साथ चर्चा की गई ताकि उनका निर्णय या औचित्य प्राप्त किया जा सके, जिसका असर मील के पत्थर को प्राप्त करने में संभावित देरी के साथ-साथ लागत एवं समय की अधिकता पर पड़ता है; • कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं, उनके सुझावों, सुधारों को लागू करने, हासिल किए गए मील के पत्थर, बाद की अवधि के लिए योजना आदि की पहचान करने के लिए ईपीसीएम की कुछ प्रगति रिपोर्ट का परीक्षण किया गया। • कार्यक्षेत्र या विक्रेताओं के अनुमान में किसी विशिष्ट या महत्वपूर्ण बदलाव के लिए बोर्ड/समिति के टिप्पणी की समीक्षा की। • विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं निष्पादित कीं एवं उन अनुबंधों की प्रगति की तर्कसंगतता का परीक्षण किया जिनकी लागत या समय काफी अधिक हो गया है या नियंत्रण उपायों में सुधार की आवश्यकता है।

वित्तीय विवरण (एकल)

एकल वित्तीय विवरण एवं उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में कंपनी के वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल जानकारी शामिल है लेकिन इसमें एकल वित्तीय विवरण एवं उस पर हमारी रिपोर्ट शामिल नहीं है। उम्मीद है कि ये रिपोर्ट इस लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराई जाएंगी।

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है एवं हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

एकल वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी उल्लिखित अन्य जानकारी को पढ़ना है एवं ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ भौतिक रूप से असंगत है, या अन्यथा भौतिक रूप से ग़लत बताया जाना दिखाई देती है।

जब हम अन्य जानकारी पढ़ते हैं, तो यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें महत्वपूर्ण गलतबयानी है, तो हमें शासन के प्रभारी लोगों को मामले के बारे में सूचित करना होगा एवं यदि आवश्यक हो तो उचित कार्रवाई करनी होगी।

एकल वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक (इंड एएस) भी शामिल कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में बदलाव और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव; लेखांकन नीतियों के उचित कार्यान्वयन और रखरखाव का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भौतिक गलतबयानी से मुक्त होते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, भी शामिल है।

एकल वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन एकल वित्तीय विवरण तैयार करने में, एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की कंपनी की क्षमता का आकलन करना, चालू संस्था से संबंधित मामलों का, जैसा लागू हो, खुलासा करना और लेखांकन के चालू संस्था के आधार का उपयोग करना, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है, के लिए जिम्मेदार है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से एकल वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, एवं एक लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार आयोजित लेखा परीक्षा हमेशा मौजूद होने पर एक महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा। ग़लतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है एवं उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, उनसे इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित उम्मीद की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के हिस्से के रूप में, हम पेशागत निर्णय लेते हैं एवं पूरे लेखा परीक्षा के दौरान पेशागत संदेह बनाए रखते हैं। हम निम्न भी करते हैं:

- एकल वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों को पहचानना एवं उनका आकलन करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन एवं निष्पादित करना, एवं लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न चल पाने का जोखिम, त्रुटि से उत्पन्न किसी गलत बयानी की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है;
- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जो परिस्थितियों के अनुकूल हो। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली एवं ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है;
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना;
- लेखांकन के गोइंग कंसर्न के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें एवं प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू चिंता के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की प्रतिवेदन में एकल वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी एक चालू संस्था के रूप में काम करना बंद कर सकती है; तथा
- प्रकटीकरण सहित एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं सामग्री का मूल्यांकन करना, तथा क्या एकल वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन कार्यक्रमों का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

हम अन्य विषयों के अतिरिक्त, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे एवं समय एवं महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के संबंध में, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित, जिसे हम अपने लेखा परीक्षा के दौरान पहचानते हैं, शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम उन पर भी टिप्पणी प्रदान करते हैं जिन पर शासन का आरोप है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, एवं उन सभी रिश्तों एवं अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर असर डालने वाले हो सकते हैं, एवं जहां लागू हो।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संचारित विषयों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे

और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा विषय हैं। हम अपने लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम उचित रूप से अपेक्षित होंगे, जो ऐसे संचार के जनहित लाभ कहीं अधिक हैं।

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक प्रतिवेदन) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित है, हम इस रिपोर्ट के अनुलग्नक "ए" में आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक एक विवरण देते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देशों के अनुपालन में, हम इस रिपोर्ट के अनुबंध "बी" में उसमें निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम प्रतिवेदन करते हैं कि:

   (क) हमने वे सभी जानकारी एवं स्पष्टीकरण मांगे एवं प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे;

   (ख) हमारी राय में, जहां तक उन बहियों की हमारी जांच से पता चलता है, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाते बहियां रखी गई हैं;

   (ग) तुलन पत्र, लाभ एवं हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण एवं इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए नकदी प्रवाह विवरण खाते की किताबों के अनुरूप हैं;

   (घ) हमारी राय में, उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, जैसा कि संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित है;

   (ङ) भारत सरकार के निगम मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ङ) दिनांक 05.06.2015 के आधार पर निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) कंपनी पर लागू नहीं है;

   (च) कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता एवं ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, अनुबंध "सी" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें ;

   (छ) संशोधित अधिनियम की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में:

   प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 का प्रावधान, निगम मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ङ) दिनांक 05.06.2015 के आधार पर कंपनी पर लागू नहीं है; एवं

   (ज) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रतिवेदन करते हैं:

      i. कंपनी के पास लंबित मुकदमे हैं, जिनके संबंध में देयताएं या तो आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रदान की गई हैं या प्रकट की गई हैं - एकल वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी 27 देखें;

      ii. कंपनी ने दीर्घकालिक अनुबंधों के संबंध में, यदि कोई हो, तो संभावित अनुमानित हानि के लिए, लागू कानून या भारतीय लेखा मानकों के तहत आवश्यक प्रावधान किया है, जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी द्वारा कोई व्युत्पन्न अनुबंध नहीं किया गया है;

      iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में हस्तांतरित की जाने वाली आवश्यक राशि को स्थानांतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है;

      iv. (क) प्रबंधन ने दर्शाया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार, कोई भी धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी से) कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या इकाई को, जिसमें विदेशी इकाई ("मध्यस्थ") भी शामिल है, को इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या कंपनी द्वारा या उसकी ओर से ("अंतिम लाभार्थी") किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में निवेश करना या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करना शामिल है;

      (ख) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है, कि, अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी को विदेशी इकाई ("फंडिंग पार्टीज") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) प्राप्त नहीं हुई है, चाहे वह दर्ज की गई हो। लिखित रूप में या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थियों") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थी की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करेगी;

      (ग) लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उचित माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ङ) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किए गए, कोई महत्वपूर्ण गलत बयान शामिल है;;

v. जैसा कि एकल वित्तीय विवरण के अनुच्छेद 19.3 में कहा गया है:

क. पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित एवं भुगतान अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जैसा लागू हो; एवं

ख. वर्ष के दौरान एवं इस प्रतिवेदन की तारीख तक कंपनी द्वारा घोषित एवं भुगतान किया गया तथा अंतरिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है;

vi. लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खाता-बहियों को बनाए रखने के लिए कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 3(1) के प्रावधान के रूप में, जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) रिकॉर्ड करने की सुविधा है, यह सुविधा केवल 1 अप्रैल, 2023 से कंपनी के लिए लागू है, कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11 (छ) के तहत रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लागू नहीं है।

कृते जीएनएस एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन-318171ई

हस्ता./-
(सीए राजेश के. पहाड़ी)
साझेदार
सदस्यता सं.: 058221
यूडीआईएन: 23058221BGXMBD1808U

कृते एके साबत एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-321012ई

हस्ता./-
(सीए बी. आर. महान्ति)
साझेदार
सदस्यता सं.: 057266
यूडीआईएन: 23057266BGSMTW7954

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 24 मई, 2023

अनुलग्नक "क"

नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन में अनुलग्नक

(सम दिनांक के हमारे प्रतिवेदन शीर्षक "अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन" शीर्षक के तहत अनुच्छेद 1 में संदर्भित)

i. (क) (क) कंपनी उपयोग के अधिकार सहित संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की मात्रात्मक विवरण एवं स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रख रही है;

(ख) कंपनी अमूर्त संपत्तियों का पूरा विवरण दर्शाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रख रही है;

(ख) चल संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का हर साल प्रबंधन द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाता है। कार्यक्रम के अनुसरण में, वर्ष के दौरान चल संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का भौतिक सत्यापन किया गया एवं वर्ष के दौरान किए गए ऐसे सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गईं;

अचल संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का प्रबंधन द्वारा तीन वर्षों के चरणबद्ध तरीके से भौतिक सत्यापन किया गया है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार एवं उसके व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित है। वर्ष के दौरान सत्यापित अचल संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के संबंध में बही रिकॉर्ड एवं भौतिक संपत्ति के बीच कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गई हैं;

(ग) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, निम्नलिखित को छोड़कर अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं:

कंपनी के स्वामित्व वाली 8,262.23 एकड़ पूर्ण स्वामित्ववाली भूमि एवं 11,320.92 एकड़ लीजहोल्ड भूमि में से, 120.17 एकड़ पूर्ण स्वामित्ववाली भूमि एवं 1,585.11 एकड़ लीजहोल्ड भूमि के संबंध में स्वामित्व/पट्टा विलेख कंपनी के पक्ष में शीर्षक दस्तावेजों के निष्पादन के लिए लंबित हैं। हालाँकि, कंपनी को संबंधित अधिकारियों द्वारा उक्त भूमि पर अपना परिचालन जारी रखने की अनुमति दी गई है।

विवरण निम्नानुसार है:

	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़)	निम्न के नाम पर धारित	चाहे संवर्द्धक हों, निदेशक हों या उनके रिश्तेदार	अवधि आयोजित	कंपनी के नाम पर न होने का कारण	क्या विवादित है
ओडिशा के कोरापुट जिले में 17.25 एकड़ पूर्ण स्वामित्ववाली भूमि	0.07	ओडिशा सरकार	नहीं	1982-83	पंजीकरण लंबित	नहीं
ओडिशा के अनुगुळ जिले में 46.90 एकड़ पूर्ण स्वामित्ववाली भूमि	0.33	ओडिशा औद्योगिक विकास निगम	नहीं	1987-88	पंजीकरण लंबित	नहीं
ओडिशा के अनुगुळ जिले में 56.02 एकड़ पूर्ण स्वामित्ववाली भूमि	0.13	संबंधित भूमि स्वामी	नहीं	1987-88	जमीन कंपनी के कब्जे में है. भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है।	नहीं
ओडिशा के कोरापुट जिले में 845.94 एकड़ लीजहोल्ड भूमि	0.35	ओडिशा सरकार	नहीं	1982-83	पंजीकरण लंबित	नहीं
ओडिशा के अनुगुळ जिले में 656.05 एकड़ लीज़होल्ड भूमि	1.38	ओडिशा औद्योगिक विकास निगम	नहीं	1987-88	पंजीकरण लंबित	नहीं
ओडिशा के अनुगुळ जिले में 1.69 एकड़ लीज़होल्ड भूमि	-	ओडिशा औद्योगिक विकास निगम	नहीं	2018-19	पंजीकरण लंबित	नहीं
ओडिशा के अनुगुळ जिले में 16.60 एकड़ लीजहोल्ड भूमि	-	ओडिशा का औद्योगिक विकास निगम	नहीं	2020-21	पंजीकरण लंबित	नहीं
ओडिशा के अनुगुळ जिले में 32.03 एकड़ लीजहोल्ड भूमि	-	ओडिशा औद्योगिक विकास निगम	नहीं	2022-23	पंजीकरण लंबित	नहीं
ओडिशा के अनुगुळ जिले में 32.12 एकड़ लीजहोल्ड भूमि	-	भारत सरकार	नहीं	2022-23	पंजीकरण लंबित	नहीं
ओडिशा के ढेंकनाल जिले में 0.66 एकड़ लीजहोल्ड भूमि	0.09	ओडिशा औद्योगिक विकास निगम	नहीं	1987-88	पंजीकरण लंबित	नहीं

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार की संपत्ति सहित) और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है;

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है और इसलिए बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988, संशोधित और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है;

ii. (क) परिवहन में भंडार को छोड़कर, इन्वेंटरी को प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है। हमारी राय में, प्रबंधन द्वारा ऐसे सत्यापन की कवरेज एवं प्रक्रिया उचित है। माल-सूची के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं देखी गई;

(ख) कंपनी को स्टॉक एवं प्राप्य की सुरक्षा के आधार पर बैंकों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत/नवीनीकृत की गई है। कंपनी ने बैंकों के पास स्टॉक एवं प्राप्य के मासिक विवरण दाखिल किए हैं एवं वे कंपनी के खाता-बहियों के अनुरूप हैं;

iii. वर्ष के दौरान, कंपनी ने संयुक्त उद्यम कंपनी को छोड़कर किसी भी कंपनी, फर्म, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टी में निवेश नहीं किया है।

(क) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने इस अवधि के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों को ऋण प्रदान नहीं किया है या ऋण की प्रकृति में अग्रिम प्रदान नहीं किया है या स्थायी गारंटी नहीं दी है या सुरक्षा प्रदान नहीं की है। नतीजतन, आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (iii) (ए), (सी), (घ), (ङ) एवं (च) लागू नहीं होते हैं;

(ख) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमारे द्वारा निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, किया गया निवेश एवं निवेश के नियम एवं शर्तें कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं हैं;

iv. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, निगम मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ङ) दिनांक 05.06.2015 के आधार पर निदेशकों को ऋण के संबंध में अधिनियम की धारा 185 कंपनी पर लागू नहीं है। हमारी राय में एवं हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किए गए ऋणों एवं निवेशों के संबंध में अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है;

v. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों एवं अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधानों एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत जनता से कोई भी जमा स्वीकार नहीं किया है, सिवाय इसके कि नालको कर्मचारी परिवार वित्तीय सहायता एवं पुनर्वास योज ना(नेफर्स) के तहत ली गई जमा राशि के लिए, जिसमें कंपनी विकलांगता/मृत्यु की स्थिति में जमा के रूप में टर्मिनल लाभों को बरकरार रखती है, कंपनी कर्मचारी/नामित/कानूनी उत्तराधिकारी को उनके विकल्प सेवानिवृत्ति की तारीख पर मासिक लाभ का भुगतान करती है (नोट 33.क.3.सी देखें);

vi. हमने विनिर्माण गतिविधियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कंपनी द्वारा बनाए गए पुस्तकों एवं रिकॉर्ड की व्यापक रूप से समीक्षा की है एवं हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया, निर्धारित खाते एवं रिकॉर्ड बनाए रखे गए हैं। हालाँकि, हमने यह निर्धारित करने की दृष्टि से अभिलेखों की विस्तृत जाँच नहीं की है कि वे सटीक एवं पूर्ण हैं या नहीं;

vii. (क) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, हमारी राय में, कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करने में आम तौर पर नियमित है उपयुक्त प्राधिकारियों के पास कर, वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर एवं अन्य सामग्री वैधानिक बकाया 31 मार्च, 2023 को देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई भी निर्विवाद वैधानिक बकाया बकाया नहीं है;

(ख) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, विवादित वैधानिक बकाया जो विवाद के तहत मामलों के लिए जमा नहीं किए गए हैं एवं विभिन्न अधिकारियों के समक्ष लंबित निपटान हैं, नीचे दिए गए हैं:

क्रम सं.	कानून की प्रकृति	विवादित वैधानिक बकाया की प्रकृति	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है	सकल विवादित राशि (`करोड़)	अधिकारियों द्वारा विरोध /समायोजित के तहत जमा की गई राशि (`करोड़)
1	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर/टीडीएस/ब्याज	2019-20	आयकर आयुक्त (अपील)	15.43	12.99
2	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	1999-2000 से 2014-15 तक	ट्रिब्यूनल	404.35	10.37
			2007-08 से 2015-16 तक	अपीलीय प्राधिकरण	5.99	0.21
3	वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर	2007-08 से 2016-17 तक	ट्रिब्यूनल	7.14	2.12
		2007-08 से 2018-19 तक	अपीलीय प्राधिकरण	5.93	0.22	
4	सीमा शुल्क अधिनियम 1962	सीमा शुल्क	2000-01 से 2012-13	ट्रिब्यूनल	102.67	1.90
5	उड़ीसा वैट अधिनियम 2004	वैट	2005-06 से 2009-10 तक	ट्रिब्यूनल	0.64	0.17
			2016-17 से 2017-18	अपीलीय प्राधिकरण	0.05	
6	ओडिशा बिक्री कर अधिनियम 1947	ओ.एस.टी	1995-96 से 2002-03 तक	उड़ीसा उच्च न्यायालय	1.63	0.37
			1992-93 से 2004-05 तक	ट्रिब्यूनल	1.00	0.64
			2003-04	अपीलीय प्राधिकरण	1.08	-
7	ओडिशा प्रवेश कर अधिनियम 1999	ईटी	1999-2000 से 2010-11 तक	उड़ीसा उच्च न्यायालय	8.79	3.56
			1999-2000 से 2013-14 तक	ट्रिब्यूनल	133.43	54.81
			1999-2000 से 2015-16 तक	अपीलीय प्राधिकरण	75.04	8.23
8	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956	सीएसटी	1992-93 से 2008-09 तक	ट्रिब्यूनल	277.52	77.84
9	मोटर वाहन अधिनियम	पथ कर	2008-09 से 2020-21 तक	उड़ीसा उच्च न्यायालय	2.65	-
10	भारतीय स्टाम्प (ओडिशा संशोधन) अधिनियम, 2013	स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण	2018-19	उड़ीसा उच्च न्यायालय	212.48	-
11	वित्त अधिनियम, 2010	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	2015-16, 2016-17, 2018-19	उड़ीसा उच्च न्यायालय	230.50	-
12	इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजल्यूशन, 1996, ओडिशा सरकार	भूमि अधिग्रहण एवं उस पर ब्याज	1982-83, 2021-22	उड़ीसा उच्च न्यायालय	85.55	-
13	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	2011-12 से 2015-16	उड़ीसा उच्च न्यायालय	136.32	-
14	जल संसाधन विभाग, ओडिशा सरकार	जल विवाद	2014-15	उड़ीसा उच्च न्यायालय	119.24	-
	कुल योग				**1,827.46**	**173.44**

viii. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं खातों की पुस्तकों की जांच करने पर, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकट किए गए खातों की पुस्तकों में कोई लेनदेन दर्ज नहीं किया गया था;

ix. (क) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, बैंकों के साथ बिल डिस्काउंटिंग व्यवस्था को छोड़कर, कंपनी के पास किसी भी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार या डिबेंचर धारकों से कोई ऋण या उधार नहीं है। कंपनी ने बिल डिस्काउंटिंग सुविधा के तहत प्राप्त ऋणों के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है;

(ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है;

(ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है एवं इसलिए आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (ix) (ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है;

(घ) कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, कंपनी ने अल्पकालिक आधार पर धन नहीं जुटाया है एवं इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (ix) (घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है;

(ङ) कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, कंपनी ने अपने संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी इकाई या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है, कंपनी की कोई सहायक कंपनी या सहयोगी नहीं है ;

(च) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने संयुक्त उद्यमों में रखी गई प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं लिया है, कंपनी की कोई सहायक कंपनी या सहयोगी नहीं है एवं इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (ix) (च) के तहत रिपोर्टिंग की जा रही है, प्रयोजन्य नहीं है;

x (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश, अतिरिक्त सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) या सावधि ऋण के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 का खंड (x) (क) लागू नहीं है;

(ख) कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण, आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई प्रेफरेंशियल आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 का खंड (x) (ख) लागू नहीं है;

xi. (क) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी देखी या रिपोर्ट नहीं की गई है;

(ख) लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में इस रिपोर्ट का वर्ष एवं तारीख तक केंद्र सरकार के साथ कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है। ;

(ग) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कोई व्हिसिल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है;

xii. हमारी राय में एवं हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (xii) (क), (ख) एवं (ग) लागू नहीं हैं;

xiii. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो एवं विवरण का प्रकटीकरण किया गया है। वित्तीय विवरण (नोट 40 देखें);

xiv. (क) कंपनी के पास उसके व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है

(ख) हमने अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रकृति, समय एवं सीमा का निर्धारण करने में, वर्ष के दौरान एवं इस रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी को जारी लेखा परीक्षा अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार किया है;

xv. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने अधिनियम की धारा 192 में निर्दिष्ट किसी भी निदेशक या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है;

xvi. (क) हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है एवं इसलिए आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (xvi) (क) एवं (ख) के तहत रिपोर्टिंग करना आवश्यक लागू नहीं है ;

(ख) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है (जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित है) एवं समूह के भीतर कोई सीआईसी नहीं है एवं इसलिए खंड के तहत रिपोर्टिंग की जा रही है (आदेश के पैराग्राफ 3 के xvi)(ग) एवं (घ) लागू नहीं हैं;

xvii. कंपनी को वित्तीय वर्ष एवं ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में नकद घाटा नहीं हुआ है;

xviii. वर्ष के दौरान वैधानिक लेखापरीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है;

xix. वित्तीय अनुपात, पुराने एवं वित्तीय संपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ जुड़ी अन्य जानकारी और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान के आधार पर एवं धारणाओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जो हमें विश्वास करने के लिए प्रेरित करता हो कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख पर कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो यह दर्शाती है कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जब भी वे बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होती हैं। हालाँकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे बताते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग इस ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है कि हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय सभी देनदारियां कंपनी द्वारा भुगतान किए जाने पर चुकाई जाएंगी; और

xx. (क) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान चल रही परियोजनाओं के अलावा निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई भी अव्ययित राशि नहीं है, जिसके अनुपालन में अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में हस्तांतरण की आवश्यकता होती है। अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे प्रावधान के साथ। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (xx)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है;

(ख) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान चल रही परियोजनाओं के संबंध में सीएसआर की कोई भी अव्ययित राशि नहीं है, जिसे अधिनियम की धारा 135 (6) के अनुसार एक विशेष खाते में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।

कृते जीएनएस एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन-318171ई

हस्ता./-
(सीए राजेश के. पहाड़ी)
साझेदार
सदस्यता सं.: 058221
यूडीआईएन: 23058221BGXMBD1808U

कृते एके साबत एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-321012ई

हस्ता./-
(सीए बी. आर. महान्ति)
साझेदार
सदस्यता सं.: 057266
यूडीआईएन: 23057266BGSMTW7954

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 24 मई, 2023

अनुलग्नक "ख"

नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का अनुबंध

(सम दिनांक के हमारे प्रतिवेदन शीर्षक "अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन" शीर्षक के तहत अनुच्छेद 2 में संदर्भित)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देशों पर प्रतिवेदन

क्र.सं.	अधिनियम की धारा 143(5) के तहत निर्देश	निर्देशों पर की गई कार्रवाई पर लेखा परीक्षकों का जवाब,	एकल वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताया जा सकता है।	हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की एक प्रणाली है। एसएपी-ईआरपी को वित्तीय लेखांकन (एफआई), नियंत्रण (सीओ), बिक्री एवं वितरण (एसडी), सामग्री प्रबंधन (एमएम), आदि जैसी सभी प्रक्रियाओं के लिए लागू किया गया है। पेरोल को संसाधित करने के लिए सिट्रिक्स प्रणाली लागू की गई है। हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा की गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, कोई भी लेखांकन लेनदेन संसाधित नहीं किया गया है या आईटी प्रणाली के बाहर नहीं किया गया है। इसलिए, खातों की अखंडता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।	शून्य
2	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा किसी मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या ऋण/बकाया/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है ? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब-किताब किया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण एवं किए गए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, किसी भी मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन नहीं हुआ है या कंपनी द्वारा चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋण/बकाया/ब्याज की माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।	शून्य
3	क्या केंद्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त या प्राप्य धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का इसके नियम एवं शर्तों के अनुसार उचित हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामले सूचीबद्ध करें।	हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा की गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी को किसी भी योजना के लिए केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से कोई धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) प्राप्त/प्राप्य नहीं हुई है।	शून्य

कृते जीएनएस एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन-318171ई

हस्ता./-
(सीए राजेश के. पहाड़ी)
साझेदार
सदस्यता सं.: 058221
यूडीआईएन: 23058221BGXMBD1808U

कृते एके साबत एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-321012ई

हस्ता./-
(सीए बी. आर. महान्ति)
साझेदार
सदस्यता सं.: 057266
यूडीआईएन: 23057266BGSMTW7954

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 24 मई, 2023

अनुलग्नक "ग"

नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरण पर सम तारीख की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संलग्नक

(सम तारीख के हमारे प्रतिवेदन शीर्षक "अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन" के तहत अनुच्छेद 2 (च) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रतिवेदन

उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के साथ मिलकर 31 मार्च, 2023 तक नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा की गई है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन टिप्पणी में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, में कंपनी की नीतियों का पालन, उसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी ("मार्गदर्शन नोट") एवं आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अपना लेखा परीक्षा किया एवं कंपनी अधिनियम की धारा 143(10), 2013 के तहत निर्धारित माना जाता है, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा पर लागू होने वाली सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा पर लागू होते हैं एवं, दोनों ही भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों एवं मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें एवं उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं एवं निष्पादित करें कि क्या वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित एवं बनाए रखा गया था क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे लेखा परीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदन एवं उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, भौतिक कमजोरी मौजूद जोखिम का आकलन करना एवं मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन एवं संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय प्रतिवेदन पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता एवं बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां एवं प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्तियों के लेनदेन एवं स्वभाव को सटीक एवं निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, एवं कंपनी की प्राप्तियां एवं व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; एवं (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों को ओवरराइड करने की संभावना भी शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है एवं उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री के कारण अपर्याप्त हो सकता है।

राय

हमारी राय में, कंपनी ने, सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों का उल्लेख किया है।

कृते जीएनएस एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन-318171ई

हस्ता./-
(सीए राजेश के. पहाड़ी)
साझेदार
सदस्यता सं.: 058221
यूडीआईएन: 23058221BGXMBD1808U

कृते एके साबत एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-321012ई

हस्ता./-
(सीए बी. आर. महान्ति)
साझेदार
सदस्यता सं.: 057266
यूडीआईएन: 23057266BGSMTW7954

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 24 मई, 2023

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। ऐसा कहा गया है कि यह उनके द्वारा 24 मई 2023 की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से किया गया है।

।ने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है एवं यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों एवं कंपनी कर्मियों की पूछताछ एवं कुछ लेखांकन रिकॉर्ड की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

मेरे पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है, जो अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पर किसी भी टिप्पणी या पूरक को उत्पन्न करे।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए
एवं उनकी ओर से

हस्ता /-
(अतुल प्रकाश)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (खान)
कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 28.07.2023

31 मार्च, 2023 तक एकल तुलन पत्र

राशि रु. करोड़ में

विवरण			टिप्पणियाँ	31.03.2023 को	31.03.2022 को
संपत्ति					
(1) गैर चालू परिसंपत्तियां					
(क)	सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण		5	6,916.39	7,001.94
(ख)	पूंजी कार्य प्रगति		6	2,744.95	1,763.42
(ग)	अमूर्त संपत्ति		7	386.44	341.27
(घ)	विकासाधीन अमूर्त संपत्ति		8	523.97	471.40
(ङ)	वित्तीय पूंजी				
	(i)	निवेश	9		
		(क) संयुक्त उद्यमों में निवेश	9	325.22	313.22
		(ख) अन्य निवेश	9	0.03	0.03
	(ii)	व्यापार प्राप्य	10	-	-
	(iii)	ऋण	11	82.39	87.38
	(iv)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	12	21.55	9.74
(च)	आयकर संपत्ति (शुद्ध)		13	634.49	320.57
(छ)	अन्य गैर - चालू परिसंपत्तियां		14	806.45	699.23
कुल गैर - चालू परिसंपत्तियां				12,441.88	11,008.20
(2) चालू परिसंपत्तियां			15	1,840.22	1,645.60
(क)	माल-सूची				
(ख)	वित्तीय पूंजी				
	(i)	निवेश	9	145.58	64.01
	(ii)	व्यापार प्राप्य	10	91.33	75.25
	(iii)	नकद एवं नकद समकक्ष	16	63.29	412.80
	(iv)	उपरोक्त (iii) के अलावा अन्य बैंक शेष	16	2,054.21	3,293.27
	(v)	ऋण	11	28.98	28.55
	(vi)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	12	49.58	47.13
(ग)	आयकर परिसंपत्तियां (शुद्ध)		13	28.49	55.38
(घ)	अन्य चालू परिसंपत्तियां		14	994.49	858.07
कुल चालू परिसंपत्तियां				5,296.17	6,480.06
(3) बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			17	0.64	0.57
कुल परिसंपत्तियां				17,738.69	17,488.83
इक्विटी एवं देयताएं					
(1) इक्विटी			18	918.32	918.32
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी				
(ख)	अन्य इक्विटी		19	12,320.13	11,636.32
कुल इक्विटी				13,238.45	12,554.64
देयताएं					
(2) गैर-चालू देयताएं					
(क)	वित्तीय देयताएं				
	(i)	पट्टा देयताएं	20	50.99	50.91
	(ii)	व्यापार देय			
		(क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का बकाया	22	-	-
		(ख) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का बकाया	22	10.98	23.61
	(iii)	अन्य वित्तीय देयताएं	23	180.00	88.57
(ख)	प्रावधान		24	100.83	260.98
(ग)	अन्य गैर-चालू देयताएं		25	314.02	331.76
(घ)	आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)		26	957.77	868.18
कुल गैर-चालू देयताएं				1,614.59	1,624.01
(3) चालू देयताएं					
(क)	वित्तीय देयताएं				
	(i)	उधार	21	47.75	20.67
	(ii)	पट्टा देयताएं	20	5.87	5.52
	(iii)	व्यापार देय			
		(क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का बकाया	22	36.59	31.50
		(ख) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का बकाया	22	1,226.75	1,425.60
	(iv)	अन्य वित्तीय देयताएं	23	620.41	500.35
(ख)	अन्य चालू देयताएं		25	769.32	988.55
(ग)	प्रावधान		24	146.89	126.95
(घ)	आयकर देयताएं		13	32.07	211.04
कुल चालू				2,885.65	3,310.18
कुल देयताएं				4,500.24	4,934.19
कुल इक्विटी एवं देयताएं				17,738.69	17,488.83

वित्तीय विवरण के साथ संलग्न नोट्स (1-43) देखें

(सीएस एन. के. महान्ति)
कंपनी सचिव

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से
(आर. सी. जोशी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08765394

(सीए श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06500954

सम दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।

कृते जीएनएस एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन-318171ई
(सीए राजेश के. पहाड़ी)
साझेदार
एम. सं.: 058221

कृते एके साबत एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-321012ई
(सीए बी. आर. महान्ति)
साझेदार
एम. सं.: 057266

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 24 मई, 2023

वित्तीय विवरण एकल

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का एकल विवरण

राशि करोड़ रु में

		टिप्पणियाँ	वर्ष 31.03.2023 को समाप्त वर्ष	वर्ष 31.03.2022 को समाप्त वर्ष
I	**संचालन से राजस्व**	29	14,254.86	14,214.58
II	**अन्य आय**	30	235.63	264.09
III	**कुल आय (I + II)**		14,490.49	14,478.67
IV	**खर्च**			
	(क) उपभोग किये गये कच्चे माल की लागत	31	3,172.12	1,971.13
	(ख) बिजली एवं ईंधन की खपत की लागत	31	4,693.69	3,388.48
	(ग) तैयार माल की सूची एवं प्रगतिरत कार्य में परिवर्तन	32	(16.66)	(116.83)
	(घ) कर्मचारी लाभ व्यय	33	1,832.06	2,355.80
	(ङ) वित्त लागत	34	12.92	23.13
	(च) मूल्यह्रास, परिशोधन एवं हानि व्यय			
	(i) संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण - मूल्यह्रास	5	584.24	567.72
	(ii) संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण - क्षति	5	100.31	237.62
	(iii) अमूर्त संपत्ति - परिशोधन	7	31.25	31.25
	(छ) अन्य व्यय	35	2,125.57	2,065.50
	कुल व्यय (IV)		12,535.50	10,523.80
V	**असाधारण वस्तुओं एवं कर से पहले लाभ/(हानि) (III - IV)**		1,954.99	3,954.87
VI	**असाधारण वस्तुएँ**		-	-
VII	**कर से पहले लाभ/(हानि) (V - VI)**		1,954.99	3,954.87
VIII	**कर व्यय**			
	(क) चालू कर	36	-	-
	(i) चालू वर्ष		475.47	1,061.63
	(ii) पूर्ववर्ती वर्ष		(181.06)	(9.88)
	(ख) आस्थगित कर	36	116.09	(48.85)
IX	**वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (VII - VIII)**		1,544.49	2,951.97
X	**अन्य व्यापक आय**			
	(i) वे वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा - परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्मापन लाभ/(हानि)।		31.15	47.25
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	36	26.50	(23.30)
	वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (शुद्ध कर) (X)	57.65	23.95	
XI	**वर्ष (IX+X) के लिए कुल व्यापक आय [इस अवधि के लिए लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय शामिल है]**	1,602.14	2,975.92	
XII	**प्रति इक्विटी शेयर आय:**			
	(I) बेसिक (रु.)	38	8.41	16.07
	(ii) डाइल्यूटेड (रु.)	38	8.41	16.07

वित्तीय विवरण के साथ संलग्न नोट्स (1-43) देखें

(सीएस एन. के. महान्ति)
कंपनी सचिव

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से
(आर. सी. जोशी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08765394

(सीए श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06500954

सम दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।

कृते जीएनएस एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन-318171ई
(सीए राजेश के. पहाड़ी)
साझेदार
एम. सं.: 058221

कृते एके साबत एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-321012ई
(सीए बी. आर. महान्ति)
साझेदार
एम. सं.: 057266

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 24 मई, 2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में बदलाव का एकल विवरण

राशि करोड़ रु में

क.	**इक्विटी शेयर पूंजी**				
	31.03.2021 तक शेष राशि				918.32
	वर्ष के दौरान परिवर्तन				-
	31.03.2022 को शेष राशि				918.32
	वर्ष के दौरान परिवर्तन				-
	31.03.2023 को शेष राशि				918.32
ख.	**अन्य इक्विटी**				राशि ₹ करोड़ में
		आरक्षित एवं अधिशेष			
	अन्य इक्विटी	**पूंजी प्रतिदान आरक्षित**	**सामान्य आरक्षित**	**प्रतिधारित कमाई**	**कुल**
	31.03.2021 तक शेष राशि	370.30	7,942.86	1,449.22	9,762.38
	इस वर्ष का मुनाफा	-	-	2,951.97	2,951.97
	अन्य व्यापक आय (शुद्ध कर)	-	-	23.95	23.95
	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	2,975.92	2,975.92
	विगत वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	-	-	(183.66)	(183.66)
	वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश			(918.32)	(918.32)
	31.03.2022 को शेष राशि	370.30	7,942.86	3,323.16	11,636.32
	इस वर्ष का मुनाफा	-	-	1,544.49	1,544.49
	अन्य व्यापक आय (शुद्ध कर)	-	-	57.65	57.65
	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	1,602.14	1,602.14
	विगत वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	-	-	(275.49)	(275.49)
	वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	-	-	(642.83)	(642.83)
	31.03.2023 को शेष राशि	370.30	7,942.86	4,006.98	12,320.13

(सीएस एन. के. महान्ति)
कंपनी सचिव

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से
(आर. सी. जोशी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08765394

(सीए श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06500954

सम दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।

कृते जीएनएस एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन-318171ई
(सीए राजेश के. पहाड़ी)
साझेदार
एम. सं.: 058221

कृते एके साबत एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-321012ई
(सीए बी. आर. महान्ति)
साझेदार
एम. सं.: 057266

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 24 मई, 2023

वित्तीय विवरण एकल

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एकल नकद प्रवाह

राशि करोड़ रु में

		31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
क.	**संचालनीय गतिविधियों से प्राप्त रोकड़**		
	इस साल का मुनाफा	1,544.49	2,951.97
	निम्न समायोजन:		
	आयकर व्यय की लाभ या हानि में पहचान	410.50	1,002.90
	वित्त लागत की लाभ या हानि में पहचान	12.92	23.13
	ब्याज आय की लाभ या हानि में पहचान	(187.18)	(210.36)
	लाभांश आय की लाभ या हानि में पहचान	(17.23)	(13.91)
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान पर शुद्ध (लाभ)/हानि	2.56	0.44
	वित्तीय परिसंपत्तियों पर उत्पन्न होने वाला शुद्ध (लाभ)/नुकसान अनिवार्य रूप से लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है	(0.57)	0.36
	क्षति की लाभ या हानि में पहचान	36.45	46.03
	भंडार की माल-सूची, अतिरिक्त पुर्जे बट्टे खाते में डाल दिए गए	3.26	1.68
	गैर-चालू परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास, परिशोधन एवं हानि	715.80	836.59
	अप्राप्त विदेशी मुद्रा (लाभ)/हानि (शुद्ध)	16.45	7.77
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	2,537.45	4,646.60
	कार्यशील पूंजी में गतिविधि:		
	माल सूची में (वृद्धि)/ कमी	(205.04)	(170.96)
	व्यापार प्राप्य में में (वृद्धि)/ कमी	11.00	46.70
	ऋण एवं अन्य वित्तीय परिसंपत्ति में में (वृद्धि)/ कमी	109.31	91.91
	अन्य परिसंपत्तियों में में (वृद्धि)/ कमी	(218.82)	(372.45)
	व्यापार देय में वृद्धि / (कमी)	(222.84)	495.70
	अन्य वित्तीय देयताएं में वृद्धि/(कमी)	(29.57)	44.47
	अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	(222.95)	383.61
	प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	(103.61)	(360.46)
	नकद (प्रयुक्त) / संचालन से उत्पन्न	1,654.94	4,805.12
	आयकर चुकाया	(746.69)	(755.51)
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	908.24	4,049.61
ख.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	वित्तीय परिसंपत्तियाँ प्राप्त करने के लिए भुगतान	(81.00)	(52.00)
	वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय	0.59	236.39
	संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों में इक्विटी हासिल करने के लिए भुगतान	(12.00)	-
	बैंकों में (निवेश)/सावधि जमा का प्रतिदान	1,211.32	(1,754.37)
	अन्य निवेशों से प्राप्त लाभांश	17.23	13.91
	बैंकों एवं अन्य से प्राप्त ब्याज	54.45	96.14
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए भुगतान (पूंजीगत अग्रिम सहित)	(1,305.39)	(1,178.22)
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान से प्राप्त आय	9.15	8.47
	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए भुगतान	(228.60)	(106.24)
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	(334.25)	(2,735.92)
ग.	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	पट्टा देयताओं का भुगतान	(3.65)	(4.23)
	वित्त लागत का भुगतान	(1.53)	(8.20)
	इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान	(918.32)	(1,101.98)
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	(923.50)	(1,114.41)
नकद या नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि या (कमी)		(349.51)	199.28
वर्ष की शुरुआत में नकद एवं नकद समकक्ष		412.80	213.52
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समकक्ष [टिप्पणी 16क देखें]		63.29	412.80

नोट:
1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े नकदी बहिर्प्रवाह/आवक, जैसा भी मामला हो, हैं।
2. नकदी प्रवाह का विवरण भारतीय लेखा मानक-7: नकदी प्रवाह का विवरण के अनुसार अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके तैयार किया जाता है।
3. प्रस्तुति में एकरूपता के लिए जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से समूहित किया गया है।

(सीएस एन. के. महान्ति)
कंपनी सचिव

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से
(आर. सी. जोशी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08765394

(सीए श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06500954

सम दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।

कृते जीएनएस एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन-318171ई
(सीए राजेश के. पहाड़ी)
साझेदार
एम. सं.: 058221

कृते एके साबत एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-321012ई
(सीए बी. आर. महान्ति)
साझेदार
एम. सं.: 057266

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 24 मई, 2023

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 1: कंपनी अवलोकन

नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") 7 जनवरी 1981 को भारत में अधिवासित और निगमित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है। कंपनी भारत सरकार के खान मंत्रालय के तहत एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है, जो शेयरों द्वारा सीमित है। भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध और उनमें ट्रेड किया जाता है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय नालको भवन, प्लॉट नंबर पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर - 751013, ओडिशा में है।

कंपनी एल्यूमिना एवं एल्यूमिनियम के विनिर्माण एवं बिक्री के व्यवसाय में लगी हुई है। कंपनी ओडिशा के कोरापुट जिले के दामनजोड़ी में स्थित 22.75 लाख मेट्रिक टन प्रति वर्ष एल्यूमिना परिशोधक संयंत्र तथा ओडिशा के अनुगुळ स्थित 4.60 लाख मेट्रिक टन प्रति वर्ष एल्यूमिनियम प्रद्रावक का संचालन कर रही है। कंपनी के पास एल्यूमिना परिशोधक की बॉक्साइट आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिशोधक संयंत्र के नजदीक एक कैप्टिव बॉक्साइट खदानें हैं और प्रद्रावक की बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रद्रावक संयंत्र के नजदीक 1200 मेगावाट का कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट भी है। बिजली संयंत्र की कोयले की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी के पास अनुगुळ में कैप्टिव कोयला खदानें हैं। इसके अलावा, कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने और इसके नवीकरणीय क्रय दायित्व का अनुपालन करने के लिए आंध्र प्रदेश (गांडीकोटा), राजस्थान (लुधेरवा और देवीकोट) और महाराष्ट्र (सांगली) राज्य में स्थित 198.40 मेगावाट की कुल क्षमता वाले चार पवन ऊर्जा संयंत्रों का भी संचालन कर रही है।

टिप्पणी सं. 2: तैयारी एवं माप का आधार

2.1 अनुपालन विवरण:

कंपनी के ये वित्तीय विवरण लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का पालन करते हुए और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 एवं यथासंशोधित, और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रासंगिक प्रावधान के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार वर्तमान चिन्ता के आधार पर तैयार किए गए हैं।

इन वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 24 मई 2023 को आयोजित बैठक में जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

2.2 माप का आधार:

वित्तीय विवरण निम्नलिखित वित्तीय उपकरणों को छोड़कर ऐतिहासिक लागत सम्मेलन पर तैयार किए गए हैं जिन्हें प्रासंगिक इंड एएस की आवश्यकताओं के अनुसार प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है :

क) कुछ वित्तीय संपत्तियां एवं देयताएं जिन्हें लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य या अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है;

ख) बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति, वहन राशि के निचले स्तर पर एवं बेचने की लागत घटाकर उचित मूल्य पर;

ग) परिभाषित लाभ योजनाएं एवं योजना परिसंपत्तियां।

2.3 प्रकार्यात्मक मुद्रा एवं प्रस्तुति मुद्रा:

ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (रु.) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की प्रकार्यात्मक मुद्रा है एवं (रु.) में प्रस्तुत सभी मूल्य निकटतम करोड़ (दो दशमलव तक) तक पूर्णांकित किए जाते हैं, अन्यथा इंगित किए जाने को छोड़कर।

2.4 चालू एवं गैर-चालू वर्गीकरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में निर्धारित कंपनी के परिचालन चक्र एवं अन्य मानदंडों के अनुसार सभी परिसंपत्तियों एवं देयताओं को वर्तमान या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

किसी परिसंपत्ति को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब:

- इसके साकार होने की उम्मीद है, या इसे सामान्य परिचालन चक्र में बेचने या उपभोग करने का इरादा है;
- यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है;
- प्रतिवेदन अवधि के बाद 12 महीनों के भीतर इसके साकार होने की उम्मीद है; या
- यह नकद या नकद समतुल्य है, जब तक कि प्रतिवेदन अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए किसी दायित्व का निपटान करने के लिए इसका आदान-प्रदान या उपयोग करने पर प्रतिबंध न हो।
- अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

किसी दायित्व को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब:

- यह सामान्य परिचालन चक्र के भीतर तय होने की उम्मीद है;
- यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है;

- इसका निपटारा रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीने के भीतर किया जाना है; या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीने के लिए दायित्व के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

अन्य सभी देयताओं को गैर-चालू देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर, कंपनी ने परिसंपत्तियों एवं देयताओं के वर्तमान या गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से 12 महीने का परिचालन चक्र सुनिश्चित किया है।

2.5 अनुमानों का उपयोग :

इंड. एएस की मान्यता एवं माप सिद्धांतों के अनुरूप, जहां भी आवश्यक हो, अनुमानों एवं मान्यताओं का उपयोग करके तैयार किए गए हैं।

अनुमानों एवं अंतर्निहित धारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है एवं ऐसे अनुमानों में संशोधन, यदि कोई हो, को संशोधन के वर्ष में शामिल किया जाता है।

अनुमान अनिश्चितता के मुख्य स्रोत, जो परिसंपत्तियों एवं देयताओं की वहन मात्रा में महत्वपूर्ण समायोजन का कारण बन सकते हैं, टिप्पणी सं. 4 में बताए गए हैं।

टिप्पणी सं. 3: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां:

वित्तीय विवरण तैयार करने में लागू महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां नीचे दी गई हैं।

ये नीतियां वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों पर लगातार लागू की गई हैं।

3.1 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण:

3.1.1 प्रारंभिक पहचान एवं माप:

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) मूर्त वस्तुएं हैं जो वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति में उपयोग के लिए, या दूसरों को किराये पर देने के लिए या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए रखी जाती हैं, तथा एक से अधिक अवधि के दौरान उपयोग किए जाने की उम्मीद होती है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की एक वस्तु को परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृति दी जाती है, एवं केवल तभी जब यह संभव हो कि उस वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे एवं वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है ।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुएं जो परिसंपत्ति के रूप में पहचान के योग्य हैं, को शुरू में लागत पर स्वीकृति दी जाती है। प्रारंभिक लागत में खरीद मूल्य, आयात शुल्क और गैर-वापसी योग्य खरीद कर, अन्य व्यय शामिल हैं, जो सीधे तौर पर परिसंपत्तियों को उसके स्थान पर लाने और प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थिति, उधार लेने की लागत, यदि कोई हो, और किसी भी परिसंपत्ति बहाली दायित्व के वर्तमान मूल्य के प्रारंभिक अनुमान या अनिवार्य डिकमीशनिंग और निराकरण लागत के लिए जिम्मेदार हैं।

फ्रीहोल्ड भूमि के विकास पर किए गए व्यय को भूमि की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

स्व-निर्मित परिसंपत्तियों के मामले में, लागत में निर्माण में उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों की लागत, प्रत्यक्ष श्रम, ओवरहेड्स का आवंटन एवं सीधे जिम्मेदार उधार लेने की लागत, यदि कोई हो, शामिल है।

संपत्ति संयंत्र एवं उपयोग में लाए गए उपकरणों के मामले में, जहां बिलों का अंतिम निपटान अभी तक पूरा नहीं हुआ है, एवं निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन अनंतिम आधार पर पूंजीकरण किया जाता है।

जिन स्पेयर पार्ट्स का इकाई मूल्य रु. 5 लाख से अधिक है, जो उत्पादन और/या वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति में उपयोग के लिए रखे गए हैं तथा एक से अधिक अवधि के दौरान उपयोग किए जाने की उम्मीद है, उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में स्वीकृति दी जाती है। गंभीर प्रकृति और उपयोग में अनियमित स्पेयर, जिसे किसी विशेष उपकरण के रूप में पहचाना जा सकता है और जिसका इकाई मूल्य रु.1 लाख से अधिक है, को भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

इसके बाद का माप संचित मूल्यह्रास/परिशोधन एवं संचित क्षति हानि को घटाकर लागत पर किया जाता है।

3.1.2 आगामी व्यय :

बाद के व्यय को परिसंपत्ति की वहन राशि में स्वीकृति दी जाती है जब यह संभव है कि लागत से प्राप्त भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे एवं वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

परिसंपत्तियों के हिस्सों को बदलने की लागत एवं ओवरहाल लागत सहित प्रमुख निरीक्षण/रखरखाव या मरम्मत पर व्यय, जहां यह संभव है कि व्यय से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को एक वर्ष से अधिक की अवधि में उपलब्ध होंगे, पूंजीकृत हैं एवं बदले गए पहचाने जाने योग्य भागों की वहन राशि की पहचान रद्द कर दी गई है।

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

3.1.3 पूंजीगत कार्य प्रगति पर :

निर्माण के दौरान परिसंपत्तियों को प्रगति पर चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है एवं किसी भी मान्यता प्राप्त क्षति हानि को घटाकर लागत पर ले जाया जाता है। ऐसा पूंजीगत कार्य प्रगति पर होने पर, पूरा होने पर, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की उचित श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

निवेश निर्णयों तक किए गए नई संभावित परियोजनाओं के मूल्यांकन पर होने वाले खर्च को राजस्व में शामिल किया जाता है। निवेश निर्णयों के बाद परियोजनाओं के लिए किए गए व्यय को प्रगति पर चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है एवं बाद में पूंजीकृत किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के अधिग्रहण/निर्माण से संबंधित कोई भी लागत, जब तक कि इसे उस स्थान एवं स्थिति में नहीं लाया जाता है, जो प्रबंधन के इरादे के अनुसार संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक पूंजी कार्य-प्रगति का हिस्सा है।

3.1.4 मूल्यह्रास एवं परिशोधन :

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास उनके उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर प्रदान किया जाता है, या तो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत निर्धारित किया जाता है या, जहां भी आवश्यक समझा जाता है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार निर्धारित उपयोगी जीवन से अधिक नहीं होने के प्रबंधन द्वारा किए गए तकनीकी अनुमानों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी वस्तु के घटक की लागत, जो उस वस्तु की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है, का मूल्यह्रास अलग से किया जाता है यदि इसका उपयोगी जीवन संपत्ति से भिन्न होता है। कंपनी ने 'पॉट रिलाइनिंग' को छोड़कर एक अलग घटक की पहचान के लिए महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में रु. 1 करोड़ का बेंचमार्क चुना है, जिसे इसकी अंतर्निहित प्रकृति एवं उपयोगी जीवन के कारण प्रत्येक 'इलेक्ट्रोलाइटिक पॉट' का एक घटक माना जाता है ।

संयंत्र एवं मशीनरी, वाहन, मोबाइल उपकरण एवं अर्थ मूविंग उपकरण, रेलवे सुविधाएं, रोलिंग स्टॉक एवं आवासीय क्वार्टरों का अवशिष्ट मूल्य मूल लागत के 5% पर बनाए रखा जाता है एवं अन्य सभी परिसंपत्तियों के लिए, अवशिष्ट मूल्य शून्य माना जाता है।

प्रत्येक वर्ष के अंत में अनुमानित उपयोगी जीवन एवं अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा की जाती है एवं अनुमानों में किसी भी बदलाव के प्रभाव का संभावित आधार पर हिसाब लगाया जाता है।

जैसा कि नीचे बताया गया है, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास किया जाता है:

क्रम सं.	संपत्ति श्रेणी का विवरण (संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण)	वर्षों में उपयोगी जीवन की सीमा
1	भवन	03 - 60
2	संयंत्र एवं मशीनरी	15 – 40
3	रेलवे साइडिंग	15
4	वाहनों	08 - 10
5	फर्नीचर व फिक्सचर	08 - 10
6	कंप्यूटर सहायक उपकरण	03 - 06

निम्नलिखित परिसंपत्तियों के लिए उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग ग के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न हैं: इन परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास के प्रयोजन के लिए, उपयोगी जीवन :

(क) बॉक्साइट खदानों एवं कोयला खदानों में अचल संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण व्यक्तिगत संपत्ति का जीवन या खदान की शेष पट्टा अवधि, जो भी कम हो, है।

(ख) कैप्टिव ताप विद्युत उत्पादन संयंत्र अर्थात् ग्रहीत विद्युत संयंत्र (सीपीपी) को 30 वर्ष माना जाता है।

(ग) स्टीम पावर प्लांट (एसपीपी) 25 वर्ष माना जाता है।

(घ) एल्यूमिना परिशोधक एवं ऐश पॉन्ड्स में लाल मिट्टी के तालाब एवं राख तालाब समय-समय पर किए गए तकनीकी अनुमानों के आधार पर उनके अनुमानित शेष उपयोगी जीवन (धारण क्षमता) पर आधारित होते हैं।

(ङ) सीपीपी में लीन स्लरी राख निपटान प्रणाली को उस अनुमानित अवधि के आधार पर माना जाता है जिसके दौरान राख को निर्दिष्ट खदान में निपटान किया जा सकता है।

(च) बॉक्साइट खदानों की परिसंपत्तियों को छोड़कर पट्टे पर दी गई भूमि पर रखी गई परिसंपत्तियों को शेष पट्टा अवधि या परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन से कम माना जाता है।

(छ) प्रमुख पुर्जे उक्त पुर्जों के तकनीकी अनुमान पर आधारित हैं।

(ज) पूंजीकृत प्रमुख निरीक्षण लागतों का अगले निर्धारित निरीक्षण तक की अवधि में ह्रास किया जाता है।

मूल्यह्रास तब शुरू होता है जब पीपीई प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थान एवं स्थिति में उपयोग के लिए उपलब्ध होता है।

कंपनी के स्वामित्व वाली भूमि पर रखी गई परिसंपत्तियों का उस तारीख से उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास किया जाता है, जिस दिन परिसंपत्ति प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होती है, जब तक कि लंबे / छोटे जीवन को उचित नहीं ठहराया जा सके।

रु. 10,000 /- या उससे कम लागत वाली व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का उस वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है, जिसमें वे प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थान एवं स्थिति में उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं।

3.1.5 परिसंपत्तियों की गैर-पहचान :

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की एक वस्तु को निपटान पर या जब परिसंपत्ति के उपयोग या उसके निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ उत्पन्न होने की उम्मीद नहीं है, तो उसकी पहचान रद्द कर दी जाती है। निपटान/मान्यता रद्द करने पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ एवं हानि के विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

3.1.6 स्ट्रिपिंग लागत :

सतही खनन की स्ट्रिपिंग लागत को एक परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृति दी जाती है जब वे अयस्क तक महत्वपूर्ण रूप से बेहतर पहुंच का प्रतिनिधित्व करते हैं, बशर्ते कि निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी हों:

(क) यह संभव है कि स्ट्रिपिंग गतिविधि से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ का एहसास होगा;

(ख) अयस्क निकाय के उस घटक की पहचान की जा सकती है जिसके लिए पहुंच में सुधार किया गया है; एवं

(ग) बेहतर पहुंच से जुड़ी स्ट्रिपिंग गतिविधि से संबंधित लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

उत्पादन चरण के दौरान होने वाली स्ट्रिपिंग लागत को मौजूदा "स्ट्रिपिंग लागत परिसंपत्ति" में तब तक जोड़ा जाता है, जब तक मौजूदा अवधि का स्ट्रिपिंग अनुपात नियोजित स्ट्रिपिंग अनुपात से अधिक न हो जाए।

"स्ट्रिपिंग कॉस्ट एसेट" को बाद में अयस्क निकाय के पहचाने गए घटक के जीवन पर उत्पादन के आधार पर मूल्यह्रास किया जाता है जो स्ट्रिपिंग गतिविधि के परिणामस्वरूप अधिक सुलभ हो जाता है एवं फिर लागत को कम संचित मूल्यह्रास एवं क्षति हानि के रूप में बताया जाता है।

संपूर्ण पट्टा अवधि के दौरान बॉक्साइट खदानों का स्ट्रिपिंग अनुपात लगभग एक समान है। इसलिए, वर्ष के दौरान की गई स्ट्रिपिंग लागत को खर्चों में शामिल किया जाता है एवं कंपनी द्वारा स्ट्रिपिंग एसेट को मान्यता नहीं दी जाती है।

कोयला खदानों के मामले में स्ट्रिपिंग अनुपात एक समान नहीं है। हालाँकि, कंपनी ने कोयला खदानों के विकास एवं संचालन के लिए माइन डेवलपर एवं ऑपरेटर (एमडीओ) को नियुक्त किया है जो समेकित मूल्य पर कोयला वितरित करता है जिसमें स्ट्रिपिंग गतिविधियों की लागत भी शामिल होती है। इसलिए, कंपनी कोयला खदानों के मामले में स्ट्रिपिंग एसेट्स को मान्यता नहीं देती है।

3.2 अमूर्त संपत्ति :

एक अमूर्त परिसंपत्ति को स्वीकृति दी जाती है यदि:

क) यह संभव है कि परिसंपत्ति के कारण होने वाले अपेक्षित भविष्य के आर्थिक लाभ इकाई को प्रवाहित होंगे; एवं

ख) परिसंपत्ति की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

3.2.1 पृथक रूप सेअर्जित अमूर्त संपत्ति :

अर्जित अमूर्त परिसंपत्तियों को संचित परिशोधन एवं क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर प्रतिवेदित किया जाता है। सीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर किया जाता है। प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानित उपयोगी जीवन एवं परिशोधन पद्धति की समीक्षा की जाती है, एवं अनुमान में किसी भी बदलाव के प्रभाव का संभावित आधार पर हिसाब लगाया जाता है।

3.2.2 आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्ति - अनुसंधान एवं विकास व्यय:

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में माने जाने वाले पूंजीगत व्यय को छोड़कर, अनुसंधान गतिविधियों पर व्यय को उस अवधि में व्यय के रूप में स्वीकृति दी जाती है जिसमें यह व्यय किया जाता है।

विकास से उत्पन्न होने वाली आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्ति को तभी स्वीकृति दी जाती है जब " इंड एएस 38 - अमूर्त संपत्ति" में निर्धारित सभी शर्तें पूरी होती हैं।

3.2.3 खनन अधिकार :

खनन अधिकार खनन कार्य के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा कंपनी को दिया गया प्राधिकरण है। खनन अधिकारों की लागत में नियामक अधिकारियों द्वारा निर्धारित अग्रिम धनराशि, प्रतिपूरक वनरोपण (सीए), वन्य जीवन प्रबंधन (डब्ल्यूएलएफ), शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) एवं संबंधित भुगतान के लिए भुगतान की गई राशि शामिल है।

खनन अधिकारों की लागत खनन संपत्ति के कुल अनुमानित शेष वाणिज्यिक पुनर्प्राप्ति योग्य भंडार पर परिशोधित की जाती है एवं यह हानि के अधीन है।

3.2.4 खान विकास व्यय :

वाणिज्यिक उत्पादन से पहले खानों के विकास के लिए किए गए व्यय यानी, भूमि, भवन, संयंत्र एवं उपकरण के अलावा प्राथमिक विकास व्यय को तब तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि खनन संपत्ति वाणिज्यिक उत्पादन में सक्षम न हो जाए।

3.2.5 उपयोगकर्ता अधिकार :

क्लस्टर परियोजना में किए गए व्यय की राशि, सह-लाभार्थियों के विशेष उपयोग के साथ भविष्य के आर्थिक लाभ, लेकिन परिसंपत्तियों पर भौतिक नियंत्रण के बिना, उपयोगकर्ता अधिकारों के रूप में पूंजीकृत की जाती है।

3.2.6 सॉफ्टवेयर :

मूल उपकरण के साथ एम्बेडेड न किए गए, अलग से प्राप्त किए गए सॉफ़्टवेयर को सॉफ़्टवेयर के रूप में बड़े अक्षरों में लिखा जाता है।

3.2.7 लाइसेंस एवं फ्रेंचाइजी :

प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय की राशि को "लाइसेंस एवं फ्रेंचाइजी" शीर्षक के तहत पूंजीकृत किया जाता है।

3.2.8 अमूर्त परिसंपत्तियों की स्वीकृति रद्द करना :

एक अमूर्त संपत्ति को निपटान पर या जब संपत्ति के उपयोग या उसके निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ उत्पन्न होने की उम्मीद नहीं होती है, तो उसकी स्वीकृति रद्द कर दी जाती है। निपटान/मान्यता रद्द करने पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ एवं हानि के विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

3.2.9 परिशोधन :

अमूर्त परिसंपत्तियों के परिशोधन का आधार इस प्रकार है:

(क) प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए तकनीकी जानकारी की प्रकृति में लाइसेंस, जो संबंधित प्रसंस्करण संयंत्रों के उपयोगी जीवन के लिए उपलब्ध हैं, का परिशोधन दस वर्षों की अवधि में किया जाता है।

(ख) अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत सॉफ्टवेयर का उपयोगी जीवन 3 वर्ष है एवं उस अवधि में उनका परिशोधन किया जाता है।

(ग) भंडार की उपलब्धता की अवधि में खनन अधिकार एवं खान विकास व्यय का परिशोधन किया जाता है।

(घ) क्लस्टर परियोजनाओं के लिए उपयोगकर्ता अधिकार का परिशोधन कमीशनिंग की तारीख से परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर किया जाता है।

3.3 गैर वित्तीय हानि संपत्ति :

मूर्त एवं अमूर्त परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में यह निर्धारित करने के लिए की जाती है कि क्या कोई संकेत है कि परिसंपत्तियों को हानि हुई है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि (यानी बेचने की लागत एवं उपयोग में मूल्य को घटाकर उचित मूल्य का अधिक) का अनुमान क्षति हानि की सीमा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जब किसी व्यक्तिगत संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं होता है, तो कैश जनरेटिंग यूनिट (सीजीयू) जिससे संपत्ति संबंधित है, की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। यदि सीजीयू की अनुमानित वसूली योग्य राशि उसकी वहन राशि से कम है, तो सीजीयू की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से कम हो जाती है एवं वहन राशि एवं वसूली योग्य राशि के बीच के अंतर को लाभ या हानि के विवरण में क्षति हानि के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

वसूली योग्य राशि बेचने की लागत एवं उपयोग में आने वाले मूल्य को घटाकर उचित मूल्य से अधिक है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को कर-पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो पैसे के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलन एवं परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है जिसके लिए भविष्य के नकदी प्रवाह का अनुमान लगाया जाता है, को समायोजित नहीं किया गया है।

पहले से मान्यता प्राप्त हानि को केवल तभी उलटा किया जाता है, जब अंतिम क्षति हानि की स्वीकृति के बाद से परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली धारणाओं में कोई बदलाव हुआ हो।

3.4 बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियां :

गैर-चालू परिसंपत्तियों एवं निपटान समूहों को बिक्री के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि उनकी वहन राशि मुख्य रूप से निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री लेनदेन के माध्यम से पुनर्प्राप्त की जाती है एवं इसकी बिक्री अत्यधिक संभावित है।

कंपनी तब बिक्री को अत्यधिक संभावित मानती है जब वह ऐसी परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए सामान्य एवं प्रथागत शर्तों के अधीन अपनी वर्तमान स्थिति में बिक्री के लिए रखे गए वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर बिक्री निष्पादित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बिक्री एवं निपटान समूहों के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियों को उनकी वहन राशि एवं उचित मूल्य से निपटान की लागत के निचले स्तर पर मापा जाता है।

बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू संपत्तियां एवं निपटान समूह मूल्यह्रास या परिशोधन के अधीन नहीं हैं।

3.5 सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश :

सहयोगी (एसोसिएट्स) वह इकाई है जिस पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशिती के वित्तीय एवं परिचालन नीति निर्णयों में भाग लेने की शक्ति है, लेकिन उन नीतियों पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है।

संयुक्त उद्यम एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत जिन पार्टियों के पास व्यवस्था का संयुक्त नियंत्रण होता है और उनके पास संयुक्त व्यवस्था की शुद्ध संपत्ति का अधिकार होता है। संयुक्त नियंत्रण एक व्यवस्था के नियंत्रण को साझा करने के लिए संविदात्मक रूप से सहमत है, जो तभी मौजूद होता है जब प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णय के लिए नियंत्रण साझा करने वाले पक्षों की सर्वसम्मत सहमति की आवश्यकता होती है।

सहयोगी एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश को ऐतिहासिक लागत पर मापा जाता है। लागत पर किए गए निवेश को इंडस्ट्रीज़ एएस 36 परिसंपत्तियों की हानि के अनुसार हानि के लिए परीक्षण किया जाता है । निवेश की वहन राशि को उसकी पुनर्प्राप्ति योग्य राशि की उसकी वहन राशि के साथ तुलना करके एकल परिसंपत्ति के रूप में हानि के लिए परीक्षण किया जाता है, पहचानी गई कोई भी क्षति हानि निवेश की वहन राशि को कम कर देती है।

यदि प्रबंधन का इरादा निकट भविष्य में निवेश का निपटान करने का है, तो इसे बिक्री के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है एवं इसकी वहन राशि एवं उचित मूल्य को बेचने की लागत से कम पर मापा जाता है।

3.6 विदेशी मुद्रा लेनदेन एवं अनुवाद :

कंपनी की प्रकार्यात्मक मुद्रा उस प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा से निर्धारित होती है जिसमें वह काम करती है। तदनुसार, भारतीय रुपया (रु.) को कंपनी की प्रकार्यात्मक मुद्रा माना जाता है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को लेनदेन की तारीखों पर प्रचलित विनिमय दरों पर स्वीकृति दी जाती है। प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में, विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक वस्तुओं का अनुवाद उस तिथि पर प्रचलित दरों पर किया जाता है। मौद्रिक वस्तुओं पर विनिमय अंतर को उस अवधि में लाभ एवं हानि के विवरण में पहचाना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

विदेशी मुद्रा में अंकित एवं ऐतिहासिक लागत पर मापी गई गैर-मौद्रिक संपत्ति एवं गैर-मौद्रिक देयताएं लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर अनुवादित की जाती हैं।

3.7 प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ :

3.7.1 प्रावधान :

प्रावधानों को तब स्वीकृति दी जाती है जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है और यह संभावित है ("नहीं की तुलना में अधिक संभावना") कि दायित्व का निपटान करना आवश्यक है, और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

प्रावधान के रूप में स्वीकृत राशि, दायित्व के आसपास के जोखिमों एवं अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, तुलन पत्र की तारीख पर वर्तमान दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक विचार का सबसे अच्छा अनुमान है।

जहां किसी प्रावधान को वर्तमान दायित्व को निपटाने के लिए अनुमानित नकदी बहिर्प्रवाह का उपयोग करके मापा जाता है, इसकी वहन राशि उन नकदी बहिर्प्रवाहों का चालू मूल्य है।

यदि पैसे के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है, तो उचित पूर्व-कर छूट दर का उपयोग करके अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह को शुद्ध चालू मूल्य में छूट देकर

प्रावधानों का निर्धारण किया जाता है, जो पैसे के समय मूल्य के चालू बाजार आकलन एवं देयता विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है। छूट को समाप्त करने को लाभ एवं हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में स्वीकृति दी जाती है। प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर प्रावधानों की समीक्षा की जाती है एवं वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

कठिन अनुबंधों के तहत उत्पन्न होने वाले वर्तमान दायित्वों को प्रावधानों के रूप में पहचाना एवं मापा जाता है। एक कठिन अनुबंध तब अस्तित्व में माना जाता है जब एक अनुबंध जिसके तहत दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत उससे प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ से अधिक हो जाती है।

3.7.2 पुनर्स्थापन, पुनर्वास एवं डीकमीशनिंग :

जब किसी खदान एवं अन्य विनिर्माण सुविधाओं के विकास या चल रहे उत्पादन के कारण पर्यावरणीय गड़बड़ी होती है, तो पुनर्स्थापन, पुनर्वास एवं पर्यावरणीय लागत वहन करने का दायित्व उत्पन्न होता है। कंपनी ने 'माइन डेवलपर एवं ऑपरेटर' के माध्यम से संचालित खदानों को छोड़कर, वैधानिक आदेश के अनुसार पुनर्स्थापना, पुनर्वास एवं डिकमीशनिंग दायित्व को स्वीकृति दी है।

ऐसी लागतों का शुद्ध वर्तमान मूल्य प्रदान किया जाता है एवं कोयला खदानों के मामले को छोड़कर, जो 'माइन डेवलपर एवं ऑपरेटर' के माध्यम से संचालित होती हैं, प्रत्येक परियोजना के प्रारंभ में एक समान राशि का पूंजीकरण किया जाता है। इन लागतों को मूल्यह्रास के माध्यम से एवं रियायती दायित्व को समाप्त करने के माध्यम से परिसंपत्ति के जीवन पर लाभ या हानि के विवरण पर लगाया जाता है। लागत अनुमानों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है एवं ज्ञात विकास को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है जिसका लागत अनुमान या संचालन के जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है। अद्यतन लागत अनुमान, संचालन के जीवन में परिवर्तन, नई गड़बड़ी एवं छूट दरों में संशोधन जैसे कारकों के कारण प्रावधान में बदलाव के लिए संबंधित परिसंपत्ति की लागत को समायोजित किया जाता है। परिसंपत्ति की समायोजित लागत उन परिसंपत्तियों के जीवन पर संभावित रूप से मूल्यह्रास की जाती है जिनसे वे संबंधित हैं। छूट की समाप्ति को लाभ या हानि के विवरण में वित्त एवं अन्य लागत के रूप में दिखाया गया है।

3.7.3 पर्यावरणीय दायित्व :

पर्यावरणीय दायित्वों को तब स्वीकृति दी जाती है जब कंपनी पर्यावरणीय क्षति को सुधारने या उपचारात्मक कार्य करने के लिए कानूनी या रचनात्मक रूप से बाध्य हो जाती है।

3.7.4 उद्यम सामाजिक प्रतिबद्धताएँ:

एंटरप्राइज़ सोशल कमिटमेंट (उद्यम सामाजिक प्रतिबद्धताएँ) वह राशि है जो किसी भी नई परियोजना की स्थापना के दौरान आसपास के क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर खर्च की जाती है। ऐसी बाध्यता नई परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा दिए गए पर्यावरण मंजूरी प्रमाणपत्र में उल्लिखित शर्तों से उत्पन्न होती है एवं आम तौर पर कुल परियोजना लागत के प्रतिशत के रूप में परिभाषित की जाती है।

3.7.5 कानूनी दायित्व :

प्रावधान को एक बार मान्यता मिल जाती है जब यह स्थापित हो जाता है कि रिपोर्टिंग की तारीख तक उपलब्ध होने वाली जानकारी पर विचार के आधार पर कंपनी का वर्तमान दायित्व है।

3.7.6 आकस्मिक देयताएं :

आकस्मिक देयताएं संभावित दायित्व हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं, जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होती है जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं या चालू देयताएं हैं लेकिन भुगतान संभव नहीं है अथवा राशि को विश्वसनीय रूप से मापा नहीं जा सकता। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देयताओं का खुलासा किया जाता है जब तक कि निपटान में किसी भी बहिर्प्रवाह की संभावना दूर न हो।

3.7.7 आकस्मिक परिसंपत्ति :

आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरण में मान्यता नहीं दी जाती है, लेकिन जहां आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है, वहां इसका प्रकटीकरण किया जाता है।

3.8 पट्टे :

पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी अनुबंध की शुरुआत में यह आकलन करती है कि अनुबंध में पट्टा है या नहीं।

पट्टे की शुरुआत की तारीख पर, कंपनी लागत पर " उपयोग का अधिकार" (आरओयू) संपत्ति को पहचानती है, एवं पट्टे की देयताओं को उन सभी पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है जिनका भुगतान उस तिथि पर नहीं किया जाता है, सिवाय उन पट्टों के जिनके 12 महीने या उससे कम की पट्टा अवधि जिसमें खरीद विकल्प (अल्पकालिक लीज) शामिल नहीं है एवं पट्टा जिसके लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की है।

3.8.1 प्रारंभिक माप :

"आरओयू परिसंपत्ति की लागत" में निम्नलिखित राशि शामिल है:

i. पट्टा दायित्व का प्रारंभिक माप।

ii. प्रीपेड पट्टा भुगतान में प्राप्त किसी भी पट्टा प्रोत्साहन को घटा दिया जाएगा।

iii. पट्टेदार के रूप में कंपनी द्वारा वहन की गई प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, एवं

iv. अंतर्निहित परिसंपत्ति को नष्ट करने, हटाने या पुनर्स्थापित करने की अनुमानित लागत।

पट्टा देनदारी को लंबी अवधि के सरकारी बांडों की कूपन दर पर पट्टा भुगतान में छूट देकर पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है:

i. निश्चित भुगतान (पदार्थ में निश्चित भुगतान सहित)।

ii. परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर करता है।

iii. कंपनी द्वारा अवशिष्ट मूल्य गारंटी के रूप में देय राशि।

iv. यदि कंपनी उचित निश्चितता के साथ इसका प्रयोग करने की उम्मीद करती है तो खरीद विकल्प का प्रयोग मूल्य।

v. कंपनी द्वारा समाप्ति के लिए दंड का भुगतान, यदि पट्टे की शर्तों में कंपनी के लिए ऐसा विकल्प शामिल है।

कंपनी यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आरओयू संपत्ति क्षतिग्रस्त है, इंड एएस 36- परिसंपत्तियों की क्षति लागू करती है एवं 'संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण' पर अपनी लेखांकन नीति के अनुसार किसी भी पहचानी गई क्षति हानि का हिसाब रखती है। पट्टा अवधि के दौरान आरओयू परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास किया जाता है।

3.8.2 बाद का माप:

बाद की अवधि के दौरान, पट्टा देनदारी को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। एवं आरओयू परिसंपत्ति को संचित मूल्यह्रास एवं संचित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर मापा जाता है।

पट्टे के भुगतान को वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

3.8.3 अल्पावधि पट्टे एवं कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टे :

12 महीने या उससे कम की पट्टा अवधि वाले पट्टों के लिए पट्टा भुगतान जिसमें खरीद विकल्प शामिल नहीं है एवं पट्टों के लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की है, उन्हें पट्टा अवधि पर सीधी रेखा के आधार पर खर्च के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

कंपनी पट्टेदार के रूप में,

जिन पट्टों के लिए कंपनी पट्टेदार है उन्हें वित्त या परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जब भी पट्टे की शर्तें स्वामित्व के सभी जोखिमों एवं लाभों को पट्टेदार को हस्तांतरित करती हैं, तो अनुबंध को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टें संचालनशील पट्टों के रूप में वर्गीकृत हैं।

परिचालन पट्टों के मामले में, किराये की आय को संबंधित पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर पहचाना जाता है। परिचालन पट्टे पर समझौता करने एवं उसकी व्यवस्था करने में होने वाली प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को पट्टे पर दी गई संपत्ति की अग्रणीत राशि में जोड़ा जाता है एवं किराये की आय के समान आधार पर पट्टे की अवधि में स्वीकृति दी जाती है। आकस्मिक किराए को उस अवधि में राजस्व के रूप में स्वीकृति दी जाती है जिसमें वे अर्जित किए जाते हैं।

वित्त पट्टों के मामले में, वित्त पट्टों के तहत पट्टेदारों से देय राशि को पट्टों में कंपनी के शुद्ध निवेश पर प्राप्य के रूप में दर्ज किया जाता है। वित्त पट्टे की आय को लेखांकन अवधियों के लिए आवंटित किया जाता है ताकि पट्टे के संबंध में बकाया शुद्ध निवेश पर रिटर्न की निरंतर आवधिक दर प्रतिबिंबित हो सके।

3.9 मालू-सूची :

कच्चे माल, भंडार एवं पुर्जों की सूची का मूल्य कर क्रेडिट एवं शुद्ध वसूली योग्य लागत के निचले स्तर पर लगाया जाता है। लागत चलित भारित औसत कीमत पर निर्धारित होती है।

5 वर्ष से अधिक समय तक रखे गए लेकिन जारी न किए गए स्टोर एवं पुर्जों का मूल्य लागत का 5% है।

उत्पादन में उपयोग के लिए रखी गई सामग्री एवं अन्य आपूर्ति (गैर-चलती मानी जाने वाली के अलावा) को लागत से नीचे नहीं लिखा जाता है, यदि तैयार उत्पाद जिसमें उन्हें शामिल किया जाएगा, लागत पर या उससे ऊपर बेचे जाने की उम्मीद है।

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

तैयार माल, अर्ध-तैयार माल, मध्यस्थ उत्पादों एवं एल्यूमीनियम प्रक्रिया स्क्रैप सहित प्रक्रिया में काम की सूची का मूल्यांकन लागत एवं शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से कम पर किया जाता है।

लागत में उपभोग की गई सामग्री का मूल्य एवं रूपांतरण की लागत शामिल है जिसमें श्रम लागत एवं विनिर्माण ओवरहेड का जिम्मेदार हिस्सा शामिल है।

शुद्ध वसूली योग्य मूल्य व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत को घटाकर प्रतिवेदन तिथि पर उपलब्ध अनुमानित बिक्री मूल्य है।

3.10 व्यापार प्राप्य :

व्यापार प्राप्य को उनके लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है जब तक कि इसमें अनुबंध में कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक या मूल्य निर्धारण समायोजन शामिल न हो, ऐसे मामलों में, इसे उचित मूल्य पर स्वीकृति दी जाती है। व्यापार प्राप्य को संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के उद्देश्य से रखा जाता है एवं इसलिए बाद में इसे परिशोधन लागत कम हानि भत्ते पर मापा जाता है।

व्यापार प्राप्य ग्राहकों द्वारा बेची गई वस्तुओं या व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में की गई सेवाओं के लिए देय राशि है। यदि प्राप्य को रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने या उससे कम अवधि के भीतर एकत्र किए जाने की उम्मीद है, तो उन्हें वर्तमान परिसंपत्तियों के रूप में अन्यथा गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

3.11 नकद एवं नकद समतुल्य :

नकद एवं नकद समतुल्य में बैंक एवं हाथ में नकदी तथा अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम की परिपक्वता अवधि वाले अल्पकालिक बैंक जमा शामिल होते हैं, जो नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय होते हैं एवं जो परिवर्तन के मामूली जोखिम के अधीन होते हैं।

नकदी प्रवाह के विवरण के प्रयोजन के लिए, नकदी एवं नकदी समकक्षों में नकदी एवं अल्पकालिक जमा शामिल होते हैं, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है।

3.12 वित्तीय साधन :

वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं को तब स्वीकृति दी जाती है जब कंपनी साधन के संविदात्मक प्रावधानों में एक पक्ष बन जाती है। व्यापार प्राप्य एवं देय को छोड़कर, वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेन-देन लागत जो सीधे वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताएं (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताएं के अलावा) के अधिग्रहण या जारी करने के लिए जिम्मेदार होती है, वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयताएं की प्रारंभिक स्वीकृति पर मापे गए उचित मूल्य में जोड़ी जाती है या घटा दी जाती है।

3.12.1 वित्तीय संपत्ति :

(क) परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ:

व्यापार प्राप्य सहित वित्तीय परिसंपत्तियां, जहां इसमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल हैं, को बाद में परिशोधित लागतों पर मापा जाता है एवं तदनुसार प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके मापा जाता है। यदि वित्तीय परिसंपत्तियां एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखी जाती हैं जिसका उद्देश्य इन परिसंपत्तियों को इकट्ठा करने के लिए रखना है संविदात्मक नकदी प्रवाह एवं वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को बढ़ाती हैं जो केवल मूलधन का भुगतान एवं बकाया मूल राशि पर ब्याज है।

(ख) अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियां:

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में अन्य व्यापक आय (अद कॉम्प्रेहेंसिव इनकम) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, यदि इन वित्तीय परिसंपत्तियों को एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने एवं वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है एवं वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट आधार पर बढ़ती हैं। नकदी प्रवाह की तारीखें जो केवल मूलधन एवं बकाया मूल राशि पर ब्याज का भुगतान हैं।

(ग) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ:

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, जब तक कि इसे बाद में परिशोधित लागत पर या अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा नहीं जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं के अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत को तुरंत लाभ या हानि के विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

3.12.2 वित्तीय परिसंपत्तियों की स्वीकृति रद्द करना :

वित्तीय परिसंपत्तियों की स्वीकृति तभी रद्द की जाती है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या जब परिसंपत्तियों के स्वामित्व के सभी जोखिम एवं प्रतिफल किसी अन्य इकाई को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों की स्वीकृति रद्द करने पर लाभ या हानि, जिसे परिशोधन लागत पर मापा जाता है, को लाभ एवं हानि के विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

3.12.3 वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर, मूल्यांकन किया जाता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है या नहीं

यदि प्रारंभिक स्वीकृति के बाद से किसी वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो उस वित्तीय साधन के लिए हानि भत्ता 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर मापा जाता है। यदि प्रारंभिक मान्यता के बाद से उस वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है, तो हानि भत्ता एक वित्तीय साधन के लिए जीवन भर अपेक्षित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर मापा जाता है।

प्रतिवेदन तिथि पर हानि भत्ते को समायोजित करने के लिए आवश्यक अपेक्षित क्रेडिट हानि (या उत्क्रमण) की राशि को लाभ एवं हानि के विवरण में हानि लाभ या हानि के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

3.12.4 वित्तीय देयताएं :

व्यापार देय को उनके लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है जब तक कि इसमें अनुबंध में कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक या मूल्य निर्धारण समायोजन शामिल न हो।

व्यापार देय सहित वित्तीय देयताएं, जहां इसमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल है, को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

3.12.5 वित्तीय देयताओं की स्वीकृति रद्द करना :

वित्तीय देयताएं की स्वीकृति तभी रद्द की जाती है जब, एवं केवल तभी, जब दायित्वों का निर्वहन किया जाता है, रद्द किया जाता है या समाप्त हो जाता है।

परिसमाप्त क्षति के लिए प्रतिधारण के मामले में, यदि अनुबंध को अंतिम रूप देने/बंद करने पर, परिसमाप्त क्षति उद्ग्रहण योग्य है, तो रखी गई राशि को वापस लिखा जाता है एवं पूंजी अनुबंधों को छोड़कर आय के रूप में स्वीकृति दी जाती है, जहां परिसमाप्त क्षति सीधे तौर पर परिसंपत्ति लागत में वृद्धि/बढ़त के लिए जिम्मेदार होती है। ऐसे मामले में, प्रतिधारण राशि को परिसंपत्ति की लागत के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

3.12.6 वित्तीय साधन समंजन करना :

वित्तीय संपत्तियों और देयताओं का समंजन किया जाता है और तुलन-पत्र में शुद्ध राशि की सूचना दी जाती है, जब स्वीकृति प्राप्त रकम की भरपाई करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार हो और शुद्ध आधार पर निपटान करने या परिसंपत्ति का एहसास करने और देनदारी को एक साथ निपटाने का इरादा हो। कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार भविष्य की घटनाओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए और व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में लागू होना चाहिए।।

3.12.7 व्युत्पन्न :

अग्रिम विदेशी मुद्रा अनुबंध जैसे व्युत्पन्न उपकरणों को व्युत्पन्न अनुबंधों में प्रवेश की तिथि पर उचित मूल्य पर स्वीकृति दी जाती है एवं प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में फिर से मापा जाता है। परिणामी लाभ या हानि को तुरंत लाभ या हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

3.13 उधार लेने की लागत :

योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से सीधे तौर पर जुड़ी उधार लागत को उन परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ा जाता है, जब तक कि परिसंपत्तियां अपने इच्छित उपयोग के लिए काफी हद तक तैयार न हो जाएं।

अर्हक परिसंपत्तियाँ वे परिसंपत्तियाँ हैं जिन्हें अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लगता है, जिसे बारह महीने से अधिक माना जाता है। लंबी अवधि के उधार के संबंध में लेनदेन लागत को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके संबंधित ऋण की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

अन्य सभी उधार लागतों को उस अवधि में लाभ एवं हानि के विवरण में पहचाना जाता है जिसमें वे खर्च किए गए हैं।

3.14 सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन :

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान जिनकी प्राथमिक शर्त यह है कि कंपनी को गैर-चालू परिसंपत्तियों की खरीद, निर्माण या अन्यथा अधिग्रहण करना चाहिए, उन्हें अनुदान को आस्थगित आय के रूप में स्थापित करके तुलन पत्र में स्वीकृति दी जाती है और संबंधित संपत्तियों के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ या हानि में स्थानांतरित किया जाता है।

आय से संबंधित सरकारी अनुदानों को उन लागतों के साथ मिलान करने के लिए आवश्यक अवधियों में व्यवस्थित आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है जिनके लिए उन्हें क्षतिपूर्ति करने का इरादा है।

बाजार से कम ब्याज दर पर सरकारी ऋण के लाभ को सरकारी अनुदान के रूप में माना जाता है, जिसे प्राप्त आय और प्रचलित बाजार ब्याज दरों के आधार पर ऋण के उचित मूल्य के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है।

3.15 कर्मचारी लाभ :

3.15.1 अल्पकालिक कर्मचारी लाभ :

संबंधित सेवा प्रदान की जाने वाली अवधि में वेतन एवं वेतन, अल्पावधि मुआवजा अनुपस्थिति आदि के संबंध में कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों के लिए देयता को अपेक्षित लाभों की अघोषित राशि पर स्वीकृति दी जाती है।

3.15.2 रोजगार के बाद एवं दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

3.15.3 परिभाषित अंशदान योजनाएँ :

एक परिभाषित योगदान योजना वह योजना है जिसके तहत एक अलग इकाई को निश्चित योगदान का भुगतान किया जाता है एवं यदि फंड के पास भुगतान करने के लिए पर्याप्त संपत्ति नहीं है तो कंपनी के पास आगे योगदान का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं है। परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं में योगदान को एक व्यय के रूप में स्वीकृति दी जाती है जब कर्मचारियों ने उन्हें ऐसे योगदान के लिए हकदार बनाने वाली सेवा प्रदान की है।

3.15.4 परिभाषित लाभ योजनाएँ :

परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर किए गए अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित की जाती है।

सेवा लागत, शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व पर ब्याज को घटाकर, व्यय के रूप में मानी जाती है। जब योजना में संशोधन या कटौती होती है या जब किसी संबंधित पुनर्गठन लागत या समाप्ति लाभ को स्वीकृति दी जाती है तो पिछली सेवा लागत को व्यय के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

शुद्ध परिभाषित लाभ देनदारी के पुन: माप लाभ एवं हानि को तुरंत अन्य व्यापक आय में स्वीकृति दी जाती है, जिसे लाभ एवं हानि के विवरण में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व, योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से घटाकर परिभाषित-लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।

3.15.5 अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ :

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त देयताओं को रिपोर्टिंग तिथि तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में अनुमानित भविष्य के नकदी बहिर्वाह के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। इन लाभों की अपेक्षित लागत रोजगार की अवधि में उसी लेखांकन पद्धति का उपयोग करके अर्जित की जाती है जिसका उपयोग परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजनाओं के लिए किया जाता है। अनुभव समायोजन एवं बीमांकिक धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले बीमांकिक लाभ एवं हानि को उस अवधि में लाभ एवं हानि के विवरण में चार्ज या जमा किया जाता है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। इन दायित्वों का मूल्यांकन स्वतंत्र बीमांकिकों द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है।

3.16 राजस्व :

3.16.1 वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री से राजस्व :

कंपनी का राजस्व मुख्य रूप से एल्यूमिना, एल्यूमिनियम एवं पावर जैसे उत्पादों की बिक्री से है। ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व उस प्रदर्शन दायित्व के लिए आवंटित परिवर्तनीय विचार के अनुबंध के तहत लेनदेन मूल्य की राशि के लिए प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि पर पहचाना जाता है। वादा किए गए सामान या सेवाओं का लेनदेन मूल्य सरकार की ओर से एकत्र किए गए करों एवं शुल्कों को छोड़कर, छूट की कुल राशि है, जो उस विचार को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी उस सामान या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है।

प्रदर्शन दायित्व तब संतुष्ट होता है जब ग्राहक अनुबंध के अनुसार वादा किए गए सामान या सेवाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। वस्तुओं या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को तब हस्तांतरित किया जाता है जब कानूनी स्वामित्व, भौतिक कब्ज़ा, जोखिम एवं स्वामित्व का पुरस्कार ग्राहक के पास चला जाता है एवं कंपनी के पास भुगतान का वर्तमान अधिकार होता है, जो आम तौर पर शिपमेंट या डिलीवरी पर होता है।

उनके साथ बिजली खरीद समझौते (पीपीए) के अधीन संबंधित अधिकारियों द्वारा अधिसूचित मूल्य पर प्रेषित ऊर्जा के आधार पर की जाती है।

ग्रहीत विद्युत संयंत्र से बिजली की बिक्री, परिशोधक के लिए व्हीलिंग एवं अनजाने ऊर्जा इंजेक्शन को छोड़कर राज्य जीआरआईडी में इंजेक्ट की गई मात्रा के आधार पर मानी जाती है, जो पावर खरीद समझौते एवं राज्य लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) द्वारा शेड्यूलिंग के अधीन है।

ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व को स्वीकृति दी जाती है यदि:

(क) राजस्व की राशि विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती है;

(ख) यह संभव है कि लेन-देन से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे;

(ग) प्रतिफल की वसूली यथोचित रूप से सुनिश्चित है।

एक अनुबंध परिसंपत्ति ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले में विचार करने का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक द्वारा भुगतान किए जाने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी ग्राहक को सामान या सेवाएं हस्तांतरित करके अपने दायित्व का हिस्सा निभाती है, तो अर्जित विचार के लिए एक अनुबंध परिसंपत्ति को स्वीकृति दी जाती है, जब वह अधिकार कंपनी के भविष्य के प्रदर्शन पर सशर्त होता है।

अनुबंध दायित्व किसी ग्राहक को सामान या सेवाएँ हस्तांतरित करने का दायित्व है जिसके लिए कंपनी को ग्राहक से विचार प्राप्त हुआ है। यदि कोई ग्राहक कंपनी द्वारा ग्राहक को सामान या सेवाएं हस्तांतरित करने से पहले प्रतिफल का भुगतान करता है, तो भुगतान प्राप्त होने पर अनुबंध दायित्व को स्वीकृति दी जाती है।

3.16.2 ब्याज आय :

किसी वित्तीय परिसंपत्ति से ब्याज आय को तब स्वीकृति दी जाती है जब यह संभव हो कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे एवं आय की मात्रा को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। ब्याज आय मूल बकाया एवं प्रभावी ब्याज दर के संदर्भ में, समय अनुपात के आधार पर अर्जित की जाती है।

3.16.3 लाभांश :

निवेश से लाभांश आय को तब स्वीकृति दी जाती है जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, यह संभव है कि लाभांश से जुड़े आर्थिक लाभ इकाई को प्रवाहित होंगे एवं लाभांश की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

3.16.4 प्रोत्साहन से आय :

प्रोत्साहन एवं सब्सिडी को अन्य परिचालन राजस्व के रूप में स्वीकृति दी जाती है जब उचित आश्वासन होता है कि कंपनी प्रासंगिक क़ानून में प्रदान की गई शर्तों का पालन करेगी।

3.16.5 परिसमाप्त क्षतियाँ :

परिसमाप्त क्षति के दावों का हिसाब तब लगाया जाता है जब इन्हें कंपनी द्वारा वसूली योग्य माना जाता है। जैसा भी मामला हो, इन्हें पूंजीगत लागत में समायोजित किया जाता है या लाभ एवं हानि के विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

3.17 आयकर :

कर व्यय चालू कर एवं स्थगित कर का योग दर्शाता है।

3.17.1 चालू कर :

चालू कर व्यय आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। वर्तमान एवं पूर्व अवधि के लिए चालू कर देयताओं (परिसंपत्तियों) को कर दरों एवं कर कानूनों का उपयोग करके भुगतान (या पुनर्प्राप्त) की जाने वाली अपेक्षित राशि पर मापा जाता है जो पिछले वर्षों के संबंध में देय रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किए गए हैं एवं इसमें कर में कोई भी समायोजन शामिल है।

चालू कर परिसंपत्तियों एवं कर देयताओं की भरपाई की जाती है जहां कंपनी के पास ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है एवं वह या तो शुद्ध आधार पर निपटान करने का इरादा रखती है, या परिसंपत्ति का एहसास करने एवं देनदारी को एक साथ निपटाने का इरादा रखती है।

3.17.2 आस्थगित कर :

आस्थगित कर व्यय या आय को तुलन पत्र पद्धति का उपयोग करके वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों एवं देयताओं की वहन राशि एवं कर योग्य मुनाफे की गणना में उपयोग किए जाने वाले संबंधित कर आधार के बीच अस्थायी अंतर पर पहचाना जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं को उन कर दरों पर मापा जाता है जो उस अवधि पर लागू होने की उम्मीद की जाती है जब परिसंपत्ति का एहसास होता है या देनदारी का निपटान किया जाता है, कर दरों एवं कर कानूनों के आधार पर जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किए गए हैं। अन्य व्यापक आय में सीधे मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित कर व्यापक आय के विवरण का हिस्सा बनता है।

प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में आस्थगित कर परिसंपत्ति की वहन राशि की समीक्षा की जाती है एवं इसे इस हद तक समायोजित किया जाता है कि यह संभावित हो गया है कि परिसंपत्ति को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं की भरपाई तब की जाती है जब उन्हें एक ही कराधान प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित होने पर सेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है।

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

3.18 असाधारण वस्तुएँ :

असाधारण वस्तुएं सामान्य गतिविधियों से लाभ या हानि के भीतर आय एवं व्यय की वस्तुएं होती हैं, लेकिन ऐसे आकार, प्रकृति या घटना की होती हैं जिनका खुलासा कंपनी द्वारा प्राप्त वित्तीय प्रदर्शन की बेहतर व्याख्या के लिए आवश्यक महसूस किया जाता है।

3.19 महत्वपूर्ण त्रुटि/ चूक का पुनर्कथन :

रु. 50 करोड़ से अधिक हो तो परिसंपत्तियों एवं देयताओं एवं इक्विटी के शुरुआती शेष को बहाल करने के लिए त्रुटियों एवं चूक को महत्वपूर्ण माना जाता है।

3.20 हालिया लेखांकन घोषणाएँ:

निगम मामलों का मंत्रालय ("एमसीए") समय-समय पर जारी किए गए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत मौजूदा मानकों में नए मानकों या संशोधनों को अधिसूचित करता है।

31 मार्च, 2023 को, एमसीए ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2023 में संशोधन किया।

इंड. एएस 1: वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति - इस संशोधन के लिए संस्थाओं को अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के बजाय अपनी सामग्री लेखांकन नीतियों का खुलासा करने की आवश्यकता है। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है एवं एकल वित्तीय विवरणों में संशोधन का प्रभाव नगण्य है।

इंड. एएस 8: लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन एवं त्रुटियां - इस संशोधन ने 'लेखा अनुमान' की एक परिभाषा पेश की है एवं संस्थाओं को लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन से लेखांकन नीतियों में परिवर्तन को अलग करने में मदद करने के लिए इंड. एएस 8 में संशोधन शामिल किया है। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है एवं उसके एकल वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

इंड. एएस 12: आयकर - इस संशोधन ने प्रारंभिक मान्यता छूट के दायरे को सीमित कर दिया है ताकि यह उन लेनदेन पर लागू न हो जो समान एवं अस्थायी अंतर को दूर करते हैं। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है एवं उसके एकल वित्तीय विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

टिप्पणी सं. 4 : महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय एवं अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत:

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को उन मामलों के बारे में जटिल एवं/या व्यक्तिपरक निर्णय, अनुमान एवं धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो स्वाभाविक रूप से अनिश्चित हैं। ये अनुमान एवं धारणाएं परिसंपत्तियों एवं देयताओं की रिपोर्ट की गई मात्रा के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक देयताओं एवं परिसंपत्तियों के प्रकटीकरण एवं प्रतिवेदन की गई अवधि के दौरान राजस्व एवं व्यय को भी प्रभावित करती हैं।

अनुमान एवं अंतर्निहित धारणाएं पिछले अनुभव एवं अन्य कारकों पर आधारित हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

अनुमानों एवं अंतर्निहित धारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में स्वीकृति दी जाती है जिसमें अनुमान संशोधित किया जाता है।

4.1 महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय:

उन अनुमानों के अलावा, जो प्रबंधन ने कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में किए हैं, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि परिशोधन लागत पर कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रतिवेदन उचित होगा। इसके व्यवसाय मॉडल का प्रकाश एवं संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए इन वित्तीय परिसंपत्तियों को रखने के कंपनी के सकारात्मक इरादे एवं क्षमता की पुष्टि की है।

4.2 अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत:

भविष्य से संबंधित प्रमुख धारणाएं एवं रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनिश्चितता के अनुमान के अन्य प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं, जिससे अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों एवं देयताओं की वहन मात्रा में भौतिक समायोजन होने का महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है।

4.2.1 हानि :

एसोसिएट्स एवं अन्य निवेशों, ऋणों एवं अग्रिमों, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण एवं अमूर्त परिसंपत्तियों में निवेश की समीक्षा तब की जाती है जब घटनाओं एवं परिस्थितियों में बदलाव से संकेत मिलता है कि वहन मूल्य पूरी तरह से या कम से कम सालाना वसूली योग्य नहीं हो सकता है ।

नकदी पैदा करने वाली इकाइयों के भविष्य के नकदी प्रवाह अनुमान, जिनका उपयोग परिसंपत्ति के उचित मूल्य की गणना करने के लिए किया जाता है, भविष्य के संचालन के बारे में अपेक्षाओं पर आधारित होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से उत्पादन एवं बिक्री की मात्रा, कमोडिटी की कीमतें, भंडार एवं संसाधन, परिचालन पुनर्वास एवं बहाली लागत एवं पूंजीगत व्यय के बारे में अनुमान शामिल होते हैं।

4.2.2 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का उपयोगी जीवन:

कंपनी प्रत्येक प्रतिवदन अवधि के अंत में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के उपयोगी जीवन की समीक्षा करती है। इस पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप भविष्य की अवधि में मूल्यह्रास व्यय में बदलाव हो सकता है।

4.2.3 खनन भंडार का आकलन:

खनिज भंडार के अनुमान में परिवर्तन जहां परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन परियोजना के जीवन तक सीमित है, जो बदले में भंडार की संभावित एवं आर्थिक व्यवहार्यता के जीवन तक सीमित है, मूल्यह्रास चार्ज करने के लिए परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन को प्रभावित कर सकता है। खदानों में बॉक्साइट भंडार का अनुमान निष्कर्षण, भूविज्ञान एवं रिजर्व निर्धारण के विशेषज्ञों द्वारा एवं भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) को प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के आधार पर लगाया जाता है।

4.2.4 रोजगार पश्चात लाभ के लिए दायित्व दायित्व:

रोजगार के बाद के लाभ एवं दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के लिए दायित्व बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन पर आधारित होता है जो बदले में यथार्थवादी बीमांकिक मान्यताओं पर आधारित होता है।

4.2.5 प्रावधान एवं आकस्मिक देयताएं:

प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, जिसमें कर, कानूनी, बहाली एवं पुनर्वास, संविदात्मक एवं अन्य जोखिम या दायित्व शामिल हैं, किसी भी ब्याज शुल्क सहित संबंधित देनदारी को निपटाने के लिए आवश्यक विचार का सबसे अच्छा अनुमान है, जो कि आसपास के जोखिमों एवं अनिश्चितताओं को ध्यान में रखता है। कंपनी उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी, प्रासंगिक कर एवं अन्य कानूनों, शामिल आकस्मिकताओं एवं अन्य उचित आवश्यकताओं के आधार पर अपनी देयताओं एवं आकस्मिक देयताओं का आकलन करती है।

4.2.6 उचित मूल्य माप एवं मूल्यांकन प्रक्रिया:

वित्तीय प्रतिवेदन उद्देश्यों के लिए, उचित मूल्य मापों को उस डिग्री के आधार पर स्तर 1, 2 या 3 में वर्गीकृत किया जाता है, जिस हद तक उचित मूल्य माप के लिए इनपुट देखने योग्य हैं एवं उचित मूल्य माप के लिए इनपुट का महत्व उसकी संपूर्णता में है, जिसका वर्णन किया गया है। निम्नलिखित अनुसार:

स्तर 1 इनपुट समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्दत कीमतें (असमायोजित) हैं जिन्हें कंपनी माप तिथि पर एक्सेस कर सकती है;

स्तर 2 इनपुट, स्तर 1 में शामिल उद्दत कीमतों के अलावा अन्य इनपुट हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिसंपत्ति या देनदारी के लिए देखने योग्य हैं; एवं

- स्तर 3 इनपुट परिसंपत्ति या देनदारी के लिए अप्राप्य इनपुट हैं।

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

5 - संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

राशि करोड़ रु में

लागत या समझी गई लागत	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	पट्टे पर दी गई भूमि (उपयोग का अधिकार)	भवन	संयंत्र एवं उपकरण	फ़र्निचर व फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	वाहन	रेलवे साइडिंग	कुल
31.3.2021 तक शेष राशि	**82.46**	**184.86**	**813.11**	**8,807.63**	**23.53**	**52.47**	**35.30**	**68.69**	**10,068.05**
परिवर्धन	0.30	15.68	28.53	431.59	2.76	16.23	3.48	0.28	498.85
निपटान				(29.25)	(0.14)	(0.47)	(0.22)	-	(30.08)
31.3.2022 तक शेष राशि	**82.76**	**200.54**	**841.64**	**9,209.97**	**26.15**	**68.23**	**38.56**	**68.97**	**10,536.82**
परिवर्धन	0.07	141.40	21.62	399.88	1.94	21.46	8.04	16.34	610.75
निपटान				(40.17)	(0.10)	(3.63)	(0.14)	-	(44.04)
31.03.2023 को शेष राशि	**82.83**	**341.94**	**863.26**	**9,569.68**	**27.99**	**86.06**	**46.46**	**85.31**	**11,103.53**
संचित मूल्यह्रास एवं हानि									
31.3.2021 तक शेष राशि	**-**	**9.04**	**213.75**	**2,437.28**	**14.24**	**35.70**	**16.37**	**24.34**	**2,750.72**
मूल्य ह्रास लागत	-	7.77	32.32	509.26	2.21	8.66	3.25	4.30	567.77
मूल्यह्रास हस्तांतरण "निर्माण के दौरान व्यय"	-	-	-	-	-	0.05	-	-	0.05
शुद्ध मूल्यह्रास	-	7.77	32.32	509.26	2.21	8.61	3.25	4.30	567.72
हानि व्यय	-	-	-	237.62	-	-	-	-	237.62
निपटान			-	(20.74)	(0.10)	(0.24)	(0.15)	-	(21.23)
31.3.2022 तक शेष राशि	**-**	**16.81**	**246.07**	**3,163.42**	**16.35**	**44.12**	**19.47**	**28.64**	**3,534.88**
मूल्य ह्रास लागत	-	8.28	33.43	518.74	2.32	12.74	3.77	5.01	584.29
मूल्यह्रास हस्तांतरण "निर्माण के दौरान व्यय"	-	-	-	-	0.02	0.03	-	-	0.05
शुद्ध मूल्यह्रास	-	8.28	33.43	518.74	2.30	12.71	3.77	5.01	584.24
हानि व्यय	-	-	-	100.31	-	-	-	-	100.31
निपटान	-			(29.63)	(0.05)	(2.55)	(0.11)	-	(32.34)
31.03.2023 को शेष राशि	**-**	**25.09**	**279.50**	**3,752.84**	**18.62**	**54.31**	**23.13**	**33.65**	**4,187.14**
	फ्रीहोल्ड भूमि	**पट्टे की भूमि (उपयोग का अधिकार)**	**भवन**	**संयंत्र एवं उपकरण**	**फर्नीचर एवं फिक्सचर**	**कार्यालय उपकरण**	**वाहन**	**रेलवे साइडिंग**	**कुल**
31.3.2021 को शेष राशि वहन	82.46	175.82	599.36	6,370.35	9.29	16.77	18.93	44.35	7,317.33
परिवर्धन	0.30	15.68	28.53	431.59	2.76	16.23	3.48	0.28	498.85
निपटान	-	-	-	(8.51)	(0.04)	(0.23)	(0.07)	-	(8.85)
मूल्य ह्रास लागत	-	7.77	32.32	509.26	2.21	8.66	3.25	4.30	567.77
हानि व्यय	-	-	-	237.62	-	-	-	-	237.62
31.3.2022 तक शेष राशि	**82.76**	**183.73**	**595.57**	**6,046.55**	**9.80**	**24.11**	**19.09**	**40.33**	**7,001.94**
परिवर्धन	0.07	141.40	21.62	399.88	1.94	21.46	8.04	16.34	610.75
निपटान	-	-	-	(10.54)	(0.05)	(1.08)	(0.03)	-	(11.70)
मूल्य ह्रास लागत	-	8.28	33.43	518.74	2.32	12.74	3.77	5.01	584.29
हानि व्यय	-	-	-	100.31	-	-	-	-	100.31
31.03.2023 को शेष राशि	**82.83**	**316.85**	**583.76**	**5,816.84**	**9.37**	**31.75**	**23.33**	**51.66**	**6,916.39**

टिप्पणियाँ:

5.1 फ्रीहोल्ड भूमि की लागत में ओडिशा सरकार को सौंपी गई 43.75 एकड़ (पिछले वर्ष 43.75 एकड़) भूमि की लागत शामिल है, जिसके बदले हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।

5.2 कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अल्पकालिक पट्टों एवं कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टों से संबंधित खर्चों के लिए रु.0.80 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 0.81 करोड़) खर्च किए। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए पट्टों के लिए कुल नकदी बहिर्वाह ₹ 4.08 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4.13 करोड़) है, जिसमें अल्पकालिक पट्टों का नकदी बहिर्वाह एवं कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टे शामिल हैं।

5.3 कंपनी के पास राजस्थान राज्य में दो पवन ऊर्जा संयंत्र (डब्ल्यूपीपी) और महाराष्ट्र राज्य में एक पवन ऊर्जा संयंत्र है। कंपनी को बाहरी और आंतरिक जानकारी के संकेत के आधार पर, राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों संयंत्रों के लिए हानि मूल्यांकन किया गया था।

5.3.1 राजस्थान में दो डब्ल्यूपीपी के लिए, कंपनी का जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, राजस्थान के साथ 3 साल के लिए बिजली खरीद समझौता (पीपीए) था जिसे 01.04.2019 से बढ़ाया नहीं जा सका। चूंकि बिजली उत्पादन एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए कंपनी ग्रिड में बिजली डाल रही है जिसे डिस्कॉम द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। हालाँकि, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी निगम लिमिटेड (आरआरईसीएल) ने कंपनी को लुधेरवा और देवीकोट दोनों डब्ल्यूपीपी के लिए रु. 2.44 प्रति यूनिट स्वीकार करने और पीपीए निष्पादित करने की पेशकश की थी। कंपनी ने पीपीए के विस्तार के लिए राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की जो अभी भी लंबित है। पीपीए की गैर-मौजूदगी और निरंतर उत्पादन को देखते हुए, परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन तक हानि का आकलन किया गया था।

5.3.2 कंपनी के पास एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएनएल) के साथ सांगली, महाराष्ट्र में अपने डब्ल्यूपीपी से प्रति माह न्यूनतम 100 एमयू की आपूर्ति के लिए एक यूनिट (केडब्ल्यूएच) रु. 2.92 की दर के साथ दीर्घकालिक (25 वर्ष) पीपीए है। कंपनी द्वारा किए गए निवेश की मात्रा और दीर्घकालिक पीपीए के लिए विचार की गई दर को ध्यान में रखते हुए, परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन तक हानि का आकलन किया गया है।।

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

पवन ऊर्जा संयंत्रों, किए गए निवेश, परिसंपत्ति का वहन मूल्य (क्षति से पहले एवं बाद में), एवं किए गए हानि प्रावधानों का विवरण नीचे दिया गया है:

राशि ₹ करोड़ में

पवन ऊर्जा संयंत्रों का विवरण	लागत	मूल्यह्रास के बाद एवं क्षति से पहले मूल्य वहन करना	वर्ष के दौरान हानि	संचयी क्षति	मूल्यह्रास एवं क्षति के बाद मूल्य वहन करना
1. 50 मेगावाट, देवीकोट , राजस्थान					
वित्त वर्ष 2022-23	338.19	244.33	11.09	147.11	97.22
वित्त वर्ष 2021-22	338.19	258.54	136.02	136.02	122.52
2. 47.60 मेगावाट, लुधेरवा , राजस्थान					
वित्त वर्ष 2022-23	280.62	164.19	2.87	107.96	56.23
वित्त वर्ष 2021-22	280.62	176.27	105.10	105.10	71.17
3. 50.4 मेगावाट, सांगली , महाराष्ट्र					
वित्त वर्ष 2022-23	342.71	253.74	89.86	89.86	163.88
वित्त वर्ष 2021-22	342.71	268.53	-	-	268.53

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

5.अचल संपत्ति का स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं है

(उन परिसंपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है एवं पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए गए हैं)

राशि रु. करोड़ में

संपत्ति का विवरण	फ्रीहोल्ड/ लीजहोल्ड	सकल पट्टाधारिता	मूल्य निर्धारण के नाम पर स्वामित्व विलेख	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तिथि से कब तक धारित है	कंपनी के नाम पर न होने का कारण	चाहे विवादित हो
पीपीई							
भूमि							
ओडिशा के कोरापुट जिले में 17.25 एकड़ भूमि	फ्रीहोल्ड	0.07	ओडिशा सरकार	नहीं	1982-83	पंजीकरण लंबित	नहीं
ओडिशा के कोरापुट जिले में 845.94 एकड़ भूमि	पट्टा	0.35	ओडिशा सरकार	नहीं	1982-83	पट्टा अनुबंध का निष्पादन लंबित है	नहीं
ओडिशा के अनुगुळ जिले में 46.90 एकड़ भूमि	फ्रीहोल्ड	0.33	ओडिशा औद्योगिक विकास निगम (आईडीसीओ)	नहीं	1987-88	पंजीकरण लंबित	नहीं
ओडिशा के अनुगुळ जिले में 56.02 एकड़ भूमि	फ्रीहोल्ड	0.13	संबंधित भूमि स्वामी	नहीं	1987-88	जमीन कंपनी के कब्जे में है. कंपनी के नाम पर भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है।	नहीं
ओडिशा के अनुगुळ जिले में 656.05 एकड़ भूमि	पट्टा	1.38	ओडिशा औद्योगिक विकास निगम (आईडीसीओ)	नहीं	1987-88	पट्टा अनुबंध का निष्पादन लंबित है	नहीं
ओडिशा के अनुगुळ जिले में 1.69 एकड़ भूमि	पट्टा	-	ओडिशा औद्योगिक विकास निगम (आईडीसीओ)	नहीं	2018-19	सांप्रदायिक/ गोचर भूमि	नहीं
ओडिशा के अनुगुळ जिले में 16.60 एकड़ भूमि	पट्टा	-	ओडिशा औद्योगिक विकास निगम (आईडीसीओ)	नहीं	2020-21	सांप्रदायिक/ गोचर भूमि	नहीं
ओडिशा के अनुगुळ जिले में 32.03 एकड़ भूमि	पट्टा	-	ओडिशा औद्योगिक विकास निगम (आईडीसीओ)	नहीं	2022-23	सांप्रदायिक/ गोचर भूमि	नहीं
ओडिशा के अनुगुळ जिले में 32.12 एकड़ भूमि	पट्टा	-	सरकार. भारत की	नहीं	2022-23	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से चरण II की मंजूरी लंबित है	नहीं
ओडिशा के ढेंकनाल जिले में 0.66 एकड़ भूमि	पट्टा	0.09	ओडिशा औद्योगिक विकास निगम (आईडीसीओ)	नहीं	1987-88	पट्टा अनुबंध का निष्पादन लंबित है	नहीं
भवन	-	-					
संपत्ति मे निवेश करे							
भूमि	-	-					
भवन	-	-					
गैर चालू परिसंपत्तियां							
भूमि	-	-					
भवन	-	-					
अन्य							

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

6 पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी)

राशि करोड़ रु में

	पर जैसा 31.03.2023	पर जैसा 31.03.2022
पूंजी कार्य प्रगति	2,769.92	1,700.54
पारगमन सहित निर्माण सामग्री	64.53	110.99
	2,834.45	1,811.53
घटाएं: हानि के लिए प्रावधान	(89.50)	(48.11)
कुल पूंजी कार्य प्रगति	**2,744.95**	**1,763.42**

	पर जैसा 31.03.2023	पर जैसा 31.03.2022
हानि के प्रावधान में गतिविधि		
प्रारंभिक जमा	48.11	0.55
वर्ष के दौरान प्रावधान किया गया	41.39	47.56
वर्ष के दौरान प्रतिलेखन प्रावधान	-	-
जमा शेष	89.50	48.11

6.1. पूंजीगत कार्य प्रगति की राशि में 5वीं स्ट्रीम एल्यूमिना परिशोधक विस्तार के लिए सीधे तौर पर रु.166.81 करोड़ (पिछले वर्ष `152.90 करोड़) का व्यय शामिल है।

6.2 कंपनी ने दिनांक 27.09.2017 को तमिलनाडु के कायथार में 25.5 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना (डब्ल्यूपीपी) की आपूर्ति, निर्माण और कमीशनिंग के लिए मेसर्स रीजेन पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड को 163.13 करोड़ रुपये का अनुबंध दिया था। एजेंसी ने वित्त वर्ष 2018-19 तक रु.119.63 करोड़ रुपये का काम निष्पादित किया था। इसके बाद, एजेंसी के वित्तीय संकट और तरलता मुद्दे के कारण निष्पादन में कोई प्रगति नहीं हुई।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कंपनी के प्रति दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की गई थी। माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), चेन्नई ने दिनांक 01.02.2022 को समाधान योजना पारित की जो कंपनी को स्वीकार्य नहीं थी। आदेश से असंतुष्ट होकर, कंपनी ने माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में अपील दायर की।

चूंकि 2018-19 के बाद से परियोजना में कोई प्रगति नहीं हुई है और उक्त आदेश में उल्लिखित कठोर शर्तें हैं, कंपनी ने इन्हें परियोजना के हानि मूल्यांकन के लिए एक संकेत के रूप में माना है और 31.03.2023 तक ₹ 79.25 करोड़ (31.03.2022 तक ₹ 44.26 करोड़) का प्रावधान किया है।

6.क - पूंजीगत कार्य प्रगति

6.ए.1 पूंजीगत कार्य का पुराना होना प्रगति पर है राशि

₹ करोड़ में

विवरण		निम्न अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजना प्रगति पर है						
(क) खान एवं परिशोधक	31.03.2023 को	1,159.23	599.00	271.26	393.31	2,422.80
	31.03.2022 को	699.01	230.10	311.02	85.53	1,325.66
(ख) प्रद्रावक एवं पावर	31.03.2023 को	137.57	68.34	13.77	58.05	277.73
	31.03.2022 को	127.62	68.73	65.38	96.64	358.37
(ग) अन्य	31.03.2023 को	12.40	0.14	0.09	119.74	132.37
	31.03.2022 को	5.83	0.38	0.11	119.63	125.95
परियोजना अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है						
(क) खान एवं परिशोधक	31.03.2023 को	-	-	-	-	-
	31.03.2022 को	-	-	-	-	-
(ख) प्रद्रावक एवं पावर	31.03.2023 को	-	-	-	1.55	1.55
	31.03.2022 को	-	-	-	1.55	1.55
(ग) अन्य	31.03.2023 को	-	-	-	-	-
	31.03.2022 को	-	-	-	-	-
	31.03.2023 को कुल	1,309.20	667.48	285.12	572.65	2,834.45
	31.03.2022 को कुल	832.46	299.21	376.51	303.35	1,811.53

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

6.क.2 पूंजीगत कार्य प्रगति का पुराना होना, जिसका पूरा होना अतिदेय है या उसकी मूल योजना की तुलना में उसकी लागत से अधिक हो गया है							
विवरण			निम्न पूरा किया जाना है				
			एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(क)	खान एवं परिशोधक	31.03.2023 को	1,096.33	486.93	-	1,583.26	
		31.03.2022 को	154.54	76.78	-	231.32	
(ख)	प्रद्रावक एवं पावर	31.03.2023 को	119.87	4.91	-	124.78	
		31.03.2022 को	175.38	1.46	10.21	19.41	206.46
(ग)	अन्य	31.03.2023 को	0.10	-	-	0.10	
		31.03.2022 को	-	-	0.11	119.63	119.74
		31.03.2023 को कुल	1,216.30	491.84	-	1,708.14	
		31.03.2022 को कुल	329.92	78.24	10.32	139.04	557.52

6.क.3 उस परियोजना का विवरण जहां गतिविधि निलंबित कर दी गई है					
क्रम सं.	विवरण		मात्रा	इस अवधि से विलंबित	निलंबन का संक्षिप्त कारण
(क)	खान एवं परिशोधक	31.03.2023 को 31.03.2022 को	-	-	-
(ख)	प्रद्रावक एवं पावर (रेलवे साइडिंग सहित कोयला प्रबंधन संयंत्र)	31.03.2023 को 31.03.2022 को	1.55 1.55	01-अप्रैल-20 01-अप्रैल-20	कोयला परिवहन एवं संचालन की रणनीति में बदलाव के कारण कोयला परिवहन एवं संचालन की रणनीति में बदलाव के कारण
(ग)	अन्य	31.03.2023 को 31.03.2022 को	-	-	-
		31.03.2023 को कुल 31.03.2022 को कुल	1.55 1.55	-	-

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

7. अमूर्त संपत्ति

राशि करोड़ रु में

	उपयोगकर्ता अधिकार	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	खनन अधिकार	लाइसेंस	कुल अमूर्त परिसंपत्ति
लागत या समझी गई लागत					
31.03.2021 तक शेष राशि	**79.79**	**11.37**	**379.75**	**11.55**	**482.46**
परिवर्धन	0.39	1.90	27.05	-	29.34
निपटान	-	-	-	-	-
31.3.2022 तक शेष राशि	**80.18**	**13.27**	**406.80**	**11.55**	**511.80**
परिवर्धन	-	2.49	73.93	-	76.42
निपटान	-	-	-	-	-
31.03.2023 को शेष राशि	**80.18**	**15.76**	**480.73**	**11.55**	**588.22**
संचित मूल्यह्रास एवं हानि					
31.03.2021 तक शेष राशि	**15.28**	**9.46**	**104.05**	**10.49**	**139.28**
मूल्य ह्रास लागत	4.01	1.35	25.74	0.15	31.25
हानि व्यय	-	-	-	-	-
निपटान	-	-	-	-	-
31.3.2022 तक शेष राशि	**19.29**	**10.81**	**129.79**	**10.64**	**170.53**
मूल्य ह्रास लागत	4.01	1.79	25.30	0.15	31.25
हानि व्यय	-	-	-	-	-
निपटान	-	-	-	-	-
31.03.2023 को शेष राशि	**23.30**	**12.60**	**155.09**	**10.79**	**201.78**
	उपयोगकर्ता अधिकार	**कंप्यूटर सॉफ्टवेयर**	**खनन अधिकार**	**लाइसेंस**	**कुल अमूर्त परिसंपत्ति**
वहन राशि					
31.03.2021 तक शेष राशि	**64.51**	**1.91**	**275.70**	**1.06**	**343.18**
परिवर्धन/समायोजन	0.39	1.90	27.05	-	29.34
निपटान	-	-	-	-	-
मूल्य ह्रास लागत	4.01	1.35	25.74	0.15	31.25
हानि व्यय	-	-	-	-	-
31.3.2022 तक शेष राशि	**60.89**	**2.46**	**277.01**	**0.91**	**341.27**
परिवर्धन	-	2.49	73.93	-	76.42
निपटान	-	-	-	-	-
मूल्य ह्रास लागत	4.01	1.79	25.30	0.15	31.25
हानि व्यय	-	-	-	-	-
31.03.2023 को शेष राशि	**56.88**	**3.16**	**325.64**	**0.76**	**386.44**

टिप्पणियाँ: 7.1 उपयोक्ता अधिकार संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति में कंपनी की हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करता है।

7.2 ओडिशा सरकार द्वारा पंचपतमाली, ओडिशा में अपनी बॉक्साइट खदानें एवं अनुगुळ, ओडिशा में कोयला खदानें संचालित करने के लिए पट्टा दिया गया है। इस संबंध में, कंपनी ने वन भूमि, प्रतिपूरक वनीकरण, वन्य जीवन प्रबंधन एवं अन्य संबंधित भुगतानों के लिए शुद्ध चालू मूल्य (एनपीवी) का भुगतान किया है, जिसे खनन अधिकारों के तहत अमूर्त संपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया गया है एवं लेखांकन नीति के अनुसार सीधी रेखा के आधार पर परिशोधन किया गया है।

7.3 कोयला मंत्रालय, सरकार भारत द्वारा 02.05.2016 को कंपनी को उत्कल डी एंड ई कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए थे। कुल खनन भंडार 176.05 मेट्रिक टन (मिलियन टन) है। 25.03.2021 (उत्कल डी) एवं 20.01.2023 (उत्कल ई) को खनन पट्टे के निष्पादन पर , वित्त वर्ष 2021-22 में ₹ 54.79 करोड़ एवं वर्ष के दौरान ₹ 73.26 करोड़ के खनन अधिकारों का पूंजीकरण किया गया है।

उत्कल-डी कोयला खदान में खनन कार्य 09.11.2022 से शुरू किया गया था। इसकी सूचना 09.11.2022 को उप निदेशक खान, तालचेर को भेजी गई थी। दिनांक 09.11.2022 से 31.03.2023 की अवधि के दौरान ऊपरी मिट्टी को हटाने, कोयला परतों को खोलने के लिए ओवरबर्डन काटने का काम किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक ग्रेड घोषणा के लिए कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ), कोयला मंत्रालय कार्यालय द्वारा सीम को उजागर किया गया एवं नमूने एकत्र किए गए। 01.04.2023 से कोयला उत्पादन प्रारंभ हो गया है।।

8 क. विकासाधीन अमूर्त संपत्ति

राशि करोड़ रु. में

	31.03.2023 को	31.03.2022 को
(i) खनन का अधिकार	523.64	469.73
(ii) सॉफ्टवेयर	0.33	1.67
	523.97	471.40

टिप्पणी: 8 क.1 विकास के तहत खनन में कंपनी को आवंटित खदानों के लिए आवंटन, वन भूमि के लिए शुद्ध चालू मूल्य (एनपीवी), प्रतिपूरक वनीकरण एवं वन्य जीवन प्रबंधन से संबंधित खर्च शामिल हैं। इसमें पोट्टांगी बॉक्साइट खदानों के आवंटन के लिए ओडिशा सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार विभिन्न विकासात्मक योजनाओं पर ओडिशा सरकार को किए गए व्यय/भुगतान के लिए रु. 523.64 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 322.78 करोड़) के पूर्व-संचालन व्यय भी शामिल हैं ।

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

8ख - विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

ख. 1 विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों का पुराना							राशि करोड़ रु. में
विवरण			निम्न अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजना प्रगति							
(क)	खान एवं परिशोधक	31.03.2023 को	200.91	72.62	188.10	62.01	523.64
		31.03.2022 को	72.62	188.10	62.01	-	322.73
(ख)	प्रद्रावक एवं पावर	31.03.2023 को	-	-			-
		31.03.2022 को	2.94	10.40	108.23	25.43	147.00
(ग)	अन्य	31.03.2023 को	0.33	-	-	-	0.33
		31.03.2022 को	1.67	-	-	-	1.67
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं							
(क)	खान एवं परिशोधक	31.03.2023 को	-	-	-	-	-
		31.03.2022 को					-
(ख)	प्रद्रावक एवं पावर	31.03.2023 को	-	-	-	-	-
		31.03.2022 को	-	-	-	-	-
(ग)	अन्य	31.03.2023 को	-	-	-	-	-
		31.03.2022 को	-	-	-	-	-
		31.03.2023 को कुल	201.24	72.62	188.10	62.01	523.97
		31.03.2022 को कुल	77.23	198.50	170.24	25.43	471.40

9. निवेश			राशि करोड़ रु. में
		31.03.2023 को	**31.03.2022 को**
क.	**गैर-चालू**		
क.1	**इक्विटी उपकरणों में निवेश**		
क.1.1	**लागत पर संयुक्त उद्यमों में व्यापार निवेश**		
	न उद्दत निवेश		
	क) उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड		
	31.03.2023 को: रु. 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 2,00,00,000 शेयर ,	20.00	20.00
	31.03.2022 को: रु. 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 2,00,00,000 शेयर		
	कुल	**20.00**	**20.00**
	ख) खानिज बिदेश इंडिया लिमिटेड		
	31.03.2023 को: रु. 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त1,30,00,000 शेयर ,	13.00	1.00
	31.03.2022 को: रु. 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 10,00,000 शेयर		
	कुल	**13.00**	**1.00**
	ग) अनुगुळ एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड		
	31.03.2023 को: रु. 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त1,62,23,900 शेयर,	16.22	16.22
	31.03.2022 को: रु. 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 1,62,23,900 शेयर		
	कुल	**16.22**	**16.22**
	घ) जीएसीएल-नालको एल्कलीज़ एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड		
	31.03.2023 को: रु. 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 27,60,00,000 शेयर	276.00	276.00
	31.03.2022 को: रु. 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 27,60,00,000 शेयर		
	कुल	276.00	276.00
	संयुक्त उद्यमों में कुल निवेश	**325.22**	**313.22**

वित्तीय विवरण एकल

संयुक्त उद्यमों का विवरण

प्रतिवेदन अवधि के अंत में कंपनी के प्रत्येक संयुक्त उद्यम का विवरण इस प्रकार है:

संयुक्त उद्यम का नाम	प्रमुख गतिविधि एवं व्यवसाय का स्थान	कंपनी द्वारा धारित स्वामित्व हित/ मतदान अधिकार का अनुपात	
		31.03.2023 को	31.03.2022 को
(क) उत्कर्ष एल्यूमीनियम धातु निगम लिमिटेड	महत्वपूर्ण, रणनीतिक एवं अन्य क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्क्रैप सहित सभी उच्च अंत एल्यूमीनियम मिश्र धातु उत्पादों का निर्माण, विपणन, बिक्री, खरीद, व्यापार, वितरण, आयात एवं निर्यात, हैदराबाद	50.00%	50.00%
(ख) खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड	रणनीतिक खनिजों की पहचान करना, अन्वेषण करना, अधिग्रहण करना, विकास करना, खनन करना, प्रसंस्करण करना, खरीद करना एवं बेचना, भारत के बाहर	40.00%	40.00%
(ग) अनुगुळ एल्यूमीनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड	ओडिशा में एल्यूमीनियम विशिष्ट डाउनस्ट्रीम को बढ़ावा देनाअनुगुळ, ओडिशा.	49.00%	49.00%
(घ) जीएसीएल-नालको अल्कलीज एंड केमिकल्स प्रा. लि.	कास्टिक सोडा का उत्पादन, वडोदरा, गुजरात	40.00%	40.00%

क.1.2. लागत पर अन्य निवेश	राशि करोड़ रु. में	
अनाल्लेखित निवेश	**31.03.2023 को**	**31.03.2022 को**
ओडिशा कैपिटल मार्केट एंड एंटरप्राइजेज लिमिटेड	0.03	0.03
(31.03.2023 को रु. 1 के पूर्ण प्रदत्त 2,89,000 शेयर)		
(31.03.2022 को रु. 1 के पूर्ण प्रदत्त 2,89,000 शेयर,)		
कुल - अन्य कंपनियों में निवेश	0.03	0.03
कुल - इक्विटी उपकरणों में निवेश	325.25	313.25
अतिरिक्त जानकारी		
गैर-उद्दत निवेशों की कुल वहन राशि	325.25	313.25
वित्तीय परिसंपत्तियों की परिशोधन लागत	325.25	313.25

ख. चालू	31.03.2023 को			31.03.2022 को		
	'000 में इकाइयाँ	रु. /यूनिट में एनएवी	राशि करोड़ रु. में	'000 में यूनिट्स	रु. /यूनिट में एनएवी	राशि करोड़ रु. में
म्यूचुअल फंड में निवेश						
उद्दत निवेश						
केनरा रेबेको लिक्विड फंड	379	1,005.50	38.16	119	1,005.50	12.00
बड़ौदा बीएनपी पारिबा लिक्विड फंड	410	1,002.08	41.11	309	1,002.08	31.01
एसबीआई लिक्विड फंड	265	1,136.93	30.16	56	1,075.55	6.00
यूनियन लिक्विड फंड	361	1,000.79	36.15	150	1,000.79	15.00
कुल - अन्य चालू निवेश		145.58			64.01	
अतिरिक्त जानकारी						
उद्दत निवेश की कुल लागत		145.00			64.00	
उद्दत निवेशों का कुल बाजार मूल्य		145.58			64.01	
गैर-उद्दत निवेश की कुल लागत		-			-	
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि		-			-	
श्रेणी-वार वर्गीकरण:		145.58			64.01	
लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा गया (एफवीटीपीएल)						
		31.03.2023 को	145.58		31.03.2022 को	64.01

10 क - व्यापार प्राप्य		राशि करोड़ रु. में	
क.	**गैर चालू**	**31.03.2023 को**	**31.03.2022 को**
	(क) अच्छा माना गया - प्रतिभूति	-	-
	(ख) अच्छा माना गया - अप्रतिभूति	-	-
	(ग) क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होना	-	-
	(घ) क्रेडिट ख़राब	36.28	36.90
	घटाएं: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	36.28	36.90
गैर-चालू व्यापार प्राप्य		**-**	**-**
ख.	**चालू**	**31.03.2023 को**	**31.03.2022 को**
	(क) अच्छा माना गया - प्रतिभूति	-	-
	(ख) अच्छा माना गया - अप्रतिभूति	91.33	75.25
	(ग) क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होना	13.79	20.24
	घटाएं: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	13.79	20.24
	चालू व्यापार प्राप्य	91.33	75.25

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

टिप्पणियाँ:

10.क.1 माल (एल्यूमिना एवं एल्यूमीनियम) की बिक्री या तो ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम या ऋण पत्र के आधार पर की जाती है। ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि को बिक्री के विरुद्ध समायोजित किया जाता है। पवन ऊर्जा की बिक्री के लिए औसत क्रेडिट अवधि मीटरिंग की तारीख से 30 दिन है जिसे संग्रह अवधि माना जाता है।

10.क.2 ग्राहक जो व्यक्तिगत रूप से 31.03.2023 को कुल व्यापार प्राप्तियों के 5% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं:

ग्राहक		ग्राहक श्रेणी	31.03.2023 को	31.03.2022 को
क	आंध्र प्रदेश सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	पवन ऊर्जा	29%	49%
ख	ज़ेटवर्क मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस प्राइवेट लिमिटेड	धातु	15%	-
ग	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि	पवन ऊर्जा	11%	13%
घ	ग्लोस्टर केबल्स लिमिटेड	धातु	7%	-
ङ	गुप्ता पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	धातु	6%	19%

10.क.3 कंपनी ने मामले-दर-मामले के आधार पर व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ते की गणना के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण का उपयोग किया है। चूंकि एल्यूमिना एवं एल्यूमीनियम की बिक्री के लिए कोई क्रेडिट अवधि नहीं है एवं बिक्री या तो अग्रिम के आधार पर की जाती है या ग्राहकों द्वारा दिए गए क्रेडिट पत्र (एलसी) द्वारा समर्थित होती है, ऐसे प्राप्तियों के खिलाफ कोई क्रेडिट हानि अपेक्षित नहीं है। पवन ऊर्जा की बिक्री के लिए, कंपनी क्रेडिट हानि के अनुभव एवं भविष्योन्मुखी जानकारी के आधार पर क्रेडिट हानि का अनुमान लगाती है।

10.क.4 व्यापार प्राप्य को बैंकों से नकद ऋण सुविधा के विरुद्ध बंधक/गिरवी रखा जाता है।

10.क.5 संबंधित पक्षों (प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक) से कोई प्राप्य राशि देय नहीं है।

10.क.6 संदिग्ध व्यापार प्राप्य के लिए भत्ते में बदलाव:

गैर चालू			
विवरण		**2022-23**	**2021-22**
क	प्रारंभिक जमा	36.90	36.90
ख	जोड़ें: अतिरिक्त (वर्ष के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि)	-	
ग	घटाएं: बट्टे खाते में डालना/समायोजन	0.62	-
घ	जमा शेष	36.28	36.90
चालू			
	विवरण	2022-23	2021-22
क	प्रारंभिक जमा	20.24	20.24
ख	जोड़ें: अतिरिक्त (वर्ष के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि)	13.79	-
ग	घटाएं: बट्टे खाते में डालना/समायोजन	20.24	-
घ	जमा शेष	13.79	20.24

10. ख. व्यापार प्राप्य पुराने — **राशि करोड़ रु. में**

(क) भुगतान की देय तिथि निर्दिष्ट होने पर पुराना

क्रम सं.	विवरण		भुगतान की नियत तिथि से बकाया					
			6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(I)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	31.03.2023 को	54.25	16.97	20.11	-	-	91.33
		31.03.2022 को	45.89	21.07	2.83	5.46	-	75.25
(ii)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य- ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	31.03.2023 को	-	-	-	-	-	-
		31.03.2022 को	-	-	-	-	-	-
(iii)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य- क्रेडिट ख़राब	31.03.2023 को	-	0.55	7.73	1.87	3.64	13.79
		31.03.2022 को	-	-	0.74	11.6	7.9	20.24
(iv)	विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	31.03.2023 को	-	-	-	-	-	-
		31.03.2022 को	-	-	-	-	-	-
(vी)	विवादित व्यापार प्राप्य- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	31.03.2023 को	-	-	-	-	-	-
		31.03.2022 को	-	-	-	-	-	-
(vi)	विवादित व्यापार प्राप्य- ऋण ख़राब	31.03.2023 को	-	-	-	-	36.28	36.28
		31.03.2022 को	-	-	-	-	36.90	36.90
		31.03.2023 को कुल	54.25	17.52	27.84	1.87	39.92	141.40
		31.03.2022 को कुल	45.89	21.07	3.57	17.06	44.80	132.39

वित्तीय विवरण एकल

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

11 - ऋण			राशि करोड़ रु. में
क.	**गैर चालू**	31.03.2023 को	31.03.2022 को
(क)	कर्मचारियों को ऋण		
	प्रतिभूति, अच्छा माना जाता है	63.20	67.64
	अप्रतिभूति, अच्छा माना जाता है	19.05	19.51
(ख)	दूसरों को ऋण		
	अच्छा माना-सुरक्षित	0.14	0.23
कुल गैर-चालू ऋण		**82.39**	**87.38**
(ख)	**चालू**	31.03.2023 को	31.03.2022 को
(क)	कर्मचारियों को ऋण		
	अच्छा माना-सुरक्षित	16.97	17.12
	अच्छा माना-असुरक्षित	11.60	11.14
(ख)	संबंधित पक्षों को ऋण		
	अच्छा माना - प्रतिभूति [टिप्पणी 11.2 देखें]	0.14	0.09
(ग)	दूसरों को ऋण		
	अच्छा माना - प्रतिभूति	0.36	0.29
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	0.09	0.09
कुल चालू ऋण		**28.98**	**28.55**

टिप्पणी:

11.1 कर्मचारियों एवं अन्य लोगों को ऋण परिशोधन लागत पर दिया जाता है। आस्थगित कर्मचारी लाभ, ऋण पर ब्याज दर के बाजार ब्याज दर से कम होने के कारण होने वाले लाभों का प्रतिनिधित्व करते हैं । ऋण की शेष अवधि में इसका परिशोधन सीधी रेखा के आधार पर किया जाता है।

11.2 संबंधित पक्षों (निदेशकों) से बकाया ऋण की राशि कंपनी से कर्मचारी के रूप में ली गई मोटर वाहन एवं गृह निर्माण अग्रिम की राशि है। इन ऋणों के बारे में अधिक जानकारी टिप्पणी 40-संबंधित पार्टी प्रकटीकरण में दी गई है।

11.3 कर्मचारी को ऋण घर की संपत्ति के बंधक एवं वाहनों की गिरवी के विरुद्ध सुरक्षित किया जाता है , जिसके लिए कंपनी की नीति के अनुसार ऐसा ऋण दिया जाता है।

चालू			
विवरण		**2022-23**	**2021-22**
क	प्रारंभिक जमा	0.09	0.09
ख	जोड़ें: परिवर्धन	-	-
ग	घटाएं: बट्टे खाते में डालना/समायोजन	-	-
घ	जमा शेष	0.09	0.09

12 - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां			राशि करोड़ रु. में
क.	**गैर चालू**	**31.03.2023 को**	**31.03.2022 को**
	सुरक्षा जमा	16.72	9.18
	खान बंद होने की जमा राशि [टिप्पणी 12.2 देखें]	4.83	0.56
	कुल अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	21.55	9.74
ख	**चालू**	**31.03.2023 को**	**31.03.2022 को**
	(क) कर्मचारियों को अग्रिम	22.84	24.96
	(ख) बीमा दावा प्राप्य एवं अन्य	7.22	7.22
	(ग) ग्रेच्युटी (वित्त पोषित)	26.74	22.17
	सकल - अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	56.80	54.35
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए भत्ता		
	क) बीमा दावे	7.22	7.22
	अशोध्य एवं संदिग्ध के लिए कुल भत्ता - अन्य चालू संपत्ति	7.22	7.22
	शुद्ध अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	49.58	47.13
	अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण:		
	अच्छा माना-सुरक्षित	49.58	47.13
	असुरक्षित, संदिग्ध माना	7.22	7.22
	सकल अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	56.80	54.35

टिप्पणी:

12.1 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां परिशोधित लागत पर ली जाती हैं।

12.2 उत्कल डी एवं ई कोयला खानों के संबंध में खानें बंद करने के अनुपालन के लिए कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ), कोयला मंत्रालय के साथ एक एस्क्रो समझौते के तहत एसबीआई के साथ निर्धारित शेष राशि।

12.3 भत्तों में परिवर्तन :

चालू			
विवरण		2022-23	2021-22
क	प्रारंभिक जमा	7.22	7.22
ख	जोड़ें: परिवर्धन	-	-
ग	घटाएं: बट्टे खाते में डालना/समायोजन	-	-
घ	जमा शेष	7.22	7.22

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

14 - अन्य परिसंपत्तियां			राशि करोड़ रु. में
क.	**गैर चालू**	**31.03.2023 को**	**31.03.202 को**
	आयकर परिसंपत्ति शुद्ध [टिप्पणी 13.1 देखें]	634.49	320.57
	कुल गैर चालू आयकर	634.49	320.57
ख	**चालू**	**31.03.2023 को**	**31.03.2022 को**
	आयकर परिसंपत्ति शुद्ध	28.49	55.38
	आयकर देयताएं शुद्ध	32.07	211.04
	कुल चालू आयकर संपत्ति (देयताएं)	(3.58)	(155.66)

13.1 ₹ 504.18 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 65.04 करोड़) की आयकर देयता समाप्त हो गई है।

14 - अन्य परिसंपत्तियां				राशि करोड़ रु. में
क	**गैर चालू**		**31.03.2023 को**	**31.03.2022 को**
	(क)	पूंजीगत अग्रिम [टिप्पणी 14.1 देखें]	552.14	498.02
	(ख)	पूंजीगत अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम:		
		सरकार अधिकारियों को अग्रिम		
		(1) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, पोर्ट ट्रस्ट आदि।	226.59	179.95
		(2) अन्य सरकारी प्राधिकरण	6.04	6.01
	(ग)	अन्य		
		पूर्वप्रदत्त व्यय		
		(1) आस्थगित कर्मचारी लाभ [टिप्पणी 11.1 देखें]	21.93	15.50
	सकल अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ		806.70	699.48
	घटाएं: अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के लिए अशोध्य एवं संदिग्ध के लिए भत्ता			
	(क)	पूंजी अग्रिम	0.01	0.01
	(ख)	उत्पाद शुल्क प्राधिकारी के साथ अग्रिम	0.24	0.24
	अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के लिए अशोध्य एवं संदिग्ध के लिए कुल भत्ता		0.25	0.25
	कुल अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ		806.45	699.23
ख.	**चालू**		31.03.2023 को	31.03.2022 को
	पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम			
	(क)	वैधानिक प्राधिकारियों से दावा		
		(1) निर्यात प्रोत्साहन दावे	42.73	71.42
		(2) नवीकरणीय स्रोत एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों से उत्पन्न बिजली पर उत्पादन आधारित प्रोत्साहन	4.28	5.10
		(3) वैट, सेनवैट एवं जीएसटी क्रेडिट वसूली योग्य	321.01	295.64
		(4) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं रेलवे अधिकारियों से प्राप्य दावे	7.68	7.68
	(ख)	पूर्वप्रदत्त व्यय		
		(1) आस्थगित कर्मचारी लाभ [टिप्पणी 11.1 देखें]	3.55	2.04
		(2) अन्य पूर्वप्रदत्त व्यय	7.81	9.34
	(ग)	स्टैम्प इन हैंड	0.02	0.01
	(घ)	अन्य प्राप्य	1.23	1.07
	(ङ)	अन्य अग्रिम		
		(1) कर्मचारियों को अग्रिम	3.00	13.26
		(2) आपूर्तिकर्ताओं एवं सेवा प्रदाताओं को अग्रिम	813.18	656.34
		(3) अन्य	4.91	4.16
	सकल अन्य चालू परिसंपत्तियां		**1,209.40**	**1,066.06**
	घटाएं: अन्य चालू परिसंपत्तियों के लिए अशोध्य एवं संदिग्ध के लिए भत्ता			
	(क)	निर्यात प्रोत्साहन दावे	2.81	0.95
	(ख)	वैट एवं सेनवैट क्रेडिट वसूली योग्य	197.81	197.81
	(ग)	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं रेलवे अधिकारियों से प्राप्य दावे	5.13	5.13
	(घ)	अन्य प्राप्य	0.43	0.36
	(ङ)	आपूर्तिकर्ताओं एवं सेवा प्रदाताओं को अग्रिम	2.59	1.92
	(च)	अन्य	6.14	1.82
	अन्य चालू परिसंपत्तियों के लिए अशोध्य एवं संदिग्ध के लिए कुल भत्ता		**214.91**	**207.99**
	कुल अन्य चालू परिसंपत्तियां		**994.49**	**858.07**
	अन्य चालू परिसंपत्तियों का वर्गीकरण:			
	अच्छा माना-सुरक्षित			
	अच्छा माना-असुरक्षित		994.49	858.07
	संदिग्ध		214.91	207.99
	सकल अन्य चालू परिसंपत्तियां		1,209.40	1,066.06

टिप्पणी:

14.1 उत्कल डी एवं ई कोयला ब्लॉक दोनों के लिए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर एंड आर) के प्रति कंपनी का दायित्व है। उत्कल डी के लिए आर एंड आर नीति पहले ही ओडिशा सरकार द्वारा सूचित कर दी गई है, परियोजना विस्थापित परिवारों (पीडीएफ) द्वारा नकद मुआवजे या वार्षिकी के विकल्प के अभाव में दायित्व के मूल्य का अनुमान लगाना संभव नहीं है। उत्कल ई कोल ब्लॉक के लिए आर एंड आर नीति को सरकार द्वारा अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। ओडिशा के. कंपनी ने उत्कल डी एंड ई कोयला ब्लॉक के लिए आर एंड आर गतिविधि के लिए कलेक्टर अनुगुळ को रु. 180 करोड़ जमा किए हैं।

उत्कल ई कोयला ब्लॉक के लिए आर एंड आर नीति के अभाव एवं लाभार्थियों द्वारा पसंद/विकल्प की चाहत के कारण, दायित्व को मापा नहीं जा सका, एवं इसलिए इसे पूंजीगत संपत्ति/व्यय के रूप में नहीं गिना गया।

वित्तीय विवरण एकल

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

15 - माल सूची			राशि करोड़ रु. में
		31.03.2023 को	31.03.2022 को
(क)	कच्चा माल	306.67	161.03
(ख)	कोयला एवं ईंधन तेल	189.76	170.82
(ग)	कार्बन एनोड (मध्यस्थ)	160.35	136.67
(घ)	कार्य प्रगति	392.13	319.04
(ङ)	तैयार माल	462.36	542.47
(च)	भण्डार एवं पुर्जे	328.95	299.23
(छ)	अन्य [टिप्पणी 15.4 देखें]	-	16.34
कुल माल-सूची		1,840.22	1,645.60
ऊपर शामिल, पारगमन में माल:			
(i)	कच्चा माल	30.74	20.79
(ii)	कोयला एवं ईंधन तेल	16.88	57.79
(iii)	भण्डार एवं पुर्जे	15.22	6.31
पारगमन में कुल माल		62.84	84.89

टिप्पणी:

15.1 वर्ष के दौरान व्यय के रूप में पहचानी गई सूची की लागत ₹ 7,177.59 करोड़ है (पिछला वर्ष: रु. 4,603.84 करोड़)।

15.2 वर्ष के दौरान व्यय के रूप में पहचानी गई माल-सूची की लागत में गैर-चलती वस्तुओं के लिए माल-सूची के राइट-डाउन के संबंध में 2.64 करोड़ (पिछले वर्ष: 1.46 करोड़) शामिल हैं ।

15.3 माल-सूची बैंकों से प्राप्त नकद ऋण सुविधा के विरुद्ध बंधक/गिरवी रखी जाती है।

15.4 इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ सलाहकार समिति द्वारा जारी राय के परिणामस्वरूप, कंपनी ने आंतरिक रूप से उत्पन्न स्क्रैप की सूची की पहचान के लिए अपनी लेखांकन नीति में बदलाव किया है। संशोधित नीति के अनुसार, कंपनी स्क्रैप से प्राप्त राजस्व को उसके निपटान पर मान्यता देती है। प्रतिवेदन तिथि 31.03.2023 के अनुसार, नीति में बदलाव से लाभ एवं हानि के विवरण में रु. 14.84 करोड़ की कमी का प्रभाव पड़ा है।

15.5 माल-सूची के मूल्यांकन का तरीका महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के टिप्पणी 3.9 में बताया गया है।

16.क-नकद एवं नकद समतुल्य		राशि करोड़ रु. में
	31.03.2023 को	31.03.2022 को
(क) बैंकों के साथ शेष		
(1) अनुसूचित बैंकों के साथ संतुलन		
(i) चालू खाते में	63.29	412.80
कुल नकद एवं नकद समकक्ष	63.29	412.80

16. ख. बैंक शेष (नकद एवं नकद समकक्ष के अलावा)		राशि करोड़ रु. में
	31.03.2023 को	31.03.2022 को
(क) जमा खाते में (3-12 महीने के बीच मूल परिपक्वता)	1,992.33	3,217.37
मूलधन	1,926.00	3,156.00
उपार्जित ब्याज	66.33	61.37
(ख) अनुसूचित बैंकों के पास निर्धारित शेष [टिप्पणी 16.बी.1 देखें]	61.88	75.90
कुल अन्य बैंक शेष	**2,054.21**	**3,293.27**

टिप्पणी:

16.ख.1 अनुसूचित बैंकों के पास निर्धारित शेष राशि ₹ 61.88 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 75.90 करोड़) में दावा न किए गए लाभांश के लिए जमा की गई राशि ₹ 4.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4.29 करोड़) एवं बॉक्साइट खदानों की बोली में भाग लेने के लिए बैंक गारंटी जारी करने के लिए ग्रहणाधिकार के रूप में ₹ 11.22 करोड़ शामिल है। विवादित अंतर विद्युत शुल्क के संबंध में माननीय ओडिशा उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार शेष राशि रु. 46.40 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 71.61 करोड़) भारतीय स्टेट बैंक के पास जमा राशि का प्रतिनिधित्व करती है।

हाल ही में ऊर्जा विभाग, ओडिशा सरकार ने दिनांक 31.03.2022 तक उपभोक्ताओं के बकाया विद्युत शुल्क (ईडी) एवं ब्याज के एकमुश्त निपटान (ओटीएस) के लिए एक प्रस्ताव (संकल्प संख्या -11797, दिनांक: 30.11.2022) पारित किया है, जो कैप्टिव खपत के लिए ऊर्जा उत्पन्न करना एवं अदालती मामले/मुकदमेबाजी आदि के कारण ईडी जमा नहीं करना।

कंपनी ने ओटीएस योजना का विकल्प चुना है एवं कॉन्फेडरेशन ऑफ ग्रहीत विद्युत संयंत्र्स, ओडिशा (जिसमें कंपनी एक सदस्य है) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, ओडिशा में कानूनी मामला वापस लेने के बाद आवश्यक कागजात दाखिल किए हैं। ओटीएस योजना में निर्धारित शर्त के अनुसार, प्राधिकरण द्वारा उठाई गई बकाया मांग का 10% राशि ₹ 27.83 करोड़ का भुगतान माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार बनाए गए एस्क्रो खाते से वर्ष के दौरान किया गया है। योजना के तहत अंतिम निपटान अभी पूरा नहीं हुआ है।

16.ख.2 चालू वर्ष के अंत में निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में जमा करने के लिए देय राशि रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)।

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

17 - बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियों		राशि करोड़ रु. में
विवरण	**31.03.2023 को**	**31.03.2022 को**
गैर चालू परिसंपत्तियां		
कुल	7.06	7.09
घटाएं: हानि प्रावधान	6.42	6.52
बिक्री के लिए रखी गई कुल गैर-चालू परिसंपत्तियां	0.64	0.57

17.1 उपरोक्त में पुराने बेकार वाहन एवं संयंत्र एवं मशीनरी शामिल हैं।

17.2 प्रबंधन वित्तीय वर्ष के अंत से 12 महीने की अवधि के भीतर बिक्री लेनदेन को पूरा करने का विश्वास रखता है।

17.3 बिक्री की लागत घटाकर उचित मूल्य वहन लागत का अनुमान लगाता है।

18 - शेयर पूंजी		राशि करोड़ रु. में
	31.03.2023 को	**31.03.2022 को**
अधिकृत शेयर पूंजी:		
31.03.2023 को: रु. 5 प्रत्येक के 6,00,00,00,000 इक्विटी शेयर	3,000.00	3,000.00
[31.03.2022 को: रु. 5 प्रत्येक के 6,00,00,00,000 इक्विटी शेयर]	3,000.00	3,000.00
जारी, अभिदत्त एवं चुकता पूंजी:	918.32	918.32
प्रत्येक 5 रुपये के 1,83,66,31,787 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर		
[31.03.2022 को: 1,83,66,31,787 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर, प्रत्येक 5 रुपये के]		
	918.32	918.32

18.1 इक्विटी शेयरों की संख्या का मिलान		राशि करोड़ रु. में
	शेयर की संख्या	**राशि करोड़ में**
31.03.2021 तक शेष राशि	1,83,66,31,787	918.32
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2022 को शेष राशि	1,83,66,31,787	918.32
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2023 को शेष राशि	1,83,66,31,787	918.32

(i) कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है जिसका प्रत्येक का सममूल्य मूल्य है । इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है एवं कंपनी द्वारा उनकी होल्डिंग्स के आधार पर घोषित लाभांश का आनुपातिक अधिकार रखता है।

(ii) वापस खरीद:

वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी ने 5 रुपये प्रत्येक के 6,73,11,386 इक्विटी शेयर वापस खरीदे, जिससे इक्विटी शेयर पूंजी 966.46 करोड़ से घटकर 932.81 करोड़ हो गई ।

वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी ने 5 रुपये. के 2,89,85,711 इक्विटी शेयर वापस खरीदे, जिससे इक्विटी शेयर पूंजी 932.81 करोड़ से घटकर 918.32 करोड़ हो गई।

(iii) विनिवेश :

वर्ष 2018-19 के दौरान, भारत सरकार ने भारत ईटीएफ के माध्यम से 8,89,86,323 इक्विटी शेयरों का विनिवेश किया। 2018-19 के दौरान भारत सरकार द्वारा ईटीएफ के माध्यम से शेयरों की पुनर्खरीद एवं हस्तांतरण के परिणामस्वरूप,

भारत सरकार की हिस्सेदारी 31.03.2018 को 1,16,37,17,107 अदद (60.20%) से घटकर 31.03.2019 को 97,00,81,517 अदद (51.99%) हो गई है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, भारत सरकार ने भारत 22 ईटीएफ के माध्यम से 92,88,506 इक्विटी शेयरों का विनिवेश किया, जिस पर भारत सरकार की हिस्सेदारी 31.03.2019 को 97,00,81,517 अदद (51.99%) से घटकर 31.03.2020 को 96,07,93,011 अदद (51.50%) हो गई है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, इक्विटी शेयरों की बाय-बैक के परिणामस्वरूप, भारत सरकार की हिस्सेदारी 31.03.2020 को 96,07,93,011 अदद (51.5%) से घटकर 31.03.2021 को 94,17,93,011 अदद (51.28%) हो गई है।

18.2 प्रवर्तकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण:				राशि करोड़ रु. में
	31.03.2023 को		**31.03.2022 को**	
	धारित शेयरों की संख्या	**इक्विटी शेयरों के धारण का %**	**धारित शेयरों की संख्या**	**इक्विटी शेयरों के धारण का %**
प्रमोटर का नाम				
भारत सरकार	94,17,93,011	51.28%	94,17,93,011	51.28%
कुल	94,17,93,011	51.28%	94,17,93,011	51.28%

18.3 5 % से अधिक हिस्सेदारी रखने वाले शेयरधारक का विवरण:				राशि करोड़ रु. में
	31.03.2023 को		**31.03.2022 को**	
	धारित शेयरों की संख्या	**इक्विटी शेयरों के धारण का %**	**धारित शेयरों की संख्या**	**इक्विटी शेयरों के धारण का %**
प्रमोटर का नाम				
भारत सरकार	94,17,93,011	51.28%	94,17,93,011	51.28%
कुल	94,17,93,011	51.28%	94,17,93,011	51.28%

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

19 - अन्य इक्विटी		राशि करोड़ रु. में
	31.03.2023 को	31.03.2022 को
(क) पूंजी प्रतिदान भंडार	370.30	370.30
(ख) सामान्य आरक्षित	7,942.86	7,942.86
(ग) बरकरार रखी गई आय	4,006.98	3,323.16
कुल	**12,320.14**	**11,636.32**

19.1 अन्य इक्विटी		राशि करोड़ रु. में		
अन्य इक्विटी	**पूंजी प्रतिदान आरक्षित**	**सामान्य आरक्षित**	**प्रतिधारित आय**	**कुल**
01.04.2021 तक शेष राशि	**370.30**	**7,942.86**	**1,449.22**	**9,762.38**
इस साल का मुनाफा	-	-	2,951.97	2,951.97
अन्य व्यापक आय (करों का शुद्ध)	-	-	23.95	23.95
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**2,975.92**	**2,975.92**
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	-	-	(183.66)	(183.66)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	-	-	(918.32)	(918.32)
31.03.2022 को शेष राशि	**370.30**	**7,942.86**	**3,323.16**	**11,636.32**
इस साल का मुनाफा	-	-	1,544.49	1,544.49
अन्य व्यापक आय (करों का शुद्ध)	-	-	57.65	57.65
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**1,602.14**	**1,602.14**
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	-	-	(275.49)	(275.49)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	-	-	(642.83)	(642.83)
31.03.2023 को शेष राशि	**370.30**	**7,942.86**	**4,006.98**	**12,320.13**

19.2 वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी ने 4 दिसंबर, 2018 को ₹ 5 प्रति शेयर के 6,73,11,386 पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों को ₹ 75 प्रति शेयर की पेशकश कीमत पर वापस खरीदा था। भुगतान किया गया कुल प्रतिफल ₹ 504.83 करोड़ था। बायबैक के बाद, कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी ₹ 966.46 करोड़ से ₹ 33.65 करोड़ कम होकर ₹ 932.81 करोड़ हो गई है।प्रीमियम राशि `471.18 करोड़ सामान्य आरक्षित निधि से विनियोजित की जाती है। शेयर 7 दिसंबर, 2018 को समाप्त हो गए एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, 33.65 करोड़ की राशि सामान्य रिजर्व से पूंजी मोचन रिजर्व में स्थानांतरित कर दी गई।

वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने 10 मार्च, 2021 को 5 रुपये प्रति शेयर के 2,89,85,711 पूर्ण भुगतान वाले इक्विटी शेयरों को 57.50 रुपये प्रति शेयर की पेशकश कीमत पर वापस खरीदा। भुगतान किया गया कुल प्रतिफल `166.67 करोड़ था। बायबैक के बाद, कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी `932.81 करोड़ से `14.49 करोड़ कम होकर `918.32 करोड़ हो गई है।

प्रीमियम राशि `152.18 करोड़ सामान्य आरक्षित निधि से विनियोजित की जाती है। शेयर 17 मार्च, 2021 को समाप्त हो गए एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, 14.49 करोड़ की राशि सामान्य रिजर्व से पूंजी मोचन रिजर्व में स्थानांतरित कर दी गई।

19.3 वर्ष के दौरान, कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ₹ 1.50 प्रति इक्विटी शेयर पर अंतिम लाभांश का भुगतान किया है, जिसकी राशि ₹ 275.49 करोड़ है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अंतरिम लाभांश की पहली किश्त ₹ 1.00 प्रति इक्विटी शेयर की दर से ₹ 183.66 करोड़ का भुगतान 14 फरवरी 2023 को किया है एवं 31 मार्च 2023 को अंतरिम लाभांश की दूसरी किश्त ₹ 2.50 प्रति इक्विटी शेयर की दर से ₹ 459.16 करोड़ का भुगतान किया गया है। इसके साथ कुल भुगतान 642.82 करोड़ रुपये है। पिछले वर्ष के दौरान, कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए `1 प्रति इक्विटी शेयर की दर से 183.66 करोड़ रुपये का अंतिम लाभांश का भुगतान किया था। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अंतरिम लाभांश की पहली किश्त 2 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की दर से 367.33 करोड़ रुपये एवं अंतरिम लाभांश की दूसरी किश्त 3 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की दर से 550.99 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।

20क - पट्टा देयताएं		राशि करोड़ रु. में
	31.03.2023 को	31.03.2022 को
गैर-चालू पट्टा देयताएं	50.99	50.91
चालू पट्टा देयताएं	5.87	5.52
कुल पट्टा देयताएं	56.86	56.43

20ख - पट्टा देयताएं गतिविधि		राशि करोड़ रु. में
	31.03.2023 को	31.03.2022 को
प्रारम्भ में शेष	56.43	55.97
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	0.56
वर्ष के दौरान जोड़ी गई वित्त लागत	4.08	4.13
पट्टा देयता का भुगतान	3.65	4.23
वर्ष के अंत में शेष	56.86	56.43

21 - उधार		राशि करोड़ रु. में
चालू (सुरक्षित) (परिशोधन लागत पर)	**31.03.2023 को**	**31.03.2022 को**
बिलों के प्रति देयताओं में छूट दी गई	47.75	20.67
कुल	**47.75**	**20.67**

21.1 इन्वेंट्री और व्यापार प्राप्य के दृष्टिबंधक द्वारा सुरक्षित।

21.2 बैंकों के पास दाखिल चालू परिसंपत्तियों का मासिक विवरण खातों की किताबों के अनुरूप है।

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

22. क - व्यापार देय		राशि करोड़ रु. में
क. गैर-चालू	**31.03.2023 को**	**31.03.2022 को**
(1) आपूर्ति एवं सेवाओं के लिए लेनदार		
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बकाया	-	-
- अन्य	10.98	23.61
कुल गैर-चालू व्यापार देय	10.98	23.61
ख. चालू		
(1) आपूर्ति एवं सेवाओं के लिए लेनदार		
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बकाया	36.59	31.50
- अन्य	742.92	788.52
अर्जित मजदूरी एवं वेतन	483.83	637.08
कुल चालू व्यापार देय	**1,263.34**	**1,457.10**

टिप्पणियाँ: 22.1 व्यापार एवं अन्य भुगतान पुष्टिकरण/समाधान एवं परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं।

22.2 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में परिभाषित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय राशि उस सीमा तक निर्धारित की गई है, जहां तक कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसे पक्षों की पहचान की गई है। व्यापार देय (टिप्पणी-22) एवं अन्य वित्तीय देयताएं (टिप्पणी-23) में शामिल ऐसे बकाया के संबंध में उक्त अधिनियम के अनुसार खुलासे इस प्रकार हैं:

23 - अन्य वित्तीय देयताएं		राशि करोड़ रु. में
विवरण	**31.03.2023 को**	**31.03.2022 को**
i) मूल राशि देय	36.59	31.50
ii) मूल राशि पर ब्याज देय	शून्य	शून्य
iiii) नियुक्ति दिवस के बाद ब्याज एवं मूल राशि का भुगतान	शून्य	शून्य
iv) देय ब्याज की राशि एवं भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए (जो भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज की राशि को जोड़े बिना।	शून्य	शून्य
v) वर्ष के अंत में अर्जित एवं अप्रदत्त शेष ब्याज की राशि।	शून्य	शून्य
vi) एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से, अतिरिक्त ब्याज की राशि शेष है एवं आगामी वर्षों में भी देय है, ऐसी तारीख तक जब ऊपर दिए गए ब्याज का वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान किया जाता है।	शून्य	शून्य

(ग) बिना बिल के पुराना बकाया

राशि करोड़ रु. में

	(क) भुगतान की देय तिथि निर्दिष्ट होने पर पुराना							
	(ख) भुगतान की देय तिथि निर्दिष्ट नहीं होने पर पुराना							
	क्रम सं.	**विवरण**	**देय नहीं**	**एक वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
(I)	एमएसएमई	31.03.2023 को	62.36	30.27	-	-	-	92.63
		31.03.2022 को	60.91	13.74	-	-	-	74.65
(II)	अन्य	31.03.2023 को	690.79	185.35	-	-	-	876.14
		31.03.2022 को	820.40	261.17	15.16	6.92	156.62	1,260.27
(III)	विवादित बकाया- एमएसएमई	31.03.2023 को	-	-	-	-	-	-
		31.03.2022 को	-	0.72	-	-	-	0.72
(IV)	विवादित बकाया- अन्य	31.03.2023 को	23.41	-	-	1.81	6.23	31.45
		31.03.2022 को		0.06	0.12	0.16	74.25	74.59
	31.03.2023 को कुल		776.56	215.62	-	1.81	6.23	1,000.22
	31.03.2022 को कुल		881.31	275.69	15.28	7.08	230.87	1,410.23

वित्तीय विवरण एकल

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(ग) बिना बिल के पुराना बकाया — **राशि करोड़ रु. में**

क्रम सं.	विवरण	भुगतान की नियत तिथि से बकाया					
		देय नहीं	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	31.03.2023 को	-	51.66	0.94	0.02	0.21	52.83
	31.03.2022 को	-	43.91	1.21	0.13	0.14	45.39
(ii) अन्य	31.03.2023 को	-	218.57	-	0.94	1.76	221.27
	31.03.2022 को	-	24.43	0.53	-	0.13	25.09
(iii) विवादित बकाया- एमएसएमई	31.03.2023 को	-	-	-	-	-	-
	31.03.2022 को	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया- अन्य	31.03.2023 को	-	-	-	-	-	-
31.03.2022 को		-	-	-	-	-	-
31.03.2023 को कुल		-	270.23	0.94	0.96	1.97	274.10
31.03.2022 को कुल		-	68.34	1.74	0.13	0.27	70.48
31.03.2023 को कुल	(क)+(ख)+(ग)	776.56	485.85	0.94	2.77	8.20	1,274.32
31.03.2022 को कुल	(क)+(ख)+(ग)	881.31	344.03	17.02	7.21	231.14	1,480.71

23 - अन्य वित्तीय देयताएं — **राशि करोड़ रु. में**

क. गैर-चालू	**31.03.2023 को**	**31.03.2022 को**
पूंजीगत आपूर्ति एवं सेवाओं के लिए ऋणदाता		
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बकाया	-	-
- अन्य	180.00	88.57
कुल अन्य गैर-चालू वित्तीय देयताएं	180.00	88.57
ख. चालू	**31.03.2023 को**	**31.03.2022 को**
(क) अवैतनिक लाभांश	4.25	4.29
(ख) अन्य देयताओं के लिए लेनदार		
(1) पूंजीगत आपूर्ति एवं सेवाओं के लिए ऋणदाता		
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बकाया	-	-
- अन्य	400.20	316.13
(2) ग्राहकों से सुरक्षा जमा	3.49	4.95
(3) ग्राहकों का बकाया वापसी	39.92	34.67
(4) ग्राहकों को बिक्री पर छूट के लिए देयताएं	172.44	140.21
(5) कर्मचारियों की वसूली	0.11	0.10
कुल अन्य चालू वित्तीय देयताएं	**620.41**	**500.35**

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

24 - प्रावधान		राशि करोड़ रु. में
क. गैर-चालू	**31.03.2023 को**	**31.03.2022 को**
(क) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
(1) सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व		
(i) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना (पीआरएमबीएस) (वित्त पोषित)	-	152.83
(ii) सेवानिवृत्ति पर लाभ का निपटान	12.59	13.73
(iii) नालको बेनेवोलेंट फंड स्कीम (एनबीएफएस)	2.07	2.15
(iv) नालको रिटायरमेंट वेलफेयर स्कीम (एनआरडब्ल्यूएस)	8.29	8.88
(v) सेवानिवृत्ति उपहार	4.78	5.36
(2) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ		
(i) क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति (टिप्पणी 24.4 देखें)	-	-
(ii) दीर्घावधि सेवा पुरस्कार	12.32	11.55
(iii) नालको एम्पलॉइज फैमिली असिस्टेंस रिहैबिलिटेशन स्कीम (एनईएफएफएआरएस)	16.18	25.51
(ख) अन्य प्रावधान		
(1) परिसंपत्ति बहाली दायित्व/विघटन	44.22	40.59
(2) अन्य कानूनी एवं रचनात्मक दायित्व	0.38	0.38
कुल गैर-चालू प्रावधान	**100.83**	**260.98**
ख) वर्तमान	**31.03.2023 को**	**31.03.2022 को**
(क) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
(1) सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व		
(i) ग्रेच्युटी (वित्त पोषित)	-	-
(ii) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना (पीआरएमबीएस) (वित्त पोषित)	10.44	9.48
(iii) सेवानिवृत्ति पर लाभ का निपटान	3.30	3.79
(iv) नालको बेनेवोलेंट फंड स्कीम (एनबीएफएस)	0.43	0.48
(v) नालको रिटायरमेंट वेलफेयर स्कीम (एनआरडब्ल्यूएस)	2.69	2.90
(vi) सेवानिवृत्ति उपहार	1.07	1.17
(2) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ		
(i) क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति (वित्त पोषित)	39.82	18.99
(ii) लंबी सेवा पुरस्कार	0.63	0.93
(iii) नालको एम्पलॉइज फैमिली असिस्टेंस रिहैबिलिटेशन स्कीम (NEFFARS)	6.83	9.84
(ख) अन्य प्रावधान		
(1) परिधीय विकास व्यय के प्रति	30.05	30.30
(2) अन्य कानूनी एवं रचनात्मक दायित्वों के प्रति	51.63	49.07
कुल चालू प्रावधान	**146.89**	**126.95**

ग. प्रावधानों का संचलन

(1) सेवानिवृत्ति लाभ दायित्वों का संचलन [टिप्पणी 33 देखें]

(2) कर्मचारी लाभों का संचलन

	मुआवजा अनुपस्थिति (वित्त पोषित)	दीर्घ सेवा पुरस्कार	नेफ़र्स
31.03.2021 को शेष राशि	430.37	13.13	31.88
अतिरिक्त प्रावधान स्वीकृति	121.28	1.49	31.59
भुगतान से उत्पन्न होने वाली कटौती	(112.33)	(0.92)	(28.12)
पुनर्माप से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन	**25.62**	**(1.22)**	**-**
अन्य [टिप्पणी 24.4 देखें]	(445.95)	-	-
31.03.2022 को शेष राशि	18.99	12.48	35.35
अतिरिक्त प्रावधानों को मान्यता दी गई	84.41	1.49	11.65
भुगतान से उत्पन्न होने वाली कटौती	(52.25)	(1.35)	(23.99)
पुनर्माप से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन	**(11.33)**	**0.33**	**-**
अन्य [टिप्पणी 24.4 देखें]	**-**	**-**	**-**
31.03.2023 को शेष राशि	**39.82**	**12.95**	**23.01**

वित्तीय विवरण एकल

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(3) अन्य प्रावधानों का संचलन			राशि करोड़ रु. में
	संपत्ति बहाली दायित्व	कानूनी एवं रचनात्मक दायित्व	परिधीय विकास व्यय
31.03.2021 को शेष राशि	**37.42**	**41.72**	**30.47**
अतिरिक्त प्रावधानों को मान्यता दी गई	0.11	12.53	-
भुगतान से उत्पन्न होने वाली कटौती	-	(4.95)	(0.17)
छूट का समापन	3.06	0.15	-
31.03.2022 को शेष राशि	**40.59**	**49.45**	**30.30**
अतिरिक्त प्रावधानों को मान्यता दी गई	0.30	2.97	-
भुगतान से उत्पन्न होने वाली कटौती	0.43	(0.69)	(0.25)
छूट का समापन	2.90	0.28	-
अन्य	-	-	-
31.03.2023 को शेष राशि	**44.22**	**52.01**	**30.05**

टिप्पणी: 24.1 सेवानिवृत्ति एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के प्रति दायित्व को लागू कानूनों एवं कंपनी के नियमों पर विचार करते हुए स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा किए गए मूल्यांकन पर स्वीकृति दी जाती है।

24.2 परिसंपत्ति बहाली दायित्व एवं रचनात्मक दायित्व का प्रावधान इंड. एएस 16: संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण एवं इंड. एएस 37: प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक संपत्ति के अनुरूप प्रबंधन अनुमान के आधार पर किया जाता है।

24.3 परिधीय विकास व्यय का प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की शुरूआत से पहले कंपनी का अव्ययित विकास दायित्व है।

25 - अन्य देयताएं		राशि करोड़ रु. में
क. गैर-चालू	**31.03.2023 को**	**31.03.2022 को**
(i) नेफ़र्स के अंतर्गत जमा	83.52	101.26
(ii) अन्य [टिप्पणी 25.1 देखें]	230.50	230.50
कुल अन्य गैर-चालू देयताएं	314.02	331.76
ख. चालू		
(i) अनुबंध देयताएं (अग्रिम में प्राप्त राजस्व) [टिप्पणी 25.3 एवं 29.2 देखें]	101.54	125.57
(ii) वैधानिक एवं अन्य बकाया		
(क) विद्युत शुल्क [टिप्पणी 25.4 देखें]	85.40	108.49
(ख) स्रोत पर कर काटा एवं एकत्र किया गया	32.46	36.05
(ग) एनईपीएफ ट्रस्ट एवं एनपीएस में योगदान	30.91	41.07
(घ) स्टांप शुल्क का बकाया	212.78	212.78
(ङ) अन्य (सेवा कर, उत्पाद शुल्क, जीएसटी, रॉयल्टी आदि) [टिप्पणी 25.5 देखें]	185.17	356.01
(iii) नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व	87.64	68.71
(iv) नेफ़र्स के तहत जमा	32.50	38.94
(v) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए अनुदान	0.46	0.48
(vi) अन्य क्रेडिट शेष	0.46	0.45
कुल अन्य चालू देयताएं	769.32	988.55

टिप्पणी: 25.1 माननीय सीईएसटीएटी, कोलकाता ने स्वच्छ ऊर्जा उपकर के लिए कंपनी के पक्ष में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान रु. 230.50 करोड़ का रिफंड आदेश जारी किया था । समान मामले पर पहले के विभिन्न निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, जहां लाभार्थी को लाभ की अनुमति नहीं दी गई है, उच्च स्तर की अनिश्चितता के कारण कंपनी ने विवाद के अंतिम परिणाम तक उक्त राशि को देनदारी के रूप में मान्यता देना पसंद किया है। इसके अलावा, विभाग ने सीईएसटीएटी, कोलकाता द्वारा जारी आदेश को माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

25.2 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 की प्रयोज्यता के संबंध में छूट का लाभ उठाने के लिए कंपनी नेफर योजना के अनुसार कर्मचारी के आश्रित से जमा प्राप्त करती है, जिनकी मृत्यु हो गई हो या विकलांगता का सामना करना पड़ा हो) जिसके लिए कंपनी निगम मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार को आवेदन करने की प्रक्रिया में है।

25.3 अनुबंध देयताओं का समाधान (अग्रिम में प्राप्त राजस्व):

क्रम सं.	विवरण	2022-23	2021-22
1	वर्ष के प्रारम्भ में शेष	125.57	97.25
2	खुलू ठेका देयताओं के प्रति वर्ष के दौरान राजस्व स्वीकृत	(107.33)	(95.19)
3	प्रारंभिक देयताओं के प्रति वर्ष के दौरान अग्रिम को वित्तीय देयताओं में पुनः वर्गीकृत	(17.60)	(1.45)
4	जिसके एवज में प्राप्त अग्रिम राजस्व की स्वीकृति नहीं की गई है	100.90	124.96
5	वर्ष के अंत में शेष राशि	101.54	125.57

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

25.4 हाल ही में ऊर्जा विभाग, ओडिशा सरकार ने 31.03.2022 को बकाया विद्युत शुल्क (ईडी) एवं उपभोक्ताओं के ब्याज के एकमुश्त निपटान (ओटीएस) के लिए दिनांक 30.11.2022 को एक प्रस्ताव (संकल्प संख्या-11797, दिनांक-30.11.2022) पारित किया है, जो कैप्टिव खपत के लिए ऊर्जा उत्पन्न करते हैं एवं अदालती मामले/मुकदमे आदि के कारण ईडी जमा नहीं कर रहे हैं।

कंपनी ने ओटीएस योजना का विकल्प चुना है एवं कॉन्फेडरेशन ऑफ ग्रहीत विद्युत संयंत्र, ओडिशा (जिसमें कंपनी एक सदस्य है) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, ओडिशा में कानूनी मामला वापस लेने के बाद आवश्यक कागजात दाखिल किए हैं। ओटीएस योजना में निर्धारित शर्त के अनुसार, प्राधिकरण द्वारा उठाई गई बकाया मांग का 10% राशि ₹ 27.83 करोड़ का भुगतान माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार बनाए गए एस्क्रो खाते से वर्ष के दौरान किया गया है। योजना के तहत अंतिम निपटान अभी पूरा नहीं हुआ है।

25.5 दिनांक 28 मार्च, 2021 से खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 में संशोधन के परिणामस्वरूप, धारा 8ए(8) के अनुसार, जो प्रावधान करता है कि नीलामी के माध्यम से दिए गए खनन पट्टों के अलावा, खनन पट्टों की अवधि, पांचवीं अनुसूची में निर्दिष्ट ऐसी अतिरिक्त राशि के भुगतान पर बढ़ाया जा सकता है। रॉयल्टी के लिए I3MS पोर्टल के माध्यम से आईबीएम द्वारा उठाई गई मांग के आधार पर, कंपनी ने नवंबर 2022 तक पंचपटमाली बॉक्साइट खदान के नॉर्थ एवं सेंट्रल ब्लॉक एवं साउथ ब्लॉक दोनों के लिए अतिरिक्त रॉयल्टी के साथ डीएमएफ एवं एनएमईटी का भुगतान किया है।

खान मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र दिनांक 31.1.2023 के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि सरकारी कंपनियों के संबंध में अतिरिक्त रॉयल्टी भुगतान अधिनियम की धारा 8ए(8) के तहत पट्टे के विस्तार या सरकारी कंपनियों को नए पट्टे देने के मामले में लागू है, जहां क्षेत्र खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2015 की धारा 17 ए (2 सी) के अनुसार 2015 के बाद आरक्षित हैं।

कंपनी के पंचपटमाली (साउथ ब्लॉक) एवं पंचपटमाली (सेंट्रल एवं नॉर्थ ब्लॉक) के खनन पट्टे खनिज (सरकारी कंपनी द्वारा खनन नियम, 2015 (अब एम(ओएएचसीईएम) सीआर, 2016 का नियम 72(1)) के नियम 3(1) के अनुसार क्रमशः 50 साल यानी 19.07.2029 एवं 16.11.2032 तक के लिए दिए गए माने गए हैं। इस प्रकार कंपनी के इन पट्टों को एम(ओएएचसीईएम)सीआर, 2016 के नियम 72(2)एवं(3) के साथ पठित धारा 8ए(8) के तहत विस्तारित नहीं किया गया है।

भारत सरकार के खान मंत्रालय ने ओडिशा सरकार से भी अनुरोध किया है कि दोनों खदानों के लिए 50 साल की पट्टा अवधि पूरी होने तक कंपनी से कोई अतिरिक्त रॉयल्टी नहीं ली जाएगी एवं इन दोनों खनन पट्टों के संबंध में कंपनी द्वारा अब तक भुगतान की गई अतिरिक्त रॉयल्टी को भविष्य के रॉयल्टी भुगतान के बदले समायोजित किया जा सकता है।

बॉक्साइट पर अतिरिक्त रॉयल्टी के विषय पर ओडिशा सरकार से किसी भी संचार के अभाव में, कंपनी ने 01.12.2022 से 31.3.2023 तक अतिरिक्त रॉयल्टी के प्रति दायित्व की मान्यता की मौजूदा प्रथा को जारी रखा है।

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

26 - आस्थगित कर देयताएं				राशि करोड़ रु. में
			31.03.2023 को	31.03.2022 को
आस्थगित कर देयताएं			1,064.19	1,090.08
आस्थगित कर परिसंपत्तियां			106.42	221.90
			957.77	868.18
2021-22	**01.04.2021 को प्रारंभिक शेष**	**लाभ या हानि में स्वीकृत**	**अन्य व्यापक आय में स्वीकृत**	**31.03.2022 को अंतिम शेष**
निम्नलिखित से संबंधित आस्थगित कर देयताएं:				
सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	(1,140.45)	78.82	-	(1,061.63)
परिभाषित लाभ देयता के लिए प्रावधान (ओसीआई)	(5.15)	-	(23.30)	(28.45)
आस्थगित कर देयताएं	(1,145.60)	78.82	(23.30)	(1,090.08)
निम्न संबंध में आस्थगित कर संपत्तियां:				
क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति एवं अन्य कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	108.32	(103.54)	-	4.78
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान	66.12	19.35	-	85.47
संदिग्ध ऋण/अग्रिम के लिए प्रावधान	69.01	(0.32)	-	68.69
एफवीटीपीएल वित्तीय संपत्ति	4.32	(0.27)	-	4.05
धारा 43बी के लागू होने के कारण अस्थायी अंतर	0.93	54.80	-	55.73
अन्य	3.18	-	-	3.18
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	251.88	(29.98)	-	221.90
आस्थगित कर (देयताएं) / संपत्ति - [शुद्ध]	(893.72)	48.84	(23.30)	(868.18)
2022-23	**01.04.2022 को प्रारंभिक शेष**	**लाभ या हानि में पहचाना जाता है**	**अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त**	**31.03.2023 को समापन शेष**
निम्नलिखित से संबंधित आस्थगित कर देयताएं:				
सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	(1,061.63)	(0.61)	-	(1,062.24)
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान (ओसीआई)	(28.45)	-	26.50	(1.95)
आस्थगित कर देयताएं	(1,090.08)	(0.61)	26.50	(1,064.19)
निम्न संबंध में आस्थगित कर संपत्तियां:				
क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति एवं अन्य कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	4.78	(4.78)	-	0.00
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान	85.47	(64.32)	-	21.15
संदिग्ध ऋण/अग्रिम के लिए प्रावधान	68.69	(0.60)	-	68.09
एफवीटीपीएल वित्तीय संपत्ति	4.05	9.04	-	13.09
धारा 43बी के लागू होने के कारण अस्थायी अंतर	55.73	(54.82)	-	0.91
अन्य	3.18	-	-	3.18
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**221.90**	**(115.48)**	**-**	**106.42**
आस्थगित कर (देयताएं) / संपत्ति [शुद्ध]	**(868.18)**	**(116.09)**	**26.50**	**(957.77)**

टिप्पणी: चालू वर्ष के लिए लागू दर 25.168% (पिछले वर्ष 25.168%) है।

27. आकस्मिक देयताएं (जिस सीमा तक प्रावधान न किया गया हो)	राशि करोड़ रु. में	
	31.03.2023 को	31.03.2022 को
कंपनी के प्रति दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया		
क. वैधानिक प्राधिकारी से मांग		
1. ओडिशा बिक्री कर	3.71	4.09
2. केन्द्रीय विक्रय कर	277.52	280.55
3. वैट	0.69	12.64
4. उत्पाद शुल्क	410.44	410.44
5. उत्पाद शुल्क	102.67	102.77
6. सेवा कर	13.08	14.82
7. आयकर	210.27	223.75
8. प्रवेश कर	217.28	222.21
9. सड़क कर	2.65	2.65
10. स्टाम्प शुल्क	0.51	0.51
11. सरकार से दावा. (एनजीटी)	-	109.01
12. पीएसयू से दावा	423.21	322.92
13. भूमि अधिग्रहण एवं उस पर ब्याज	85.55	78.07
14. खान विभाग ओडिशा सरकार	136.32	136.32
15. जल संसाधन विभाग, ओडिशा सरकार. जल संरक्षण निधि	119.24	119.24
ख. ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य लोगों द्वारा दावा		
1. ठेकेदार के आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य के दावे	359.15	338.41
कुल	**2,362.31**	**2,378.40**

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

कंपनी के प्रति जिन दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है उनमें शामिल हैं:

I. आयकर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, प्रवेश कर एवं अन्य सरकारी शुल्कों के लिए विभिन्न वैधानिक अधिकारियों से मांग। कंपनी संबंधित अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष मांगों का विरोध कर रही है। यह उम्मीद की जाती है कि इन कार्यवाहियों का अंतिम परिणाम कंपनी के पक्ष में होगा एवं कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं संचालन के परिणामों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

II. मध्यस्थता/अदालतों में लंबित सामग्री/सेवाओं की आपूर्ति के लिए ठेकेदारों के दावे व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में उत्पन्न हुए हैं। कंपनी उचित रूप से उम्मीद करती है कि ये कानूनी कार्रवाइयां कंपनी के पक्ष में संपन्न एवं निर्धारित की जाएंगी एवं कंपनी के परिचालन परिणामों या वित्तीय स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

iii. पीएसयू के दावे में ऊर्जा क्षतिपूर्ति शुल्क एवं उस पर विलंबित भुगतान अधिभार शामिल है, 2005 से, खान व परिशोधक कॉम्प्लेक्स में नालको परिशोधक द्वारा ऊपरी कोलाब, कोरापुट में जलाशय से पानी खींचने के कारण निगम द्वारा बिजली उत्पादन के नुकसान के लिए ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएचपीसी) द्वारा मांग की गई थी।

iv. कंपनी के खिलाफ दावे ज्यादातर मूल्यांकन चरण में आईटी विभाग द्वारा उठाई गई मांगों के कारण हैं। ये दावे अस्वीकृति के कई मुद्दों के कारण हैं जैसे कि धारा 32(i)(iiia) के तहत अतिरिक्त मूल्यह्रास के संबंध में अस्वीकृति, परिधीय विकास व्यय की अस्वीकृति, गैर-चलती दुकानों एवं पुर्जों के लिए प्रावधान, अल्पकालिक पूंजीगत लाभ का उपचार एवं दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के तहत हानि की अनुमति नहीं देना एवं इसे व्यावसायिक आय के रूप में मानना, धारा 14ए के तहत अस्वीकृति आदि। ये मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं एवं विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लंबित हैं। कंपनी, अपने कर सलाहकारों सहित, उम्मीद करती है कि उच्च अपीलीय मंचों सीआईटी (ए) / आईटीएटी (क्षेत्राधिकार) द्वारा कंपनी के पक्ष में पहले से ही उपलब्ध निर्णयों के मद्देनजर अंतिम समाधान पर उसकी स्थिति को बरकरार रखा जाएगा। इस प्रकार इसका कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं संचालन के परिणामों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए, कर उपचार में कोई अनिश्चितता नहीं है जो कंपनी के कर योग्य लाभ (हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानि, अप्रयुक्त कर क्रेडिट एवं कर दरों के निर्धारण को प्रभावित करेगी।

कंपनी ने विवाद के संभावित परिणाम एवं संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभावनाओं पर विचार करते हुए विवादित आयकर मामलों एवं विभाग/प्राधिकरणों द्वारा उठाई गई मांगों की समीक्षा की है एवं तदनुसार 31.03.2023 को खुलासा किया है।

27.1 आकस्मिक देयताओं का संचलन — राशि करोड़ रु. में

	31.03.2022 को	वर्ष के दौरान कमी	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	31.03.2023 को
क. वैधानिक प्राधिकारी द्वारा मांग				
1. ओडिशा बिक्री कर	4.09	(0.38)	-	3.71
2. केन्द्रीय विक्रय कर	280.55	(3.49)	0.46	277.52
3. वैट	12.64	(11.95)	-	0.69
4. उत्पाद शुल्क	410.44	-	-	410.44
5. कस्टम ड्यूटी	102.77	(0.09)	-	102.67
6. सेवा कर	14.82	(1.73)	-	13.08
7. आयकर	223.75	(15.90)	2.42	210.27
8. प्रवेश कर	222.21	(4.94)	-	217.28
9. सड़क कर	2.65	-	-	2.65
10. स्टाम्प शुल्क	0.51	-	-	0.51
11. सरकार से दावा (एनजीटी)	109.01	(109.01)	-	-
12. पीएसयू से दावा	322.92	-	100.30	423.21
13. भूमि अधिग्रहण एवं उस पर ब्याज	78.07	-	7.48	85.55
14. ओडिशा खान विभाग सरकार से मांग	136.32	-	-	136.32
15. जल संरक्षण निधि के लिए ओडिशा सरकार के जल संसाधन विभाग से मांग	119.24	-	-	119.24
ख. ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य लोगों द्वारा दावा				
1. ठेकेदार के आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य के दावे	338.41	(9.55)	30.30	359.15
कुल	**2,378.40**	**(157.04)**	**140.95**	**2,362.31**

28 - प्रतिबद्धता — राशि करोड़ रु. में

	31.03.2023 को	31.03.2022 को
क) पूंजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि एवं इसके लिए प्रावधान नहीं है	3,690.17	3,404.69
ख) अन्य प्रतिबद्धताएँ		
(1) भारत सरकार को देय राशि लेकिन उत्कल डी एंड ई कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए भुगतान अभी तक देय नहीं है।	शून्य	शून्य
(2) निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना के तहत पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए निर्यात दायित्व।	244.51	463.94
(3) सरकार के प्रति प्रतिबद्धता की अनुमानित राशि। पोट्टांगी बॉक्साइट खानों के आवंटन के लिए ओडिशा सरकार	शून्य	शून्य
(4) सरकार के प्रति प्रतिबद्धता की अनुमानित राशि 5वीं स्ट्रीम परिशोधक परियोजना के लिए भारत सरकार (MoEFFC)।	शून्य	शून्य
(5) पूंजी निवेश के लिए निगम पर्यावरण जिम्मेदारी (सीईआर)।	शून्य	6.00
कुल	**3,934.68**	**3,874.63**

वित्तीय विवरण एकल

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

29 - संचालन से राजस्व

राशि करोड़ रु. में

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
I. ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व		
(क) उत्पादों की बिक्री		
1) निर्यात:		
I) रसायन	3,642.61	3,664.61
ii) एल्यूमिनियम	574.15	2,699.54
2) घरेलू:		
I) रसायन	265.46	278.47
ii) एल्यूमिनियम	9,626.61	7,370.62
(ख) विद्युत बिक्री		
i) पवन ऊर्जा [टिप्पणी सं. देखें। 29.3]	62.03	45.74
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	**14,170.86**	**14,058.98**
II. अन्य परिचालन आय		
(क) निर्यात प्रोत्साहन		
i) रसायन	35.90	36.11
ii) एल्यूमिनियम	17.03	66.49
(ख) नवीकरणीय ऊर्जा पर प्रोत्साहन		
i) नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र	7.09	8.11
ii) पीढ़ी आधारित प्रोत्साहन	3.49	3.98
(ग) स्वयं निर्मित सामान आंतरिक रूप से उपयोग/पूंजीकृत	10.51	7.14
(घ) आंतरिक रूप से उत्पन्न स्क्रैप से आय	9.98	33.77
कुल अन्य परिचालन आय	**84.00**	**155.60**
संचालन से राजस्व	**14,254.86**	**14,214.58**

टिप्पणी: 29.1 अधिकांश बिक्री अग्रिम या ऋण पत्र के विरुद्ध होती है। जहां बिक्री क्रेडिट पर की जाती है, वहां प्रतिफल की राशि में कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं होता है क्योंकि भुगतान अवधि एक वर्ष के भीतर होती है।

29.2 अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध की शर्तों के अनुसार, या तो सभी प्रदर्शन दायित्वों को ऐसे अनुबंधों की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाना है या कंपनी को सभी पूर्ण प्रदर्शन दायित्वों के लिए अपने ग्राहकों से विचार प्राप्त करने का अधिकार है। तदनुसार, कंपनी ने इंड. एएस 115 के अनुच्छेदग्राफ 121 के तहत उपलब्ध व्यावहारिक समीचीनता का लाभ उठाया है एवं तुलन पत्र की तारीख पर असंतुष्ट (या आंशिक रूप से असंतुष्ट) प्रदर्शन दायित्वों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण को समाप्त कर दिया है। इसके अलावा, अनुबंध की शर्तें सीधे प्रत्येक पूर्ण निष्पादन दायित्वों के लिए एकल लेनदेन मूल्य की पहचान करती हैं, लेनदेन मूल्य का कोई तत्व नहीं है जिसे वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राजस्व में शामिल नहीं किया गया है।

29.3 कंपनी ने 2018-19 से बिजली खरीद समझौते (पीपीए) की अनुपलब्धता के कारण राजस्थान राज्य में स्थित अपने दो पवन ऊर्जा संयंत्रों से राजस्व की पहचान नहीं की है।

30 - अन्य आय

राशि करोड़ रु. में

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
(क) ब्याज आय		
(i) उन वित्तीय परिसंपत्तियों से अर्जित ब्याज आय जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट नहीं किया गया है:		
- बैंक जमा	143.25	103.18
- कर्मचारियों को ऋण	10.17	9.25
- परिशोधित लागत पर ली गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	20.04	13.42
(ii) आयकर वापसी से अर्जित ब्याज आय	13.72	84.51
(ख) लाभांश आय		
- चालू निवेश से लाभांश	17.23	13.91
(ग) शुद्ध विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)	(8.90)	(1.59)
(घ) एफवीटीपीएल में निर्दिष्ट वित्तीय परिसंपत्तियों पर शुद्ध लाभ/(हानि)।	0.57	(0.36)
(ङ) देयताओं को वापस लिखने की अब आवश्यकता नहीं है [टिप्पणी देखें: 30.1]	8.00	23.00
(च) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की बिक्री पर शुद्ध लाभ/(हानि)।	2.56	0.44
(छ) अन्य	28.99	18.33
कुल अन्य आय	**235.63**	**264.09**

टिप्पणी: 30.1 रिपोर्टिंग तिथि पर 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पुस्तकों में पड़ी लावारिस देनदारी को वापस लिखा जाता है और आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31- उपभोग की गई सामग्री की लागत

राशि करोड़ रु. में

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
क. कच्चा माल		
(1) कास्टिक सोडा	1,463.37	873.17
(2) सीपी कोक	1,167.81	693.19
(3) सीटी पिच	302.72	225.98
(4) एल्युमिनियम फ्लोराइड	107.69	87.18
(5) लाइम	74.17	52.24
(6) अन्य	56.36	39.37
कुल उपभोग किया गया कच्चा माल	**3,172.12**	**1,971.13**
ख. बिजली एवं ईंधन		
(1) कोयला	2,521.56	1,502.24
(2) ईंधन तेल	1,054.24	864.58
(3) अपनी पीढ़ी पर कर्तव्य	376.92	375.05
(4) बिजली की खरीद	737.92	637.96
(5) विद्युत पारेषण शुल्क	3.05	8.65
कुल बिजली एवं ईंधन की खपत	**4,693.69**	**3,388.48**

32. तैयार माल, मध्यस्थों एवं कार्य-प्रक्रिया की सूची में परिवर्तन

राशि करोड़ रु. में

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
तैयार माल		
आरंभिक भंडार		
(1) बॉक्साइट	18.54	4.34
(2) रसायन	253.91	232.28
(3) एल्युमिनियम	270.02	227.81
तैयार माल का कुल प्रारंभिक भंडार	**542.47**	**464.43**
घटाएं: अंतिम भंडार		
(1) बॉक्साइट	26.99	18.54
(2) रसायन	198.82	253.91
(3) एल्युमिनियम	236.55	270.02
तैयार माल का कुल अंतिम भंडार	**462.36**	**542.47**
तैयार माल में (अभिवृद्धि)/कमी	**80.11**	**(78.04)**
मध्यवर्ती		
आरंभिक भंडार		
एनोड	113.19	100.83
अन्य	23.48	17.74
मध्यवर्ती का कुल प्रारंभिक भंडार	136.67	118.57
घटाएं: अंतिम भंडार		
एनोड	**143.00**	**113.19**
अन्य	17.35	23.48
मध्यवर्ती का कुल समापन भंडार	160.35	136.67
(अभिवृद्धि)/मध्यस्थों में कमी	(23.68)	(18.10)
काम चालू		
आरंभिक भंडार	319.04	298.35
घटाएं: अंतिम भंडार	**392.13**	**319.04**
कार्य प्रक्रिया में (अभिवृद्धि)/कमी	(73.09)	(20.69)
माल-सूची में कुल (अभिवृद्धि)/कमी	(16.66)	(116.83)

वित्तीय विवरण एकल

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

33. कर्मचारी लाभ व्यय

राशि करोड़ रु. में

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
(क) वेतन एवं मजदूरी, बोनस सहित	1,419.98	1,968.69
(ख) भविष्य एवं अन्य निधियों में योगदान		
1) भविष्य निधि	114.77	115.87
2) ग्रेच्युटी	35.72	30.01
3) रोजगार पश्चात पेंशन योजना	103.61	104.00
(ग) कर्मचारी कल्याण व्यय	167.91	167.50
कुल कर्मचारी लाभ व्यय	**1,841.99**	**2,386.07**
घटाएँ: निर्माण के दौरान व्यय में स्थानांतरित (ईडीसी)	9.93	30.27
शुद्ध कर्मचारी लाभ व्यय	**1,832.06**	**2,355.80**

टिप्पणियाँ:

33.क. कर्मचारी लाभ योजनाएँ

33.क.1 परिभाषित योगदान योजनाएं

क) पेंशन निधि: कंपनी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) के ट्रस्टी बैंक को निश्चित योगदान का भुगतान करती है, जो बदले में संबंधित कर्मचारी द्वारा निर्दिष्ट बीमाकर्ताओं के साथ पैसा निवेश करता है। कंपनी की देनदारी केवल निश्चित अंशदान की सीमा तक ही सीमित है।

33.ए.2 परिभाषित लाभ योजनाएं

क) भविष्य निधि: कंपनी की भविष्य निधि का प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 17 के तहत एक छूट प्राप्त ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। कर्मचारी एवं कंपनी दोनों एक निर्दिष्ट प्रतिशत पर भविष्य निधि में मासिक योगदान करते हैं। कर्मचारियों के वेतन का. कंपनी फंड का बड़ा हिस्सा ट्रस्ट को देती है, जो क़ानून के अनुसार स्वीकृत प्रतिभूतियों में फंड का निवेश करता है। शेष भाग सरकार द्वारा प्रशासित पेंशन फंड में योगदान दिया जाता है।

कंपनी का दायित्व है कि वह सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम रिटर्न दर का भुगतान करे। छूट की शर्त के अनुसार, ट्रस्ट के निवेश से रिटर्न एवं सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर के बीच यदि कोई कमी है तो कंपनी उसे पूरा करेगी। कंपनी द्वारा किए गए योगदान एवं ब्याज की कमी, यदि कोई हो, को कर्मचारी लाभ व्यय के तहत लाभ एवं हानि में व्यय के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

तदनुसार कंपनी ने इंड. एएस 19 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन प्राप्त कर लिया है एवं 31 मार्च 2023 एवं 31 मार्च 2022 तक ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित फंड में कोई कमी नहीं है। दायित्व का चालू मूल्य, योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य एवं अन्य प्रमुख धारणाओं का सारांश नीचे दिया गया है।

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4,009.91	4,079.57
परिभाषित लाभ दायित्वों का चालू मूल्य	3,835.87	3,920.73
ट्रस्ट के परिभाषित लाभ दायित्व से उत्पन्न होने वाली शुद्ध देयता	-	-
छूट की दर	7.17%	7.00%
वापसी की गारंटीकृत दर	8.15%	8.10%
ट्रस्ट द्वारा घोषित ब्याज दर	8.15%	8.10%

ख) ग्रेच्युटी: ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अनुसार कर्मचारियों को अधिकतम 20,00,000 रुपये तक की ग्रेच्युटी देय है। ग्रेच्युटी योजना कंपनी द्वारा वित्त पोषित है एवं एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है। योजना के तहत ग्रेच्युटी के दायित्व को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

ग) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ: यह लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके जीवनसाथी के लिए उपलब्ध है जिन्होंने लाभ का विकल्प चुना है। कंपनी के नियम के अनुसार एक आंतरिक रोगी के रूप में चिकित्सा उपचार का लाभ कंपनी के अस्पताल/सरकारी अस्पताल से लिया जा सकता है। वे कंपनी द्वारा निर्धारित खर्चों की अधिकतम सीमा के अधीन बाह्य रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं । योजना के तहत दायित्व को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है। यह योजना कंपनी द्वारा वित्त पोषित है एवं एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है।

घ) निपटान-लाभ: सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्ति पर, यदि योजना का विकल्प चुना जाता है, तो कर्मचारियों एवं/या परिवार को अंतिम मुख्यालय से गृहनगर या गृह नगर की दूरी तक निपटान के किसी अन्य स्थान तक स्थानांतरण टीए स्वीकार्य है। व्यक्तिगत वाहन का परिवहन भी स्वीकार्य होगा। इसके लिए दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

ङ) नालको बेनेवोलेंट फंड स्कीम: योजना का उद्देश्य कंपनी के रोजगार के दौरान मरने वाले योजना के सदस्यों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना के अनुसार, कंपनी की सेवा के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु होने पर सदस्यों द्वारा प्रति सदस्य रु.30/- की दर से योगदान दिया जाएगा एवं कंपनी द्वारा भी उतना ही योगदान किया जाएगा। इसके लिए दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

च) नालको रिटायरमेंट वेलफेयर स्कीम: योजना का उद्देश्य कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सद्भावना के संकेत के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी सदस्य से वसूली रु. 10/- प्रति सेवानिवृत्त सदस्य होगी। कंपनी समतुल्य योगदान के बराबर राशि प्रदान करेगी। इसके लिए दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

छ) सेवानिवृत्ति उपहार योजना: इस योजना का उद्देश्य कंपनी की सेवाओं से चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को मान्यता देना है। इस योजना में सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति पर प्रति सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ₹ 25000/- मूल्य की उपहार सामग्री शामिल है । इसके लिए दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

33.क.3 अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

क) क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति : कंपनी के अवकाश नियमों में निर्धारित अधिकतम अनुमेय सीमा के अधीन, संचित अर्जित अवकाश, अर्ध वेतन अवकाश एवं बीमारी अवकाश अलग होने पर देय है। सेवा अवधि के दौरान कंपनी के नियमानुसार संचित अवकाश के नकदीकरण की भी अनुमति है। इसके लिए दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है। दायित्व कंपनी द्वारा वित्त पोषित है एवं एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

ख) दीर्घ सेवा पुरस्कार : 25 वर्ष की सेवा पूरी करने वाला कर्मचारी लंबी सेवा पुरस्कार का हकदार है जो एक महीने के मूल वेतन एवं डीए के बराबर है। इसके लिए दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

ग) नेफ़र्स : विकलांगता/मृत्यु की स्थिति में, योजना के तहत निर्धारित निर्धारित राशि जमा करने पर, कंपनी कर्मचारी/नामांकित व्यक्ति को अनुमानित सेवानिवृत्ति की तारीख तक उनके विकल्प पर मासिक लाभ का भुगतान करती है। इसके लिए दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

कर्मचारी लाभ योजनाएं आम तौर पर कंपनी को बीमांकिक जोखिम, निवेश जोखिम, ब्याज जोखिम, दीर्घायु जोखिम एवं वेतन जोखिम जैसे बीमांकिक जोखिमों से अवगत कराती हैं: -: -

I. **बीमांकिक जोखिम:** यह जोखिम है कि कंपनी को कर्मचारी लाभ की लागत उम्मीद से अधिक होगी। यह निम्नलिखित कारणों में से किसी एक के कारण उत्पन्न हो सकता है:

क. प्रतिकूल वेतन वृद्धि अनुभव: अनुमानित वेतन वृद्धि से अधिक वेतन वृद्धि के परिणामस्वरूप दायित्व में अपेक्षा से अधिक दर से वृद्धि होगी।

ख. मृत्यु दर में परिवर्तनशीलता: यदि वास्तविक मृत्यु दर अनुमानित मृत्यु दर अनुमान से अधिक है तो ग्रेच्युटी लाभ का भुगतान अपेक्षा से पहले किया जाएगा। चूँकि मृत्यु लाभ पर निहित होने की कोई शर्त नहीं है, नकदी प्रवाह में तेजी से अनुमानित वेतन वृद्धि एवं छूट दर के सापेक्ष मूल्यों के आधार पर बीमांकिक हानि या लाभ होगा।

ग. निकासी दरों में परिवर्तनशीलता: यदि वास्तविक निकासी दरें अनुमानित निकासी दर धारणा से अधिक हैं तो ग्रेच्युटी लाभ का भुगतान अपेक्षा से पहले किया जाएगा। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि इस्तीफे की तारीख पर लाभ निहित हैं या नहीं।

II. **निवेश जोखिम**: वित्त पोषित योजनाओं के लिए जो परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए बीमाकर्ताओं पर निर्भर हैं, बीमाकर्ता द्वारा प्रमाणित परिसंपत्तियों का मूल्य देयता का समर्थन करने वाले उपकरणों का उचित मूल्य नहीं हो सकता है। ऐसे मामलों में, परिसंपत्तियों का चालू मूल्य भविष्य की छूट दर से स्वतंत्र है। यदि अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान छूट दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं तो इसके परिणामस्वरूप शुद्ध देयता या वित्त पोषित स्थिति में व्यापक उतार-चढ़ाव हो सकता है।

iii. **ब्याज जोखिम:** परिभाषित लाभ दायित्व की गणना सरकारी बांड के आधार पर छूट दर का उपयोग करती है। यदि बांड की पैदावार गिरती है, तो परिभाषित लाभ दायित्व में वृद्धि होगी।

iv. **दीर्घायु जोखिम:** परिभाषित लाभ योजना दायित्व के चालू मूल्य की गणना योजना प्रतिभागियों की उनके रोजगार के दौरान एवं बाद में मृत्यु दर के सर्वोत्तम अनुमान के संदर्भ में की जाती है। योजना प्रतिभागियों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

v. **वेतन जोखिम:** परिभाषित लाभ योजना दायित्व के चालू मूल्य की गणना योजना प्रतिभागियों के भविष्य के वेतन के संदर्भ में की जाती है। इस प्रकार, योजना प्रतिभागियों के वेतन में अनुमानित योजना से अधिक वृद्धि से योजना की देनदारी बढ़ जाएगी।

बीमांकिक मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणाएँ इस प्रकार थीं: **राशि करोड़ रु. में**

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
छूट दर (रें)	**7.17%**	**7.00%**
वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर	6.65%	6.65%
मृत्यु दर	आईएएलएम 2012-2014 अल्टीमेट	आईएएलएम 2012-2014 अल्टीमेट
संघर्षण दर	1%	1%

इन परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में लाभ एवं हानि के विवरण में पहचानी गई राशियाँ इस प्रकार हैं: **राशि करोड़ रु. में**

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
सेवा लागत :		
- चालू सेवा लागत	(43.29)	(35.10)
- पिछली सेवा लागत एवं निपटान से (लाभ)/हानि	42.22	17.36
- शुद्ध ब्याज व्यय	(9.10)	(10.91)
परिभाषित लाभ लागत के घटकों को लाभ एवं हानि के विवरण में स्वीकृति दी गई है	**(10.17)**	**(28.65)**
शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व का पुनर्माप :		
शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व पर वापसी	(1.35)	4.68
वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	8.71	24.61
अनुभव की धारणाओं से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	23.79	17.96
अन्य		
परिभाषित लाभ परिसंपत्ति पर प्रतिबंधों के लिए समायोजन		
परिभाषित लाभ लागत के घटकों को अन्य व्यापक आय में स्वीकृति दी गई है	31.15	47.25
कुल	**20.98**	**18.60**

वित्तीय विवरण एकल

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में इकाई के दायित्व से उत्पन्न होने वाली तुलन पत्र में शामिल राशि इस प्रकार है: **राशि करोड़ रु. में**

	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबीएस-वित्त पोषित)	स्थायीकरण-लाभ	नालको बेनेवोलेंट फंड स्कीम	नालको रिटायरमेंट वेलफेयर स्कीम	सेवानिवृत्ति उपहार योजना	ग्रेच्युटी (वित्त पोषित)
31 मार्च 2022						
परिभाषित लाभ दायित्व का चालू मूल्य	(162.31)	(17.51)	(2.63)	(11.78)	(6.53)	(532.70)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-					554.86
परिभाषित लाभ दायित्व से उत्पन्न होने वाली शुद्ध देयता	(162.31)	(17.51)	(2.63)	(11.78)	(6.53)	22.16
31 मार्च 2023						
परिभाषित लाभ दायित्व का चालू मूल्य	(171.28)	(15.88)	(2.51)	(10.98)	(5.85)	(483.42)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	160.85					510.14
परिभाषित लाभ दायित्व से उत्पन्न होने वाली शुद्ध देयता	**(10.43)**	**(15.88)**	**(2.51)**	**(10.98)**	**(5.85)**	**26.72**
परिभाषित लाभ दायित्वों के चालू मूल्य में परिवर्तन इस प्रकार हैं:						
	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबीएस)	**स्थायीकरण-लाभ**	**नालको बेनेवोलेंट फंड स्कीम**	**नालको रिटायरमेंट वेलफेयर स्कीम**	**सेवानिवृत्ति उपहार योजना**	**ग्रेच्युटी (वित्त पोषित)**
01 अप्रैल, 2021 तक परिभाषित लाभ दायित्वों का शेष	(155.35)	(19.58)	(2.73)	(12.38)	(7.16)	(595.80)
चालू सेवा लागत	-	(2.94)	-	-	-	(32.16)
ब्याज लागत	(10.46)	(1.17)	(0.16)	(0.79)	(0.47)	(38.82)
पुनर्मूल्यांकन (लाभ)/नुकसान						
वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	1.33	0.39	0.05	0.25	0.20	22.39
धारणा अनुभव से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(9.58)	0.04	(0.62)	(1.01)	-	29.13
लाभ का भुगतान किया गया	11.75	5.75	0.83	2.15	0.90	82.56
31 मार्च, 2022 तक परिभाषित लाभ दायित्व का समापन	**(162.31)**	**(17.51)**	**(2.63)**	**(11.78)**	**(6.53)**	**(532.70)**

राशि करोड़ रु. में

	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबीएस)	स्थायीकरण-लाभ	नालको बेनेवोलेंट फंड स्कीम	नालको रिटायरमेंट वेलफेयर स्कीम	सेवानिवृत्ति उपहार योजना	ग्रेच्युटी (वित्त पोषित)
चालू सेवा लागत	-	(3.00)	-	-	-	(40.29)
ब्याज लागत	(11.19)	(1.10)	(0.18)	(0.77)	(0.43)	(35.21)
पुनर्मूल्यांकन (लाभ)/नुकसान						
परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि वित्तीय धारणाएँ	2.93	0.15	0.02	0.11	0.07	5.43
बीमांकिक (लाभ)/हानि से उत्पन्न धारणाओं का अनुभव करें	(13.19)	1.24	0.03	(0.59)	0.10	36.20
लाभ का भुगतान किया गया	12.48	4.34	0.25	2.05	0.94	83.15
31 मार्च, 2023 को परिभाषित लाभ दायित्व का समापन	**(171.28)**	**(15.88)**	**(2.51)**	**(10.98)**	**(5.85)**	**(483.42)**

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

33. कर्मचारी लाभ व्यय

राशि करोड़ रु. में

योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन इस प्रकार हैं:

	पीआरएमबीएस (वित्त पोषित)	ग्रेच्युटी (वित्त पोषित)
01 अप्रैल, 2021 तक योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य खोलना	-	585.17
ब्याज आय	-	40.96
पुनर्मापन लाभ/(हानि)	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न (शुद्ध ब्याज आय में शामिल राशि को छोड़कर)	-	4.68
अन्य	-	-
नियोक्ता से योगदान	-	6.61
लाभ का भुगतान किया गया	-	(82.56)
31 मार्च, 2022 को योजना परिसंपत्तियों का अंतिम उचित मूल्य	-	554.86
ब्याज आय	3.78	39.78
पुनर्मापन लाभ/(हानि)		
योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न (शुद्ध ब्याज आय में शामिल राशि को छोड़कर)		(1.35)
नियोक्ता से योगदान	169.55	-
लाभ का भुगतान	(12.48)	(83.15)
अन्य	-	-
31 मार्च, 2023 को योजना परिसंपत्तियों का अंतिम उचित मूल्य	160.85	510.14

प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रतिवेदन अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य इस प्रकार है:

	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य			
	पीआरएमबीएस		उपहार	
	31.03.2023	**31.03.2022**	**31.03.2023**	**31.03.2022**
निधियों में निवेश:				
1. बीमा कंपनियाँ	160.85	-	510.14	554.86
कुल	**160.85**	**-**	**510.14**	**554.86**

33.ग - परिभाषित लाभ योजनाओं का संवेदनशीलता विश्लेषण

परिभाषित लाभ योजना के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण बीमांकिक धारणाएँ छूट दर, अपेक्षित वेतन वृद्धि, क्षरण दर एवं मृत्यु दर हैं। नीचे दिया गया संवेदनशीलता विश्लेषण अन्य सभी धारणाओं को स्थिर रखते हुए प्रतिवेदन अवधि के अंत में होने वाली संबंधित धारणाओं के उचित संभावित परिवर्तनों पर आधारित है।

संवेदनशीलता का विश्लेषण — राशि करोड़ रु. में

विवरण	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबीएस-वित्त पोषित)		स्थायीकरण-लाभ		नालको बेनेवोलेंट फंड स्कीम	
2021-22	**का इजाफ़ा**	**द्वारा कम करें**	**का इजाफ़ा**	**द्वारा कम करें**	**का इजाफ़ा**	**द्वारा कम करें**
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	4.69	4.79	0.51	0.52	0.07	0.07
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.89%	2.95%	2.89%	2.95%	2.71%	2.76%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	0.19	0.19	0.02	0.02	0.06	0.06
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	2.42%	2.37%
क्षय दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	0.19	0.19	0.02	0.02	-	-
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.15%	0.15%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	0.75	0.75	0.08	0.08	0.01	0.01
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.46%	0.46%	0.46%	0.46%	0.26%	0.26%

वित्तीय विवरण एकल

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

विवरण	नालको रिटायरमेंट वेलफेयर स्कीम		सेवानिवृत्ति उपहार योजना		ग्रेच्युटी (वित्त पोषित)	
2021-22	**निम्न से वृद्ध**	**निम्न से कमी**	**निम्न से वृद्ध**	**निम्न से कमी**	**निम्न से वृद्ध**	**निम्न से कमी**
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	0.32	0.33	0.18	0.18	17.57	16.45
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.71%	2.76%	2.71%	2.76%	3.30%	3.09%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	0.29	0.28	0.16	0.15	3.90	16.45
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.42%	2.37%	2.42%	2.37%	0.73%	3.09%
क्षय दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	0.02	0.02	0.01	0.01	0.11	16.45
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.02%	3.09%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	0.03	0.03	0.02	0.02	0.50	0.50
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.09%	0.09%

विवरण	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबीएस-वित्त पोषित)		स्थायीकरण-लाभ		नालको बेनेवोलेंट फंड स्कीम	
2022-23	**निम्न से वृद्ध**	**निम्न से कमी**	**निम्न से वृद्ध**	**निम्न से कमी**	**निम्न से वृद्ध**	**निम्न से कमी**
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	4.95	5.05	0.47	0.46	0.07	0.07
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.89%	2.95%	2.95%	2.89%	2.71%	2.76%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	-	-	0.38	0.38	0.06	0.06
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	-	-	0.02	0.02	2.42%	2.37%
क्षय दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	0.21	0.21	0.02	0.02	-	-
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.15%	0.15%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	0.79	0.79	0.07	0.07	0.01	0.01
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.46%	0.46%	0.46%	0.46%	0.26%	0.26%

विवरण	नालको रिटायरमेंट वेलफेयर स्कीम		सेवानिवृत्ति उपहार योजना		ग्रेच्युटी (वित्त पोषित)	
2022-23	**का इजाफ़ा**	**द्वारा कम करें**	**का इजाफ़ा**	**द्वारा कम करें**	**का इजाफ़ा**	**द्वारा कम करें**
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	0.30	0.30	0.16	0.16	16.34	15.30
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.71%	2.76%	2.71%	2.76%	3.38%	3.16%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	0.27	0.26	0.14	0.14	3.28	2.91
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.42%	2.37%	2.42%	2.37%	0.68%	0.60%
क्षय दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	0.02	0.02	0.01	0.01	0.13	0.13
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.03%	0.03%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	0.03	0.03	0.02	0.02	0.51	0.52
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.11%	0.11%

ऊपर प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि स्वीकृतियों में परिवर्तन एक दूसरे के अलगाव में होगा क्योंकि कुछ धारणाएं सहसंबद्ध हो सकती हैं।

इसके अलावा, उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण प्रस्तुत करने में, परिभाषित लाभ दायित्व के चालू मूल्य की गणना प्रतिवेदन अवधि के अंत में अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की गई है, जो कि तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ दायित्व दायित्व की गणना में लागू मूल्य के समान है। .

पिछले वर्षों की तुलना में संवेदनशीलता विश्लेषण तैयार करने में उपयोग की जाने वाली विधियों एवं स्वीकृतियों में कोई बदलाव नहीं आया है।

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

34 - वित्त लागत		राशि करोड़ रु. में
	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
वित्तीय लागत		
क. पट्टे की देयताओं पर ब्याज व्यय	4.08	4.13
ख. अग्रिम आयकर के भुगतान में कमी पर ब्याज	(5.05)	7.62
ग. अन्य	13.89	11.38
कुल वित्त लागत	12.92	23.13

टिप्पणी: 34.1 अन्य वित्त लागत में देयताओं को खत्म करने के लिए ब्याज लागत को कम करना एवं खान व परिशोधक कॉम्प्लेक्स, दमनजोडी में तैनात सीआईएसएफ के जोखिम एवं कठिनाई भत्ते पर ब्याज का प्रावधान शामिल है ।

35 - अन्य व्यय राशि		राशि करोड़ रु. में
	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष**
(क) भंडार एवं पुर्जों की खपत	443.69	381.26
(ख) मरम्मत एवं रखरखाव		
(1) भवन	68.36	55.43
(2) मशीनरी	209.60	170.73
(3) अन्य	26.20	25.50
(ग) अन्य विनिर्माण व्यय		
(1) जल शुल्क	34.55	34.57
(2) रॉयल्टी	414.30	435.51
(3) जिला खनिज निधि एवं राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट में योगदान	66.29	69.68
(4) अन्य	126.26	105.60
(घ) माल ढुलाई एवं संचालन शुल्क		
(1) आने वाली सामग्री (एल्यूमिना)	123.84	118.96
(2) बाहर जाने वाली सामग्री	130.71	172.41
(ङ) लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक एवं जेब से खर्च		
(i) लेखापरीक्षक के रूप में	0.45	0.45
(ii) कराधान मामलों के लिए	0.09	0.08
(iii) अन्य सेवाओं के लिए	0.39	0.36
(iv) व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.01	-
(च) लागत लेखा परीक्षकों को भुगतान	0.05	0.03
(छ) सुरक्षा एवं अग्निशमन व्यय	164.31	150.96
(ज) निगम सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय [टिप्पणी 35.1 देखें]	39.54	36.91
(झ) प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	118.74	101.88
(ञ) नवीकरणीय खरीद दायित्व	26.03	51.84
(ट) बिक्री एवं वितरण व्यय	24.36	33.43
(ठ) इन्वेंटरी, दावे आदि को बट्टे खाते में डालना।	3.26	1.68
(ड) संपत्ति संयंत्र एवं उपकरणों को बट्टे खाते में डालना	11.55	8.27
(ढ) अशोध्य एवं संदिग्ध प्रावधान/(प्रतिलेखन)	36.45	46.03
(ण) अन्य	56.54	63.93
(1) किराया	0.80	0.79
(2) दरें एवं कर	3.72	4.01
(3) बीमा शुल्क	16.94	17.80
(4) अन्य विविध व्यय	35.08	41.33
कुल अन्य व्यय	**2,125.57**	**2,065.50**

टिप्पणी:

35.1 निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय।

क) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक सकल राशि रु. 36.64 करोड़ है (31 मार्च, 2022 को रु. 28.60 करोड़ है)

ख) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि

i)	परिसंपत्तियों का निर्माण/अर्जन	₹ शून्य करोड़ (पिछले वर्ष ₹ शून्य)
ii)	उपरोक्त (i) के अलावा	₹39.54 करोड़ से ऊपर (पिछले वर्ष ₹36.91 करोड़)
	कुल	₹39.54 करोड़ (पिछले वर्ष ₹36.91 करोड़)

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

36. आयकर

36.1 लाभ या हानि में स्वीकृत आयकर

राशि करोड़ रु. में

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
चालू कर		
चालू वर्ष के संबंध में	475.47	1061.63
पूर्व वर्षों के संबंध में	(181.06)	(9.88)
	294.41	1,051.75
आस्थगित कर		
चालू वर्ष के संबंध में	116.09	(48.85)
	116.09	(48.85)
चालू वर्ष में मान्यता प्राप्त कुल आयकर व्यय	410.50	1,002.90

वर्ष के लिए आयकर व्यय को लेखांकन लाभ के साथ निम्नानुसार समेटा जा सकता है:

कर पूर्व लाभ	1,954.99	3,954.87
उस पर आयकर व्यय @ 25.168%	492.03	995.36
निम्न का कर प्रभाव :		
i) अस्वीकार्य व्यय (स्थायी अंतर)	20.37	21.26
ii) किए गए व्यय से अधिक स्वीकार्य व्यय	(63.48)	(16.15)
iii) पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन	(181.06)	(9.88)
iv) अन्य	142.64	12.31
आयकर व्यय को लाभ या हानि में मान्यता दी गई	410.50	1,002.90

36.2 आयकर को अन्य व्यापक आय में स्वीकृति

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
परिभाषित लाभ दायित्वों के पुनर्माप लाभ या हानि पर कर		
- चालू कर	-	-
- आस्थगित कर	26.50	(23.30)
कुल आयकर को अन्य व्यापक आय में स्वीकृति	26.50	(23.30)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त आयकर का विभाजन:		
वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा	-	-
वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	26.50	(23.30)

टिप्पणी: कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीएए के अनुसरण में, कंपनी के पास अन्य कर प्रोत्साहनों एवं गैर-प्रयोज्यता को छोड़कर कम कर दर में स्थानांतरित होने का एक अपरिवर्तनीय विकल्प था। न्यूनतम वैकल्पिक कर का. कंपनी ने करों की कम दरों के लिए उक्त विकल्प का प्रयोग किया एवं तदनुसार करों को मान्यता दी गई है। चालू वर्ष के लिए लागू दर 25.168% (पिछले वर्ष 25.168%) है।

37 - खंड जानकारी

37.1 उत्पाद जिनसे रिपोर्ट योग्य खंड अपना राजस्व प्राप्त करते हैं

संसाधन आवंटन एवं खंड प्रदर्शन के मूल्यांकन के उद्देश्य से चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर (सीओडीएम) को दी गई जानकारी वितरित किए गए सामान के प्रकार पर केंद्रित है। कंपनी के निदेशकों ने उत्पादों में अंतर के आधार पर कंपनी को संगठित करने का विकल्प चुना है। कंपनी में प्रतिवेदन करने योग्य खंडों तक पहुंचने के लिए किसी भी प्रतिवेदन खंड को एकत्रित नहीं किया गया है। विशेष रूप से, इंड. एएस 108-ऑपरेटिंग सेगमेंट के तहत कंपनी के रिपोर्ट योग्य सेगमेंट इस प्रकार हैं:

i) रासायनिक खंड

ii) एल्यूमिनियम खंड

कंपनी ने रसायन एवं एल्यूमीनियम को दो प्राथमिक परिचालन व्यवसाय खंड माना है। रसायनों में कैलक्लाइंड एल्यूमिना, एल्यूमिना हाइड्रेट एवं अन्य संबंधित उत्पाद शामिल हैं। एल्यूमीनियम में एल्यूमीनियम सिल्लियां, तार की छड़ें, बिलेट्स, स्ट्रिप्स, रोल्ड एवं अन्य संबंधित उत्पाद शामिल हैं । एल्यूमिना के उत्पादन के लिए कैप्टिव खपत के लिए उत्पादित बॉक्साइट को रसायनों के अंतर्गत शामिल किया गया है एवं एल्यूमीनियम के उत्पादन के लिए कैप्टिव खपत के लिए उत्पन्न बिजली को एल्यूमीनियम खंड के अंतर्गत शामिल किया गया है । संभावित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का दोहन करने के लिए मुख्य रूप से चालू किए गए पवन ऊर्जा संयंत्र को अनावंटित सामान्य खंड में शामिल किया गया है।

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

37.2 खंड राजस्व एवं परिणाम

प्रतिवेदन योग्य खंड द्वारा कंपनी के राजस्व एवं परिचालन के परिणामों का विश्लेषण निम्नलिखित है:

	खंड राजस्व	
संचालन खंड	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
रासायनिक खंड	5,583.72	5,384.87
एल्यूमिनियम खंड	10,245.79	10,183.69
अआवंटित	72.61	57.83
संचालन के लिए कुल	15,902.12	15,626.39
घटाएं: अंतरखंड राजस्व	1,647.26	1,411.81
संचालन से राजस्व	14,254.86	14,214.58

संचालन खंड	**खंड परिणाम**	
	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष**
रासायनिक खंड	383.59	1,127.41
एल्यूमिनियम खंड	1,778.73	3,257.20
असाधारण वस्तुओं, ब्याज एवं कर से पहले खंड परिणाम	2,162.32	4,384.61
ब्याज एवं वित्तपोषण शुल्क	12.92	23.13
ब्याज एवं लाभांश आय	204.98	223.91
अन्य अनावंटित आय, अनाबंटित व्ययों को घटाकर	(399.39)	(630.52)
कर पूर्व लाभ	1,954.99	3,954.87

37.3 खंड परिसंपत्तियां एवं देयताएं

	खंड संपत्ति		**खंड देनदारियां**	
	31.03.2023 को	**31.03.2022 को**	**31.03.2023 को**	**31.03.202 को 2**
रासायनिक खंड	4,675.42	4,353.60	1,355.43	1,529.51
एल्यूमिनियम खंड	5,820.19	5,667.36	1,595.94	1,679.11
कुल खंड संपत्तियां एवं देयताएं	10,495.61	10,020.96	2,951.37	3,208.62
आवंटित नहीं की गई	7,243.08	7,467.87	1,548.87	1,725.57
कुल संपत्ति एवं देयताएं	17,738.69	17,488.83	4,500.24	4,934.19

37.4 अन्य खंड जानकारी

	मूल्यह्रास एवं परिशोधन		**गैर-चालू परिसंपत्तियों में परिवर्धन**	
	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष**
रासायनिक खंड	228.32	229.08	121.85	51.62
एल्यूमिनियम खंड	312.48	296.95	24.75	26.12
आवंटित नहीं की गई	175.00	310.55	1,287.08	310.80
संचालन के लिए कुल	715.80	836.59	1,433.68	388.54

	सामग्री गैर-नकद व्यय	
	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष**
रासायनिक खंड	(78.26)	(244.48)
एल्यूमिनियम खंड	(71.64)	(182.75)
आवंटित नहीं की गई	38.29	36.97
	(111.61)	(390.26)

37.5 प्रमुख उत्पादों से राजस्व

निम्नलिखित कंपनी के प्रमुख उत्पादों एवं सेवाओं से परिचालन जारी रखने से प्राप्त राजस्व का विश्लेषण है:

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष**
रासायनिक खंड (हाइड्रेट एवं एल्यूमिना)	3,908.07	3,943.08
एल्यूमीनियम खंड (एल्यूमीनियम)	10,200.76	10,070.16
	14,108.83	14,013.24

37.6 प्रमुख ग्राहक से राजस्व

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए किसी भी एकल ग्राहक का कंपनी के राजस्व में 10% से अधिक का योगदान नहीं है। 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एक ग्राहक का राजस्व रु. 2,043.35 करोड़ था, जो रासायनिक खंड में की गई बिक्री से उत्पन्न हुआ था। किसी अन्य ग्राहक ने राजस्व में 10% से अधिक का योगदान नहीं दिया।

वित्तीय विवरण एकल

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

37.7 भौगोलिक जानकारी

कंपनी मुख्य रूप से प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों -भारत (निवास का देश) एवं भारत के बाहर में काम करती है:

	बाहरी ग्राहकों से राजस्व		गैर चालू परिसंपत्तियां	
	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को	31.03.2022 को
भारत	9,892.07	7,649.09	12,441.88	11,008.20
भारत के बाहर	4,216.76	6,364.15	-	-
कुल	14,108.83	14,013.24	12,441.88	11,008.20

38. प्रति शेयर आय

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष प्रति शेयर आर	31.03.2022 को समाप्त वर्ष प्रति शेयर आर
38.1 प्रति शेयर मूल आय (रु.)		
कुल संचालन से	8.41	16.07
प्रति शेयर कुल मूल आय	8.41	16.07

38.2 प्रति शेयर मूल आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना में उपयोग की जाने वाली आय एवं इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या इस प्रकार है :

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
कंपनी के मालिकों को देय वर्ष का लाभ	1,544.49	2,951.97
प्रति शेयर मूल आय की गणना में उपयोग की जाने वाली आय	1,544.49	2,951.97
	31.03.2023 को	31.03.2022 को
प्रति शेयर मूल आय की गणना में उपयोग की जाने वाली इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	1,83,66,31,787	1,83,66,31,787

39 - वित्तीय साधन

39.1 वित्तीय साधनों की श्रेणियाँ		राशि करोड़ रु. में
	31.03.2023 को	31.03.2022 को
वित्तीय परिसंपत्तियां		
लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा गया (एफवीटीपीएल)		
(क) अनिवार्य रूप से मापा गया:		
(i) म्यूचुअल फंड में निवेश	145.58	64.01
(ii) विदेशी मुद्रा पर वायदा अनुबंध	शून्य	शून्य
परिशोधन लागत पर मापा गया		
(क) नकद एवं बैंक शेष	63.29	412.80
(ख) परिशोधन लागत पर अन्य वित्तीय संपत्तियां	2,653.29	3,854.57
	2,862.16	4,331.38
वित्तीय देयताएं		
परिशोधन लागत पर मापा गया	2,179.34	2,146.73

39.2 वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य

अपने व्यवसाय के दौरान, कंपनी को मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, ब्याज दरों, इक्विटी कीमतों, तरलता एवं क्रेडिट जोखिम में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, जो इसके वित्तीय साधनों के उचित मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। कंपनी की एक जोखिम प्रबंधन नीति है जो न केवल विदेशी मुद्रा जोखिमों को कवर करती है बल्कि वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं जैसे ब्याज दर जोखिम एवं क्रेडिट जोखिम से जुड़े अन्य जोखिमों को भी कवर करती है।

कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सुनिश्चित करना है:

i) वित्तीय स्थिरता के साथ सतत व्यापार वृद्धि;

ii) प्रबंधन संगठन संरचना सहित रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप कंपनी की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के लिए एक रणनीतिक ढांचा प्रदान करना ;

iii) कंपनी के सभी भौतिक जोखिम जोखिम, तुलन पत्र पर एवं बाहर दोनों की पहचान की जाती है, मूल्यांकन किया जाता है, मात्रा निर्धारित की जाती है, उचित रूप से कम किया जाता है एवं प्रबंधित किया जाता है एवं

iv) कंपनी द्वारा उचित नियमों का अनुपालन, जहां भी लागू हो, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को स्वैच्छिक रूप से अपनाने के माध्यम से, जहां तक संचालन की प्रकृति, आकार एवं जटिलता के लिए उपयुक्त हो सकता है।

जोखिम प्रबंधन नीति को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है। आंतरिक नियंत्रण टीम जोखिम प्रबंधन प्रणाली की प्रभावकारिता एवं कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार होगी। यह प्रत्येक तिमाही में लेखापरीक्षा समिति को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करेगा। बोर्ड कंपनी की जोखिम प्रबंधन की समग्र प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है। इसलिए, बोर्ड अनुपालन एवं जोखिम प्रबंधन नीति एवं उसमें किसी भी संशोधन को मंजूरी देगा एवं इसका सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।

39.3 बाजार जोखिम

बाजार जोखिम भविष्य की आय (स्प्रेड), वसूली योग्य उचित मूल्य (आर्थिक मूल्य) या भविष्य के नकदी प्रवाह में किसी भी नुकसान का जोखिम है जो वित्तीय साधन की कीमत में बदलाव के परिणामस्वरूप हो सकता है। किसी वित्तीय साधन का मूल्य ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, तरलता एवं अन्य बाजार

परिवर्तनों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप बदल सकता है। कंपनी को बिक्री आय एवं जुटाई गई धनराशि एवं ऋण चुकौती /पूर्व भुगतान से उत्पन्न होने वाले नकदी प्रवाह में बेमेल से उत्पन्न होने वाले तरलता जोखिम का भी सामना करना पड़ सकता है। भविष्य की विशिष्ट बाज़ार गतिविधियों की सामान्यतः उचित सटीकता के साथ भविष्यवाणी नहीं की जा सकती।

39.4 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

विदेशी मुद्रा जोखिम विदेशी मुद्रा लेनदेन पर विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के प्रभाव से उत्पन्न होता है। मुद्रा जोखिम प्रबंधन का समग्र उद्देश्य विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली कंपनी की आय की रक्षा करना है। कंपनी की नीति किसी भी प्रकार की मुद्रा सट्टेबाजी से बचना है। मुद्रा एक्सपोज़र की हेजिंग या तो स्वाभाविक रूप से ऑफसेटिंग या समान मुद्रा की परिसंपत्तियों एवं देयताओं के मिलान के माध्यम से, या उसके अभाव में, प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ लेनदेन किए गए अनुमोदित व्युत्पन्न उपकरणों के उपयोग के माध्यम से की जाएगी। मुद्रा जोखिम को कंपनी की परिचालन मुद्रा अर्थात् आईएनआर की तुलना में संबंधित मुद्राओं में खुली स्थिति के संदर्भ में मापा जाता है। मुद्रा बेमेल के कारण अंतर का पता लगाने के लिए एक मुद्रा अंतर विवरण तैयार किया जाएगा।

विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव का आय विवरण एवं इक्विटी पर प्रभाव पड़ सकता है, जहां कोई भी लेनदेन एक से अधिक मुद्रा का संदर्भ देता है या जहां संपत्ति/देयताएं संबंधित समेकित संस्थाओं की प्रकार्यात्मक मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा में अंकित होती हैं ।

कंपनी विदेशी मुद्रा में लेनदेन करती है; परिणामस्वरूप, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का जोखिम उत्पन्न होता है। विदेशी मुद्रा अनुबंधों का उपयोग करके अनुमोदित नीति मापदंडों के भीतर विनिमय दर का प्रबंधन किया जाता है।

प्रतिवेदन अवधि के अंत में कंपनी की विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक संपत्ति एवं मौद्रिक देयताओं की अग्रणीत राशि इस प्रकार है :-

				राशि करोड़ रु में
	यूएसडी प्रभाव		यूरो प्रभाव	
	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
यूएसडी	79.13	27.60	13.03	144.72
यूरो	30.06	21.36	-	-
अन्य	0.13	-	-	-

39.4.1 विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी विनिमय दर जोखिमों के जोखिम का आकलन करके विदेशी विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के प्रभाव का मूल्यांकन करती है। यह अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों के अनुसार व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का उपयोग करके इन जोखिमों के एक हिस्से की हेजिंग करता है।

प्रत्येक मुद्रा के लिए विदेशी विनिमय दर संवेदनशीलता की गणना एक मुद्रा के शुद्ध विदेशी विनिमय दर एक्सपोजर के एकत्रीकरण एवं एक साथ समानांतर विदेशी विनिमय दरों में प्रत्येक मुद्रा की विदेशी विनिमय दरों में 10% बदलाव से की जाती है।

निम्नलिखित विश्लेषण प्रासंगिक तुलन पत्र तिथियों के सकल जोखिम पर आधारित है, जो आय विवरण को प्रभावित कर सकता है। समेकित विदेशी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के अनुवाद के कारण आय विवरण में कोई जोखिम नहीं है।

निम्नलिखित तालिका 31 मार्च, 2023 एवं 31 मार्च, 2022 को विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र से संबंधित जानकारी प्रदान करती है:

				राशि करोड़ रु में
	यूएसडी प्रभाव		यूरो प्रभाव	
	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष के लाभ या हानि पर प्रभाव	(6.6)	11.7	3.01	2.14

39.5 अन्य मूल्य जोखिम

39.5.1 इक्विटी मूल्य संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी इक्विटी उपकरणों से उत्पन्न होने वाले इक्विटी मूल्य जोखिम के संपर्क में नहीं है क्योंकि सभी इक्विटी निवेश व्यापारिक उद्देश्यों के बजाय रणनीतिक उद्देश्यों के लिए रखे जाते हैं।

39.6 ऋण जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम, अनुबंध की शर्तों या दायित्वों के अनुसार ऋण चुकाने या भुगतान करने में प्रतिपक्ष की विफलता से उत्पन्न वित्तीय हानि का जोखिम है। क्रेडिट जोखिम में डिफ़ॉल्ट का प्रत्यक्ष जोखिम एवं क्रेडिट योग्यता में गिरावट के जोखिम के साथ-साथ एकाग्रता जोखिम दोनों शामिल हैं। कोई महत्वपूर्ण ऋण जोखिम नहीं है क्योंकि ग्राहक से अग्रिम वसूली की जाती है।

वित्तीय उपकरण जो क्रेडिट जोखिम की सांद्रता के अधीन हैं, उनमें मुख्य रूप से ऋण एवं प्राप्य, व्यापार प्राप्य, ऋण एवं अग्रिम एवं व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण के रूप में वर्गीकृत निवेश शामिल हैं। कंपनी के किसी भी वित्तीय उपकरण के परिणामस्वरूप क्रेडिट जोखिमों की भौतिक सांद्रता नहीं होती है।

39.7 तरलता जोखिम उस जोखिम को संदर्भित करता है कि कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा नहीं कर सकती है। तरलता जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य पर्याप्त तरलता बनाए रखना एवं यह सुनिश्चित करना है कि आवश्यकता के अनुसार उपयोग के लिए धन उपलब्ध है।

कंपनी ने कंपनी की अल्पकालिक, मध्यम अवधि एवं दीर्घकालिक फंडिंग तरलता प्रबंधन आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए एक उपयुक्त तरलता जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित किया है। कंपनी पूर्वानुमान एवं वास्तविक नकदी प्रवाह की लगातार निगरानी करके एवं वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताएं की परिपक्वता प्रोफाइल का मिलान करके पर्याप्त भंडार एवं बैंकिंग सुविधाएं बनाए रखकर तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है।

वित्तीय विवरण एकल

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

40. संबंधित पक्ष के प्रकटीकरण

40.1 संबंधित पक्ष

क. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

I) पूर्णकालिक निदेशक

(क) श्री श्रीधर पात्र	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(ख) श्री राधाश्याम महापात्र	निदेशक (मानव संसाधन)
(ग) श्री मनसा प्रसाद मिश्रा	निदेशक (परियोजना एवं प्रौद्योगिकी)
(घ) श्री बिजय कुमार दास	निदेशक (उत्पादन) [31.01.2023 तक]
(ङ) श्री रमेश चंद्र जोशी	निदेशक (वित्त)
(च) श्री सदाशिव सामंतराय	निदेशक (वाणिज्यिक)
(छ) श्री पंकज कुमार शर्मा	निदेशक (उत्पादन) [प्रभावी . 01.02.2023]
अन्य	
श्री एन. के. महान्ति	समूह महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

II) अंशकालिक आधिकारिक निदेशक: (भारत सरकार द्वारा नामित):

(क) श्री संजय लोहिया, आईएएस
(ख) डॉ. वीणा कुमारी डेरमल, आईपीओएस

(III) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक:

(क) श्री रवि नाथ झा
(ख) डॉ. बीआर रामकृष्ण
(ग) अधिवक्ता जॉर्ज कुरियन
(घ) डॉ. अजय नारंग
(ङ) श्री वाईपी चिलिओ
(च) सुश्री (डॉ.) शतरूपा
(छ) अधिवक्ता. दुष्यंत उपाध्याय
(ज) श्री संजय रमनलाल पटेल

ख. संयुक्त उद्यम

(क) अनुगुळ एल्यूमीनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड
(ख) जीएसीएल नालको अल्कलिस एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
(ग) उत्कर्ष एल्यूमीनियम धातु निगम लिमिटेड
(घ) खानिज बिदेश इंडिया लिमिटेड

ग. रोजगार पश्चात लाभ योजना

(क) नालको एम्पलॉईज प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट
(ख) नालको एम्पलॉइज ग्रुप ग्रेच्युटी ट्रस्ट
(ग) नालको एम्पलॉइज लीव रूल बेनिफिट ट्रस्ट
(घ) नालको एम्पलॉईज पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट ट्रस्ट

घ. (क) केएमपी के रूप में पहचाने गए व्यक्ति द्वारा नियंत्रित इकाई
(क) नालको फाउंडेशन

ङ. सरकार जिसका नियंत्रण या महत्व प्रभाव हो:
(क) भारत सरकार

च. संस्थाएं जिन पर भारत सरकार का नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव है (सीपीएसई)
वर्ष के दौरान कंपनी का निम्नलिखित सीपीएसई/ सरकारी उपक्रम के साथ व्यापारिक लेनदेन है।

i) वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय

1. बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
2. बनारस लोकोमोटिव वर्क्स
3. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड
4. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड
5. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
6. ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
7. भारत संचार निगम लिमिटेड
8. सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट
9. केंद्रीय भंडारण निगम
10. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
11. पूर्व मध्य रेलवे
12. पूर्वी तट रेलवे
13. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
14. कार्यकारी अभियंता अपर कोलाब , हेड वर्क्स डिवीजन, जयपोर
15. हिन्दस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
16. एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड
17. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
18. औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम
19. इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड
20. भारतीय जीवन बीमा निगम
21. महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड
22. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
23. मेकॉन लिमिटेड
24. मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

25. रेल मंत्रालय
26. एमएसटीसी लिमिटेड
27. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
28. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड
29. एनएलसी इंडिया लिमिटेड
30. नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
31. नुमालीगढ़ परिशोधक लिमिटेड
32. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
33. डाकघर
34. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
35. राइट्स लिमिटेड
36. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
37. दक्षिण मध्य रेलवे
38. दक्षिण पूर्व रेलवे
39. दक्षिणी रेलवे
40. द सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड
41. विशाखापट्टणम पोर्ट ट्रस्ट
42. वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड

ii) माल की बिक्री

1. हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
2. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
3. नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन
4. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
5. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
6. यंत्र इंडिया लिमिटेड

40.2 संबंधित पार्टी लेनदेन

I. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक

राशि करोड़ रु. में

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	5.39	3.54
- वेतन		
- भविष्य निधि में योगदान	0.34	0.23
- चिकित्सीय लाभ	0.05	0.02
- अन्य लाभ	0.60	0.01
रोजगार उपरांत लाभ #	0.03	0.02
अन्य दीर्घकालिक लाभ	0.01	0.01
कुल	**6.42**	**3.82**

रोजगार के बाद के लाभों एवं अन्य दीर्घकालिक लाभों के तहत कर्मचारी लाभ व्ययों का बीमांकिक मूल्यांकन सभी कर्मचारियों के लिए समग्र आधार पर किया जाता है, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के लिए इन खर्चों को आनुपातिक आधार पर माना जाता है।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों से देय ऋण/अग्रिम

राशि करोड़ रु. में

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
वर्ष के अंत में बकाया	0.14	0.09
वर्ष के दौरान किसी भी समय देय अधिकतम राशि	0.29	0.11

II. संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियाँ

वर्ष के दौरान कंपनी ने संयुक्त उद्यमों के साथ निम्नलिखित लेनदेन किए हैं।

राशि करोड़ रु. में

जेवी/एसोसिएट का नाम	लेन-देन की प्रकृति	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड	इक्विटी योगदान	12.00	-
जीएसीएल नालको अल्कलिस एंड केमिकल्स लिमिटेड	माल क्रय	75.59	-
जीएसीएल नालको अल्कलिस एंड केमिकल्स लिमिटेड एवं अन्य खर्च	प्राप्य- मानव शक्ति सहायता एवं अन्य व्यय	0.77	0.70

प्रतिवेदन दिवस के अंत में शेष राशि

जेवी/एसोसिएट का नाम	लेन-देन की प्रकृति	31.03.2023 को	31.03.2022 को
अनुगुळ एल्यूमीनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड	इक्विटी में निवेश	16.22	16.22
जीएसीएल नालको अल्कलिस एंड केमिकल्स प्रा. लिमिटेड	इक्विटी में निवेश	276.00	276.00
जीएसीएल नालको अल्कलिस एंड केमिकल्स प्रा. लिमिटेड	प्राप्य- जनशक्ति सहायता	0.77	0.70
जीएसीएल नालको अल्कलिस एंड केमिकल्स प्रा. लिमिटेड	माल की खरीद के लिए देय	6.10	0.00
उत्कर्ष एल्यूमीनियम धातु निगम लिमिटेड	इक्विटी में निवेश	20.00	20.00
खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड	इक्विटी में निवेश	13.00	1.00

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

III. वर्ष के दौरान रोजगार पश्चात लाभ योजना लेनदेन

राशि करोड़ रु. में

ट्रस्ट का नाम	लेन-देन की प्रकृति	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
एनईपीएफ ट्रस्ट	पीएफ-अंशदान	357.15	543.71
एनईजीजी ट्रस्ट	कमी का वित्तपोषण	-	6.61
नालको कर्मचारी अवकाश नियम लाभ ट्रस्ट	कमी का वित्तपोषण	385.55	-
नालको कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ ट्रस्ट	कमी का वित्तपोषण	157.08	-

वर्ष के अंत में बकाया शेष

ट्रस्ट का नाम	लेन-देन की प्रकृति	31.03.2023 को	31.03.2022 को
एनईपीएफ ट्रस्ट	पीएफ-अंशदान देय	19.47	30.34
एनईजीजी ट्रस्ट	देय कमी का वित्तपोषण (प्राप्य)	(26.74)	(22.18)
नालको एम्पलॉईज लीव रूल बेनिफिट ट्रस्ट	देय कमी का वित्तपोषण (प्राप्य)	39.82	-
नालको एम्पलॉईज पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट ट्रस्ट	देय कमी का वित्तपोषण (प्राप्य)	10.44	-

IV. नालको फाउंडेशन

राशि करोड़ रु. में

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
सीएसआर ट्रस्ट में योगदान	26.21	21.00

V.. सरकार. भारत का : वर्ष के दौरान लेनदेन

राशि करोड़ रु. में

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष के दौरान लाभांश का भुगतान किया गया	470.9	565.08

VI. सीपीएसई/ सरकारी उपक्रम - वर्ष के दौरान लेनदेन

राशि करोड़ रु. में

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
सीपीएसई/सरकारी उपक्रमों से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय	4,444.84	3,443.02
सीपीएसई एवं सरकारी उपक्रमों को माल की बिक्री	1,480.29	1,695.29

वर्ष के अंत में बकाया शेष

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
सीपीएसई/सरकारी उपक्रमों से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के लिए अग्रिम/(देय)	93.18	87.74
सीपीएसई एवं सरकारी उपक्रमों को माल की बिक्री के लिए प्राप्य/(अग्रिम)	(52.68)	(44.22)

41 - हटाई गई कंपनी के साथ लेन-देन

राशि रु. में करोड़

क्रम सं.	बंद की गई कंपनी से लेन-देन की प्रकृति	बकाया राशि 31.03.2023 को	बकाया राशि 31.03.2022 को	बंद कंपनी से रिश्ता, यदि कोई हो
1	प्रतिभूतियों में निवेश	-	-	
2	प्राप्तियों	-	-	
3	देय	0.22	0.18	वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति के लिए
4	हटाई गई कंपनी द्वारा धारित शेयर	44,827 अदद शेयर	44,827 अदद शेयर	शेयरधारकों की कुल संख्या 9
5	अन्य बकाया शेष (निर्दिष्ट किया जाए)			
	कुल	0.22	0.18	

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

42 - विश्लेषणात्मक अनुपात

क्रम सं.	अनुपात	गुणक	भाजक	31.03.2023	31.03.2022	भिन्नता
1	चालू अनुपात	चालू संपत्ति कुल	चालू देयता कुल	2	2	(6%)
2	ऋण-इक्विटी अनुपात 1	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	-	-	-
3	कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	ब्याज + किश्तें	-	-	-
4	इक्विटी अनुपात पर वापसी2	कर के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी शेयरधारक का फंड [कुल इक्विटी]	12%	24%	(50%)
5	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात 2	बिक्री [उत्पाद की बिक्री]	औसत सूची	8	9	(10%)
6	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात3	क्रेडिट बिक्री [बिजली की बिक्री]	औसत व्यापार प्राप्य	1.26	0.59	115%
7	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	वार्षिक ऋण खरीद	औसत देय खाता	5.99	4.36	37%
8	शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात 2	बिक्री [उत्पाद एवं बिजली की बिक्री]	शुद्ध संपत्ति या नियोजित पूंजी [पीपीई+अमूर्त संपत्ति+कार्यशील पूंजी]	1.46	1.34	9%
9	शुद्ध लाभ अनुपात 2	शुद्ध लाभ [कर के बाद लाभ]	बिक्री [उत्पाद एवं बिजली की बिक्री]	11%	21%	(48%)
10	नियोजित पूंजी पर रिटर्न 2	आय (ईबीआईटी)	नियोजित पूंजी [पीपीई+अमूर्त संपत्ति+कार्यशील पूंजी]	20%	38%	(47%)
11	निवेश पर रिटर्न 2	शुद्ध लाभ	इक्विटी फंड	12%	24%	(50%)
		[कर पश्चात लाभ]	[कुल इक्विटी]			

1. कंपनी पर बिल डिस्काउंटिंग के अलावा कोई उधार/ऋण नहीं है (टिप्पणी 21 देखें)।
2. पिछले वर्ष की तुलना में अनुपातों में भिन्नता संबंधित कारकों में बदलाव के कारण है।
3. व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात की गणना केवल पवन ऊर्जा की बिक्री एवं प्राप्य को ध्यान में रखकर की गई है।

43. विगत वर्ष के आँकड़ों का पुनर्समूहन

विगत वर्ष के आँकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए जहाँ भी आवश्यक समझा गया, उन्हें पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

(सीएस एन. के. महान्ति)
कंपनी सचिव

(आर. सी. जोशी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08765394

(सीए श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06500954

कृते जीएनएस एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन-318171ई

(सीए राजेश के. पहाड़ी)
साझेदार
एम. सं.: 058221

कृते एके साबत एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-321012ई

(सीए बी. आर. महान्ति)
साझेदार
एम. सं.: 057266

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 24 मई, 2023

वित्तीय विवरण एकल

एमसीए द्वारा अधिसूचित की अनुपालन की स्थिति :

इंड एएस सं.	नामपद्धति	विवरण
इंड. एएस 1	वित्तीय विवरण की प्रस्तुति	- इंड एएस 1 में निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के तहत निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किए गए हैं।
		- वित्तीय विवरण तैयार करने एवं अपनाई गई लेखांकन नीतियों में उपयोग किए जाने वाले माप आधार का खुलासा किया गया है।
		- इंड एएस द्वारा आवश्यक जानकारी (संबंधित इंड एएस के खिलाफ नीचे भी चर्चा की गई है) जो वित्तीय विवरणों में कहीं एवं प्रस्तुत नहीं की गई है, उसे नोट्स के रूप में प्रकट किया गया है।
		- वित्तीय विवरण के नोट्स वह जानकारी भी प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों में कहीं एवं प्रस्तुत नहीं की गई है, लेकिन उनमें से किसी की समझ के लिए प्रासंगिक है।
इंड. एएस 2	सूची	- उपयोग किए गए लागत फार्मूले सहित माल-सूची को मापने में अपनाई गई लेखांकन नीति का खुलासा वित्तीय विवरणों के टिप्पणी 3 में रखी गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 3.9 में किया गया है।
		- माल-सूची के वर्गीकरण एवं उनकी वहन राशि, व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त माल-सूची की मात्रा, व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त माल-सूची के किसी भी राइट-डाउन की राशि एवं गिरवी रखी गई माल-सूची के संबंध में खुलासा टिप्पणी 15 में किया गया है।
इंड एएस 7	नकदी प्रवाह का बयान	- अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए नकदी प्रवाह विवरण, जिसके तहत अप्रत्यक्ष पद्धति, जिसके तहत लाभ या हानि को गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन के प्रभावों, अतीत या भविष्य के परिचालन नकदी प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी स्थगन या संचय, एवं आय की वस्तुओं के लिए समायोजित किया जाता है। निवेश या नकदी प्रवाह के वित्तपोषण से जुड़ा व्यय।
		- नकदी प्रवाह को परिचालन, निवेश एवं वित्तपोषण गतिविधियों में विभाजित किया गया है
इंड. एएस 8	लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन एवं त्रुटियां	- लेखांकन नीति में कोई भी बदलाव पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाता है, जब तक कि अव्यावहारिक न हो, प्रस्तुत प्रारंभिक अवधि के लिए इक्विटी के प्रत्येक प्रभावित घटक के शुरुआती शेष को समायोजित किया जाता है एवं प्रस्तुत प्रत्येक पूर्व अवधि के लिए प्रकट की गई अन्य तुलनात्मक मात्रा को समायोजित किया जाता है।
		- लेखांकन अनुमान में कोई भी परिवर्तन जो परिसंपत्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन को जन्म देता है, या इक्विटी की किसी वस्तु से संबंधित होता है, परिवर्तन की अवधि में संबंधित परिसंपत्ति, देयता या इक्विटी आइटम की वहन राशि को समायोजित करके पहचाना जाता है।
		- रु. 50 करोड़ के प्रभाव वाली किसी पूर्व अवधि की त्रुटि(त्रुटियों) का पता चलने पर , मानक द्वारा निर्देशित के अनुसार त्रुटि को पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाता है ।
इंड. एएस 10	प्रतिवेदन अवधि के बाद के कार्यक्रम	- कंपनी प्रतिवेदन अवधि के बाद समायोजन घटनाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए अपने वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों को समायोजित करती है।
		- प्रतिवेदन अवधि के बाद घोषित लाभांश को अवधि के अंत में दायित्व के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। हालाँकि, इस आशय का उपयुक्त खुलासा टिप्पणी:19.3 में किया गया है।
इंड. एएस 11	निर्माण संविदा	- यह मानक निर्माण व्यवसाय से जुड़े ठेकेदारों के वित्तीय विवरण तैयार करने में लागू होता है। किसी भी संपत्ति के निर्माण के लिए ठेकेदार नहीं होने के कारण, इंड. एएस 11 कंपनी पर लागू नहीं होता है।
इंड. एएस 12	आय कर	- कर व्यय एवं लेखांकन लाभ के बीच संबंध को कर व्यय एवं टिप्पणी 36 पर लागू कर दर से गुणा किए गए लेखांकन लाभ के उत्पाद के बीच एक संख्यात्मक समाधान के माध्यम से समझाया गया है।
		- उन वस्तुओं से संबंधित चालू कर एवं आस्थगित कर जिन्हें अन्य व्यापक आय एवं सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त है, उन्हें क्रमशः अन्य व्यापक आय एवं इक्विटी में स्वीकृति दी जाती है। खुलासे टिप्पणी 36 में किए गए हैं।
इंड. एएस 16	संपत्ति संयंत्र उपकरण	- संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के प्रत्येक वर्ग के लिए माप के आधार, उपयोगी जीवन एवं मूल्यह्रास की विधि पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 3.1 में चर्चा की गई है।
		- अवधि के दौरान वृद्धि, निपटान एवं मूल्यह्रास व्यय बताते हुए आरंभिक वहन मूल्य एवं अंतिम वहन मूल्य के बीच एक सामंजस्य टिप्पणी 5 में रखा गया है।
इंड. एएस 19	कर्मचारी लाभ	- दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों को तीन प्रमुखों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात परिभाषित योगदान योजनाएँ, परिभाषित लाभ योजनाएँ एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ। कर्मचारियों के पेंशन फंड में कंपनी के योगदान को परिभाषित योगदान योजनाओं के रूप में स्वीकृति दी जाती है, जबकि भविष्य निधि में कंपनी के योगदान, सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ, निपटान-लाभ, नालको बेनेवोलेंट फंड स्कीम, नालको रिटायरमेंट वेलफेयर स्कीम को परिभाषित लाभ के रूप में स्वीकृति दी जाती है। योजनाएं. क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति के लिए भुगतान, लंबी सेवा पुरस्कार एवं नेफर्स को दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में स्वीकृति दी जाती है।
		- परिभाषित लाभ योजनाओं एवं दीर्घकालिक कर्मचारियों के लाभों के प्रति कंपनी के दायित्व का बीमांकिक मूल्यांकन किया गया है एवं तदनुसार व्यय/आय की पहचान की गई है।
		- सेवा लागत, ब्याज व्यय/आय, जनसांख्यिकीय एवं वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण पुनर्माप लाभ या हानि को दर्शाने वाले प्रत्येक परिभाषित लाभ दायित्वों के विरुद्ध प्रारंभिक देनदारी एवं समापन देनदारी के बीच एक सामंजस्य का प्रकटीकरण टिप्पणी 33.ख में किया गया है।
		- बीमांकिक स्वीकृतियों का एक संवेदनशीलता विश्लेषण यह दर्शाता है कि प्रासंगिक बीमांकिक मान्यताओं को बदलने से परिभाषित लाभ दायित्व कैसे प्रभावित होगा, टिप्पणी 33.ग में बताया गया है।

एमसीए द्वारा अधिसूचित की अनुपालन की स्थिति :

इंड. एएस 20	सरकारी अनुदानों का लेखा-जोखा एवं सरकारी सहायता का प्रकटीकरण	- परिसंपत्तियों के लिए सरकार से प्राप्त अनुदान को आस्थगित आय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस संबंध में लेखांकन नीति का खुलासा अनुच्छेद 3.14 में किया गया है।
इंड. एएस 21	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	- विदेशी मुद्रा में लेनदेन के संबंध में लेखांकन नीतियों का खुलासा महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 3.6 में किया गया है।
इंड. एएस 23	ऋण लेना	- कंपनी उस उधार लेने की लागत का पूंजीकरण करती है जो सीधे उस परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में किसी योग्य परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती है। इस संबंध में खुलासा महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 3.13 में किया गया है।
इंड. एएस 24	संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण	- संबंधित पार्टियों के नाम, उनके साथ कुल बिक्री एवं खरीद लेनदेन, उनके खिलाफ कोई बकाया राशि एवं प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के खिलाफ भुगतान किए गए लाभ एवं बकाया ऋण का खुलासा टिप्पणी 40 में किया गया है।
इंड. एएस 27	अलग वित्तीय विवरण	- संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों में किए गए निवेश को अलग-अलग वित्तीय विवरणों में लागत पर प्रस्तुत किया जाता है।
इंड. एएस 28	एसोसिएट्स एवं संयुक्त उद्यम में निवेश	- कंपनी इक्विटी पद्धति का उपयोग करके अपने समेकित वित्तीय विवरणों में निवेश की अग्रणीत राशि के साथ सहायक कंपनियों के लाभ या हानि में अपने लाभ के हिस्से को समायोजित करती है।
इंड. एएस 29	हाइपरइन्फ्लेशनरी अर्थशास्त्र में वित्तीय रिपोर्टिंग	- यह मानक कंपनी पर लागू नहीं होता है क्योंकि इसकी प्रकार्यात्मक मुद्रा किसी भी अति मुद्रास्फीति वाली अर्थव्यवस्था की मुद्रा नहीं है।
इंड. एएस 32	वित्तीय उपकरण प्रस्तुति	- परिसंपत्तियों एवं देयताओं की सभी वस्तुओं को मानक में निर्धारित परिभाषाओं के आधार पर वित्तीय एवं अन्य परिसंपत्तियों एवं देयताओं में अलग किया गया है एवं अनुसूची III में आवश्यकतानुसार प्रस्तुत किया गया है।
इंड. एएस 33	प्रति शेयर आय	- कंपनी ने कोई संभावित इक्विटी शेयर जारी नहीं किया है। इस प्रकार, बेसिक एवं डाइल्यूटेड ईपीएस दोनों समान रहते हैं। - ईपीएस की गणना में प्रयुक्त अवधि के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं आय के संबंध में खुलासा टिप्पणी 38 में किया गया है।
इंड. एएस 34	अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग	- एक सूचीबद्ध इकाई होने के नाते, कंपनी तिमाही आधार पर इस मानक में निर्धारित मान्यता एवं माप सिद्धांतों के अनुसार सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार अपनी अंतरिम वित्तीय तैयार करती है।
इंड. एएस 36	संपत्ति की क्षति	- विभिन्न परिसंपत्तियों की हानि से संबंधित लेखांकन नीति का खुलासा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में संबंधित अनुच्छेदग्राफ में किया गया है। - प्रबंधन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर परिसंपत्तियों के मूल्य की समीक्षा करता है एवं आकलन करता है कि क्या कोई संकेत है कि मानक के अनुसार परिसंपत्ति खराब हो सकती है।
इंड. एएस 37	प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं संपत्तियाँ	- प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं एवं परिसंपत्तियों से संबंधित लेखांकन नीतियां महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुच्छेद 3.7 में बताई गई हैं। - प्रावधानों को तब स्वीकृति दी जाती है जब कंपनी पर पिछली घटनाओं, कानूनी या रचनात्मक, के परिणामस्वरूप चालू दायित्व होता है, जिसके लिए दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के प्रवाह की आवश्यकता होती है एवं घटना के आसपास के जोखिमों एवं अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के प्रावधानों के संचलन का खुलासा टिप्पणी 24 (ग) में किया गया है। - अन्य के मामले में दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होते हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होती है, जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं, आकस्मिक देनदारियों का खुलासा नोट 27 में और अनुसूची III की आवश्यकता के अनुपालन में किया जाता है। - आकस्मिक परिसंपत्तियों की पहचान नहीं की जाती है, लेकिन उनका खुलासा तब किया जाता है, जब आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है।
इंड. एएस 38	अमूर्त संपत्ति	- इस संबंध में लेखांकन नीति का उल्लेख महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुच्छेद 3.2 में किया गया है। - सॉफ्टवेयर पर व्यय को अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता देती है, जो मानक में निर्धारित मान्यता की शर्तों को पूरा करती है। - परिवर्धन, कटौती एवं परिशोधन को दर्शाने वाली अमूर्त परिसंपत्तियों की आरंभिक वहन राशि एवं अंतिम वहन राशि का मिलान टिप्पणी 8 में रखा गया है।
इंड. एएस 40	संपत्ति मे निवेश करे	- कंपनी के पास कोई निवेश संपत्ति नहीं है, इसलिए मानक लागू नहीं है।
इंड. एएस 41	कृषि	- कंपनी के पास कोई कृषि गतिविधि नहीं है, इसलिए मानक लागू नहीं है।
इंड. एएस 101	पहली बार भारतीय लेखा मानकों को अपनाना	- कंपनी ने वर्ष 2016-17 में इंड. एएस को अपनाया एवं इसलिए यह मानक अब लागू नहीं है।
इंड. एएस 102	शेयर आधारित भुगतान	- वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जिसमें शेयर-आधारित भुगतान शामिल हो, इसलिए मानक लागू नहीं है।
इंड. एएस 103	व्यापार संयोजन	- मानक लागू नहीं है.
इंड. एएस 104	बीमा अनुबंध	- मानक लागू नहीं है.

वित्तीय विवरण एकल

एमसीए द्वारा अधिसूचित की अनुपालन की स्थिति :

इंड. एएस 105	बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियां एवं बंद किए गए परिचालन	- कंपनी ने टिप्पणी 17 में खुलासा किया है.
इंड. एएस 106	खनिज संसाधनों की खोज एवं मूल्यांकन	- कंपनी ने खनिज संसाधनों की खोज एवं मूल्यांकन पर कोई खर्च नहीं किया है, इसलिए मानक लागू नहीं है।
इंड. एएस 107	वित्तीय लिखतों का प्रकटीकरण	- वित्तीय उपकरणों के वर्गीकरण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों उपकरणों से उत्पन्न होने वाले जोखिम की प्रकृति एवं सीमा के संबंध में मानक द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण टिप्पणी 39 में किया गया है।
इंड. एएस 108	संचालन खंड	- कंपनी ने अपने परिचालन को मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) के दृष्टिकोण के आधार पर दो खंडों यानी रासायनिक खंड एवं एल्यूमीनियम खंड में वर्गीकृत किया है, जो कंपनी के प्रदर्शन की समीक्षा करते समय लेता है।
		- खंड राजस्व, परिणाम, संपत्ति एवं देयताएं, प्रमुख उत्पादों से राजस्व, भौगोलिक सूचनाएं एवं अन्य खंड सूचनाएं टिप्पणी 37 में बताई गई हैं।
इंड. एएस 109	वित्तीय साधन	- म्यूचुअल फंड में निवेश एवं विदेशी मुद्रा पर वायदा अनुबंध को छोड़कर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं को परिशोधन लागत पर मापा गया है एवं टिप्पणी 39 में इसका खुलासा किया गया है।
इंड. एएस 110	संकुचित आर्थिक विवरण	- समेकन की इक्विटी पद्धति का पालन करते हुए कंपनी के संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों को ध्यान में रखते हुए समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं।
इंड. एएस 111	संयुक्त व्यवस्था	- कंपनी संयुक्त रूप से नियंत्रित व्यवस्थाओं में अपने हित की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए मानक में निर्धारित सिद्धांतों का पालन करती है।
इंड. एएस 112	अन्य संस्थाओं में रुचि का प्रकटीकरण	- कंपनी के चार संयुक्त उद्यम हैं जिनकी सारांशित वित्तीय जानकारी एवं ब्याज की वहन राशि के साथ इसका मिलान टिप्पणी 9 में बताया गया है।
इंड. एएस 113	उचित मूल्य मापन	- कंपनी ने अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं को मापते समय मानक में निर्धारित उचित मूल्य माप के सिद्धांतों को अपनाया है।
		- इस संबंध में लेखांकन नीति का खुलासा महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 4.2.6 में किया गया है।
इंड. एएस 114	विनियामक स्थगन खाते	- कंपनी किसी भी दर विनियमन के अधीन नहीं है, इसलिए मानक लागू नहीं है।
इंड. एएस 115	ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व	- कंपनी ग्राहकों के साथ अनुबंध से संबंधित अपने सभी प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करने पर राजस्व को मान्यता देती है।
इंड. एएस 116	पट्टे	- कंपनी उन सभी पट्टों की पहचान करती है जहां कोई अनुबंध होता है, या इसमें शामिल होता है, जिसमें एक पट्टा यदि यह अनुबंध की शुरुआत में, प्रतिफल के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए किसी पहचानी गई संपत्ति (अनुबंध में स्पष्ट या अंतर्निहित रूप से निर्दिष्ट) के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।
		- कंपनी लागत पर "उपयोग का अधिकार" आरओयू संपत्ति को स्वीकृति देती है, एवं पट्टा देनदारी को सभी पट्टा भुगतानों के चालू मूल्य पर मापा जाता है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में सदस्यगण

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन

राय

हमने नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश (इसके बाद "समेकित वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) के साथ 31 मार्च, 2023 को तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण एवं समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण, एवं वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां शामिल हैं।

हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित तरीके से आवश्यक जानकारी देते हैं तथा कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित एवं 31 मार्च, 2023 को कंपनी के मामलों की स्थिति एवं उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभ, अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन तथा नकद प्रवाह के भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुरूप एक सच्चा एवं निष्पक्ष दृश्य देते हैं।

राय का आधार

हमने अपनी लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी प्रतिवेदन के वित्तीय विवरण अनुभाग के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के साथ-साथ नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं जो अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके तहत नियमों के तहत समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, एवं हमने इन आवश्यकताओं एवं आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं। हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

विषय पर बल

(i) हम कोयला खदानों के पूंजीकरण, दिनांक 09.11.2022 से खनन कार्य शुरू करने एवं 01.04.2023 से उत्पादन शुरू करने की घोषणा के संबंध में टिप्पणी सं. 7.3 पर ध्यान आकर्षित करते हैं; एवं

(ii) हम पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति से उत्पन्न मुद्दों को अंतिम रूप न देने एवं परियोजना से विस्थापित परिवारों द्वारा अभी तक दिए जाने वाले विकल्प के अभाव में पूंजीगत संपत्ति/व्यय का लेखा न करने के संबंध में टिप्पणी सं. 14.1 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

प्रमुख लेखा परीक्षा विषय

प्रमुख लेखा परीक्षा विषय वे हैं, जो हमारे पेशागत निर्णय में, वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के संदर्भ में एवं उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, एवं हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। चालू वर्ष में हमने जिन प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों की पहचान की है वे इस प्रकार हैं:

कंपनी के संबंध में:

प्रमुख लेखा परीक्षा विषय	हमारी लेखा परीक्षा में विषयों को कैसे संबोधित किया गया
1. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, अमूर्त संपत्ति (प्रगति में चल रहे पूंजीगत कार्य एवं विकास के तहत अमूर्त संपत्ति सहित) का मूल्य वहन करना	
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, पूंजीगत कार्य-प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी), अमूर्त संपत्ति एवं विकासाधीन अमूर्त संपत्ति वित्तीय स्थिति के विवरण में दर्ज महत्वपूर्ण संतुलन का प्रतिनिधित्व करती है। इन परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि के मूल्यांकन के लिए व्यवसाय के अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह एवं परिसंपत्तियों से संबंधित हानि प्रावधानों सहित प्रासंगिक परिसंपत्तियों के उपयोग का समर्थन करने वाली प्रमुख स्वीकृतियों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां प्रबंधन का निर्णय संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, अमूर्त संपत्ति तथा उनके संबंधित मूल्यह्रास प्रोफाइल के मूल्य को प्रभावित करता है। इनमें पूंजीकरण या व्यय लागत का निर्णय शामिल है ; कंपनी की रणनीति में बदलाव के प्रभाव सहित परिसंपत्ति जीवन की समीक्षा; एवं सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त परिसंपत्तियों के लिए पूंजीकरण , निर्धारण या माप एवं स्वीकृति मानदंड की समयबद्धता है।	अमूर्त परिसंपत्तियों एवं पूंजीगत कार्य प्रगति सहित संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के मूल्य निर्धारण से संबंधित हमारी लेखा परीक्षा की प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: • हमने यह सुनिश्चित करने के लिए मूल्यों एवं उपयोगी जीवन के निर्धारण में प्रबंधन द्वारा की गई धारणाओं का मूल्यांकन किया कि ये भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 16 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण एवं इंडस्ट्रीज़ 38 अमूर्त संपत्ति के सिद्धांतों के अनुरूप हैं। • हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी जीवन एवं प्रबंधन के तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार कुछ परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन की तुलना करके प्रबंधन के निर्णयों को चुनौती देकर मूल्यांकन किया कि क्या मूल्य एवं उपयोगी जीवन उचित थे। • हमने यह निर्धारित करने के लिए कि परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं या नहीं, चालू वर्ष में परिसंपत्ति के प्रत्येक वर्ग के उपयोगी जीवन की तुलना पिछले वर्ष से की, एवं व्यवसाय एवं उद्योग के बारे में हमारे ज्ञान के आधार पर परिवर्तनों की तर्कसंगतता पर विचार किया। . • हमने व्यवसाय एवं उद्योग के बारे में अपने ज्ञान के आधार पर मूल्यांकन किया कि क्या 31 मार्च 2023 तक हानि के संकेतक मौजूद थे एवं जहां भी आवश्यक हो, परिसंपत्तियों/सीडब्ल्यूआईपी की हानि के प्रावधान की समीक्षा की गई। • हमने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण एवं अमूर्त संपत्तियों पर नियंत्रण का परीक्षण किया, पूंजीकरण नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया, पूंजीकृत लागतों पर विवरण का परीक्षण किया एवं सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त परिसंपत्तियों के गैरपूंकरण तथा परिसंपत्ति जीवन उपयोग सहित पूंजीकरण की समयबद्धता का आकलन किया। • इन मूल प्रक्रियाओं को निष्पादित करने में, हमने पूंजीकृत अंतर्निहित लागतों की प्रकृति सहित प्रबंधन द्वारा किए गए निर्णयों का मूल्यांकन ; मूल्यह्रास एवं परिशोधन की गणना में लागू परिसंपत्ति जीवन की उपयुक्तता ; एवं हानि के संदर्भ में, यदि आवश्यक हो, त्वरित मूल्यह्रास/ परिशोधन की आवश्यकता का आकलन करने में किया।

वित्तीय विवरण (समेकित)

प्रमुख लेखा परीक्षा विषय	हमारी लेखा परीक्षा में मामले को कैसे संबोधित किया गया
2. कर्मचारियों के परिभाषित लाभ दायित्वों एवं अन्य दीर्घकालिक लाभों का मूल्यांकन	
कंपनी द्वारा दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ देयताओं एवं परिभाषित लाभ दायित्वों (वित्त पोषित ग्रेच्युटी दायित्व के विरुद्ध योजना परिसंपत्ति का शुद्ध) को स्वीकृति दी गई है। कर्मचारी लाभ दायित्वों का मूल्यांकन बाजार की स्थितियों एवं बनाई गई धारणाओं पर निर्भर है। मुख्य लेखा परीक्षा विशेष रूप से निम्नलिखित प्रमुख धारणाओं जैसे छूट दर, मुद्रास्फीति अपेक्षाएं एवं जीवन प्रत्याशा धारणाओं से संबंधित है। इन स्वीकृतियों की स्थापना जटिल है एवं तीसरे पक्ष के बीमांकिक के सहयोग से महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय के अभ्यास की आवश्यकता है।	कर्मचारियों के मूल्यांकन, परिभाषित लाभ दायित्वों एवं अन्य दीर्घकालिक लाभों से संबंधित हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: • मूल्यांकन के परीक्षण में, हमने वित्तीय एवं जनसांख्यिकीय दोनों में प्रयुक्त प्रमुख बीमांकिक मान्यताओं की समीक्षा करने के लिए बाहरी बीमांकिक विशेषज्ञों की रिपोर्टों की जांच की है, एवं इन मान्यताओं को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त पद्धति पर विचार किया है। • हमने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन एवं बीमांकिक द्वारा बनाई गई धारणाओं का मूल्यांकन किया कि ये इंड. एएस 19 कर्मचारी लाभ के सिद्धांतों के अनुरूप हैं। • इसके अलावा, हमने परिभाषित लाभ दायित्वों के मूल्यांकन में प्रमुख मान्यताओं पर संवेदनशीलता विश्लेषण की जांच की है।
3. आकस्मिक देयताओं के संबंध में पता लगाना, प्रकटीकरण एवं प्रावधान करना	
कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण किया गया। कंपनी के पास प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों तरह के अनिश्चित कर विषय हैं, जिनमें समग्र मांग से जुड़े विवाद शामिल हैं, जिनके लिए इन विवादों के संभावित परिणाम को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास ओडिशा सरकार या राज्य सरकार द्वारा गठित अन्य एजेंसियों एवं ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किए गए विभिन्न दावों से संबंधित अन्य कानूनी विषय भी हैं, जिनके संभावित परिणाम निर्धारित करने के लिए प्रबंधन निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है।	आकस्मिक देयताओं के संबंध में पता लगाने, प्रकटीकरण एवं प्रावधान से संबंधित हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: हमने एक विस्तृत समझ प्राप्त की एवं नियंत्रणों के डिजाइन एवं कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया, जिसे कंपनी ने इंड. एएस 37 प्रावधानों, आकस्मिक देयता एवं आकस्मिक संपत्तियों के अनुसार आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण एवं प्रावधान के संबंध में स्थापित किया है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर आकस्मिक देयताओं के संबंध में, हमने निम्नलिखित प्रमुख लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं अपनाईं हैं: • कर मुकदमों एवं लंबित प्रशासनिक कार्यवाहियों की पहचान करने के लिए कार्यान्वित प्रक्रिया एवं प्रासंगिक नियंत्रणों का आकलन। • समान मामलों में कानूनी प्राथमिकता एवं अन्य फैसलों पर विचार करते हुए कंपनी के कर विभाग द्वारा किए गए संभावित कर जोखिमों के मूल्यांकन में प्रयुक्त स्वीकृतियों का आकलन। • सबसे महत्वपूर्ण विवादों की स्थिति के संबंध में प्रबंधन के साथ चर्चा एवं प्रमुख प्रासंगिक दस्तावेजों का निरीक्षण। • जहां उपलब्ध हो वहां कर विशेषज्ञों से प्राप्त राय का विश्लेषण। • वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकटीकरण की पर्याप्तता की समीक्षा। अन्य आकस्मिक देयताओं के संबंध में कंपनी के संभावित जोखिमों का आकलन करने में, हमनें: • ज्ञात जोखिमों की निगरानी के संबंध में नियंत्रणों के डिजाइन एवं कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया गया; • कंपनी के विचाराधीन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए बोर्ड एवं अन्य बैठक के मिनटों का संदर्भ दिया गया; • कंपनी को प्रभावित करने वाले चल रहे एवं संभावित कानूनी मामलों को समझने के लिए कंपनी के आंतरिक कानूनी सलाहकारों से परामर्श किया; • विशेषज्ञों से उपलब्ध कानूनी राय की समीक्षा की गई; एवं • वास्तविक एवं संभावित कानूनी देयताओं के प्रस्तावित लेखांकन एवं प्रकटीकरण की समीक्षा की गई।
4. मुकदमेबाजी के तहत कर मामलों के संबंध में अग्रिम एवं जमा संपत्ति के रूप में जारी रहेंगे	
वैट एवं सेनवैट क्रेडिट सहित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर जमा (शुद्ध प्रावधान) के भौतिक वसूली योग्य दावे शामिल हैं जो समायोजन/निर्णय के लिए लंबित हैं। इन एक्सपोज़र की प्रकृति एवं उनके लेखांकन एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता है।	संपत्ति के रूप में जारी मुकदमेबाजी के तहत कर मामलों के संबंध में अग्रिम एवं जमा से संबंधित हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: • हमने प्रबंधन से पूर्ण कर निर्धारण एवं अपीलीय प्राधिकारी की मांगों तथा अपील आदेशों का विवरण प्राप्त किया। • हमने कर देयताओं एवं विवादों के संभावित परिणाम का अनुमान लगाने में प्रबंधन की अंतर्निहित धारणाओं को चुनौती देने के लिए अपने आंतरिक विशेषज्ञों को शामिल किया। • हमारे आंतरिक विशेषज्ञों ने इन अनिश्चित कर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करने में कानूनी प्राथमिकता एवं अन्य फैसलों पर भी विचार किया। • इसके अतिरिक्त, हमने वसूली योग्य राशि की प्रकृति, स्थिरता एवं अंतिम समाधान पर वसूली की संभावना की समीक्षा करने के लिए, जहां भी उपलब्ध हो, कानूनी एवं कर विशेषज्ञों की राय पर विचार किया है।

प्रमुख लेखा परीक्षा विषय	हमारी लेखा परीक्षा में मामले को कैसे संबोधित किया गया
5. आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं का मूल्यांकन	
कंपनी ने वित्तीय विवरण में आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं का प्रकटीकरण किया है। कंपनी ऐसी गतिविधियों में कार्य करती है जिसमें आयकर में विभिन्न प्रावधानों का अनुप्रयोग शामिल है। अस्थायी अंतरों एवं अनिश्चित कर स्थितियों के प्रावधानों के परिणामस्वरूप आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयता के मूल्यांकन का आकलन हमारे लेखा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गणना जटिल है एवं संवेदनशील एवं निर्णयात्मक धारणाओं पर निर्भर करती है। इनमें अन्य विषयों के अलावा, दीर्घकालिक भविष्य की लाभप्रदता एवं स्थानीय वित्तीय नियम एवं विकास शामिल हैं।	परिसंपत्ति के रूप में जारी मुकदमेबाजी के तहत कर मामलों के संबंध में अग्रिम एवं जमा से संबंधित हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: • आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं की पूर्णता एवं सटीकता का पता लगाना एवं अनिश्चित कर स्थितियों की पहचान करना। • हमने आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली क्षमता एवं कंपनी द्वारा पहचानी गई आस्थगित कर देयताओं के संबंध में भविष्य में नकदी बहिर्प्रवाह की संभावना के प्रबंधन के आकलन को चुनौती दी एवं उसका परीक्षण किया। • हमने लागू स्थानीय राजकोषीय नियमों एवं विकासों का भी आकलन किया, विशेष रूप से वैधानिक आयकर दर एवं सीमा के क़ानून में बदलाव से संबंधित, क्योंकि ये आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं के मूल्यांकन में अंतर्निहित प्रमुख धारणाएं हैं। • हमने कर स्थितियों का विश्लेषण किया एवं कंपनी द्वारा प्रयुक्त मान्यताओं एवं पद्धतियों का मूल्यांकन किया। • इसके अलावा, हमने आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं एवं उपयोग की गई धारणाओं पर इंड. एएस 12 आयकर के अनुसार कंपनी के खुलासे की पर्याप्तता पर भी ध्यान केंद्रित किया।
6. खदान डेवलपर एंड ऑपरेटर (एमडीओ) के माध्यम से कोयले की निकासी	
कंपनी ने क्रमशः 25.03.2021 एवं 20.01.2023 से खनन अधिकार के तहत कोयला ब्लॉक उत्कल डी एवं उत्कल ई का पूंजीकरण किया है। कोयला निकालने के लिए ये कोयला खानें 8 मार्च, 2022 के समझौते के तहत खानों डेवलपर एवं ऑपरेटर (एमडीओ) को दे दी गई हैं। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, एमडीओ के पास कुछ पूंजीगत कार्यों को निष्पादित करने की जिम्मेदारी है, जिसमें खान बंद करने की देनदारी के लिए भुगतान एवं राजस्व कार्य शामिल हैं, जिसमें ओवरबर्डन को हटाना एवं कोयले की निकासी, निर्दिष्ट स्थानों पर खानों में स्टैकिंग एवं रेलवे साइडिंग या कंपनी के ग्रहीत विद्युत संयंत्र की साइट तक कोयले का परिवहन का कार्य भी निहीत है। कंपनी की साइट पर कोयले के परिवहन एवं प्राप्ति पर, प्रति टन सहमत मूल्य पर राशि के साथ देयताएं प्रदान किया जाना है। ओवरबर्डन का खर्च, कोयले के उत्पादन के लिए एमडीओ द्वारा दिन-प्रतिदिन का खर्च एवं साइट पर उसके उत्पादन के स्टॉक की घोषणा एमडीओ द्वारा की जानी आवश्यक है एवं कंपनी द्वारा लेखांकन किया जाना है। कोयले की कीमत प्रेषण की अवधि से संबंधित थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर गणना पर निर्भर करती है। व्यय, आय, संपत्ति एवं देयताओं के शेष के विभिन्न तत्वों एवं इनका हिसाब लगाने के उचित समय का आकलन करने में शामिल निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, हमने इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामला माना है।	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: • कंपनी की प्रक्रिया की समझ प्राप्त की तथा कोयले की सूची के अनुमान एवं लेखांकन, एमडीओ को देय व्यापार की देनदारी एवं खान बंद करने की देनदारी, कोयले की लागत एवं अन्य खर्चों एवं आय से जुड़े आंतरिक नियंत्रण का परीक्षण किया। • प्रत्येक गुणात्मक एवं मात्रात्मक कारक पर उनके मूल्यांकन को समझने के लिए प्रबंधन के साथ चर्चा की एवं अंतर्निहित दस्तावेज़, नियमों एवं विनियमों के साथ प्रबंधन के स्पष्टीकरण की स्थिरता की समीक्षा की। • खान में माल-सूची की उपलब्धता पर प्रबंधन से प्रमाण पत्र प्राप्त किया। • इंड. एएस की आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी द्वारा किए गए मूल्यांकन प्रकटीकरण । • आवश्यक प्रबंधन प्रतिनिधित्व प्राप्त किया।
7. विस्तार के लिए ठेके देने हेतु अपनाई गई प्रक्रिया	
कंपनी ने 1 एमटीपीए का एल्यूमिना परिशोधक संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है। उपरोक्त मात्रा के निष्पादन के लिए, कार्यों, खरीद एवं सेवाओं के लिए कई अनुबंधों की आवश्यकता होती है जिसमें उच्च अंतर्निहित जोखिम (यानी जटिल गणना, महत्वपूर्ण अनुमान अनिश्चितता, आदि) एवं नियंत्रण जोखिम (यानी मानवीय त्रुटियों की संभावना, मिलीभगत से हेराफेरी, अनुचित प्रबंधन) शामिल हैं। प्रदान करने की प्रक्रिया के लिए बोलीदाताओं के उचित मूल्यांकन के कई चरणों की आवश्यकता होती है जिसमें उनकी तकनीकी विशेषज्ञता, समान निष्पादन का अनुभव, वित्तीय स्थिरता, मानव संसाधन जुटाना आदि शामिल हैं। उचित मूल्यांकन में तकनीकी मापदंडों पर संभावित बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की बड़ी मात्रा के माध्यम से दक्षताओं का पता लगाने के लिए खरीद, निर्माण, प्रबंधन (ईपीसीएम) के साथ प्रबंधन का निर्णय, बोलीदाताओं के प्रश्नों का जवाब देना, नियुक्त इंजीनियरिंग के समर्थन से स्वीकृति, निष्पादन, पूर्णता आदि के लिए समय सीमा निर्धारित करना शामिल है। उपरोक्त में वित्तीय मापदंडों का मूल्यांकन, अनुमान के साथ बोली मूल्य का मिलान, किसी भी अनिश्चितता के लिए वित्तीय गारंटी की आवश्यकता का मूल्यांकन, प्रबंधन सहमति के कई स्तर, पूंजी या राजस्व में व्यय का वर्गीकरण एवं अनुबंधों को प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा, अनुबंध देने के बाद की गतिविधियाँ जैसे अनुबंधों की प्रगति की निगरानी, बीच में आने वाले किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे का समाधान करना, स्थानीय संघर्षों के समाधान में कंपनी द्वारा निर्णय एवं निर्णय लेना शामिल होता है। उपयुक्त बोलीदाताओं के चयन के लिए जटिल तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन एवं गणना को ध्यान में रखते हुए, हमने इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामला माना है।	हमारा लेखा परीक्षा दृष्टिकोण आंतरिक नियंत्रण एवं मूल प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के लिए कुछ अनुबंधों के परीक्षण का एक संयोजन था जिसमें निम्नलिखित शामिल थे: • क्रमिक गतिविधियों के विभिन्न चरणों के लिए विस्तार बजट आवंटन प्राप्त किया • तकनीकी एवं वित्तीय मापदंडों के लिए अनुबंध मूल्यांकन प्रक्रियाओं के डिजाइन एवं एनआईटी (निविदाएं आमंत्रण सूचना) को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रयासों के आकलन का मूल्यांकन किया गया; • दस्तावेजों की तैयारी पर पहुंचने के लिए मूल्यांकन किए गए दस्तावेजों, ईपीसीएम के विचार, जटिल गणना, बजट अनुमान का आवंटन, सूचकांक का अनुप्रयोग, वैधानिक शुल्कों के प्रयोग आदि का परीक्षण किया गया। • अनुबंधों का एक नमूना चुना गया एवं लेखा परीक्षा प्रयासों, विश्लेषणात्मक कौशल एवं निर्माण स्थल के दौरे के माध्यम से, जहां भी आवश्यक हो, एनआईटी, अनुमान, शर्तों आदि में किसी भी बाद के बदलाव के साथ महत्वपूर्ण बदलावों की पहचान की गई; • उपरोक्त महत्वपूर्ण बदलावों पर प्रबंधन, ईपीसीएम के साथ चर्चा की गई ताकि उनका निर्णय या औचित्य प्राप्त किया जा सके, जिसका असर मील के पत्थर को प्राप्त करने में संभावित देरी के साथ-साथ लागत एवं समय की अधिकता पर पड़ता है; • कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं, उनके सुझावों, सुधारों को लागू करने, हासिल किए गए मील के पत्थर, बाद की अवधि के लिए योजना आदि की पहचान करने के लिए ईपीसीएम की कुछ प्रगति रिपोर्ट का परीक्षण किया गया। • कार्यक्षेत्र या विक्रेताओं के अनुमान में किसी विशिष्ट या महत्वपूर्ण बदलाव के लिए बोर्ड/समिति के टिप्पणी की समीक्षा की। • विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं निष्पादित कीं एवं उन अनुबंधों की प्रगति की तर्कसंगतता का परीक्षण किया जिनकी लागत या समय काफी अधिक हो गया है या नियंत्रण उपायों में सुधार की आवश्यकता है।

वित्तीय विवरण (समेकित)

समेकित वित्तीय विवरण एवं उस पर लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में कंपनी के वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल जानकारी शामिल है लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण एवं उस पर हमारी रिपोर्ट शामिल नहीं है। उम्मीद है कि ये रिपोर्ट इस लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराई जाएंगी।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है एवं हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी उल्लिखित अन्य जानकारी को पढ़ना है एवं ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ भौतिक रूप से असंगत है, या अन्यथा भौतिक रूप से ग़लत बताया जाना दिखाई देती है।

जब हम अन्य जानकारी पढ़ते हैं, तो यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें महत्वपूर्ण गलतबयानी है, तो हमें शासन के प्रभारी लोगों को मामले के बारे में सूचित करना होगा एवं यदि आवश्यक हो तो उचित कार्रवाई करनी होगी।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक (इंड एएस) भी शामिल कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में बदलाव और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव; लेखांकन नीतियों के उचित कार्यान्वयन और रखरखाव का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भौतिक गलतबयानी से मुक्त होते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, भी शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की कंपनी की क्षमता का आकलन करना, चालू संस्था से संबंधित मामलों का, जैसा लागू हो, खुलासा करना और लेखांकन के चालू संस्था के आधार का उपयोग करना, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है, के लिए जिम्मेदार है। कंपनी और संयुक्त उद्यमों के संबंधित निदेशक मंडल कंपनी और संयुक्त उद्यमों की वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, एवं एक लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार आयोजित लेखा परीक्षा हमेशा मौजूद होने पर एक महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा। ग़लतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है एवं उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, उनसे इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित उम्मीद की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के हिस्से के रूप में, हम पेशागत निर्णय लेते हैं एवं पूरे लेखा परीक्षा के दौरान पेशागत संदेह बनाए रखते हैं। हम निम्न भी करते हैं:

- समेकित वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों को पहचानना एवं उनका आकलन करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन एवं निष्पादित करना, एवं लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न चल पाने का जोखिम, त्रुटि से उत्पन्न किसी गलत बयानी की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है;
- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जो परिस्थितियों के अनुकूल हो। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली एवं ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है;
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना;
- लेखांकन के वर्तमान चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें एवं प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू चिंता के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की प्रतिवेदन में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी एक चालू संस्था के रूप में काम करना बंद कर सकती है; तथा
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं सामग्री का मूल्यांकन करना, तथा क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन कार्यक्रमों का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनका लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षारों द्वारा किया गया है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षार उनके द्वारा किए गए लेखा परीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार रहते हैं। हम अपनी लेखा परीक्षा विचार के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं।

हम कंपनी के संचालन के प्रभारी लोगों और समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी अन्य संस्थाओं के साथ संवाद करते हैं, जिनमें से हम अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय और किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के संबंध में स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। आंतरिक नियंत्रण में जिसे हम अपने लेखा परीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम उन पर भी टिप्पणी प्रदान करते हैं जिन पर शासन का आरोप है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, एवं उन सभी रिश्तों एवं अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर असर डालने वाले हो सकते हैं, एवं जहां लागू हो।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संचारित विषयों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे

और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा विषय हैं। हम अपने लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम उचित रूप से अपेक्षित होंगे, जो ऐसे संचार के जनहित लाभ कहीं अधिक हैं।

अन्य विषय

कंसोलिडेटेड वित्तीय विवरण में दो लेखा परीक्षित संयुक्त उद्यमों के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की कुल व्यापक आय/(हानि) (कर के बाद शुद्ध हानि और अन्य व्यापक आय को मिलाकर) (` 110.33) करोड़ का हिस्सा शामिल है, जो हमारे प्रबंधन द्वारा द्वारा वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों में दो संयुक्त उद्यमों की कुल व्यापक आय/(हानि) (कर के बाद शुद्ध लाभ और अन्य व्यापक आय सहित) 0.50 करोड़ का कंपनी का हिस्सा शामिल है, जो कि अनऑडिटेड और प्रमाणित हैं। दो लेखापरीक्षित संयुक्त उद्यमों के इन वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा किया गया है जिनके प्रतिवेदन प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन संयुक्त उद्यमों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है उद्यम, और अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) और (11) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह उपरोक्त संयुक्त उद्यमों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पर आधारित है। मेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, और नीचे दी गई अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, किए गए कार्यों और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन

1. अधिनियम की धारा 143(11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन) आदेश, 2020 ("आदेश") के पैराग्राफ 3 (xxi) और 4 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के लिए हमारे द्वारा जारी किए गए आदेश में निर्दिष्ट मामलों पर रिपोर्ट के आधार पर और इसके संयुक्त उद्यमों के संबंध में अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा जारी किए गए लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल किया जाएगा, जिनका लेखा परीक्षा किया गया था और कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण में शामिल, जिस पर आदेश के तहत रिपोर्टिंग लागू होती है, हम रिपोर्ट करते हैं कि निम्नलिखित को छोड़कर, आदेश में निर्दिष्ट मामलों पर रिपोर्ट में कोई योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है:

क्रम सं.	कंपनी का नाम	मूल कंपनी/सहायक/सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	सीएआरओ प्रतिवेदन की अनुच्छेद सं. जिसमें योग्यताएं या प्रतिकूल टिप्पणियां शामिल हैं
1	नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड	कंपनी	i (ग)
2	नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड	कंपनी	v
3	जीएसीएल-नालको एल्कलीज़ एंड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	ii (ख)

2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि:

   (क) हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे;

   (ख) हमारी राय में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित कानून द्वारा आवश्यक खाते की उचित पुस्तकें अब तक रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच और अन्य लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन से प्रतीत होता है;

   (ग) इस प्रतिवेदन में शामिल समेकित बैलेंस शीट, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का समेकित विवरण, समेकित नकदी प्रवाह विवरण और समेकित वित्तीय विवरण इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण, तैयारी के उद्देश्य से बनाए गए खाते की प्रासंगिक पुस्तकों के साथ मेल खाता है;

   (घ) हमारी राय में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं;

   (ङ) निगम मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के आधार पर निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) कंपनी पर लागू नहीं है। भारत में निगमित इसके संयुक्त उद्यमों के वैधानिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन के आधार पर, इन संयुक्त उद्यमों के किसी भी निदेशक को अधिनियम की धारा 164 (2) के संदर्भ में 31 मार्च, 2023 तक निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है ;

   (च) कंपनी और भारत में निगमित इसके लेखापरीक्षित संयुक्त उद्यमों के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, इस रिपोर्ट के अनुलग्नक "क" में हमारा पृथक प्रतिवेदन देखें;

   (छ) संशोधित अधिनियम की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में:

   प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 का प्रावधान, निगम मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के आधार पर कंपनी पर लागू नहीं है।

   भारत में निगमित संयुक्त उद्यमों के लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन के आधार पर, वर्ष के दौरान उनके निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है;

   (ज) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमें हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

      I. कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमों पर मुकदमे लंबित हैं, जिनके संबंध में देयताएं या तो आकस्मिक देनदारियों के रूप में प्रदान की जाती हैं या प्रकट की जाती हैं। समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी 27 देखें;

ii. कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमों ने दीर्घकालिक अनुबंधों के संबंध में, यदि कोई हो, तो संभावित अनुमानित नुकसान के लिए, लागू कानून या भारतीय लेखा मानकों के तहत आवश्यक प्रावधान किए हैं। जैसा कि हमें बताया गया है और संयुक्त उद्यमों के लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन के अनुसार, कंपनी या उसके संयुक्त उद्यमों द्वारा कोई व्युत्पन्न अनुबंध नहीं किया गया है;

iii. जैसा कि हमें बताया गया है और संयुक्त उद्यमों के लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन के अनुसार, कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमों द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में आवश्यक राशि हस्तांतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है;

iv.(क) कंपनी के संबंधित प्रबंधन और भारत में निगमित संयुक्त उद्यम इकाइयां, जिनके वित्तीय विवरण अधिनियम के तहत ऑडिट किए गए हैं, ने दर्शाया है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कोई फंड नहीं है (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण हैं), जिसे कंपनी या ऐसी किसी भी संयुक्त उद्यम इकाई द्वारा विदेशी इकाई ("मध्यस्थ" सहित) किसी अन्य व्यक्ति या इकाई को अग्रिम या उधार दिया गया है या निवेश किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार की निधि से"), समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा,यह कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से ("अंतिम लाभार्थी") किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थी की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही चीज़ प्रदान करेगा;

(ख) कंपनी के संबंधित प्रबंधन और भारत में निगमित इसकी संयुक्त उद्यम इकाइयाँ, जिनके वित्तीय विवरणों का अधिनियम के तहत ऑडिट किया गया है, उन्होंने दर्शाया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी या ऐसी किसी भी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई द्वारा कोई धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) प्राप्त नहीं हुई है। किसी भी व्यक्ति या संस्था से, जिसमें विदेशी संस्था ("फंडिंग पार्टी") भी शामिल है, समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा कि कंपनी या ऐसी कोई भी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") की ओर से या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से सुरक्षा या ऐसा ही कुछ कोई गारंटी प्रदान करेगी;

(ग) लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उचित माना गया है और संयुक्त उद्यमों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उप-खंड के तहत अभ्यावेदन (नियम 11(ई) के i) और (ii), जैसा कि ऊपर (ए) और (बी) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण शामिल है;

v. जैसा कि समेकित वित्तीय विवरण के अनुच्छेद 19.3 में कहा गया है:

क. पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित एवं भुगतान अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जैसा लागू हो; एवं

ख. वर्ष के दौरान एवं इस प्रतिवेदन की तारीख तक कंपनी द्वारा घोषित एवं भुगतान किया गया तथा अंतरिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है;

vi. लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खाता-बहियों को बनाए रखने के लिए कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 3(1) के प्रावधान के रूप में, जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) रिकॉर्ड करने की सुविधा है, यह सुविधा केवल 1 अप्रैल, 2023 से कंपनी के लिए लागू है, कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11 (छ) के तहत रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लागू नहीं है।

कृते जीएनएस एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन-318171ई

हस्ता./-
(सीए राजेश के. पहाड़ी)
साझेदार
सदस्यता सं.: 058221
यूडीआईएन: 23058221BGXMBD1808U

कृते एके साबत एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-321012ई

हस्ता./-
(सीए बी. आर. महान्ति)
साझेदार
सदस्यता सं.: 057266
यूडीआईएन: 23057266BGSMTW7954

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 24 मई, 2023

अनुलग्नक "क"

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर सम तारीख की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक

(सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के तहत पैराग्राफ 2 (एफ) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के साथ, हमने नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षा किया है और लेखा परीक्षकों पर विचार किया है 'उस तारीख तक, अपने लेखा परीक्षित संयुक्त उद्यमों, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, की वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रतिवेदन।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी एवं संयुक्त उद्यमों के संबंधित निदेशक मंडल, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, जो आंतरिक के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमों द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में नियंत्रण बताया गया है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो संबंधित कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। ये त्रुटियाँ, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपना लेखा परीक्षा वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और लेखा परीक्षा पर मानकों, दोनों आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10), आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक, के तहत निर्धारित के अनुसार किया। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे लेखा परीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदन और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, भौतिक कमजोरी मौजूद जोखिम का आकलन करना और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और अन्य लेखा परीक्षारों द्वारा नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित उनके प्रतिवेदन के संदर्भ में प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा वित्तीय प्रतिवेदन पर राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय प्रतिवेदन पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों को ओवरराइड करने की संभावना भी शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री के कारण अपर्याप्त हो सकता है।

राय

हमारी राय में, कंपनी और उसके संयुक्त उद्यम, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय प्रतिवेदन पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय प्रतिवेदन पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो संबंधित कंपनियों द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित था, को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन पर टिप्पणी जारी की गई थी।

अन्य विषय

आंतरिक की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय है। जहां तक यह संयुक्त उद्यमों से संबंधित है, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, वित्तीय प्रतिवेदन पर वित्तीय नियंत्रण ऐसी कंपनियों के लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्ट पर आधारित है।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारा प्रतिवेदन संशोधित नहीं है

कृते जीएनएस एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन-318171ई

हस्ता./-
(सीए राजेश के. पहाड़ी)
साझेदार
सदस्यता सं.: 058221
यूडीआईएन: 23058221BGXMBD1808U

कृते एके साबत एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-321012ई

हस्ता./-
(सीए बी. आर. महान्ति)
साझेदार
सदस्यता सं.: 057266
यूडीआईएन: 23057266BGSMTW7954

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 24 मई, 2023

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड के समेकित (समेकित) वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारितअधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। ऐसा कहा गया है कि यह उनके द्वारा 24 मई 2023 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के तहत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। हमने उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड एवं इसकी संयुक्त उद्यम कंपनी उत्कर्षा एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का पूरक ऑडिट किया, लेकिन इसकी संयुक्त उद्यम कंपनियों अनुगुळ एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड एवं खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा नहीं की। इसके अलावा, उनके वैधानिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पूरक लेखा परीक्षा के संचालन के लिए अधिनियम की धारा 139(5) एवं 143(6)(क) निजी इकाई होने के कारण इसकी संयुक्त उद्यम कंपनी जीएसीएल-नालको अल्कलीज़ एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड पर लागू नहीं होती हैं। तदनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने न तो वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की है एवं न ही इस कंपनी का पूरक लेखा परीक्षण किया है। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है एवं यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी कर्मियों की पूछताछ एवं कुछ लेखांकन रिकॉर्ड की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

मेरे पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी भी टिप्पणी या पूरक को उत्पन्न करे।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के
लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता /-
(अतुल प्रकाश)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (खान)कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 28.07.2023

31 मार्च, 2023 को समेकित तुलन पत्र

राशि करोड़ रु. में

विवरण	टिप्पणियाँ	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
परिसंपत्तियां			
(1) गैर चालू परिसंपत्तियां			
(क) परिसंपत्तियां, संयंत्र एवं उपकरण	5	6,916.39	7,001.94
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति	6	2,744.95	1,763.42
(ग) अमूर्त परिसंपत्तियां	7	386.44	341.27
(घ) विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियां	8	523.97	471.40
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	9		
(क) संयुक्त उद्यमों में निवेश	9	213.14	310.97
(ख) अन्य निवेश	9	0.03	0.03
(ii) व्यापार प्राप्य	10	-	-
(iii) ऋण	11	82.39	87.38
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	12	21.55	9.74
(च) आयकर परिसंपत्तियां (निवल)	13	634.49	320.57
(छ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	14	806.45	699.23
कुल गैर - चालूपरिसंपत्तियां		12,329.80	11,005.95
(2) चालू परिसंपत्तियां			
(क) सूची	15	1,840.22	1,645.60
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	9	145.58	64.01
(ii) व्यापार प्राप्य	10	91.33	75.25
(iii) नकद एवं नकद समकक्ष	16	63.29	412.80
(iv) उपरोक्त (iii) के अलावा अन्य बैंक शेष	16	2,054.21	3,293.27
(v) ऋण	11	28.98	28.55
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	12	49.58	47.13
(ग) आयकर परिसंपत्तियां (नेट)	13	28.49	55.38
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	14	994.49	858.07
कुल चालू परिसंपत्तियां		5,296.17	6,480.06
(3) बिक्री के प्रस्तुत गैर-चालू परिसंपत्तियां	17	0.64	0.57
कुल परिसंपत्तियां			
इक्विटी एवं देयताएं			
(1) इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	18	918.32	918.32
(ख) अन्य इक्विटी	19	12,208.05	11,634.07
कुल इक्विटी		13,126.37	12,552.39
देयताएं			
(2) गैर-चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) लीज देयताएं	20	50.99	50.91
(ii) व्यापार देय			
(क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का बकाया	22	-	-
(ख) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का बकाया	22	10.98	23.61
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	23	180.00	88.57
(ख) प्रावधान	24	100.83	260.98
(ग) अन्य गैर-चालू देयताएं	25	314.02	331.76
(घ) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	26	957.77	868.18
कुल गैर-चालू देयताएं		1,614.59	1,624.01
(3) चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	21	47.75	20.67
(ii) लीज देयताएं	20	5.87	5.52
(iii) व्यापार देय			
(क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का बकाया	22	36.59	31.50
(ख) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का बकाया	22	1,226.75	1,425.60
(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	23	620.41	500.35
(ख) अन्य चालू देयताएं	25	769.32	988.55
(ग) प्रावधान	24	146.89	126.95
(घ) आयकर देयताएं	13	32.07	211.04
कुल चालू देयताएं		2,885.65	3,310.18
कुल देयताएं		4,500.24	4,934.19
कुल शेयर एवं देयताएं		17,626.61	17,486.58

वित्तीय विवरण के साथ संलग्न टिप्पणियां (1-46) देखें

(सीएस एन. के. महान्ति)
कंपनी सचिव

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से
(आर. सी. जोशी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08765394

(सीए श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06500954

सम दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।

कृते जीएनएस एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन-318171ई
(सीए राजेश के. पहाड़ी)
साझेदार
एम. सं.: 058221

कृते एके साबत एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-321012ई
(सीए बी. आर. महान्ति)
साझेदार
एम. सं.: 057266

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 24 मई, 2023

वित्तीय विवरण (समेकित)

को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का समेकित विवरण राशि

रु. करोड़

		टिप्पणियाँ	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
I.	संचालन से राजस्व	29	14,254.86	14,214.58
II.	अन्य आय	30	235.63	264.09
III	कुल आय (I + II)		14,490.49	14,478.67
IV	व्यय			
	(क) उपभुक्त कच्चे माल की लागत	31	3,172.12	1,971.13
	(ख) बिजली एवं ईंधन की खपत की लागत	31	4,693.69	3,388.48
	(ग) तैयार माल की सूची एवं प्रगति पर काम में परिवर्तन	32	(16.66)	(116.83)
	(घ) कर्मचारी लाभ व्यय	33	1,832.06	2,355.80
	(ङ) वित्त लागत	34	12.92	23.13
	(च) मूल्यह्रास, परिशोधन एवं हानि व्यय			
	(i) परिसंपत्तियां संयंत्र एवं उपकरण - मूल्यह्रास	5	584.24	567.72
	(ii) परिसंपत्तियां संयंत्र एवं उपकरण - क्षति	5	100.31	237.62
	(iii) अमूर्त परिसंपत्तियां - परिशोधन	7	31.25	31.25
	(छ) अन्य खर्चे	35	2,125.57	2,065.50
	कुल व्यय (IV)		12,535.50	10,523.80
V	असाधारण वस्तुओं एवं कर से पहले लाभ/(हानि) (III - IV)		1,954.99	3,954.87
VI	असाधारण वस्तुएँ		-	-
VII	संयुक्त उद्यमों के लाभ/(हानि) का हिस्सा		(109.83)	(0.56)
VIII	कर पूर्व लाभ (V - VI + VII)		1,845.16	3,954.31
IX	कर व्यय			
	(क) चालू कर	36		
	(i) चालू वर्ष		475.47	1,061.63
	(ii) पहले के वर्ष		(181.06)	(9.88)
	(ख) आस्थगित कर	36	116.09	(48.85)
X	वर्ष के लिए लाभ (VIII-IX)		1,434.66	2,951.41
XI	अन्य व्यापक आय			
	(i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	- परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्माप लाभ/(हानि)।		31.15	47.25
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	36	26.50	(23.30)
	वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (कर का शुद्ध) (XI)		57.65	23.95
XII	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (X+XI)			
	[इस अवधि के लिए लाभ एवं अन्य व्यापक आय शामिल है]		1,492.31	2,975.36
XIII	प्रति इक्विटी शेयर आय:			
	(i) मूल (रु. में)	38	7.81	16.07
	(ii) डायल्यूटेड (रु.)	38	7.81	16.07

वित्तीय विवरण के साथ संलग्न टिप्पणियां (1-46) देखें

(सीएस एन. के. महान्ति)
कंपनी सचिव

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से
(आर. सी. जोशी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08765394

(सीए श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06500954

सम दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।

कृते जीएनएस एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन-318171ई
(सीए राजेश के. पहाड़ी)
साझेदार
एम. सं.: 058221

कृते एके साबत एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-321012ई
(सीए बी. आर. महान्ति)
साझेदार
एम. सं.: 057266

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 24 मई, 2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

राशि करोड़ रु. में

क.	**इक्विटी शेयर पूंजी**	
	31.03.2021 तक शेष राशि	918.32
	वर्ष के दौरान परिवर्तन	-
	31.03.2022 तक शेष राशि	918.32
	वर्ष के दौरान परिवर्तन	-
	31.03.2023 तक शेष राशि	918.32

ख. अन्य इक्विटी — राशि करोड़ रु. में

	आरक्षित एवं अधिशेष			
अन्य इक्विटी	**पूंजी मोचन आरक्षित**	**सामान्य आरक्षित**	**प्रतिधारित आय**	**कुल**
31.03.2021 को शेष	370.30	7,942.98	1,447.41	9,760.69
इस साल का मुनाफा	-	-	2,951.41	2,951.41
अन्य व्यापक आय (करों का शुद्ध)	-	-	23.95	23.95
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	2,975.36	2,975.36
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	-	-	(183.66)	(183.66)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश			(918.32)	(918.32)
31.03.2022 तक शेष राशि	370.30	7,942.98	3,320.79	11,634.07
इस साल का मुनाफा	-	-	1,434.66	1,434.66
अन्य व्यापक आय (करों का शुद्ध)	-	-	57.65	57.65
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	1,492.31	1,492.31
विगत वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	-	-	(275.49)	(275.49)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	-	-	(642.83)	(642.83)
31.03.2023 तक शेष राशि	370.30	7,942.98	3,894.78	12,208.05

(सीएस एन. के. महान्ति)
कंपनी सचिव

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से
(आर. सी. जोशी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08765394

(सीए श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06500954

सम दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।

कृते जीएनएस एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन-318171ई
(सीए राजेश के. पहाड़ी)
साझेदार
एम. सं.: 058221

कृते एके साबत एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-321012ई
(सीए बी. आर. महान्ति)
साझेदार
एम. सं.: 057266

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 24 मई, 2023

वित्तीय विवरण (समेकित)

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

राशि करोड़ रु. में

		31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
क	**संचालनीय गतिविधियों से प्राप्त रोकड़**		
	वर्ष का मुनाफा	1,434.66	2,951.41
	निम्न के लिए समायोजन:		
	आयकर व्यय को लाभ या हानि में स्वीकृति	410.50	1,002.90
	संयुक्त उद्यमों का हिस्सा (लाभ)/हानि	109.83	0.56
	वित्त लागत को लाभ या हानि में स्वीकृति	12.92	23.13
	ब्याज आय को लाभ या हानि में स्वीकृति	(187.18)	(210.36)
	लाभांश आय को लाभ या हानि में स्वीकृति	(17.23)	(13.91)
	परिसंपत्तियां, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान पर शुद्ध (लाभ)/हानि	2.56	0.44
	वित्तीय परिसंपत्तियों पर उत्पन्न होने वाला शुद्ध (लाभ)/हानि अनिवार्य रूप से		
	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है	(0.57)	0.36
	अन्य परिसंपत्तियों पर क्षति हानि को स्वीकृति	36.45	46.03
	दुकानों की सूची, अतिरिक्त पुर्जे बट्टे खाते में डाल दिए गए	3.26	1.68
	गैर-चालू परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास, परिशोधन एवं हानि	715.80	836.59
	अप्राप्त विदेशी मुद्रा (लाभ)/हानि (शुद्ध)	16.45	7.77
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	2,537.45	4,646.60
	कार्यशील पूंजी में हलचल:		
	(वृद्धि)/इन्वेंट्री में कमी	(205.04)	(170.96)
	(वृद्धि)/व्यापार प्राप्य में कमी	11.00	46.70
	(वृद्धि) / ऋण एवं अन्य वित्तीय परिपरिसंपत्तियां में कमी	109.31	91.91
	(वृद्धि)/अन्य परिसंपत्तियों में कमी	(218.82)	(372.45)
	व्यापार देय में वृद्धि / (कमी)	(222.84)	495.70
	अन्य वित्तीय देयताएं में वृद्धि/(कमी)	(29.57)	44.47
	अन्य देयताएं में वृद्धि/(कमी)	(222.95)	383.61
	प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	(103.61)	(360.46)
	नकद (प्रयुक्त) / संचालन से उत्पन्न	1,654.94	4,805.12
	आयकर चुकाया	(746.69)	(755.51)
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	908.24	4,049.61
ख.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	वित्तीय परिसंपत्तियां प्राप्त करने के लिए भुगतान	(81.00)	(52.00)
	वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय	0.59	236.39
	संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों में इक्विटी हासिल करने के लिए भुगतान	(12.00)	-
	(निवेश)/बैंकों में सावधि जमा का मोचन	1,211.32	(1,754.37)
	अन्य निवेशों से प्राप्त लाभांश	17.23	13.91
	बैंकों एवं अन्य से प्राप्त ब्याज	54.45	96.14
	परिसंपत्तियां, संयंत्र एवं उपकरण के लिए भुगतान (पूंजीगत अग्रिम सहित)	(1,305.39)	(1,178.22)
	परिसंपत्तियां, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान से प्राप्त आय	9.15	8.47
	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए भुगतान	(228.60)	(106.24)
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	(334.25)	(2,735.92
ग.	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	पट्टा देयताएं का भुगतान	(3.65)	(4.23)
	वित्त लागत का भुगतान	(1.53)	(8.20)
	इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान	(918.32)	(1,101.98)
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	(923.50)	(1,114.41
नकद या नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि या (कमी)		(349.51)	199.28
वर्ष की शुरुआत में नकद एवं नकद समकक्ष		412.80	213.52
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समकक्ष [टिप्पणी 16.क देखें]		63.29	412.80

नोट:
1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े नकदी बहिर्प्रवाह/आवक, जैसा भी मामला हो, हैं।
2. नकदी प्रवाह का विवरण भारतीय लेखा मानक-7: नकदी प्रवाह का विवरण के अनुसार अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके तैयार किया जाता है।
3. प्रस्तुति में एकरूपता के लिए जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से समाहित किया गया है।

(सीएस एन. के. महान्ति)
कंपनी सचिव

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से
(आर. सी. जोशी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08765394

(सीए श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06500954

सम दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।

कृते जीएनएस एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन-318171ई
(सीए राजेश के. पहाड़ी)
साझेदार
एम. सं.: 058221

कृते एके साबत एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-321012ई
(सीए बी. आर. महान्ति)
साझेदार
एम. सं.: 057266

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 24 मई, 2023

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 1: कंपनी अवलोकन

नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") 7 जनवरी 1981 को भारत में अधिवासित एवं निगमित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है। कंपनी भारत सरकार के खान मंत्रालय के तहत एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है, जो शेयरों द्वारा सीमित है। भारत में नेशनल भंडार एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) एवं बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध एवं उनमें ट्रेड किया जाता है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय नालको भवन, प्लॉट नंबर पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर - 751013, ओडिशा में है।

कंपनी एल्यूमिना एवं एल्यूमीनियम के विनिर्माण एवं बिक्री के व्यवसाय में लगी हुई है। कंपनी ओडिशा के कोरापुट जिले के दामनजोड़ी में स्थित 22.75 लाख मेट्रिक टन प्रति वर्ष एल्यूमिना परिशोधक संयंत्र तथा ओडिशा के अनुगुळ स्थित 4.60 लाख मेट्रिक टन प्रति वर्ष एल्यूमीनियम प्रद्रावक का संचालन कर रही है। कंपनी के पास एल्यूमिना परिशोधक की बॉक्साइट आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिशोधक संयंत्र के नजदीक एक कैप्टिव बॉक्साइट खदानें हैं एवं प्रद्रावक की बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रद्रावक संयंत्र के नजदीक 1200 मेगावाट का कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट भी है। बिजली संयंत्र की कोयले की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी के पास अनुगुळ में कैप्टिव कोयला खदानें हैं। इसके अलावा, कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने एवं इसके नवीकरणीय क्रय दायित्व का अनुपालन करने के लिए आंध्र प्रदेश (गांडीकोटा), राजस्थान (लुधेरवा एवं देवीकोट) एवं महाराष्ट्र (सांगली) राज्य में स्थित 198.40 मेगावाट की कुल क्षमता वाले चार पवन ऊर्जा संयंत्रों का भी संचालन कर रही है।

टिप्पणी सं. 2: तैयारी एवं माप का आधार

2.1 अनुपालन विवरण:

कंपनी के इन समेकित वित्तीय विवरणों को लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का पालन करते हुए तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार लाभकारी प्रतिष्ठान के रूप में तैयार किया गया है।

इन समेकित वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 24 मई 2023 को आयोजित बैठक में जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

2.2 माप का आधार:

समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित वित्तीय उपकरणों को छोड़कर ऐतिहासिक लागत सम्मेलन पर तैयार किए गए हैं जिन्हें प्रासंगिक इंड एएस की आवश्यकताओं के अनुसार प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है :

क) कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां एवं देयताएं जिन्हें लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य या अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया गया है;

ख) बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियां, वहन राशि के निचले स्तर पर एवं बेचने की लागत घटाकर उचित मूल्य पर;

ग) परिभाषित लाभ योजनाएं एवं योजना परिसंपत्तियां।

2.3 प्रकार्यात्मक मुद्रा एवं प्रस्तुतिकरम मुद्रा

ये समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (रु.) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की प्रकार्यात्मक मुद्रा है एवं (रु.) में प्रस्तुत सभी मूल्य निकटतम करोड़ (दो दशमलव तक) तक पूर्णांकित हैं, अन्यथा इंगित किए जाने को छोड़कर।

2.4 चालू एवं गैर-चालू वर्गीकरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में निर्धारित कंपनी के परिचालन चक्र एवं अन्य मानदंडों के अनुसार सभी परिसंपत्तियों एवं देयताएं को चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

किसी परिपरिसंपत्तियां को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब:

- इसके साकार होने की उम्मीद है, या इसे सामान्य परिचालन चक्र में बेचने या उपभोग करने का इरादा है;
- यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है;
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीनों के भीतर इसके साकार होने की उम्मीद है; या
- यह नकद या नकद समतुल्य है, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए इसका आदान-प्रदान या देनदारी निपटाने के लिए उपयोग करने पर प्रतिबंध न हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

किसी देयताएं को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब

- यह सामान्य परिचालन चक्र के भीतर तय होने की उम्मीद है;
- यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है;
- इसका निपटान रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीनों के भीतर किया जाना है; या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीने के लिए देनदारी के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताएं को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

अन्य सभी देयताएं को गैर-चालू देयताएं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर, कंपनी ने परिसंपत्तियों एवं देयताएं के चालू या गैर-चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से 12 महीने का परिचालन चक्र सुनिश्चित किया है।

2.5 अनुमानों का उपयोग :

इंड. एएस की स्वीकृति एवं माप सिद्धांतों के अनुरूप, जहां भी आवश्यक हो, अनुमान एवं स्वीकृतिओं का उपयोग करके तैयार किए गए हैं।

अनुमानों एवं अंतर्निहित धारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है एवं ऐसे अनुमानों में संशोधन, यदि कोई हो, को संशोधन के वर्ष में शामिल किया जाता है।

अनुमान अनिश्चितता के मुख्य स्रोत, जो परिसंपत्तियों एवं देयताएं की वहन मात्रा में महत्वपूर्ण समायोजन का कारण बन सकते हैं, टिप्पणी सं. 4 में बताए गए हैं।

टिप्पणी 3: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां:

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में लागू महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां नीचे दी गई हैं। ये नीतियां समेकित वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों पर लगातार लागू की गई हैं।

3.1 परिसंपत्तियां, संयंत्र एवं उपकरण:

3.1.1 प्रारंभिक पहचान एवं माप :

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) मूर्त वस्तुएं हैं जो वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति में उपयोग के लिए, या दूसरों को किराये पर देने के लिए या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए रखी जाती हैं, तथा एक से अधिक अवधि के दौरान उपयोग किए जाने की उम्मीद होती है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की एक वस्तु को परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृति दी जाती है, एवं केवल तभी जब यह संभव हो कि उस वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे एवं वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है ।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की वस्तुएं जो परिसंपत्ति के रूप में पहचान के योग्य हैं, को शुरू में लागत पर स्वीकृति दी जाती है। प्रारंभिक लागत में खरीद मूल्य, आयात शुल्क एवं गैर-वापसी योग्य खरीद कर, अन्य व्यय शामिल हैं, जो सीधे तौर पर परिसंपत्तियों को उसके स्थान पर लाने एवं प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थिति, उधार लेने की लागत, यदि कोई हो, एवं किसी भी परिसंपत्ति बहाली दायित्व के चालू मूल्य के प्रारंभिक अनुमान या अनिवार्य डिकमीशनिंग एवं निराकरण लागत के लिए जिम्मेदार हैं।

फ्रीहोल्ड भूमि के विकास पर किए गए व्यय को भूमि की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

स्व-निर्मित परिसंपत्तियों के मामले में, लागत में निर्माण में उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों की लागत, प्रत्यक्ष श्रम, ओवरहेड्स का आवंटन एवं सीधे जिम्मेदार उधार लेने की लागत, यदि कोई हो, शामिल है।

संपत्ति संयंत्र एवं उपयोग में लाए गए उपकरणों के मामले में, जहां बिलों का अंतिम निपटान अभी तक पूरा नहीं हुआ है, एवं निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन अनंतिम आधार पर पूंजीकरण किया जाता है।

जिन स्पेयर पार्ट्स का इकाई मूल्य रु. 5 लाख से अधिक है, जो उत्पादन एवं/या वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति में उपयोग के लिए रखे गए हैं तथा एक से अधिक अवधि के दौरान उपयोग किए जाने की उम्मीद है, उन्हें संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में स्वीकृति दी जाती है। गंभीर प्रकृति एवं उपयोग में अनियमित स्पेयर, जिसे किसी विशेष उपकरण के रूप में पहचाना जा सकता है एवं जिसका इकाई मूल्य रु.1 लाख से अधिक है, को भी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

इसके बाद का माप संचित मूल्यह्रास/परिशोधन एवं संचित क्षति हानि को घटाकर लागत पर किया जाता है।

3.1.2 आगामी व्यय :

बाद के व्यय को परिसंपत्ति की वहन राशि में स्वीकृति दी जाती है जब यह संभव है कि लागत से प्राप्त भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे एवं वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

परिसंपत्तियों के हिस्सों को बदलने की लागत एवं ओवरहाल लागत सहित प्रमुख निरीक्षण/रखरखाव या मरम्मत पर व्यय, जहां यह संभव है कि व्यय से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को एक वर्ष से अधिक की अवधि में उपलब्ध होंगे, पूंजीकृत हैं एवं बदले गए पहचाने जाने योग्य भागों की वहन राशि की पहचान रद्द कर दी गई है।

3.1.3 पूंजीगत कार्य प्रगति पर :

निर्माण के दौरान परिसंपत्तियों को प्रगति पर चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है एवं किसी भी स्वीकृति प्राप्त क्षति हानि को घटाकर लागत पर ले जाया जाता है। ऐसा पूंजीगत कार्य प्रगति पर होने पर, पूरा होने पर, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की उचित श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

निवेश निर्णयों तक किए गए नई संभावित परियोजनाओं के मूल्यांकन पर होने वाले खर्च को राजस्व में शामिल किया जाता है। निवेश निर्णयों के बाद परियोजनाओं के लिए किए गए व्यय को प्रगति पर चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है एवं बाद में पूंजीकृत किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के अधिग्रहण/निर्माण से संबंधित कोई भी लागत, जब तक कि इसे उस स्थान एवं स्थिति में नहीं लाया जाता है, जो प्रबंधन के इरादे के अनुसार संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक पूंजी कार्य-प्रगति का हिस्सा है।

3.1.4 मूल्यह्रास एवं परिशोधन :

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर मूल्यह्रास उनके उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर प्रदान किया जाता है, या तो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत निर्धारित किया जाता है या, जहां भी आवश्यक समझा जाता है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार निर्धारित उपयोगी जीवन से अधिक नहीं होने के प्रबंधन द्वारा किए गए तकनीकी अनुमानों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी वस्तु के घटक की लागत, जो उस वस्तु की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है, का मूल्यह्रास अलग से किया जाता है यदि इसका उपयोगी जीवन संपत्ति से भिन्न होता है। कंपनी ने 'पॉट रिलाइनिंग' को छोड़कर एक अलग घटक की पहचान के लिए महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में रु. 1 करोड़ का बेंचमार्क चुना है, जिसे इसकी अंतर्निहित प्रकृति एवं उपयोगी जीवन के कारण प्रत्येक 'इलेक्ट्रोलाइटिक पॉट' का एक घटक माना जाता है ।

संयंत्र एवं मशीनरी, वाहन, मोबाइल उपकरण एवं अर्थ मूविंग उपकरण, रेलवे सुविधाएं, रोलिंग भंडार एवं आवासीय क्वार्टरों का अवशिष्ट मूल्य मूल लागत के 5% पर बनाए रखा जाता है एवं अन्य सभी परिसंपत्तियों के लिए, अवशिष्ट मूल्य शून्य माना जाता है।

प्रत्येक वर्ष के अंत में अनुमानित उपयोगी जीवन एवं अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा की जाती है एवं अनुमानों में किसी भी बदलाव के प्रभाव का संभावित आधार पर हिसाब लगाया जाता है।

जैसा कि नीचे बताया गया है, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास किया जाता है:

क्रम सं.	संपत्ति श्रेणी का विवरण (संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण)	वर्षों में उपयोगी जीवन की सीमा
1	भवन	03 - 60
2	संयंत्र एवं मशीनरी	15 – 40
3	रेलवे साइडिंग	15
4	वाहनों	08 - 10
5	माल एवं असबाब	08 - 10
6	कंप्यूटर सहायक उपकरण	03 - 06

निम्नलिखित परिसंपत्तियों के लिए उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग ग के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न हैं: इन परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास के प्रयोजन के लिए, उपयोगी जीवन :

(क) बॉक्साइट खदानों एवं कोयला खदानों में अचल संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण व्यक्तिगत संपत्ति का जीवन या खदान की शेष लीज अवधि, जो भी कम हो, है।

(ख) कैप्टिव थर्मल पावर जेनरेशन प्लांट अर्थात् ग्रहीत विद्युत संयंत्र (सीपीपी) को 30 वर्ष माना जाता है।

(ग) स्टीम पावर प्लांट (एसपीपी) 25 वर्ष माना जाता है।

(घ) एल्यूमिना परिशोधक एवं ऐश पॉन्ड्स में लाल मिट्टी के तालाब एवं राख तालाब समय-समय पर किए गए तकनीकी अनुमानों के आधार पर उनके अनुमानित शेष उपयोगी जीवन (धारण क्षमता) पर आधारित होते हैं।

(ङ) सीपीपी में लीन स्लरी राख निपटान प्रणाली को उस अनुमानित अवधि के आधार पर माना जाता है जिसके दौरान राख को निर्दिष्ट खदान में निपटान किया जा सकता है।

(च) बॉक्साइट खदानों की परिसंपत्तियों को छोड़कर पट्टे पर दी गई भूमि पर रखी गई परिसंपत्तियों को शेष लीज अवधि या परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन से कम माना जाता है।

(छ) प्रमुख पुर्जे उक्त पुर्जों के तकनीकी अनुमान पर आधारित हैं।

(ज) पूंजीकृत प्रमुख निरीक्षण लागतों का अगले निर्धारित निरीक्षण तक की अवधि में ह्रास किया जाता है।

मूल्यह्रास तब शुरू होता है जब पीपीई प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थान एवं स्थिति में उपयोग के लिए उपलब्ध होता है।

कंपनी के स्वामित्व वाली भूमि पर रखी गई परिसंपत्तियों का उस तारीख से उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास किया जाता है, जिस दिन परिसंपत्ति प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होती है, जब तक कि लंबे / छोटे जीवन को उचित नहीं ठहराया जा सके।

रु. 10,000 /- या उससे कम लागत वाली व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का उस वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है, जिसमें वे प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थान एवं स्थिति में उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं।

3.1.5 परिसंपत्तियों की गैर-पहचान :

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की एक वस्तु को निपटान पर या जब परिसंपत्ति के उपयोग या उसके निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ उत्पन्न होने की उम्मीद नहीं है, तो उसकी पहचान रद्द कर दी जाती है। निपटान/स्वीकृति रद्द करने पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ एवं हानि के विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

3.1.6 स्ट्रिपिंग लागत : :

सतही खनन की स्ट्रिपिंग लागत को एक परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृति दी जाती है जब वे अयस्क तक महत्वपूर्ण रूप से बेहतर पहुंच का प्रतिनिधित्व करते हैं, बशर्ते कि निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी हों:

(क) यह संभव है कि स्ट्रिपिंग गतिविधि से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ का एहसास होगा;

(ख) अयस्क निकाय के उस घटक की पहचान की जा सकती है जिसके लिए पहुंच में सुधार किया गया है; एवं

(ग) बेहतर पहुंच से जुड़ी स्ट्रिपिंग गतिविधि से संबंधित लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

उत्पादन चरण के दौरान होने वाली स्ट्रिपिंग लागत को चालू "स्ट्रिपिंग लागत परिसंपत्ति" में तब तक जोड़ा जाता है, जब तक चालू अवधि का स्ट्रिपिंग अनुपात नियोजित स्ट्रिपिंग अनुपात से अधिक न हो जाए।

"स्ट्रिपिंग कॉस्ट एसेट" को बाद में अयस्क निकाय के पहचाने गए घटक के जीवन पर उत्पादन के आधार पर मूल्यह्रास किया जाता है जो स्ट्रिपिंग गतिविधि के परिणामस्वरूप अधिक सुलभ हो जाता है एवं फिर लागत को कम संचित मूल्यह्रास एवं क्षति हानि के रूप में बताया जाता है।

संपूर्ण पट्टा अवधि के दौरान बॉक्साइट खदानों का स्ट्रिपिंग अनुपात लगभग एक समान है। इसलिए, वर्ष के दौरान की गई स्ट्रिपिंग लागत को खर्चों में शामिल किया जाता है एवं कंपनी द्वारा स्ट्रिपिंग एसेट को स्वीकृति नहीं दी जाती है।

कोयला खदानों के मामले में स्ट्रिपिंग अनुपात एक समान नहीं है। हालाँकि, कंपनी ने कोयला खदानों के विकास एवं संचालन के लिए माइन डेवलपर एवं ऑपरेटर (एमडीओ) को नियुक्त किया है जो समेकित मूल्य पर कोयला वितरित करता है जिसमें स्ट्रिपिंग गतिविधियों की लागत भी शामिल होती है। इसलिए, कंपनी कोयला खदानों के मामले में स्ट्रिपिंग एसेट्स को स्वीकृति नहीं देती है।

3.2 अमूर्त परिसंपत्तियां :

एक अमूर्त परिसंपत्ति को स्वीकृति दी जाती है यदि:

क) यह संभव है कि परिसंपत्ति के कारण होने वाले अपेक्षित भविष्य के आर्थिक लाभ इकाई को प्रवाहित होंगे; एवं

ख) परिसंपत्ति की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

3.2.1 पृथक रूप सेअर्जित अमूर्त परिसंपत्तियां :

अर्जित अमूर्त परिसंपत्तियों को संचित परिशोधन एवं क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर प्रतिवेदित किया जाता है। सीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर किया जाता है। प्रत्येक वार्षिक प्रतिवेदन अवधि के अंत में अनुमानित उपयोगी जीवन एवं परिशोधन पद्धति की समीक्षा की जाती है, एवं अनुमान में किसी भी बदलाव के प्रभाव का संभावित आधार पर हिसाब लगाया जाता है।

3.2.2 आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्ति - अनुसंधान एवं विकास व्यय:

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में माने जाने वाले पूंजीगत व्यय को छोड़कर, अनुसंधान गतिविधियों पर व्यय को उस अवधि में व्यय के रूप में स्वीकृति दी जाती है जिसमें यह व्यय किया जाता है।

विकास से उत्पन्न होने वाली आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्तियां को तभी स्वीकृति दी जाती है जब " इंड एएस 38 - अमूर्त परिसंपत्तियां" में निर्धारित सभी शर्तें पूरी होती हैं।

3.2.3 खनन अधिकार :

खनन अधिकार खनन कार्य के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा कंपनी को दिया गया प्राधिकरण है। खनन अधिकारों की लागत में नियामक अधिकारियों द्वारा निर्धारित अग्रिम धनराशि, प्रतिपूरक वनरोपण (सीए), वन्य जीवन प्रबंधन (डब्ल्यूएलएफ), शुद्ध चालू मूल्य (एनपीवी) एवं संबंधित भुगतान के लिए भुगतान की गई राशि शामिल है।

खनन अधिकारों की लागत खनन संपत्ति के कुल अनुमानित शेष वाणिज्यिक पुनर्प्राप्ति योग्य भंडार पर परिशोधित की जाती है एवं यह हानि के अधीन है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

3.2.4 खान विकास व्यय :

वाणिज्यिक उत्पादन से पहले खानों के विकास के लिए किए गए व्यय यानी, भूमि, भवन, संयंत्र एवं उपकरण के अलावा प्राथमिक विकास व्यय को तब तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि खनन संपत्ति वाणिज्यिक उत्पादन में सक्षम न हो जाए।

3.2.5 उपयोगकर्ता अधिकार :

क्लस्टर परियोजना में किए गए व्यय की राशि, सह-लाभार्थियों के विशेष उपयोग के साथ भविष्य के आर्थिक लाभ, लेकिन परिसंपत्तियों पर भौतिक नियंत्रण के बिना, उपयोगकर्ता अधिकारों के रूप में पूंजीकृत की जाती है।

3.2.6 सॉफ्टवेयर :

मूल उपकरण के साथ एम्बेडेड न किए गए, अलग से प्राप्त किए गए सॉफ़्टवेयर को सॉफ़्टवेयर के रूप में बड़े अक्षरों में लिखा जाता है।

3.2.7 लाइसेंस एवं फ्रेंचाइजी :

प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय की राशि को "लाइसेंस एवं फ्रेंचाइजी" शीर्षक के तहत पूंजीकृत किया जाता है।

3.2.8 अमूर्त परिसंपत्तियों की स्वीकृति रद्द करना :

एक अमूर्त परिसंपत्तियां को निपटान पर या जब संपत्ति के उपयोग या उसके निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ उत्पन्न होने की उम्मीद नहीं होती है, तो उसकी स्वीकृति रद्द कर दी जाती है। निपटान/स्वीकृति रद्द करने पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ एवं हानि के विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

3.2.9 परिशोधन :

अमूर्त परिसंपत्तियों के परिशोधन का आधार इस प्रकार है:

(क) प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए तकनीकी जानकारी की प्रकृति में लाइसेंस, जो संबंधित प्रसंस्करण संयंत्रों के उपयोगी जीवन के लिए उपलब्ध हैं, का परिशोधन दस वर्षों की अवधि में किया जाता है।

(ख) अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत सॉफ्टवेयर का उपयोगी जीवन 3 वर्ष है एवं उस अवधि में उनका परिशोधन किया जाता है।

(ग) भंडार की उपलब्धता की अवधि में खनन अधिकार एवं खान विकास व्यय का परिशोधन किया जाता है।

(घ) क्लस्टर परियोजनाओं के लिए उपयोगकर्ता अधिकार का परिशोधन कमीशनिंग की तारीख से परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर किया जाता है।

3.3 गैर वित्तीय हानि संपत्ति :

मूर्त एवं अमूर्त परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में यह निर्धारित करने के लिए की जाती है कि क्या कोई संकेत है कि परिसंपत्तियों को हानि हुई है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि (यानी बेचने की लागत एवं उपयोग में मूल्य को घटाकर उचित मूल्य का अधिक) का अनुमान क्षति हानि की सीमा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जब किसी व्यक्तिगत संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं होता है, तो कैश जनरेटिंग यूनिट (सीजीयू) जिससे संपत्ति संबंधित है, की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। यदि सीजीयू की अनुमानित वसूली योग्य राशि उसकी वहन राशि से कम है, तो सीजीयू की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से कम हो जाती है एवं वहन राशि एवं वसूली योग्य राशि के बीच के अंतर को लाभ या हानि के विवरण में क्षति हानि के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

वसूली योग्य राशि बेचने की लागत एवं उपयोग में आने वाले मूल्य को घटाकर उचित मूल्य से अधिक है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को कर-पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके चालू मूल्य पर छूट दी जाती है जो पैसे के समय मूल्य के चालू बाजार आकलन एवं परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है जिसके लिए भविष्य के नकदी प्रवाह का अनुमान लगाया जाता है, को समायोजित नहीं किया गया है।

पहले से स्वीकृति प्राप्त हानि को केवल तभी उलटा किया जाता है, जब अंतिम क्षति हानि की स्वीकृति के बाद से परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली धारणाओं में कोई बदलाव हुआ हो।

3.4 बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियां :

गैर-चालू परिसंपत्तियों एवं निपटान समूहों को बिक्री के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि उनकी वहन राशि मुख्य रूप से निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री लेनदेन के माध्यम से पुनर्प्राप्त की जाती है एवं इसकी बिक्री अत्यधिक संभावित है।

कंपनी तब बिक्री को अत्यधिक संभावित मानती है जब वह ऐसी परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए सामान्य एवं प्रथागत शर्तों के अधीन अपनी चालू स्थिति में बिक्री के लिए रखे गए वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर बिक्री निष्पादित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बिक्री एवं निपटान समूहों के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियों को उनकी वहन राशि एवं उचित मूल्य से निपटान की लागत के निचले स्तर पर मापा जाता है।

बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू संपत्तियां एवं निपटान समूह मूल्यह्रास या परिशोधन के अधीन नहीं हैं।

3.5 सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश :

सहयोगी (एसोसिएट्स) वह इकाई है जिस पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशिती के वित्तीय एवं परिचालन नीति निर्णयों में भाग लेने की शक्ति है, लेकिन उन नीतियों पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है।

संयुक्त उद्यम एक ऐसी संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत जिन पार्टियों के पास व्यवस्था का संयुक्त नियंत्रण होता है, उनके पास संयुक्त व्यवस्था की शुद्ध परिसंपत्तियां का अधिकार होता है। संयुक्त नियंत्रण एक व्यवस्था के नियंत्रण को साझा करने के लिए संविदात्मक रूप से सहमत है, जो तभी मौजूद होता है जब प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णय के लिए नियंत्रण साझा करने वाले पक्षों की सर्वसम्मत सहमति की आवश्यकता होती है।

लेखांकन की इक्विटी पद्धति का उपयोग करके सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के परिणाम, परिसंपत्तियां एवं देयताएं को इन समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाता है, सिवाय इसके कि जब निवेश, या उसके एक हिस्से को बिक्री के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिस स्थिति में इसका हिसाब लगाया जाता है। इंड एएस 105 के अनुसार , इसकी वहन राशि एवं बेचने की लागत घटाकर उचित मूल्य के निचले स्तर पर माप किया जाता है। इक्विटी पद्धति के तहत, किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश को शुरू में लागत पर समेकित तुलन पत्र में स्वीकृति दी जाती है एवं उसके बाद सहयोगी या संयुक्त उद्यम के लाभ या हानि एवं अन्य व्यापक आय में कंपनी की हिस्सेदारी को पहचानने के लिए समायोजित किया जाता है।

किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम से प्राप्त वितरण निवेश की वहन राशि को कम कर देता है। जब किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम के घाटे में कंपनी का हिस्सा उस सहयोगी या संयुक्त उद्यम में कंपनी के हित से अधिक हो (जिसमें कोई भी दीर्घकालिक हित शामिल हो, जो वास्तव में, सहयोगी या संयुक्त उद्यम में कंपनी के शुद्ध निवेश का हिस्सा हो), कंपनी आगे के नुकसान के अपने हिस्से को पहचानना बंद कर देती है। अतिरिक्त घाटे को केवल उस सीमा तक स्वीकृति दी जाती है, जब कंपनी ने कानूनी या रचनात्मक देयताएं वहन किया हो या सहयोगी या संयुक्त उद्यम की ओर से भुगतान किया हो।

किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश का हिसाब उस तारीख से इक्विटी पद्धति का उपयोग करके किया जाता है जिस दिन निवेशिती एक सहयोगी या संयुक्त उद्यम बन जाता है। किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश के अधिग्रहण पर, निवेशिती की पहचान योग्य परिसंपत्तियों एवं देयताएं के शुद्ध उचित मूल्य में कंपनी के हिस्से से अधिक निवेश की लागत को सद्भावना के रूप में स्वीकृति दी जाती है, जो कि वहन के भीतर शामिल है निवेश की राशि. पुनर्मूल्यांकन के बाद, निवेश की लागत पर पहचान योग्य परिसंपत्तियों एवं देयताएं के शुद्ध उचित मूल्य में कंपनी के किसी भी अतिरिक्त हिस्से को सीधे उस अवधि में पूंजी आरक्षित के रूप में इक्विटी में स्वीकृति दी जाती है, जिसमें निवेश हासिल किया जाता है।

लेखांकन की इक्विटी पद्धति को लागू करने के बाद, कंपनी यह निर्धारित करती है कि किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम एवं उस घटना (या) में शुद्ध निवेश की प्रारंभिक स्वीकृति के बाद हुई एक या अधिक घटनाओं के परिणामस्वरूप हानि का कोई वस्तुनिष्ठ साक्ष्य है या नहीं घटनाओं) का शुद्ध निवेश से अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह पर प्रभाव पड़ता है जिसका विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। यदि हानि का ऐसा कोई वस्तुनिष्ठ साक्ष्य मौजूद है, तो किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम में कंपनी के निवेश के संबंध में हानि हानि को पहचानना आवश्यक है।

को उसकी पुनर्प्राप्ति योग्य राशि (उपयोग में अधिक मूल्य एवं निपटान की उचित मूल्य कम लागत) की तुलना करके एकल परिपरिसंपत्तियां के रूप में परिसंपत्तियों की हानि के लिए इंड एएस 36 के अनुसार हानि के लिए परीक्षण किया जाता है। स्वीकृति प्राप्त कोई भी हानि हानि निवेश की वहन राशि का हिस्सा बनती है। उस हानि के किसी भी उलटफेर को इंड एएस 36 के अनुसार इस हद तक स्वीकृति दी जाती है कि निवेश की वसूली योग्य राशि बाद में बढ़ जाती है।

समेकन के प्रयोजन के लिए इक्विटी पद्धति का उपयोग उस तारीख से बंद कर दिया जाता है जब निवेश एक सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं रह जाता है, या जब निवेश को बिक्री के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब कंपनी पूर्व सहयोगी या संयुक्त उद्यम में कोई ब्याज बरकरार रखती है एवं बरकरार रखा गया ब्याज एक वित्तीय परिसंपत्ति है, तो कंपनी उस तिथि पर उचित मूल्य पर बरकरार ब्याज को मापती है और उचित मूल्य को इंड एएस 109 के अनुसार प्रारंभिक मान्यता पर इसका उचित मूल्य माना जाता है। इक्विटी पद्धति बंद होने की तिथि को सहयोगी या संयुक्त उद्यम की अग्रणीत राशि के बीच के अंतर, तथा किसी भी बरकरार रखे गए ब्याज का उचित मूल्य एवं सहयोगी या संयुक्त उद्यम में आंशिक ब्याज के निपटान से प्राप्त किसी भी आय को सहयोगी या संयुक्त उद्यम के निपटान पर लाभ या हानि के निर्धारण में शामिल किया गया है। इसके अलावा, कंपनी उस सहयोगी या संयुक्त उद्यम के संबंध में अन्य व्यापक आय में पहले से स्वीकृत सभी राशियों का हिसाब उसी आधार पर रखती है, जैसा कि आवश्यक होगा, जैसा कि उस सहयोगी या संयुक्त उद्यम ने संबंधित परिसंपत्तियों या देयताओं का सीधे निपटान किया हो।

इक्विटी पद्धति तब जारी रहती है जब किसी सहयोगी में किया गया निवेश किसी संयुक्त उद्यम में निवेश बन जाता है या किसी संयुक्त उद्यम में किया गया निवेश किसी सहयोगी में निवेश बन जाता है। स्वामित्व हितों में ऐसे परिवर्तनों पर उचित मूल्य का कोई पुन: मापन नहीं होता है।

जब किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम में स्वामित्व हित कम हो जाता है लेकिन इक्विटी पद्धति का उपयोग जारी रहता है, तो स्वामित्व हित में कमी से संबंधित अन्य व्यापक आय में पहले से स्वीकृति प्राप्त लाभ या हानि का अनुपात लाभ में पुनः वर्गीकृत किया जाता है या हानि यदि उस लाभ या हानि को संबंधित परिसंपत्तियों या देयताएं के निपटान पर लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा।

3.6 विदेशी मुद्रा लेनदेन एवं अनुवाद :

कंपनी की प्रकार्यात्मक मुद्रा उस प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा से निर्धारित होती है जिसमें वह काम करती है। तदनुसार, भारतीय रुपया (रु.) को कंपनी की प्रकार्यात्मक मुद्रा माना जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को लेनदेन की तारीखों पर प्रचलित विनिमय दरों पर पहचाना जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक वस्तुओं का अनुवाद उस तिथि पर प्रचलित दरों पर किया जाता है। मौद्रिक वस्तुओं पर विनिमय अंतर को उस अवधि में लाभ एवं हानि के विवरण में पहचाना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

विदेशी मुद्रा में अंकित एवं ऐतिहासिक लागत पर मापी गई गैर-मौद्रिक परिसंपत्तियां एवं गैर-मौद्रिक देयताएं लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर अनुवादित की जाती हैं।

3.7 प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ :

3.7.1 प्रावधान :

प्रावधानों को तब स्वीकृति दी जाती है जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कोई चालू देयताएं (कानूनी या रचनात्मक) होता है एवं यह संभावित है ("नहीं की तुलना में अधिक") कि देयताएं को निपटाने की आवश्यकता है, एवं एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है देयताएं की राशि.

प्रावधान के रूप में स्वीकृति प्राप्त राशि, देयताएं के आसपास के जोखिमों एवं अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, तुलन पत्र की तारीख पर चालू देयताएं को निपटाने के लिए आवश्यक विचार का सबसे अच्छा अनुमान है।

जहां किसी प्रावधान को चालू देयताएं को निपटाने के लिए अनुमानित नकदी बहिर्प्रवाह का उपयोग करके मापा जाता है, इसकी वहन राशि उन नकदी बहिर्प्रवाहों का चालू मूल्य है।

यदि पैसे के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है, तो उचित पूर्व-कर छूट दर का उपयोग करके अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह को शुद्ध चालू मूल्य में छूट देकर प्रावधानों का निर्धारण किया जाता है, जो पैसे के समय मूल्य के चालू बाजार आकलन एवं विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है। उत्तरदेयताएं। छूट को समाप्त करने को लाभ एवं हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में स्वीकृति दी जाती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर प्रावधानों की समीक्षा की जाती है एवं चालू सर्वोत्तम अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

कठिन अनुबंधों के तहत उत्पन्न होने वाले चालू दायित्वों को प्रावधानों के रूप में पहचाना एवं मापा जाता है। एक कठिन अनुबंध तब अस्तित्व में माना जाता है जब एक अनुबंध जिसके तहत दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत उससे प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ से अधिक हो जाती है।

3.7.2 पुनर्स्थापन, पुनर्वास एवं डीकमीशनिंग :

जब किसी खदान एवं अन्य विनिर्माण सुविधाओं के विकास या चल रहे उत्पादन के कारण पर्यावरणीय गड़बड़ी होती है, तो पुनर्स्थापन, पुनर्वास एवं पर्यावरणीय लागत वहन करने की देयताएं उत्पन्न होती है। कंपनी ने 'माइन डेवलपर एवं ऑपरेटर' के माध्यम से संचालित खदानों को छोड़कर, वैधानिक आदेश के अनुसार पुनर्स्थापना, पुनर्वास एवं डिकमीशनिंग देयताएं को स्वीकृति दी है।

ऐसी लागतों का शुद्ध चालू मूल्य प्रदान किया जाता है एवं कोयला खदानों के मामले को छोड़कर, जो 'माइन डेवलपर एवं ऑपरेटर' के माध्यम से संचालित होती हैं, प्रत्येक परियोजना के प्रारंभ में एक समान राशि का पूंजीकरण किया जाता है। इन लागतों को मूल्यह्रास के माध्यम से एवं रियायती देयताएं को समाप्त करने के माध्यम से परिपरिसंपत्तियां के जीवन पर लाभ या हानि के विवरण पर लगाया जाता है। लागत अनुमानों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है एवं ज्ञात विकास को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है जिसका लागत अनुमान या संचालन के जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है। अद्यतन लागत अनुमान, संचालन के जीवन में परिवर्तन, नई गड़बड़ी एवं छूट दरों में संशोधन जैसे कारकों के कारण प्रावधान में बदलाव के लिए संबंधित परिपरिसंपत्तियां की लागत को समायोजित किया जाता है। परिपरिसंपत्तियां की समायोजित लागत उन परिसंपत्तियों के जीवन पर संभावित रूप से मूल्यह्रास की जाती है जिनसे वे संबंधित हैं। छूट की समाप्ति को लाभ या हानि के विवरण में वित्त एवं अन्य लागत के रूप में दिखाया गया है।

3.7.3 पर्यावरणीय देयताएं :

पर्यावरणीय दायित्वों को तब स्वीकृति दी जाती है जब कंपनी पर्यावरणीय क्षति को सुधारने या उपचारात्मक कार्य करने के लिए कानूनी या रचनात्मक रूप से बाध्य हो जाती है।

3.7.4 उद्यम सामाजिक प्रतिबद्धताएँ:

उद्यम सामाजिक प्रतिबद्धताएँ वह राशि है जो किसी भी नई परियोजना की स्थापना के दौरान आसपास के क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर खर्च की जाती है। ऐसी बाध्यता नई परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा दिए गए पर्यावरण मंजूरी प्रमाणपत्र में उल्लिखित शर्तों से उत्पन्न होती है एवं आम तौर पर कुल परियोजना लागत के प्रतिशत के रूप में परिभाषित की जाती है।

3.7.5 कानूनी देयताएं :

प्रावधान को एक बार स्वीकृति मिल जाती है जब यह स्थापित हो जाता है कि रिपोर्टिंग की तारीख तक उपलब्ध होने वाली जानकारी पर विचार के आधार पर कंपनी का चालू देयताएं है।

3.7.6 आकस्मिक देयताएं :

आकस्मिक देयताएं संभावित देयताएं हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं, जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होती है जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं या चालू देयताएं हैं लेकिन भुगतान संभव नहीं है। या राशि को विश्वसनीय रूप से मापा नहीं जा सकता। समेकित वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देयताएं का खुलासा किया जाता है जब तक कि निपटान में किसी भी बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ न हो।

3.7.7 आकस्मिक परिसंपत्तियां :

आकस्मिक परिसंपत्तियों को समेकित वित्तीय विवरण में स्वीकृति नहीं दी जाती है, लेकिन जहां आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है, वहां इसका खुलासा किया जाता है।

3.8 पट्टा :

पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी अनुबंध की शुरुआत में यह आकलन करती है कि अनुबंध में पट्टा है या नहीं।

पट्टे की शुरुआत की तारीख पर, कंपनी लागत पर " उपयोग का अधिकार" (आरओयू) संपत्ति को पहचानती है, एवं पट्टे की देयताओं को उन सभी पट्टा भुगतानों के चालू मूल्य पर मापा जाता है जिनका भुगतान उस तिथि पर नहीं किया जाता है, सिवाय उन पट्टों के जिनके 12 महीने या उससे कम की लीज अवधि जिसमें खरीद विकल्प (अल्पकालिक लीज) शामिल नहीं है एवं लीज जिसके लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की है।

3.8.1 प्रारंभिक माप:

"आरओयू परिसंपत्ति की लागत" में निम्नलिखित राशि शामिल है:

i. पट्टा देयता का प्रारंभिक माप।

ii. प्रीपेड लीज भुगतान में प्राप्त किसी भी लीज प्रोत्साहन को घटा दिया जाएगा।

iii. पट्टेदार के रूप में कंपनी द्वारा वहन की गई प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, एवं

iv. अंतर्निहित परिसंपत्ति को नष्ट करने, हटाने या पुनर्स्थापित करने की अनुमानित लागत।

लीज देनदारी को लंबी अवधि के सरकारी बांडों की कूपन दर पर लीज भुगतान में छूट देकर लीज भुगतान के चालू मूल्य पर मापा जाता है:

i. निश्चित भुगतान (पदार्थ में निश्चित भुगतान सहित)।

ii. परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर करता है।

iii. कंपनी द्वारा अवशिष्ट मूल्य गारंटी के रूप में देय राशि।

iv. यदि कंपनी उचित निश्चितता के साथ इसका प्रयोग करने की उम्मीद करती है तो खरीद विकल्प का प्रयोग मूल्य।

v. कंपनी द्वारा समाप्ति के लिए दंड का भुगतान, यदि पट्टे की शर्तों में कंपनी के लिए ऐसा विकल्प शामिल है।

कंपनी यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आरओयू संपत्ति क्षतिग्रस्त है, इंड एएस 36- परिसंपत्तियों की क्षति लागू करती है एवं 'संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण' पर अपनी लेखांकन नीति के अनुसार किसी भी पहचानी गई क्षति हानि का हिसाब रखती है। लीज अवधि के दौरान आरओयू परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास किया जाता है।

3.8.2 बाद का माप:

परिवर्तित अवधि के दौरान, लीज देयताओं को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है तथा आरओयू परिसंपत्ति को संचित मूल्यह्रास और संचित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर मापा जाता है।

पट्टे के भुगतान को वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

3.8.3 अल्पावधि पट्टे एवं कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टे :

12 महीने या उससे कम की लीज अवधि वाले पट्टों के लिए लीज भुगतान जिसमें खरीद विकल्प शामिल नहीं है एवं पट्टों के लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की है, उन्हें लीज अवधि पर सीधी रेखा के आधार पर खर्च के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

कंपनी पट्टेदार के रूप में,

जिन पट्टों के लिए कंपनी पट्टेदार है उन्हें वित्त या परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जब भी पट्टे की शर्तें स्वामित्व के सभी जोखिमों एवं लाभों को पट्टेदार को हस्तांतरित करती हैं, तो अनुबंध को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टें संचालनशील पट्टों के रूप में वर्गीकृत हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

परिचालन पट्टों के मामले में, किराये की आय को संबंधित पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर पहचाना जाता है। परिचालन पट्टे पर समझौता करने एवं उसकी व्यवस्था करने में होने वाली प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को पट्टे पर दी गई संपत्ति की अग्रणीत राशि में जोड़ा जाता है एवं किराये की आय के समान आधार पर पट्टे की अवधि में स्वीकृति दी जाती है। आकस्मिक किराए को उस अवधि में राजस्व के रूप में स्वीकृति दी जाती है जिसमें वे अर्जित किए जाते हैं।

वित्त पट्टों के मामले में, वित्त पट्टों के तहत पट्टेदारों से देय राशि को पट्टों में कंपनी के शुद्ध निवेश पर प्राप्य के रूप में दर्ज किया जाता है। वित्त पट्टे की आय को लेखांकन अवधियों के लिए आवंटित किया जाता है ताकि पट्टे के संबंध में बकाया शुद्ध निवेश पर रिटर्न की निरंतर आवधिक दर प्रतिबिंबित हो सके।

3.9 माल-सूची :

कच्चे माल, भंडार एवं पुर्जों की सूची का मूल्य कर क्रेडिट एवं शुद्ध वसूली योग्य लागत के निचले स्तर पर लगाया जाता है। लागत चलती भारित औसत कीमत पर निर्धारित होती है।

5 वर्ष से अधिक समय तक रखे गए लेकिन जारी न किए गए स्टोर एवं पुर्जों का मूल्य लागत का 5% है।

उत्पादन में उपयोग के लिए रखी गई सामग्री एवं अन्य आपूर्ति (गैर-चलती मानी जाने वाली के अलावा) को लागत से नीचे नहीं लिखा जाता है, यदि तैयार उत्पाद जिसमें उन्हें शामिल किया जाएगा, लागत पर या उससे ऊपर बेचे जाने की उम्मीद है।

तैयार माल, अर्ध-तैयार माल, मध्यस्थ उत्पादों एवं एल्यूमीनियम प्रक्रिया स्क्रैप सहित प्रक्रिया में काम की सूची का मूल्यांकन लागत एवं शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से कम पर किया जाता है।

लागत में उपभोग की गई सामग्री का मूल्य एवं रूपांतरण की लागत शामिल है जिसमें श्रम लागत एवं विनिर्माण ओवरहेड का जिम्मेदार हिस्सा शामिल है।

शुद्ध वसूली योग्य मूल्य व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत को घटाकर प्रतिवेदन तिथि पर उपलब्ध अनुमानित बिक्री मूल्य है।

3.10 व्यापार प्राप्य :

व्यापार प्राप्य को उनके लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है जब तक कि इसमें अनुबंध में कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक या मूल्य निर्धारण समायोजन शामिल न हो, ऐसे मामलों में, इसे उचित मूल्य पर स्वीकृति दी जाती है। व्यापार प्राप्य को संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के उद्देश्य से रखा जाता है एवं इसलिए बाद में इसे परिशोधन लागत कम हानि भत्ते पर मापा जाता है।

व्यापार प्राप्य ग्राहकों द्वारा बेची गई वस्तुओं या व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में की गई सेवाओं के लिए देय राशि है। यदि प्राप्य को रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने या उससे कम अवधि के भीतर एकत्र किए जाने की उम्मीद है, तो उन्हें चालू परिसंपत्तियों के रूप में अन्यथा गैर-चालू परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

3.11 नकद एवं नकद समतुल्य :

नकद एवं नकद समतुल्य में बैंक एवं हाथ में नकदी तथा अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम की परिपक्वता अवधि वाले अल्पकालिक बैंक जमा शामिल होते हैं, जो नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय होते हैं एवं जो परिवर्तन के मामूली जोखिम के अधीन होते हैं।

नकदी प्रवाह के विवरण के प्रयोजन के लिए, नकदी एवं नकदी समकक्षों में नकदी एवं अल्पकालिक जमा शामिल होते हैं, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है।

3.12 वित्तीय साधन :

वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं को तब स्वीकृति दी जाती है जब कंपनी साधन के संविदात्मक प्रावधानों में एक पक्ष बन जाती है। व्यापार प्राप्य एवं देय को छोड़कर, वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेन-देन लागत जो सीधे वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताएं (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताएं के अलावा) के अधिग्रहण या जारी करने के लिए जिम्मेदार होती है, वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयताएं की प्रारंभिक स्वीकृति पर मापे गए उचित मूल्य में जोड़ी जाती है या घटा दी जाती है।

3.12.1 वित्तीय परिसंपत्तियां :

(क) परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ:

व्यापार प्राप्य सहित वित्तीय परिसंपत्तियां, जहां इसमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल हैं, को बाद में परिशोधित लागतों पर मापा जाता है एवं तदनुसार प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके मापा जाता है। यदि वित्तीय परिसंपत्तियां एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखी जाती हैं जिसका उद्देश्य इन परिसंपत्तियों को इकट्ठा करने के लिए रखना है संविदात्मक नकदी प्रवाह एवं वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को बढ़ाती हैं जो केवल मूलधन का भुगतान एवं बकाया मूल राशि पर ब्याज है।

(ख) अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियां:

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में अन्य व्यापक आय (अद कॉम्प्रेहेंसिव इनकम) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, यदि इन वित्तीय परिसंपत्तियों को एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने एवं वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है

एवं वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट आधार पर बढ़ती हैं। नकदी प्रवाह की तारीखें जो केवल मूलधन एवं बकाया मूल राशि पर ब्याज का भुगतान हैं।

(ग) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ:

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, जब तक कि इसे बाद में परिशोधित लागत पर या अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा नहीं जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं के अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत को तुरंत लाभ या हानि के विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

3.12.2 वित्तीय परिसंपत्तियों की स्वीकृति रद्द करना :

वित्तीय परिसंपत्तियों की स्वीकृति तभी रद्द की जाती है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या जब परिसंपत्तियों के स्वामित्व के सभी जोखिम एवं प्रतिफल किसी अन्य इकाई को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों की स्वीकृति रद्द करने पर लाभ या हानि, जिसे परिशोधन लागत पर मापा जाता है, को लाभ एवं हानि के विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

3.12.3 वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर, मूल्यांकन किया जाता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है या नहीं

यदि प्रारंभिक स्वीकृति के बाद से किसी वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो उस वित्तीय साधन के लिए हानि भत्ता 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर मापा जाता है। यदि प्रारंभिक मान्यता के बाद से उस वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है, तो हानि भत्ता एक वित्तीय साधन के लिए जीवन भर अपेक्षित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर मापा जाता है।

प्रतिवेदन तिथि पर हानि भत्ते को समायोजित करने के लिए आवश्यक अपेक्षित क्रेडिट हानि (या उत्क्रमण) की राशि को लाभ एवं हानि के विवरण में हानि लाभ या हानि के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

3.12.4 वित्तीय देयताएं :

व्यापार देय को उनके लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है जब तक कि इसमें अनुबंध में कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक या मूल्य निर्धारण समायोजन शामिल न हो।

व्यापार देय सहित वित्तीय देयताएं, जहां इसमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल है, को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

3.12.5 वित्तीय देयताओं की स्वीकृति रद्द करना :

वित्तीय देयताएं की स्वीकृति तभी रद्द की जाती है जब, एवं केवल तभी, जब दायित्वों का निर्वहन किया जाता है, रद्द किया जाता है या समाप्त हो जाता है।

परिसमाप्त क्षति के लिए प्रतिधारण के मामले में, यदि अनुबंध को अंतिम रूप देने/बंद करने पर, परिसमाप्त क्षति उद्ग्रहण योग्य है, तो रखी गई राशि को वापस लिखा जाता है एवं पूंजी अनुबंधों को छोड़कर आय के रूप में स्वीकृति दी जाती है, जहां परिसमाप्त क्षति सीधे तौर पर परिसंपत्ति लागत में वृद्धि/बढ़त के लिए जिम्मेदार होती है। ऐसे मामले में, प्रतिधारण राशि को परिसंपत्ति की लागत के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

3.12.6 वित्तीय साधन समंजन करना :

वित्तीय संपत्तियों एवं देयताओं का समंजन किया जाता है एवं तुलन-पत्र में शुद्ध राशि की सूचना दी जाती है, जब स्वीकृति प्राप्त रकम की भरपाई करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार हो एवं शुद्ध आधार पर निपटान करने या परिसंपत्ति का एहसास करने एवं देनदारी को एक साथ निपटाने का इरादा हो। कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार भविष्य की घटनाओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए एवं व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में लागू होना चाहिए।।

3.12.7 व्युत्पन्न :

वायदा विदेशी मुद्रा अनुबंध जैसे व्युत्पन्न उपकरणों को व्युत्पन्न अनुबंधों में प्रवेश की तिथि पर उचित मूल्य पर स्वीकृति दी जाती है एवं प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में फिर से मापा जाता है। परिणामी लाभ या हानि को तुरंत लाभ या हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

3.13 उधार लेने की लागत :

योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से सीधे तौर पर जुड़ी उधार लागत को उन परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ा जाता है, जब तक कि परिसंपत्तियां अपने इच्छित उपयोग के लिए काफी हद तक तैयार न हो जाएं।

अर्हक परिसंपत्तियाँ वे परिसंपत्तियाँ हैं जिन्हें अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लगता है, जिसे बारह महीने से अधिक माना जाता है। लंबी अवधि के उधार के संबंध में लेनदेन लागत को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके संबंधित ऋण की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

अन्य सभी उधार लागतों को उस अवधि में लाभ एवं हानि के विवरण में पहचाना जाता है जिसमें वे खर्च किए गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

3.14 सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन :

सरकारी अनुदान तब स्वीकृति प्राप्त होते हैं जब यह उचित आश्वासन हो कि उनसे जुड़ी शर्तों का पालन किया जाएगा एवं अनुदान प्राप्त होगा।

उन परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान जिनकी प्राथमिक शर्त यह है कि कंपनी को गैर-चालू परिसंपत्तियों की खरीद, निर्माण या अन्यथा अधिग्रहण करना चाहिए, अनुदान को स्थगित आय के रूप में स्थापित करके तुलन पत्र में स्वीकृति दी जाती है एवं संबंधित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के व्यवस्थित आधार पर लाभ या हानि में स्थानांतरित कर दी जाती है।

आय से संबंधित सरकारी अनुदानों को उन लागतों के साथ मिलान करने के लिए आवश्यक अवधियों में व्यवस्थित आधार पर आय के रूप में स्वीकृति दी जाती है जिनके लिए उन्हें क्षतिपूर्ति करने का इरादा है।

बाजार से कम ब्याज दर पर सरकारी ऋण के लाभ को सरकारी अनुदान के रूप में माना जाता है, जिसे प्राप्त आय एवं प्रचलित बाजार ब्याज दरों के आधार पर ऋण के उचित मूल्य के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है।

3.15 कर्मचारी लाभ :

3.15.1 अल्पकालिक कर्मचारी लाभ :

संबंधित सेवा प्रदान की जाने वाली अवधि में वेतन एवं वेतन, अल्पकालिक मुआवजा अनुपस्थिति आदि के संबंध में कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों के लिए देयताएं को अपेक्षित लाभों की न छूट राशि पर स्वीकृति दी जाती है।

3.15.2 रोजगार के बाद एवं दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

3.15.3 परिभाषित अंशदान योजनाएँ :

एक परिभाषित योगदान योजना वह योजना है जिसके तहत एक अलग इकाई को निश्चित योगदान का भुगतान किया जाता है एवं यदि फंड के पास भुगतान करने के लिए पर्याप्त परिसंपत्तियां नहीं है तो कंपनी के पास आगे योगदान का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक देयताएं नहीं है। परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं में योगदान को एक व्यय के रूप में स्वीकृति दी जाती है जब कर्मचारियों ने उन्हें ऐसे योगदान के लिए हकदार बनाने वाली सेवा प्रदान की है।

3.15.4 परिभाषित लाभ योजनाएँ :

परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर किए गए अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित की जाती है।

सेवा लागत, शुद्ध परिभाषित लाभ देयताएं पर ब्याज को घटाकर, व्यय के रूप में मानी जाती है। जब योजना में संशोधन या कटौती होती है या जब किसी संबंधित पुनर्गठन लागत या समाप्ति लाभ को स्वीकृति दी जाती है तो पिछली सेवा लागत को व्यय के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

शुद्ध परिभाषित लाभ देनदारी के पुन: माप लाभ एवं हानि को तुरंत अन्य व्यापक आय में स्वीकृति दी जाती है, जिसे लाभ एवं हानि के विवरण में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

तुलन पत्र में स्वीकृति प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ देयताएं, योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से घटाकर परिभाषित-लाभ देयताएं के चालू मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।

3.15.5 अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ :

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में स्वीकृति प्राप्त देयताएं को रिपोर्टिंग तिथि तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में अनुमानित भविष्य के नकदी बहिर्वाह के चालू मूल्य पर मापा जाता है। इन लाभों की अपेक्षित लागत रोजगार की अवधि में उसी लेखांकन पद्धति का उपयोग करके अर्जित की जाती है जिसका उपयोग परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजनाओं के लिए किया जाता है। अनुभव समायोजन एवं बीमांकिक धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले बीमांकिक लाभ एवं हानि को उस अवधि में लाभ एवं हानि के विवरण में चार्ज या जमा किया जाता है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। इन दायित्वों का मूल्यांकन स्वतंत्र बीमांकिकों द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है।

3.16 राजस्व :

3.16.1 वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री से राजस्व :

कंपनी का राजस्व मुख्य रूप से एल्यूमिना, एल्यूमिनियम एवं पावर जैसे उत्पादों की बिक्री से है। ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व उस प्रदर्शन दायित्व के लिए आवंटित परिवर्तनीय विचार के अनुबंध के तहत लेनदेन मूल्य की राशि के लिए प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि पर पहचाना जाता है। वादा किए गए सामान या सेवाओं का लेनदेन मूल्य सरकार की ओर से एकत्र किए गए करों एवं शुल्कों को छोड़कर, छूट की कुल राशि है, जो उस विचार को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी उस सामान या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है।

प्रदर्शन दायित्व तब संतुष्ट होता है जब ग्राहक अनुबंध के अनुसार वादा किए गए सामान या सेवाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। वस्तुओं या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को तब हस्तांतरित किया जाता है जब कानूनी स्वामित्व, भौतिक कब्ज़ा, जोखिम एवं स्वामित्व का पुरस्कार ग्राहक के पास चला जाता है एवं कंपनी के पास भुगतान का चालू अधिकार होता है, जो आम तौर पर शिपमेंट या डिलीवरी पर होता है।

उनके साथ बिजली खरीद समझौते (पीपीए) के अधीन संबंधित अधिकारियों द्वारा अधिसूचित मूल्य पर प्रेषित ऊर्जा के आधार पर की जाती है।

ग्रहीत विद्युत संयंत्र से बिजली की बिक्री, परिशोधक के लिए व्हीलिंग एवं अनजाने ऊर्जा इंजेक्शन को छोड़कर राज्य जीआरआईडी में इंजेक्ट की गई मात्रा के आधार पर मानी जाती है, जो पावर खरीद समझौते एवं राज्य लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) द्वारा शेड्यूलिंग के अधीन है।

ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व को स्वीकृति दी जाती है यदि:

(क) राजस्व की राशि विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती है;

(ख) यह संभव है कि लेन-देन से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे;

(ग) प्रतिफल की वसूली यथोचित रूप से सुनिश्चित है।

एक अनुबंध परिसंपत्ति ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले में विचार करने का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक द्वारा भुगतान किए जाने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी ग्राहक को सामान या सेवाएं हस्तांतरित करके अपने दायित्व का हिस्सा निभाती है, तो अर्जित विचार के लिए एक अनुबंध परिसंपत्ति को स्वीकृति दी जाती है, जब वह अधिकार कंपनी के भविष्य के प्रदर्शन पर सशर्त होता है।

अनुबंध दायित्व किसी ग्राहक को सामान या सेवाएँ हस्तांतरित करने का दायित्व है जिसके लिए कंपनी को ग्राहक से विचार प्राप्त हुआ है। यदि कोई ग्राहक कंपनी द्वारा ग्राहक को सामान या सेवाएं हस्तांतरित करने से पहले प्रतिफल का भुगतान करता है, तो भुगतान प्राप्त होने पर अनुबंध दायित्व को स्वीकृति दी जाती है।

3.16.2 ब्याज आय :

किसी वित्तीय परिपरिसंपत्तियां से ब्याज आय को तब स्वीकृति दी जाती है जब यह संभव हो कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे एवं आय की मात्रा को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। ब्याज आय मूल बकाया एवं प्रभावी ब्याज दर के संदर्भ में, समय अनुपात के आधार पर अर्जित की जाती है।

3.16.3 लाभांश :

निवेश से लाभांश आय को तब स्वीकृति दी जाती है जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, यह संभव है कि लाभांश से जुड़े आर्थिक लाभ इकाई को प्रवाहित होंगे एवं लाभांश की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

3.16.4 प्रोत्साहन से आय :

प्रोत्साहन एवं सब्सिडी को अन्य परिचालन राजस्व के रूप में स्वीकृति दी जाती है जब उचित आश्वासन होता है कि कंपनी प्रासंगिक क़ानून में प्रदान की गई शर्तों का पालन करेगी।

3.16.5 परिसमाप्त क्षतियाँ :

परिसमाप्त क्षति के दावों का हिसाब तब लगाया जाता है जब इन्हें कंपनी द्वारा वसूली योग्य माना जाता है। जैसा भी मामला हो, इन्हें पूंजीगत लागत में समायोजित किया जाता है या लाभ एवं हानि के विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

3.17 आयकर :

कर व्यय चालू कर एवं स्थगित कर का योग दर्शाता है।

3.17.1 चालू कर :

चालू कर व्यय आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। चालू एवं पूर्व अवधि के लिए चालू कर देयताओं (परिसंपत्तियों) को कर दरों एवं कर कानूनों का उपयोग करके भुगतान (या पुनर्प्राप्त) की जाने वाली अपेक्षित राशि पर मापा जाता है जो पिछले वर्षों के संबंध में देय प्रतिवेदन अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किए गए हैं एवं इसमें कर में कोई भी समायोजन शामिल है।

चालू कर परिसंपत्तियों एवं कर देयताओं की भरपाई की जाती है जहां कंपनी के पास ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है एवं वह या तो शुद्ध आधार पर निपटान करने का इरादा रखती है, या परिसंपत्ति का एहसास करने एवं देनदारी को एक साथ निपटाने का इरादा रखती है।

3.17.2 आस्थगित कर :

आस्थगित कर व्यय या आय को तुलन पत्र पद्धति का उपयोग करके वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों एवं देयताओं की वहन राशि एवं कर योग्य मुनाफे की गणना में उपयोग किए जाने वाले संबंधित कर आधार के बीच अस्थायी अंतर पर पहचाना जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं को उन कर दरों पर मापा जाता है जो उस अवधि पर लागू होने की उम्मीद की जाती है जब परिसंपत्ति का एहसास होता है

या देनदारी का निपटान किया जाता है, कर दरों एवं कर कानूनों के आधार पर जो प्रतिवेदन अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किए गए हैं। अन्य व्यापक आय में सीधे मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित कर व्यापक आय के विवरण का हिस्सा बनता है।

प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में आस्थगित कर परिसंपत्ति की वहन राशि की समीक्षा की जाती है एवं इसे इस हद तक समायोजित किया जाता है कि यह संभावित हो गया है कि परिसंपत्ति को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं की भरपाई तब की जाती है जब उन्हें एक ही कराधान प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित होने पर सेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है।

3.18 असाधारण मदें :

असाधारण मदें सामान्य गतिविधियों से लाभ या हानि के भीतर आय एवं व्यय की वस्तुएं होती हैं, लेकिन ऐसे आकार, प्रकृति या घटना की होती हैं जिनका खुलासा कंपनी द्वारा प्राप्त वित्तीय प्रदर्शन की बेहतर व्याख्या के लिए आवश्यक महसूस किया जाता है।

3.19 महत्वपूर्ण त्रुटि/ चूक का पुनर्कथन :

रु. 50 करोड़ से अधिक हो तो परिसंपत्तियों एवं देयताएं एवं इक्विटी के शुरुआती शेष को बहाल करने के लिए त्रुटियों एवं चूक को महत्वपूर्ण माना जाता है।

3.20 हालिया लेखांकन घोषणाएँ:

निगम मामलों का मंत्रालय (एमसीए) समय-समय पर जारी किए गए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत नए मानकों या चालू मानकों में संशोधन को अधिसूचित करता है।

31 मार्च, 2023 को, एमसीए ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2023 में संशोधन किया।

इंड एएस 1 - वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति - इस संशोधन के लिए संस्थाओं को अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के बजाय अपनी सामग्री लेखांकन नीतियों का खुलासा करने की आवश्यकता है। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है एवं समेकित वित्तीय विवरणों में संशोधन का प्रभाव नगण्य है।

इंड एएस 8 - लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन एवं त्रुटियां - इस संशोधन ने 'लेखा अनुमान' की एक परिभाषा पेश की है एवं संस्थाओं को लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन से लेखांकन नीतियों में परिवर्तन को अलग करने में मदद करने के लिए इंड एएस 8 में संशोधन शामिल किया है। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है एवं उसके समेकित वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

इंइंड. एएस 12: आयकर - इस संशोधन ने प्रारंभिक मान्यता छूट के दायरे को सीमित कर दिया है ताकि यह उन लेनदेन पर लागू न हो जो समान एवं अस्थायी अंतर को दूर करते हैं। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है एवं उसके एकल वित्तीय विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

टिप्पणी सं. 4 : महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय एवं अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत:

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को उन मामलों के बारे में जटिल एवं/या व्यक्तिपरक निर्णय, अनुमान एवं धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो स्वाभाविक रूप से अनिश्चित हैं। ये अनुमान एवं धारणाएं परिसंपत्तियों एवं देयताओं की रिपोर्ट की गई मात्रा के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक देयताओं एवं परिसंपत्तियों के प्रकटीकरण एवं प्रतिवेदन की गई अवधि के दौरान राजस्व एवं व्यय को भी प्रभावित करती हैं।

अनुमान एवं अंतर्निहित धारणाएं पिछले अनुभव एवं अन्य कारकों पर आधारित हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

अनुमानों एवं अंतर्निहित धारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में स्वीकृति दी जाती है जिसमें अनुमान संशोधित किया जाता है।

4.1 महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय :

उन अनुमानों के अलावा, जो प्रबंधन ने कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में किए हैं, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि परिशोधन लागत पर कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रतिवेदन उचित होगा। इसके व्यवसाय मॉडल का प्रकाश एवं संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए इन वित्तीय परिसंपत्तियों को रखने के कंपनी के सकारात्मक इरादे एवं क्षमता की पुष्टि की है।

4.2 अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत :

भविष्य से संबंधित प्रमुख धारणाएं एवं प्रतिवेदन अवधि के अंत में अनिश्चितता के अनुमान के अन्य प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं, जिससे अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों एवं देयताओं की वहन मात्रा में भौतिक समायोजन होने का महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है:

4.2.1 हानि :

एसोसिएट्स एवं अन्य निवेशों, ऋणों एवं अग्रिमों, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण एवं अमूर्त परिसंपत्तियों में निवेश की समीक्षा तब की जाती है जब घटनाओं एवं परिस्थितियों में बदलाव से संकेत मिलता है कि वहन मूल्य पूरी तरह से या कम से कम सालाना वसूली योग्य नहीं हो सकता है ।

नकदी उत्पन्न करने वाली इकाइयों के भविष्य के नकदी प्रवाह अनुमान, जिनका उपयोग परिसंपत्ति के उचित मूल्य की गणना करने के लिए किया जाता है, भविष्य के संचालन के बारे में अपेक्षाओं पर आधारित होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से उत्पादन एवं बिक्री की मात्रा, कमोडिटी की कीमतें, भंडार एवं संसाधन, परिचालन पुनर्वास एवं बहाली लागत एवं पूंजीगत व्यय के बारे में अनुमान शामिल होते हैं।

4.2.2 परिसंपत्तियां, संयंत्र एवं उपकरण का उपयोगी जीवन:

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियां, संयंत्र एवं उपकरण के उपयोगी जीवन की समीक्षा करती है। इस पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप भविष्य की अवधि में मूल्यह्रास व्यय में बदलाव हो सकता है।

4.2.3 खनन रिजर्व का आकलन :

खनिज भंडार के अनुमान में परिवर्तन जहां परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन परियोजना के जीवन तक सीमित है, जो बदले में रिजर्व की संभावित एवं आर्थिक व्यवहार्यता के जीवन तक सीमित है, मूल्यह्रास चार्ज करने के लिए परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन को प्रभावित कर सकता है। खदानों में बॉक्साइट भंडार का अनुमान निष्कर्षण, भूविज्ञान एवं रिजर्व निर्धारण के विशेषज्ञों द्वारा एवं भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) को प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के आधार पर लगाया जाता है।

4.2.4 रोजगारोत्तर लाभ के लिए देयता दायित्व :

रोजगार के बाद के लाभ एवं दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के लिए देयताएं बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन पर आधारित होता है जो बदले में यथार्थवादी बीमांकिक स्वीकृतिओं पर आधारित होता है।

4.2.5 प्रावधान एवं आकस्मिक देयताएं :

प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, जिसमें कर, कानूनी, बहाली एवं पुनर्वास, संविदात्मक एवं अन्य जोखिम या दायित्व शामिल हैं, किसी भी ब्याज शुल्क सहित संबंधित देनदारी को निपटाने के लिए आवश्यक विचार का सबसे अच्छा अनुमान है, जो कि आसपास के जोखिमों एवं अनिश्चितताओं को ध्यान में रखता है। कंपनी उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी, प्रासंगिक कर एवं अन्य कानूनों, शामिल आकस्मिकताओं एवं अन्य उचित आवश्यकताओं के आधार पर अपनी देयताओं एवं आकस्मिक देयताओं का आकलन करती है।

4.2.6 उचित मूल्य माप एवं मूल्यांकन प्रक्रिया:

वित्तीय प्रतिवेदन उद्देश्यों के लिए, उचित मूल्य मापों को उस डिग्री के आधार पर स्तर 1, 2 या 3 में वर्गीकृत किया जाता है, जिस हद तक उचित मूल्य माप के लिए इनपुट देखने योग्य हैं एवं उचित मूल्य माप के लिए इनपुट का महत्व उसकी संपूर्णता में है, जिसका वर्णन किया गया है। निम्नलिखित अनुसार:

स्तर 1 इनपुट समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्दत कीमतें (असमायोजित) हैं जिन्हें कंपनी माप तिथि पर एक्सेस कर सकती है;

स्तर 2 इनपुट, स्तर 1 में शामिल उद्दत कीमतों के अलावा अन्य इनपुट हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिसंपत्ति या देनदारी के लिए देखने योग्य हैं; एवं

स्तर 3 इनपुट परिसंपत्ति या देनदारी के लिए अप्राप्य इनपुट हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

5 - परिसंपत्तियां, संयंत्र एवं उपकरण

राशि करोड़ रु. में

लागत या समझी गई लागत	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	पट्टे पर दी गई भूमि (उपयोग का अधिकार)	भवन	संयंत्र एवं उपकरण	फ़र्निचर व फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	वाहन	रेलवे साइडिंग	कुल
31.03.2021 तक शेष राशि	82.46	184.86	813.11	8,807.63	23.53	52.47	35.30	68.69	10,068.05
परिवर्धन	0.30	15.68	28.53	431.59	2.76	16.23	3.48	0.28	498.85
निपटान	-	-	-	(29.25)	(0.14)	(0.47)	(0.22)	-	(30.08)
31.03.2022 तक शेष राशि	82.76	200.54	841.64	9,209.97	26.15	68.23	38.56	68.97	10,536.82
परिवर्धन	0.07	141.40	21.62	399.88	1.94	21.46	8.04	16.34	610.75
निपटान	-	-	-	(40.17)	(0.10)	(3.63)	(0.14)	-	(44.04)
31.03.2023 तक शेष राशि	82.83	341.94	863.26	9,569.68	27.99	86.06	46.46	85.31	11,103.53
संचित मूल्यह्रास एवं हानि									
31.03.2021 तक शेष राशि	-	9.04	213.75	2,437.28	14.24	35.70	16.37	24.34	2,750.72
मूल्य ह्रास लागत	-	7.77	32.32	509.26	2.21	8.66	3.25	4.30	567.77
मूल्यह्रास को "एक्सप" में स्थानांतरित करना। निर्माण के दौरान"	-	-	-	-	-	0.05	-	-	0.05
शुद्ध मूल्यह्रास	-	7.77	32.32	509.26	2.21	8.61	3.25	4.30	567.72
हानि व्यय	-	-	-	237.62	-	-	-	-	237.62
निपटान	-	-	-	(20.74)	(0.10)	(0.24)	(0.15)	-	(21.23)
31.03.2022 तक शेष राशि	-	16.81	246.07	3,163.42	16.35	44.12	19.47	28.64	3,534.88
मूल्य ह्रास लागत	-	8.28	33.43	518.74	2.32	12.74	3.77	5.01	584.29
मूल्यह्रास को "एक्सप" में स्थानांतरित करना। निर्माण के दौरान"	-	-	-	-	0.02	0.03	-	-	0.05
शुद्ध मूल्यह्रास	-	8.28	33.43	518.74	2.30	12.71	3.77	5.01	584.24
हानि व्यय	-	-	-	100.31	-	-	-	-	100.31
निपटान	-	-	-	(29.63)	(0.05)	(2.55)	(0.11)	-	(32.34)
31.03.2023 तक शेष राशि	-	25.09	279.50	3,752.84	18.62	54.31	23.13	33.65	4,187.14
	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	पट्टे पर दी गई भूमि (उपयोग का अधिकार)	इमारतों	संयंत्र एवं उपकरण	फ़र्निचर व फिक्सचर	कार्यालय उपकरण साइडिंग्स	वाहनों	रेलवे	कुल
पैसा ले जाने									
31.03.2021 तक शेष राशि	82.46	175.82	599.36	6,370.35	9.29	16.77	18.93	44.35	7,317.33
परिवर्धन	0.30	15.68	28.53	431.59	2.76	16.23	3.48	0.28	498.85
निपटान	-	-	-	(8.51)	(0.04)	(0.23)	(0.07)	-	(8.85)
मूल्य ह्रास लागत	-	7.77	32.32	509.26	2.21	8.66	3.25	4.30	567.77
हानि व्यय	-	-	-	237.62	-	-	-	-	237.62
31.03.2022 तक शेष राशि	82.76	183.73	595.57	6,046.55	9.80	24.11	19.09	40.33	7,001.94
परिवर्धन	0.07	141.40	21.62	399.88	1.94	21.46	8.04	16.34	610.75
निपटान	-	-	-	(10.54)	(0.05)	(1.08)	(0.03)	-	(11.70)
मूल्य ह्रास लागत	-	8.28	33.43	518.74	2.32	12.74	3.77	5.01	584.29
हानि व्यय	-	-	-	100.31	-	-	-	-	100.31
31.03.2023 तक शेष राशि	82.83	316.85	583.76	5,816.84	9.37	31.75	23.33	51.66	6,916.39

टिप्पणियाँ:

5.1 पूर्ण स्वामित्ववाली भूमि की लागत में ओडिशा सरकार को सौंपी गई 43.75 एकड़ (पिछले वर्ष 43.75 एकड़) भूमि की लागत शामिल है, जिसके बदले हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।

5.2 कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अल्पकालिक पट्टों एवं कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टों से संबंधित खर्चों के लिए रु.0.80 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 0.81 करोड़) खर्च किए। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए पट्टों के लिए कुल नकदी बहिर्वाह ₹ 4.08 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4.13 करोड़) है, जिसमें अल्पकालिक पट्टों का नकदी बहिर्वाह एवं कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टे शामिल हैं।

5.3 कंपनी के पास राजस्थान राज्य में दो पवन ऊर्जा संयंत्र (डब्ल्यूपीपी) एवं महाराष्ट्र राज्य में एक पवन ऊर्जा संयंत्र है। कंपनी को बाहरी एवं आंतरिक जानकारी के संकेत के आधार पर, राजस्थान एवं महाराष्ट्र दोनों संयंत्रों के लिए हानि मूल्यांकन किया गया था।

5.3.1 राजस्थान में दो डब्ल्यूपीपी के लिए, कंपनी का जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, राजस्थान के साथ 3 साल के लिए बिजली खरीद समझौता (पीपीए) था जिसे 01.04.2019 से बढ़ाया नहीं जा सका। चूंकि बिजली उत्पादन एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए कंपनी ग्रिड में बिजली डाल रही है जिसे डिस्कॉम द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। हालाँकि, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी निगम लिमिटेड (आरआरईसीएल) ने कंपनी को लुधेरवा एवं देवीकोट दोनों डब्ल्यूपीपी के लिए रु. 2.44 प्रति यूनिट स्वीकार करने एवं पीपीए निष्पादित करने की पेशकश की थी। कंपनी ने पीपीए के विस्तार के लिए राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की जो अभी भी लंबित है। पीपीए की गैर-मौजूदगी एवं निरंतर उत्पादन को देखते हुए, परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन तक हानि का आकलन किया गया था।

5.3.2 कंपनी के पास एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएनएल) के साथ सांगली, महाराष्ट्र में अपने डब्ल्यूपीपी से प्रति माह न्यूनतम 100 एमयू की आपूर्ति के लिए एक यूनिट (केडब्ल्यूएच) रु. 2.92 की दर के साथ दीर्घकालिक (25 वर्ष) पीपीए है। कंपनी द्वारा किए गए निवेश की मात्रा एवं दीर्घकालिक पीपीए के लिए विचार की गई दर को ध्यान में रखते हुए, परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन तक हानि का आकलन किया गया है।

पवन ऊर्जा संयंत्रों, किए गए निवेश, परिसंपत्ति का वहन मूल्य (क्षति से पहले एवं बाद में), एवं किए गए हानि प्रावधानों का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय विवरण (समेकित)

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

राशि करोड़ रु. में

पवन ऊर्जा संयंत्रों का विवरण		लागत	मूल्यह्रास के बाद एवं क्षति से पहले मूल्य वहन करना	वर्ष के दौरान हानि	संचयी क्षति	मूल्यह्रास एवं क्षति के बाद मूल्य वहन करना
1.	**50 मेगावाट, देवीकोट , राजस्थान**					
	वित्त वर्ष 2022-23	338.19	244.33	11.09	147.11	97.22
	वित्त वर्ष 2021-22	338.19	258.54	136.02	136.02	122.52
2.	**47.60 मेगावाट, लुधेरवा , राजस्थान**					
	वित्त वर्ष 2022-23	280.62	164.19	2.87	107.96	56.23
	वित्त वर्ष 2021-22	280.62	176.27	105.10	105.10	71.17
3.	**50.4 मेगावाट, सांगली , महाराष्ट्र**					
	वित्त वर्ष 2022-23	342.71	253.74	89.86	89.86	163.88
	वित्त वर्ष 2021-22	342.71	268.53	-	-	268.53

5. अचल परिसंपत्तियां का स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं है

(उन परिसंपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है एवं पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए गए हैं) राशि करोड़ रु. में

संपत्ति का विवरण	फ्रीहोल्ड/ लीजहोल्ड	सकल पट्टाधारिता	मूल्य निर्धारण के नाम पर स्वामित्व विलेख	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/ निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तिथि से कब तक धारित है	कंपनी के नाम पर न होने का कारण	चाहे विवादित हो
पीपीई							
भूमि							
ओडिशा के कोरापुट जिले में 17.25 एकड़ भूमि	फ्रीहोल्ड	0.07	ओडिशा सरकार	नहीं	1982-83	पंजीकरण लंबित	नहीं
ओडिशा के कोरापुट जिले में 845.94 एकड़ भूमि [टिप्पणी 5.क.1 देखें]	पट्टे पर दिया	0.35	ओडिशा सरकार	नहीं	1982-83	लीज अनुबंध का निष्पादन लंबित है	नहीं
ओडिशा के अनुगुळ जिले में 46.90 एकड़ भूमि	फ्रीहोल्ड	0.33	ओडिशा औद्योगिक विकास निगम (आईडीसीओ)	नहीं	1987-88	पंजीकरण लंबित	नहीं
ओडिशा के अनुगुळ जिले में 56.02 एकड़ भूमि	फ्रीहोल्ड	0.13	संबंधित भूमि स्वामी	नहीं	1987-88	जमीन कंपनी के कब्जे में है. कंपनी के नाम पर भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है।	नहीं
ओडिशा के अनुगुळ जिले में 656.05 एकड़ भूमि	पट्टे पर दिया	1.38	ओडिशा औद्योगिक विकास निगम (आईडीसीओ)	नहीं	1987-88	लीज अनुबंध का निष्पादन लंबित है	नहीं
ओडिशा के अनुगुळ जिले में 1.69 एकड़ भूमि	पट्टे पर दिया	-	ओडिशा औद्योगिक विकास निगम (आईडीसीओ)	नहीं	2018-19	सांप्रदायिक/ गोचर भूमि	नहीं
ओडिशा के अनुगुळ जिले में 16.60 एकड़ भूमि	पट्टे पर दिया	-	ओडिशा औद्योगिक विकास निगम (आईडीसीओ)	नहीं	2020-21	सांप्रदायिक/ गोचर भूमि	नहीं
ओडिशा के अनुगुळ जिले में 32.03 एकड़ भूमि	पट्टे पर दिया	-	ओडिशा औद्योगिक विकास निगम (आईडीसीओ)	नहीं	2022-23	सांप्रदायिक/ गोचर भूमि	नहीं
ओडिशा के अनुगुळ जिले में 32.12 एकड़ भूमि	पट्टे पर दिया	-	भारत सरकार	नहीं	2022-23	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से चरण II की मंजूरी लंबित है	नहीं
ओडिशा के ढेंकनाल जिले में 0.66 एकड़ भूमि	पट्टे पर दिया	0.09	ओडिशा औद्योगिक विकास निगम (आईडीसीओ)	नहीं	1987-88	लीज अनुबंध का निष्पादन लंबित है	नहीं
भवन	-	-					
निवेश संपत्ति	-	-					
भवन	-	-					
भूमि	-	-					
बिक्री के लिए धारित गैर चालू परिसंपत्तियां	-	-					
भवन	-						
भूमि	-						
अन्य	-						

टिप्पणियाँ: 5.ए.1 में 291.89 एकड़ समर्पित भूमि शामिल है

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

6 - पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी)		राशि करोड़ रु. में
	31.03.2023 को	**31.03.2022 को**
पूंजी कार्य प्रगति	2,769.92	1,700.54
पारगमन सहित निर्माण सामग्री	64.53	110.99
	2,834.45	**1,811.53**
घटाएं: हानि के लिए प्रावधान	(89.50)	(48.11)
कुल पूंजी कार्य प्रगति	2,744.95	1,763.42
		राशि करोड़ रु. में
हानि के प्रावधान में गतिविधि	**पर जैसा**	**पर जैसा**
	31.03.2023	**31.03.2022**
प्रारंभिक जमा	48.11	0.55
वर्ष के दौरान प्रावधान किया गया	41.39	47.56
वर्ष के दौरान वापस लिखने का प्रावधान	-	-
जमा शेष	89.50	48.11

6.1. पूंजीगत कार्य प्रगति की राशि में 5वीं स्ट्रीम एल्यूमिना परिशोधक विस्तार के लिए सीधे तौर पर रु.166.81 करोड़ (पिछले वर्ष रु.152.90 करोड़) का व्यय शामिल है।

6.2 कंपनी ने दिनांक 27.09.2017 को तमिलनाडु के कायथार में 25.5 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना (डब्ल्यूपीपी) की आपूर्ति, निर्माण एवं कमीशनिंग के लिए मेसर्स रीजेन पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड को 163.13 करोड़ रुपये का अनुबंध दिया था। एजेंसी ने वित्त वर्ष 2018-19 तक रु.119.63 करोड़ रुपये का काम निष्पादित किया था। इसके बाद, एजेंसी के वित्तीय संकट एवं तरलता मुद्दे के कारण निष्पादन में कोई प्रगति नहीं हुई।

दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कंपनी के प्रति दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की गई थी। माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), चेन्नई ने दिनांक 01.02.2022 को समाधान योजना पारित की जो कंपनी को स्वीकार्य नहीं थी। आदेश से असंतुष्ट होकर, कंपनी ने माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में अपील दायर की।

चूंकि 2018-19 के बाद से परियोजना में कोई प्रगति नहीं हुई है एवं उक्त आदेश में उल्लिखित कठोर शर्तें हैं, कंपनी ने इन्हें परियोजना के हानि मूल्यांकन के लिए एक संकेत के रूप में माना है एवं 31.03.2023 तक ₹ 79.25 करोड़ (31.03.2022 तक ₹ 44.26 करोड़) का प्रावधान किया है।

वित्तीय विवरण (समेकित)

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

6क - पूंजीगत कार्य प्रगति

पूंजीगत कार्य प्रगति पुराना						राशि करोड़ रु. में
विवरण		निम्न अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजना प्रगति पर						
(क) खान एवं परिशोधक	31.03.2023 को	1,149.94	405.22	417.84	449.81	2,422.81
	31.03.2022 को	699.01	230.10	311.02	85.53	1,325.66
(ख) प्रद्रावक एवं पावर	31.03.2023 को	101.71	80.27	-	95.74	277.72
	31.03.2022 को	127.62	68.73	65.38	96.64	358.37
(ग) अन्य	31.03.2023 को	12.40	0.14	0.09	119.74	132.37
	31.03.2022 को	5.83	0.38	0.11	119.63	125.95
परियोजना को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है						
(क) खान एवं परिशोधक	31.03.2023 को	-	-	-	-	-
	31.03.2022 को	-	-	-	-	-
(ख) प्रद्रावक एवं पावर	31.03.2023 को	-	-	-	1.55	1.55
	31.03.2022 को	-	-	-	1.55	1.55
(ग) अन्य	31.03.2023 को		-	-	-	-
	31.03.2022 को	-	-	-	-	-
	31.03.2023 को	1,264.05	485.63	417.93	666.84	2,834.45
	31.03.2022 को	832.46	299.21	376.51	303.35	1,811.53

6.क.2 प्रगति पर चल रहे पूंजीगत कार्य का पुराना होना, जिसका पूरा होना अतिदेय है या उसकी मूल योजना की तुलना में उसकी लागत से अधिक हो गया है						
विवरण		निम्न पूरा किया जाना है				
		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष से अधिक	3 वर्ष	कुल
(क) खान एवं परिशोधक	31.03.2023 को	1,096.33	486.93	-	-	1,583.26
	31.03.2022 को	154.54	76.78	-	-	231.32
(ख) प्रद्रावक एवं पावर	31.03.2023 को	119.87	4.91	-	-	124.78
	31.03.2022 को	175.38	1.46	10.21	19.41	206.46
(ग) अन्य	31.03.2023 को	0.10	-	-	-	0.10
	31.03.2022 को	-	-	0.11	119.63	119.74
	31.03.2023 को कुल	1,216.30	491.84	-	-	1,708.14
	31.03.2022 को कुल	329.92	78.24	10.32	139.04	557.52

6क.3 परियोजना का विवरण जहां गतिविधि निलंबित कर दी गई				राशि करोड़ रु. में
क्रम सं.	विवरण	मात्रा	इस अवधि से विलंबित	निलंबन का संक्षिप्त कारण
(क) खान एवं परिशोधक	31.03.2023 को	-	-	-
	31.03.2022 को			
(ख) प्रद्रावक एवं पावर (रेलवे साइडिंग सहित कोयला प्रबंधन संयंत्र)	31.03.2023 को	1.55	01-अप्रैल-20	कोयला परिवहन एवं हैंडिंग की रणनीति में बदलाव के कारण
	31.03.2022 को	1.55	01-अप्रैल-20	कोयला परिवहन एवं हैंडिंग की रणनीति में बदलाव के कारण
(ग) अन्य	31.03.2023 को	-	-	-
	31.03.2022 को			
	31.03.2023 को कुल	1.55		
	31.03.2022 को कुल	1.55		

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

7. अमूर्त परिसंपत्तियां

राशि करोड़ रु में

	उपयोगकर्ता अधिकार	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	खनन अधिकार	लाइसेंस	कुल अमूर्त परिसंपत्ति
लागत या समझी गई लागत					
31.03.2021 तक शेष राशि	**79.79**	**11.37**	**379.75**	**11.55**	**482.46**
परिवर्धन	0.39	1.90	27.05	-	29.34
निपटान	-	-	-	-	-
31.3.2022 तक शेष राशि	**80.18**	**13.27**	**406.80**	**11.55**	**511.80**
परिवर्धन	-	2.49	73.93	-	76.42
निपटान	-	-	-	-	-
31.03.2023 को शेष राशि	**80.18**	**15.76**	**480.73**	**11.55**	**588.22**
संचित मूल्यह्रास एवं हानि					
31.03.2021 तक शेष राशि	**15.28**	**9.46**	**104.05**	**10.49**	**139.28**
मूल्य ह्रास लागत	4.01	1.35	25.74	0.15	31.25
हानि व्यय	-	-	-	-	-
निपटान	-	-	-	-	-
31.3.2022 तक शेष राशि	**19.29**	**10.81**	**129.79**	**10.64**	**170.53**
मूल्य ह्रास लागत	4.01	1.79	25.30	0.15	31.25
हानि व्यय	-	-	-	-	-
निपटान	-	-	-	-	-
31.03.2023 को शेष राशि	**23.30**	**12.60**	**155.09**	**10.79**	**201.78**
	उपयोगकर्ता अधिकार	**कंप्यूटर सॉफ्टवेयर**	**खनन अधिकार**	**लाइसेंस**	**कुल अमूर्त परिसंपत्ति**
वहन राशि					
31.03.2021 तक शेष राशि	64.51	1.91	275.70	1.06	343.18
परिवर्धन/समायोजन	0.39	1.90	27.05	-	29.34
निपटान	-	-	-	-	-
मूल्य ह्रास लागत	4.01	1.35	25.74	0.15	31.25
हानि व्यय	-	-	-	-	-
31.3.2022 तक शेष राशि	**60.89**	**2.46**	**277.01**	**0.91**	**341.27**
परिवर्धन	-	2.49	73.93	-	76.42
निपटान	-	-	-	-	-
मूल्य ह्रास लागत	4.01	1.79	25.30	0.15	31.25
हानि व्यय	-	-	-	-	-
31.03.2023 को शेष राशि	**56.88**	**3.16**	**325.64**	**0.76**	**386.44**

टिप्पणियाँ: 7.1 उपयोक्ता अधिकार संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति में कंपनी की हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करता है।

7.2 ओडिशा सरकार द्वारा पंचपतमाली, ओडिशा में अपनी बॉक्साइट खदानें एवं अनुगुळ, ओडिशा में कोयला खदानें संचालित करने के लिए पट्टा दिया गया है। इस संबंध में, कंपनी ने वन भूमि, प्रतिपूरक वनीकरण, वन्य जीवन प्रबंधन एवं अन्य संबंधित भुगतानों के लिए शुद्ध चालू मूल्य (एनपीवी) का भुगतान किया है, जिसे खनन अधिकारों के तहत अमूर्त संपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया गया है एवं लेखांकन नीति के अनुसार सीधी रेखा के आधार पर परिशोधन किया गया है।

7.3 कोयला मंत्रालय, सरकार भारत द्वारा 02.05.2016 को कंपनी को उत्कल डी एंड ई कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए थे। कुल खनन भंडार 176.05 मिलियन टन है। 25.03.2021 (उत्कल डी) एवं 20.01.2023 (उत्कल ई) को खनन पट्टे के निष्पादन पर , वित्त वर्ष 2021-22 में ₹ 54.79 करोड़ एवं वर्ष के दौरान ₹ 73.26 करोड़ के खनन अधिकारों का पूंजीकरण किया गया है।

उत्कल-डी कोयला खदान में खनन कार्य 09.11.2022 से शुरू किया गया था। इसकी सूचना 09.11.2022 को उप निदेशक खान, तालचेर को भेजी गई थी। दिनांक 09.11.2022 से 31.03.2023 की अवधि के दौरान ऊपरी मिट्टी को हटाने, कोयला परतों को खोलने के लिए ओवरबर्डन काटने का काम किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक ग्रेड घोषणा के लिए कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ), कोयला मंत्रालय कार्यालय द्वारा सीम को उजागर किया गया एवं नमूने एकत्र किए गए। 01.04.2023 से कोयला उत्पादन प्रारंभ हो गया है।

8 क. विकासाधीन अमूर्त संपत्ति

राशि करोड़ रु. में

	31.03.2023 को	31.03.2022 को
(i) खनन का अधिकार	523.64	469.73
(ii) सॉफ्टवेयर	0.33	1.67
	523.97	471.40

टिप्पणी: 8 क.1 विकास के तहत खनन में कंपनी को आवंटित खदानों के लिए आवंटन, वन भूमि के लिए शुद्ध चालू मूल्य (एनपीवी), प्रतिपूरक वनीकरण एवं वन्य जीवन प्रबंधन से संबंधित खर्च शामिल हैं। इसमें पोट्टांगी बॉक्साइट खदानों के आवंटन के लिए ओडिशा सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार विभिन्न विकासात्मक योजनाओं पर ओडिशा सरकार को किए गए व्यय/भुगतान के लिए रु. 523.64 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 322.78 करोड़) के पूर्व-संचालन व्यय भी शामिल हैं।

वित्तीय विवरण (समेकित)

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

8ख - विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

ख. 1 विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों का पुराना होना

राशि करोड़ रु. में

विवरण			निम्न अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजना प्रगति							
(क)	खान एवं परिशोधक	31.03.2023 को	200.91	72.62	188.10	62.01	523.64
		31.03.2022 को	72.62	188.10	62.01	-	322.73
(ख)	प्रद्रावक एवं पावर	31.03.2023 को	-	-			-
		31.03.2022 को	2.94	10.40	108.23	25.43	147.00
(ग)	अन्य	31.03.2023 को	0.33	-	-	-	0.33
		31.03.2022 को	1.67	-	-	-	1.67
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं							
(क)	खान एवं परिशोधक	31.03.2023 को	-	-	-	-	-
		31.03.2022 को					-
(ख)	प्रद्रावक एवं पावर	31.03.2023 को	-	-	-	-	-
		31.03.2022 को	-	-	-	-	-
(ग)	अन्य	31.03.2023 को	-	-	-	-	-
		31.03.2022 को	-	-	-	-	-
		31.03.2023 को कुल	201.24	72.62	188.10	62.01	523.97
		31.03.2022 को कुल	77.23	198.50	170.24	25.43	471.40

9. निवेश

राशि करोड़ रु. में

क. गैर-चालू		**31.03.2023 तक**	**31.03.2022 तक**
क.1 इक्विटी उपकरणों में निवेश इक्विटी विधि का उपयोग करने के लिए जिम्मेदा			
क.1.1 सहयोगियों में निवेश			
क.1.2 लागत पर संयुक्त उद्यमों में व्यापार निवेश			
न उद्धृत निवेश			
क) उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड 31.03.2023 को: रु. 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 2,00,00,000 शेयर , 31.03.2022 को: रु. 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 2,00,00,000 शेयर		19.20	18.81
	कुल	**19.20**	**18.81**
ख) खानिज बिदेश इंडिया लिमिटेड 31.03.2023 को: रु. 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त1,30,00,000 शेयर , 31.03.2022 को: रु. 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 10,00,000 शेयर		12.75	0.61
	कुल	**12.75**	**0.61**
ग) अनुगुळ एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड 31.03.2023 को: रु. 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त1,62,23,900 शेयर, 31.03.2022 को: रु. 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 1,62,23,900 शेयर		19.36	19.00
	कुल	**19.36**	**19.00**
घ) जीएसीएल-नालको एल्कलीज़ एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड 31.03.2023 को: रु. 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 27,60,00,000 शेयर 31.03.2022 को: रु. 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 27,60,00,000 शेयर		161.83	272.55
	कुल	**161.83**	**272.55**
संयुक्त उद्यमों में कुल निवेश		**213.14**	**310.97**

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

9. निवेश (जारी)

संयुक्त उद्यमों का विवरण

प्रतिवेदन अवधि के अंत में कंपनी के प्रत्येक संयुक्त उद्यम का विवरण इस प्रकार है:

संयुक्त उद्यम का नाम	प्रमुख गतिविधि एवं व्यवसाय का स्थान	कंपनी द्वारा धारित स्वामित्व हित/मतदान अधिकार का अनुपात	
		31.03.2023 को	31.03.2022 को
(क) उत्कर्ष एल्यूमीनियम धातु निगम लिमिटेड	महत्वपूर्ण, रणनीतिक एवं अन्य क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्क्रैप सहित सभी उच्च अंत एल्यूमीनियम मिश्र धातु उत्पादों का निर्माण, विपणन, बिक्री, खरीद, व्यापार, वितरण, आयात एवं निर्यात, हैदराबाद	50.00%	50.00%
(ख) खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड	रणनीतिक खनिजों की पहचान करना, अन्वेषण करना, अधिग्रहण करना, विकास करना, खनन करना, प्रसंस्करण करना, खरीद करना एवं बेचना, भारत के बाहर	40.00%	40.00%
(ग) अनुगुळ एल्यूमीनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड	ओडिशा में एल्यूमीनियम विशिष्ट डाउनस्ट्रीम को बढ़ावा देनाअनुगुळ, ओडिशा.	49.00%	49.00%
(घ) जीएसीएल-नालको अल्कलीज एंड केमिकल्स प्रा. लि.	कास्टिक सोडा का उत्पादन, वडोदरा, गुजरात	40.00%	40.00%

व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण संयुक्त उद्यमों के संबंध में वित्तीय जानकारी

राशि करोड़ रु. में

विवरण	यूएडीएनएल		काबिल		एएपीपीएल		जीएनएएल	
	31.03.2023 को	31.03.2022 को	31.03.2023 को	31.03.2022 को	31.03.2023 को	31.03.2022 को	31.03.2023 को	31.03.2022 को
गैर चालू परिसंपत्तियां	10.11	9.50	-	0.03	88.65	81.45	1,838.48	2,036.64
चालू परिसंपत्तियां	29.00	28.19	32.15	1.52	21.81	29.99	596.57	290.56
गैर चालू देयताएं	-	-	-	-	-	-	1,514.44	1,529.52
चालू देयताएं	0.71	0.06	0.31	0.02	1.15	0.94	516.01	116.28
परिसंपत्ति और देयताओं की उपरोक्त राशि में निम्नलिखित शामिल हैं:								
नकद और नकद समतुल्य	28.26	27.32	0.20	0.20	20.09	28.44	5.82	244.85
चालू वित्तीय देयताएं (व्यापार देय और प्रावधानों को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	398.95	114.13
गैर-चालू वित्तीय देयताएं (व्यापार देय और प्रावधानों को छोड़कर)	-	-	-	-	33.05	33.05	1,514.44	1,529.52
आय	1.50	1.37	-	-	1.03	1.87	282.53	0.62
निरंतर परिचालन से लाभ या हानि	0.78	0.62	0.34	(0.07)	0.70	1.32	(276.81)	(3.70)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	0.78	0.62	0.34	(0.07)	0.70	1.32	(276.81)	(3.70)
वर्ष के लिए उपरोक्त लाभ/(हानि) में निम्नलिखित शामिल हैं:								
मूल्यह्रास और परिशोधन	0.10	0.08	-	-	-	-	78.89	0.87
ब्याज आय	1.50	1.37	-	-	1.03	1.87	10.03	0.19
ब्याज व्यय	-	-	-	-	-	0.02	81.09	-
आयकर व्यय/(आय)	(0.02)	0.03	0.10	0.02	0.27	0.51	-	-
समेकित वित्तीय विवरणों में स्वीकृति प्राप्त जेवी में ब्याज की वहन राशि के साथ उपरोक्त सारांशित वित्तीय जानकारी का मिलान:								
संयुक्त उद्यम की शुद्ध परिसंपत्तियां	38.40	37.63	31.84	1.50	39.50	38.80	404.60	681.41
जेवी में समूह के स्वामित्व हित का अनुपात (%)	50%	50%	40%	40%	49%	49%	40%	40%
संयुक्त उद्यम में समूह के स्वामित्व हित का अनुपात (भारतीय रुपये)	19.20	18.81	12.75	0.61	19.36	19.00	161.83	272.55
जोड़ें:- इक्विटी के बदले शेयर वारंट/अग्रिम की अतिरिक्त सदस्यता	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़ें:- अधिग्रहण पर साख	-	-	-	-	-	-	-	-
घटाएं:- अप्राप्त लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-
संयुक्त उद्यम की शुद्ध संपत्ति में समूह की हिस्सेदारी	19.20	18.81	12.75	0.61	19.36	19.00	161.83	272.55
संयुक्त उद्यम में समूह के हित का ध्यान रखना	19.20	18.81	12.75	0.61	19.36	19.00	161.83	272.55

वित्तीय विवरण (समेकित)

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

क.1.3 अन्य संस्थाओं में निवेश

राशि करोड़ रु. में

न उद्दत निवेश	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
ओडिशा कैपिटल मार्केट एंड एंटरप्राइजेज लिमिटेड	0.03	0.03
(31.03.2023 को रु. 1 के पूर्ण प्रदत्त 2,89,000 शेयर)		
(31.03.2022 को रु. 1 के पूर्ण प्रदत्त 2,89,000 शेयर,)		
कुल - अन्य कंपनियों में निवेश	0.03	0.03
कुल - इक्विटी उपकरणों में निवेश	213.17	311.00
अतिरिक्त जानकारी		
गैर-उद्दत निवेशों की कुल वहन राशि	213.17	311.00

ख. चालू

राशि करोड़ रु. में

म्यूचुअल फंड में निवेश	'000 में इकाइयाँ	रु. /यूनिट में एनएवी	31.03.2023 को राशि करोड़ रु. में	'000 में यूनिट्स	31.03.2022 को रु. /यूनिट में एनएवी	राशि करोड़ रु. में
उद्दत निवेश						
केनरा रेबेको लिक्विड फंड	379	1,005.50	38.16	119	1,005.50	12.00
बड़ौदा बीएनपी पारिबा लिक्विड फंड	410	1,002.08	41.11	309	1,002.08	31.01
एसबीआई लिक्विड फंड	265	1,136.93	30.16	56	1,075.55	6.00
यूनियन लिक्विड फंड	361	1,000.79	36.15	150	1,000.79	15.00
कुल - अन्य चालू निवेश			**145.58**			**64.01**
अतिरिक्त जानकारी						
उद्दत निवेश की कुल लागत			145.00			64.00
उद्दत निवेशों का कुल बाजार मूल्य			145.58			64.01
गैर-उद्दत निवेश की कुल लागत			-			-
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि			-			-
श्रेणी-वार वर्गीकरण:			**31.03.2023 तक**			**31.03.2022 तक**
लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा गया (एफवीटीपीएल)			145.58			64.01
			145.58			64.01

10 क - व्यापार प्राप्य	राशि करोड़ रु. में	
10क. गैर चालू	**31.03.2023 तक**	**31.03.2022 तक**
(क) अच्छा माना गया - प्रतिभूति	-	-
(ख) अच्छा माना गया - अप्रतिभूति	-	-
(ग) क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होना	-	-
(घ) क्रेडिट ख़राब	36.28	36.90
घटाएं: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	36.28	36.90
गैर-चालू व्यापार प्राप्य	-	-
ख. चालू	**31.03.2023 तक**	**31.03.2022 तक**
(क) अच्छा माना गया - प्रतिभूति		
(ख) अच्छा माना गया - अप्रतिभूति	91.33	75.25
(ग) क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होना	13.79	20.24
घटाएं: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	13.79	20.24
चालू व्यापार प्राप्य	**91.33**	**75.25**

टिप्पणियाँ:

10.क.1 माल (एल्यूमिना एवं एल्यूमीनियम) की बिक्री या तो ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम या ऋण पत्र के आधार पर की जाती है। ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि को बिक्री के विरुद्ध समायोजित किया जाता है। पवन ऊर्जा की बिक्री के लिए औसत क्रेडिट अवधि मीटरिंग की तारीख से 30 दिन है जिसे संग्रह अवधि माना जाता है।

10.क.2 ग्राहक जो व्यक्तिगत रूप से 31.03.2023 को कुल व्यापार प्राप्तियों के 5% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं:

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

10.A.2 वे ग्राहकगण जो व्यक्तिगत रूप से दिनांक 31.03.2023 को प्राप्त कुल व्यापार का 5% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं।

ग्राहक		ग्राहक श्रेणी	31.03.2023 को	31.03.2022 को
क	आंध्र प्रदेश सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	पवन ऊर्जा	29%	49%
ख	ज़ेटवर्क मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस प्राइवेट लिमिटेड	धातु	15%	-
ग	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि	पवन ऊर्जा	11%	13%
घ	ग्लोस्टर केबल्स लिमिटेड	धातु	7%	-
ङ	गुप्ता पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	धातु	6%	19%

10.क.3 कंपनी ने मामले-दर-मामले के आधार पर व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ते की गणना के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण का उपयोग किया है। चूंकि एल्यूमिना एवं एल्यूमीनियम की बिक्री के लिए कोई क्रेडिट अवधि नहीं है एवं बिक्री या तो अग्रिम के आधार पर की जाती है या ग्राहकों द्वारा दिए गए क्रेडिट पत्र (एलसी) द्वारा समर्थित होती है, ऐसे प्राप्तियों के खिलाफ कोई क्रेडिट हानि अपेक्षित नहीं है। पवन ऊर्जा की बिक्री के लिए, कंपनी क्रेडिट हानि के अनुभव एवं भविष्योन्मुखी जानकारी के आधार पर क्रेडिट हानि का अनुमान लगाती है।

10.क.4 व्यापार प्राप्य को बैंकों से नकद ऋण सुविधा के विरुद्ध बंधक/गिरवी रखा जाता है।

10.क.5 संबंधित पक्षों (प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक) से कोई प्राप्य राशि देय नहीं है।

10.क.6 संदिग्ध व्यापार प्राप्य के लिए भत्ते में बदलाव:

गैर चालू		
विवरण	**2022-23**	**2021-22**
क प्रारंभिक जमा	36.90	36.90
ख जोड़ें: अतिरिक्त (वर्ष के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि)	-	
ग घटाएं: बट्टे खाते में डालना/समायोजन	0.62	-
घ जमा शेष	36.28	36.90
चालू		
विवरण	**2022-23**	**2021-22**
क प्रारंभिक जमा	20.24	20.24
ख जोड़ें: अतिरिक्त (वर्ष के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि)	13.79	-
ग घटाएं: बट्टे खाते में डालना/समायोजन	20.24	-
घ जमा शेष	13.79	20.24

10. घ. व्यापार प्राप्य पुराने

(क) भुगतान की देय तिथि निर्दिष्ट होने पर पुराना — **राशि करोड़ रु. में**

क्रम सं.	**विवरण**		**भुगतान की नियत तिथि से बकाया**					
			6 महीने से कम	**6 महीने - 1 वर्ष**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
(I)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	31.03.2023 को	54.25	16.97	20.11	-	-	91.33
		31.03.2022 को	45.89	21.07	2.83	5.46	-	75.25
(ii)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य- ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	31.03.2023 को	-	-	-	-	-	-
		31.03.2022 को	-	-	-	-	-	-
(iii)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य- क्रेडिट ख़राब	31.03.2023 को	-	0.55	7.73	1.87	3.64	13.79
		31.03.2022 को	-	-	0.74	11.6	7.9	20.24
(iv)	विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	31.03.2023 को	-	-	-	-	-	-
		31.03.2022 को	-	-	-	-	-	-
(v)	विवादित व्यापार प्राप्य- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	31.03.2023 को	-	-	-	-	-	-
		31.03.2022 को	-	-	-	-	-	-
(vi)	विवादित व्यापार प्राप्य- ऋण क्षति	31.03.2023 को	-	-	-	-	36.28	36.28
		31.03.2022 को	-	-	-	-	36.90	36.90
		31.03.2023 को कुल	54.25	17.52	27.84	1.87	39.92	141.40
		31.03.2022 को कुल	45.89	21.07	3.57	17.06	44.80	132.39

वित्तीय विवरण (समेकित)

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

11 - ऋण			राशि करोड़ रु. में
क.	**गैर चालू**	**31.03.2023 को**	**31.03.2022 को**
(क)	कर्मचारियों को ऋण		
	प्रतिभूति, अच्छा माना जाता है	63.20	67.64
	अप्रतिभूति, अच्छा माना जाता है	19.05	19.51
(ख)	दूसरों को ऋण		
	अच्छा माना-सुरक्षित	0.14	0.23
	कुल गैर-चालू ऋण	**82.39**	**87.38**
(ख)	**चालू**	**31.03.2023 को**	**31.03.2022 को**
(क)	कर्मचारियों को ऋण		
	अच्छा माना-सुरक्षित	16.97	17.12
	अच्छा माना-असुरक्षित	11.60	11.14
(ख)	संबंधित पक्षों को ऋण		
	अच्छा माना - प्रतिभूति [टिप्पणी 11.2 देखें]	0.14	0.09
(ग)	अन्य को ऋण		
	अच्छा माना - प्रतिभूति	0.36	0.29
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	0.09	0.09
	कुल चालू ऋण	**28.98**	**28.55**

टिप्पणी:

11.1 कर्मचारियों एवं अन्य लोगों को ऋण परिशोधन लागत पर दिया जाता है। आस्थगित कर्मचारी लाभ, ऋण पर ब्याज दर के बाजार ब्याज दर से कम होने के कारण होने वाले लाभों का प्रतिनिधित्व करते हैं । ऋण की शेष अवधि में इसका परिशोधन सीधी रेखा के आधार पर किया जाता है।

11.2 संबंधित पक्षों (निदेशकों) से बकाया ऋण की राशि कंपनी से कर्मचारी के रूप में ली गई मोटर वाहन एवं गृह निर्माण अग्रिम की राशि है। इन ऋणों के बारे में अधिक जानकारी टिप्पणी 40-संबंधित पार्टी प्रकटीकरण में दी गई है।

11.3 कर्मचारी को ऋण घर की संपत्ति के बंधक एवं वाहनों की गिरवी के विरुद्ध सुरक्षित किया जाता है , जिसके लिए कंपनी की नीति के अनुसार ऐसा ऋण दिया जाता है।

11.4 भत्तों में बदलाव :

चालू			
विवरण		**2022-23**	**2021-22**
क	प्रारंभिक जमा	0.09	0.09
ख	जोड़ें: परिवर्धन	-	-
ग	घटाएं: बट्टे खाते में डालना/समायोजन	-	-
घ	जमा शेष	0.09	0.09

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

12 - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां			राशि करोड़ रु. में
क.	**गैर चालू**	**31.03.2023 को**	**31.03.2022 को**
	सुरक्षा जमा	16.72	9.18
	खान बंद होने की जमा राशि [टिप्पणी 12.2 देखें]	4.83	0.56
	कुल अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**21.55**	**9.74**
ख	**चालू**	**31.03.2023 को**	**31.03.2022 को**
	(क) कर्मचारियों को अग्रिम	22.84	24.96
	(ख) बीमा दावा प्राप्य एवं अन्य	7.22	7.22
	(ग) ग्रेच्युटी (वित्त पोषित)	26.74	22.17
	सकल - अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	56.80	54.35
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए भत्ता		
	क) बीमा दावे	7.22	7.22
	अशोध्य एवं संदिग्ध के लिए कुल भत्ता - अन्य चालू संपत्ति	7.22	7.22
	शुद्ध अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**49.58**	**47.13**
	अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण:		
	अच्छा माना-सुरक्षित	49.58	47.13
	असुरक्षित, संदिग्ध माना	7.22	7.22
	सकल अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**56.80**	**54.35**

टिप्पणी:

12.1 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां परिशोधित लागत पर ली जाती हैं।

12.2 उत्कल डी एवं ई कोयला खदानों के संबंध में खदानें बंद करने के अनुपालन के लिए कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ), कोयला मंत्रालय के साथ एक एस्क्रो समझौते के तहत एसबीआई के साथ निर्धारित शेष राशि।

12.3 भत्तों में परिवर्तन :

चालू			
विवरण		**2022-23**	**2021-22**
क	प्रारंभिक जमा	7.22	7.22
ख	जोड़ें: परिवर्धन	-	-
ग	घटाएं: बट्टे खाते में डालना/समायोजन	-	-
घ	जमा शेष	7.22	7.22

13 - आयकर संपत्ति/ देयताएं			राशि करोड़ रु. में
क.	**गैर चालू**	31.03.2023 को	31.03.202 को 2
	आयकर परिसंपत्ति शुद्ध [टिप्पणी 13.1 देखें]	634.49	320.57
	कुल गैर चालू आयकर	634.49	320.57
ख	**चालू**	31.03.2023 को	31.03.2022 को
	आयकर परिसंपत्ति शुद्ध	28.49	55.38
	आयकर देयताएं शुद्ध	32.07	211.04
	कुल चालू आयकर संपत्ति (देयताएं)	(3.58)	(155.66)

13.1 ₹504.18 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 65.04 करोड़) की आयकर देयता समाप्त हो गई है।

वित्तीय विवरण (समेकित)

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

			31.03.2023 को	31.03.2022 को
क	**गैर चालू**			
	(क)	पूंजीगत अग्रिम [टिप्पणी 14.1 देखें]	552.14	498.02
	(ख)	पूंजीगत अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम:		
		सरकार अधिकारियों को अग्रिम		
		(1) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, पोर्ट ट्रस्ट आदि।	226.59	179.95
		(2) अन्य सरकारी प्राधिकरण	6.04	6.01
	(ग)	अन्य		
		पूर्वप्रदत्त व्यय		
		(1) आस्थगित कर्मचारी लाभ [टिप्पणी 11.1 देखें]	21.93	15.50
	सकल अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ		**806.70**	**699.48**
	घटाएं: अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के लिए अशोध्य एवं संदिग्ध के लिए भत्ता			
	(क)	पूंजी अग्रिम	0.01	0.01
	(ख)	उत्पाद शुल्क प्राधिकारी के साथ अग्रिम	0.24	0.24
	अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के लिए अशोध्य एवं संदिग्ध के लिए कुल भत्ता		**0.25**	**0.25**
	कुल अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ		**806.45**	**699.23**
ख.	**चालू**		**31.03.2023 को**	**31.03.2022 को**
	पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम			
	(क)	वैधानिक प्राधिकारियों से दावा		
		(1) निर्यात प्रोत्साहन दावे	42.73	71.42
		(2) नवीकरणीय स्रोत एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों से उत्पन्न बिजली पर उत्पादन आधारित प्रोत्साहन	4.28	5.10
		(3) वैट, सेनवैट एवं जीएसटी क्रेडिट वसूली योग्य	321.01	295.64
		(4) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं रेलवे अधिकारियों से प्राप्य दावे	7.68	7.68
	(ख)	पूर्वप्रदत्त व्यय		
		(1) आस्थगित कर्मचारी लाभ [टिप्पणी 11.1 देखें]	3.55	2.04
		(2) अन्य पूर्वप्रदत्त व्यय	7.81	9.34
	(ग)	स्टैम्प इन हैंड	0.02	0.01
	(घ)	अन्य प्राप्य	1.23	1.07
	(ङ)	अन्य अग्रिम		
		(1) कर्मचारियों को अग्रिम	3.00	13.26
		(2) आपूर्तिकर्ताओं एवं सेवा प्रदाताओं को अग्रिम	813.18	656.34
		(3) अन्य	4.91	4.16
	सकल अन्य चालू परिसंपत्तियां		**1,209.40**	**1,066.06**
	घटाएं: अन्य चालू परिसंपत्तियों के लिए अशोध्य एवं संदिग्ध के लिए भत्ता			
	(क)	निर्यात प्रोत्साहन दावे	2.81	0.95
	(ख)	वैट एवं सेनवैट क्रेडिट वसूली योग्य	197.81	197.81
	(ग)	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं रेलवे अधिकारियों से प्राप्य दावे	5.13	5.13
	(घ)	अन्य प्राप्य	0.43	0.36
	(ङ)	आपूर्तिकर्ताओं एवं सेवा प्रदाताओं को अग्रिम	2.59	1.92
	(च)	अन्य	6.14	1.82
	अन्य चालू परिसंपत्तियों के लिए अशोध्य एवं संदिग्ध के लिए कुल भत्ता		**214.91**	**207.99**
	कुल अन्य चालू परिसंपत्तियां		**994.49**	**858.07**
	अन्य चालू परिसंपत्तियों का वर्गीकरण:			
	अच्छा माना-सुरक्षित			
	अच्छा माना-असुरक्षित		**994.49**	**858.07**
	संदिग्ध		**214.91**	**207.99**
	सकल अन्य चालू परिसंपत्तियां		**1,209.40**	**1,066.06**

टिप्पणी:

14.1 उत्कल डी एवं ई कोयला ब्लॉक दोनों के लिए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर एंड आर) के प्रति कंपनी का दायित्व है। उत्कल डी के लिए आर एंड आर नीति पहले ही ओडिशा सरकार द्वारा सूचित कर दी गई है, परियोजना विस्थापित परिवारों (पीडीएफ) द्वारा नकद मुआवजे या वार्षिकी के विकल्प के अभाव में दायित्व के मूल्य का अनुमान लगाना संभव नहीं है। उत्कल ई कोल ब्लॉक के लिए आर एंड आर नीति को ओडिशा सरकार द्वारा अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। कंपनी ने उत्कल डी एंड ई कोयला ब्लॉक के लिए आर एंड आर गतिविधि के लिए कलेक्टर अंगुल को रु.180 करोड़ जमा किए हैं।

उत्कल ई कोयला ब्लॉक के लिए आर एंड आर नीति के अभाव एवं लाभार्थियों द्वारा पसंद/विकल्प की चाहत के कारण, दायित्व को मापा नहीं जा सका, एवं इसलिए इसे पूंजीगत संपत्ति/व्यय के रूप में नहीं गिना गया।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

15 - माल सूची			राशि करोड़ रु. में
		31.03.2023 को	31.03.2022 को
(क)	कच्चा माल	306.67	161.03
(ख)	कोयला एवं ईंधन तेल	189.76	170.82
(ग)	कार्बन एनोड (मध्यस्थ)	160.35	136.67
(घ)	कार्य प्रगति	392.13	319.04
(ङ)	तैयार माल	462.36	542.47
(च)	भण्डार एवं पुर्जे	328.95	299.23
(छ)	अन्य [टिप्पणी 15.4 देखें]	-	16.34
कुल माल-सूची		**1,840.22**	**1,645.60**
ऊपर शामिल, पारगमन में माल:			
(i)	कच्चा माल	30.74	20.79
(ii)	कोयला एवं ईंधन तेल	16.88	57.79
(iii)	भण्डार एवं पुर्जे	15.22	6.31
पारगमन में कुल माल		**62.84**	**84.89**

टिप्पणी:

15.1 वर्ष के दौरान व्यय के रूप में पहचानी गई सूची की लागत ₹ 7,177.59 करोड़ है (पिछला वर्ष: रु. 4,603.84 करोड़)।

15.2 वर्ष के दौरान व्यय के रूप में पहचानी गई माल-सूची की लागत में गैर-चलती वस्तुओं के लिए माल-सूची के राइट-डाउन के संबंध में 2.64 करोड़ (पिछले वर्ष: 1.46 करोड़) शामिल हैं ।

15.3 माल-सूची बैंकों से प्राप्त नकद ऋण सुविधा के विरुद्ध बंधक/गिरवी रखी जाती है।

15.4 इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ सलाहकार समिति द्वारा जारी राय के परिणामस्वरूप, कंपनी ने आंतरिक रूप से उत्पन्न स्क्रैप की सूची की पहचान के लिए अपनी लेखांकन नीति में बदलाव किया है। संशोधित नीति के अनुसार, कंपनी स्क्रैप से प्राप्त राजस्व को उसके निपटान पर मान्यता देती है। प्रतिवेदन तिथि 31.03.2023 के अनुसार, नीति में बदलाव से लाभ एवं हानि के विवरण में रु. 14.84 करोड़ की कमी का प्रभाव पड़ा है।

15.5 माल-सूची के मूल्यांकन का तरीका महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के टिप्पणी 3.9 में बताया गया है।

16 - क-नकद एवं नकद समतुल्य			राशि करोड़ रु. में
		31.03.2023 को	31.03.2022 को
(क)	बैंकों में शेष		
	(1) अनुसूचित बैंकों के साथ संतुलन		
	(i) चालू खाते में	63.29	412.80
	कुल नकद एवं नकद समकक्ष	**63.29**	**412.80**

16. ख. बैंक शेष (नकद एवं नकद समकक्ष के अलावा)			राशि करोड़ रु. में
		31.03.2023 को	31.03.2022 को
(क)	जमा खाते में (3-12 महीने के बीच मूल परिपक्वता)	1,992.33	3,217.37
	मूलधन	1,926.00	3,156.00
	उपार्जित ब्याज	66.33	61.37
(ख)	अनुसूचित बैंकों के पास निर्धारित शेष [टिप्पणी 16.बी.1 देखें]	61.88	75.90
	कुल अन्य बैंक शेष	**2,054.21**	**3,293.27**

16.ख.1 अनुसूचित बैंकों के पास निर्धारित शेष राशि ₹ 61.88 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 75.90 करोड़) में दावा न किए गए लाभांश के लिए जमा की गई राशि ₹ 4.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4.29 करोड़) एवं बॉक्साइट खानों की बोली में भाग लेने के लिए बैंक गारंटी जारी करने के लिए ग्रहणाधिकार के रूप में ₹ 11.22 करोड़ शामिल है। विवादित अंतर विद्युत शुल्क के संबंध में माननीय ओडिशा उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार शेष राशि रु. 46.40 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 71.61 करोड़) भारतीय स्टेट बैंक के पास जमा राशि का प्रतिनिधित्व करती है।

हाल ही में ऊर्जा विभाग, ओडिशा सरकार ने दिनांक 31.03.2022 तक उपभोक्ताओं के बकाया विद्युत शुल्क (ईडी) एवं ब्याज के एकमुश्त निपटान (ओटीएस) के लिए एक प्रस्ताव (संकल्प संख्या -11797, दिनांक: 30.11.2022) पारित किया है, जो कैप्टिव खपत के लिए ऊर्जा उत्पन्न करना एवं अदालती मामले/मुकदमेबाजी आदि के कारण ईडी जमा नहीं करना।

कंपनी ने ओटीएस योजना का विकल्प चुना है एवं कॉन्फेडरेशन ऑफ ग्रहीत विद्युत संयंत्र, ओडिशा (जिसमें कंपनी एक सदस्य है) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, ओडिशा में कानूनी मामला वापस लेने के बाद आवश्यक कागजात दाखिल किए हैं। ओटीएस योजना में निर्धारित शर्त के अनुसार, प्राधिकरण द्वारा उठाई गई बकाया मांग का 10% राशि ₹ 27.83 करोड़ का भुगतान माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार बनाए गए एस्क्रो खाते से वर्ष के दौरान किया गया है। योजना के तहत अंतिम निपटान अभी पूरा नहीं हुआ है।

16.ख.2 चालू वर्ष के अंत में निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में जमा करने के लिए देय राशि रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)।

वित्तीय विवरण (समेकित)

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

17 - बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियों		राशि करोड़ रु. में
विवरण	**31.03.2023 को**	**31.03.2022 को**
गैर चालू परिसंपत्तियां		
कुल	7.06	7.09
घटाएं: हानि प्रावधान	6.42	6.52
बिक्री के लिए रखी गई कुल गैर-चालू परिसंपत्तियां	**0.64**	**0.57**

17.1 उपरोक्त में पुराने बेकार वाहन एवं संयंत्र एवं मशीनरी शामिल हैं।

17.2 प्रबंधन वित्तीय वर्ष के अंत से 12 महीने की अवधि के भीतर बिक्री लेनदेन को पूरा करने का विश्वास रखता है।

17.3 बिक्री की लागत घटाकर उचित मूल्य वहन लागत का अनुमान लगाता है।

18 - बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियों		राशि करोड़ रु. में
	31.03.2023 को	**31.03.2022 को**
अधिकृत शेयर पूंजी:		
31.03.2023 को: रु. 5 प्रत्येक के 6,00,00,00,000 इक्विटी शेयर		
[31.03.2022 को: रु. 5 प्रत्येक के 6,00,00,00,000 इक्विटी शेयर	3,000.00	3,000.00
	3,000.00	3,000.00
जारी, अभिदत्त एवं चुकता पूंजी:		
प्रत्येक 5 रुपये के 1,83,66,31,787 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर		
[31.03.2022 को: 1,83,66,31,787 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर, प्रत्येक 5 रुपये के]	918.32	918.32
	918.32	918.32

18.1 इक्विटी शेयरों की संख्या का मिलान		राशि करोड़ रु. में
	शेयर की संख्या	**राशि करोड़ में**
31.03.2021 तक शेष राशि	1,83,66,31,787	918.32
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2022 को शेष राशि	1,83,66,31,787	918.32
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2023 को शेष राशि	1,83,66,31,787	918.32

(i) कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है जिसका प्रत्येक का सममूल्य मूल्य है । इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है एवं कंपनी द्वारा उनकी होल्डिंग्स के आधार पर घोषित लाभांश का आनुपातिक अधिकार रखता है।

(ii) वापस खरीद:

वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी ने 5 रुपये प्रत्येक के 6,73,11,386 इक्विटी शेयर वापस खरीदे, जिससे इक्विटी शेयर पूंजी 966.46 करोड़ से घटकर 932.81 करोड़ हो गई।

वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी ने 5 रुपये. के 2,89,85,711 इक्विटी शेयर वापस खरीदे, जिससे इक्विटी शेयर पूंजी 932.81 करोड़ से घटकर 918.32 करोड़ हो गई।

(iii) विनिवेश :

वर्ष 2018-19 के दौरान, भारत सरकार ने भारत ईटीएफ के माध्यम से 8,89,86,323 इक्विटी शेयरों का विनिवेश किया। वर्ष 2018-19 के दौरान भारत सरकार द्वारा ईटीएफ के माध्यम से शेयरों की पुनर्खरीद और हस्तांतरण के परिणामस्वरूप, भारत सरकार की हिस्सेदारी 31.03.2018 को 1,16,37,17,107 अदद (60.20%) से घटकर 31.03.2019 को 97,00,81,517 अदद (51.99%) हो गई है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, भारत सरकार ने भारत 22 ईटीएफ के माध्यम से 92,88,506 इक्विटी शेयरों का विनिवेश किया, जिस पर भारत सरकार की हिस्सेदारी 31.03.2019 को 97,00,81,517 अदद (51.99%) से घटकर 31.03.2020 को 96,07,93,011 अदद (51.50%) हो गई है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, इक्विटी शेयरों की बाय-बैक के परिणामस्वरूप, भारत सरकार की हिस्सेदारी 31.03.2020 को 96,07,93,011 अदद (51.5%) से घटकर 31.03.2021 को 94,17,93,011 अदद (51.28%) हो गई है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

18.2 प्रवर्तकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण:				राशि ₹ में करोड़
	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
	धारित शेयरों की संख्या	इक्विटी शेयरों के धारण का %	धारित शेयरों की संख्या	इक्विटी शेयरों के धारण का %
प्रवर्तक का नाम				
भारत सरकार	94,17,93,011	51.28%	94,17,93,011	51.28%
कुल	**94,17,93,011**	**51.28%**	**94,17,93,011**	**51.28%**

18.3 5 % से अधिक हिस्सेदारी रखने वाले शेयरधारक का विवरण:				राशि ₹ में करोड़
	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
	धारित शेयरों की संख्या	इक्विटी शेयरों के धारण का %	धारित शेयरों की संख्या	इक्विटी शेयरों के धारण का %
प्रमोटर का नाम				
भारत सरकार	94,17,93,011	51.28%	94,17,93,011	51.28%
कुल	**94,17,93,011**	**51.28%**	**94,17,93,011**	**51.28%**

19. अन्य इक्विटी	राशि करोड़ रु. में	
	31.03.2023 को	**31.03.2022 को**
(क) पूंजी प्रतिदान भंडार	370.30	370.30
(ख) सामान्य आरक्षित	7,942.86	7,942.86
(ग) बरकरार रखी गई आय	3,894.78	3,320.79
कुल	**12,208.06**	**11,634.07**

19.1 अन्य इक्विटी में गतिविधि				राशि ₹ में करोड़
अन्य इक्विटी	आरक्षित और अधिशेष			
	पूंजी प्रतिदान आरक्षित	**सामान्य आरक्षित**	**प्रतिधारित आय**	**कुल**
01.04.2021 को शेष राशि	**370.30**	**7,942.98**	**1,447.41**	**9,760.69**
इस साल का मुनाफा	-	-	2,951.41	2,951.41
अन्य व्यापक आय (करों का शुद्ध)	-	-	23.95	23.95
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	2,975.36	2,975.36
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	-	-	(183.66)	(183.66)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	-	-	(918.32)	(918.32)
31.03.2022 को शेष राशि	**370.30**	**7,942.98**	**3,320.79**	**11,634.07**
इस साल का मुनाफा	-	-	1,434.66	1,434.66
अन्य व्यापक आय (करों का शुद्ध)	-	-	57.65	57.65
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**1,492.31**	**1,492.31**
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	-	-	(275.49)	(275.49)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	-	-	(642.83)	(642.83)
31.03.2023 को शेष राशि	**370.30**	**7,942.98**	**3,894.78**	**12,208.05**

19.2 वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी ने 4 दिसंबर, 2018 को ₹ 5 प्रति शेयर के 6,73,11,386 पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों को ₹ 75 प्रति शेयर की पेशकश कीमत पर वापस खरीदा था। भुगतान किया गया कुल प्रतिफल ₹ 504.83 करोड़ था। बायबैक के बाद, कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी ₹ 966.46 करोड़ से ₹ 33.65 करोड़ कम होकर ₹ 932.81 करोड़ हो गई है।प्रीमियम राशि `471.18 करोड़ सामान्य आरक्षित निधि से विनियोजित की जाती है। शेयर 7 दिसंबर, 2018 को समाप्त हो गए एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, 33.65 करोड़ की राशि सामान्य रिजर्व से पूंजी मोचन रिजर्व में स्थानांतरित कर दी गई।

वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने 10 मार्च, 2021 को 5 रुपये प्रति शेयर के 2,89,85,711 पूर्ण भुगतान वाले इक्विटी शेयरों को 57.50 रुपये प्रति शेयर की पेशकश कीमत पर वापस खरीदा। भुगतान किया गया कुल प्रतिफल `166.67 करोड़ था। बायबैक के बाद, कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी `932.81 करोड़ से `14.49 करोड़ कम होकर `918.32 करोड़ हो गई है।

प्रीमियम राशि `152.18 करोड़ सामान्य आरक्षित निधि से विनियोजित की जाती है। शेयर 17 मार्च, 2021 को समाप्त हो गए एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, 14.49 करोड़ की राशि सामान्य रिजर्व से पूंजी मोचन रिजर्व में स्थानांतरित कर दी गई।

19.3 वर्ष के दौरान, कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ₹ 1.50 प्रति इक्विटी शेयर पर अंतिम लाभांश का भुगतान किया है, जिसकी राशि ₹ 275.49 करोड़ है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अंतरिम लाभांश की पहली किश्त ₹ 1.00 प्रति इक्विटी शेयर की दर से ₹ 183.66 करोड़ का भुगतान 14 फरवरी 2023 को किया है एवं 31 मार्च 2023 को अंतरिम लाभांश की दूसरी किश्त ₹ 2.50 प्रति इक्विटी शेयर की दर से ₹ 459.16 करोड़ का भुगतान किया गया है। इसके साथ कुल भुगतान 642.82 करोड़ रुपये है। पिछले वर्ष के दौरान, कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए रु.1 प्रति इक्विटी शेयर की दर से 183.66 करोड़ रुपये का अंतिम लाभांश का भुगतान किया था। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अंतरिम लाभांश की पहली किश्त 2 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की दर से 367.33 करोड़ रुपये एवं अंतरिम लाभांश की दूसरी किश्त 3 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की दर से 550.99 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।

वित्तीय विवरण (समेकित)

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

20 क - पट्टा दायित्व

राशि ₹ में करोड़

	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
गैर-चालू पट्टा देयताए	50.99	50.91
चालू पट्टा देयताएं	5.87	5.52
कुल लीज देयताएं	56.86	56.43

20 ख - लीज देयताएं गतिविधि

राशि ₹ में करोड़

	31.03.2023 को	31.03.2022 को
प्रारम्भ में शेष	56.43	55.97
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	0.56
वर्ष के दौरान जोड़ी गई वित्त लागत	4.08	4.13
पट्टा देयता का भुगतान	3.65	4.23
वर्ष के अंत में शेष	56.86	56.43

21 - उधार

राशि ₹ में करोड़

चालू (सुरक्षित) (परिशोधन लागत पर)	**31.03.2023 को**	**31.03.2022 को**
बिलों के प्रति देयताओं में छूट दी गई	47.75	20.67
कुल	**47.75**	**20.67**

22. क - व्यापार देय

राशि ₹ में करोड़

क. गैर-चालू	**31.03.2023 को**	**31.03.2022 को**
(1) आपूर्ति एवं सेवाओं के लिए लेनदार		
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बकाया	-	-
- अन्य	10.98	23.61
कुल गैर-चालू व्यापार देय	**10.98**	**23.61**
ख. चालू		
(1) आपूर्ति एवं सेवाओं के लिए लेनदार		
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बकाया	36.59	31.50
- अन्य	742.92	788.52
अर्जित मजदूरी एवं वेतन	483.83	637.08
कुल चालू व्यापार देय	**1,263.34**	**1,457.10**

टिप्पणियाँ:

22.1 व्यापार एवं अन्य भुगतान पुष्टिकरण/समाधान एवं परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं।

22.2 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में परिभाषित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय राशि उस सीमा तक निर्धारित की गई है, जहां तक कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसे पक्षों की पहचान की गई है। व्यापार देय (टिप्पणी-22) एवं अन्य वित्तीय देयताएं (टिप्पणी-23) में शामिल ऐसे बकाया के संबंध में उक्त अधिनियम के अनुसार खुलासे इस प्रकार हैं:

विवरण		**31.03.2023 को**	**31.03.2022 को**
I)	मूल राशि देय	36.59	31.50
II)	मूल राशि पर ब्याज देय	शून्य	शून्य
iii)	नियुक्ति दिवस के बाद ब्याज एवं मूल राशि का भुगतान	शून्य	शून्य
iv)	देय ब्याज की राशि एवं भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए (जो भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज की राशि को जोड़े बिना।	शून्य	शून्य
v)	वर्ष के अंत में अर्जित एवं अप्रदत्त शेष ब्याज की राशि।	शून्य	शून्य
vi)	एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से, अतिरिक्त ब्याज की राशि शेष है एवं आगामी वर्षों में भी देय है, ऐसी तारीख तक जब ऊपर दिए गए ब्याज का वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान किया जाता है।	शून्य	शून्य

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

22. ख - व्यापार देय पुराना

राशि ₹ में करोड़

(क) भुगतान की देय तिथि निर्दिष्ट होने पर पुराना

(ख) भुगतान की देय तिथि निर्दिष्ट नहीं होने पर पुराना

क्रम सं.	विवरण	देय नहीं	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(I) एमएसएमई	31.03.2023 को	62.36	30.27	-	-	-	92.63
	31.03.2022 को	60.91	13.74	-	-	-	74.65
(ii) अन्य	31.03.2023 को	690.79	185.35	-	-	-	876.14
	31.03.2022 को	820.40	261.17	15.16	6.92	156.62	1,260.27
(iii) विवादित बकाया- एमएसएमई	31.03.2023 को	-	-	-	-	-	-
	31.03.2022 को	-	0.72	-	-	-	0.72
(iv) विवादित बकाया- अन्य	31.03.2023 को	23.41	-	-	1.81	6.23	31.45
	31.03.2022 को		0.06	0.12	0.16	74.25	74.59
	31.03.2023 को कुल	776.56	215.62	-	1.81	6.23	1,000.22
	31.03.2022 को कुल	881.31	275.69	15.28	7.08	230.87	1,410.23

(ग) बिना बिल के पुराना बकाया

राशि ₹ में करोड़

क्रम सं.	विवरण	भुगतान की नियत तिथि से बकाया					
		देय नहीं	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	31.03.2023 को	-	51.66	0.94	0.02	0.21	52.83
	31.03.2022 को	-	43.91	1.21	0.13	0.14	45.39
(ii) अन्य	31.03.2023 को	-	218.57	-	0.94	1.76	221.27
	31.03.2022 को	-	24.43	0.53	-	0.13	25.09
(iii) विवादित बकाया- एमएसएमई	31.03.2023 को	-	-	-	-	-	-
	31.03.2022 को	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया- अन्य	31.03.2023 को	-	-	-	-	-	-
	31.03.2022 को	-	-	-	-	-	-
	31.03.2023 को कुल	-	270.23	0.94	0.96	1.97	274.10
	31.03.2022 को कुल	-	68.34	1.74	0.13	0.27	70.48
	31.03.2023 को कुल (क)+(ख)+(ग)	776.56	485.85	0.94	2.77	8.20	1,274.32
	31.03.2022 को कुल (क)+(ख)+(ग)	881.31	344.03	17.02	7.21	231.14	1,480.71

23 - अन्य वित्तीय देयताएं

राशि ₹ में करोड़

क. गैर-चालू	**31.03.2023 को**	**31.03.2022 को**
पूंजीगत आपूर्ति एवं सेवाओं के लिए ऋणदाता		
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बकाया	-	-
- अन्य	180.00	88.57
कुल अन्य गैर-चालू वित्तीय देयताएं	180.00	88.57
ख. चालू	31.03.2023 को	31.03.2022 को
(क) अवैतनिक लाभांश	4.25	4.29
(ख) अन्य देयताओं के लिए लेनदार		
(1) पूंजीगत आपूर्ति एवं सेवाओं के लिए ऋणदाता		
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बकाया	-	-
- अन्य	400.20	316.13
(2) ग्राहकों से सुरक्षा जमा	3.49	4.95
(3) ग्राहकों का बकाया वापसी	39.92	34.67
(4) ग्राहकों को बिक्री पर छूट के लिए देयताएं	172.44	140.21
(5) कर्मचारियों की वसूली	0.11	0.10
कुल अन्य चालू वित्तीय देयताएं	**620.41**	**500.35**

वित्तीय विवरण (समेकित)

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

24 - प्रावधान

राशि ₹ में करोड़

क. गैर-चालू	31.03.2023 को	31.03.2022 को
(क) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
(1) सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व		
(i) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना (पीआरएमबीएस) (वित्त पोषित)	-	152.83
(ii) सेवानिवृत्ति पर लाभ का निपटान	12.59	13.73
(iii) नालको बेनेवोलेंट फंड स्कीम (एनबीएफएस)	2.07	2.15
(iv) नालको रिटायरमेंट वेलफेयर स्कीम (एनआरडब्ल्यूएस)	8.29	8.88
(v) सेवानिवृत्ति उपहार	4.78	5.36
(2) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ		
(i) क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति (टिप्पणी 24.4 देखें)	-	-
(ii) दीर्घावधि सेवा पुरस्कार	12.32	11.55
(iii) नालको एम्पलॉइज फैमिली असिस्टैंस रिहैबिलिटेशन स्कीम (एनईएफएफएआरएस)	16.18	25.51
(ख) अन्य प्रावधान		
(1) परिसंपत्ति बहाली दायित्व/विघटन	44.22	40.59
(2) अन्य कानूनी एवं रचनात्मक दायित्व	0.38	0.38
कुल गैर-चालू प्रावधान	100.83	260.98
ख. चालू	**31.03.2023 को**	**31.03.2022 को**
(क) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
(1) सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व		
(i) ग्रेच्युटी (वित्त पोषित)	-	-
(ii) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना (पीआरएमबीएस) (वित्त पोषित)	10.44	9.48
(iii) सेवानिवृत्ति पर लाभ का निपटान	3.30	3.79
(iv) नालको बेनेवोलेंट फंड स्कीम (एनबीएफएस)	0.43	0.48
(v) नालको रिटायरमेंट वेलफेयर स्कीम (एनआरडब्ल्यूएस)	2.69	2.90
(vi) सेवानिवृत्ति उपहार	1.07	1.17
(2) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ		
(i) क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति (वित्त पोषित)	39.82	18.99
(ii) लंबी सेवा पुरस्कार	0.63	0.93
(iii) नालको एम्पलॉइज फैमिली असिस्टैंस रिहैबिलिटेशन स्कीम (NEFFARS)	6.83	9.84
(ख) अन्य प्रावधान		
(1) परिधीय विकास व्यय के प्रति	30.05	30.30
(2) अन्य कानूनी एवं रचनात्मक दायित्वों के प्रति	51.63	49.07
कुल चालू प्रावधान	**146.89**	**126.95**

ग. प्रावधानों का संचलन

(1) सेवानिवृत्ति लाभ दायित्वों का संचलन [टिप्पणी 33 देखें]

(2) कर्मचारी लाभों का संचलन

राशि करोड़ रु. में

	मुआवजा अनुपस्थिति (वित्त पोषित)	दीर्घ सेवा पुरस्कार	नेफ़र्स
31.03.2021 को शेष राशि	**430.37**	**13.13**	**31.88**
अतिरिक्त प्रावधान स्वीकृति	121.28	1.49	31.59
भुगतान से उत्पन्न होने वाली कटौती	(112.33)	(0.92)	(28.12)
पुनर्माप से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन	25.62	(1.22)	-
अन्य [टिप्पणी 24.4 देखें]	(445.95)	-	-
31.03.2022 को शेष राशि	**18.99**	**12.48**	**35.35**
अतिरिक्त प्रावधानों को मान्यता दी गई	84.41	1.49	11.65
भुगतान से उत्पन्न होने वाली कटौती	(52.25)	(1.35)	(23.99)
पुनर्माप से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन	(11.33)	0.33	-
अन्य [टिप्पणी 24.4 देखें]	-	-	-
31.03.2023 को शेष राशि	**39.82**	**12.95**	**23.01**

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां **राशि करोड़ रु. में**

(3) अन्य प्रावधानों का संचलन			
	संपत्ति बहाली दायित्व	**कानूनी एवं रचनात्मक दायित्व**	**परिधीय विकास व्यय**
31.03.2021 को शेष राशि	**37.42**	**41.72**	**30.47**
अतिरिक्त प्रावधानों को मान्यता दी गई	0.11	12.53	-
भुगतान से उत्पन्न होने वाली कटौती	-	(4.95)	(0.17)
छूट का समापन	3.06	0.15	-
31.03.2022 को शेष राशि	**40.59**	**49.45**	**30.30**
अतिरिक्त प्रावधानों को मान्यता दी गई	0.30	2.97	-
भुगतान से उत्पन्न होने वाली कटौती	0.43	(0.69)	(0.25)
छूट का समापन	2.90	0.28	-
अन्य	-	-	-
31.03.2023 को शेष राशि	**44.22**	**52.01**	**30.05**

टिप्पणी: 24.1 सेवानिवृत्ति एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के प्रति दायित्व को लागू कानूनों एवं कंपनी के नियमों पर विचार करते हुए स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा किए गए मूल्यांकन पर स्वीकृति दी जाती है।

24.2 परिसंपत्ति बहाली दायित्व एवं रचनात्मक दायित्व का प्रावधान इंड. एएस 16: संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण एवं इंड. एएस 37: प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक संपत्ति के अनुरूप प्रबंधन अनुमान के आधार पर किया जाता है।

24.3 परिधीय विकास व्यय का प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की शुरूआत से पहले कंपनी का अव्ययित विकास दायित्व है।

25 - अन्य देयताएं

राशि ₹ में करोड़

क. गैर-चालू	**31.03.2023 को**	**31.03.2022 को**
(i) नेफ़र्स के अंतर्गत जमा	83.52	101.26
(ii) अन्य [टिप्पणी 25.1 देखें]	230.50	230.50
कुल अन्य गैर-चालू देयताएं	**314.02**	**331.76**
ख. चालू		
(i) अनुबंध देयताएं (अग्रिम में प्राप्त राजस्व) [टिप्पणी 25.3 एवं 29.2 देखें]	101.54	125.57
(ii) वैधानिक एवं अन्य बकाया		
(क) विद्युत शुल्क [टिप्पणी 25.4 देखें]	85.40	108.49
(ख) स्रोत पर कर काटा एवं एकत्र किया गया	32.46	36.05
(ग) एनईपीएफ ट्रस्ट एवं एनपीएस में योगदान	30.91	41.07
(घ) स्टांप शुल्क का बकाया	212.78	212.78
(ङ) अन्य (सेवा कर, उत्पाद शुल्क, जीएसटी, रॉयल्टी आदि) [टिप्पणी 25.5 देखें]	185.17	356.01
(iii) नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व	87.64	68.71
(iv) नेफ़र्स के तहत जमा	32.50	38.94
(v) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए अनुदान	0.46	0.48
(vi) अन्य क्रेडिट शेष	0.46	0.45
कुल अन्य चालू देयताएं	**769.32**	**988.55**

टिप्पणी: 25.1 माननीय सीईएसटीएटी, कोलकाता ने स्वच्छ ऊर्जा उपकर के लिए कंपनी के पक्ष में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान रु. 230.50 करोड़ का रिफंड आदेश जारी किया था । समान मामले पर परहले के विभिन्न निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, जहां लाभार्थी को लाभ की अनुमति नहीं दी गई है, उच्च स्तर की अनिश्चितता के कारण कंपनी ने विवाद के अंतिम परिणाम तक उक्त राशि को देनदारी के रूप में मान्यता देना पसंद किया है। इसके अलावा, विभाग ने सीईएसटीएटी, कोलकाता द्वारा जारी आदेश को माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

25.2 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 की प्रयोज्यता के संबंध में छूट का लाभ उठाने के लिए कंपनी नेफर योजना के अनुसार कर्मचारी के आश्रित से जमा प्राप्त करती है, जिनकी मृत्यु हो गई हो या विकलांगता का सामना करना पड़ा हो) जिसके लिए कंपनी निगम मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार को आवेदन करने की प्रक्रिया में है।

25.3 अनुबंध देयताओं का समाधान (अग्रिम में प्राप्त राजस्व):

क्रम सं.	**विवरण**	**2022-23**	**2021-22**
1	वर्ष के प्रारम्भ में शेष	125.57	97.25
2	खुलू ठेका देयताओं के प्रति वर्ष के दौरान राजस्व स्वीकृत	(107.33)	(95.19)
3	प्रारंभिक देयताओं के प्रति वर्ष के दौरान अग्रिम को वित्तीय देयताओं में पुनः वर्गीकृत	(17.60)	(1.45)
4	जिसके एवज में प्राप्त अग्रिम राजस्व की स्वीकृति नहीं की गई है	100.90	124.96
5	वर्ष के अंत में शेष राशि	101.54	125.57

वित्तीय विवरण (समेकित)

25.4 हाल ही में ऊर्जा विभाग, ओडिशा सरकार ने 31.03.2022 को बकाया विद्युत शुल्क (ईडी) एवं उपभोक्ताओं के ब्याज के एकमुश्त निपटान (ओटीएस) के लिए दिनांक 30.11.2022 को एक प्रस्ताव (संकल्प संख्या-11797, दिनांक-30.11.2022) पारित किया है, जो कैप्टिव खपत के लिए ऊर्जा उत्पन्न करते हैं एवं अदालती मामले/मुकदमे आदि के कारण ईडी जमा नहीं कर रहे हैं।

कंपनी ने ओटीएस योजना का विकल्प चुना है एवं कॉन्फेडरेशन ऑफ ग्रहीत विद्युत संयंत्र, ओडिशा (जिसमें कंपनी एक सदस्य है) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, ओडिशा में कानूनी मामला वापस लेने के बाद आवश्यक कागजात दाखिल किए हैं। ओटीएस योजना में निर्धारित शर्त के अनुसार, प्राधिकरण द्वारा उठाई गई बकाया मांग का 10% राशि ₹ 27.83 करोड़ का भुगतान माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार बनाए गए एस्क्रो खाते से वर्ष के दौरान किया गया है। योजना के तहत अंतिम निपटान अभी पूरा नहीं हुआ है।

25.5 दिनांक 28 मार्च, 2021 से खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 में संशोधन के परिणामस्वरूप, धारा 8ए(8) के अनुसार, जो प्रावधान करता है कि नीलामी के माध्यम से दिए गए खनन पट्टों के अलावा, खनन पट्टों की अवधि, पांचवीं अनुसूची में निर्दिष्ट ऐसी अतिरिक्त राशि के भुगतान पर बढ़ाया जा सकता है।

रॉयल्टी के लिए I3MS पोर्टल के माध्यम से IBM द्वारा उठाई गई मांग के आधार पर, कंपनी ने नवंबर 2022 तक पंचपटमाली बॉक्साइट खदान के नॉर्थ एवं सेंट्रल ब्लॉक एवं साउथ ब्लॉक दोनों के लिए अतिरिक्त रॉयल्टी के साथ डीएमएफ एवं एनएमईटी का भुगतान किया है।

खान मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र दिनांक 31.1.2023 के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि सरकारी कंपनियों के संबंध में अतिरिक्त रॉयल्टी भुगतान अधिनियम की धारा 8ए(8) के तहत पट्टे के विस्तार या सरकारी कंपनियों को नए पट्टे देने के मामले में लागू है, जहां क्षेत्र खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2015 की धारा 17 ए (2 सी) के अनुसार 2015 के बाद आरक्षित हैं।

कंपनी के पंचपटमाली (साउथ ब्लॉक) एवं पंचपटमाली (सेंट्रल एवं नॉर्थ ब्लॉक) के खनन पट्टे खनिज (सरकारी कंपनी द्वारा खनन नियम, 2015 (अब एम(ओएएचसीईएम) सीआर, 2016 का नियम 72(1)) के नियम 3(1) के अनुसार क्रमशः 50 साल यानी 19.07.2029 एवं 16.11.2032 तक के लिए दिए गए माने गए हैं। इस प्रकार कंपनी के इन पट्टों को एम(ओएएचसीईएम)सीआर, 2016 के नियम 72(2)एवं(3) के साथ पठित धारा 8ए(8) के तहत विस्तारित नहीं किया गया है।

भारत सरकार के खान मंत्रालय ने ओडिशा सरकार से भी अनुरोध किया है कि दोनों खदानों के लिए 50 साल की लीज अवधि पूरी होने तक कंपनी से कोई अतिरिक्त रॉयल्टी नहीं ली जाएगी एवं इन दोनों खनन पट्टों के संबंध में कंपनी द्वारा अब तक भुगतान की गई अतिरिक्त रॉयल्टी को भविष्य के रॉयल्टी भुगतान के बदले समायोजित किया जा सकता है।

बॉक्साइट पर अतिरिक्त रॉयल्टी के विषय पर ओडिशा सरकार से किसी भी संचार के अभाव में, कंपनी ने 01.12.2022 से 31.3.2023 तक अतिरिक्त रॉयल्टी के प्रति दायित्व की मान्यता की मौजूदा प्रथा को जारी रखा है।

26 - अन्य देयताएं

राशि ₹ में करोड़

			31.03.2023 को	**31.03.2022 को**
आस्थगित कर देयताएं			1,064.19	1,090.08
आस्थगित कर परिसंपत्तियां			106.42	221.90
			957.77	868.18
2021-22	**01.04.2021 को प्रारंभिक शेष**	**लाभ या हानि में स्वीकृत**	**अन्य व्यापक आय में स्वीकृत**	**31.03.2022 को अंतिम शेष**
निम्नलिखित से संबंधित आस्थगित कर देयताएं:				
सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	**(1,140.45)**	**78.82**	**-**	**(1,061.63)**
परिभाषित लाभ देयता के लिए प्रावधान (ओसीआई)	(5.15)	-	(23.30)	(28.45)
आस्थगित कर देयताएं	**(1,145.60)**	**78.82**	**(23.30)**	**(1,090.08)**
निम्न संबंध में आस्थगित कर संपत्तियां:				
क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति एवं अन्य कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	108.32	(103.54)	-	4.78
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान	66.12	19.35	-	85.47
संदिग्ध ऋण/अग्रिम के लिए प्रावधान	69.01	(0.32)	-	68.69
एफवीटीपीएल वित्तीय संपत्ति	4.32	(0.27)	-	4.05
धारा 43बी के लागू होने के कारण अस्थायी अंतर	0.93	54.80	-	55.73
अन्य	3.18	-	-	3.18
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	251.88	(29.98)	-	221.90
आस्थगित कर (देयताएं) / संपत्ति - [शुद्ध]	(893.72)	48.84	(23.30)	(868.18)
2022-23	**01.04.2022 को प्रारंभिक शेष**	**लाभ या हानि में पहचाना जाता है**	**अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त**	**31.03.2023 को समापन शेष**
निम्नलिखित से संबंधित आस्थगित कर देयताएं:				
सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	(1,061.63)	(0.61)	-	(1,062.24)
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान (ओसीआई)	(28.45)	-	26.50	(1.95)
आस्थगित कर देयताएं	**(1,090.08)**	**(0.61)**	**26.50**	**(1,064.19)**
निम्न संबंध में आस्थगित कर संपत्तियां:				
क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति एवं अन्य कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	4.78	(4.78)	-	0.00
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान	85.47	(64.32)	-	21.15
संदिग्ध ऋण/अग्रिम के लिए प्रावधान	68.69	(0.60)	-	68.09
एफवीटीपीएल वित्तीय संपत्ति	4.05	9.04	-	13.09
धारा 43बी के लागू होने के कारण अस्थायी अंतर	55.73	(54.82)	-	0.91
अन्य	3.18	-	-	3.18
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	221.90	(115.48)	-	106.42
आस्थगित कर (देयताएं) / संपत्ति [शुद्ध]	(868.18)	(116.09)	26.50	(957.77)

टिप्पणी: चालू वर्ष के लिए लागू दर 25.168% (पिछले वर्ष 25.168%) है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

27. आकस्मिक देयताएं (जिस सीमा तक प्रावधान न किया गया हो)

राशि ₹ में करोड़

	31.03.2023 को	31.03.2022 को
कंपनी के प्रति दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया		
क. वैधानिक प्राधिकारी से मांग		
1. ओडिशा बिक्री कर	3.71	4.09
2. केन्द्रीय विक्रय कर	277.52	280.55
3. वैट	0.69	12.64
4. उत्पाद शुल्क	410.44	410.44
5. उत्पाद शुल्क	102.67	102.77
6. सेवा कर	13.08	14.82
7. आयकर	210.27	223.75
8. प्रवेश कर	217.28	222.21
9. सड़क कर	2.65	2.65
10. स्टाम्प शुल्क	0.51	0.51
11. सरकार से दावा. (एनजीटी)	-	109.01
12. पीएसयू से दावा	423.21	322.92
13. भूमि अधिग्रहण एवं उस पर ब्याज	85.55	78.07
14. खान विभाग ओडिशा सरकार	136.32	136.32
15. जल संसाधन विभाग, ओडिशा सरकार. जल संरक्षण निधि	119.24	119.24
ख. ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य लोगों द्वारा दावा		
1. ठेकेदार के आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य के दावे	359.15	338.41
कुल	**2,362.31**	**2,378.40**

कंपनी के प्रति जिन दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है उनमें शामिल हैं:

I. आयकर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, प्रवेश कर एवं अन्य सरकारी शुल्कों के लिए विभिन्न वैधानिक अधिकारियों से मांग। कंपनी संबंधित अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष मांगों का विरोध कर रही है। यह उम्मीद की जाती है कि इन कार्यवाहियों का अंतिम परिणाम कंपनी के पक्ष में होगा एवं कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं संचालन के परिणामों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

II. मध्यस्थता/अदालतों में लंबित सामग्री/सेवाओं की आपूर्ति के लिए ठेकेदारों के दावे व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में उत्पन्न हुए हैं। कंपनी उचित रूप से उम्मीद करती है कि ये कानूनी कार्रवाइयां कंपनी के पक्ष में संपन्न एवं निर्धारित की जाएंगी एवं कंपनी के परिचालन परिणामों या वित्तीय स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

iii. पीएसयू के दावे में ऊर्जा क्षतिपूर्ति शुल्क एवं उस पर विलंबित भुगतान अधिभार शामिल है, 2005 से, खान व परिशोधक कॉम्प्लेक्स में नालको परिशोधक द्वारा ऊपरी कोलाब, कोरापुट में जलाशय से पानी खींचने के कारण निगम द्वारा बिजली उत्पादन के नुकसान के लिए ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएचपीसी) द्वारा मांग की गई थी।

iv. कंपनी के खिलाफ दावे ज्यादातर मूल्यांकन चरण में आईटी विभाग द्वारा उठाई गई मांगों के कारण हैं। ये दावे अस्वीकृति के कई मुद्दों के कारण हैं जैसे कि धारा 32(i)(iiia) के तहत अतिरिक्त मूल्यह्रास के संबंध में अस्वीकृति, परिधीय विकास व्यय की अस्वीकृति, गैर-चलती दुकानों एवं पुर्जों के लिए प्रावधान, अल्पकालिक पूंजीगत लाभ का उपचार एवं दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के तहत हानि की अनुमति नहीं देना एवं इसे व्यावसायिक आय के रूप में मानना, धारा 14ए के तहत अस्वीकृति आदि। ये मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं एवं विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लंबित हैं। कंपनी, अपने कर सलाहकारों सहित, उम्मीद करती है कि उच्च अपीलीय मंचों सीआईटी (ए) / आईटीएटी (क्षेत्राधिकार) द्वारा कंपनी के पक्ष में पहले से ही उपलब्ध निर्णयों के मद्देनजर अंतिम समाधान पर उसकी स्थिति को बरकरार रखा जाएगा। इस प्रकार इसका कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं संचालन के परिणामों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए, कर उपचार में कोई अनिश्चितता नहीं है जो कंपनी के कर योग्य लाभ (हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानि, अप्रयुक्त कर क्रेडिट एवं कर दरों के निर्धारण को प्रभावित करेगी।

कंपनी ने विवाद के संभावित परिणाम एवं संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभावनाओं पर विचार करते हुए विवादित आयकर मामलों एवं विभाग/प्राधिकरणों द्वारा उठाई गई मांगों की समीक्षा की है एवं तदनुसार 31.03.2023 को खुलासा किया है।

27.1 आकस्मिक देयताओं का संचलन

राशि ₹ में करोड़

	31.03.2022 को	वर्ष के दौरान कमी	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	31.03.2023 को
क. वैधानिक प्राधिकारी द्वारा मांग				
1. ओडिशा बिक्री कर	4.09	(0.38)	-	3.71
2. केन्द्रीय विक्रय कर	280.55	(3.49)	0.46	277.52
3. वैट	12.64	(11.95)	-	0.69
4. उत्पाद शुल्क	410.44	-	-	410.44
5. उत्पाद शुल्क	102.77	(0.09)	-	102.67
6. सेवा कर	14.82	(1.73)	-	13.08
7. आयकर	223.75	(15.90)	2.42	210.27
8. प्रवेश कर	222.21	(4.94)	-	217.28
9. सड़क कर	2.65	-	-	2.65
10. स्टाम्प शुल्क	0.51	-	-	0.51
11. सरकार से दावा (एनजीटी)	109.01	(109.01)	-	-
12. पीएसयू से दावा	322.92	-	100.30	423.21
13. भूमि अधिग्रहण एवं उस पर ब्याज	78.07	-	7.48	85.55
14. ओडिशा खान विभाग सरकार से मांग	136.32	-	-	136.32
15. जल संरक्षण निधि के लिए ओडिशा सरकार के जल संसाधन विभाग से मांग	119.24	-	-	119.24
ख. ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य लोगों द्वारा दावा				
1. ठेकेदार के आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य के दावे	338.41	(9.55)	30.30	359.15
कुल	**2,378.40**	**(157.04)**	**140.95**	**2,362.31**

वित्तीय विवरण (समेकित)

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

28 - प्रतिबद्धताएं

राशि ₹ में करोड़

	31.03.2023 को	31.03.2022 को
क) पूंजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि एवं इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है	3,690.17	3,404.69
ख) अन्य प्रतिबद्धताएँ		
(1) भारत सरकार को देय राशि लेकिन उत्कल डी एंड ई कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए भुगतान अभी तक नहीं हुआ है।	शून्य	शून्य
(2) निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना के तहत पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए निर्यात दायित्व।	244.51	463.94
(3) सरकार के प्रति प्रतिबद्धता की अनुमानित राशि। पोट्टांगी बॉक्साइट खानों के आवंटन के लिए ओडिशा सरकार	शून्य	शून्य
(4) सरकार के प्रति प्रतिबद्धता की अनुमानित राशि। 5वीं स्ट्रीम परिशोधक परियोजना के लिए भारत सरकार (MoEFFC)।	शून्य	शून्य
(5) पूंजी निवेश के लिए निगम पर्यावरण जिम्मेदारी (सीईआर)।	शून्य	6.00
कुल	**3,934.68**	**3,874.63**

29 - संचालन से राजस्व

राशि ₹ में करोड़

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
I. ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व		
(क) उत्पादों की बिक्री		
1) निर्यात:		
i) रसायन	3,642.61	3,664.61
ii) एल्यूमिनियम	574.15	2,699.54
2) घरेलू:		
i) रसायन	265.46	278.47
ii) एल्यूमिनियम	9,626.61	7,370.62
(ख) विद्युत बिक्री		
i) पवन ऊर्जा [टिप्पणी सं. देखें। 29.3]	62.03	45.74
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	**14,170.86**	**14,058.98**
II. अन्य परिचालन आय		
(क) निर्यात प्रोत्साहन		
i) रसायन	35.90	36.11
ii) एल्यूमिनियम	17.03	66.49
(ख) नवीकरणीय ऊर्जा पर प्रोत्साहन		
i) नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र	7.09	8.11
ii) पीढ़ी आधारित प्रोत्साहन	3.49	3.98
(ग) स्वयं निर्मित सामान आंतरिक रूप से उपयोग/पूंजीकृत	10.51	7.14
(घ) आंतरिक रूप से उत्पन्न स्क्रैप से आय	9.98	33.77
कुल अन्य परिचालन आय	**84.00**	**155.60**
संचालन से राजस्व	**14,254.86**	**14,214.58**

टिप्पणी: 29.1 अधिकांश बिक्री अग्रिम या ऋण पत्र के विरुद्ध होती है। जहां बिक्री क्रेडिट पर की जाती है, वहां प्रतिफल की राशि में कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं होता है क्योंकि भुगतान अवधि एक वर्ष के भीतर होती है।

29.2 अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध की शर्तों के अनुसार, या तो सभी प्रदर्शन दायित्वों को ऐसे अनुबंधों की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाना है या कंपनी को सभी पूर्ण प्रदर्शन दायित्वों के लिए अपने ग्राहकों से विचार प्राप्त करने का अधिकार है। तदनुसार, कंपनी ने इंड. एएस 115 के अनुच्छेदग्राफ 121 के तहत उपलब्ध व्यावहारिक समीचीनता का लाभ उठाया है एवं तुलन पत्र की तारीख पर असंतुष्ट (या आंशिक रूप से असंतुष्ट) प्रदर्शन दायित्वों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण को समाप्त कर दिया है। इसके अलावा, अनुबंध की शर्तें सीधे प्रत्येक पूर्ण निष्पादन दायित्वों के लिए एकल लेनदेन मूल्य की पहचान करती हैं, लेनदेन मूल्य का कोई तत्व नहीं है जिसे वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राजस्व में शामिल नहीं किया गया है।

29.3 कंपनी ने 2018-19 से बिजली खरीद समझौते (पीपीए) की अनुपलब्धता के कारण राजस्थान राज्य में स्थित अपने दो पवन ऊर्जा संयंत्रों से राजस्व की पहचान नहीं की है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

30 - अन्य आय

राशि ₹ में करोड़

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
(क) ब्याज आय		
(i) उन वित्तीय परिसंपत्तियों से अर्जित ब्याज आय जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट नहीं किया गया है:		
- बैंक जमा	143.25	103.18
- कर्मचारियों को ऋण	10.17	9.25
- परिशोधित लागत पर ली गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	20.04	13.42
(ii) आयकर वापसी से अर्जित ब्याज आय	13.72	84.51
(ख) लाभांश आय		
- चालू निवेश से लाभांश	17.23	13.91
(ग) शुद्ध विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)	(8.90)	(1.59)
(घ) एफवीटीपीएल में निर्दिष्ट वित्तीय परिसंपत्तियों पर शुद्ध लाभ/(हानि)।	0.57	(0.36)
(ङ) देयताओं को वापस लिखने की अब आवश्यकता नहीं है [टिप्पणी देखें: 30.1]	8.00	23.00
(च) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की बिक्री पर शुद्ध लाभ/(हानि)।	2.56	0.44
(छ) अन्य	28.99	18.33
कुल अन्य आय	**235.63**	**264.09**

टिप्पणी : 30.1 प्रतिवेदन तारीख को 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बहियों में पड़ी दावाहीन देनदारी को वापस लिखा जाता है और आय के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

31- उपभोग की गई सामग्री की लागत

राशि ₹ में करोड़

क. कच्चा माल	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
(1) कास्टिक सोडा	1,463.37	873.17
(2) सीपी कोक	1,167.81	693.19
(3) सीटी पिच	302.72	225.98
(4) एल्युमिनियम फ्लोराइड	107.69	87.18
(5) लाइम	74.17	52.24
(6) अन्य	56.36	39.37
कुल उपभोग किया गया कच्चा माल	**3,172.12**	**1,971.13**
ख. बिजली एवं ईंधन		
(1) कोयला	2,521.56	1,502.24
(2) ईंधन तेल	1,054.24	864.58
(3) अपनी पीढ़ी पर कर्तव्य	376.92	375.05
(4) बिजली की खरीद	737.92	637.96
(5) विद्युत पारेषण शुल्क	3.05	8.65
कुल बिजली एवं ईंधन की खपत	**4,693.69**	**3,388.48**

वित्तीय विवरण (समेकित)

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

32. तैयार माल, मध्यस्थों एवं कार्य-प्रक्रिया की सूची में परिवर्तन

राशि ₹ में करोड़

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
तैयार माल		
आरंभिक भंडार		
(1) बॉक्साइट	18.54	4.34
(2) रसायन	253.91	232.28
(3) एल्युमिनियम	270.02	227.81
तैयार माल का कुल प्रारंभिक भंडार	**542.47**	**464.43**
घटाएं: अंतिम भंडार		
(1) बॉक्साइट	26.99	18.54
(2) रसायन	198.82	253.91
(3) एल्युमिनियम	236.55	270.02
तैयार माल का कुल अंतिम भंडार	462.36	542.47
तैयार माल में (अभिवृद्धि)/कमी	80.11	(78.04)
मध्यवर्ती		
आरंभिक भंडार		
एनोड	113.19	100.83
अन्य	23.48	17.74
मध्यवर्ती का कुल प्रारंभिक भंडार	136.67	118.57
घटाएं: अंतिम भंडार		
एनोड	143.00	113.19
अन्य	17.35	23.48
मध्यवर्ती का कुल समापन भंडार	**160.35**	**136.67**
(अभिवृद्धि)/मध्यस्थों में कमी	**(23.68)**	**(18.10)**
काम चालू		
आरंभिक भंडार	319.04	298.35
घटाएं: अंतिम भंडार	392.13	319.04
कार्य प्रक्रिया में (अभिवृद्धि)/कमी	**(73.09)**	**(20.69)**
माल-सूची में कुल (अभिवृद्धि)/कमी	**(16.66)**	**(116.83)**

33. कर्मचारी लाभ व्यय

राशि ₹ में करोड़

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
(क) वेतन एवं मजदूरी, बोनस सहित	1,419.98	1,968.69
(ख) भविष्य एवं अन्य निधियों में योगदान		
1) भविष्य निधि	114.77	115.87
2) ग्रेच्युटी	35.72	30.01
3) रोजगार पश्चात पेंशन योजना	103.61	104.00
(ग) कर्मचारी कल्याण व्यय	167.91	167.50
कुल कर्मचारी लाभ व्यय	**1,841.99**	**2,386.07**
घटाएँ: निर्माण के दौरान व्यय में स्थानांतरित (ईडीसी)	9.93	30.27
शुद्ध कर्मचारी लाभ व्यय	**1,832.06**	**2,355.80**

टिप्पणियाँ:

33.क. कर्मचारी लाभ योजनाएँ

33.क.1 परिभाषित योगदान योजनाएं

क) पेंशन निधि: कंपनी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) के ट्रस्टी बैंक को निश्चित योगदान का भुगतान करती है, जो बदले में संबंधित कर्मचारी द्वारा निर्दिष्ट बीमाकर्ताओं के साथ पैसा निवेश करता है। कंपनी की देनदारी केवल निश्चित अंशदान की सीमा तक ही सीमित है।

33.क.2 परिभाषित लाभ योजनाएं

क) भविष्य निधि: कंपनी की भविष्य निधि का प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 17 के तहत एक छूट प्राप्त ट्रस्ट द्वारा

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

किया जाता है। कर्मचारी एवं कंपनी दोनों एक निर्दिष्ट प्रतिशत पर भविष्य निधि में मासिक योगदान करते हैं। कर्मचारियों के वेतन का. कंपनी फंड का बड़ा हिस्सा ट्रस्ट को देती है, जो क़ानून के अनुसार स्वीकृत प्रतिभूतियों में फंड का निवेश करता है। शेष भाग सरकार द्वारा प्रशासित पेंशन फंड में योगदान दिया जाता है।

कंपनी का दायित्व है कि वह सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम रिटर्न दर का भुगतान करे। छूट की शर्त के अनुसार, ट्रस्ट के निवेश से रिटर्न एवं सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर के बीच यदि कोई कमी है तो कंपनी उसे पूरा करेगी। कंपनी द्वारा किए गए योगदान एवं ब्याज की कमी, यदि कोई हो, को कर्मचारी लाभ व्यय के तहत लाभ एवं हानि में व्यय के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

तदनुसार कंपनी ने इंड. एएस 19 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन प्राप्त कर लिया है एवं 31 मार्च 2023 एवं 31 मार्च 2022 तक ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित फंड में कोई कमी नहीं है। दायित्व का चालू मूल्य, योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य एवं अन्य प्रमुख धारणाओं का सारांश नीचे दिया गया है।

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4,009.91	4,079.57
परिभाषित लाभ दायित्वों का चालू मूल्य	3,835.87	3,920.73
ट्रस्ट के परिभाषित लाभ दायित्व से उत्पन्न होने वाली शुद्ध देयता	-	-
छूट की दर	7.17%	7.00%
वापसी की गारंटीकृत दर	8.15%	8.10%
ट्रस्ट द्वारा घोषित ब्याज दर	8.15%	8.10%

ख) **ग्रेच्युटी:** ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अनुसार कर्मचारियों को अधिकतम 20,00,000 रुपये तक की ग्रेच्युटी देय है। ग्रेच्युटी योजना कंपनी द्वारा वित्त पोषित है एवं एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है। योजना के तहत ग्रेच्युटी के दायित्व को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

ग) **सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ:** यह लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके जीवनसाथी के लिए उपलब्ध है जिन्होंने लाभ का विकल्प चुना है। कंपनी के नियम के अनुसार एक आंतरिक रोगी के रूप में चिकित्सा उपचार का लाभ कंपनी के अस्पताल/सरकारी अस्पताल से लिया जा सकता है। वे कंपनी द्वारा निर्धारित खर्चों की अधिकतम सीमा के अधीन बाह्य रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं । योजना के तहत दायित्व को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है। यह योजना कंपनी द्वारा वित्त पोषित है एवं एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है।

घ) **निपटान-लाभ:** सेवानिवृत्ति/सेवा समापन/सेवा समाप्ति पर, यदि योजना का विकल्प चुना जाता है, तो कर्मचारियों एवं/या परिवार को अंतिम मुख्यालय से गृहनगर या गृह नगर की दूरी तक निपटान के किसी अन्य स्थान तक स्थानांतरण टीए स्वीकार्य है। व्यक्तिगत वाहन का परिवहन भी स्वीकार्य होगा। इसके लिए दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

ङ) **नालको बेनेवोलेंट फंड स्कीम:** योजना का उद्देश्य कंपनी के रोजगार के दौरान मरने वाले योजना के सदस्यों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना के अनुसार, कंपनी की सेवा के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु होने पर सदस्यों द्वारा प्रति सदस्य रु.30/- की दर से योगदान दिया जाएगा एवं कंपनी द्वारा भी उतना ही योगदान किया जाएगा। इसके लिए दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

च) **नालको रिटायरमेंट वेलफेयर स्कीम:** योजना का उद्देश्य कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सद्भावना के संकेत के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी सदस्य से वसूली रु. 10/- प्रति सेवानिवृत्त सदस्य होगी। कंपनी समतुल्य योगदान के बराबर राशि प्रदान करेगी। इसके लिए दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

छ) **सेवानिवृत्ति उपहार योजना:** इस योजना का उद्देश्य कंपनी की सेवाओं से चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को मान्यता देना है। इस योजना में सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति पर प्रति सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ₹ 25000/- मूल्य की उपहार सामग्री शामिल है । इसके लिए दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

33.क.3 अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

क) **क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति :** कंपनी के अवकाश नियमों में निर्धारित अधिकतम अनुमेय सीमा के अधीन, संचित अर्जित अवकाश, अर्ध वेतन अवकाश एवं बीमारी अवकाश अलग होने पर देय है। सेवा अवधि के दौरान कंपनी के नियमानुसार संचित अवकाश के नकदीकरण की भी अनुमति है। इसके लिए दायित्व बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है। दायित्व कंपनी द्वारा वित्त पोषित है एवं एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

ख) **दीर्घ सेवा पुरस्कार :** 25 वर्ष की सेवा पूरी करने वाला कर्मचारी लंबी सेवा पुरस्कार का हकदार है जो एक महीने के मूल वेतन एवं डीए के बराबर है। इसके लिए दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

ग) **नेफ़र्स :** विकलांगता/मृत्यु की स्थिति में, योजना के तहत निर्धारित निर्धारित राशि जमा करने पर, कंपनी कर्मचारी/नामांकित व्यक्ति को अनुमानित सेवानिवृत्ति की तारीख तक उनके विकल्प पर मासिक लाभ का भुगतान करती है। इसके लिए दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

कर्मचारी लाभ योजनाएं आम तौर पर कंपनी को बीमांकिक जोखिम, निवेश जोखिम, ब्याज जोखिम, दीर्घायु जोखिम एवं वेतन जोखिम जैसे बीमांकित जोखिमों से अवगत कराती हैं: -: -

I. **बीमांकिक जोखिम:** यह जोखिम है कि कंपनी को कर्मचारी लाभ की लागत उम्मीद से अधिक होगी। यह निम्नलिखित कारणों में से किसी एक के कारण उत्पन्न हो सकता है:

   क. **प्रतिकूल वेतन वृद्धि अनुभव:** अनुमानित वेतन वृद्धि से अधिक वेतन वृद्धि के परिणामस्वरूप दायित्व में अपेक्षा से अधिक दर से वृद्धि होगी।

   ख. **मृत्यु दर में परिवर्तनशीलता:** यदि वास्तविक मृत्यु दर अनुमानित मृत्यु दर अनुमान से अधिक है तो ग्रेच्युटी लाभ का भुगतान अपेक्षा से पहले किया जाएगा। चूँकि मृत्यु लाभ पर निहित होने की कोई शर्त नहीं है, नकदी प्रवाह में तेजी से अनुमानित वेतन वृद्धि एवं छूट दर के सापेक्ष मूल्यों के आधार पर बीमांकिक हानि या लाभ होगा।

   ग. **निकासी दरों में परिवर्तनशीलता:** यदि वास्तविक निकासी दरें अनुमानित निकासी दर धारणा से अधिक हैं तो ग्रेच्युटी लाभ का भुगतान अपेक्षा से पहले किया जाएगा। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि इस्तीफे की तारीख पर लाभ निहित हैं या नहीं।

II. **निवेश जोखिम:** वित्त पोषित योजनाओं के लिए जो परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए बीमाकर्ताओं पर निर्भर हैं, बीमाकर्ता द्वारा प्रमाणित परिसंपत्तियों का मूल्य देयता का समर्थन करने वाले उपकरणों का उचित मूल्य नहीं हो सकता है। ऐसे मामलों में, परिसंपत्तियों का चालू मूल्य भविष्य की छूट दर से स्वतंत्र है। यदि अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान छूट दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं तो इसके परिणामस्वरूप शुद्ध देयता या वित्त पोषित स्थिति में व्यापक उतार-चढ़ाव हो सकता है।

iii. **ब्याज जोखिम:** परिभाषित लाभ दायित्व की गणना सरकारी बांड के आधार पर छूट दर का उपयोग करती है। यदि बांड की पैदावार गिरती है, तो परिभाषित लाभ दायित्व में वृद्धि होगी।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

iv. **दीर्घायु जोखिम:** परिभाषित लाभ योजना दायित्व के चालू मूल्य की गणना योजना प्रतिभागियों की उनके रोजगार के दौरान एवं बाद में मृत्यु दर के सर्वोत्तम अनुमान के संदर्भ में की जाती है। योजना प्रतिभागियों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

v. **वेतन जोखिम:** परिभाषित लाभ योजना दायित्व के चालू मूल्य की गणना योजना प्रतिभागियों के भविष्य के वेतन के संदर्भ में की जाती है। इस प्रकार, योजना प्रतिभागियों के वेतन में अनुमानित योजना से अधिक वृद्धि से योजना की देनदारी बढ़ जाएगी।

बीमांकिक मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणाएँ इस प्रकार थीं:

	मूल्यांकन के रूप में	
	31.03.2023	**31.03.2022**
छूट दर (रें)	7.17%	7.00%
वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर	6.65%	6.65%
मृत्यु दर	आईएएलएम 2012-2014 अल्टीमेट	आईएएलएम 2012-2014 अल्टीमेट
संघर्षण दर	1%	1%

इन परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में लाभ एवं हानि के विवरण में पहचानी गई राशियाँ इस प्रकार हैं: **राशि ₹ में करोड़**

सेवा लागत :	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष**
- चालू सेवा लागत	(43.29)	(35.10)
- पिछली सेवा लागत एवं निपटान से (लाभ)/हानि	42.22	17.36
- शुद्ध ब्याज व्यय	(9.10)	(10.91)
परिभाषित लाभ लागत के घटकों को लाभ एवं हानि के विवरण में स्वीकृति दी गई है	(10.17)	(28.65)
शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व का पुनर्माप :		
शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व पर वापसी	**(1.35)**	**4.68**
वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	**8.71**	**24.61**
अनुभव की धारणाओं से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	23.79	17.96
अन्य		
परिभाषित लाभ परिसंपत्ति पर प्रतिबंधों के लिए समायोजन		
परिभाषित लाभ लागत के घटकों को अन्य व्यापक आय में स्वीकृति दी गई है	**31.15**	**47.25**
कुल	**20.98**	**18.60**

अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में इकाई के दायित्व से उत्पन्न होने वाली तुलन पत्र में शामिल राशि इस प्रकार है:

	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबीएस-वित्त पोषित)	**स्थायीकरण-लाभ**	**नालको बेनेवोलेंट फंड स्कीम**	**नालको रिटायरमेंट वेलफेयर स्कीम**	**सेवानिवृत्ति उपहार योजना**	**ग्रेच्युटी (वित्त पोषित)**
31 मार्च 2022						
परिभाषित लाभ दायित्व का चालू मूल्य	(162.31)	(17.51)	(2.63)	(11.78)	(6.53)	(532.70)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-					554.86
परिभाषित लाभ दायित्व से उत्पन्न होने वाली शुद्ध देयता	(162.31)	(17.51)	(2.63)	(11.78)	(6.53)	22.16
31 मार्च 2023						
परिभाषित लाभ दायित्व का चालू मूल्य	(171.28)	(15.88)	(2.51)	(10.98)	(5.85)	(483.42)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	160.85					510.14
परिभाषित लाभ दायित्व से उत्पन्न होने वाली शुद्ध देयता	(10.43)	(15.88)	(2.51)	(10.98)	(5.85)	26.72

परिभाषित लाभ दायित्वों के चालू मूल्य में परिवर्तन इस प्रकार हैं:

	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबीएस)	**स्थायीकरण-लाभ**	**नालको बेनेवोलेंट फंड स्कीम**	**नालको रिटायरमेंट वेलफेयर स्कीम**	**सेवानिवृत्ति उपहार योजना**	**ग्रेच्युटी (वित्त पोषित)**
01 अप्रैल, 2021 तक परिभाषित लाभ दायित्वों का शेष	(155.35)	(19.58)	(2.73)	(12.38)	(7.16)	(595.80)
चालू सेवा लागत	-	(2.94)	-	-	-	(32.16)
ब्याज लागत	(10.46)	(1.17)	(0.16)	(0.79)	(0.47)	(38.82)
पुनर्मूल्यांकन (लाभ)/नुकसान						
वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	1.33	0.39	0.05	0.25	0.20	22.39
धारणा अनुभव से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(9.58)	0.04	(0.62)	(1.01)	-	29.13
लाभ का भुगतान किया गया	11.75	5.75	0.83	2.15	0.90	82.56
31 मार्च, 2022 तक परिभाषित लाभ दायित्व का समापन	(162.31)	(17.51)	(2.63)	(11.78)	(6.53)	(532.70)

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

						राशि ₹ में करोड़
	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबीएस)	स्थायीकरण-लाभ	नालको बेनेवोलेंट फंड स्कीम	नालको रिटायरमेंट वेलफेयर स्कीम	सेवानिवृत्ति उपहार योजना	ग्रेच्युटी (वित्त पोषित)
चालू सेवा लागत	-	(3.00)	-	-	-	(40.29)
ब्याज लागत	(11.19)	(1.10)	(0.18)	(0.77)	(0.43)	(35.21)
पुनर्मूल्यांकन (लाभ)/नुकसान						
वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	2.93	0.15	0.02	0.11	0.07	5.43
अनुभव धारणाओं से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(13.19)	1.24	0.03	(0.59)	0.10	36.20
लाभ का भुगतान	12.48	4.34	0.25	2.05	0.94	83.15
31 मार्च, 2023 को परिभाषित लाभ दायित्व का समापन	**(171.28)**	**(15.88)**	**(2.51)**	**(10.98)**	**(5.85)**	**(483.42)**

33. कर्मचारी लाभ व्यय

राशि करोड़ रु. में

योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन इस प्रकार हैं:

	पीआरएमबीएस (वित्त पोषित)	ग्रेच्युटी (वित्त पोषित)
01 अप्रैल, 2021 तक योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य खोलना	-	585.17
ब्याज आय	-	40.96
पुनर्मापन लाभ/(हानि)	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न (शुद्ध ब्याज आय में शामिल राशि को छोड़कर)	-	4.68
अन्य	-	-
नियोक्ता से योगदान	-	6.61
लाभ का भुगतान किया गया	-	(82.56)
31 मार्च, 2022 को योजना परिसंपत्तियों का अंतिम उचित मूल्य	-	554.86
ब्याज आय	3.78	39.78
पुनर्मापन लाभ/(हानि)		
योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न (शुद्ध ब्याज आय में शामिल राशि को छोड़कर)		(1.35)
नियोक्ता से योगदान	169.55	-
लाभ का भुगतान	(12.48)	(83.15)
अन्य	-	-
31 मार्च, 2023 को योजना परिसंपत्तियों का अंतिम उचित मूल्य	**160.85**	**510.14**

प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रतिवेदन अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य इस प्रकार है:

	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य			
	पीआरएमबीएस		ग्रेच्युटी	
	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
निधियों में निवेश:				
1. बीमा कंपनियाँ	160.85	-	510.14	554.86
कुल	**160.85**	**-**	**510.14**	**554.86**

वित्तीय विवरण (समेकित)

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

33.ग - परिभाषित लाभ योजनाओं का संवेदनशीलता विश्लेषण

परिभाषित लाभ योजना के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण बीमांकिक धारणाएँ छूट दर, अपेक्षित वेतन वृद्धि, क्षरण दर एवं मृत्यु दर हैं। नीचे दिया गया संवेदनशीलता विश्लेषण अन्य सभी धारणाओं को स्थिर रखते हुए प्रतिवेदन अवधि के अंत में होने वाली संबंधित धारणाओं के उचित संभावित परिवर्तनों पर आधारित है ।

संवेदनशीलता का विश्लेषण

विवरण	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबीएस-वित्त पोषित)		स्थायीकरण-लाभ		नालको बेनेवोलेंट फंड स्कीम	
2021-22	**का इजाफ़ा**	**द्वारा कम करें**	**का इजाफ़ा**	**द्वारा कम करें**	**का इजाफ़ा**	**द्वारा कम करें**
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	4.69	4.79	0.51	0.52	0.07	0.07
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.89%	2.95%	2.89%	2.95%	2.71%	2.76%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	0.19	0.19	0.02	0.02	0.06	0.06
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	2.42%	2.37%
क्षय दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	0.19	0.19	0.02	0.02	-	-
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.15%	0.15%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	0.75	0.75	0.08	0.08	0.01	0.01
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.46%	0.46%	0.46%	0.46%	0.26%	0.26%

विवरण	नालको रिटायरमेंट वेलफेयर स्कीम		सेवानिवृत्ति उपहार योजना		ग्रेच्युटी (वित्त पोषित)	
2021-22	**निम्न से वृद्धि**	**निम्न से कमी**	**निम्न से वृद्धि**	**निम्न से कमी**	**निम्न से वृद्धि**	**निम्न से कमी**
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	0.32	0.33	0.18	0.18	17.57	16.45
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.71%	2.76%	2.71%	2.76%	3.30%	3.09%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	0.29	0.28	0.16	0.15	3.90	16.45
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.42%	2.37%	2.42%	2.37%	0.73%	3.09%
क्षय दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	0.02	0.02	0.01	0.01	0.11	16.45
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.02%	3.09%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	0.03	0.03	0.02	0.02	0.50	0.50
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.09%	0.09%

विवरण	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबीएस-वित्त पोषित)		स्थायीकरण-लाभ		नालको बेनेवोलेंट फंड स्कीम	
2022-23	**निम्न से वृद्धि**	**निम्न से कमी**	**निम्न से वृद्धि**	**निम्न से कमी**	**निम्न से वृद्धि**	**निम्न से कमी**
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	4.95	5.05	0.47	0.46	0.07	0.07
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.89%	2.95%	2.95%	2.89%	2.71%	2.76%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	-	-	0.38	0.38	0.06	0.06
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	-	-	0.02	0.02	2.42%	2.37%
क्षय दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	0.21	0.21	0.02	0.02	-	-
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.15%	0.15%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	0.79	0.79	0.07	0.07	0.01	0.01
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.46%	0.46%	0.46%	0.46%	0.26%	0.26%

विवरण	नालको रिटायरमेंट वेलफेयर स्कीम		सेवानिवृत्ति उपहार योजना		ग्रेच्युटी (वित्त पोषित)	
2022-23	**निम्न से वृद्धि**	**निम्न से कमी**	**निम्न से वृद्धि**	**निम्न से कमी**	**निम्न से वृद्धि**	**निम्न से कमी**
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	0.30	0.30	0.16	0.16	16.34	15.30
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.71%	2.76%	2.71%	2.76%	3.38%	3.16%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	0.27	0.26	0.14	0.14	3.28	2.91
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.42%	2.37%	2.42%	2.37%	0.68%	0.60%
क्षय दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	0.02	0.02	0.01	0.01	0.13	0.13
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.03%	0.03%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	0.03	0.03	0.02	0.02	0.51	0.52
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.11%	0.11%

ऊपर प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि स्वीकृतियों में परिवर्तन एक दूसरे के अलगाव में होगा क्योंकि कुछ धारणाएं सहसंबद्ध हो सकती हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

इसके अलावा, उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण प्रस्तुत करने में, परिभाषित लाभ दायित्व के चालू मूल्य की गणना प्रतिवेदन अवधि के अंत में अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की गई है, जो कि तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ दायित्व दायित्व की गणना में लागू मूल्य के समान है। .

पिछले वर्षों की तुलना में संवेदनशीलता विश्लेषण तैयार करने में उपयोग की जाने वाली विधियों एवं स्वीकृतियों में कोई बदलाव नहीं आया है।

34 - वित्त लागत		राशि करोड़ रु. में
	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
वित्त लागत		
क. पट्टे की देयताओं पर ब्याज व्यय	4.08	4.13
ख. अग्रिम आयकर के भुगतान में कमी पर ब्याज	(5.05)	7.62
ग. अन्य	13.89	11.38
कुल वित्त लागत	**12.92**	**23.13**

टिप्पणी: 34.1 अन्य वित्त लागत में देयताओं को खत्म करने के लिए ब्याज लागत को कम करना एवं खान व परिशोधक कॉम्प्लेक्स, दमनजोडी में तैनात सीआईएसएफ के जोखिम एवं कठिनाई भत्ते पर ब्याज का प्रावधान शामिल है ।

35. अन्य व्यय		राशि करोड़ रु. में
	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
(क) भंडार एवं पुर्जों की खपत	443.69	381.26
(ख) मरम्मत एवं रखरखाव		
(1) भवन	68.36	55.43
(2) मशीनरी	209.60	170.73
(3) अन्य	26.20	25.50
(ग) अन्य विनिर्माण व्यय		
(1) जल शुल्क	34.55	34.57
(2) रॉयल्टी	414.30	435.51
(3) जिला खनिज निधि एवं राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट में योगदान	66.29	69.68
(4) अन्य	126.26	105.60
(घ) माल ढुलाई एवं संचालन शुल्क		
(1) आने वाली सामग्री (एल्यूमिना)	123.84	118.96
(2) बाहर जाने वाली सामग्री	130.71	172.41
(ङ) लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक एवं जेब से खर्च		
(i) लेखापरीक्षक के रूप में	0.45	0.45
(ii) कराधान मामलों के लिए	0.09	0.08
(iii) अन्य सेवाओं के लिए	0.39	0.36
(iv) व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.01	-
(च) लागत लेखा परीक्षकों को भुगतान	0.05	0.03
(छ) सुरक्षा एवं अग्निशमन व्यय	164.31	150.96
(ज) निगम सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय [टिप्पणी 35.1 देखें]	39.54	36.91
(झ) प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	118.74	101.88
(ञ) नवीकरणीय खरीद दायित्व	26.03	51.84
(ट) बिक्री एवं वितरण व्यय	24.36	33.43
(ठ) इन्वेंटरी, दावे आदि को बट्टे खाते में डालना	3.26	1.68
(ड) संपत्ति संयंत्र एवं उपकरणों को बट्टे खाते में डालना	11.55	8.27
(ढ) अशोध्य एवं संदिग्ध प्रावधान/(प्रतिलेखन)	36.45	46.03
(ण) अन्य	56.54	63.93
(1) किराया	0.80	0.79
(2) दरें एवं कर	3.72	4.01
(3) बीमा शुल्क	16.94	17.80
(4) अन्य विविध व्यय	35.08	41.33
कुल अन्य व्यय	**2,125.57**	**2,065.50**

वित्तीय विवरण (समेकित)

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

टिप्पणी:

35.1 निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय।

क) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक सकल राशि रु. 36.64 करोड़ है (31 मार्च, 2022 को रु. 28.60 करोड़ है)

ख) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि

i)	परिसंपत्तियों का निर्माण/अर्जन	₹शून्य करोड़ (पिछले वर्ष रु. शून्य)
ii)	उपरोक्त (i) के अलावा	₹39.54 करोड़ से ऊपर (पिछले वर्ष ₹ 36.91 करोड़)
	कुल	**₹39.54 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 36.91 करोड़)**

36. आयकर

36.1 लाभ या हानि में स्वीकृत आयकर

राशि करोड़ रु. में

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
चालू कर		
चालू वर्ष के संबंध में	475.47	1061.63
पूर्व वर्षों के संबंध में	(181.06)	(9.88)
	294.41	1,051.75
आस्थगित कर		
चालू वर्ष के संबंध में	116.09	(48.85)
	116.09	(48.85)
चालू वर्ष में मान्यता प्राप्त कुल आयकर व्यय	**410.50**	**1,002.90**

वर्ष के लिए आयकर व्यय को लेखांकन लाभ के साथ निम्नानुसार समेटा जा सकता है:

कर पूर्व लाभ	**1,954.99**	**3,954.87**
उस पर आयकर व्यय @ 25.168%	492.03	995.36
निम्न का कर प्रभाव :		
i) अस्वीकार्य व्यय (स्थायी अंतर)	20.37	21.26
ii) किए गए व्यय से अधिक स्वीकार्य व्यय	(63.48)	(16.15)
iii) पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन	(181.06)	(9.88)
iv) अन्य	142.64	12.31
आयकर व्यय को लाभ या हानि में मान्यता दी गई	**410.50**	**1,002.90**

36.2 आयकर को अन्य व्यापक आय में स्वीकृति

राशि करोड़ रु. में

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
परिभाषित लाभ दायित्वों के पुनर्माप लाभ या हानि पर कर		
- चालू कर	-	-
- आस्थगित कर	26.50	(23.30)
कुल आयकर को अन्य व्यापक आय में स्वीकृति	26.50	(23.30)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त आयकर का विभाजन:		
वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा	-	-
वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	26.50	(23.30)

टिप्पणी:

कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीएए के अनुसरण में, कंपनी के पास अन्य कर प्रोत्साहनों एवं गैर-प्रयोज्यता को छोड़कर कम कर दर में स्थानांतरित होने का एक अपरिवर्तनीय विकल्प था। न्यूनतम वैकल्पिक कर का. कंपनी ने करों की कम दरों के लिए उक्त विकल्प का प्रयोग किया एवं तदनुसार करों को मान्यता दी गई है। चालू वर्ष के लिए लागू दर 25.168% (पिछले वर्ष 25.168%) है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

37 - खंड जानकारी

37.1 उत्पाद जिनसे रिपोर्ट योग्य खंड अपना राजस्व प्राप्त करते हैं

संसाधन आवंटन एवं खंड प्रदर्शन के मूल्यांकन के उद्देश्य से चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर (सीओडीएम) को दी गई जानकारी वितरित किए गए सामान के प्रकार पर केंद्रित है। कंपनी के निदेशकों ने उत्पादों में अंतर के आधार पर कंपनी को संगठित करने का विकल्प चुना है। कंपनी में प्रतिवेदन करने योग्य खंडों तक पहुंचने के लिए किसी भी प्रतिवेदन खंड को एकत्रित नहीं किया गया है। विशेष रूप से, इंड. एएस 108-ऑपरेटिंग सेगमेंट के तहत कंपनी के रिपोर्ट योग्य सेगमेंट इस प्रकार हैं:

i) रासायनिक खंड

ii) एल्यूमिनियम खंड

कंपनी ने रसायन एवं एल्यूमीनियम को दो प्राथमिक परिचालन व्यवसाय खंड माना है। रसायनों में कैलक्लाइंड एल्यूमिना, एल्यूमिना हाइड्रेट एवं अन्य संबंधित उत्पाद शामिल हैं। एल्यूमीनियम में एल्यूमीनियम सिल्लियां, तार की छड़ें, बिलेट्स, स्ट्रिप्स, रोल्ड एवं अन्य संबंधित उत्पाद शामिल हैं । एल्यूमिना के उत्पादन के लिए कैप्टिव खपत के लिए उत्पादित बॉक्साइट को रसायनों के अंतर्गत शामिल किया गया है एवं एल्यूमीनियम के उत्पादन के लिए कैप्टिव खपत के लिए उत्पन्न बिजली को एल्यूमीनियम खंड के अंतर्गत शामिल किया गया है। संभावित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का दोहन करने के लिए मुख्य रूप से चालू किए गए पवन ऊर्जा संयंत्र को अनावंटित सामान्य खंड में शामिल किया गया है।

37.2 खंड राजस्व एवं परिणाम

प्रतिवेदन योग्य खंड द्वारा कंपनी के राजस्व एवं परिचालन के परिणामों का विश्लेषण निम्नलिखित है:

राशि करोड़ रु. में

	राजस्व खंड	
संचालन खंड	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष**
रासायनिक खंड	5,583.72	5,384.87
एल्यूमिनियम खंड	**10,245.79**	**10,183.69**
अआवंटित	72.61	57.83
संचालन के लिए कुल	**15,902.12**	**15,626.39**
घटाएं: अंतरखंड राजस्व	1,647.26	1,411.81
संचालन से राजस्व	**14,254.86**	**14,214.58**

	राजस्व खंड	
संचालन खंड	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष**
रासायनिक खंड	383.59	1,127.41
एल्यूमिनियम खंड	1,778.73	3,257.20
असाधारण वस्तुओं, ब्याज एवं कर से पहले खंड परिणाम	2,162.32	4,384.61
ब्याज एवं वित्तपोषण शुल्क	12.92	23.13
ब्याज एवं लाभांश आय	204.98	223.91
अन्य अनावंटित आय, अनाबंटित व्ययों को घटाकर	(399.39)	(630.52)
संयुक्त उद्यम के लाभ/(हानि) की भागीदारी	(109.83)	(0.56)
कर पूर्व लाभ	**1,954.99**	**3,954.87**

37.3 खंड परिसंपत्तियां एवं देयताएं

राशि करोड़ रु. में

	खंड परिसंपत्तियां		खंड देयताएं	
	31.03.2023 को	**31.03.2022 को**	**31.03.2023 को**	**31.03.202 को**
रासायनिक खंड	4,675.42	4,353.60	1,355.43	1,529.51
एल्यूमिनियम खंड	5,820.19	5,667.36	1,595.94	1,679.11
कुल खंड संपत्तियां एवं देयताएं	10,495.61	10,020.96	2,951.37	3,208.62
आवंटित नहीं की गई	7,243.08	7,467.87	1,548.87	1,725.57
कुल संपत्ति एवं देयताएं	17,738.69	17,488.83	4,500.24	4,934.19

37.4 अन्य खंड जानकारी

राशि करोड़ रु. में

	मूल्यह्रास एवं परिशोधन		गैर-चालू परिसंपत्तियों में परिवर्धन	
	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष**
रासायनिक खंड	228.32	229.08	121.85	51.62
एल्यूमिनियम खंड	312.48	296.95	24.75	26.12
आवंटित नहीं की गई	175.00	310.55	1,287.08	310.80
संचालन के लिए कुल	715.80	836.59	1,433.68	388.54

	सामग्री गैर-नकद व्यय	
	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष**
रासायनिक खंड	(78.26)	(244.48)
एल्यूमिनियम खंड	(71.64)	(182.75)
आवंटित नहीं की गई	38.29	36.97
	(111.61)	(390.26)

वित्तीय विवरण (समेकित)

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

37.5 प्रमुख उत्पादों से राजस्व

निम्नलिखित कंपनी के प्रमुख उत्पादों एवं सेवाओं से परिचालन जारी रखने से प्राप्त राजस्व का विश्लेषण है:

राशि करोड़ रु. में

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
रासायनिक खंड (हाइड्रेट एवं एल्यूमिना)	3,908.07	3,943.08
एल्यूमीनियम खंड (एल्यूमीनियम)	10,200.76	10,070.16
	14,108.83	14,013.24

37.6 प्रमुख ग्राहक से राजस्व

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए किसी भी एकल ग्राहक का कंपनी के राजस्व में 10% से अधिक का योगदान नहीं है। 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एक ग्राहक का राजस्व रु. 2,043.35 करोड़ था, जो रासायनिक खंड में की गई बिक्री से उत्पन्न हुआ था। किसी अन्य ग्राहक ने राजस्व में 10% से अधिक का योगदान नहीं दिया।

37.7 भौगोलिक जानकारी

कंपनी मुख्य रूप से प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों -भारत (निवास का देश) एवं भारत के बाहर में काम करती है:

राशि करोड़ रु. में

	बाहरी ग्राहकों से राजस्व		गैर चालू परिसंपत्तियां	
	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को	31.03.2022 को
भारत	9,892.07	7,649.09	12,329.80	11,005.95
भारत के बाहर	4,216.76	6,364.15	-	-
कुल	14,108.83	14,013.24	12,329.80	11,005.95

38. प्रति शेयर आय

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष प्रति शेयर	31.03.2022 को समाप्त वर्ष प्रति शेयर
38.1 प्रति शेयर मूल आय (रु.)		
कुल संचालन से	7.81	16.07
प्रति शेयर कुल मूल आय	7.81	16.07

38.2 प्रति शेयर मूल आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना में उपयोग की जाने वाली आय एवं इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या इस प्रकार है :

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
कंपनी के मालिकों को देय वर्ष का लाभ	1,434.66	2,951.41
प्रति शेयर मूल आय की गणना में उपयोग की जाने वाली आय	**1,434.66**	**2,951.41**
	31.03.2023 को	**31.03.2022 को**
प्रति शेयर मूल आय की गणना में उपयोग की जाने वाली इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	**1,83,66,31,787**	**1,83,66,31,787**

39 - वित्तीय साधन

राशि करोड़ रु. में

39.1 वित्तीय साधनों की श्रेणियाँ		**राशि करोड़ रु. में**
	31.03.2023 को	**31.03.2022 को**
वित्तीय परिसंपत्तियां		
लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा गया (एफवीटीपीएल)		
(क) अनिवार्य रूप से मापा गया:		
(i) म्यूचुअल फंड में निवेश	145.58	64.01
(ii) विदेशी मुद्रा पर वायदा अनुबंध	शून्य	शून्य
परिशोधन लागत पर मापा गया		
(क) नकद एवं बैंक शेष	63.29	412.80
(ख) परिशोधन लागत पर अन्य वित्तीय संपत्तियां	2,541.21	3,852.32
	2,750.08	4,329.13
वित्तीय देयताएं		
परिशोधन लागत पर मापा गया	2,179.34	2,146.73

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

39.2 वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य

अपने व्यवसाय के दौरान, कंपनी को मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, ब्याज दरों, इक्विटी कीमतों, तरलता एवं क्रेडिट जोखिम में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, जो इसके वित्तीय साधनों के उचित मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। कंपनी की एक जोखिम प्रबंधन नीति है जो न केवल विदेशी मुद्रा जोखिमों को कवर करती है बल्कि वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं जैसे ब्याज दर जोखिम एवं क्रेडिट जोखिम से जुड़े अन्य जोखिमों को भी कवर करती है।

कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सुनिश्चित करना है:

i) वित्तीय स्थिरता के साथ सतत व्यापार वृद्धि;

ii) प्रबंधन संगठन संरचना सहित रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप कंपनी की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के लिए एक रणनीतिक ढांचा प्रदान करना ;

iii) कंपनी के सभी भौतिक जोखिम जोखिम, तुलन पत्र पर एवं बाहर दोनों की पहचान की जाती है, मूल्यांकन किया जाता है, मात्रा निर्धारित की जाती है, उचित रूप से कम किया जाता है एवं प्रबंधित किया जाता है एवं

iv) कंपनी द्वारा उचित नियमों का अनुपालन, जहां भी लागू हो, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को स्वैच्छिक रूप से अपनाने के माध्यम से, जहां तक संचालन की प्रकृति, आकार एवं जटिलता के लिए उपयुक्त हो सकता है।

जोखिम प्रबंधन नीति को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है। आंतरिक नियंत्रण टीम जोखिम प्रबंधन प्रणाली की प्रभावकारिता एवं कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार होगी। यह प्रत्येक तिमाही में लेखापरीक्षा समिति को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करेगा। बोर्ड कंपनी की जोखिम प्रबंधन की समग्र प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है। इसलिए, बोर्ड अनुपालन एवं जोखिम प्रबंधन नीति एवं उसमें किसी भी संशोधन को मंजूरी देगा एवं इसका सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।

39.3 बाजार जोखिम

बाजार जोखिम भविष्य की आय (स्प्रेड), वसूली योग्य उचित मूल्य (आर्थिक मूल्य) या भविष्य के नकदी प्रवाह में किसी भी नुकसान का जोखिम है जो वित्तीय साधन की कीमत में बदलाव के परिणामस्वरूप हो सकता है। किसी वित्तीय साधन का मूल्य ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, तरलता एवं अन्य बाजार परिवर्तनों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप बदल सकता है। कंपनी को बिक्री आय एवं जुटाई गई धनराशि एवं ऋण चुकौती /पूर्व भुगतान से उत्पन्न होने वाले नकदी प्रवाह में बेमेल से उत्पन्न होने वाले तरलता जोखिम का भी सामना करना पड़ सकता है। भविष्य की विशिष्ट बाज़ार गतिविधियों की सामान्यतः उचित सटीकता के साथ भविष्यवाणी नहीं की जा सकती।

39.4 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

विदेशी मुद्रा जोखिम विदेशी मुद्रा लेनदेन पर विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के प्रभाव से उत्पन्न होता है। मुद्रा जोखिम प्रबंधन का समग्र उद्देश्य विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली कंपनी की आय की रक्षा करना है। कंपनी की नीति किसी भी प्रकार की मुद्रा सट्टेबाजी से बचना है। मुद्रा एक्सपोज़र की हेजिंग या तो स्वाभाविक रूप से ऑफसेटिंग या समान मुद्रा की परिसंपत्तियों एवं देयताओं के मिलान के माध्यम से, या उसके अभाव में, प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ लेनदेन किए गए अनुमोदित व्युत्पन्न उपकरणों के उपयोग के माध्यम से की जाएगी। मुद्रा जोखिम को कंपनी की परिचालन मुद्रा अर्थात् आईएनआर की तुलना में संबंधित मुद्राओं में खुली स्थिति के संदर्भ में मापा जाता है। मुद्रा बेमेल के कारण अंतर का पता लगाने के लिए एक मुद्रा अंतर विवरण तैयार किया जाएगा।

विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव का आय विवरण एवं इक्विटी पर प्रभाव पड़ सकता है, जहां कोई भी लेनदेन एक से अधिक मुद्रा का संदर्भ देता है या जहां संपत्ति/देयताएं संबंधित समेकित संस्थाओं की प्रकार्यात्मक मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा में अंकित होती हैं ।

कंपनी विदेशी मुद्रा में लेनदेन करती है; परिणामस्वरूप, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का जोखिम उत्पन्न होता है। विदेशी मुद्रा अनुबंधों का उपयोग करके अनुमोदित नीति मापदंडों के भीतर विनिमय दर का प्रबंधन किया जाता है।

प्रतिवेदन अवधि के अंत में कंपनी की विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक संपत्ति एवं मौद्रिक देयताओं की अग्रणीत राशि इस प्रकार है :-

राशि करोड़ रु. में

	देयताएं के रूप में		संपत्ति के रूप में	
	31.03.2023	**31.03.2022**	**31.03.2023**	**31.03.2022**
यूएसडी	79.13	27.60	13.03	144.72
यूरो	30.06	21.36	-	-
अन्य	0.13	-	-	-

वित्तीय विवरण (समेकित)

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

39.4.1 विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी विनिमय दर जोखिमों के जोखिम का आकलन करके विदेशी विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के प्रभाव का मूल्यांकन करती है। यह अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों के अनुसार व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का उपयोग करके इन जोखिमों के एक हिस्से की हेजिंग करता है।

प्रत्येक मुद्रा के लिए विदेशी विनिमय दर संवेदनशीलता की गणना एक मुद्रा के शुद्ध विदेशी विनिमय दर एक्सपोजर के एकत्रीकरण एवं एक साथ समानांतर विदेशी विनिमय दरों में प्रत्येक मुद्रा की विदेशी विनिमय दरों में 10% बदलाव से की जाती है।

निम्नलिखित विश्लेषण प्रासंगिक तुलन पत्र तिथियों के सकल जोखिम पर आधारित है, जो आय विवरण को प्रभावित कर सकता है। समेकित विदेशी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के अनुवाद के कारण आय विवरण में कोई जोखिम नहीं है।

निम्नलिखित तालिका 31 मार्च, 2023 एवं 31 मार्च, 2022 को विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र से संबंधित जानकारी प्रदान करती है:

				राशि करोड़ रु. में
	यूएसडी प्रभाव		यूरो प्रभाव	
	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष के लाभ या हानि पर प्रभाव	(6.6)	11.7	3.01	2.14

39.5 अन्य मूल्य जोखिम

39.5.1 इक्विटी मूल्य संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी इक्विटी उपकरणों से उत्पन्न होने वाले इक्विटी मूल्य जोखिम के संपर्क में नहीं है क्योंकि सभी इक्विटी निवेश व्यापारिक उद्देश्यों के बजाय रणनीतिक उद्देश्यों के लिए रखे जाते हैं।

39.6 ऋण जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम, अनुबंध की शर्तों या दायित्वों के अनुसार ऋण चुकाने या भुगतान करने में प्रतिपक्ष की विफलता से उत्पन्न वित्तीय हानि का जोखिम है। क्रेडिट जोखिम में डिफ़ॉल्ट का प्रत्यक्ष जोखिम एवं क्रेडिट योग्यता में गिरावट के जोखिम के साथ-साथ एकाग्रता जोखिम दोनों शामिल हैं। कोई महत्वपूर्ण ऋण जोखिम नहीं है क्योंकि ग्राहक से अग्रिम वसूली की जाती है।

वित्तीय उपकरण जो क्रेडिट जोखिम की सांद्रता के अधीन हैं, उनमें मुख्य रूप से ऋण एवं प्राप्य, व्यापार प्राप्य, ऋण एवं अग्रिम एवं व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण के रूप में वर्गीकृत निवेश शामिल हैं। कंपनी के किसी भी वित्तीय उपकरण के परिणामस्वरूप क्रेडिट जोखिमों की भौतिक सांद्रता नहीं होती है।

39.7 तरलता जोखिम प्रबंधन

तरलता जोखिम उस जोखिम को संदर्भित करता है कि कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा नहीं कर सकती है। तरलता जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य पर्याप्त तरलता बनाए रखना एवं यह सुनिश्चित करना है कि आवश्यकता के अनुसार उपयोग के लिए धन उपलब्ध है।

कंपनी ने कंपनी की अल्पकालिक, मध्यम अवधि एवं दीर्घकालिक फंडिंग तरलता प्रबंधन आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए एक उपयुक्त तरलता जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित किया है। कंपनी पूर्वानुमान एवं वास्तविक नकदी प्रवाह की लगातार निगरानी करके एवं वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताएं की परिपक्वता प्रोफाइल का मिलान करके पर्याप्त भंडार एवं बैंकिंग सुविधाएं बनाए रखकर तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है।

40. संबंधित पक्ष के प्रकटीकरण

40.1 संबंधित पक्ष

क. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

I) पूर्णकालिक निदेशक

(क) श्री श्रीधर पात्र अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(ख) श्री राधाश्याम महापात्र निदेशक (मानव संसाधन)
(ग) श्री मनसा प्रसाद मिश्रा निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)
(घ) श्री बिजय कुमार दास निदेशक (उत्पादन) [31.01.2023 तक]
(ङ) श्री रमेश चंद्र जोशी निदेशक (वित्त)
(च) श्री सदाशिव सामंतराय निदेशक (वाणिज्यिक)
(छ) श्री पंकज कुमार शर्मा निदेशक (उत्पादन) [प्रभावी . 01.02.2023]

अन्य
श्री एन. के. महान्ति समूह महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

II) अंशकालिक आधिकारिक निदेशक: (भारत सरकार द्वारा नामित):

(क) श्री संजय लोहिया , आईएएस
(ख) डॉ. वीणा कुमारी डेरमल, आईपीओएस

(III) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक:

(क) श्री रवि नाथ झा
(ख) डॉ. बीआर रामकृष्ण
(ग) अधिवक्ता जॉर्ज कुरियन
(घ) डॉ. अजय नारंग
(ङ) श्री वाईपी चिलिओ
(च) सुश्री (डॉ.) शतरूपा
(छ) अधिवक्ता. दुष्यंत उपाध्याय
(ज) श्री संजय रमनलाल पटेल

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

ख. संयुक्त उद्यम

(क) अनुगुळ एल्यूमीनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड
(ख) जीएसीएल नालको अल्कलिस एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
(ग) उत्कर्ष एल्यूमीनियम धातु निगम लिमिटेड
(घ) खानिज बिदेश इंडिया लिमिटेड

ग. रोजगार पश्चात लाभ योजना

(क) नालको एम्पलॉईज प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट
(ख) नालको एम्पलॉइज ग्रुप ग्रेच्युटी ट्रस्ट
(ग) नालको एम्पलॉइज लीव रूल बेनिफिट ट्रस्ट
(घ) नालको एम्पलॉईज पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट ट्रस्ट

घ. (क) केएमपी के रूप में पहचाने गए व्यक्ति द्वारा नियंत्रित इकाई

(क) नालको फाउंडेशन

ङ. सरकार जिसका नियंत्रण या महत्व प्रभाव हो:

(क) भारत सरकार

च. संस्थाएं जिन पर भारत सरकार का नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव है (सीपीएसई)

वर्ष के दौरान कंपनी का निम्नलिखित सीपीएसई/ सरकारी उपक्रम के साथ व्यापारिक लेनदेन है।

i) वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय

1. बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
2. बनारस लोकोमोटिव वर्क्स
3. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड
4. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड
5. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
6. ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
7. भारत संचार निगम लिमिटेड
8. सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट
9. केंद्रीय भंडारण निगम
10. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
11. पूर्व मध्य रेलवे
12. पूर्वी तट रेलवे
13. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
14. कार्यकारी अभियंता अपर कोलाब , हेड वर्क्स डिवीजन, जयपोर
15. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
16. एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड
17. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
18. औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम
19. इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड
20. भारतीय जीवन बीमा निगम
21. महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड
22. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
23. मेकॉन लिमिटेड
24. मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
25. रेल मंत्रालय
26. एमएसटीसी लिमिटेड
27. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
28. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड
29. एनएलसी इंडिया लिमिटेड
30. नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
31. नुमालीगढ़ परिशोधक लिमिटेड
32. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
33. डाकघर
34. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
35. राइट्स लिमिटेड
36. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
37. दक्षिण मध्य रेलवे
38. दक्षिण पूर्व रेलवे
39. दक्षिणी रेलवे
40. द सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड
41. विशाखापट्टणम पोर्ट ट्रस्ट
42. वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड

ii) माल की बिक्री

1. हिन्दस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
2. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
3. नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन
4. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
5. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
6. यंत्र इंडिया लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

40.2 संबंधित पार्टी लेनदेन

I. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक

राशि करोड़ रु. में

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	**5.39**	**3.54**
- वेतन		
- भविष्य निधि में योगदान	0.34	0.23
- चिकित्सीय लाभ	0.05	0.02
- अन्य लाभ	0.60	0.01
रोजगार उपरांत लाभ #	**0.03**	**0.02**
अन्य दीर्घकालिक लाभ	**0.01**	**0.01**
कुल	**6.42**	**3.82**

रोजगार के बाद के लाभों एवं अन्य दीर्घकालिक लाभों के तहत कर्मचारी लाभ व्ययों का बीमांकिक मूल्यांकन सभी कर्मचारियों के लिए समग्र आधार पर किया जाता है, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के लिए इन खर्चों को आनुपातिक आधार पर माना जाता है।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों से देय ऋण/अग्रिम

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
वर्ष के अंत में बकाया	0.14	0.09
वर्ष के दौरान किसी भी समय देय अधिकतम राशि	0.29	0.11

II. रोजगार पश्चात लाभ योजना

वर्ष के दौरान लेनदेन

राशि करोड़ रु. में

ट्रस्ट का नाम	लेन-देन की प्रकृति	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
एनईपीएफ ट्रस्ट	पीएफ-अंशदान	357.15	543.71
एनईजीजी ट्रस्ट	कमी का वित्तपोषण	-	6.61
नालको एम्पलॉइड लीव रूल बेनिफिट ट्रस्ट	कमी का वित्तपोषण	385.55	-
नालको एम्पलॉइज पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट ट्रस्ट	कमी का वित्तपोषण	157.08	-

वर्ष के अंत में बकाया शेष

ट्रस्ट का नाम	लेन-देन की प्रकृति	31.03.2023 को	31.03.2022 को
एनईपीएफ ट्रस्ट	पीएफ-अंशदान देय	19.47	30.34
एनईजीजी ट्रस्ट	देय कमी का वित्तपोषण (प्राप्य)	(26.74)	(22.18)
नालको एम्पलॉईज लीव रूल बेनिफिट ट्रस्ट	देय कमी का वित्तपोषण (प्राप्य)	39.82	-
नालको एम्पलॉईज पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट ट्रस्ट	देय कमी का वित्तपोषण (प्राप्य)	10.44	-

III. नालको फाउंडेशन

राशि करोड़ रु. में

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
सीएसआर ट्रस्ट में योगदान	26.21	21.00

IV. भारत सरकार : वर्ष के दौरान लेनदेन

राशि करोड़ रु. में

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष के दौरान लाभांश का भुगतान किया गया	470.9	565.08

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

V. सीपीएसई/ सरकारी उपक्रम - वर्ष के दौरान लेनदेन

राशि करोड़ रु. में

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
सीपीएसई/सरकारी उपक्रमों से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय	4,444.84	3,443.02
सीपीएसई एवं सरकारी उपक्रमों को माल की बिक्री	1,480.29	1,695.29

वर्ष के अंत में बकाया शेष

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
सीपीएसई/सरकारी उपक्रमों से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के लिए अग्रिम/(देय)	93.18	87.74
सीपीएसई एवं सरकारी उपक्रमों को माल की बिक्री के लिए प्राप्य/(अग्रिम)	(52.68)	(44.22)

41 - हटाई गई कंपनी के साथ लेन-देन

राशि करोड़ रु. में

क्रम सं.	बंद की गई कंपनी से लेन-देन की प्रकृति	बकाया राशि 31.03.2023 को	बकाया राशि 31.03.2022 को	बंद कंपनी से रिश्ता, यदि कोई हो
1	प्रतिभूतियों में निवेश	-	-	
2	प्राप्तियों	-	-	
3	देय	0.22	0.18	वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति के लिए
4	हटाई गई कंपनी द्वारा धारित शेयर	44,827 अदद शेयर	44,827 अदद शेयर	शेयरधारकों की कुल संख्या 9
5	अन्य बकाया शेष (निर्दिष्ट किया जाए)			
	कुल	**0.22**	**0.18**	

42. अतिरिक्त जानकारी का प्रकटीकरण

राशि करोड़ रु. में

(क) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष को एवं के लिए

समूह में इकाई का नाम	शुद्ध संपत्ति यानी कुल संपत्ति घटाकर कुल देयताएं		लाभ-हानि में भागीदारी		अन्य व्यापक आय में भागीदारी		कुल व्यापक आय में हिस्सा	
	समेकित शुद्ध परिसंपत्ति के % के रूप में	मात्रा	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	मात्रा	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	मात्रा	कुल व्यापक आय के % के रूप में	मात्रा
संयुक्त उद्यम (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)								
भारतीय								
उत्कर्ष एल्युमिनियम धातु निगम लिमिटेड	0.29%	38.40	0.03%	0.39	-	-	0.03%	0.39
खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड	0.24%	31.84	0.01%	0.14	-	-	0.01%	0.14
अनुगुळ एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड	0.30%	39.50	0.02%	0.34	0.00%	0.00	0.02%	0.34
जीएसीएल नालको अल्कलीज एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	3.08%	404.60	(7.72%)	(110.72)	0.00%	0.00	(7.42%)	(110.72)
कुल	**3.92%**	**514.34**	**(7.66%)**	**(109.85)**	**0.00%**	**-**	**(7.36%)**	**(109.85)**

(ख) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

	शुद्ध संपत्ति यानी कुल संपत्ति घटाकर कुल देयताएं		लाभ-हानि में भागीदारी		अन्य व्यापक आय में भागीदारी		कुल व्यापक आय में हिस्सा	
	समेकित शुद्ध परिसंपत्ति के % के रूप में	मात्रा	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	मात्रा	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	मात्रा	कुल व्यापक आय के % के रूप में	मात्रा
संयुक्त उद्यम (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)								
भारतीय								
उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड	0.00	37.63	0.00	0.31	-	-	0.00	0.31
खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड	0.00	1.50	(0.00)	(0.03)	-	-	(0.00)	(0.03)
अनुगुळ एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड	0.31%	38.80	0.02%	0.65	-	-	0.02%	0.65
जीएसीएल नालको अल्कलीज़ एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड 5.43%	681.41	(0.05%)	(1.48)	-	-	(0.05%)	(1.48)	
कुल	**6.05%**	**759.34**	**(0.02%)**	**(0.55)**	**0.00%**	**-**	**(0.02%)**	**(0.55)**

वित्तीय विवरण (समेकित)

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

43 - सहयोगियों संयुक्त उद्यमों की मुख्य विशेषताएं

एसोसिएट कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण
(प्रपत्र एओसी-1)
भाग "ख": सहयोगी और संयुक्त उद्यम
एसोसिएट एवं संयुक्त उद्यम से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसार विवरण

विवरण	संयुक्त उपक्रम			
	उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड	खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड	अनुगुळ एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लिमिटेड	जीएसीएल नालको एल्कलीज़ एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड
1. नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र तिथि	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2022	31.03.2023
2. वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित एसोसिएट/ संयुक्त उद्यमों के शेयर				
संख्या	2,00,00,000	10,00,000	1,62,23,900	27,60,00,000
एसोसिएट्स/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि (रु.)	20,00,00,000	1,00,00,000	16,22,39,000	2,76,00,00,000
होल्डिंग का विस्तार %	50.00%	40.00%	49.00%	40.00%
3. महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे पड़ता है इसका विवरण	**[नोट 42.2 देखें]**	**[नोट 42.2 देखें]**	**[नोट 42.2 देखें]**	**[नोट 42.2 देखें]**
4. कारण कि सहयोगी/संयुक्त उद्यम समेकित नहीं है	-	-	-	-
5. नवीनतम ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार शेयर होल्डिंग के कारण कुल संपत्ति (रु.)	19,20,00,000	12,73,60,000	19,35,50,000	1,61,84,00,000
6. वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (रु.)				
I. समेकन में विचार किया गया	39,00,000	14,00,000	34,00,000	(1,10,72,00,000)
II. समेकन में विचार नहीं किया गया	-	-	-	-

टिप्पणी:

43.1 जीएसीएल नालको अल्कलीज एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को छोड़कर किसी भी संयुक्त उद्यम ने परिचालन शुरू नहीं किया है ।

43.2 धारित इक्विटी के प्रतिशत के अनुसार मतदान शक्ति।

43.3 चार संयुक्त उद्यम कंपनियां, जिनकी वित्तीय स्थिति को समेकित किया गया है, दो संयुक्त उद्यम कंपनियों अर्थात् मेसर्स खानिज बिदेश इंडिया लिमिटेड और मेसर्स अनुगुळ एल्यूमिनियम पार्क कंपनी लिमिटेड की वित्तीय स्थिति को रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय के आधार पर समेकित किया गया है।

44. विश्लेषणात्मक अनुपात

क्रम सं.	अनुपात	गुणक	भाजक	31.03.2023	31.03.2022	परिवर्तन
1	चालू अनुपात	चालू संपत्ति कुल	चालू देयता कुल	2	2	(6%)
2	ऋण-इक्विटी अनुपात 1	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	-	-	-
3	कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	ब्याज + किश्तें	-	-	-
4	इक्विटी अनुपात पर रिटर्न2	कर पश्चात् शुद्ध लाभ	इक्विटी शेयरधारक कोष [कुल इक्विटी]	11%	24%	(54%)
5	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात 2	बिक्री [उत्पाद की बिक्री]	औसत सूची	8	9	(10%)
6	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात 3	क्रेडिट बिक्री [बिजली बिक्री]	औसत व्यापार प्राप्य	1.26	0.59	115%
7	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	वार्षिक ऋण खरीद	औसत देय खाता	5.99	4.36	37%
8	शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात 2	बिक्री [उत्पाद और बिजली की बिक्री]	शुद्ध संपत्ति या नियोजित पूंजी [पीपीई+अमूर्त संपत्ति+कार्यशील पूंजी]	1.46	1.34	9%
9	शुद्ध लाभ अनुपात 2	शुद्ध लाभ [कर के बाद लाभ]	बिक्री [उत्पाद और बिजली की बिक्री]	10%	21%	(52%)
10	नियोजित पूंजी पर रिटर्न 2	आय (ईबीआईटी)	नियोजित पूंजी [पीपीई+अमूर्त संपत्ति+कार्यशील पूंजी]	20%	38%	(47%)
11	निवेश पर रिटर्न 2	शुद्ध लाभ [कर के बाद लाभ]	इक्विटी फंड [कुल इक्विटी]	11%	24%	(54%)

1. कंपनी पर बिल डिस्काउंटिंग के अलावा कोई उधार/ऋण नहीं है (नोट 21 देखें)।
2. पिछले वर्ष की तुलना में अनुपातों में भिन्नता संबंधित कारकों में बदलाव के कारण है।
3. व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात की गणना केवल पवन ऊर्जा की बिक्री और प्राप्य को ध्यान में रखकर की गई है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

45 - अन्य प्रकटीकरण

मूल कंपनी और भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय के बीच 9 अक्टूबर, 2020 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) दर्ज किया गया है, जिसमें समूह द्वारा पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) सहित मूल कंपनी के लिए विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं । इस संबंध में, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्रमुख पूंजीगत परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय की राशि और मूल कंपनी द्वारा अतिरिक्त सुविधाओं के निर्माण और उसके संयुक्त उद्यमों द्वारा समान पूंजीगत व्यय की आनुपातिक हिस्सेदारी नीचे दी गई है:

राशि करोड़ रु. में

कंपनी/संयुक्त उद्यम का नाम	कुल कैपेक्स	कंपनी की हिस्सेदारी % में	कंपनी की हिस्सेदारी रु.
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड	1,828.78		1,828.78
अनुगुळ एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड	7.20	49%	3.53
जीएसीएल नालको अल्कलिस एंड केमिकल्स प्रा. लिमिटेड	138.74	40%	55.50
उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड	0.70	50%	0.35
खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड	-	40%	-
कुल पूंजीगत व्यय	1,975.42		1,888.15

46 - विगत वर्ष के आँकड़ों का पुनर्समूहन

पिछले वर्ष के आँकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए जहाँ भी आवश्यक समझा गया, उन्हें पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

(सीएस एन. के. महान्ति)
कंपनी सचिव

(आर. सी. जोशी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08765394

(सीए श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06500954

कृते जीएनएस एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन-318171ई

(सीए राजेश के. पहाड़ी)
साझेदार
एम. सं.: 058221

कृते एके साबत एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन-321012ई

(सीए बी. आर. महान्ति)
साझेदार
एम. सं.: 057266

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 24 मई, 2023

वित्तीय विवरण (समेकित)

Status of Compliance to Ind ASs notified by MCA:

इंड एएस सं.	नामपद्धति	विवरण
इंड. एएस 1	वित्तीय विवरण की प्रस्तुति	- कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं और इंड. एएस 1 में निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के तहत निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किए गए हैं।
		- वित्तीय विवरण तैयार करने एवं अपनाई गई लेखांकन नीतियों में उपयोग किए जाने वाले माप आधार का खुलासा किया गया है।
		- इंड एएस द्वारा आवश्यक जानकारी (संबंधित इंड एएस के खिलाफ नीचे भी चर्चा की गई है) जो वित्तीय विवरणों में कहीं एवं प्रस्तुत नहीं की गई है, उसे नोट्स के रूप में प्रकट किया गया है।
		- वित्तीय विवरण के नोट्स वह जानकारी भी प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों में कहीं एवं प्रस्तुत नहीं की गई है, लेकिन उनमें से किसी की समझ के लिए प्रासंगिक है।
इंड. एएस 2	सूची	- उपयोग किए गए लागत फार्मूले सहित माल-सूची को मापने में अपनाई गई लेखांकन नीति का खुलासा वित्तीय विवरणों के टिप्पणी 3 में रखी गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 3.9 में किया गया है।
		- माल-सूची के वर्गीकरण एवं उनकी वहन राशि, व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त माल-सूची की मात्रा, व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त माल-सूची के किसी भी राइट-डाउन की राशि एवं गिरवी रखी गई माल-सूची के संबंध में खुलासा टिप्पणी 15 में किया गया है।
इंड एएस 7	नकदी प्रवाह का बयान	- अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए नकदी प्रवाह विवरण, जिसके तहत अप्रत्यक्ष पद्धति, जिसके तहत लाभ या हानि को गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन के प्रभावों, अतीत या भविष्य के परिचालन नकदी प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी स्थगन या संचय, एवं आय की वस्तुओं के लिए समायोजित किया जाता है। निवेश या नकदी प्रवाह के वित्तपोषण से जुड़ा व्यय। - नकदी प्रवाह को परिचालन, निवेश एवं वित्तपोषण गतिविधियों में विभाजित किया गया है
इंड. एएस 8	लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन एवं त्रुटियां	- लेखांकन नीति में कोई भी बदलाव पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाता है, जब तक कि अव्यावहारिक न हो, प्रस्तुत प्रारंभिक अवधि के लिए इक्विटी के प्रत्येक प्रभावित घटक के शुरुआती शेष को समायोजित किया जाता है एवं प्रस्तुत प्रत्येक पूर्व अवधि के लिए प्रकट की गई अन्य तुलनात्मक मात्रा को समायोजित किया जाता है।
		- लेखांकन अनुमान में कोई भी परिवर्तन जो परिसंपत्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन को जन्म देता है, या इक्विटी की किसी वस्तु से संबंधित होता है, परिवर्तन की अवधि में संबंधित परिसंपत्ति, देयता या इक्विटी आइटम की वहन राशि को समायोजित करके पहचाना जाता है।
		- रु. 50 करोड़ के प्रभाव वाली किसी पूर्व अवधि की त्रुटि(त्रुटियों) का पता चलने पर , मानक द्वारा निर्देशित के अनुसार त्रुटि को पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाता है ।
इंड. एएस 10	प्रतिवेदन अवधि के बाद के कार्यक्रम	- कंपनी प्रतिवेदन अवधि के बाद समायोजन घटनाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए अपने वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों को समायोजित करती है। - प्रतिवेदन अवधि के बाद घोषित लाभांश को अवधि के अंत में दायित्व के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। हालाँकि, इस आशय का उपयुक्त खुलासा टिप्पणी:19.3 में किया गया है।
इंड. एएस 11	निर्माण संविदा	- यह मानक निर्माण व्यवसाय से जुड़े ठेकेदारों के वित्तीय विवरण तैयार करने में लागू होता है। किसी भी संपत्ति के निर्माण के लिए ठेकेदार नहीं होने के कारण, इंड. एएस 11 कंपनी पर लागू नहीं होता है।
इंड. एएस 12	आय कर	- कर व्यय एवं लेखांकन लाभ के बीच संबंध को कर व्यय एवं टिप्पणी 36 पर लागू कर दर से गुणा किए गए लेखांकन लाभ के उत्पाद के बीच एक संख्यात्मक समाधान के माध्यम से समझाया गया है। - उन वस्तुओं से संबंधित चालू कर एवं आस्थगित कर जिन्हें अन्य व्यापक आय एवं सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त है, उन्हें क्रमशः अन्य व्यापक आय एवं इक्विटी में स्वीकृति दी जाती है। खुलासे टिप्पणी 36 में किए गए हैं।
इंड. एएस 16	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	- संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के प्रत्येक वर्ग के लिए माप के आधार, उपयोगी जीवन एवं मूल्यह्रास की विधि पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 3.1 में चर्चा की गई है।
		- अवधि के दौरान वृद्धि, निपटान एवं मूल्यह्रास व्यय बताते हुए आरंभिक वहन मूल्य एवं अंतिम वहन मूल्य के बीच एक सामंजस्य टिप्पणी 5 में रखा गया है।
इंड. एएस 19	कर्मचारी लाभ	- दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों को तीन प्रमुखों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात परिभाषित योगदान योजनाएँ, परिभाषित लाभ योजनाएँ एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ। कर्मचारियों के पेंशन फंड में कंपनी के योगदान को परिभाषित योगदान योजनाओं के रूप में स्वीकृति दी जाती है, जबकि भविष्य निधि में कंपनी के योगदान, सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ, निपटान-लाभ, नालको बेनेवोलेंट फंड स्कीम, नालको रिटायरमेंट वेलफेयर स्कीम को परिभाषित लाभ के रूप में स्वीकृति दी जाती है। योजनाएं. क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति के लिए भुगतान, लंबी सेवा पुरस्कार एवं नेफर्स को दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में स्वीकृति दी जाती है।
		- परिभाषित लाभ योजनाओं एवं दीर्घकालिक कर्मचारियों के लाभों के प्रति कंपनी के दायित्व का बीमांकिक मूल्यांकन किया गया है एवं तदनुसार व्यय/आय की पहचान की गई है।
		- सेवा लागत, ब्याज व्यय/आय, जनसांख्यिकीय एवं वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण पुनर्माप लाभ या हानि को दर्शाने वाले प्रत्येक परिभाषित लाभ दायित्वों के विरुद्ध प्रारंभिक देनदारी एवं समापन देनदारी के बीच एक सामंजस्य का खुलासा टिप्पणी 33.ख में किया गया है।
		- बीमांकिक स्वीकृतियों का एक संवेदनशीलता विश्लेषण यह दर्शाता है कि प्रासंगिक बीमांकिक मान्यताओं को बदलने से परिभाषित लाभ दायित्व कैसे प्रभावित होगा, टिप्पणी 33.ग में बताया गया है।

इंड एएस सं.	नामपद्धति	विवरण
इंड. एएस 20	सरकारी अनुदानों का लेखा-जोखा एवं सरकारी सहायता का प्रकटीकरण	- परिसंपत्तियों के लिए सरकार से प्राप्त अनुदान को आस्थगित आय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस संबंध में लेखांकन नीति का खुलासा अनुच्छेद 3.14 में किया गया है।
इंड. एएस 21	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	- विदेशी मुद्रा में लेनदेन के संबंध में लेखांकन नीतियों का खुलासा महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 3.6 में किया गया है।
इंड. एएस 23	ऋण लेना	- कंपनी उस उधार लेने की लागत का पूंजीकरण करती है जो सीधे उस परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में किसी योग्य परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती है। इस संबंध में खुलासा महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 3.13 में किया गया है।
इंड. एएस 24	संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण	- संबंधित पार्टियों के नाम, उनके साथ कुल बिक्री एवं खरीद लेनदेन, उनके खिलाफ कोई बकाया राशि एवं प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के खिलाफ भुगतान किए गए लाभ एवं बकाया ऋण का खुलासा टिप्पणी 40 में किया गया है।
इंड. एएस 27	अलग वित्तीय विवरण	- संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों में किए गए निवेश को अलग-अलग वित्तीय विवरणों में लागत पर प्रस्तुत किया जाता है।
इंड. एएस 28	एसोसिएट्स एवं संयुक्त उद्यम में निवेश	- कंपनी इक्विटी पद्धति का उपयोग करके अपने समेकित वित्तीय विवरणों में निवेश की अग्रणीत राशि के साथ सहायक कंपनियों के लाभ या हानि में अपने लाभ के हिस्से को समायोजित करती है।
इंड. एएस 29	हाइपरइन्फ्लेशनरी अर्थशास्त्र में वित्तीय रिपोर्टिंग	- यह मानक कंपनी पर लागू नहीं होता है क्योंकि इसकी प्रकार्यात्मक मुद्रा किसी भी अति मुद्रास्फीति वाली अर्थव्यवस्था की मुद्रा नहीं है।
इंड. एएस 32	वित्तीय उपकरण प्रस्तुति	- परिसंपत्तियों एवं देयताओं की सभी वस्तुओं को मानक में निर्धारित परिभाषाओं के आधार पर वित्तीय एवं अन्य परिसंपत्तियों एवं देयताओं में अलग किया गया है एवं अनुसूची III में आवश्यकतानुसार प्रस्तुत किया गया है।
इंड. एएस 33	प्रति शेयर आय	- कंपनी ने कोई संभावित इक्विटी शेयर जारी नहीं किया है। इस प्रकार, बेसिक एवं डाइल्यूटेड ईपीएस दोनों समान रहते हैं। - ईपीएस की गणना में प्रयुक्त अवधि के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं आय के संबंध में खुलासा टिप्पणी 38 में किया गया है।
इंड. एएस 34	अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदन	- एक सूचीबद्ध इकाई होने के नाते, कंपनी तिमाही आधार पर इस मानक में निर्धारित मान्यता एवं माप सिद्धांतों के अनुसार सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार अपनी अंतरिम वित्तीय तैयार करती है।
इंड. एएस 36	संपत्ति की क्षति	- विभिन्न परिसंपत्तियों की हानि से संबंधित लेखांकन नीति का खुलासा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में संबंधित अनुच्छेदग्राफ में किया गया है। - प्रबंधन प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर परिसंपत्तियों के मूल्य की समीक्षा करता है एवं आकलन करता है कि क्या कोई संकेत है कि मानक के अनुसार परिसंपत्ति खराब हो सकती है।
इंड. एएस 37	प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं संपत्तियाँ	- प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं एवं परिसंपत्तियों से संबंधित लेखांकन नीतियां महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुच्छेद 3.7 में बताई गई हैं। - प्रावधानों को तब स्वीकृति दी जाती है जब कंपनी पर पिछली घटनाओं, कानूनी या रचनात्मक, के परिणामस्वरूप चालू दायित्व होता है, जिसके लिए दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के प्रवाह की आवश्यकता होती है एवं घटना के आसपास के जोखिमों एवं अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के प्रावधानों के संचलन का खुलासा टिप्पणी 24 (ग) में किया गया है। - अन्य के मामले में दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होते हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होती है, जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं, आकस्मिक देनदारियों का खुलासा नोट 27 में और अनुसूची III की आवश्यकता के अनुपालन में किया जाता है। - आकस्मिक परिसंपत्तियों की पहचान नहीं की जाती है, लेकिन उनका खुलासा तब किया जाता है, जब आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है।
इंड. एएस 38	अमूर्त संपत्ति	- इस संबंध में लेखांकन नीति का उल्लेख महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुच्छेद 3.2 में किया गया है। - सॉफ्टवेयर पर व्यय को अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता देती है, जो मानक में निर्धारित मान्यता की शर्तों को पूरा करती है। - परिवर्धन, कटौती एवं परिशोधन को दर्शाने वाली अमूर्त परिसंपत्तियों की आरंभिक वहन राशि एवं अंतिम वहन राशि का मिलान टिप्पणी 8 में रखा गया है।
इंड. एएस 40	संपत्ति मे निवेश करे	- कंपनी के पास कोई निवेश संपत्ति नहीं है, इसलिए मानक लागू नहीं है।
इंड. एएस 41	कृषि	- कंपनी के पास कोई कृषि गतिविधि नहीं है, इसलिए मानक लागू नहीं है।
इंड. एएस 101	पहली बार भारतीय लेखा मानकों को अपनाना	- कंपनी ने वर्ष 2016-17 में इंड. एएस को अपनाया एवं इसलिए यह मानक अब लागू नहीं है।

वित्तीय विवरण (समेकित)

इंड एएस सं.	नामपद्धति	विवरण
इंड. एएस 102	शेयर आधारित भुगतान	- वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जिसमें शेयर-आधारित भुगतान शामिल हो, इसलिए मानक लागू नहीं है।
इंड. एएस 103	व्यापार संयोजन	- मानक लागू नहीं है।
इंड. एएस 104	बीमा अनुबंध	- मानक लागू नहीं है।
इंड. एएस 105	बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियां एवं बंद किए गए परिचालन	- कंपनी ने टिप्पणी 17 में खुलासा किया है.
इंड. एएस 106	खनिज संसाधनों की खोज एवं मूल्यांकन	- कंपनी ने खनिज संसाधनों की खोज एवं मूल्यांकन पर कोई खर्च नहीं किया है, इसलिए मानक लागू नहीं है।
इंड. एएस 107	वित्तीय लिखतों का प्रकटीकरण	- वित्तीय उपकरणों के वर्गीकरण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों उपकरणों से उत्पन्न होने वाले जोखिम की प्रकृति एवं सीमा के संबंध में मानक द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण टिप्पणी 39 में किया गया है।
इंड. एएस 108	संचालन खंड	- कंपनी ने अपने परिचालन को मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) के दृष्टिकोण के आधार पर दो खंडों यानी रासायनिक खंड एवं एल्यूमीनियम खंड में वर्गीकृत किया है, जो कंपनी के प्रदर्शन की समीक्षा करते समय लेता है।
		- खंड राजस्व, परिणाम, संपत्ति एवं देयताएं, प्रमुख उत्पादों से राजस्व, भौगोलिक सूचनाएं एवं अन्य खंड सूचनाएं टिप्पणी 37 में बताई गई हैं।
इंड. एएस 109	वित्तीय साधन	- म्यूचुअल फंड में निवेश एवं विदेशी मुद्रा पर वायदा अनुबंध को छोड़कर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं को परिशोधन लागत पर मापा गया है एवं टिप्पणी 39 में इसका खुलासा किया गया है।
इंड. एएस 110	समेकित वित्तीय विवरण	- समेकन की इक्विटी पद्धति का पालन करते हुए कंपनी के संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों को ध्यान में रखते हुए समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं।
इंड. एएस 111	संयुक्त व्यवस्था	- कंपनी संयुक्त रूप से नियंत्रित व्यवस्थाओं में अपने हित की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए मानक में निर्धारित सिद्धांतों का पालन करती है।
इंड. एएस 112	अन्य संस्थाओं में रुचि का प्रकटीकरण	- कंपनी के चार संयुक्त उद्यम हैं जिनकी सारांशित वित्तीय जानकारी एवं ब्याज की वहन राशि के साथ इसका मिलान टिप्पणी 9 में बताया गया है।
इंड. एएस 113	उचित मूल्य मापन	- कंपनी ने अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं को मापते समय मानक में निर्धारित उचित मूल्य माप के सिद्धांतों को अपनाया है।
		- इस संबंध में लेखांकन नीति का खुलासा महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 4.2.6 में किया गया है।
इंड. एएस 114	विनियामक स्थगन खाते	- कंपनी किसी भी दर विनियमन के अधीन नहीं है, इसलिए मानक लागू नहीं है।
इंड. एएस 115 इंड. एएस 116	ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व पट्टे	- कंपनी ग्राहकों के साथ अनुबंध से संबंधित अपने सभी प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करने पर राजस्व को मान्यता देती है।
		- कंपनी उन सभी पट्टों की पहचान करती है जहां कोई अनुबंध होता है, या इसमें शामिल होता है, जिसमें एक पट्टा यदि यह अनुबंध की शुरुआत में, प्रतिफल के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए किसी पहचानी गई संपत्ति (अनुबंध में स्पष्ट या अंतर्निहित रूप से निर्दिष्ट) के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।
		- कंपनी लागत पर "उपयोग का अधिकार" आरओयू संपत्ति को स्वीकृति देती है, एवं लीज देनदारी को सभी लीज भुगतानों के चालू मूल्य पर मापा जाता है।

5 साल का प्रदर्शन एक नज़र में - भौतिक

क्रम सं.	विवरण	इकाइयां	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19
1	उत्पादन:						
	बाक्साइट	मे. टन	74,56,776	75,11,075	73,65,001	73,02,245	72,30,546
	एल्यूमिना हाइड्रेट	मे. टन	21,23,000	21,22,000	20,85,500	21,60,500	21,52,500
	एल्यूमीनियम	मे. टन	4,60,000	4,60,000	4,18,522	4,18,373	4,40,242
	पावर (शुद्ध)	एमयू	5,788	5,711	6,440	6,067	6,256
	पवन ऊर्जा	एमयू	280	320	285	312	330
2	निर्यात बिक्री:						
	एल्यूमिना	मे. टन	11,82,054	11,54,691	11,84,680	12,40,704	12,44,256
	एल्यूमीनियम	मे. टन	25,214	1,33,085	1,92,174	56,898	38,463
3	घरेलू बिक्री:						
	एल्यूमिना, हाइड्रेट और अन्य रसायन	मे. टन	64,583	77,995	42,992	63,000	73,377
	एल्यूमीनियम	मे. टन	4,38,871	3,23,809	2,30,643	3,38,864	4,02,134
	पावर (नेट)	एमयू	-	-	-	-	11
	पवन ऊर्जा	एमयू	158	170	148	162	330

5 साल का प्रदर्शन एक नज़र में - वित्तीय (करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19
क.	आय विवरण :					
1	निर्यात	4,216.76	6,364.15	5,162.94	3,510.92	4,792.71
2	घरेलू बिक्री	9,954.1	7,694.83	3,706.35	4,914.83	6,593.61
3	सकल बिक्री (1+2)	14,170.86	14,058.98	8,869.29	8,425.75	11,386.32
4	घटाएं : उत्पाद शुल्क	-	-	-	-	-
5	शुद्ध बिक्री (3 - 4)	14,170.86	14,058.98	8,869.29	8,425.75	11,386.32
6	अन्य आय :					
7	परिचालन	84.00	155.60	86.50	46.09	113.00
8	गैर परिचालन	235.63	264.09	146.60	272.58	325.87
9	परिचालन व्यय	11,806.78	9,664.08	7,172.97	7,982.61	8,606.79
10	परिचालन लाभ (5+7-9)	2,448.08	4,550.50	1,782.82	489.23	2,892.53
11	असाधारण वस्तुएँ	-	-	-	-	-
12	आय , विभाग. एवं कर (ईबीआईडीटी)(10+8 -11)	2,683.71	4,814.59	1,929.42	761.81	3,218.40
13	ब्याज एवं वित्तपोषण शुल्क	12.92	23.13	7.08	5.74	2.38
14	मूल्यह्रास एवं कर के पूर्व आय (ईबीडीटी) (12-13)	2,670.79	4,791.46	1,922.34	756.07	3,216.02
15	मूल्यह्रास और परिशोधन		715.80	836.59	605.82	529.83
16	कर पूर्व लाभ (पीबीटी) (14-15)	1,954.99	3,954.87	1,316.52	226.24	2,739.92
17	कर हेतु प्रावधान	410.50	1,002.90	16.99	88.01	1,007.52
18	शुद्ध लाभ (पीएटी) (16 - 17)	1,544.49	2,951.97	1,299.53	138.23	1,732.40
ख	तुलन पत्र :					
19	शेयर पूंजी	918.32	918.32	918.32	932.81	932.81
20	आरक्षित एवं अधिशेष	12,320.13	11,636.32	9,762.38	9,055.26	9,551.70
21	संपत्ति (19+20)	13,238.45	12,554.64	10,680.70	9,988.07	10,484.51
ग.	अनुपात :					
22	परिचालन लाभ मार्जिन (ओपीएम) (%) (10/5*100)	17.28	32.37	20.10	5.81	25.40
23	शुद्ध लाभ मार्जिन (%) (18/5 *100)	10.90	21.00	14.65	1.64	15.21
24	नेटवर्थ पर रिटर्न (आरओएनडब्लू)(%) (18/21*100)	11.67	23.51	12.17	1.38	16.52
घ.	अन्य :					
25	प्रति शेयर बुक वैल्यू रु. 5 प्रत्येक (रु.)	72.08	68.36	58.15	53.54	56.20
26	प्रति शेयर आय (रु.)	8.41	16.07	6.97	0.74	9.06
27	प्रति शेयर लाभांश (रु.)	5.00	6.00	2.50	1.50	5.75

वर्ष 2022-23 के लिए प्रकाशित त्रैमासिक (समीक्षित) वित्तीय परिणाम तथा वार्षिक (लेखा परीक्षित) वित्तीय परिणाम का मिलान

(क्रमांक 11 एवं 12 को छोड़कर करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही (समिक्षित)	तृतीय तिमाही (लेखापरीक्षित)	चौथी तिमाही	कुल (लेखापरीक्षित)	पूर्ण वर्ष	भिन्नताएँ*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	संचालन से राजस्व	3,783.32	3,489.57	3,289.98	3,670.86	14,233.73	14,254.86	21.13
2	अन्य आय	62.90	69.26	66.32	55.90	254.38	235.63	(18.75)
3	कुल व्यय मूल्यह्रास छोड़कर	2,918.52	3,159.30	2,834.44	2,905.06	11,817.32	11,819.70	2.38
4	मूल्यह्रास एवं प्रावधान	149.65	153.65	157.06	255.44	715.80	715.80	-
5	कर पूर्व लाभ और असाधारण वस्तुएँ	778.05	245.88	364.80	566.26	1,954.99	1,954.99	(0.00)
6	असाधारण वस्तुएँ	-	-	-	-	-	-	-
7	कर पूर्व लाभ	778.05	245.88	364.80	566.26	1,954.99	1,954.99	(0.00)
8	कर हेतु प्रावधान	199.41	75.76	90.95	44.38	410.50	410.50	-
9	शुद्ध लाभ (पीएटी)	578.64	170.12	273.85	521.88	1,544.49	1,544.49	(0.00)
10	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	918.32	918.32	918.32	918.32	918.32	918.32	-
11	आय प्रति शेय (रु.) (वार्षिक आधार)	3.15	0.93	1.49	2.84	8.41	8.41	-
12	गैर-प्रवर्तक शेयरधारिता का कुल:							
	शेयर की संख्या	89,48,38,776	89,48,38,776	89,48,38,776	89,48,38,776	-	89,48,38,776	-
	शेयरधारिता का प्रतिशत	48.72	48.72	48.72	48.72	-	48.72	-

* सामान्य स्क्रैप के लेखांकन और परिसंपत्तियों के निपटान पर आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के परिणामस्वरूप, संबंधित शीर्षों में आवश्यक पुनर्समूहन किया गया है।

नालको की विभिन्न उत्पादन इकाइयाँ, उनका स्थान एवं स्थापित क्षमताएँ

1.	बॉक्साइट खानें	पंचपटमाली	68,25,000 टीपीवाई (उत्तर और मध्य ब्लॉक) 31,50,000 टीपीवाई (साउथ ब्लॉक)
2.	एल्यूमिना परिशोधक	दामनजोड़ी	21,00,000 टीपीवाई (सामान्य क्षमता)
3.	प्रद्रावक संयंत्र	अनुगुळ	4,60,000 टीपीवाई
4.	ग्रहीत विद्युत संयंत्र	अनुगुळ	1,200 मेगावाट
5.	बंदरगाह सुविधाएं	विशाखापट्टणम	14,00,000 टीपीवाई (एल्यूमिना निर्यात/ कास्टिक सोडा लाई आयात)
6.	पवन ऊर्जा	गंडिकोटा , ए.पी.	50.4 मेगावाट
		लुदरवा, जैसलमेर, राजस्थान	47.6 मेगावाट
		देवीको , जैसलमेर, राजस्थान	50.0 मेगावाट
		सांगली, महाराष्ट्र	50.4 मेगावाट

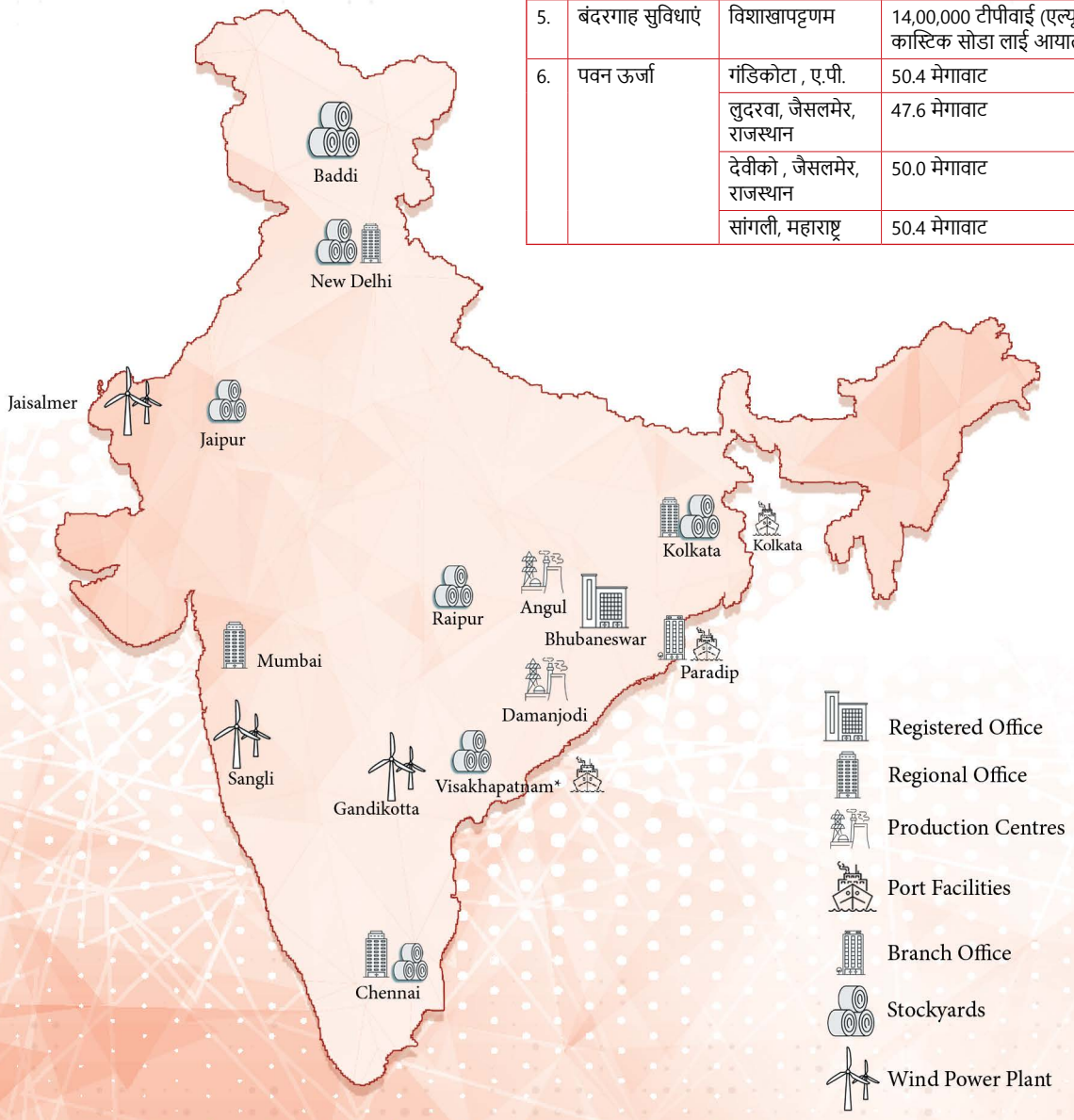

टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ

Global Reach

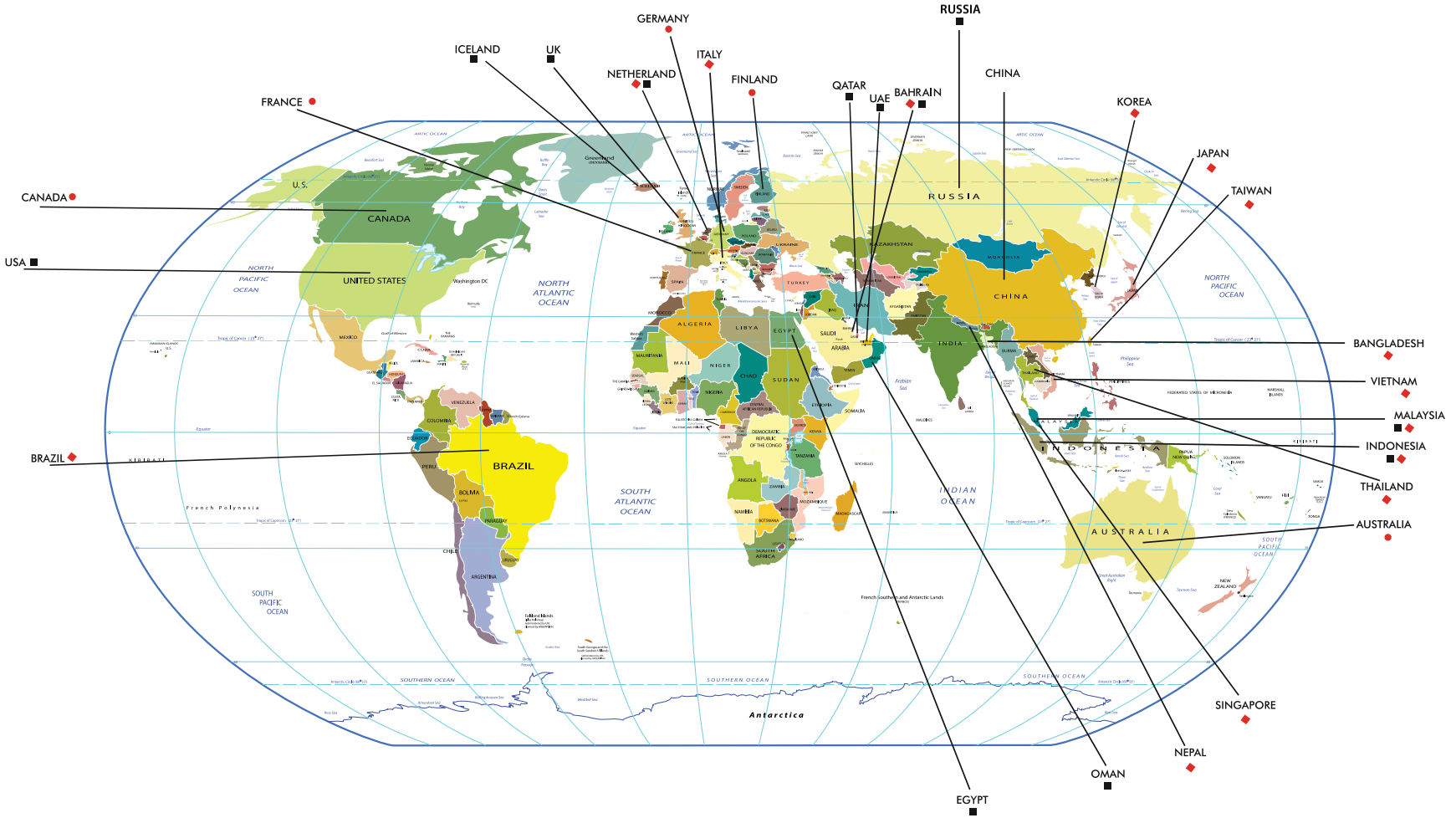

● TECHNOLOGY ASSOCIATES ■ ALUMINA EXPORT ◆ ALUMINIUM EXPORT

नालको NALCO

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उद्यम)

नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर -751 013, ओड़िशा

सीआईएन : L27203OR1981GOI000920

@Nalco_India fb.com/nalcoindia www.nalcoindia.com